

भारत में मुसलमानों की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति

एक रिपोर्ट



प्रधानमंत्री की उच्चस्तरीय समिति
केंद्रीय सचिवालय
भारत सरकार

नवंबर, 2006

November 2006

Prime Minister's High Level Committee
Cabinet Secretariat
Government of India
Sardar Patel Bhawan
Parliament Street
New Delhi 110 001

Designed, Processed and printed at Cirrus Graphics Pvt. Ltd., B-261, Naraina
Industrial Area, New Delhi 110 028. Tel: 91 11 4141 1507/1508/7575, 09811026274
rajgupta@cirrusgraphics.com



भारत सरकार
(मंत्रिमंडल सचिवालय)

**भारत में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक
और शैक्षणिक स्थिति पर रिपोर्ट तैयार करने
के लिए प्रधानमंत्री की उच्चस्तरीय समिति
(अध्यक्ष :- न्यायमूर्ति राजिन्दर सच्चर)
सरदार पटेल भवन, संसद मार्ग, नयी दिल्ली**

17 नवम्बर, 2006

माननीय डॉ. मनमोहन सिंह
प्रधानमंत्री, भारत सरकार

श्रद्धेय डॉ. मनमोहन सिंह जी,

प्रधानमंत्री कार्यालय ने नौ मार्च 2005 को देश में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति पर रिपोर्ट तैयार करने के लिए उच्चस्तरीय समिति के गठन को लेकर अधिसूचना जारी की थी। इसकी शर्तें इस रिपोर्ट के साथ संलग्न हैं। समिति को मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति से संबंधित प्रासंगिक मसलों से निपटने के लिए सरकार की पहल से संबंधित क्षेत्र की पहचान के वास्ते उपरोक्त जानकारियों को पुष्ट करने, उनकी तुलनात्मक अध्ययन करने तथा व्याख्या करने का काम सौंपा गया था।

जुलाई के अंत तक इसके लिए आवश्यक स्थान, कर्मचारी और ज्यादातर बुनियादी संरचनाएं उपलब्ध कराई जा चुकी थी। इस बीच, समिति की पहली बैठक 21 अप्रैल 2005 को हुई और उसके बाद एक संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसके माध्यम से समिति ने देश की जनता से इन सब विषयों में समिति को जानकारी उपलब्ध कराने की अपील की थी। इसके बाद देश के अलग-अलग हिस्सों से विभिन्न भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होने वाले 100 से अधिक दैनिक समाचार-पत्रों में इस बाबत बड़े-बड़े विज्ञापन प्रकाशित किये गये थे। भारत सरकार के विभिन्न विभागों, सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और अनेक निकायों, संस्थानों एवं संगठनों, यथा- मतगणना विभाग के महापंजीयक, नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन (एनएसएसओ), निर्वाचन आयोग, परिसीमन आयोग, अल्पसंख्यक आयोग, पिछड़ी जाति संबंधी आयोग, भाषाई अल्पसंख्यक आयोग, संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी), विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी), विश्वविद्यालयों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों, न्यायपालिका इत्यादि को इस संबंध में पत्र और प्रपत्र जारी किये गए थे। समिति ने मुसलमानों की व्यापक आबादी वाले तेरह जिलों का दौरा किया और राज्यों के विभिन्न समुदायों, व्यक्तियों, गैर-सरकारी संगठनों, युवाओं, बुद्धिजीवियों, महिलाओं, मुख्य सचिवों, प्रधान सचिवों, पुलिस महानिदेशकों और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से बातचीत की। प्रत्येक राज्य के दौरे में मुख्यमंत्री और उनके सहयोगियों से भी मुलाकात की गई।

समिति को मौखिक और लिखित सुझाव दिये गए। उन प्रस्तुतियों को संक्षिप्त किया गया। समिति ने संक्षिप्त सुझावों को अपनी रिपोर्ट में इस्तेमाल किया। समिति ने जिन तेरह राज्यों का दौरा किया, उनमें आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, जम्मू-कश्मीर, असम, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, केरल, मध्य प्रदेश, गुजरात, बिहार और महाराष्ट्र शामिल हैं। इसके अलावा, समिति ने तमिलनाडु, झारखंड और लक्षद्वीप के दौरे की योजना तो बनाई थी लेकिन तमिलनाडु में बाढ़ की गंभीर स्थिति, झारखंड में विधानसभा सत्र जारी रहने और लक्षद्वीप में खराब मौसम के कारण उसे दौरा रद्द करना पड़ा।

समिति के सदस्यों की एकमत राय थी कि संबंधित रिपोर्ट आठ जून 2006 तक सौंप दी जानी चाहिए क्योंकि समिति के पंद्रह महीने का कार्यकाल उसी दिन समाप्त हो रहा था। हालांकि, इस कार्य में कुछ बाधाएं उत्पन्न हुईं। जून 2005 में समिति ने कार्यक्रम क्रियान्वयन एवं सांख्यिकी मंत्रालय को एक पत्र लिखकर एनएसएसओ की ओर से हाल में जारी आंकड़े (61वां राउंड, वर्ष 2004-05) उपलब्ध कराने की मांग की थी। ऐसी उम्मीद व्यक्त की जा रही थी कि ये आंकड़े नवम्बर 2005 तक उपलब्ध करा दिये जाएंगे। हालांकि सांख्यिकी मंत्रालय ने संबंधित आंकड़े समय पर उपलब्ध कराने की भरसक कोशिश की, लेकिन कार्य की व्यापक प्रकृति के कारण इसे मई 2006 में ही समिति को उपलब्ध कराया जा सका। भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड, एनबीसीएफडीसी और कुछ अन्य महत्वपूर्ण संगठनों से आंकड़े हासिल करने में ऐसी ही समस्याएं आईं। अनेक राज्यों से भी महत्वपूर्ण आंकड़े उपलब्ध नहीं हो सके। समिति ने, इस तरह, महसूस किया कि रिपोर्ट को पुराने और अपर्याप्त आंकड़ों के आधार पर ही सुझाव और आलोचना के लिए जारी कर दी जाए। समिति ने यह भी महसूस किया कि रमजान का अंतिम रोजा 23 अक्टूबर को था और उसके अगले दिन ईद थी। इसी बीच दिपावली का त्योहार भी

आया, जिसके कारण कुछ रुकावटें भी पैदा हुईं। समिति की सिफारिश पर आपने समिति का कार्यकाल 30 नवम्बर 2006 तक के लिए बढ़ा दिया।


हम केंद्र और राज्य सरकारों के विभिन्न विभागों, आरबीआई, एनएसएसओ और अनेक अन्य संगठनों को धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने रिपोर्ट तैयार करने के लिए आवश्यक जानकारियां समिति को समय पर उपलब्ध कराने में सहयोग किया। हम आपके द्वारा नियुक्त विशेष ड्यूटी अधिकारी (ओएसडी) डॉ. सईद जाफर महमूद और उनके सहयोगियों की टीम का भी शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने समिति को उत्कृष्ट प्रशासकीय और अन्य विशिष्ट सहयोग उपलब्ध कराए।

समिति के पास उपलब्ध पुस्तकें, सार्वजनिक प्रस्तुतियों और अन्य सामग्रियों को नेहरू स्मारक पुस्तकालय, तीन मूर्ति भवन, नयी दिल्ली में रखे जाने की अनुशांसा की जाती है, जहां से आवश्यकता पड़ने पर सरकार और देश की जनता इसे हासिल कर सकती है।


आपको यह रिपोर्ट सौंपने पर हमें अपार प्रसन्नता हो रही है।


धन्यवाद !

आपका विश्वासभाजन



(राजिन्दर सच्चर)
अध्यक्ष

सदस्य


सईद हमीद



डॉ. टी. के. ऊमेन



एम. ए. बशिठ



डॉ. राकेश बसंत



डॉ. अख्तर मजीद



डॉ. अबुसलेह शरीफ
सदस्य-सचिव

पत्रांक संख्या- 850/3/सी/3/05- पोल
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया
(भारत सरकार)
प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस
(प्रधानमंत्री कार्यालय)
नयी दिल्ली

दिनांक : नौ मार्च, 2005

अधिसूचना

विषय : भारत में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति पर रिपोर्ट तैयार करने के लिए उच्च-स्तरीय समिति का गठन

चूंकि यह महसूस किया गया है कि भारत के मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति के बारे में सही जानकारी का अभाव है, जिस कारण इस समुदाय के सामाजिक-आर्थिक पिछड़ेपन से जुड़ी समस्याओं से निपटने के लिए नीतियां और कार्यक्रम की योजना बनाने, सूत्रबद्ध करने तथा उसके क्रियान्वयन में बाधा उत्पन्न होती है, इसलिए सरकार ने इन पहलुओं पर एक व्यापक रिपोर्ट तैयार करने के लिए उच्च-स्तरीय समिति का गठन किया है।

2. समिति के सदस्य इस प्रकार होंगे:-

- | | |
|--------------------------------|-------------|
| (1) न्यायमूर्ति राजिन्दर सच्चर | - अध्यक्ष |
| (2) श्री सर्ईद हमीद | - सदस्य |
| (3) डा. टी. के. ऊमेन | - सदस्य |
| (4) श्री एम. ए. बसिठ | - सदस्य |
| (5) डॉ. राकेश बसंत | - सदस्य |
| (6) डॉ. अख्तर मजीद | - सदस्य |
| (7) डॉ. अबु सालेह शरीफ | -सदस्य सचिव |

(3) उपरोक्त उच्च स्तरीय समिति (एचएलसी) की सेवा शर्तें निम्न प्रकार हैं:

(1) एचएलसी देश के मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति पर एक रिपोर्ट तैयार करेगी। एचएलसी इस अधिसूचना की तारीख से पंद्रह महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप देगी और इसे सरकार को सौंपेगी।

(2) विस्तारपूर्वक कहें तो, एचएलसी :-

(ए) केंद्र और राज्य सरकारों के विभिन्न विभागों/एजेंसियों से संबंधित सूचना हासिल करेगी और देश में राज्य, क्षेत्रीय और जिला स्तरों पर मुसलमानों की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति से संबंधित आंकड़ों, लेखों और अनुसंधानों की सत्यता की जांच के लिए व्यापक बौद्धिक सर्वेक्षण भी कराएगी। इसके अलावा यह समिति विभिन्न सवालियों का जवाब भी ढूंढेगी :-

(क) किन राज्यों, इलाकों, जिलों और प्रखंडों में भारत के ज्यादातर मुस्लिम रहते हैं?

(ख) उनकी आर्थिक गतिविधियों का भौगोलिक तरीका क्या है अर्थात् विभिन्न राज्यों, क्षेत्रों और जिलों में अपने जीवनयापन के लिए अधिकतर किस तरह का कार्य करते हैं?

(ग) विभिन्न राज्यों और क्षेत्रों में अन्य समूहों की तुलना में उनके संपत्ति का आधार और आय का स्तर क्या है?

(घ) साक्षरता दर, पढ़ाई छोड़ने की दर, मातृत्व मृत्यु-दर, शिशु मृत्यु-दर आदि के मामले में उनमें सामाजिक-आर्थिक विकास का स्तर क्या है? विभिन्न राज्यों में इससे अन्य समुदायों की तुलना कैसे की जाती है?

(च) सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में रोजगार के मामले में उनकी तुलनात्मक हिस्सेदारी क्या है? क्या यह विभिन्न राज्यों में अलग-अलग है और ऐसे अंतर का कारण क्या है? क्या रोजगार में उनकी हिस्सेदारी विभिन्न राज्यों में उनकी आबादी के समानुपात में है? यदि नहीं, तो इसमें कैसी बाधाएँ हैं?

(छ) विभिन्न राज्यों में अति पिछड़े वर्ग (ओबीसी) की

कूल आबादी में मुसलमानों और ओबीसी का समानुपात क्या है? क्या अति पिछड़े वर्ग के मुसलमानों को राष्ट्रीय और राज्य पिछड़ा वर्ग आयोगों द्वारा तैयार तथा केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा आरक्षण के लिए स्वीकार्य ओबीसी की व्यापक सूची में शामिल किया गया है या नहीं? केंद्र और विभिन्न राज्यों में सार्वजनिक क्षेत्र की नौकरियों में बीते वर्षों के दौरान मुस्लिम ओबीसी की हिस्सेदारी क्या रही?

(ज) क्या मुस्लिम समुदाय को शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, नगरपालिका की बुनियादी सुविधाएं, बैंक ऋण और सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के निकायों द्वारा प्रदत्त अन्य सेवाएं उपलब्ध हो रही हैं? विभिन्न राज्यों में अन्य समुदायों के साथ इनका तुलनात्मक विश्लेषण क्या है? विभिन्न राज्यों में सामान्य स्तर पर उपलब्ध सामाजिक सुविधाओं (यथा— स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र, आईसीडीएस केंद्र आदि) की तुलना में मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में इन सुविधाओं का स्तर क्या है?

(बी) समिति उपरोक्त जानकारियां इकट्ठा करेगी, उसका तुलनात्मक अध्ययन कर उसकी व्याख्या करेगी, ताकि उन समस्याओं की पहचान की जा सके, जो मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति से संबंधित मुद्दों से निपटने के लिए सरकार के प्रयासों में बाधक हों।

4. उपरोक्त उच्च-स्तरीय समिति को सभी मंत्रालयों/ विभागों और अन्य सरकारी निकायों से हरसंभव सहायता मिलेगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि समिति को अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए आवश्यक आंकड़े और जानकारियां समय पर मिल पाए।

5. उच्च-स्तरीय समिति को लगता है कि किसी व्यक्ति/व्यक्तियों को उसकी बैठक में विशेष आमंत्रित व्यक्ति के तौर पर शामिल करना सर्वथा उचित है तो वह ऐसे व्यक्ति/व्यक्तियों को को-ऑप्ट या आमंत्रित कर सकती है।

6. समिति कैबिनेट मंत्रिमंडल के तहत होगी और कैबिनेट सचिवालय ओ.एम.नंबर. 105/1/1/75-सीएफ, दिनांक 20.11.1975 में वर्णित उच्चस्तरीय समितियों की परिभाषा और व्याख्या के दायरे में आएगी।

7. समिति के अध्यक्ष मानद हैसियत से काम करेंगे। हालांकि, उन्हें उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अनुरूप परिवहन सुविधा और यात्रा भत्ता/सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।

8. समिति को कार्यालय, आवश्यक सामग्रियां और सचिव/अन्य कर्मचारी उपलब्ध कराया जाएगा। समिति के कार्यकाल के दौरान एक अधिकारी, जो भारत सरकार के निदेशक रैंक से नीचे नहीं हों, भी जुड़े होंगे। डाटा संग्रहण, तुलनात्मक अध्ययन और उसकी व्याख्या जैसे तकनीकी कार्यों को निष्पादित करने के लिए निर्धारित दिशा-निर्देशों के तहत समिति की अनुशंसा पर कैबिनेट सचिवालय निश्चित अवधि के लिए सलाहकार नियुक्त कर सकता है। समिति के अध्यक्ष के परिवहन और यात्रा सुविधाओं/भत्तों पर होने वाला व्यय, समिति की बैठक और इसके सचिवालय के क्रियाकलापों पर होने वाला खर्च, सलाहकार को दी जाने वाली राशि, समिति के सदस्यों को टीए/डीए (भारत सरकार की सर्वोच्च श्रेणी के ग्रेड एक अधिकारियों के अनुरूप) और समिति के कार्यों के लिए सलाहकार की यात्रा पर होने वाला खर्च आदि मंत्रिमंडल सचिवालय वहन करेगा।



(टी. के. ए. नैयर)
प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव

प्रतिलिपि :- उच्चस्तरीय समिति के सभी सदस्यों को (संबद्ध सूची के अनुसार)




(संजय मित्रा)
प्रधानमंत्री के संयुक्त सचिव



विषय—सूची

प्रधानमंत्री के नाम पत्र	iii
भारत सरकार की अधिसूचना प्रस्तावना	v
आभार	xiii
पारिभाषिक तकनीकी शब्द कोश	xv
	xvi
1. संदर्भ, उपगम्य और विधि	1
अल्पसंख्यक एवं विकास	1
समिति की आम राय	2
उपगम्य एवं विधि	3
रिपोर्ट की बनावट	7
2. लोगों की अवधारणाएं एवं परिप्रेक्ष्य	9
संदर्भ	9
पहचान संबंधी चिंताएं	11
सुरक्षा संबंधी चिंताएं	13
समानता संबंधी मुद्दे	14
निष्कर्ष के बदले	22
3. आबादी, वितरण और मुस्लिमों की स्वास्थ्य संबंधी स्थितियां	25
परिचय	25
जनसंख्या एवं विकास	1
स्थान संबंधी वितरण	1
आबादी में उम्र और लिंग की स्थिति	1
शहरीकरण	1
आबादी की प्रक्रिया	1
बाल पोषण	1
आबादी वृद्धि की भविष्य की संभावनाएं	1



4. मुसलमानों की शैक्षणिक स्थिति	45
परिचय	1
शिक्षा प्राप्ति का संकेतक	1
साक्षरता का स्तर	1
नामांकन की दर और स्कूलिंग का माध्य वर्ष	1
शिक्षा प्राप्ति में अंतरात्मकता : स्कूली शिक्षा	1
शिक्षा प्राप्ति में अंतरात्मकता : उच्चतर शिक्षा	1
शिक्षा प्राप्ति में कुछ परस्पर संबंधन	1
शैक्षणिक संस्थानों का चयन : मदरसों का मामला	1
शिक्षा प्राप्ति और भाषा की समस्या	1
निष्कर्ष	1
5. अर्थव्यवस्था एवं नियोजन : मुसलमानों की स्थिति	79
परिचय	1
डाटाबेस और विधि	1
कामगारों का जनसंख्या अनुपात और बेरोजगारी की दर	1
सक्रियता की स्थिति के अनुरूप कामगारों के विभेद	1
उपक्रमों के आधार पर कामगारों के विभेद: काम के प्रकार और स्थान	1
पेशागत स्थिति के आधार पर कामगारों के विभेद	1
आय और रोजगार सुरक्षा के आयाम	1
रोजगार की स्थिति में अंतरराज्यीय अंतर	1
नब्बे के दशक से रोजगार की स्थिति में बदलाव के तौर-तरीके	1
सारांश	1
6. बैंक ऋण की उपलब्धता	113
परिचय	1
अधिसूचित वाणिज्यिक बैंकों के प्राथमिकता आधारित अग्रिम	1
व्यक्तिगत जमा	1
अन्य विशेष बैंकिंग संस्थान	1
सारांश	1
7. सामाजिक और भौतिक संरचनाओं तक पहुंच	127
अल्पसंख्यक एवं विकास	1
ग्रामीण सुविधाएं	1
जीवन स्तर	1
गुणात्मक अध्ययन एवं निष्कर्ष	1
तथ्यों का सारांश	1
8. गरीबी, उपभोग और जीवन स्तर	139
परिचय	1
उपभोक्ता व्यय के स्तर में अंतर	1
गरीबी का आंकलन और सामाजिक धार्मिक श्रेणियों में अंतर	1
सारांश	1
9. सरकारी कर्मचारी एवं कार्यक्रम	151
परिचय	1



सरकारी नौकरियों में मुसलमानों की हिस्सेदारी	1
कार्यक्रम	1
निष्कर्ष	1
10. अन्य पिछड़े वर्ग के मुस्लिम एवं स्वीकारात्मक कदम	177
परिचय	1
अन्य पिछड़ा वर्ग का अभ्युदय	1
मुस्लिम ओबीसी : जीवन-वृत्त	1
मुस्लिम ओबीसी के लिए स्वीकारात्मक कदम उठाने की प्रवृत्ति	1
केंद्र और राज्यों की ओबीसी सूची में मुस्लिम ओबीसी को जगह नहीं	1
अनुभवजन्य परिस्थितियां	1
निष्कर्ष	1
11. सामुदायिक कदम के प्रभाव : वक्फ का मुद्दा	203
परिचय	1
भारत में वक्फ की परिसंपत्तियों की आर्थिक क्षमता	1
वक्फ के उद्देश्यों को पूरा करने में रूकावट	1
बाधाओं पर पार पाना : कुछ सिफारिशें	1
सारांश	1
12. लूकिंग अहेड : परिप्रेक्ष्य और अनुशासन	221
परिचय	1
सामान्य नीतिगत पहल और उपगम्य	1
विशेष नीतिगत पहल	1
एकत्रित प्रपत्र	1
उल्लेख	1
तकनीकी नोट	1
परिशिष्ट	1
समिति, सलाहकार एवं सचिपालय	1



प्रस्तावना

प्रधानमंत्री कार्यालय ने भारत के मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति पर रिपोर्ट की तैयारी के लिए नौ मार्च 2005 को उच्चस्तरीय समिति के गठन की अधिसूचना जारी की थी।

समिति एक स्वतंत्र निकाय है जिसमें अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, शिक्षा, आबादी, सार्वजनिक प्रशासन, विकास योजना एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन के क्षेत्र के जाने-माने विशेषज्ञ शामिल हैं। इसे रिपोर्ट तैयार करने के लिए आंकड़े संग्रहण करने, तुलनात्मक अध्ययन करने तथा उसकी व्याख्या करने का सर्वाधिकार है।

समिति के आग्रह पर केंद्र और राज्य सरकारों के विभिन्न विभागों से उसे जानकारीयां प्राप्त हुईं। सशस्त्र सेनाओं सहित अनेक अन्य संगठनों से भी इसी तरह की जानकारीयां मांगी गई थीं। इसका मामूली उद्देश्य यह जानना था कि किन विभागों या क्षेत्रों में मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व कम है और इसके क्या कारण हैं, ताकि सरकार उसमें सुधार के कदम उठा सके। इस तरह का रुख पृथक्तावादी नहीं, सकारात्मक है। सरकार के कामकाज में निष्पक्षता एवं जनता के हितों की रक्षा करने वाले प्रशासन की जरूरतों के मद्देनजर ऐसे कदम आवश्यक हैं। ऐसी जानकारीयां को हासिल किये बिना सरकार सही इरादों के बावजूद कोई भी सुधारात्मक कार्य करने की स्थिति में नहीं आ सकती। समिति को नौसेना और वायुसेना से भी आंकड़े मिले। हालांकि, रक्षा मंत्रालय ने समिति को सूचित किया कि सेना से संबंधित आंकड़े उसे उपलब्ध कराना उसके लिए संभव नहीं है। उसने समिति से यह भी आग्रह किया कि वह वायु सेना और नौसेना द्वारा उसे भेजे जा चुके आंकड़े का इस्तेमाल नहीं करे। इस प्रकार समिति ने अपनी रिपोर्ट में सशस्त्र बलों से प्राप्त आंकड़ों को शामिल नहीं किया है।

समिति की महिला समूहों से बातचीत के दौरान, कुछ महिला समूहों ने इस बात पर गहरी आपत्ति दर्ज कराई कि समिति में एक भी महिला सदस्य शामिल नहीं है। समिति ने इस बात को ध्यान में रखकर विभिन्न राज्यों की यात्राओं के दौरान महिला समूहों के साथ आधे दिन तक विचार विमर्श किया। इसके अलावा, बड़ी संख्या में महिला सामाजिक कार्यकर्ताओं ने सभी बैठकों में हिस्सा लिया और खुलकर अपनी बातें रखीं और आशंकाएं भी जताईं। शिक्षा, चिकित्सीय व्यवस्था, आंगनबाड़ी कार्यक्रमों आदि के बारे में उन महिलाओं द्वारा दी गयी जानकारीयां व्यापक और तथ्यपरक थीं। समिति ने जुलाई 2006 में दिल्ली में भी पूरे दिन की एक बैठक का आयोजन किया था, जिसमें देश भर से आई महिलाओं ने ही हिस्सा लिया।

समिति के समक्ष एक और बात खुलकर सामने आई कि अनेक संसदीय और विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां मुस्लिम मतदाता बहुलता में हैं, लेकिन वे क्षेत्र अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित हैं, हालांकि अनुसूचित जातियों की आबादी वहां बहुत अधिक नहीं है। इसके ठीक विपरीत, वैसे लोकसभा या विधानसभा क्षेत्रों की संख्या भी कम नहीं जहां मुस्लिम आबादी तो कम है, लेकिन अनुसूचित जातियों की आबादी बहुतायत में है, इसके बावजूद उन क्षेत्रों को अनारक्षित रखा गया है। समिति को यह सलाह दी गयी कि जिन क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों की आबादी अधिक हों उन्हें आरक्षित किया जाना चाहिए, न कि उन क्षेत्रों को जहां उनकी संख्या या तो कम है या वहां मुस्लिम मतदाताओं की संख्या अधिक है। (देखें— अध्याय-2)

यह मामला परिसीमन आयोग के कार्यक्षेत्र में आता है। समिति को उम्मीद है कि इन बातों पर सरकार जल्दी ही ध्यान देगी क्योंकि परिसीमन आयोग फिलहाल अपने कार्य में जुटा है और प्रत्यक्ष रूप से किसी भी तरह की सलाह या कोई कदम मौजूदा परिसीमन आयोग के चालू कार्यकाल में उठाया जा सकता है।



भारत में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति

मैं समिति के सहयोगी सदस्यों को भी बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने अपने-अपने कार्यक्षेत्रों की भारी व्यस्तताओं और काम के बोझ के बावजूद रिपोर्ट तैयार करने में पूरा सहयोग प्रदान किया।

राजिन्दर सच्चर
अध्यक्ष



आभार

रिपोर्ट तैयार करना बहुत ही चुनौतीपूर्ण काम था। हालांकि, देश और विदेश के अनेक शिक्षाविदों और जानकार लोगों के अथक और ईमानदार प्रयास से ही यह संभव हो पाया। समिति उन लोगों के मूल्यवान सहयोग के लिए उनके प्रति अपना आभार व्यक्त करना पसंद करेगी। अनेक संस्थानों ने आंकड़े उपलब्ध कराने और भारत के मुस्लिमों की स्थिति से संबंधित पुराने मुद्दों पर विचार विमर्श करने में हम लोगों का सतत साथ दिया। नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय जनगणना महापंजीयक कार्यालय, भारतीय रिजर्व बैंक, नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च (एनसीईआर) और राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) ने हमें मूल्यवान आंकड़े उपलब्ध कराए। इनके महत्वपूर्ण आंकड़ों के बिना हमारी रिपोर्ट वास्तव में अधूरी रह जाती।

समिति के विभिन्न राज्यों के दौरे संबद्ध राज्यों के मुख्यमंत्रियों, मुख्य सचिवों और अन्य उच्च अधिकारियों के उत्कृष्ट सहयोग से ही संभव हो सके। विभिन्न राज्यों में प्रवास के दौरान समिति को सहयोग देने और बेहतरीन आदर-सत्कार के साथ-साथ विभिन्न विभागों द्वारा आंकड़ें उपलब्ध कराने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मुस्लिम समुदाय से संबंधित मुद्दों पर देश भर में लोगों के उत्साहपूर्ण जवाबों और सूक्ष्म दृष्टि वाली व्याख्याओं तथा राज्यों की यात्राओं के दौरान समिति को प्रस्तुतियों के रूप में मिले महत्वपूर्ण सहयोग से ही हम रिपोर्ट को सही संदर्भ में लिपिबद्ध कर सके हैं। ये आवाजें मुसलमानों की अनेक समस्याओं के भाव तथा अर्थ इत्यादि का सूक्ष्म अंतर समझाने में बेशकीमती साबित हुईं, अन्यथा केवल आंकड़ों को पढ़ते वक्त बहुत सारे मुद्दे छूट जाते।

प्रो. इरफान हबीब, प्रो. अनिल देवलालिकर, डा. जीमोल उन्नी, प्रो. पी. एम कुलकर्णी, सुश्री फराह नकवी, श्री नाजमी वाजिरी और प्रो. अमिताभ कुंडू कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिनके नाम उनके सहयोग के लिए रिपोर्ट में विशेष रूप से दर्ज किये जाने योग्य हैं। डॉ. आजरा रज्जाक, श्री के. ए. सिदिदकी, डॉ. जाकिर हुसैन, श्री तनवीर फजल, श्री मेहताब आजम, सुश्री कावेरी गांगुली, श्री प्रबीर घोष, श्री रमेश चेल्लान, डा. बी जानकीराम, श्री इलियास पाशा, सुश्री रुहिना खुर्शीद, सुश्री अदिति नंदी, श्री अखा कैहरी माओ, श्री राकेश श्रीवास्तव और सुश्री रुपिन्दर कौर ने शैक्षणिक और अनुसंधान आधारित उत्कृष्ट सहयोग प्रदान करने के अलावा तकनीकी जानकारियां उपलब्ध कराईं, जिसके बिना इस साक्ष्य आधारित रिपोर्ट का तैयार हो पाना संभव नहीं था। प्रो. राज मोहिनी सेठी, प्रो. ए. जी. मोहम्मद रहमतुल्ला, प्रो. इकबाल अंसारी, प्रो. नजमा अख्तर और सुश्री शीबा वर्गीज ने भी शैक्षिक आंकड़े उपलब्ध कराए। हम उनकी प्रतिबद्धता और भरपूर सहयोग के लिए उन्हें हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं।

समिति द्वारा आयोजित विचार विमर्श के दौरान बड़ी संख्या में बहुआयामी संगठनों, गैर सरकारी संगठनों और व्यक्तियों ने मुस्लिम समुदाय के लोगों के बीच रहकर काम करने के अपने अनुभव भी बांटे। हम विशेष रूप से यूनीसेफ, डीएफआईडी, विश्व बैंक, कर्पाट, आगा खां फाउंडेशन, ऑक्सफैम, केयर इंडिया, फोर्ड फाउंडेशन, सीएसडीएस, सीआरवाई, इंडियन सोशल इंस्टीट्यूट, एक्शन ऐड, प्रथम, सेवा और यूएनडीपी को धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने इस समुदाय की महत्वपूर्ण समस्याओं की ओर ध्यान आकृष्ट किया।

उच्च-स्तरीय समिति के सलाहकारों और अनुसंधान एवं प्रशासकीय सहयोग से जुड़े कर्मचारियों के अनमोल सहयोग के बिना इस रिपोर्ट का तैयार होना असंभव था। समिति के निर्बाध गति से कार्य करने के लिए मंत्रिमंडल सचिवालय की ओर से मिले सहयोग और डा. सईद जाफर महमूद के नेतृत्व में सरदार पटेल भवन में प्रधानमंत्री की उच्चस्तरीय समिति के प्रशासकीय



भारत में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति

कर्मचारियों को हमारा शुक्रिया। श्री महमूद ने भी शैक्षणिक मामलों में हमें महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान किया। दिल्ली यूनिवर्सिटी को भी धन्यवाद, जिन्होंने समिति के संपूर्ण कार्यकाल के लिए अपने एक संकाय सदस्य को उपलब्ध कराया।

समिति के सदस्यगण



तकनीकी शब्दकोष

एसीएच.	एचिवमेंट / उपलब्धि
एएमए	एसेसमेंट एंड मोनटरिंग ऑथोरिटी
एएमएएसआर	प्राचीन स्मारक और पुरातात्विक स्थल एवं अवशेष
एएमसी	कृषि विपणन समितियां
एएनएम	ऑक्जिलियरी नर्स मिडवाइफ
एपी	आंध्र प्रदेश
एएससीबी	सभी सूचीबद्ध वाणिज्यिक बैंक
एएसआई	भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण
बीआईएच	बिहार
बीपीएल	गरीबी रेखा से नीचे
बीपीओ	बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग
बीएसएफ	सीमा सुरक्षा बल
कैट	सामान्य प्रवेश परीक्षा
सीबीआर	अपौढ़ जन्म दर
सीबीएसई	केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड
सीईओ	मुख्य कार्यकारी अधिकारी
सीआईएसएफ	केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल
सीएमडी	मुख्य प्रबंध निदेशक
सीपीआईएल	श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक
सीपीएस	केंद्रीय योजनाएं
सीआरपीएफ	केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल
सीएसएस	केंद्र प्रायोजित योजनाएं
सीडब्ल्यूसी	केंद्रीय वक्फ कमेटी
डी. एड	डिप्लोमा इन एडुकेशन
डीबीएल	गरीबी रेखा से दोगुना नीचे
डीडीए	दिल्ली विकास प्राधिकरण
ड्रिप	जिला ग्रामीण औद्योगिकीकरण परियोजना
ईओसी	इक्वल ऑपरच्युनिटी कमीशन
एफएमएस	मैनेजमेंट स्टडीज संकाय



जीएआर	ग्रेडुएट एटेनमेंट रेट्स (स्नातक बनने की दर)
जीडीसीएफ (एन)	ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन (नॉमिनल)
जीडीपी (एन)	सकल घरेलू उत्पाद (सामान्य)
जीडीपी	सकल घरेलू उत्पाद
एचसीआर	हेड काउंट रेशियो
एच-जेन	सामान्य हिन्दू
एचएलसी	उच्च-स्तरीय समिति
एच-ओबीसी	हिन्दुओं में अति पिछड़ा वर्ग
एच-एससी/एसटी	हिन्दू अनुसूचित जाति/जनजाति
एच-यूसी	उपरी जाति के हिन्दू
हुडको	आवास एवं शहरी विकास निगम
आईएएस	भारतीय प्रशासनिक सेवा
आईसीडीएस	एकीकृत बाल विकास सेवा
आईसीएसएसआर	भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद
आईएफएस	भारतीय विदेश सेवा
आईआईएम	भारतीय प्रबंधन संस्थान
आईआईपीएस	अंतरराष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान
आईआईटी	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान
आईएमआर	शिशु मृत्यु दर
आईपीएस	भारतीय पुलिस सेवा
आईटीआई	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान
आईटीपीओ	भारत व्यापार संवर्द्धन संगठन
जेएंडके	जम्मू एवं कश्मीर
झार	झारखंड
जेएनएनयूआरएम	जवाहर लाल नेहरू शहरी पुनरुत्थान मिशन
जेएनवी	जवाहर नवोदय विद्यालय
जेएनवीएसटी	जवाहर नवोदय चयन परीक्षा
जेपीसी	संयुक्त संसदीय समिति
केएआर	कर्नाटक
एलएंडडीओ	भूमि एवं विकास अधिकारी
एलपीजी	द्रवित पेट्रोलियम गैस (रसोई गैस)
एलएसजी	स्थानीय स्वयंभू सरकारें
महा	महाराष्ट्र
एमबीसी	अत्यंत पिछड़ा वर्ग
एमसीआर	मैट्रिक पास करने की दर
एमडीजी	सहस्राब्दी विकास लक्ष्य
एमडीआई	प्रबंधन विकास संस्थान
एमडीएम	मध्याह्न भोजन
एमएफआई	माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट
एमएचआरडी	मानव संसाधन विकास मंत्रालय
एमआईएस	प्रबंधन सूचना प्रणाली
एमएलए	विधान सभा सदस्य
एमएमआर	मातृत्व मृत्यु-दर
मॉस	माया आर्गेनिक सपोर्ट सर्विसेज
एमपी	संसद सदस्य
एमपीसीई	प्रति व्यक्ति मासिक व्यय



एमआरपीएम	मिक्स्ड रिफरेंस पीरियड मेथड
एमवाईएस	स्कूल में पढ़ाई का माध्य वर्ष
नाबार्ड	नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन
एनएएस	राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी
एनबीसीएफडीसी	राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम
एनबीडी	नेशनल डाटा बैंक
एनसीईईआर	नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च
एनसीबीसी	राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग
एनसीईआरटी	राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद
एनसीएचएस	राष्ट्रीय स्वास्थ्य सांख्यिकी केंद्र
एनसीएम	राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग
एनसीटी	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र
एनसीटीई	राष्ट्रीय शिक्षक प्रशिक्षण परिषद
एनएफएचएस	नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे
एनजीओ	गैर-सरकारी संगठन
एनएचआरसी	राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन
एनआईपीए	राष्ट्रीय शैक्षणिक नियोजन एवं प्रशासकीय संस्थान
एनआईएमसी	राष्ट्रीय क्रियान्वयन एवं निगरानी समिति
एनएमडीएफसी	राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम
एनपीई	राष्ट्रीय शिक्षा नीति
एनएसएपी	राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम
एनएसएसओ	नेशनल सैम्पल सर्वे आर्गनाइजेशन
एनवीएस	नवोदय विद्यालय
ओबीसी	अन्य पिछड़ा वर्ग
ओआरजी	आपरेशन रिसर्च ग्रुप
पी.जी.	स्नातकोत्तर
पीएफ	भविष्यनिधि कोष
पीएच.डी	डॉक्टरेट ऑफ फिलॉस्फी
पीएलआई	प्राइमरी लेंडिंग इंस्टीट्यूशन
पीएमओ	प्रधानमंत्री कार्यालय
पीओपी	जनसंख्या
पीआरएसबी	निजी क्षेत्र के बैंक
पीएसए	प्रायरेटी सेक्टर एडवांस
पीएसयू	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम
पीयूसी	प्री-यूनिवर्सिटी कॉलेज
पीयूसबी	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक
आरबीआई	भारतीय रिजर्व बैंक
आरसीए	किराया नियंत्रण कानून
आरआईसी	ग्रामीण औद्योगिक समूह योजनाएं
आरआरए	रेस रिलेशन एक्ट
आरआरबी	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
एससी	अनुसूचित जाति
एससीएस	अनुसूचित जातियां
एससीए	स्टेट चैनलाइजिंग एजेंसी
एससीबी	सूचीबद्ध वाणिज्य बैंक
एसईबीसी	सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग



भारत में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति

एसएचजी	स्वयं सहायता समूह
सिडबी	भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक
एसजेएसआरवाई	स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना
एसएलबीसी	राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति
एसपीएससी	राज्य लोक सेवा आयोग
एसआरसी	सामाजिक धार्मिक श्रेणी
एसएसए	सर्व शिक्षा अभियान
एसएसबी	सशस्त्र सीमा बल
एसएसआई	लघु उद्योग
एसटी	अनुसूचित जनजाति
एसटीएस	अनुसूचित जनजातियां
टीबी	यक्ष्मा
टीएफआर	कुल जन्म दर
यूजी	अंडर ग्रेजुएट
यू5एमआर	पांच वर्ष से कम उम्र वालों की मृत्यु दर
यूजीसी	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
यूनेस्को	संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन
यूनीसेफ	संयुक्त राष्ट्र बाल कोष
यूपी	उत्तर प्रदेश
यूपीएससी	संघ लोक सेवा आयोग
यूआर	बेरोजगारी की दर
यूआरपी	यूनिफॉर्म रिफरेंस पीरियड
यूटी	केंद्र शासित क्षेत्र
डब्ल्यूएचओ	विश्व स्वास्थ्य संगठन
डब्ल्यूपीआर	काम में सहयोग की दर/अनुपात
एक्सएलआरआई	जेवियर लेबर रिलेशन्स इंस्टीट्यूट



वस्तुस्थिति, दृष्टिकोण और विधि

1. अल्पसंख्यक और विकास

भारतीय संविधान नागरिकों की समानता और भाषा, धर्म और संस्कृति जैसे मुद्दों पर अल्पसंख्यकों को संरक्षण, सुरक्षा और हक दिलाने की देश की जिम्मेदारी के प्रति प्रतिबद्ध है। इसीलिए हमारे देश के नेताओं ने संविधान की रचना करते समय, अनेकता में एकता के नियम पर जोर दिया था।

राष्ट्रीय, जातीय, धार्मिक व भाषाई अल्पसंख्यकों के हक से संबंधित संयुक्त राष्ट्र उद्घोषणा में कहा गया है कि ऐसे अल्पसंख्यकों के हकों को सुरक्षा प्रदान करना और बढ़ावा देना उन देशों की राजनीतिक व सामाजिक स्थिरता को सुनिश्चित करता है, जिसमें वह रहते हैं। उनकी उम्मीदों पर खरा उतरना और उनके हकों को सुनिश्चित करना, सभी व्यक्तियों की समानता और सम्मान को स्वीकृत करने के बराबर है और सहयोगात्मक विकास को बढ़ावा देता है। सभी विकसित देश और अधिकतम विकासशील देश अल्पसंख्यकों के हितों का ध्यान रखने पर पर्याप्त जोर देते हैं। इसलिए, किसी भी देश में देश की कार्यप्रणाली में अल्पसंख्यकों को यह विश्वास और श्रद्धा होना कि उनके साथ कोई भेद-भाव नहीं किया जाता, उस देश के न्यायप्रिय कहलाने की असली परीक्षा है।

जैसे-जैसे आर्थिक विकास के विभिन्न पहलू सामने आते हैं, और कुछ समूह और अल्पसंख्यक विकास की प्रक्रिया में पिछड़ने लगते हैं या विकास की दर बराबर नहीं होती, तब दबाव बनने लगता है जो समय के साथ बढ़ता जाता है। आदर्श रूप से, विकास की प्रक्रियाओं को देश के सभी समूहों में आपसी सद्भावना और सहयोग के आड़े आने वाले आर्थिक और सामाजिक कठिनाइयों को दूर करना चाहिए या कम करना चाहिए। अगर विकास की प्रक्रियाओं को गलत दिशा में मोड़ दिया जाए तो उनका असर उल्टा होता है। इस पहलू की आवश्यकता को समझाने और इस पर ध्यान देने की जरूरत है, जिससे अल्पसंख्यकों में विश्वास जगाया जा सके।

आजादी के बाद से, भारत ने काफी वृद्धि और विकास किया है। उसने गरीबी को कम करने और अत्यधिक जरूरी मानव विकास जैसे साक्षरता, शिक्षा और स्वास्थ्य के स्तर को सुधारने में भी सफलता पाई है। मगर इस बात के भी संकेत मिलते हैं कि सभी धार्मिक समाजों और सामाजिक समूहों और इसलिए सामाजिक धार्मिक श्रेणियों को विकास की प्रक्रिया के लाभ का बराबर फायदा नहीं मिल पाया है। इनमें से मुस्लिम, जो देश का सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समाज है और कुल आबादी का 13.4 प्रतिशत है, अधिकतर मानव विकास मानकों के आधार पर गंभीर रूप से पिछड़ा हुआ है। जहां मुस्लिमों में वंचित रह जाने की धारणा आम है, आजादी के बाद से देश में धार्मिक

किसी भी देश में देश की कार्यप्रणाली में अल्पसंख्यकों को यह विश्वास और श्रद्धा होना कि उनके साथ कोई भेद-भाव नहीं किया जाता, उस देश के न्यायप्रिय कहलाने की असली परीक्षा है।



जहां मुस्लिमों में वंचित रह जाने की धारणा आम है, आजादी के बाद से देश में धार्मिक अल्पसंख्यकों की स्थिति का विश्लेषण करने के लिए, कोई व्यवस्थित प्रयास नहीं किए गए हैं।

अल्पसंख्यकों की स्थिति का विश्लेषण करने के लिए, कोई व्यवस्थित प्रयास नहीं किए गए हैं। विभिन्न सामाजिक-धार्मिक श्रेणियों की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थितियों के विश्लेषण की जरूरत के बावजूद, अभी हाल तक सरकार संस्थानों द्वारा ऐसे विश्लेषण के लिए उचित आंकड़ों को नहीं जारी किया गया था। नब्बे के दशक में सामाजिक-धार्मिक श्रेणियों से संबंधित आंकड़ा इकट्ठा करने का सवागत योग्य बदलाव आया, जिसकी वजह से आज यह रिपोर्ट संभव हो पाई है। हमारा वर्तमान प्रयास भारत के मुस्लिमों पर एक तथ्यपरक अनुसंधान करने की अपनी तरह की पहली कोशिश है।

2. समिति के आदेश

हाल के कुछ वर्षों में अल्पसंख्यकों की विशेषकर मुस्लिमों की, परिस्थितियों पर काफी खुल कर वाद-विवाद हुआ है। मौजूद तथ्यों के किसी व्यवस्थित विश्लेषण के अभाव में, यह वाद-विवाद ज्यादातर अपने-अपने नजरिए और अलंकारिक व्याख्यानों में सिमट कर रह जाता है। यह आशा की जाती है कि इस रिपोर्ट के जारी होने के पश्चात, ऐसे मुद्दों पर लोग अधिक जानकारी के साथ बहस कर पाएंगे और जन-नीतियों को प्रभावित कर पाएंगे।

देश की अल्पसंख्यक श्रेणियों के आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक उत्थान के लिए, एक के बाद एक आने वाली सरकारों द्वारा कई प्रकार के कार्यक्रम और नीतियों का सूत्र पात किया गया। फिर भी, जहां मुस्लिमों ने बेशक कुछ दृष्टिगत उन्नति की है, यह धारणा कि इस समाज और बाकी की सामाजिक-धार्मिक श्रेणियों में आर्थिक और शैक्षणिक अंतर बढ़ रहा है और मजबूत होती जा रही है। एक बार मुस्लिमों में विकास की कमी का निर्धारण कर लिया जाए तो उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर मदद करने के लिए बनाई गई नीतियों का पुर्ननिरीक्षण करना पड़ेगा, और सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्तर पर मुस्लिमों को दरकिनार किए जाने की स्थिति से जूझने के लिए नए प्रयास करने होंगे।

इस पृष्ठभूमि के आधार पर प्रधानमंत्री जी ने एक उच्चस्तरीय समिति बनाई, जो भारत के मुस्लिम समाज की सामाजिक, आर्थिक, और शैक्षणिक स्थिति विज्ञप्ति सं 850-3-सी-3-05- भारत सरकार, प्रधानमंत्री कार्यालय पर एक रिपोर्ट तैयार कर सके। कमेटी को दिए गए निर्देश निम्नलिखित हैं:

1. केंद्रीय और राज्य सरकारों के विभागों, संस्थानों से संबंधित जानकारी प्राप्त करना और देश के मुस्लिमों की प्रादेशिक, स्थानीय और जिला स्तर पर, अनुपातिक सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति से संबंधित अनुसंधानों, छपे हुए तथ्यों और लेखों की पहचान करना और उन पर एक गहन साहित्यिक अध्ययन करना, जिससे कि निम्नलिखित संबंधित प्रश्नों का हल ढूंढा जा सके:

- किन प्रदेशों, प्रांतों, जिलों और जनपदों में, देश के अधिकतर मुस्लिम रहते हैं
- उनके आर्थिक क्रियाकलाप का भौगोलिक सांचा क्या है, मतलब विभिन्न प्रदेशों, प्रांतों और जिलों में, वो जीवनयापन के लिए क्या-क्या करते हैं
- विभिन्न प्रदेशों और प्रांतों में दूसरे समूहों के मुकाबले उनके पास कितनी सम्पत्ति है और उनकी आमदनी का स्तर क्या है
- संबंधित मानकों जैसे साक्षरता दर, पढ़ाई छोड़े की दर, जननी मृत्युदर, नवजात शिशु मृत्युदर, आदि के आधार पर उनके सामाजिक-आर्थिक विकास की क्या दर है, विभिन्न प्रदेशों के दूसरे वर्गों की तुलना में यह कैसा है
- सरकारी व प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में इनकी अनुपातिक भागीदारी कितनी है। क्या विभिन्न प्रदेशों में यह अलग-अलग है और इस अंतर का सांचा क्या है, क्या नौकरियों में उनकी भागीदारी, विभिन्न प्रदेशों में उनकी आबादी के हिसाब से है, अगर नहीं तो उनके मार्ग में क्या-क्या कठिनाइयां हैं।
- विभिन्न प्रदेशों के कुल पिछड़े वर्गों की आबादी में मुस्लिम समाज के पिछड़े वर्गों का कितना



हिस्सा है, क्या मुस्लिम पिछड़े वर्गों को उनकी आबादी के हिसाब से लाभ मिला है

- राष्ट्रीय और राज्य स्तर के पिछड़े वर्गों के आयोग अन्य पिछड़े वर्गों की विस्तृत सूची में जगह देते हैं और उन्हें विभिन्न उद्देश्यों के लिए राष्ट्र और राज्य की सरकारों द्वारा आरक्षण मिल पाता है। अलग-अलग वर्षों में केंद्र में और विभिन्न राज्यों के पिछड़े वर्गों को क्या यह मिला है।
- क्या मुस्लिम समाज की शैक्षणिक और स्वास्थ्य सेवाओं, नगर निगम निकायों व सरकार, अर्धसरकारी संस्थानों द्वारा बैंक से कर्ज, आदि तक समुचित पहुंच है। यह विभिन्न प्रदेशों की दूसरी श्रेणियों द्वारा पहुंच से किस प्रकार संबंधित है। मुस्लिम-बाहुल्य इलाकों में सामाजिक ढांचा 'जैसे कि स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र आदि' विभिन्न राज्यों में सामान्य रूप से ऐसे ढांचे के मुकाबले किस स्तर का है।

2. उपर दी गई जानकारी / साहित्य को इकट्ठा करना, विस्तारपूर्वक तुलना करना एवं विश्लेषण करना और उन मुद्दों की पहचान करना जहां सरकार मुस्लिम समाज की सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक स्थिति से जुड़े विषयों पर उनकी मदद कर सके।

3. दृष्टिकोण और विधि

दुनिया भर में, अल्पसंख्यकों को तीन प्रकार के आपस में संबंधित मुद्दों से दो-चार होना पड़ता है:

- पहचान से जुड़े मुद्दे: कई बार सामाजिक-सांस्कृतिक क्रियाकलापों और पृष्ठभूमियों में अंतर अल्पसंख्यकों को बाकी की आबादी से अलग कर देता है। भारत में पहचान में इतनी विभिन्नताओं के चलते, कई बार वर्गों को आपस में सामंजस्य बिठाने में मुश्किल आती है।
- सुरक्षा से जुड़े मुद्दे: कुछ विशेष परिस्थितियों में, एक अलग प्रकार के लोगों का समूह, जो समाज में अपेक्षाकृत कम संख्या में होता है, अपनी जान, माल और समृद्धि को लेकर असुरक्षित महसूस कर सकता है; अगर अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक वर्गों में अच्छे संबंध नहीं हैं, तो यह असुरक्षा की भावना और भी बढ़ सकती है।
- समानता से जुड़े मुद्दे: समाज का अल्पसंख्यक वर्ग आर्थिक विकास से मिलने वाले मौकों के लाभ से वंचित रह सकता है। यह पृथकता की भावना सिर्फ नजरिए की बात हो सकती है या इस वजह से हो सकती है कि अल्पसंख्यकों को 'पहचान' के अंतर की वजह से भेद-भाव का शिकार होना पड़ता हो।

यह भी साफ है कि पहचान, सुरक्षा और समानता से जुड़े मुद्दे सभी अल्पसंख्यकों के लिए एक समान नहीं है। इसी प्रकार एक अंतर करने वाले समाज में, इनमें से अधिकतर मुद्दे सिर्फ अल्पसंख्यक वर्गों से ही नहीं जुड़े हैं वरन बहुसंख्यक समाज के भी हिस्सों को इनसे दो चार होना पड़ता है। मोटे तौर पर इस बात का ध्यान रखते हुए, तीन प्रकार के आपस में मिले-जुले मुद्दों में अंतर समझना लाभकारी होगा जो उपरलिखित सभी श्रेणियों से वास्ता रखते हैं, और जिन्हें भारत का मुस्लिम समाज झेल रहा है:

- सभी गरीब लोगों से जुड़े मुद्दे 'अधिकतर मुस्लिम गरीब हैं'
- सभी अल्पसंख्यकों से जुड़े मुद्दे और
- विशेष तौर से मुस्लिमों से जुड़े मुद्दे

उदाहरण के तौर पर, हम यह बहस कर सकते हैं कि कई मुद्दे जो विशेष तौर से मुस्लिमों की शिक्षा व रोजगार से जुड़े हैं, प्रथम श्रेणी में गिने जाने चाहिए। इसी प्रकार, पहचान और सुरक्षा के कुछ पहलू सभी अल्पसंख्यकों में समान हो सकते हैं, जबकि कुछ और सिर्फ मुस्लिमों से जुड़े हो सकते हैं।

यह पृथकता की भावना सिर्फ नजरिए की बात हो सकती है या इस वजह से हो सकती है कि अल्पसंख्यकों को 'पहचान' के अंतर की वजह से भेद-भाव का शिकार होना पड़ता हो।



शुरु से ही यह बात समझने की जरूरत है कि पहचान, सुरक्षा और समानता से जुड़े मुद्दे आपस में काफी जटिल तरीके व बारीकी से जुड़े हैं। मगर ऐसे बहुत से बंधनों को अलग-अलग करना असंभव हो सकता है। कमेटी को मिले निर्देश मुख्य रूप से 'समानता' संबंधित मुद्दों पर जोर देते हैं। इसलिए मुद्दों के बंधनों को समझते समय यह रिपोर्ट समानता से संबंधित समस्याओं पर अधिक ध्यान देती है।

3.1 तुलनात्मक दृष्टिकोण की जरूरत-सामाजिक-धार्मिक श्रेणियों को परिभाषित करना

उपर लिखित स्थिति को ध्यान में रखते हुए और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि भारतीय समाज में पृथकीकरण के कई रूप हैं। समिति मुस्लिमों की स्थितियों का तुलनात्मक दृष्टिकोण से विश्लेषण करती है। दुर्भाग्य से, एक निश्चित प्रकार की सामाजिक-धार्मिक श्रेणियों पर काम कर उनका तुलनात्मक विश्लेषण करना हर समय संभव नहीं है क्योंकि अलग-अलग आंकड़ों के स्रोत अलग-अलग प्रकार की जानकारी देते हैं। जातीय, धार्मिक और प्रांतीय / भाषाई समीकरणों का भारत के आर्थिक, सामाजिक व राजनीतिक हलकों में एक ऐतिहासिक आधार हैं और वो वर्तमान आर्थिक-सामाजिक संबंधों से गहन रूप से प्रभावित हैं, जिनमें से कुछ तो कई शतकों से यूं ही चले जा रहे हैं। भारत का सामाजिक-आर्थिक ताना-बाना, जितना साधारण तौर पर माना जाता है, उससे कहीं ज्यादा कठिन है, क्योंकि भारतीय समाज विभिन्न प्रकार की विशिष्ट परतों और हिस्सों में बंटा हुआ है, जिनके अपने कई भाग हैं। दिए गए निर्देश और स्वतंत्रता के आधार पर, समिति को इस बात की छूट थी कि वो खुद तय करे कि उपरोक्त मुद्दों की तह तक जाने के लिए उसे किस प्रकार के आंकड़ों की जरूरत है और समिति ने आंकड़ों को इस्तेमाल करने में काफी समझदारी से सर्वोत्तम हिस्सों का चुनाव किया और उसे नए-नए तरीकों से उपयोग में लाए। इसने केंद्र और राज्य स्तर के विभिन्न सरकारी विभागों और संस्थाओं से रोजगार, विकास कार्यों और सरकार में प्रजातांत्रिक भागीदारी के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए संबंधित डाटा इकट्ठा किया।

जातीय, धार्मिक और प्रांतीय / भाषाई समीकरणों का भारत के आर्थिक, सामाजिक व राजनीतिक हलकों में एक ऐतिहासिक आधार हैं और वो वर्तमान आर्थिक-सामाजिक संबंधों से गहन रूप से प्रभावित हैं

उसके अलावा बैंकों, वित्तीय संस्थाओं, शैक्षणिक संस्थानों और लोक-सेवा उपक्रमों ने भी अपना डाटा हमें उपलब्ध कराया, फिर भी यह रिपोर्ट मुख्य रूप से बड़े स्तर पर कराए गए सर्वेक्षणों और भारतीय जनगणना के आंकड़ों के विश्लेषण पर आधारित है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संस्थान द्वारा कराए गए विभिन्न सर्वेक्षणों से प्राप्त आंकड़े, इनमें से सबसे अधिक महत्व रखते हैं। इसके अलावा हमने राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षणों के आंकड़ों और राष्ट्रीय नियुक्त अर्थव्यवस्था और अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद और राष्ट्रीय शैक्षणिक योजना और प्रशासनिक संस्थान द्वारा कराए गए सर्वेक्षणों का भी इस्तेमाल किया है। संबंधित आंकड़ों और जानकारी की उपलब्धता प्रभावी नीतियों के निर्धारण का विचारणीय आधार हैं। आंकड़ों के विभिन्न स्रोतों के कारण और इस तथ्य के कारण कि सिर्फ मुस्लिमों से संबंधित जानकारी कई बार आसानी से उपलब्ध नहीं होती, विश्लेषित की गई श्रेणियां कमेटी के निर्देशों के वक्तव्यों को तो प्रतिबिंबित करती ही हैं, साथ ही उपलब्ध आंकड़ों का भरपूर इस्तेमाल भी करती हैं। इस कारण, विभिन्न आंकड़ों के समूहों के लिए विभिन्न सामाजिक-धार्मिक श्रेणियों के समूह का इस्तेमाल किया गया है।

अ भारत की जनगणना

जनगणना 2001 के आंकड़ों को स्थान पर जनसंख्या का परिदृश्य, ढांचे की उपलब्धता और विभिन्न स्तरों पर शैक्षणिक उपलब्धियों को समझने के लिए उपयोग में लाया गया। इन आंकड़ों के समूह के लिए निम्नलिखित सामाजिक-धार्मिक श्रेणियों का इस्तेमाल किया गया :

- पूरी या कुल आबादी
- मुस्लिम
- अनुसूचित जाति और जनजाति
- दूसरे अल्पसंख्यक 'गैर-मुस्लिम अल्पसंख्यक और कुछ लोग जिन्होंने अपने धर्म का उल्लेख नहीं किया है या किसी धर्म को नहीं मानते'



- सारे हिंदू 'कुछ विशेष विश्लेषणों में'

ब राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षणों से प्राप्त आंकड़े

राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संस्थान के 55वें और 61वें चक्र में आंकड़ों का इस्तेमाल रोजगार, शिक्षा, उपभोग के सांचे और गरीबी के स्तरों से जुड़े मुद्दों का विश्लेषण करने में किया गया। जनसंख्या से अलग, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संस्थान के आंकड़े अन्य पिछड़े वर्गों की पहचान करने में सक्षम हैं। सामाजिक-धार्मिक श्रेणियां, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के आंकड़ों के आधार पर, निम्नलिखित रूप से परिभाषित की गई हैं:

- सभी या कुल आबादी
- सभी मुस्लिम
- मुस्लिम सामान्य वर्ग
- मुस्लिम- अन्य पिछड़े वर्ग जो मुस्लिम परिवार अपने आप को अनुसूचित जाति / जनजाति का हिस्सा बताते हैं, उनमें से तकरीबन 1.5 प्रतिशत इस वर्ग में आते हैं
- सभी हिंदू
- हिंदू- सामान्य वर्ग / उच्च वर्गीय हिंदू 'यह दोनों शब्द एक-दूसरे के स्थान पर इस्तेमाल किए जाते हैं'
- हिंदू-अन्य पिछड़े वर्ग
- हिंदू अनुसूचित जाति / जनजाति
- दूसरे अल्पसंख्यक 'गैर-मुस्लिम अल्पसंख्यक और वो लोग जिन्होंने अपने धर्म का उल्लेख नहीं किया है या किसी धर्म के अनुयायी नहीं हैं'

स बैंकों और वित्तीय संस्थानों से प्राप्त आंकड़े

विभिन्न स्रोतों से बैंकिंग प्राप्त हुआ और हर स्रोत अलग सामाजिक-धार्मिक श्रेणियों के निर्माण के लिए उत्तरदायी था। आंकड़ों का मुख्य स्रोत था भारतीय रिजर्व बैंक, जो प्रधानमंत्री के 15 सूत्रीय कार्यक्रम से संबंधित थे और जहां निम्न श्रेणियां अलग-अलग की जा सकती थीं:

- सभी लोग
- मुस्लिम
- अन्य अल्पसंख्यक
- अन्य सभी

भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अलावा, कमेटी को राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्तीय संस्थाओं और राष्ट्रीय पिछड़े वर्गों और वित्तीय विकास संस्था से भी कुछ आंकड़े मिले हैं। जहां राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के मामले में, मुस्लिमों को बाकी आबादी से अलग करना संभव था। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्तीय संस्थाओं के डाटा में, मुस्लिमों को अन्य अल्पसंख्यकों से अलग करना संभव है। राष्ट्रीय पिछड़े वर्गों को अन्य पिछड़े वर्गों से अलग दर्शाया गया था।

द सरकारी आयोगों और अन्य सरकारी संस्थाओं द्वारा प्राप्त आंकड़े

- राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग
- प्रादेशिक पिछड़ा वर्ग आयोग
- राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद

इन आंकड़ों के अन्य स्रोत जैसे कि मंत्रालयों / विभागों / लोक सेवा उपक्रमों / यूनिवर्सिटीज और कॉलेजों द्वारा जहां तक संभव हो सका, परिभाषित श्रेणियों का ही इस्तेमाल किया गया है, पर यह जानकारी की उपलब्धता पर निर्भर है। अधिकतर मामलों में, हमें सिर्फ सभी

यह रिपोर्ट विभिन्न सामाजिक-धार्मिक श्रेणियों में विकास में कमी जैसे मुद्दों का विश्लेषण करती है। इसके लिए जनगणना, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संस्थान, बैंक और सरकारी आंकड़ों को उपयोग में लाया गया



मुस्लिमों से संबंधित आंकड़ा ही मिल पाया और जो मुस्लिम सामान्य वर्ग और मुस्लिम पिछड़े वर्गों में बंटा हुआ नहीं था।

3.2 और अधिक वर्गों में विभाजन वांछित

तालिका 1-1 में सामाजिक-धार्मिक श्रेणियों की विस्तृत जनसंख्या का आंकलन दिया गया है, जिसे राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संस्था के 55वें '1999-2000' और 61वें चक्रों 2004-2005 से मिले आंकड़ों द्वारा परिभाषित किया जा सकता है। दोनों ही सर्वेक्षण अनुसूचित जाति / जनजाति और सभी धार्मिक वर्गों में से अपने आप को अन्य पिछड़े वर्गों का हिस्सा बताने वाले जातीय समीकरणों के बारे में जानकारी देते हैं। ऐसा डाटा भारतीय जनगणनाओं और दूसरे सर्वेक्षणों द्वारा उपलब्ध नहीं है। इन आंकलनों के हिसाब से 2004-05 में तकरीबन 41 प्रतिशत मुस्लिमों ने अपने आपको अन्य पिछड़े वर्गों का हिस्सा बताया, जबकि 1999-2000 में यह 32 प्रतिशत ही था। हिंदुओं में से, 2004-05 में तकरीबन 41 प्रतिशत मुस्लिमों ने अपने आपको अन्य पिछड़े वर्गों का हिस्सा बताया, जबकि 1999-2000 में यह 32 प्रतिशत ही था। हिंदुओं में से 2004-05 में तकरीबन 43 प्रतिशत ने अपने आपको अन्य पिछड़े वर्ग का हिस्सा बताया जबकि 1999-2000 में यह 38 प्रतिशत ही था, जबकि 2004-05 में तकरीबन 31 लोग अनुसूचित जाति और जनजाति वर्गों में से थे। राज्य विशेष के शहरी और ग्रामीण जगहों के सामाजिक-धार्मिक श्रेणियों के आंकलन परिशिष्ट तालिकाएं 1.1 से 1.3 में दर्शाई गई हैं।

विश्लेषण के लिए, अनुसूचित जाति / जनजाति के मुस्लिमों को दूसरों से अलग करता उपयोगी हो सकता है, मगर जब हम 'अनुसूचित जाति / जनजाति' के मुस्लिमों को देखते हैं तो संबंधित संख्याएं काफी कम लगती हैं

विश्लेषण के लिए, अनुसूचित जाति / जनजाति के मुस्लिमों को दूसरों से अलग करना उपयोगी हो सकता है, इसलिए हम इन मुस्लिमों के लिए राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संस्थान के सर्वेक्षणों में अलग श्रेणी की मांग कर सकते हैं, जो अपने-आपको अनुसूचित जाति और जनजाति का बताते हैं, जैसा कि अन्य पिछड़े वर्गों के मामले में किया गया है। परंतु, ऐसा वर्गीकरण इसलिए वांछित नहीं लगता क्योंकि इन उपवर्गों के नमूने के आकार, किसी भी सार्थक आंकलनों के लिए बहुत छोटे होने की संभावनाएं हैं। विश्वसनीय आंकलनों के लिए राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संस्था के सर्वेक्षणों के आंकड़ों के विभिन्न सामाजिक-आर्थिक कारकों के हिसाब से अन्य पिछड़े वर्ग और सामान्य मुस्लिमों का पर्याप्त भाग है; मगर जब हम 'अनुसूचित जाति / जनजाति' के मुस्लिमों को देखते हैं तो संबंधित संख्याएं काफी कम लगती हैं; 'तालिका 1.2 देखें'। मात्र 0.8 प्रतिशत मुस्लिमों ने ही अपने आपको अनुसूचित जाति का बताया, जो मुस्लिम जो अपने आपको अनुसूचित जनजाति का बताते हैं, उनका भाग इससे भी कम है।

तालिका 1.1: सामाजिक-धार्मिक श्रेणियों के हिसाब से आबादी का वितरण

राज्य	जन संख्या - 2001 (लाख में)	प्रतिशत 2001 (%)	हिंदू						मुसलमान				अन्य जनसंख्या 2001 (%)	
			% अनुसूचित जाति जनजाति		% अन्य पिछड़ा वर्ग		% सामान्य		प्रतिशत 2001 (%)	% अन्य पिछड़ा वर्ग*		% सामान्य		
			1999-00	2004-05	1999-00	2004-05	1999-00	2004-05		1999-00	2004-05	1999-00		2004-05
संपूर्ण भारत	1028.6	80.5	31.3	31.2	38.3	43.0	30.5	25.9	13.4	31.7	40.7	68.3	59.3	6.1
शहरी	286.1	75.6	20.6	20.5	33.0	36.9	46.5	42.6	17.3	32.6	40.2	67.4	59.8	7.1
ग्रामीण	742.5	82.3	34.6	34.5	39.9	44.9	25.5	20.6	12.0	31.2	40.9	68.8	59.1	5.7

स्रोत: राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संस्था का ५५वें चक्र (सारिणी 10) और ६१ वें चक्र (सारिणी 10) का आंकड़ा
* अनुसूचित जाति-जनजाति का छोटा सा ही प्रतिशत इसमें शामिल किया गया है।



तालिका 1.2: हर धर्म की आबादी का बंटवारा जातियों के हिसाब से

संपूर्ण भारत - 2004-05

धर्म/जाति	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	अन्य	कुल
हिंदू	22.2	9.1	42.8	26.0	100
मुसलमान	0.8	0.5	39.2	59.5	100
इसाई	9.0	32.8	24.8	33.3	100
सिख	30.7	0.9	22.4	46.1	100
जैन	0.0	2.6	3.0	94.3	100
बौद्ध	89.5	7.4	0.4	2.7	100
पारसी	0.0	15.9	13.7	70.4	100
अन्य	2.6	82.5	6.2	8.7	100
कुल	19.7	8.5	41.1	30.8	100

स्रोत: राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संस्था के ६१ वें तक के सर्वेक्षण के सारिणी १ और १० के नमूनों के सामूहिक आंकड़े का वितरण

4. रिपोर्ट की संरचना

बाकी की रिपोर्ट 11 अध्यायों में बंटी हुई है। अगला अध्याय कमेटी द्वारा विभिन्न राज्यों में आयोजित की गई बैठकों और वर्कशॉप में एकत्रित की गई गुणात्मक जानकारी और मिले प्रतिनिधित्व के बारे में संक्षेप में बताया गया है। कोशिश यह की गई है कि शिक्षा, रोजगार, संरचना और सुरक्षा जैसे पहलुओं पर लोगों के दृष्टिकोण पर नजर डालें। इन दृष्टिकोणों के सार को वैसा ही प्रस्तुत किया गया है जैसा कि वो हमें बताई गई थीं और उन पर कोई नजरिया नहीं अपनाया गया है और मुद्दों के साथ-साथ आगे आने वाले अध्यायों में इनमें से कुछ पहलुओं को विश्लेषित किया गया है, जिससे इन दृष्टिकोणों की वैधता की तह में जाया जा सके। तीसरे अध्याय में मुस्लिमों की आबादी की सघनता के नक्शे का विश्लेषण किया गया है। इस बातचीत में सिर्फ जनसंख्या वृद्धि को ही नहीं शामिल किया गया है वरन् कुछ स्वास्थ्य संबंधित कारकों जैसे कि मृत्यु और जननशीलता के अंतर पर भी नजर डाली गई है। शिक्षा की स्थिति का विश्लेषण चौथे अध्याय में किया गया है। शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर मुस्लिमों की भागीदारी के विश्लेषण के अलावा, इस अध्याय में मदरसों की भूमिका का भी आंकलन किया गया है, जो कि मुस्लिम समाज की तरफ से एक महत्वपूर्ण कदम है। रोजगार के प्रकार और ढांचे के बारे में पांचवें अध्याय में विश्लेषण किया गया है। मुस्लिम कार्यशक्ति के औद्योगिक और पेशागत नक्शे के साथ, यह अध्याय उनके काम करने के माहौल के बारे में जानकारी का भी विश्लेषण करता है। छठा अध्याय कर्ज देने वाली संस्थाओं के कार्यकलाप पर नजर डालने के साथ-साथ बैंकिंग सेवाओं और कर्ज की उपलब्धता का भी विश्लेषण करता है। इसके बाद सातवें अध्याय में सामाजिक व भौतिक संरचना तक पहुंच का विश्लेषण किया गया है। गरीबी, उपभोग और जीवन स्तर के आंकलनों के बारे में आठवें अध्याय में दिया गया है। सरकार विभागों, लोक सेवा उपक्रमों में रोजगार और विकास से संबंधित विभिन्न प्रादेशिक कार्यक्रमों को गरीबों की स्थिति सुधारने के लिए कई लोगों द्वारा जरूरी कदम की तरह देखा जाता है। अतः नौवें अध्याय में जन रोजगार में मुस्लिमों की भागीदारी और जनता के लिए कार्यक्रमों की मुस्लिम समाज की नजर से, प्रभावशीलता का विश्लेषण किया गया है। दसवें अध्याय को मुस्लिम समाज के भीतर पिछड़े वर्ग को विश्लेषण को अर्पित किया गया है। यह अध्याय मुस्लिम समाज के आंतरिक विभाजन के विभिन्न पहलुओं पर भी नजर डालता है। जहां मदरसों की भूमिका का विश्लेषण शिक्षा से संबंधित अध्याय में किया गया है, इस वर्ग द्वारा मुस्लिमों के विकास के लिए उठाया गया दूसरा कदम जिसे वक्फ कहा जाता है, का वर्णन ग्यारहवें अध्याय में किया गया है। आखिरी अध्याय कुछ नीतिगत दृष्टिकोण और संस्तुतियां प्रस्तुत करता है।

यह रिपोर्ट 1२ अध्यायों में बंटी हुई है। जनसंख्या, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, कर्ज संरचना और जन कार्यक्रमों मुद्दों जैसे का विश्लेषण करती है।



भारत में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति



जनधारणा और दृष्टिकोण

1. संदर्भ

समिति अपने निर्देशों के विभिन्न आयामों पर जानकारी एकत्रित करने के लिए एक परस्पर बातचीत की प्रक्रिया से गुजरी। सभी बड़े राज्यों में दौरा किया गया और विभिन्न संबंधित लोगों के साथ सभाएं आयोजित की गईं। विभिन्न मुद्दों पर आमंत्रित लोगों से परामर्श भी लिया गया। साथ ही लोगों को विभिन्न भाषाओं में अखबारों में विज्ञापन और दूसरे समाचार माध्यमों में विज्ञापन देकर अपना प्रतिनिधि भेजने को प्रोत्साहित किया गया। प्रतिक्रिया उम्मीद से कहीं ज्यादा थी।¹ साथ में रखकर देखा जाय तो पारस्परिक बातचीत व प्रतिनिधियों के द्वारा भारत में मुस्लिमों के द्वारा झेली जा रही समस्याओं पर लोगों की धारणा के बारे में काफी अच्छे और गुणात्मक नतीजे सामने आए। समुदाय में भिन्नता को देखते हुए यह अनुमानित था कि समुदाय के विभिन्न हिस्सों को अलग-अलग समस्याओं से जूझना पड़ रहा होगा और उनकी सोच कि ये समस्याएं किस तरह सुलझ सकती हैं, भी अलग-अलग होंगी। फिर भी समिति विचारों की भिन्नता को देखकर चकित रह गई कि उनमें से कई सुझावों पर लोगों के विचार काफी मिलते थे।

समिति समझती है कि यह सभी धारणाएं सही नहीं हैं पर यह शून्य से भी नहीं बनी है।

समिति समझती है कि यह सभी धारणाएं सही नहीं हैं, पर यह शून्य से भी नहीं बनी है। उस संदर्भ को समझना, जिससे यह धारणाएं बनी हैं तथा दृष्टिकोण निर्मित हुए हैं, उनका विश्लेषण करने के लिए जरूरी है, जहां इस क्षेत्र में जाना मुश्किल है, समिति समझती है कि इन धारणाओं और दृष्टिकोणों को बांटना, मुस्लिमों से जुड़े मुद्दों पर लोग क्या सोचते हैं, उसकी तह में जाने में लाभकारी होगा। यह अध्याय लोगों की धारणाओं और दृष्टिकोणों का सार निकालने का एक प्रयास है, ठीक वैसे ही जैसे वे हमें बताए गए थे, बिना उन पर कोई नजरिया अपनाए। आगे के अध्यायों, इनमें कुछ मुद्दों का अधिक विस्तार से विश्लेषण किया गया। हालांकि हमारा विश्लेषण यहां पर सूचीबद्ध सभी मुद्दों के बारे में बात नहीं करता, वो सिर्फ इन मुद्दों तक सीमित भी नहीं हैं, लोगों

1. बड़ी संख्या में प्रतिनिधि मिलने के अलावा, समिति ने देशभर में 13 राज्यों के दौरे में कई लोगों से बातचीत की गई। आंध्रप्रदेश, कर्नाटक, उत्तरप्रदेश, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, असम, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, केरल, मध्यप्रदेश, गुजरात, बिहार व महाराष्ट्र में बातचीत के दौरान समिति को बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां मिली। इन दौरे के दौरान समिति जिलों से चुने गए व अन्य प्रतिनिधियों, नौजवानों, महिलाओं, व्यवसायियों, गैर सरकारी संस्थान के प्रतिनिधियों, धार्मिक संस्थाओं, विद्वानों, प्रदेशों के मुख्यमंत्री व उनके सहयोगियों, वरिष्ठ प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों आदि से मिली और उनके विचार जानने की कोशिश की। कुछ राज्यों में समिति ने ऐसे इलाकों का भी दौरा किया, जहां काफी मुस्लिम आबादी है। समिति को कुछ चुनी हुई गैर-सरकारी और बहुआयामी संस्थाओं से भी पारस्परिक बातचीत से मुस्लिमों के बारे में शिक्षा, पहचान लिंग और विकास जैसे मुद्दों पर जानकारी हासिल करने में भी लाभ हुआ। जहां तकनीकी रूप से यह बातचीत न प्रतिनिधि जरूरी नहीं है कि सार्वजनिक धारणा का भी 'प्रतिनिधित्व' करें, समिति विचारों के विस्तृत आधार के मिलने से काफी संतुष्ट है।



पहले भी कई समितियों और परिषदों की अनुशंसाओं का गैर क्रियान्वयन से मुस्लिम समुदाय किसी भी नए कदम की तरफ उदासीन था। ज्ञापन देते-देते थक चुके, बहुत से लोग परिणाम चाहते थे।

के विचार हमारे विश्लेषण को एक पृष्ठभूमि देते हैं और हमारी रिपोर्ट की दृष्टि को भी बढ़ाते हैं। यहां पर इस बात पर जोर दिए जाने की जरूरत है कि यहां पर वर्णित धारणाएं और दृष्टिकोण भारतीय संविधान में उन प्रावधानों के साथ-साथ अस्तित्व में हैं जो भारतीय मुस्लिमों को भारत के नागरिक होने का अधिकार देते हैं। मुस्लिमों को दूसरे भारतीय नागरिकों के समान ही एक इज्जत भरी जिंदगी जीने की समानता के और उनकी धार्मिक परंपराओं को निभाने के बराबर अवसर प्राप्त हैं। (बक्सा 2.1 देखें)

बक्सा 2.1 भारतीय संविधान: सभी नागरिकों के लिए समान अवसर और अधिकार मुख्य प्रावधान

अनुच्छेद 14:	कानून में समानता और कानून द्वारा समान सुरक्षा को सुनिश्चित करता है।
अनुच्छेद 15:	धर्म, जाति, मूल, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को रोकता है।
अनुच्छेद 21:	किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्ति स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया को छोड़कर।
अनुच्छेद 25:	विवेक की स्वतंत्रता और किसी भी धर्म को मानने, अपनाने और प्रचार करने की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करता है।
अनुच्छेद 26:	अपनी भाषा लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रखने के लिए अल्पसंख्यकों के अधिकार की रक्षा करता है।
अनुच्छेद 27:	अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा उनको अपनी इच्छानुसार शैक्षणिक संस्थानों को स्थापित करने और चलाने का अधिकार देता है। सरकार को यह दिशा-निर्देश देता है कि अनुदान देने में अल्पसंख्यकों के संस्थानों के खिलाफ भेद-भाव ना किए जाएं।
अनुच्छेद 350 अ :	सरकार को दिशा-निर्देश देता है कि शिक्षा में प्रारंभिक चरण में मातृभाषा में पढ़ाए जाने की सुविधाएं दे।

संवैधानिक प्रावधानों के अलावा और भी कई निर्देश मुस्लिमों की धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं की सुरक्षा करते हैं। अपनी श्रद्धा को रोजाना निभाने की और उनके धार्मिक त्यौहारों को मनाने की स्वतंत्रता कुछ ऐसी सुविधाएं हैं जो मुस्लिम अन्य धर्मों के अनुयायी के साथ-साथ उपभोग करते हैं।

मजे की बात यह है कि सभाओं और प्रतिनिधित्व के द्वारा लोगों की उम्मीद से अधिक भागीदारी के बावजूद, समिति को बनाने के प्रति काफी अविश्वास और अनिच्छा थी, जहां बहुतां ने इस कदम का स्वागत किया और उसे सराहा, वहीं ऐसे भी लोग थे जो इसे संदेह की दृष्टि से देख रहे थे और उसे मात्र एक और राजनीतिक नाटक समझा। एक शक और निराशा की भावना भी थी। ज्ञापन देते-देते थक चुके, बहुत से लोग परिणाम चाहते थे। पहले भी कई समितियों और परिषदों की अनुशंसाओं के गैर क्रियान्वयन से मुस्लिम समुदाय किसी भी नए कदम की तरफ उदासीन था। जहां अभी सबने उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा है, बहुतां को लगता है सरकार के रुख में किसी भी बदलाव के लिए मानसिकता में बदलाव और समर्पण की जरूरत है, कुछ लोगों ने कहा, दूसरी आम दिक्कत यह है कि मुस्लिम की परिस्थिति को अल्पसंख्यक की समस्या की तरह नहीं, बल्कि राष्ट्रीय दिक्कत के रूप में देखा जाए। इस मोटे तौर के संदर्भ में बाकी के इस अध्याय पर नजर डालनी चाहिए।

पिछले अध्याय में बताया गया था कि एक अल्पसंख्यक द्वारा झेली जाने वाली परेशानियां मुख्य रूप से पहचान, सुरक्षा और समानता के मुद्दों से जुड़ी हैं। इस अध्याय में भी जो सार पेश किया जा रहा है, वो इन्हीं मुद्दों से जुड़ा है, हालांकि बाकी रिपोर्ट मुख्य रूप से समानता पर केंद्रित है। यहां



पर इसे बहुत स्पष्ट रूप से बताया गया है कि पहचान, सुरक्षा और समान से जुड़े मुद्दे एक दूसरे से जुड़े हैं और कई प्रकार से एक दूसरे पर असर डालते हैं। बाकी का यह अध्याय चार भागों में विभाजित है। हर एक भाग पहचान, सुरक्षा और समानता से जुड़े मुद्दों को समर्पित है। यहां इस बात की कोशिश की गई है कि भावनाओं और मुद्दों के विस्तार को सामने रखा जाए, जो हमारी बातचीत में सामने आए, बिना इस बात पर अधिक ध्यान दिए कि कितनी बार उनके बारे में उल्लेख किया गया। अंतिम भाग कुछ अंततोगत्वा निरूपण देता है।

परिशिष्ट तालिका 2.1 समिति को मिले प्रतिनिधित्व द्वारा उठाए गए मुद्दों की तीव्रता संख्या के बारे में बताती है। बहुत से आवेदन पत्र समानता और सुरक्षा से संबंधित मुद्दे से आते हैं। जहां होने की तीव्रता जरूरी नहीं है कि एक मुद्दे को दी गई संबंधित उपयोगिता का उचित आंकलन हो, पर यह वाकई यह दिखाता है कि भारत के मुस्लिम समुदाय में शिक्षा सबसे अधिक गहन चिंताओं में से एक है। आगे, आवेदनों के विषय वस्तु और समिति को अपनी अवधि में हुई बातचीत के सार को पेश करने का प्रयास किया गया है।

2. पहचान से जुड़ी समस्याएं

दृष्टिगत रूप से भारत में सामाजिक, सांस्कृतिक और सार्वजनिक मेल-जोल का क्षेत्र भारतीय मुस्लिमों के लिए काफी निराशाजनक हो सकता है। मुस्लिमों में असहजता की भावना को कई रूपों से देखा जा सकता है- मुस्लिमों और अन्य सामाजिक-धार्मिक श्रेणियों के संबंधों में, तथा उनको समझने और उनका निष्कर्ष निकालने के संबंध में। समाज की समझ का एक पहलू देशभक्ति से जुड़ा है। वो 'देश-द्रोही' समझे जाने, तथा साथ ही 'मनाए' जाने के दोगुने बोझ से लदे हैं। जहां मुस्लिमों को रोज ही यह साबित करना पड़ता है कि वो 'देश द्रोही' और 'आतंकवादी' नहीं है, यह नहीं जाना जाता है कि आरोपित 'मानना' समुदाय में वांछित स्तर का सामाजिक-आर्थिक विकास नहीं कर पाया है। आम तौर पर, मुस्लिमों द्वारा यह शिकायत की गई कि ना सिर्फ समाज के कुछ हिस्सों, बल्कि जन संस्थानों और सरकारी ढांचों द्वारा भी उन्हें लगातार बहुत ही शक-भरी निगाहों से देखा जाता है। इससे उनकी सोच पर बहुत ही निराशाजनक प्रभाव पड़ा है। बहुतों को यह भी लगा कि मीडिया मुस्लिमों के इस रूढ़िवादी रूप को बनाए रखने में सहायक है।

2.1 पहचान-सार्वजनिक क्षेत्रों में दृष्टिगत होना

भारतीय मुस्लिमों की पहचान से जुड़े मुख्य मुद्दों में से एक है सार्वजनिक क्षेत्रों में 'एक मुस्लिम' की तरह पहचाने जाना। एक मुस्लिम की तरह पहचाने जाना बहुतों के द्वारा समस्या के रूप में देखा जाता है। मुस्लिम पहचान के संकेतक- बुरका, परदा, दाढ़ी, और टोपी- जहां भारतीय मुसलमानों की विशिष्टता बढ़ाती है, वहीं सार्वजनिक क्षेत्रों में उनके लिए चिंता का भी कारण है। ये संकेतक कई बार समुदाय को उपहास का लक्ष्य बना देते हैं और इस कारण उन्हें भय की निगाहों से भी देखा जाता है। जो मुस्लिम पुरुष दाढ़ी रखते हैं व टोपी पहनते हैं, उन्हें कई बार सार्वजनिक क्षेत्रों जैसे, पार्क, रेलवे स्टेशन या बाजार से पूछताछ के लिए पकड़ लिया जाता है। समिति से बातचीत करने वाली कुछ महिलाओं ने बताया कि किस प्रकार कॉरपोरेट दफ्तरो में हिजाब पहनने वाली औरतों को नौकरी मिलना नामुमकिन होता जा रहा है। बुरका पहनने वाली मुस्लिम महिलाएं बाजार, अस्पताल, स्कूल और सार्वजनिक सुविधाओं (यातायात आदि) के इस्तेमाल में रूखे व्यवहार का शिकार होती हैं।

2.2 पहचान- निवास और शिक्षा

2. आवेदनों को पहले उनके द्वारा उठाई गई समस्याओं की श्रेणी के द्वारा वर्गीकृत किया गया। कई बार एक श्रेणी में कई मुद्दे उठाए गए और हर मुख्य मुद्दे के लिए उपमुद्दों की पहचान की गई। संक्षेपण और वर्गीकरण इन सब बातों का ध्यान रखता है। उदाहरण के लिए, शिक्षा के विषय पर एक आवेदन पास में विद्यालयों की गैर उपलब्धता के बारे में बताता है, साथ ही उर्दू की शिक्षा की समय और लड़कियों की पढ़ाई से जुड़ी विशेष समस्याओं के बारे में भी बताता है। ऐसी परिस्थिति में, आवेदन की शिक्षा से जुड़े तीन मुद्दों को उठाने वाला माना गया। (परिशिष्ट तालिका 2.1 की व्याख्या को देखें।)

जहां अभी सबने उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा है, बहुतों को लगता है सरकार के रुख में किसी भी बदलाव के लिए मानसिकता में बदलाव और समर्पण की जरूरत है

मुस्लिम 'देश-द्रोही' समझे जाने, तथा साथ ही 'मनाए' जाने के दोगुने बोझ से लदे हैं।



मुस्लिम पहचान के संकेतक- बुरका, परदा, दाढ़ी, और टोपी- जहां भारतीय मुसलमानों की विशिष्टता बढ़ाती है, वहीं सार्वजनिक क्षेत्रों में उनके लिए चिंता का भी कारण है।

जहां शिक्षण संस्थान स्थापित करना संविधान के अनुच्छेद ३० के तहत अल्पसंख्यकों का अधिकार है, इसका मतलब यह नहीं था कि वे एकमात्र विकल्प बनकर रह जाएं।

यह कहा गया कि आज भारत में अधिकतर मुस्लिम महिलाओं के लिए शारीरिक व पहचान की सुरक्षा के मामले में घर व समुदाय की सीमा बेहतर है।

मुस्लिम पहचान रोजमर्रा के जीने के तरीके को कई तरीके से प्रभावित करता है जो घर खरीदने या किराए पर लेने में मुश्किलों से लेकर बच्चों को अच्छे स्कूलों में दाखिले तक हो सकता है। अपने मनपसंद इलाके में संपत्ति खरीदना या किराए पर लेना, मुस्लिमों के लिए दिनों दिन कठिन होता जा रहा है। मालिकों में मुस्लिमों को संपत्ति बेचने या किराए पर देने में झिझक के अलावा 'गैर-मुस्लिम' इलाकों में कई हाउसिंग सोसाइटी मुस्लिमों को वहां बसने में 'हतोत्साहित' करती है। मुस्लिम पहचान उनके बच्चों को अच्छे शैक्षणिक संस्थानों में दाखिले में भी आड़े आता है। इस कारण कई विद्यालय विशेषकर मुस्लिम बच्चों को ध्यान में रखकर खोले जा रहे हैं, जो कुछ लोगों के हिसाब से आजकल मुस्लिमों के लिए अच्छी शिक्षा का एकमात्र साधन है। सतही तौर पर मुस्लिमों का एक बड़ा हिस्सा अपने बच्चों को 'नियमित-मुख्यधारा से जुड़े' स्कूलों में ही भेजना पसंद करेगा। लोगों ने यह बहस की थी कि जहां समुदाय विशेष के संस्थान स्थापित करना संविधान के तहत अल्पसंख्यकों का अधिकार है, इसका मतलब यह नहीं था कि वे एकमात्र विकल्प बनकर रह जाएं।

2.3 पहचान और लिंग

बहुत से लोगों का सुझाव था कि समुदाय में लिंग के मुद्दे मुस्लिम होने से भी संबंधित हैं। एक मुस्लिम महिला की जिंदगी में अन्य सभी पहलुओं (आय, नौकरियां, शिक्षा, सुरक्षा और खान-पान में पोषक तत्वों की मात्रा) को नजरअंदाज करते हुए शादी के नियम, तलाक और मुआवजा के अधिकार लिंग के न्यायपूर्ण अस्तित्व की पहचान बढ़ाकर रह गए हैं। मुस्लिम महिलाओं के चुने हुए मामले को लगातार केंद्रित करने और मीडिया द्वारा जोरदार बहस करने का परिणाम यह हुआ कि समाज में मुस्लिम धर्म लैंगिक अन्याय का इकलौता प्रतीक बनकर रह गया है। परिणाम यह हुआ कि आम जनमानस और सरकार मुस्लिम महिलाओं के शोषण को सामाजिक भेदभाव की वस्तुगत सच्चाई और दोषपूर्ण विकास नीतियों के रूप में नहीं देखकर धार्मिक और सामुदायिक परंपरा मानती है। इससे सरकार को समुदाय पर इलजाम थोपने का मौका मिल जाता है ताकि वह अपनी कमजोरियों को छुपा सके।

महिलाएं आमतौर पर किसी भी संप्रदाय का अगुआ होती हैं। इसलिए जब भी समुदाय की पहचान पर सवाल उठते हैं तो स्वाभाविक रूप से महिलाओं पर इसका सबसे अधिक असर पड़ता है। महिलाएं कई बार अपनी इच्छा से और कई बार समाज के दबाव के चलते व्यक्तित्व और व्यवहार में समुदाय की पहचान के दृष्टिगत संकेतक अपना लेती हैं। सार्वजनिक रूप से उनके जीवन, आदर्श और चाल-चलन पर लोगों की लगातार नजर और नियंत्रण रहती है। 'समाज' का लिंग आधारित भय यों तो सभी महिलाएं अनुभव करती हैं, पर मुस्लिम महिलाओं के मामले में यह कई गुना बढ़ जाता है। 'सुरक्षित' और 'असुरक्षित' क्षेत्रों के बीच का अंतर गहरा गया है। समुदाय और उसकी महिलाएं जानी-पहचानी रूढ़िवादिता की आड़ में छिप जाते हैं एवं आधुनिकता को अपनाने में हिचकते हैं, जो समाज की सीमा को धुंधला करने का डर दिखाता है। यह कहा गया कि आज भारत में अधिकतर मुस्लिम महिलाओं के लिए शारीरिक व पहचान की सुरक्षा के मामले में घर व समुदाय की सीमा बेहतर है। इस सीमा के बाहर हर चीज असुरक्षित और भेद-भाव पूर्ण मानी जाती है, जैसे कि बाजार, सड़कें, गलियां, यातायात के सघन, स्कूल, अस्पताल, पुलिस थाना और सरकार दफ्तर। आश्चर्य की बात है कि बहुत सी सभाओं में महिला वक्ताओं ने इस बात पर जोर दिया कि अगर उन्हें शिक्षित होने व काम के उचित अवसर मिलें तो वह इन सभी विसंगतियों से 'जूझ लेंगी'।

'पहचान की समस्या' और सरकार जिम्मेदारी का अभाव कई बार अच्छे-खासे कार्यक्रमों की सफलता में बाधक बन जाता है। सरकारी स्वास्थ्य कार्यक्रमों के प्रति समुदाय की बेरुखी ऐसा ही

3. कई बार मुस्लिम मातापिता को अवसर स्कूल के अधिकारियों द्वारा बच्चों के दाखिले के प्रयास में या छात्रवृत्ति पाने में काफी भेद-भाव का सामना करना पड़ता है। छोटी-छोटी हरकतें जैसे कि व्यवहार में शालीनता का अभाव, अशिष्ट प्रश्न पूछना और ऐसा माहौल जो उन्हें और उनके बच्चों को दूसरे दर्जे के नागरिकों की तरह व्यवहार करता है- इन सबको मिलाकर एक शक्तिशाली प्रतिरोध बढ़ाता है, जो मुस्लिम समुदाय को वर्तमान स्कूली व्यवस्था से दूर करता है। मां-बाप द्वारा ऐसे विद्वेषपूर्ण वातावरण में लड़कियों को (लड़कों की अपेक्षा) भेजे जाने की संभावना कम रह जाती है।



एक मामला है। पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम की सघन आबादी वाले मुस्लिम इलाकों में असफलता, इस डर से उपजी है कि यह उनकी प्रजनन क्षमता को रोकने का उपाय है।

3. सुरक्षा संबंधी चिंताएं

सुरक्षा की भावना की कमी और मुसलमानों के प्रति भेद-भाव आम बात है। हालांकि इसकी गंभीरता, गहनता और आकार में विभिन्न प्रदेशों में काफी अंतर है। किसी भी तरह का सांप्रदायिक तनाव और देश के किसी भी हिस्से में दुर्घटना से मुसलमानों को अपनी जान-माल की रक्षा की चिंता सताने लगती है। सरकार की बेरुखी और सांप्रदायिक दंगों से राजनीतिक रोटियां सेकना समुदाय के लिए काफी कष्ट की बात है। सांप्रदायिक दंगों के दोषियों को पकड़ने में सरकार की कोताही उनकी असंतुष्टी का प्रमुख कारण है। दूसरी तरफ, पुलिस और मीडिया हिंसक गतिविधियों में मुस्लिमों के शामिल होने को बढ़ा-चढ़ा कर बताते हैं, जबकि अन्य समूहों या संस्थाओं के शामिल होने को कम कर बताते हैं। इसके अलावा दंगों के पीड़ितों को मुआवजा दिए जाने के संदर्भ में भी अन्याय महसूस किया जाता है। यह भी सुझाया गया कि दंगों के बाद सरकार द्वारा तय की गई मुआवजे की राशि में भी मुस्लिमों के साथ पक्षपात किया गया। इसके अलावा, पीड़ितों को मुआवजा दिए जाने में भी देरी होती है, खास तौर से अगर वो मुस्लिम हो।

3.1 पुलिस व जांच एजेंसियों का रुख

मुस्लिमों के साथ जांच पड़ताल में पुलिस के कड़े रवैये पर भी चिंता जाहिर की गई। मुसलमानों में यह हीन भावना घर कर गई है कि हर दाढ़ीवाला व्यक्ति आईएसआई का एजेंट समझा जाता है। जब भी कोई घटना होती है, पुलिस मुस्लिम युवाओं को पकड़ ले जाती है और फर्जी मुठभेड़ तो उनके लिए आम है। वास्तव में लोगों ने कहा कि अस्पताल, औद्योगिक क्षेत्र, स्कूल और बैंकों की तुलना में पुलिस मुस्लिम इलाकों में अधिक मुस्तैद रहती है। छोटी सी बात पर भी सुरक्षाकर्मी मुसलमानों के घर में घुस जाते हैं। सीमावर्ती इलाके में रह रहे मुसलमानों की हालत बदतर है क्योंकि एक तो वे विदेशी समझे जाते हैं, और दूसरे पुलिस व प्रशासन द्वारा प्रताड़ित किए जाते हैं। हाल में ही एक प्रदेश में हुए हिंसक सांप्रदायिक झगड़े, जहां बड़े पैमाने पर मुस्लिम महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न की घटना हुई, का प्रभाव देश के उन क्षेत्रों पर भी पड़ा, जहां प्रत्यक्ष रूप से हिंसा नहीं हुई। उन इलाकों में समुदाय में काफी भय बढ़ा और बेबसी की भावना ने जन्म लिया, जिसका प्रभाव खासकर मुस्लिम लड़कियों की आवाजाही और शिक्षा पर पड़ा। पुलिस में मुसलमानों अपर्याप्त भागीदारी इस समस्या को पूरे देश में बढ़ाती है क्योंकि इससे संवेदनशील परिस्थितियों में असुरक्षा की भावना बढ़ जाती है।

3.2 सामूहिकीकरण और सार्वजनिक स्थलों की कमी

अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित मुस्लिम देश भर में समूह में रहना चाह रहे हैं। यह भावना सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील शहरों और कस्बों में अधिक है। हालांकि एक साथ अधिक संख्या होने के कारण वे सुरक्षित महसूस करते हैं। पर इससे समुदाय को अधिक लाभ नहीं हुआ है। ऐतिहासिक या सुरक्षा कारणों से घनी आबादी के रूप में मुसलमानों के साथ रहने के कारण निगम और सरकारी प्राधिकरण उनकी उपेक्षा करते हैं। इन इलाकों में स्कूल, स्वास्थ्य सुविधाएं, सीवर, बिजली, पानी, राशन, दुकान, आंगनबाड़ी केंद्र और यातायात सुविधाओं पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता। सामूहिक रूप से रहने के बढ़ते चलन के कारण अपर्याप्त सुविधाओं की वजह से सबसे अधिक परेशानी मुस्लिम महिलाओं को होती है— क्योंकि वे इनकी आपूर्ति के लिए 'सुरक्षित' माने जाने वाले क्षेत्र से बाहर जाने में हिचकती हैं। समुदाय के बढ़ते सामूहिकीकरण का मतलब सार्वजनिक क्षेत्र में उनके लिए जगह की कमी है। यह एक अस्वस्थ रिवाज है, जो निरंतर जड़ें जमाता जा रहा है। देश के कुछ हिस्सों में बरसों से रह रहे मुस्लिम सामाजिक उपेक्षा के कारण पलायन को मजबूर हुए, जिससे उनका रोजगार और कमाई के रास्ते घटे। इसलिए सामूहिकीकरण के कई बुरे प्रभाव हैं— जैसे कि अपर्याप्त संरचनात्मक सुविधाएं, सार्वजनिक स्थलों की कमी जहां विभिन्न सामाजिक-धार्मिक श्रेणियों आपस में मिल-जुल सकें और आजीविका के विकल्पों की

मुस्लिमों के साथ जांच पड़ताल में पुलिस के कड़े रवैये पर भी चिंता जाहिर की गई। जब भी कोई घटना होती है, पुलिस मुस्लिम युवाओं को पकड़ ले जाती है

मुसलमानों में यह हीन भावना घर कर गई है कि हर दाढ़ीवाला व्यक्ति आईएसआई का एजेंट समझा जाता है।

देश के कुछ हिस्सों में बरसों से रह रहे मुस्लिम सामाजिक उपेक्षा के कारण पलायन को मजबूर हुए



कमी।

मुस्लिमों के बड़े हिस्से में भेदभाव बरते जाने की धारणा घर कर गई है तथा इसका परिणाम है सामूहिक पृथकीकरण।

मुस्लिमों में निम्न शैक्षणिक उपलब्धि का समुदाय-विशेष कारक यह भी है कि उन्हें यह भरोसा नहीं कि शिक्षा पद्धति निश्चित रूप से विधिवत रोजगार पाने में मदद करेगी।

मुस्लिम इलाकों में प्रारंभिक स्तर के आगे के स्कूल बहुत ही कम हैं।

सामूहिकीकरण की प्रक्रिया के कुछ असाधारण प्रभाव भी पड़े हैं। उनमें से एक यह भी है कि उन्हें उस राज्य को छोड़ देना पड़ा, जहां सांप्रदायिक दंगे हुए। 'असुरक्षित' मुस्लिम खासकर सघन मुस्लिम आबादी वाले इलाके में बसना चाहते हैं। इन इलाके में प्रोपर्टी की अत्यधिक मांग ने इनकी दरों में अप्रत्याशित इजाफा कर दिया। इस कारण जल्दबाजी में दूसरी जगह बसने की चाहत उनकी संपत्ति का औना-पौना कीमत अदा करती है और नई जगह ऊंची कीमत मांगती है। यह भी सुझाया गया कि विवादित क्षेत्रों में जल्दबाजी या जबरन बिक्री को रोकने की बजाय प्रापर्टी के हस्तांतरण पर रोक से अवैध कारोबार के अवसर बढ़े हैं।

4. समानता संबंधी मुद्दे

भेदभाव भरे रुख से प्रताड़ित होने की भावना मुस्लिमों में खासतौर से युवकों में काफी ज्यादा है। मुस्लिम इलाकों में नाकारा जन सुविधाओं से लेकर राजनीति और प्रशासन में उनके प्रतिनिधित्व का ना होना और पुलिस द्वारा उन पर किए गए अत्याचार, मुस्लिमों के बड़े हिस्से में भेदभाव बरते जाने की धारणा घर कर गई है। इसके अलावा भारत में सामाजिक-धार्मिक विविधता होने की धारणा को अक्सर पाठ्य पुस्तकों में जगह नहीं मिलती। इस भेदभाव की भावना ने पहचान और असुरक्षा के मुद्दों के साथ-साथ समुदाय में काफी हीन-भावना भर दी है, जो उनके सार्वजनिक कार्यों में पूरी भागीदारी में बाधा बनती है तथा इसका परिणाम होता है सामूहिक पृथकीकरण।

4.1 शिक्षा के निम्न स्तर

जैसा कि पहले बताया गया है, शिक्षा का निम्न स्तर मुस्लिम समुदाय में चिंतन का विषय है। आम धारणा, कि धार्मिक परंपराएं मुस्लिमों के शिक्षित न होने की सबसे बड़ी वजह है, सही नहीं है। भारतीय मुस्लिमों का एक बड़ा वर्ग शिक्षा के क्षेत्र में अपने पिछड़ेपन को समझता है और उसे दूर करना चाहता है। इस बात पर भी काफी चर्चा हो चुकी है कि इस पिछड़ेपन को किस तरह दूर किया जाय। मुस्लिम समुदाय की शैक्षणिक स्थिति को सुधारने के लिए निजी अल्पसंख्यक संस्थान और मदरसों को ही समुदाय के लिए उपलब्ध विकल्पों के तौर पर देखा गया। परंतु, अन्य लोग उसे सरकार द्वारा विकल्प मानने पर ही प्रश्न उठाते हैं तथा अपनी जिम्मेदारी से बचने का प्रयास बताते हैं। कुछ लोगों द्वारा मदरसों और समुदाय-विशेष के संस्थानों पर ही मुस्लिम की शैक्षणिक स्थिति सुधारने के लिए मुख्य रूप से आश्रित रहने को संविधान की मूल भावना का हनन मानते हैं।

गरीबी-शिक्षा के निम्न स्तर का मुख्य कारण

मुस्लिम छात्रों द्वारा पढ़ाई छोड़ने की उच्च दर चिंता का मुख्य विषय है। जैसा कि बहुत से भारतीयों के साथ है, मुस्लिमों के शैक्षणिक रूप से पिछड़े होने का मुख्य कारण गरीबी है, जिसके कारण पहले कुछ कक्षाओं के बाद बच्चों को पढ़ाई छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ता है। यह खासतौर पर मुस्लिम लड़कियों के लिए आम है। छोटे बच्चों से यह उम्मीद की जाती है कि वो कुटीर उद्योगों या घरेलू नौकरों के रूप में काम करके परिवार की आमदनी में कुछ योगदान करें। इसके अलावा अगर उनके माता-पिता काम पर जा रहे हैं तो वह घर में रहकर अपने भाई-बहनों का ध्यान रखें। यह भी महसूस किया गया है कि अन्य सामाजिक-धार्मिक श्रेणियों की तुलना में मुस्लिमों में बाल मजदूरी की समस्या कुछ अधिक ही है। गरीब और अनपढ़ मां-बाप अपने बच्चों को ट्यूशन भी नहीं पढ़ा पाते, न ही घर पर जरूरी सहायता कर पाते हैं, जिससे वे आजकल की शिक्षा पद्धति में पिछड़ने लगते हैं। बच्चों को स्कूल भेजने का अवसर हो भी, तब भी वे उसके खर्च से भयभीत होकर मजबूर हो जाते हैं।

शिक्षा के लाभों को कम आंकना

इसके अलावा, मुस्लिमों में निम्न शैक्षणिक उपलब्धि का समुदाय-विशेष कारक यह भी है कि उन्हें यह भरोसा नहीं कि शिक्षा पद्धति निश्चित रूप से विधिवत रोजगार पाने में मदद करेगी। सरकारी या



निजी क्षेत्र में मुस्लिमों का कम प्रतिनिधित्व तथा वैतनिक नौकरियां पाने में पक्षपात की भावना मुस्लिमों में अन्य सामाजिक-धार्मिक रेणियों की तुलना में विधिवत व्यावहारिक शिक्षा को कम तवज्जो दिए जाने का मुख्य कारण है। साथ ही समुदाय में, खासतौर से शिक्षित मुस्लिम मध्यवर्ग, खुद को अलग-थलग और निराश महसूस करता है। इसका कारण प्रशासनिक, नीतिगत और राजनैतिक हल्कों में उनकी कम मौजूदगी और उनके लिए अवसरों का अभाव है।

स्कूलों तक पहुंचने में कठिनाई

बहुत से लोगों ने शिकायत की कि मुस्लिम इलाकों में अच्छे स्कूलों की संख्या काफी कम है और जो हैं भी वे दूरी पर स्थित सरकारी स्कूल हैं। इसलिए मुस्लिम बच्चों को मजबूरी में, अगर वे इसका खर्च उठा सकें, या तो निजी स्कूलों में जाना पड़ता है या फिर पढ़ाई छोड़ देनी पड़ती है। मुस्लिम इलाकों में प्रारंभिक स्तर के आगे के स्कूल बहुत ही कम हैं। सिर्फ लड़कियों वाले स्कूलों की संख्या तो न के बराबर है और वे काफी दूरी पर स्थित हैं। इसके नतीजे काफी बुरे होते हैं। मसलन किसी तरह की अशांति के बाद मां-बाप उनकी सुरक्षा संबंधी चिंताओं के चलते उनकी पढ़ाई छुड़वा देते हैं। खासकर लड़कियों के लिए छात्रवास की कमी भी इसके लिए कई बार पढ़ाई में बाधा का कारण बन जाता है।

यह समस्या इस वजह से और भी बढ़ जाती है कि लोग आमतौर पर मुस्लिम छात्रों को कमरा किराए पर देना नहीं चाहते। किसी भी हालत में, छात्रवासों के अभाव में अलग से रहने की सुविधाओं पर खर्च करना, मुस्लिम परिवारों के लिए एक मुश्किल आर्थिक बोझ है, क्योंकि अलग रहने का कुल खर्च काफी अधिक होता है।

स्कूल आधारित कारक

मुस्लिम इलाकों के आस-पास जो सरकारी स्कूल हैं वे भी मात्र गरीब व बेसहारा लोगों के लिए निम्न स्तर के शिक्षा केंद्र हैं। हां, शिक्षा व पढ़ाई का निम्न स्तर और शिक्षकों की लगातार अनुपस्थिति अधिक पैसा खर्च कर ट्यूशन पढ़ाना जरूरी कर देते हैं। यह स्थिति उन लोगों के सामने अधिक आती है, जहां मुस्लिम समुदाय की पहली पीढ़ी पढ़ने जा रही होती है। इससे स्कूल की पढ़ाई जारी रखने और और उसे पूरा करने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इसलिए गरीबी एक बार फिर महत्वपूर्ण रूप से मुस्लिमों की शिक्षा तक पहुंच से जुड़ जाती है।

कुछ राज्यों में स्कूल की पाठ्यपुस्तकों में सांप्रदायिक विषय वस्तु और विद्यालयों का माहौल भी मुसलमानों के बीच चिंता का मुख्य विषय है। बहुत से स्कूलों में सांस्कृतिक रूप से विद्वेषपूर्ण माहौल होता है, जहां मुस्लिम छात्रों को पक्षपात का शिकार होना पड़ता है और अलग-थलग कर दिया जाता है। स्कूल में दाखिले के समय छोटी-छोटी बाधाओं के बारे में पहले भी बताया गया है। एक बड़ी संख्या में स्कूली अध्यापकों में सांप्रदायिक मानसिकता स्कूल के विद्वेषपूर्ण माहौल को बढ़ावा देते हैं। अविश्वास का स्तर इस सच से भी आंका जा सकता है कि कुछ राज्यों के लोगों को यह विश्वास है कि मुस्लिमों को परीक्षा में पास न होने देने के लिए स्कूलों को विशेष निर्देश दिए जाते हैं। यह भी आरोप लगाया जाता है कि मुसलमानों को शिक्षकों के रूप में आसानी से नौकरी नहीं मिलती। इसके अलावा मुस्लिम अध्यापकों से भी अक्सर बुरा बर्ताव किया जाता है। दूर के स्कूलों में मुस्लिम शिक्षकों का स्थानांतरण कोई असाधारण बात नहीं है। भेदभाव की नीति के कारण कई बार मुस्लिम शिक्षकों के वेतन रोक देने की घटनाएं भी आम हैं। यह भी बताया गया कि कुछ स्थानों पर हिंदू मां-बाप अपने बच्चों को ऐसे स्कूलों में भेजने से कतराते हैं, जहां मुस्लिम अध्यापक हों।⁴

4 यह भी आरोप है कि मुस्लिम समुदाय में शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान और खोले जाने को लेकर भेदभाव बरते जाते हैं। सरकार द्वारा शिक्षक प्रशिक्षण कॉलेजों को मान्यता न देने और अनुमति देने से मनाही को एक बड़ी योजना के हिस्से के रूप में देखा जाता है। चूंकि राज्य में वैचारिक प्रचार-प्रसार में अध्यापक एक प्रभावी भूमिका निभाते हैं, इसलिए उनकी पृष्ठभूमियों पर नियंत्रण को एक बलवती इच्छा के रूप में देखा जाता है। यह भी कहा गया कि मुस्लिमों को शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान खोलने की आज्ञा न देकर राज्य यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर रही है कि आगे आने वाले सालों में मुस्लिमों को अध्यापक बनने के योग्य ही न छोड़ा जाय।

कुछ राज्यों में स्कूल की पाठ्यपुस्तकों में सांप्रदायिक विषय वस्तु और विद्यालयों का माहौल भी मुसलमानों के बीच चिंता का मुख्य विषय है।

कई बार मुस्लिम बच्चों के लिए मदरसे शिक्षा का एकमात्र विकल्प बचते हैं। खासतौर से गरीबों के बच्चों के लिए

सरकार द्वारा मदरसों का आधुनिकीकरण एक बहुत ही अहम मसला है, जिस पर समुदाय में कई नजरिए हैं।



उर्दू का मुस्लिमों की भाषा के रूप में पहचान और उसके राजनीतिकरण से उर्दू के विकास को बहुत धक्का लगा।


उर्दू माध्यम के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को बिना कोई पूर्व शिक्षा अनुभव के नियमित स्कूलों में पढ़ाई के लिए जाना पड़ता है, क्योंकि उर्दू भाषा का प्रयोग करने वाले आंगनवाड़ियों की संख्या का अभाव है।

मदरसे की शिक्षा से जुड़े मुद्दे

मदरसे, जो आगे आनेवाली पीढ़ियों के लिए इस्लाम की शिक्षा के मुख्य केंद्र हैं, भारत में मुस्लिम पहचान का प्रतीक बन गए हैं। बाकी समाज द्वारा उन्हें शक की निगाह से देखा जाता है, जबकि वे मात्र मुस्लिम समुदाय को धार्मिक शिक्षा प्रदान करते हैं। मदरसों को आतंकी गतिविधियों का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है और यही मुस्लिम समुदाय के लिए सबसे अधिक चिंता का विषय है। हालांकि अभी तक ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है कि मदरसों में आतंकी गतिविधियां चलाई जाती हैं, पर उनपर लगातार नजर रखी जाती है। इस बात से न सिर्फ समुदाय अपमानित महसूस करता है, बल्कि इसका मदरसों में पढ़नेवाले बच्चों पर बुरा और पीड़ादायक प्रभाव पड़ता है। यह भी बताया गया कि जहां मदरसों का अस्तित्व नियमित स्कूलों की जगह नहीं ले सकता, वहीं यह मुस्लिमों को उनकी प्रारंभिक शिक्षा में तो मदद करता ही है, साथ-साथ उनकी विशिष्ट पहचान को कायम रखने में भी मदद करता है। कई बार मुस्लिम बच्चों के लिए मदरसे शिक्षा का एकमात्र विकल्प बचते हैं। खासतौर से उन इलाकों के लिए मदरसे वरदान की तरह हैं, जहां मुस्लिम बच्चों को सरकारी या निजी स्कूल तक उपलब्ध नहीं हैं। कई बार बच्चे मदरसे अपनी इच्छा से नहीं, बल्कि स्कूलों की अनुपलब्धता या उनकी अधिक दूरी के कारण और स्कूलों तक पहुंच कर भी उर्दू में शिक्षा नहीं मिल पाने के कारण जाते हैं। जहां कहीं भी मदरसे चल रहे हैं, वह देश की साक्षरता बढ़ाने में सकारात्मक योगदान दे रहे हैं। परंतु इस बात को भी समझने की जरूरत है कि मुस्लिम बच्चों का एक छोटा हिस्सा ही वास्तव में मदरसों में शिक्षा प्राप्त कर पाता है।

मदरसे के छात्रों को कई विषयों में नियमित मुख्यधारा की शिक्षा ग्रहण करने की अनुमति देने में अधिक लचीला रवैया अपनाने की सलाह दी जाती रही है। ऐसी प्रक्रिया जहां दीने मदरस को उच्चतर शिक्षा बोर्ड से जोड़ा जा सके, जिससे कि मदरसे से पढ़कर निकलने वाले छात्र मुख्यधारा से जब चाहें, जुड़ सकें, पर काफी जोर दिया जा रहा है। मदरसे के डिग्री या सर्टिफिकेट को बराबरी का दर्जा देने का प्रावधान किया जाय, जिससे उन्हें आगे दाखिला या नौकरी मिलने में दिक्कतें नहीं आए। सरकार द्वारा मदरसों का आधुनिकीकरण एक बहुत ही अहम मसला है, जिस पर समुदाय में कई नजरिए हैं। जहां लोग मदरसों के आधुनिकीकरण की अहमियत को समझते हैं, वहीं सरकारी आधुनिकीकरण योजना से मदरसों को शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने में अधिक मदद नहीं मिली है। इस बारे में वादे तो कई बार किए गए, पर काम कुछ भी नहीं किया गया है। योजना के तहत नियुक्त किए गए विज्ञान एवं गणित के अध्यापकों को नियमित रूप से वेतन तक नहीं दिया जाता। इसके अलावा जो मानदेय तक किए गए हैं, वो भी काफी कम हैं। आमतौर पर यह माना जाता है कि मदरसों को मिलने वाले मदद सिर्फ कागजी छोड़े हैं। मदरसों को कंप्यूटर दिए जाने को समुदाय द्वारा अधिक उपयोगी नहीं माना गया, बल्कि यह सुझाव दिया गया कि विज्ञान, गणित और अंग्रेजी पढ़ाने के प्रावधानों पर जोर दिया जाय। मदरसों को बार-बार अनुदान दिए जाने को तो सही ठहराया गया, पर आधुनिकीकरण का मतलब सिर्फ कंप्यूटर लगा देने या गणित और विज्ञान के शिक्षक नियुक्त कर देने भर की आलोचना की गई। जैसा कि पहले भी बताया जा चुका है, मदरसों को नियमित शिक्षा बोर्डों से मान्यता और उनसे मिलने वाले सर्टिफिकेट को प्रभावी बनाने की जरूरत है। मदरसे छात्रों को रोजगार के योग्य नहीं बनाते और वे आधुनिक तभी बन सकते हैं, जब इस समस्या को दूर किया जाय। मुख्यधारा के स्कूलों को सरकारी जिम्मेदारी के तहत मुफ्त और जरूरी शिक्षा दिए जाने की जरूरत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मदरसों की हालत में सुधार और मुख्यधारा के स्कूलों से शिक्षा मिलना वैकल्पिक रणनीतियां नहीं हैं।

मुस्लिम आबादी का एक बड़ा हिस्सा आधुनिकीकरण कार्यक्रम के खिलाफ है। इसके पीछे एक अंदरूनी भय यह है कि आधुनिकीकरण के नाम पर सरकारी मदद मदरसों की स्वतंत्रता में खलल डालेगा। इस वजह से भी कई मदरसे इस योजना में शामिल नहीं हुए हैं। जहां मदरसा बोर्ड भी है, वहां थका देनेवाले मुश्किल फार्म और पंजीकरण की ऊंची राशि भी बहुत बड़ी बाधा बनी हुई है। सरकारी मदद पर शंका के बावजूद मदरसों में आधुनिक विषय पढ़ाने के तरीके के इस्तेमाल का विचार काफी लोगों को पसंद आया। इसके अलावा मदरसों के शिक्षकों को पढ़ाने और प्रबंधन का



प्रशिक्षण दिए जाने के विचारों की भी सराहना की गई। सच तो यह है कि पाठ्यक्रम में धार्मिक विषयों को निकाले बगैर आधुनिक विषयों को शामिल करने के लिए कई लोग राजी थे।

उर्दू पहचान का संकेतक या शिक्षा का माध्यम

जहां उर्दू कभी भी सिर्फ मुसलमानों की भाषा नहीं रही है, यह माना जाता है कि इसकी स्थिति खराब होने का कारण यह है कि उसे मुस्लिम समुदाय से जोड़कर देखा जाता है। विभाजन के बाद से हिंदी और उर्दू के मसले पर सांप्रदायिक तनाव, उर्दू के पतन का एक मुख्य कारण है। रातोंरात उर्दू का ज्ञान एक उपलब्धि की बजाय मुसीबत बन गया। संवैधानिक प्रावधान के तहत अनुच्छेद 351 ने इस बात पर और अधिक ध्यान आकर्षित किया, जिसमें लिखा था कि हिंदी को अपनी शब्दावली में संस्कृत शब्द का प्रयोग अधिक करना चाहिए। हिंदी के संस्कृतीकरण और कई हिंदीभाषी राज्यों में हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी के तीन-भाषीय सूत्र से बिगड़ी हुई सूरत के कारण अधिकतर सरकारी स्कूलों में उर्दू माध्यम से पढ़ाई को हतोत्साहित किया जाने लगा। कई स्कूलों ने तो उर्दू माध्यम से पढ़ाई को बंद ही कर दिया, जिससे मुस्लिमों की पूरी पीढ़ी की शिक्षा पर असर पड़ा।

स्वतंत्र भारत में उर्दू का मुस्लिमों की भाषा के रूप में पहचान और उसके राजनीतिकरण से उर्दू के विकास को बहुत धक्का लगा। स्कूली शिक्षा में उर्दू की अनदेखी स्पष्ट है और यह एक गंभीर बात है। उर्दू माध्यम के स्कूल आज भी बुरी हालत में हैं और इस बात की तसदीक उनके बोर्ड के परीक्षा परिणामों से की जा सकती है।

उर्दू माध्यम के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को बिना कोई पूर्व शिक्षा अनुभव के नियमित स्कूलों में पढ़ाई के लिए जाना पड़ता है, क्योंकि उर्दू भाषा का प्रयोग करने वाले आंगनवाड़ियों की संख्या का अभाव है। इससे उन्हें स्कूल के माहौल के लिए तैयार होने में असर पड़ता है। वे मुस्लिम बच्चे जो उर्दू माध्यम से पढ़ना चाहते हैं, पूर्व स्कूली शिक्षा से वंचित रह जाते हैं, जो उसके लिए मददगार साबित हो सकती थी। उर्दू माध्यम से प्रारंभिक शिक्षा पूरी करनेवाले छात्रों को आगे की शिक्षा पूरी करने में समस्या आती है क्योंकि उर्दू माध्यम के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय बहुत ही कम हैं। इसका मतलब यह हुआ कि जो बच्चे कक्षा पांच के बाद पढ़ाई जारी रखना चाहते हैं, उन्हें हिंदी, अंग्रेजी या अन्य क्षेत्रीय माध्यमों के स्कूलों में दाखिला लेना पड़ता है। स्कूल में नई भाषा को सही तरह से ना बोलने और समझ पाने के कारण उनके वार्षिक परिणाम प्रभावित होते हैं। इससे बहुत से छात्रों के लिए पढ़ाई जारी रखने में कठिनाई आती है। जो किसी तरह पढ़ाई जारी भी रख पाते हैं, बार-बार फेल होते रहने की वजह से उनकी पढ़ाई छोड़ देने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है।

हालांकि तीन-भाषीय सूत्र का क्रियान्वयन भी सही तरीके से नहीं हुआ है। दूसरी भाषाओं का प्रावधान नहीं होने से छात्रों को संस्कृत लेनी पड़ती है, बावजूद इसके कि कई राज्यों में उर्दू को दूसरी भाषा का दर्जा प्राप्त है। इस कारण संस्कृत अधिक महत्वपूर्ण भाषा बन जाती है, खासतौर से हिंदी भाषी क्षेत्रों में। संस्कृत पढ़ने की इच्छा नहीं होने के कारण मुस्लिम बच्चों का प्रदर्शन उसमें अच्छा नहीं रहता, जिससे उनके कुल अंकों का योग कम रह जाता है। इसी प्रकार छात्र उर्दू में माध्यमिक परीक्षा में भी शामिल नहीं हो पाते, क्योंकि इसका कोई प्रावधान ही नहीं है, मजबूरन उन्हें हिंदी में परीक्षाएं देनी पड़ती हैं।

इन समस्याओं को देखते हुए, बहुत से लोगों को लगता है कि माध्यमिक स्तर पर और उसके बाद उर्दू माध्यम से पढ़ाई नुकसानदायक हो सकती है। अच्छी पुस्तकों का अभाव और उर्दू माध्यम के छात्रों को रोजगार मिलने की निम्न दर से यह समस्या और भी बढ़ जाती है। बल्कि कुछ लोगों ने तो यहां तक कहा कि सरकार को मुस्लिम छात्रों को उनकी मातृभाषा में ही प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध कराने की व्यवस्था करानी चाहिए। पर इस बोझ को उच्च शिक्षा के लिए ढोने की जरूरत नहीं है। उर्दू अन्य भारतीय भाषाओं की तरह ही है और उसके प्रचार-प्रसार एवं अस्तित्व कायम रखने के अन्य तरीके ढूंढने होंगे।

**कई राज्यों में
अल्पसंख्यक शैक्षणिक
संस्थाओं को सरकार
द्वारा मान्यता देने में
प्रतिरोध गंभीर चिंतन
का विषय है।**

**जहां यह लगता है कि
वर्तमान शिक्षा पद्धति
मुस्लिम महिलाओं के
लिए बाधक है,
लड़कियां खुद पढ़ना
चाहती हैं।**

**बढ़ते सांप्रदायिक झगड़ों
की वजह से असुरक्षा की
भावना के शिकार
मुस्लिम माता-पिता
स्कूल में लड़कियों को
भेजने में हिचकते हैं।**



चुनाव समितियों में अल्पसंख्यक समुदाय की प्रतिनिधित्व की बाध्यता वाले पंद्रह सूत्री कार्यक्रम का भी अनुपालन नहीं किया जाता।

जरूरत इस बात की है कि निजी क्षेत्र में नियुक्ति प्रक्रिया में मुस्लिम भागीदारी को संवेदनशील बनाया जाए।

देश में आर्थिक तेजी के बावजूद मुस्लिमों को आर्थिक उदारीकरण की 'प्रतियोगी' शक्तियों का सर्वाधिक नुकसान उठाना पड़ना है।

अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान

कई राज्यों में अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं को मान्यता देने में प्रतिरोध गंभीर चिंतन का विषय है। यह साफ तौर पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 का हनन भी है। कई लोगों का आरोप था कि ऐसे संस्थानों को शुरु करने में काफी मुश्किलें आती हैं। इसमें पंजीयन के समय ली जाने वाली राशि इतनी अधिक होती है कि आर्थिक बोझ कई गुना बढ़ जाता है। कई बार सिर्फ साल भर के लिए मान्यता दी जाती है जिसका अगले वर्ष नवीनीकरण कराना होता है। नए पाठ्यक्रमों के लिए मंजूरी पाना काफी कष्टप्रद है। कुछ मामले ऐसे भी मिले, जहां समिति को अल्पसंख्यक संस्थानों के प्रति भेद-भाव और द्वेषपूर्ण रवैये के बारे में बताया गया। इन संस्थानों के अभाव पर समुदाय के शिक्षित होने के विकल्प काफी कम हो जाते हैं।⁵

महिला-शिक्षा

मुस्लिम महिलाओं की शिक्षा से जुड़ी काफी समस्याएं हैं। इनकी वजह से दाखिला और पढ़ाई जारी रखने की दर काफी कम है। इस निराशाजनक स्थिति में आशा की एक किरण है, जहां यह लगता है कि वर्तमान शिक्षा पद्धति मुस्लिम महिलाओं के लिए बाधक है, लड़कियां खुद पढ़ना चाहती हैं। सारे बोर्ड में मुस्लिम लड़कियों में शिक्षा के प्रति लगन और उत्साह है। विभिन्न राज्यों में बातचीत के दौरान एकत्रित जानकारियों में यह सबसे आश्चर्यजनक थी।

आमतौर पर आसपास कम स्कूल होने की वजह से मां बाप के पास बच्चों की पढ़ाई के दो ही विकल्प बचते हैं- महंगे निजी स्कूल या मदरसे। पूरे समाज में लिंगभेद के संदर्भ में लड़कियां उपेक्षा का शिकार होती हैं, क्योंकि गरीबी या अन्य वजहों से सिर्फ लड़कों को ही निजी स्कूलों में पढ़ाई के लिए भेजा जाता है। इसलिए मुस्लिम महिलाओं की अशिक्षा का कारण सिर्फ रुढ़िवादिता नहीं, बल्कि गरीबी और सामाजिक मजबूरी है, जिस कारण वे आधुनिक व धर्मनिरपेक्ष शिक्षा से वंचित हैं। स्कूल में नामांकन या छात्रवृत्ति के समय मुस्लिम महिलाएं प्रशासनिक भेद-भाव का शिकार होती हैं।

बढ़ते सांप्रदायिक झगड़ों की वजह से असुरक्षा की भावना के शिकार मुस्लिम माता-पिता सार्वजनिक यातायात का उपयोग कर अच्छे स्कूल में लड़कियों को भेजने में हिचकते हैं। ऐसा अक्सर प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद होता है, जिससे लड़कियों के पढ़ाई छोड़ने की दर बढ़ जाती है। सरकारी स्कूलों में उर्दू के खिलाफ व्यवस्थित रूप से भेद-भाव भी उनके पढ़ाई से दूर होने के प्रमुख कारणों में है। चूंकि अधिकतर राज्यों के स्कूल कोर्स से उर्दू को हटा लिया गया है, इसलिए मां बाप अपने बच्चों को मदरसे में भेजना अधिक पसंद करते हैं। महिलाओं की पहचान परंपरा निभाने वाली के रूप में होने और उनके नौकरियों से दूर रहने के कारण भी ऐसा अधिक होता है। कुछ लोग उर्दू की शिक्षा को संस्कृति से जोड़कर देखते हैं, इसलिए लड़कियों को उसका पोषक माना जाता है। इसके अलावा नियमित शिक्षा से नौकरी पाने की कम उम्मीद होने के चलते इसे प्राथमिकता नहीं दी जाती। कुछ अन्य लोगों के अनुसार, उर्दू के रोजगार या अर्थव्यवस्था से सीधे जुड़ाव नहीं होने के कारण उर्दू पढ़ने वाले लोग कहीं के नहीं रह जाते हैं। इसके अलावा उर्दू भाषा के अधिकतर संस्थानों में विज्ञान से संबंधित पाठ्यक्रम काफी सीमित हैं। महिलाएं मुस्लिम लड़कियों के लिए नियमित अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों के पक्ष में हैं।

4.2 रोजगार के अवसर और श्रम की मांग में कमी

सभी राज्यों में रोजगार के क्षेत्रों में मुस्लिमों की भागीदारी कम है। डिग्री और सर्टिफिकेट होने के बावजूद सरकारी और व्यवस्थित क्षेत्र में उन्हें रोजगार नहीं मिला। समिति का ध्यान शक्तिशाली पदों पर मुस्लिम प्रतिनिधि के अभाव की तरफ खींचा गया। प्रशासन, पुलिस और न्यायिक सेवा जैसे सार्वजनिक क्षेत्रों में मुसलमानों की बेहद कम भागीदारी भी गहन चिंतन का विषय है। साक्षात्कार के

⁵ कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि अल्पसंख्यक संस्थानों में सरकारी कोटा लागू करने से मुस्लिमों के लिए अवसर काफी कम हो गए हैं।



समय भेदभाव का कारण पैनल में मुस्लिमों का कम प्रतिनिधित्व है। चपरासी और समूह डी की नौकरियों में भी, जहां उच्च शैक्षणिक योग्यता चयन का आधार नहीं, वहां भी यही हालत है। चुनाव समितियों में अल्पसंख्यक समुदाय की प्रतिनिधित्व की बाध्यता वाले पंद्रह सूत्री कार्यक्रम का भी अनुपालन नहीं किया जाता। पुलिस सेवा में मुस्लिमों की कम भागीदारी पर कई बार चिंता जाहिर की गयी है। उच्चतर स्तर पर मुस्लिमों की भागीदारी न के बराबर है, वहीं सिपाहियों में भी उनकी संख्या काफी कम है। पुलिस बल में भर्ती के समय पक्षपातपूर्ण रवैये की शिकायतें आम हैं। कुछ राज्यों में योग्यता परीक्षा के लिए स्थानीय भाषा और कई बार हिंदू धर्म के बारे में पर्याप्त ज्ञान मांगा गया, इससे भी उर्दू भाषी मुसलमानों को नुकसान उठाना पड़ा। बार-बार ऐसी घटनाएं होने से इन युवकों का आत्मविश्वास डिगा है और वे असफल होने के डर से प्रतियोगिता में हिस्सा ही नहीं लेते। चूंकि उनकी राजनीतिक भागीदारी भी सीमित है, इसलिए मुसलमानों के हक के लिए पर्याप्त आवाजें भी नहीं उठतीं।

निजी क्षेत्र में मुसलमानों की हिस्सेदारी और भी निराशाजनक है। जरूरत इस बात की है कि निजी क्षेत्र में मुस्लिम भागीदारी को संवेदनशील बनाया जाए, जिससे नियुक्ति प्रक्रिया में सकारात्मक भेद और कार्य के माध्यम से वे शामिल हों। बीपीओ इंडस्ट्री में मुस्लिमों को रोजगार के अवसर प्राप्त हुए हैं। अंग्रेजी में निपुणता एक मात्र योग्यता होने के कारण ऐसा संभव हुआ। चूंकि यहां सिर्फ बाजार की मांग के हिसाब से रोजगार मिलते हैं और जाति धर्म का भेद नहीं है। जहां यह बात बड़ी कंपनियों में आंशिक रूप से सच हो सकती है, वहीं छोटी और मझोली कंपनियों में उन्हें बराबरी का दर्जा हासिल नहीं है।

आर्थिक उदारीकरण और जीवनयापन

पारंपरिक रोजगार समाप्त होने के कारण जीवनयापन के साधनों की अनुपलब्धता मुस्लिमों के पिछड़ेपन का प्रमुख कारण है। देश में आर्थिक तेजी के बावजूद मुस्लिमों को 'प्रतियोगी' शक्तियों का सर्वाधिक नुकसान उठाना पड़ना है। आंतरिक और बाह्य उदारीकरण की वजह से आयात बढ़े हैं और निर्माण कंपनियों में लगे कर्मी विस्थापित हुए, उनका रोजगार छिना है। मुस्लिम अधिकतर आर्थिक रूप से अव्यवस्थित पेशों में संलग्न हैं, जिसमें उन्हें शायद ही कोई सुरक्षा मिल पाती है। नतीजतन, उदारीकरण का सबसे अधिक नुकसान वही उठा रहे हैं। उदारीकरण से सिल्क उत्पादन, कपड़ा बुनने, चमड़े के सामान बनाने, गाड़ियां ठीक करने और सिलाई कढ़ाई जैसे पुरतैनी धंधे से जुड़े मुस्लिमों पर मुसीबत आ गयी है। चीन से सिल्क का आयात और उससे सिल्क वस्त्र निर्माण उद्योग पर बुरे प्रभाव पर भी प्रतिक्रिया मिली। सिले-सिलाए वस्त्रों के लोकप्रिय होने से मुसलमान दर्जियों का काम ठप्प हो गया। नियमतः इन कामगारों को नई उत्पादन श्रृंखला की कड़ी बन जाना चाहिए, अगर उनके पास उचित साधन और कुशलता हो। सरकारी मदद योजना के तहत साधारण सिलाई मशीन की मदद बेकार है, जो कामगार किसी तरह काम चला भी रहे हैं, उन्हें भी बुनियादी संरचना (महंगा बिजली), महंगा कच्चा माल, कर्ज की अनुपलब्धता और मार्केटिंग कुशलता की कमी से समस्या होती है। इससे दलालों को शोषण का मौका मिलता है। दलाल काफी कम वेतन पर उनसे अत्यधिक काम लेते हैं। उदारीकरण के दौर में उनके लिए नए कौशल सिखाने और ढांचे के विकास के जरिये पुनर्वास कर मदद पहुंचाई जा सकती है। विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण से उन्हें नए तरीके से उद्योगों में आसानी से काम मिल सकता है। दसवीं पास नहीं भी हों तो भी उन्हें तकनीकी प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। आसान कर्ज और उचित मार्केटिंग सहायता दूसरी आवश्यक जरूरतें हैं। इस संदर्भ में व्यावसायिक शिक्षा पर भी जोर दिया गया। ऐसी शिक्षा कामगारों के बच्चों के लिए नए अवसर उपलब्ध कराएगी।

महिलाओं के रोजगार से संबंधित मसले

बहुत सी मुस्लिम महिलाएं स्वरोजगार तथा घरेलू उद्योगों में संलग्न हैं। इनमें से अधिकतर सिलाई, कढ़ाई, चिकन-जरी के काम, सिले-सिलाए कपड़े, अगरबत्ती, मोमबत्ती, पापड़ और बीड़ी आदि बनाने के पेशे से जुड़ी हैं। काफी कम आय, बदतर माहौल, सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा का लाभ का

**पारंपरिक रोजगार से
विस्थापित हुए मुस्लिमों
का जीवनयापन का
साधन छिना है।**

**कर्ज और उचित
मार्केटिंग सहायता
आवश्यक जरूरतें हैं।**

**मुस्लिम महिलाएं बेहतर
काम की परिस्थितियों
के लिए मोल-भाव नहीं
कर पातीं क्योंकि
ज्यादातर वे ठेकेदारों के
लिए काम करती हैं।**



कई बैंक मुस्लिम सघन आबादी वाले इलाके को नकारात्मक क्षेत्र बताकर कर्ज नहीं देते।

सघन मुस्लिम आबादी में और संरचनात्मक सुविधाओं की कमी

मुसलमानों का स्वास्थ्य, खासकर महिलाओं का, सीधे तौर से गरीबी, और जन सुविधाओं की कमी जैसे पीने के साफ पानी की अनुपलब्धता और सफाई न रखने से जुड़ा है।

अभाव और मोलभाव न कर पाने की मजबूरी उनके काम से मुख्य तौर पर संबंधित है। बहुत से राज्यों में घरेलू उद्योग संरचना तबाह हो गई है, जिससे गरीब मुस्लिम महिलाएं पाई-पाई को मोहताज हो गई हैं।

मुस्लिम महिलाओं का घरेलू उद्योगों में काम करना एक मजबूरी भी है, क्योंकि रोजगार के सामान्य उपक्रमों में उनके साथ भेद-भाव होता है। वे गरीबी के दुष्चक्र में फंसी हैं, जिस वजह से उनमें शिक्षा और तकनीकी कुशलता का अभाव है। इसकी वजह से वह लगातार काम करके भी गरीब ही बनी रहती है। वे बेहतर काम की परिस्थितियों के लिए मोल-भाव नहीं कर पातीं क्योंकि ज्यादातर वे ठेकेदारों के लिए काम करती हैं। सामाजिक-सांस्कृतिक कारणों से वे अधिक गतिशील नहीं हो सकती, जिससे उनकी आमदनी और रोजगार के अवसर सीमित रह जाते हैं। वे स्वतंत्र रूप से बाजार तक नहीं जा सकती, कर्ज की सुविधा और नई कुशलता पाने के मौके का इस्तेमाल नहीं कर सकती। उन्हें कर्ज देने में भी भेदभाव किया जाता है। गरीब मुस्लिमों के बढ़ते सामूहिकीकरण से घरेलू उद्योगों से जुड़ी महिला कामगार अलग-थलग पड़ जाती हैं, संचार के साधनों से कट जाती है और नतीजतन वे सहकारी समितियां भी नहीं बना सकती। बहुत से घरेलू काम धंधे से जुड़े लोग उत्पादन क्षेत्र में इतने नीचे हैं कि वे सिर्फ दलालों के साथ ही काम करते हैं और यह भी नहीं जानते कि वे किसके लिए काम कर रहे हैं। सरकारी अल्प वित्तीय कार्यक्रम जैसे स्वयं सहायता समूह जलाच्छादित कार्यक्रम और पंचायती राज में मुस्लिम महिलाओं की भागीदारी बहुत कम है। इसे बढ़ाने के प्रयास जरूरी हैं। यह भी आवश्यकता महसूस हुई कि सरकार को स्कूल ड्रेस आदि बनाने के लिए मुस्लिम महिलाओं को सीधे ठेका दिया जाना चाहिए ताकि बिचौलिए की भूमिका कम से कम हो सके।

4.3 कर्ज बाजार में कमी

सरकारी और निजी क्षेत्र के बैंक द्वारा कर्ज दिए जाने में भेदभाव आम है और यह मसला कई राज्यों में उठ चुका है। यह भी आरोप लगा कि कई बैंक मुस्लिम सघन आबादी वाले इलाके को नकारात्मक क्षेत्र बताकर कर्ज नहीं देते। इसके अलावा बैंकों द्वारा जरूरी सरकारी अधिकारी की गारंटी मुस्लिमों के लिए मुश्किल है, क्योंकि उनकी वहां तक पहुंच आसान नहीं है। इसका एक कारण यह है कि पर्याप्त सरकारी अधिकारी मुसलमान नहीं हैं और दूसरा यह कि गैर-मुस्लिम अधिकारी उनकी गारंटी देना नहीं चाहते। इससे गरीब मुसलमान सबसे अधिक प्रभावित होते हैं।

यहां तक कहा गया कि राष्ट्रीयकृत बैंक भी सरकार द्वारा प्रायोजित योजना के तहत मुस्लिमों को कर्ज देने में हिचकते हैं। सरकार भी इस पर ध्यान नहीं देती कि इन योजनाओं के क्रियान्वयन से मुस्लिमों व अन्य अल्पसंख्यकों को कितना लाभ हुआ है। ऐसा नियमित रूप से होना चाहिए और लचर रवैया अपनाने वालों के साथ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। कर्ज बाजार की यह 'कमी' मुस्लिम आबादी वाले इलाकों में राष्ट्रीय, निजी और सहकारी बैंकों के न होने से और भी बढ़ जाती है।

कुछ लोगों को लगता है कि मुस्लिम व्यवसायियों के लिए अलग वित्तीय संस्थान बनाए जाने चाहिए। दूसरे लोग सोचते हैं कि वर्तमान वित्तीय अल्पसंख्यक संस्थान असफल रहे हैं और विकेंद्रित अल्प कर्ज योजना (स्वयं सहायता समूह से संबद्ध) सबसे अच्छा विकल्प है। उदाहरण के तौर पर मुस्लिम महिला व्यवसायियों द्वारा चलाए जा रहे और स्वयं सहायता समूह का अनुसरण किया जा सकता है।

4.4 सरकारी कार्यक्रम व संरचना तक पहुंच और उपयोग

विभिन्न राज्यों में मुस्लिम समुदाय द्वारा बराबर जन और संरचनात्मक सुविधाओं की कमी के बारे में गंभीर शिकायतें मिली। सघन मुस्लिम आबादी में खराब सड़कें, यातायात व्यवस्था की कमी, सफाई, बिजली, पानी व जनस्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव है। अधिकतर जगहों पर आंगनबाड़ी केंद्र, राशन दुकान व सरकारी स्कूल तक नहीं है। जहां अधिकारियों ने इसे उपलब्ध कराने में भेदभाव के आरोप को खारिज किया, वहीं निवासी भेदभाव को ही कारण मानते हैं। कुछ लोग इसे ऐतिहासिक कारणों से जोड़ते हैं और साधारण रूप से 'विकास की कमी' मानते हैं। दूसरे सोचते हैं कि स्थानीय



स्व-सरकारी निकायों में मुस्लिमों की कम भागीदारी के कारण इन इलाकों में विकास के लाभ नहीं पहुंचे।

दूसरी शिकायत बिजली व सड़कों जैसी संरचना के अभाव से जुड़ी है। इससे कामगार और कलाकार मुसलमानों के जीवनयापन पर बुरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि खासतौर पर उचित कीमत देने वाले (अंतर्राष्ट्रीय) खरीदार संरचनात्मक सुविधा का ध्यान रखकर ही वहां पहुंचते हैं। मुस्लिम व्यवसायियों के लिए यह समस्या और भी बढ़ जाती है, क्योंकि ठीक-ठाक उपलब्ध सुविधाओं वाले औद्योगिक केंद्र उन इलाकों से बाहर हैं। असुरक्षा की भावना के कारण मुसलमान औद्योगिक इलाकों में जमीन खरीदना नहीं चाहते।

मुसलमानों का स्वास्थ्य, खासकर महिलाओं का, सीधे तौर से गरीबी से जुड़ा है। पीने के साफ पानी की अनुपलब्धता और सफाई न रखने की वजह से जुड़े कृपोषण, रक्त की कमी और विभिन्न प्रकार की अन्य बीमारियों के कारण उनकी औसत आयु काफी कम हो जाती है। दंगाग्रस्त इलाकों में कई सारी सामाजिक-मानसिक समस्याएं जैसे-तनाव, निराशा और दुर्घटना के बाद होने वाले मनोरोग महिलाओं में विशेष तौर पर पाए गए हैं। सघन आबादी वाले मुस्लिम इलाकों में महिला स्वास्थ्य सेवा अन्य श्रेणियों से बदतर हालात में है। यहां तक कि प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा प्राप्त करने के लिए उन्हें काफी दूर जाना पड़ता है। सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्रों में किया जाने वाला अशोभनीय व्यवहार उन्हें वहां जाने में हतोत्साहित करता है। वे अपने ही समुदाय के स्थानीय स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को पसंद करती हैं, चाहे वे कम योग्य ही क्यों न हो। स्वास्थ्य सुविधाओं का उपयोग करने में मुस्लिम महिलाओं की झिझक के कारण निजी डॉक्टर उनका जमकर शोषण करते हैं। कुछ केंद्र जहां महिला डॉक्टर भी हैं, वे शहरी इलाके में केंद्रित हैं, जिससे मजबूरीवश ग्रामीण जनता को बिना जन स्वास्थ्य सेवा के ही जीना पड़ता है। सघन मुस्लिम आबादी वाले इलाके में पीने के साफ पानी और सफाई की कमी पर भी चिंता जाहिर की गयी।

बहुत लोग सोचते हैं कि मुस्लिम महिलाओं के बीच जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम और तरीकों का इस्तेमाल प्रभावी तरीके से नहीं पहुंचा है। मुस्लिमों में प्रजनन की उच्च दर, आंशिक रूप से जानकारी के अभाव और सस्ती स्वास्थ्य सेवा सुविधाओं की गैर-उपलब्धता के कारण हैं। इसके अलावा कई बार महिलाएं ऐसे स्वास्थ्य केंद्रों में नहीं जाती हैं, जहां महिला चिकित्सक न हों।

मुस्लिमों, खासतौर से महिलाओं की सरकारी विकास योजनाओं तक कोई पहुंच नहीं है। उन्हें गरीबी रेखा से नीचे आने वाले लोगों के लिए चलाई जा रही जवाहर रोजगार योजना से लाभान्वित होने, घर बनाने के लिए लोन मिलने और विधवा पेंशन पाने इत्यादि में भेदभाव झेलना पड़ता है। कई बार मुस्लिम ओबीसी को मिले आरक्षण के लाभ नहीं उठा पाते, क्योंकि अधिकारी उनके लिए जरूरी जाति-सूचक सर्टिफिकेट ही जारी नहीं करते। यह भी आरोप लगाया गया कि कई योग्य अन्य पिछड़े, वर्गों को अधिकारियों ने सूची में शामिल ही नहीं किया, जिससे कि समुदाय को कई लाभों से वंचित रहना पड़ा। बहुत सी मुस्लिम महिलाओं के साथ नये राशन कार्ड के लिए आवेदन करते समय अधिकारियों के द्वारा दुर्व्यवहार झेलना पड़ता है। सरकारी सेवाओं से उनका पृथक्कीकरण इस हद तक है कि गरीब मुस्लिमों में एक बड़ी संख्या के पास गरीबी रेखा से नीचे होने का सूचक कार्ड तक नहीं है। जाति एवं आय संबंधी प्रमाण-पत्रों के अभाव में उन्हें स्कूल से मुफ्त यूनीफार्म और कॉलेज में छात्रवृत्तियां नहीं मिल पाती हैं। बढ़ते हुए सामूहिकीकरण के संदर्भ में स्वास्थ्य, स्कूल, राशन, निगम व सरकारी दफ्तरों जैसी सामाजिक सेवाओं के अभाव से सबसे ज्यादा महिलाएं प्रभावित होती हैं क्योंकि वे अन्य जगहों पर उन सुविधाओं के उपभोग के लिए आस-पास के 'सुरक्षित' इलाकों से बाहर निकलना नहीं चाहतीं। ग्राम पंचायत से लेकर संसद तक निर्णय लेने वाले पदों पर मुस्लिम महिलाओं की लगभग कोई मौजूदगी नहीं है। यहां तक कि उन्हें सरकार द्वारा स्थापित अल्पसंख्यक भलाई के लिए संस्थानों में भी जगह नहीं मिलती।

बहुत लोग सोचते हैं कि मुस्लिम महिलाओं के बीच जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम और तरीकों का इस्तेमाल प्रभावी तरीके से नहीं पहुंचा है।

कई राज्यों में मुस्लिमों के नाम मतदाता सूची में शामिल ना होना आम है।



4.5 राजनीति में भागीदारी, सरकार और समानता

जैसा कि पहले भी कहा गया है, समिति से बातचीत करने वाले कई लोगों को लगता है कि सरकार में पर्याप्त 'मुस्लिमों की आवाज' के प्रतिनिधित्व का अभाव है। यहां तक कि स्थानीय एवं सरकार निकायों और दूसरे जमीन से जुड़े संस्थानों में भी मुस्लिमों के न होने से मुस्लिमों की परिस्थितियां पिछड़ रही हैं। उनकी नजर में, सरकारी ढांचे में प्रतिनिधित्व और राजनैतिक भागीदारी समानता के लिए जरूरी है। बहुत से लोगों ने यह आरोप लगाया कि मुस्लिमों की इस भागीदारी को रोकने के लिए कई तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं। इस संदर्भ में दो खास घटनाओं के बारे में चर्चा हुई:-

**कई मुस्लिम बहुल
चुनाव क्षेत्रों को
'आरक्षित' घोषित किया
गया।**

मुस्लिमों को मतदाता सूची में शामिल नहीं किया जाना :-

यह बात सामने आई कि कई राज्यों में बहुत से मुस्लिमों के नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं थे। इससे न सिर्फ इनकी शक्ति क्षीण हो जाती है, बल्कि वे सरकारी योजनाओं से लाभान्वित होने से भी वंचित रह जाते हैं।

आरक्षित चुनाव क्षेत्रों के बारे में ज्ञापन :- मुस्लिम बहुल चुनाव क्षेत्रों को 'आरक्षित' घोषित किए जाने, जहां से सिर्फ अनुसूचित जाति के उम्मीदवार ही चुनाव लड़ सकते हैं, की ओर भी समिति का ध्यान खींचा गया। लोगों का यह मानना था कि इस कदम द्वारा सोचे-समझे तरीके से मुस्लिमों को राजनैतिक भागीदारी से रोका जा रहा है।

जहां समिति मतदाता सूचियों के मुद्दे पर नजर नहीं डाल सकी, आरक्षित चुनाव क्षेत्रों के बारे में तथ्यों की सच्चाई जानने का प्रयास किया गया। हमारा विश्लेषण दिखाता है कि उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल (परिशिष्ट 2.1 देखें) के तीन राज्यों में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित चुनाव क्षेत्रों के संबंध में ऊपर लगाए गए आरोप सच हैं।

5. परिणाम के स्थान पर

पिछले भागों में बताई गई समस्याएं मात्र मुस्लिमों से ही नहीं जुड़ी हैं, बल्कि सभी वंचित सामाजिक-धार्मिक श्रेणियां उसे झेल रही हैं। पहचान की समस्या और सुरक्षा की भावना के कारण मुस्लिम इस समुदाय विशेष से जुड़ी समस्याएं मानते हैं और उन पर ध्यान दिए जाने की जरूरत है। समुदाय में विचार की विविधता के बारे में पहले भी बात की गयी है। पहचान सुरक्षा और समानता में किस राज्य में कितना महत्व दिया जाय, इसपर काफी क्षेत्रीय भिन्नता है।

**सकारात्मक कदम,
विशेष तौर पर, आरक्षण
दिए जाने की मांग
सर्वव्यापी थी।**

जैसे समस्याओं को समझने का तरीका अलग-अलग था, उन्हें कैसे हल किया जाए, इसके बारे में भी विचारों में भिन्नता थी। सकारात्मक कदम, विशेष तौर पर, आरक्षण दिए जाने की मांग सर्वव्यापी थी। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि समानता को बढ़ाने के लिए जो नीतियां बनाई जाएं, उनमें महज एक समान व्यवहार किए जाने पर ही नहीं, बल्कि एक समान परिणामों को भी लक्ष्य बनाया जाना चाहिए। रोजगार और शैक्षणिक संस्थानों में मुस्लिमों के लिए आरक्षण या अलग कोटा होने को इसका एक उपाय माना गया। कुछ लोगों को लगा कि आरक्षण दुधारी तलवार है जिससे नकारात्मक असर पड़ सकता है। कुछ और लोगों का मानना था कि अच्छी शैक्षणिक सुविधाएं और भेदभाव रहित प्रक्रिया मुस्लिमों को प्रतियोगिता में उतरनेके लिए पर्याप्त है।

जो आरक्षण नीतियों के पक्षधर थे, इस बात पर बंटे हुए थे कि उनसे किन्हें लाभान्वित होना चाहिए। जहां कुछ लोग सिर्फ 'दलित' मुस्लिम के लिए यह सुविधा उपलब्ध कराने की बात कर रहे थे, अन्य लोग पूरे समुदाय को इससे लाभ मिलने का सुझाव दे रहे थे। कुछ लोग आरक्षण के लिए आर्थिक आधार को आदर्श मानते हैं क्योंकि अधिकतर मुस्लिम आर्थिक रूप से गरीब हैं। कुछ अन्य लोग समझते हैं कि यह आधार वहां असफल रहेगा, जहां सामाजिक भेदभाव के कारण समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। बहुतों ने सुझाव दिया कि मुस्लिमों के लिए आरक्षण का उचित तरीका यह है कि उन्हें धार्मिक आरक्षण के बजाय अन्य पिछड़े वर्ग के कोटा के तहत रोजगार और आर्थिक विकास के अवसर मुहैया



कराए जाएं। इसके लिए मुस्लिमों को वर्तमान 'जातीय' श्रेणियों का कोटा में जगह पाने के लिए भरपूर उपयोग करना चाहिए। संवैधानिक रूप से संभव होने के साथ-साथ इसको कुछ जायज भी माना जाता है। अंत में मुस्लिमों को अनुसूचित जाति से कोटा ना मिलने पर आवाज उठाई गई जबकि मजहबी सिख और धर्मांतरण कर बौद्ध बनने वालों के लिए यह सुविधा उपलब्ध है।

लगभग सभी मुस्लिम एकमत थे कि मुस्लिमों के पिछड़ेपन से जुड़े मुद्दे आंकड़े उपलब्ध कराने और उनका आकलन किए जाने की जरूरत है। आंकड़ों की जरूरत पर कोई बहस नहीं हुई क्योंकि सिर्फ उनसे ही पता चल सकता है कि मुस्लिमों में पिछड़ेपन पक्षपात की वजह से नहीं है। इस विषय में पक्षपात के बारे में ना मुकरना भी आंकड़े इकट्ठे करने की जरूरत को साफ तौर पर संकेत करता है। नियमित समीक्षा और विस्तृत आंकड़ों पर सक्रिय निर्देशन मुस्लिम जनता से सरकारी कार्यक्रमों की पहुंच को बढ़ाने के लिए जरूरी है।

बहुत से लोगों को लगता है कि जानकारी देने में असफलता को कम करने से भी कुछ समस्याएं सुलझ सकती हैं। नौकरियों, सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में समुदाय तक प्रभावी तरीके से जानकारी ना पहुंचने पर चिंता व्यक्त की गई। ऐसी जानकारी को मीडिया के माध्यम से उनकी भाषा, जैसे-उर्दू में, उन तक पहुंचाने का प्रयास करना चाहिए। यह भी सुझाव दिया गया कि सलाह केंद्र स्थापित करने की जरूरत है, जिससे लोग अपने लिए योजनाओं के बारे में जान सकें और उन तक पहुंच सकें। जानकारी के अभाव में मुस्लिमों के लिए सरकारी धन का पूरा उपयोग नहीं हो पाता।

प्रजातांत्रिक सरकार की जिम्मेदारी होती है कि उसका कोई भी नागरिक भेदभाव के कारण पिछड़ा न रह जाए। अगर इसके अलावा भी कोई कारक हैं तो सरकार को उस पिछड़ेपन को भी दूर करना चाहिए। साथ ही स्वयं-सहायता समूह इन समस्याओं से मुक्ति पाने का सबसे दूरगामी उपाय है। वक्फ की संपत्ति का बेहतर उपयोग, दान की पारंपरिक व्यवस्थाओं, जैसे कि जरूरत के द्वारा उपलब्ध राशि का शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए बेहतर उपयोग और प्रजातांत्रिक प्रक्रियाओं की अधिक सक्रिय भागीदारी से भी समुदाय की काफी मदद हो सकती है।

इस अध्याय में बताए गए दृष्टिकोण और धारणाएं तथा नीतिगत कदम बाकी की रिपोर्ट के लिए मोटे तौर पर संदर्भ पेश करते हैं। बाकी के अध्याय ज्यादातर समानता से संबंधित मुद्दों पर केंद्रित है और संख्यात्मक आंकड़ों पर निर्भर है। इनमें से बहुत सी धारणाओं और अन्य कई मुद्दों के बारे में आगे के अध्यायों में बताया गया है।

मुस्लिमों को अनुसूचित जाति से कोटा ना मिलने पर आवाज उठाई गई जबकि मजहबी सिख और धर्मांतरण कर बौद्ध बनने वालों के लिए यह सुविधा उपलब्ध है।

लगभग सभी मुस्लिम एकमत थे कि मुस्लिमों के पिछड़ेपन से जुड़े मुद्दे आंकड़े उपलब्ध कराने और उनका आकलन किए जाने की जरूरत है।



भारत में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति



मुसलमानों की जनसंख्या, वितरण और स्वास्थ्य

परिचय

भारत में मुसलमान दूसरे सबसे बड़े धार्मिक समुदाय के रूप में हैं और इसलिए वे सबसे बड़े धार्मिक अल्पसंख्यक हैं। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार मुस्लिमों की आबादी 13 करोड़ 80 लाख और वर्ष 2006 तक 15 करोड़ से ऊपर होने का अनुमान है। इस तरह विश्व में सबसे अधिक मुसलमान इंडोनेशिया के बाद सिर्फ भारत में हैं। उनकी आबादी पाकिस्तान और बंगलादेश की कुल संख्या के बराबर है। इसके अलावा यह संख्या दुनिया के कई देशों की कुल आबादी से भी ज्यादा है। भारत की आबादी काफी अधिक है और वर्ष 2010 तक प्रजनन स्तर के मामले पर इसकी जनसंख्या नीति बदलाव की ओर उन्मुख है। परंतु इसके लागू होने में संदेह है क्योंकि प्रजनन क्षमता को रोकने के आधुनिक तरीकों को प्रचारित करने व अपनाने में जबरदस्ती से काम लिया जाता है। भारतीय जनसंख्या नीति इस पर ध्यान नहीं देती कि परिवार के आकार पर फैसला लेते समय किन आर्थिक-सामाजिक पहलुओं का ध्यान रखा जाए। उदाहरण के तौर पर अब तक कोई उल्लेखनीय और भरोसेमंद सामाजिक सुरक्षा नीति उपलब्ध नहीं है, जिस वजह से लोग बुढ़ापे के सहारे के रूप में अधिक बच्चे चाहते हैं। यह भी सही है कि समय के साथ परिवार का आकार कम हुआ है। जनसंख्या कार्यक्रम औरतों के प्रजनन क्षमता को रोकने के लिए अधिक प्रयत्नशील है, जबकि अन्य विकल्पों का इस्तेमाल नहीं होता। इस तथ्य की समझ कम है कि आविष्कार विकास और समानता ही नागरिकों को परिवार के आकार निर्धारण में मदद करती है। महिलाओं के शिक्षित होने से इसमें काफी सुधार हुआ है और शिशु मृत्युदर, प्रजनन दर कम हुई है। इससे उनके सामान्य विकास में मदद मिली है।

यों तो भारत में हाल के वर्षों में सभी मुख्य धर्मों के लोगों की आबादी काफी बढ़ी है, पर मुस्लिम जनसंख्या वृद्धि की दर औसत से अधिक है। स्वतंत्रता के पहले भी आबादी बढ़ने में धार्मिक अंतर पाया गया था। पर पिछले दशक में आबादी वृद्धि के रूझान बदल गए हैं। जनसंख्या कम तो नहीं हुई, पर उसकी वृद्धि दर में कमी आई है। यह दर 1981 से 1991 के बीच 23.9 फीसदी थी, वहीं 1991 से 2001 के बीच 21.5 फीसदी रही। यह वृद्धि हिंदू और मुस्लिम, दोनों बड़े धार्मिक संप्रदायों में कम रही। मुस्लिमों में जनसंख्या वृद्धि दर में 3.4 फीसदी और हिंदुओं में 2.8 फीसदी कमी आई। बढ़त के अंतर को कम करने में इससे मदद मिली और यह संकेत है कि वृद्धि दर एक समान हो सकती है।

यह अध्याय हाल में हो रहे जनसंख्या के बदलाव के हिसाब से भारत के मुसलमानों की जनसंख्या का अध्ययन करता है। चूंकि भारत में सांस्कृतिक विविधता है और देश काफी बड़ा भी है, भारत

वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार मुस्लिमों की आबादी 13 करोड़ 80 लाख और वर्ष 2006 तक 15 करोड़ से ऊपर होने का अनुमान है।

भारतीय जनसंख्या नीति इस पर ध्यान नहीं देती कि परिवार के आकार पर फैसला लेते समय किन आर्थिक-सामाजिक पहलुओं का ध्यान रखा जाए।



अध्याय हाल में हो रहे जनसंख्या के बदलाव के हिसाब से भारत के मुसलमानों की जनसंख्या का अध्ययन करता है।

समय के साथ सभी मुख्य धर्मों में तेजी से जनसंख्या वृद्धि हुई है तथा मुस्लिम आबादी 4 करोड़ 70 लाख से बढ़कर काफी तेजी से 13 करोड़ 80 लाख हो गई है।


के राज्यों में प्रजनन और मृत्यु दर में बदलाव अलग-अलग चरणों में है। इसलिए जहां भी जरूरी है, वहां मुस्लिम जनसंख्या का जगह के हिसाब से वितरण और प्रदेश व क्षेत्रों में जनसंख्या में विभिन्नता के बारे में भी उल्लेख किया गया है। बाकी का अध्याय सात भागों में विभाजित है। भाग 3.2 में राष्ट्रीय स्तर पर मुस्लिम आबादी के आकार, वृद्धि और हिस्से के स्तर और रिवाज के बारे में बताया गया है। 3.3 में उसके वितरण, 3.4 में आयु-लिंग का अनुपात और 3.5 में शहरीकरण के बारे में बताया गया है। इसके भाग में 3.6 में जनसंख्या की गतिशीलता का आकलन किया गया है, जैसे कि मृत्यु दर (विशेष तौर पर नवजात शिशु और शिशु मृत्यु दर), प्रजनन और पलायन दर। इसके अलावा 3.7 में शिशु पोषण के बारे में बात की गई है। अंत में भाग 3.8 में, जनसंख्या वृद्धि के भविष्य और निष्पक्ष और गैर-राजनीतिक सोच के साथ भारत की धार्मिक जनसंख्या के बारे में बातचीत की गई है।

2. जनसंख्या का आकार और वृद्धि

बीसवीं सदी की शुरुआत में, विभाजन के बाद के इलाकों में मुस्लिम जनसंख्या तीन करोड़ के करीबी थी और 1921 तक बाकी जनसंख्या की तरह बहुत धीरे-धीरे बढ़ी और उसके बाद औसत दर से बढ़ी। विभाजन के समय बड़े पैमाने पर पलायन हुआ और जब 1961 में रुका तो भारत की मुस्लिम आबादी चार करोड़ सत्तर लाख हो गई थी, जो 43 करोड़ 90 लाख की कुल आबादी का लगभग 10 प्रतिशत थी। 2001 में हुई जनगणना के अनुसार, भारत की कुल आबादी 102 करोड़ 90 लाख में से, 13 करोड़ 80 लाख मुसलमान है।

1961 के बाद, भारत की जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ी। 1990 तक ज्यादातर सालाना दो प्रतिशत से अधिक दर से बढ़ी और 1961 के बाद के चार दशकों में से हर एक में 20 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई। वृद्धि तकरीबन एक सी ही रही, पर सदी के अंत में कुछ कमी आई। 1961 से 2001 के बीच के चालीस वर्षों में आबादी दुगुनी से भी ज्यादा हो गई। 43 करोड़ 90 लाख से बढ़कर 102 करोड़ 90 लाख हो गई यानी 134 फीसदी की वृद्धि। मृत्यु दर के काफी कम हो जाने से वृद्धि में तेजी आ गई। हालांकि प्रजनन दर भी घटी है परंतु मृत्यु दर जितनी नहीं। समय के साथ सभी मुख्य धर्मों में तेजी से जनसंख्या वृद्धि हुई है तथा मुस्लिम आबादी 4 करोड़ 70 लाख से बढ़कर काफी तेजी से 13 करोड़ 80 लाख हो गई है। (परिशिष्ट तालिका 3.1)। इनमें 194 फीसदी का इजाफा हुआ, जो 134 की औसत वृद्धि से कहीं ज्यादा है और जनसंख्या के तिगुनी होने से थोड़ी ही कम है। 1961 के बाद के चार दशकों में से प्रत्येक में मुस्लिम आबादी की वृद्धि दर 30 प्रतिशत के आस-पास है और हाल के दशक में यह स्तर 30 प्रतिशत से थोड़ा ही कम था।

चित्र 3.1: भारत में जनसंख्या वृद्धि और हिस्सेदारी का रुझान 1961-2001



1961-2001 के बीच मुस्लिमों की सालाना वृद्धि दर थी 2.7 प्रतिशत, जो राष्ट्रीय औसत दर 2.1 प्रतिशत से कहीं ज्यादा थी। हिंदू और ईसाइयों की वृद्धि दर 2 प्रतिशत औसत से थोड़ी ही कम थी। जैनों की वृद्धि दर 1.8, पर औसत से और भी कम थी, जबकि सिख और बौद्ध की वृद्धि दर 2.2 पर औसत से थोड़ी ज्यादा थी। हिंदुओं और मुसलमानों को छोड़कर सभी धार्मिक समूहों की वृद्धि दर में कुछ बदलाव आए हैं। ईसाइयों के 1961-71 में काफी तेजी से वृद्धि के पश्चात अगले दो दशकों में धीमी गति से वृद्धि दर्ज की गई जबकि सिखों की वृद्धि दर नब्बे के दशक में बहुत तेजी से गिरी। बौद्ध और जैनों में अनियमितता दिखती है, जिसका कारण समुचित करने में गलतियाँ और धर्मांतरण हो सकता है।



विशेषतौर से जब कई दलितों ने बौद्ध धर्म अपना लिया।

जैसा कि पहले भी बताया गया है, पिछले जनगणना के दशकों में वृद्धि में उलट-फेर हुआ है और कमी आई है, तथा 1981-91 में 23.9 प्रतिशत से घटकर 1991-2001 में वृद्धि दर 21.5 प्रतिशत रह गई थी। यह कमी दोनों हिंदुओं और मुस्लिमों में दर्ज की गई, परंतु मुसलमानों में अधिक कमी आई। (चित्र 3.1)

1961 में भारत की कुल आबादी में हिंदुओं की भागीदारी सबसे अधिक (83.5 प्रतिशत) थी, उसके बाद 10.7 प्रतिशत की भागीदारी के साथ मुसलमान थे तथा दूसरे अल्पसंख्यकों की संख्या और भी कम थी- मुसलमानों की संख्या 2.4 प्रतिशत थी जबकि 1.8 प्रतिशत सिख थे और बौद्ध एवं जैन कुल आबादी के 1 प्रतिशत से भी कम थे। (परिशिष्ट तालिका 3.1) । 2001 तक, हिंदुओं का हिस्सा घटकर 80.5 प्रतिशत हो गया, जबकि मुसलमानों का बढ़कर 13.4 प्रतिशत हो गया। 1961 से 2001 में यह 2.7 प्रतिशत की वृद्धि मुसलमानों में औसत से अधिक वृद्धि का परिणाम थी। दूसरे अल्पसंख्यकों का हिस्सा कमोबेश एक सा ही है, हालांकि कुछ छोटे-मोटे बदलाव आए हैं। ईसाइयों और सिखों में वृद्धि के बाद कमी दर्ज की गई। मुस्लिमों का हिस्सा चार दशक से ज्यादा समय में तीन प्रतिशत से भी कम बढ़ा है, यानि हर एक दशक में एक अंक से भी कम।


3. स्थानीय वितरण

भारत में मुसलमान देश भर में रहते हैं, पर उनके घनत्व में काफी भिन्नता है। इसके अलावा, अलग-अलग समयावधि में और अलग-अलग क्षेत्रों में जनसंख्या की गतिशीलता बदली है (परिशिष्ट तालिका 3.2 और 3.3)। दक्षिणी राज्यों में उत्तरी-मध्य राज्यों के चलन से काफी अंतर है। चित्र 3.2 में भारत में 2001 में हुई जनगणना के हिसाब से मुस्लिम आबादी के वितरण को केंद्रित किया गया है। 2001 में भारत के 13 करोड़ 80 लाख में से 22 प्रतिशत या 3 करोड़ 10 लाख एक ही राज्य उत्तर प्रदेश में रहते थे। जाहिर है उत्तर प्रदेश भारत की कुल आबादी के 13 प्रतिशत के साथ सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। पश्चिम बंगाल बिहार और महाराष्ट्र के तीन अन्य राज्यों में से प्रत्येक में एक करोड़ से ऊपर मुसलमान हैं। भारत की मुस्लिम आबादी का बड़ा हिस्सा इन्हीं चार राज्यों में है (इसके अलावा, केरल, आंध्र प्रदेश, असम, जम्मू व कश्मीर और कर्नाटक से प्रत्येक में 50 लाख से एक करोड़ के करीब मुसलमान थे) राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड और तमिलनाडु में से प्रत्येक में 30 से 50 लाख मुसलमान हैं और दिल्ली, हरियाणा और उत्तरांचल में से प्रत्येक में 10 से 20 लाख मुसलमान हैं। जैसा कि अनुमानित था, बड़े राज्यों में मुस्लिम आबादी भी अधिक थी। परंतु, पंजाब और उड़ीसा में से प्रत्येक में जहां आबादी दो करोड़ से भी ज्यादा है, मुसलमानों की संख्या दस लाख से भी कम है।

जहां 1961-2001 के चालीस सालों में जनसंख्या में लगातार वृद्धि हुई है। 1991-2001 के हाल के जनसंख्या दशक में मुसलमानों की वृद्धि हुई है। प्रजनन दर में अधिकतर राज्यों में कमी आई है

मुस्लिमों का हिस्सा चार दशक से ज्यादा समय में तीन प्रतिशत से भी कम बढ़ा है, यानि हर एक दशक में एक अंक से भी कम।

१९९१-२००१ में अधिकतर राज्यों में मुस्लिम वृद्धि दर में कमी आई है।





तालिका 3.1: मुस्लिम आबादी के आकार और घनत्व के हिसाब से जिलों की संख्या, जनगणना 2001

जिले में मुस्लिम आबादी	जिले की संख्या	जिले की कुल आबादी में मुयलमानों का प्रतिशत	जिले की संख्या
1,000,000 या अधिक	25	75 या अधिक	9
500,000 से 999,999	51	50 या अधिक लेकिन 75 से कम	11
250,000 से 499,999	104	25 या अधिक लेकिन 50 से कम	38
100,000 से 249,999	125	10 या अधिक लेकिन 25से कम	182
50,000 से 99,999	87	5 या अधिक लेकिन 10से कम	129
10,000 से 49,999	95	1 या अधिक लेकिन 5से कम	147
10,000 से कम	106	1से कम	77
कुल	593	कुल	593

स्रोत: भारत के महसुबजीयक के आंकड़ों की सीडी से संकलित, जनगणना 2001

केरल के मलापुरम, पश्चिम बंगाल के दक्षिणी 24 परगना और उत्तरी 24 परगना । 10 लाख से अधिक मुस्लिम आबादी वाले जिलों में से दस पश्चिम बंगाल में है, पांच उत्तर प्रदेश में है। तीन जम्मू-कश्मीर में हैं और सात अन्य राज्यों में हैं। इसके अलावा 51 जिलों में मुस्लिम आबादी 5 से 10 लाख के बीच है। इसका मतलब यह हुआ कि 76 जिलों में से प्रत्येक में से कम पांच लाख मुस्लिम आबादी इनमें से एक जिले में रहती है (तालिका 1.1)। दूसरी तरफ, 104 जिलों 2001 में 593 जिलों में से, यानि सिर्फ 9 को मुख्यतः मुस्लिम आबादी वाला माना गया, जिनमें 75प्रतिशत से भी ज्यादा मुस्लिम आबादी रहती है (चित्र 3.3 को भी देखें)। इनमें लक्षद्वीप और जम्मू-कश्मीर के आठ जिले शामिल हैं। साथ ही, 11 जिलों में मुस्लिम आबादी कुल जनसंख्या का 50 से 75प्रतिशत हिस्सा है, जिनमें से 6 असम में है, 2 जम्मू-कश्मीर में है और एक-एक केरल, बिहार

जो कि राष्ट्रीय जनसंख्या वृद्धि दर में आई कमी से जुड़ा है (चित्र 3. 1)। तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश में पहले की अपेक्षा मुस्लिम आबादी में वृद्धि काफी कम थी जो 20प्रतिशत से भी कम थी। (परिशिष्ट तालिका 3.4)

जिलों में भिन्नता

जिलों में मुस्लिम आबादी आकार में काफी अंतर पाया गया। 2001 की जनगणना में 25 जिलों में, प्रत्येक में मुस्लिम आबादी दस लाख से ज्यादा थी। सबसे अधिक 37 लाख की आबादी थी मुर्शीदाबाद में, जिसके पश्चात आते हैं

और पश्चिम बंगाल में हैं। इसलिए, सिर्फ 20 जिलों में ही मुस्लिम अधिक हैं। भारतीय मुस्लिमों का 18 प्रतिशत यानि 1 करोड़ 80 लाख से ज्यादा आबादी इन्हीं जिलों में रहती है। 38 जिलों में मुस्लिम अधिक तो नहीं पर काफी थे, यानि मुस्लिम आबादी 25 से ज्यादा पर 50 प्रतिशत से कम थी। ये कई राज्यों में बंटे हुए हैं- उत्तर प्रदेश में 12, पश्चिम बंगाल में 5, केरल में 5, असम में 4, बिहार में 4, झारखंड में 2, दिल्ली में 2, तथा आंध्र प्रदेश, हरियाणा, जम्मू-कश्मीर, उत्तरांचल और पांडिचेरी में एक-एक इन जिलों में भारत की 22प्रतिशत मुस्लिम आबादी रहती है। 182 जिलों में मुस्लिमों का हिस्सा 10 से 25 प्रतिशत के बीच है तो बहुत अधिक नहीं तो बहुत कम भी नहीं है। इन जिलों में भारत की मुस्लिम आबादी में से लगभग आधी यहीं रहती है (यानि 13 करोड़ 80 लाख में से 47प्रतिशत या साढ़े छः करोड़ इन्हीं इलाकों में बसती है।) दूसरी तरफ, 77 जिलों में मुस्लिमों


तालिका 3.2: कुल आबादी और मुस्लिम आबादी का उम्र-लिंग वितरण, भारत 2001 (प्रतिशत)

उम्र समूह	सभी धर्म		मुस्लिम	
	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला
0-4	10.7	10.7	12.4	12.7
5-9	12.5	12.4	14.7	14.7
10-14	12.3	11.9	14.0	13.7
15-19	10.1	9.3	10.8	10.1
20-24	8.7	8.8	8.7	8.6
25-29	7.8	8.4	7.2	7.8
30-34	7.0	7.4	6.3	6.7
35-39	6.8	7.0	6.1	6.3
40-44	5.6	5.2	4.9	4.5
45-49	4.7	4.5	3.9	3.8
50-54	3.7	3.4	3.1	2.7
55-59	2.6	2.8	2.0	2.3
60-64	2.6	2.8	2.1	2.2
65 +	4.5	5.0	3.5	3.8
उम्र का उल्लेख नहीं	0.3	0.2	0.3	0.2
कुल	100.0	100.0	100.0	100.0

स्रोत: भारत के महसुबजीयक के आंकड़ों की सीडी से संकलित, जनगणना 2005



Fig. 3.3: District-wise Concentration of Muslim Population





भारत के 593 में से 9 जिले में मुस्लिम आबादी 75 फीसदी से ज्यादा है।

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आंकड़े दर्शाते हैं कि मुसलमानों में देश के किसी भी सामाजिक समूह से अधिक शिशु लिंगानुपात है।

का बहुत कम ही हिस्सा, 1 प्रतिशत से भी कम आकार और मुस्लिम आबादी के प्रतिशत के हिसाब से सबसे ऊपर आने वाले 50 जिलों की सूची परिशिष्ट तालिका 3.5 में दी हुई है। नीचे दिया गया जिला-स्तर का नक्शा में मुस्लिम सघन इलाकों को उजागर किया गया है, जिनमें से अधिकतर भारतीय गंगा के मैदानी इलाकों, में (असम) और भारत के दक्षिणी-मध्य क्षेत्रों में हैं। परिशिष्ट 3.6 में सबसे ऊपर 100 जिलों के कुछ जरूरी सामाजिक-आर्थिक संकेतकों को, मुस्लिम आबादी के प्रतिशत हिसाब से व्यवस्थित किया गया है।

4. आबादी की लिंग-आयु संरचना

4.(1) आयु-संरचना

2001 जनगणना में पहली बार उम्र पर धर्म के अनुसार तालिकाएं बनाई गईं और आम जनसंख्या से अलग मुस्लिमों में अनुपातिक रूप से कम उम्र का वितरण पाया गया। (तालिका 3.2, परिशिष्ट तालिका 3.7 में राज्य के हिसाब से आंकड़े दिए गए हैं।) जहां कुल आबादी का 23 प्रतिशत दस वर्ष से कम उम्र का है, मुस्लिम आबादी का 27 प्रतिशत इस श्रेणी में है। फिर, 10-14 वर्ष के आयु वर्ग में मुस्लिमों के दो प्रतिशत अंक ज्यादा हैं। कम उम्र का वितरण, जनसंख्या वृद्धि में कमी के पिछड़ने की ओर संकेत करता है। छोटी आयु वर्ग के अधिक होने का मतलब है कि कार्यशक्ति की संख्या कम है जिससे परिवारों पर और अर्थव्यवस्था पर दबाव ज्यादा है। प्रजनन में कमी से आयु के वितरण में बदलाव आया है, जिससे कम उम्र वालों का भाग कम हुआ है और भारत में कार्य करने योग्य उम्र के लोगों का भाग बढ़ा, जिससे 'जनसंख्या के हिसाब के लाभ या बढोत्तरी हुई' है। मुस्लिमों में अभी तक यह बदलाव बहुत ही कम है जिससे उन्हें जनसंख्या की इस बढोत्तरी का लाभ उठाने में अभी समय है।

वृद्धों (65 और उससे अधिक उम्र के लोगों) का हिस्सा, आम जनसंख्या और मुस्लिम जनसंख्या दोनों में ही कम है, और इसलिए वृद्ध उम्र की निर्भरता भी काफी कम है।

4.2 लिंग-अनुपात


पूरी दुनिया में अधिकतर आबादियों में स्त्रियां पुरुषों से अधिक हैं। जन्म के समय हमेशा लड़कों की संख्या लड़कियों से अधिक होती है। हर 100 लड़कियों पर 105 लड़के पैदा होते हैं, परंतु पुरुषों में मृत्यु दर अधिक होने के कारण लिंग अनुपात में महिलाएं अधिक रहती हैं। परंतु भारत और कुछ दक्षिणी और पूर्वी एशियाई देशों में हालात अलग हैं। यहां पर महिला मृत्यु दर पुरुष मृत्यु

दर से अधिक है, हालांकि अब ऐसा नहीं रहा और मृत्यु दर में अंतर बहुत ही कम हो गया है। परिणामतः, भारत में पुरुष महिलाओं से अधिक है और लिंग अनुपात (प्रति हजार पुरुषों में महिलाएं) 1000 से कम है। 1961-2001 की अवधि में यह अनुपात 930 के आस-पास था। मुस्लिम आबादी की भी तकरीबन यही हालत है (चित्र 3.4) परंतु उसका लिंग अनुपात आम जनसंख्या से कहीं बेहतर है और बढ़ रहा है (परिशिष्ट तालिका 3.8 भी देखें)।

4.3 शिशु लिंग अनुपात

इससे जुड़ा हुआ संकेतक जो भारत में संबंधित सामाजिक स्थिति से जुड़ा है, वो है शिशु लिंग अनुपात। (प्रति हजार पांच वर्ष से कम उम्र के


Fig. 3.4: Trends in Sex Ratio, All Population and Muslim Population, India, 1961-2001





लड़कों पर पांच वर्ष से कम उम्र की लड़कियों की संख्या) यह जग जाहिर है कि भारत उन कुछ देशों में से एक है जहां शिशु लिंग अनुपात 1000 से काफी कम है। साथ ही, पूरे देश में शिशु लिंग अनुपात पिछले पचास सालों में लगातार कम हो रहा है। यह 1961 में 976 से घटकर 1971 में 964, 1981 में 962, 1991 में 953 और 2001 में 927 रह गया। शिशु लिंग अनुपात के निम्न होने और घटने के दो कारक हैं, लड़कों में नवजात शिशु मृत्यु दर की तुलना में लड़कियों में नवजात शिशु मृत्यु दर का बहुत अधिक होना और गर्भावस्था में ही लड़कियों को मार डालना। दोनों ही लड़कियों के प्रति मां-बाप के भेद-भाव को दर्शाता है।

Fig. 3.5: Child Sex Ratio (females aged 0-5 years per 1,000 Males aged 0-5 years) by SRCs, 1998-99



राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आंकड़े दर्शाते हैं कि मुसलमानों में देश के किसी भी सामाजिक समूह से अधिक शिशु लिंगानुपात है (चित्र 3.5) उदाहरण के तौर पर 1998-99 में 0-5 आयु वर्ग में मुसलमानों में शिशु लिंगानुपात प्रति 1000 लड़कों में 986 लड़कियों का था जबकि अनुसूचित जाति-जनजाति में 931, हिंदुओं में 914 और अन्य समूहों में 859 से कहीं ज्यादा है।

यह देखने के लिए कि भारत में लिंग अनुपात में अंतर में कितनी विभिन्नता है, देश को छः क्षेत्रों में बांटकर उसका अध्ययन किया गया : उत्तर (जिसमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब हरियाणा और नई दिल्ली आते हैं), पूर्व (जिसमें बिहार, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश आते हैं), उत्तरी-पूर्व (जिसमें असम, पश्चिम बंगाल और दूसरे अन्य उत्तर-पूर्वी राज्य, जैसे कि मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर इत्यादि आते हैं), दक्षिण (जिसमें तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और आंध्र प्रदेश आते हैं), पश्चिम (जिसमें गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा आते हैं) और मध्य (जिसमें राजस्थान और मध्य प्रदेश आते हैं)। जैसा कि चित्र 3.6 दर्शाता है, मुस्लिम और दूसरी सामाजिक-धार्मिक श्रेणियों में लिंग अनुपात में गड़बड़ियां सभी क्षेत्रों में समान नहीं हैं। पश्चिमी क्षेत्र में, मुसलमानों में अन्य हिंदुओं के मुकाबले तकरीबन 30 प्रतिशत का बड़ा शिशु लिंगानुपात लाभ है। पूर्व, उत्तर और मध्य क्षेत्रों

Fig. 3.6: Child Sex Ratio (females aged 0-5 years per 1,000 males aged 0-5 years) among SRCs by region, 1998-99








Fig. 3.7: Percent change in Child Sex Ratio (females aged 0-5 per 1,000 males aged 0-5) between 1992-93 and 1998-99, by SRC's



आबादी भी मुख्य रूप से ग्रामीण ही है, परंतु कुल आबादी की तुलना में उनका शहरीकरण का स्तर अधिक रहा है। 1961 में जहां पूरी आबादी का 18 प्रतिशत शहरी इलाकों में रहता था, मुसलमान आबादी का 27.1 प्रतिशत शहरों में रहता था।

Fig. 3.8: Trend in Urbanisation, All Population and Muslim Population, India, 1961-2001



यह आंकड़ा मात्र 30 प्रतिशत ही है (जैसा कि 2004 की तालिकाओं में देखा गया)। खेती-बाड़ी से जुड़े कामगार (किसान और मजदूर दोनों) ग्रामीण कामगारों में से 75 प्रतिशत थे, पर मुसलमान ग्रामीण कामगारों में से 60 प्रतिशत ही यह काम करते हैं। भारत के मुसलमानों में अधिक शहरीकरण होने के पीछे कई ऐतिहासिक कारण हैं।

मुस्लिम आबादी भी मुख्य रूप से ग्रामीण ही है, परंतु कुल आबादी की तुलना में उनका शहरीकरण का स्तर अधिक रहा है।

6. जनसंख्या से जुड़ी प्रक्रियाएं

जनसंख्या में बदलाव तीन प्रक्रियाओं के कारण होती हैं - मृत्यु दर, प्रजनन दर और पलायन। मुसलमानों में औसत वृद्धि दर के बारे में औसत सवाल उठता है कि ऐसा क्यों है। जाहिर है, इनमें से एक या उससे अधिक कारण मुस्लिम आबादी के लिए अलग हैं। हमारे पास धर्म के हिसाब से प्रजनन और मृत्यु दर के बारे में जानकारी है, इसलिए हम इस मुद्दे पर कुछ विस्तार से विश्लेषण करते हैं।

6.1 मृत्यु दर

उम्र के हिसाब से मृत्यु दर के विश्वस्त आंकड़ों के अभाव में हम सिर्फ सर्वेक्षणों और जनगणनाओं

में मुसलमानों में लाभ तो है, पर कम है (तकरीबन 10-13 प्रतिशत) इसके इतर, दक्षिणी और उत्तरी-पूर्व क्षेत्रों में, मुसलमानों में अन्य हिंदुओं के मुकाबले तकरीबन 3 से 6 प्रतिशत कम शिशु लिंगानुपात है।¹

5. शहरीकरण

भारत की अधिकतर आबादी ग्रामीण है। 2001 में मात्र 27.8 प्रतिशत आबादी ही विभिन्न आकारों के कस्बों और शहरी इलाकों में रहती थी, जो दर्शाता है कि इन वर्षों में शहरीकरण काफी हुआ है और प्रत्येक दशक में शहरी आबादी में मात्र दो प्रतिशत अंक की ही बढ़त दर्ज हुई है। मुस्लिम आबादी का 27.1 प्रतिशत शहरों में रहता था। (चित्र 3.8) यह बड़ा अंतर अभी तक है और 2001 में कुल आबादी के 27.1 प्रतिशत की तुलना में मुस्लिम आबादी का 35.7 प्रतिशत शहरों में रहता था (चित्र 3.8)


कई राज्यों जैसे तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और छत्तीसगढ़ में अधिकतर मुस्लिम शहरी इलाकों में रहते हैं। (परिशिष्ट तालिका 3.9) भारत में आम जनता के मुकाबले मुसलमान अधिक शहरी हैं और यह हाल का विकास नहीं है, मुस्लिम पहले भी तुलनात्मक रूप से अधिक शहरी थे। कमोबेश, भारत की मुसलमान आबादी कुल जनसंख्या के मुकाबले जमीन से कम-जुड़ी है। यह ग्रामीण क्षेत्रों में भी सत्य है। 2001 के जनगणना आंकड़ों में दिखाया गया है कि जहां सभी धर्मों में 40 प्रतिशत ग्रामीण कामगार किसान हैं, मुसलमानों में



द्वारा उपलब्ध शिशु मृत्यु दर के अंतरों को ही देख सकते हैं। यहां पर यह बताना फायदेमंद रहेगा कि नवजात शिशु और पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर, आम तौर पर मृत्यु दर का सही संकेत देती है। भारत में जन स्वास्थ्य नीतियों में नवजात शिशु और शिशु मृत्यु दर को कम करने की नीति सर्वाधिक जरूरी चीजों में से एक है और शताब्दी में विकास के सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्यों में से एक है, क्योंकि बच्चे एक देश की सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति हैं। उन देशों में जहां प्रति व्यक्ति आय का स्तर समान है और आस पड़ोस के देश जैसे कि श्रीलंका और बंगलादेश की तुलना में भारत में नवजात शिशु और पाँच वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर अधिक है।

1. आश्चर्य की बात यह है कि जहां मुसलमानों में पहले से ही 1992-93 में अधिकतम शिशु लिंगानुपात था, वो एकमात्र सामाजिक वर्ग थे, जिसमें 1992-93 से 1998-99 के बीच अनुपात और बढ़ा है (चित्र 3.7) इसके उलट, 1992-93 में दूसरा-न्यूनतम शिशु लिंगानुपात होने के बावजूद अन्य हिंदुओं में सबसे अधिक (तकरीबन 5 प्रतिशत) की कमी आई है। प्रत्येक वर्ष तकरीबन साढ़े 17 लाख भारतीय बच्चे अपना पहला जन्म दिन मनाने से पहले ही मर जाते हैं। विभिन्न सर्वेक्षणों के आंकड़े और अप्रकट जनगणना आधारित आंकलन दिखाते हैं कि मुसलमानों में नवजात शिशु और बाल्यकाल मृत्यु दर औसत से थोड़ी कम है (परिशिष्ट तालिका 8.10 और 3.11)। 1981 की जनगणना के आंकलन और 1992/93 और 1981-99 में कराए गए राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-1 और 2 के आंकलन यह लगातार बताते हैं कि दो मुख्य संकेतक, नवजात


Fig. 3.9: Infant and under-five mortality rates (per 1,000 live births) by SRC's, 1998-99



शिशु मृत्यु दर यानि कि उन बच्चों का भाग जो अपनी जिंदगी का प्रथम वर्ष पूरा करने से पहले ही मर जाते हैं और पाँच वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर, दोनों में मुसलमानों की संख्या हिंदुओं से कम हैं, जिस कारण वह राष्ट्रीय औसत से भी कम है (चित्र 3.9)। यह पहले भी बताया गया कि मुसलमान आम जनसंख्या के मुकाबले शहर में अधिक बसते हैं और शहरी इलाकों में जाहिर तौर पर मृत्यु दर कम है। शहरी इलाकों में मुसलमानों में बाल्यकाल मृत्यु दर औसत शहरी स्तर के काफी आस-पास है। (ग्रामीण और शहरी इलाकों के अलग-अलग आंकड़े दर्शाते हैं कि मुसलमानों में औसत बाल्यकाल मृत्यु दर से कम आंशिक रूप से इस कारण है कि वे अधिक शहर में बसते हैं।) जहाँ आम जनसंख्या के मुकाबले जीवित रहने में मुसलमानों को कुछ लाभ मिला है, परंतु अन्य अल्पसंख्यक समूहों जैसे कि ईसाई और सिख में मृत्यु दर और भी कम है। सच्चाई तो यह है कि, मुसलमानों में बाल्यकाल मृत्यु दर सिर्फ हिंदुओं से कम है।


सभी सामाजिक-धार्मिक श्रेणियों में मुसलमानों में नवजात शिशु और पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर न्यूनतम है।

विभिन्न सामाजिक-धार्मिक श्रेणियों में, अनुसूचित जाति-जनजाति में नवजात शिशु और पांच वर्ष के कम बच्चों की मृत्यु दर सबसे अधिक है। उसके बाद आते हैं अन्य हिंदू। भारत की सामाजिक-धार्मिक श्रेणियों में मुसलमानों में नवजात शिशु और पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर दूसरे न्यूनतम स्तर पर है। मुसलमानों की आर्थिक हालत देखते हुए, यह कुछ आश्चर्य की बात लगती है। क्या मुसलमानों की यह लाभ की स्थिति पूरे देश में एक सी है। उम्मीद के मुताबिक,




पांच वर्ष से कम बच्चों की मृत्यु दर सबसे अधिक है और उनके बाद आते हैं पूर्वी इलाके (चित्र 3. 19)। दक्षिणी और पश्चिमी क्षेत्रों में यह दर सबसे कम हैं। लगभग सभी क्षेत्रों में, मात्र उत्तरी-पूर्वी इलाकों को छोड़कर, '6 अन्य' समूह के बाद, सभी सामाजिक-धार्मिक श्रेणियों में मुसलमानों में नवजात शिशु और पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर न्यूनतम है। दक्षिण और पश्चिम में, उनकी तुलनात्मक स्थिति अन्य क्षेत्रों से और भी बेहतर है। उदाहरण के तौर पर, दक्षिण में मुसलमानों में नवजात शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 जीवित जन्म लेने वाले बच्चों में मात्र 29 है- जो कि अनुसूचित जाति-जनजाति में 61, तथा अन्य हिन्दुओं में 52 से कहीं कम है।

मुस्लिमों और दूसरी सामाजिक-धार्मिक श्रेणियों में समय के साथ नवजात शिशु मृत्यु दर और पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर किस प्रकार बदली है? चित्र 3. 17 दर्शाता है कि जहां 1992-93 में और 1998-99 में सभी समूहों में नवजात शिशु और पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर में कमी आई, यह कमी अन्य हिंदुओं की तुलना में, मुसलमानों में अधिक आई। इसका मतलब यह है कि मुसलमानों में ना सिर्फ भारत की सभी सामाजिक-धार्मिक श्रेणियों में न्यूनतम नवजात शिशु और पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर है, बल्कि नब्बे के दशक में किसी भी सामाजिक वर्ग की अपेक्षा, उनमें इसकी सबसे ज्यादा कमी भी आई है।



जाहिर है कि नवजात शिशु और शिशु मृत्यु दर प्राकृतिक और सामाजिक आर्थिक कारकों से प्रभावित होते हैं कि जैसे कि बच्चे का लिंग, जन्म का क्रम, मां की शिक्षा और परिवार की आर्थिक स्थिति। इसके अलावा संरचना जैसे कि बिजली, पानी और सफाई आदि तक पहुंच भी महत्व रखता है। यह प्रश्न भी काफी रोचक है कि क्या इन कारकों को नियंत्रित करने के बाद भी मुसलमानों में अन्य सामाजिक-धार्मिक श्रेणियों से नवजात शिशु और शिशु मृत्यु दर कम ही है। पहली नजर में तो ऐसा ही लगता है क्योंकि मुसलमानों में अनुसूचित जाति-जनजाति को

1. भट और जेवियर 2004



छोड़कर अन्य सामाजिक-धार्मिक श्रेणियों से लड़कियों की शिक्षा और आय दोनों ही कम हैं और दोनों ही शिशु मृत्यु दर से उलट रूप से संबंधित हैं यानि जितनी ज्यादा आय और लड़कियों में शिक्षा का स्तर होगा, उतनी ही कम शिशु मृत्यु दर होगी।

इस सिद्धांत की जांच के लिए राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आंकड़ों का विश्लेषण किया गया। अन्य सामाजिक-आर्थिक कारकों को जिनमें एक राज्य विशेष में बसना भी शामिल है, के प्रभाव को अगर नियंत्रित कर लिया जाए, जो किसी सामाजिक-धार्मिक श्रेणी से सम्बद्ध होना, शिशु के जीवन के प्रथम वर्ष के ठीक-ठाक गुजरने पर कोई उल्लेखनीय असर नहीं डालता। पर जीवन के प्रथम पांच वर्षों में, विभिन्न कारकों को नियंत्रित करने के बाद भी 'अन्य' सामाजिक-धार्मिक श्रेणी की तुलना में कम मुसलमान बच्चों के मरने की संभावना रहती है। औसत के हिसाब से, पांच वर्ष से कम बच्चों की मृत्यु दर में, अन्य बच्चों की तुलना में 13 मुसलमान बच्चे (प्रति 1000 जिंदा शिशुओं पर) कम मरते हैं।

अन्त में, भारत में अन्य सामाजिक-धार्मिक श्रेणियों की तुलना में मुसलमानों में नवजात शिशु और शिशु मृत्यु दर कम है? महिला शिक्षा और आर्थिक स्थिति खराब होने के बावजूद मुसलमान बच्चों की जीवनशक्ति किस प्रकार बेहतर हो सकती है, इस प्रश्न का और अध्ययन किए जाने की जरूरत है। हो सकता है कि, मुसलमानों में नवजात शिशुओं की देखभाल करने का और खिलाने-पिलाने का तरीका बेहतर हो। परिणाम यह भी दिखाते हैं कि नब्बे के दशक में मुसलमानों में नवजात शिशु और शिशु मृत्यु दर में ज्यादा तेजी से कमी आई। सिर्फ मध्य प्रदेश और राजस्थान में ही मुसलमानों में अपने आप में तथा अन्य सामाजिक-धार्मिक श्रेणियों की तुलना में शिशु मृत्यु दर बढ़ी है। वयस्कों के लिए उम्र के हिसाब से मृत्यु दर के आकलनों में नमूना प्राप्त करने में बड़ी गलतियों के कारण, उसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता और सर्वेक्षणों के आंकड़ों से आयु का अनुमान लगाना मुश्किल है। फिर भी राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 1 और 2 के इकट्टे आंकड़ों से प्राप्त नतीजे दिखाते हैं कि मुसलमानों¹की अनुमानित आयु औसत से तकरीबन एक वर्ष ज्यादा है। इसके अलावा यह कहा जा सकता है कि जीवनशक्ति में मुसलमानों को औसत से कुछ ज्यादा फायदा है।

6.2 प्रजनन क्षमता

प्रजनन क्षमता के मामले में कुल प्रजनन दर सबसे अधिक उपयोग में लाया जाने वाला संकेत है। इसका मतलब है कि उम्र-विशेष की प्रजनन सरिणी के हिसाब से एक औरत अपने जीवनकाल में औसत रूप से कितने जीवित शिशुओं को जन्म देती है। चित्र 3.12 और परिशिष्ट तालिका 3.12 में दिखाया गया है कि विभिन्न स्रोतों, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षणों। और 2 तथा जनगणना में प्रजनन क्षमता में धार्मिक अंतर कितना है। उनसे पता चलता है कि चार मुख्य धार्मिक वर्गों में सिख में प्रजनन क्षमता न्यूनतम है, उसके बाद आते हैं ईसाई और मुसलमानों में यह अधिकतम है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षणों 1 और 2 तथा जनगणना के आकलनों के हिसाब से मुसलमानों में कुल प्रजनन दर औसत से 6.7 से एक अंक ज्यादा है। दूसरे प्रजनन क्षमता के मापक भी मुसलमानों के लिए अधिक मूल्य दर्शाते हैं। उदाहरण के तौर पर, जनगणना के आंकड़ों के हिसाब से मुसलमानों में समय से पहले बच्चों के जन्म की दर अधिक है। कुल आबादी के 25.9 और हिंदुओं में 24.9 के स्थान पर मुसलमानों में यह 30.8 है और भी दूसरे कई सर्वेक्षण मुसलमानों में औसत से अधिक प्रजनन क्षमता दर्शाते हैं।² सभी धार्मिक वर्गों में औसत प्रजनन में कमी बदलाव से पहले के दौर में जहां कुल प्रजनन दर 6 से अधिक थी, हाल में यह 4 से भी कम हो गई है। इसलिए सभी समुदायों में प्रजनन में बदलाव की प्रक्रिया में विकास हो रहा है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-2 और जनगणना 2001 के आंकलन के हिसाब से मुसलमानों का हाल का स्तर 6 उच्च प्रजनन 'क्षमता' नहीं परंतु 'मध्यम प्रजनन क्षमता' कहा जा सकता है। यहां पर यह साफ करना जरूरी

2. धर्म के हिसाब से प्रजनन में अंतर के मुद्दे पर जनसंख्या अध्ययन करने वाले काफी समय से काम कर रहे हैं। मॉर्गन आदि द्वारा 2002 में किए गए हाल के कुछ काम और भारत में हुए काम का उल्लेख आर्थिक और राजनैतिक साप्ताहिक के हाल के संस्करण में हुआ है।


महिला शिक्षा और आर्थिक स्थिति खराब होने के बावजूद मुसलमान बच्चों की जीवनशक्ति किस प्रकार बेहतर हो सकती है, इस प्रश्न का और अध्ययन किए जाने की जरूरत है।

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 1 और 2 के इकट्टे आंकड़ों से प्राप्त नतीजे दिखाते हैं कि मुसलमानों की अनुमानित आयु औसत से तकरीबन एक वर्ष ज्यादा है।

मुसलमानों में प्रजनन क्षमता, उनके सामाजिक-आर्थिक कारकों, व्यक्तिगत स्तर और भारत में क्षेत्रीय भिन्नता के हिसाब से बदलती रहती है।




है कि किसी समुदाय की प्रजनन क्षमता की बात करते समय हम आम चलन नहीं, बल्कि औसत की बात कर रहे हैं। इसलिए 'मुस्लिम प्रजनन क्षमता' से हमारा मतलब मुसलमानों में प्रजनन के चलन से नहीं वरन् उनकी औसत प्रजनन से है। तकनीकी रूप से, 'मुस्लिम प्रजनन क्षमता' नाम की कोई चीज नहीं है क्योंकि सभी मुसलमानों को प्रजनन क्षमता के एक ही स्तर पर रखकर नहीं देखा जा सकता। मुसलमानों में प्रजनन क्षमता, उनके सामाजिक-आर्थिक कारकों, व्यक्तिगत स्तर और भारत में क्षेत्रीय भिन्नता के हिसाब से बदलती रहती है। जहाँ कुछ राज्यों में प्रजनन बहुत कम है



और यह दर 2.1 है, बस आबादी को बनाए रखने में सहायक है, उत्तरी-मध्य राज्यों में कुल प्रजनन दर 4 के आस-पास था जो मध्यम श्रेणी का है। जिन राज्यों में प्रजनन दर कम है, वहाँ मुसलमानों में भी औसत से तो ज्यादा है, पर फिर भी प्रजनन की कुल संख्या कम है। सच तो यह है कि उत्तरी-मध्य राज्यों के औसत से दक्षिणी राज्यों के मुसलमानों में प्रजनन दर कम है। उदाहरण के लिए, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-2 के हिसाब से केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में तथा जम्मू-कश्मीर में मुसलमानों में कुल प्रजनन दर 2.5 से 2.8 है जबकि उत्तर प्रदेश में आम तौर पर यह 4.0 और राजस्थान में 3.8 है।

आबादी के एक हिस्से में तुलनात्मक रूप से अधिक प्रजनन क्षमता होने के कई कारण हो सकते हैं। कम उम्र में शादी होना, जाहिर है कि प्रजननशीलता को बढ़ाता है। परंतु आंकड़े बताते हैं कि मुसलमानों में शादी की उम्र औसत से कम नहीं है। मुस्लिमों की अधिक प्रजननशीलता के बारे में यह भी कहा गया कि हिन्दुओं से अलग, मुस्लिम समुदाय में विधवा पुनर्विवाह को काफी मान्यता प्राप्त है और इसलिए गर्भधारण योग्य महिलाओं की शादी की दर अधिक है। परंतु, जनगणना 2001 के आंकड़े दिखाते हैं कि प्रजननशीलता के मुद्दे पर, गर्भधारण करने योग्य आयु वर्ग की महिलाओं में वैवाहिक स्थिति का वितरण आम जनता से उल्लेखनीय रूप से अलग नहीं था। प्रजनन में अंतर के अन्य मुख्य कारण हो सकते हैं गर्भनिरोधी उपायों का इस्तेमाल। आम जनता और मुसलमानों द्वारा अपनाए जा रहे गर्भनिरोधी तरीकों (वो गर्भधारण योग्य जोड़ी जो गर्भनिरोधी उपायों का उपयोग करती हैं, के प्रतिशत पर कराए गए विभिन्न सर्वेक्षणों, जिनमें से दो अस्सी के दशक में क्रियान्वन अध्ययन समूह द्वारा कराए गए थे और दो नब्बे के दशक में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण द्वारा कराए गए थे, में दिखाया है कि मुसलमानों में गर्भनिरोधकों का इस्तेमाल आम तो है पर औसत से कम है



3. किसी भी हालत में, गर्भनिरोधकों का इस्तेमाल 70 प्रतिशत से ज्यादा नहीं हो सकता क्योंकि जिनके बच्चे नहीं होते या एक ही बच्चा होता है, वो एक और बच्चा चाहते हैं और जो पहले से ही बांझ होते हैं, उन्हें गर्भनिरोधक की जरूरत नहीं होती।

4. उदाहरण के लिए देखें चौधरी (1984) और अलगराजन (2003)



(चित्र 3. 13; और परिशिष्ट तालिका 3.13)। गर्भनिरोधकों के चलन की दर में औसत और मुसलमानों के बीच करीब 10 अंकों का फर्क है। ध्यान से अध्ययन करने पर पता चलता है कि असल में अन्धता के उपयोग में काफी अंतर है। प्रकट रूप से जो तरीके आसानी से उलटे जा सकते हैं, मुसलमानों में अन्य लोगों की अपेक्षा वो अधिक इस्तेमाल में लाए जाते हैं। मुसलमानों में गर्भनिरोधकों की 'पूरी ना हुई जरूरत' तुलनात्मक रूप से अधिक है। यह भी प्रमाण है कि आसानी से उलटे जाने वाले तरीकों की काफी माँग है।

आंकड़े इस धारणा को झुठलाते हैं कि मुसलमान परिवार नियोजन से कटते हैं, क्योंकि एक तिहाई से अधिक मुसलमान जोड़े किसी ना किसी तरह के गर्भनिरोधक का इस्तेमाल करते हैं।³ विभिन्न अन्य सर्वेक्षण भी बताते हैं कि भारत में तथा अन्य देशों में जहाँ बड़ी संख्या में मुस्लिम आबादी रहती है, गर्भनिरोधक तरीकों का काफी इस्तेमाल होता है। परन्तु, भारत में अन्य सामाजिक-धार्मिक श्रेणियों की तुलना में मुसलमानों में इन तरीकों का कम चलन है, जो मुसलमानों में प्रजननशीलता स्तर को औसत से अधिक रखने के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है। गर्भनिरोधकों का इस्तेमाल काफी हद तक सकारात्मक रूप से शिक्षा के स्तर से जुड़ा है। इसके अलावा, जैसे-जैसे शिक्षा का स्तर बढ़ता है, मुसलमानों और गैर-मुसलमानों में अंतर कम हो जाता है।⁴

मुसलमान सहित सभी समुदायों में प्रजनन में बदलाव की प्रक्रिया में विकास हो रहा है और औसत प्रजनन में कमी आई है।

6.3 पलायन

धर्म के हिसाब से पलायन के सीधे-सीधे आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। परंतु अप्रकट रूप से हम पलायन को बसावट का हिस्सा मानकर अंदाजा लगा सकते हैं, मतलब वास्तविक वृद्धि और स्वाभाविक वृद्धि (जन्म में से मृत्यु घटा कर) के बीच का अंतर पता कर सकते हैं। चूंकि मुसलमानों के प्रजनन और मृत्यु दर के आंकड़े उपलब्ध हैं, जनगणना अवधि के बीच में हुई स्वाभाविक वृद्धि का आंकलन किया जा सकता है, और अगर वास्तविक वृद्धि उससे ज्यादा है, तो उसमें जितना अंतर होगा, वो पलायन के कारण होगा। राष्ट्रीय स्तर पर, यह मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय पलायन है। दूसरे आकलन भी दिखाते हैं कि वृद्धि में अंतर में पलायन का योगदान काफी कम है। चूंकि हाल के दशकों में मुस्लिम आबादी में वृद्धि औसत से अधिक रही है, लोग सोचते हैं कि काफी मुसलमान दूसरे देशों से पलायन कर भारत आ रहे हैं। परंतु हमने देखा कि मुसलमानों में मृत्यु दर औसत से कम है और प्रजनन औसत से अधिक। 1981-91 के दशक के लिए किया गया विस्तृत विश्लेषण बताता है कि मुस्लिमों में औसत से अधिक वृद्धि आंशिक रूप से औसत से कम मृत्यु दर के कारण है, पर मुख्य रूप से अधिक प्रजनन के कारण है।⁵ दूसरे आकलन⁶ बताते हैं कि पलायन का बसावट के रूप में अंश, तुलनात्मक रूप से कम है, यानि हिंदुओं और मुस्लिमों में वृद्धि के अंतर का मात्र छठवां भाग। इसलिए, जहां अंतर्राष्ट्रीय पलायन भारत की मुसलमान आबादी में कुछ वृद्धि के लिए जिम्मेदार है, इसकी बहुत ही छोटी भूमिका है- मुख्य कारण है औसत से अधिक प्रजनन।

भारत में मुसलमानों की वृद्धि में अंतर में पलायन का योगदान काफी कम है।

6.4 जनसंख्या में बदलाव

जनसंख्या में बदलाव वह प्रक्रिया है जिसमें हम अधिक प्रजनन और मृत्यु दर से कम प्रजनन और मृत्यु की तरफ बढ़ते हैं। आम तौर पर पहले मृत्यु दर में कमी आती है और बाद में प्रजनन दर घटता है। दुनिया के अधिकतर विकसित देश इस दौर से गुजरे हैं और बहुत ही कम मृत्यु तथा प्रजनन दर तक पहुंचने में सफल हुए हैं। भारत भी इस बदलाव के दौर से गुजर रहा है, मृत्यु दर काफी कम हुआ है और खासतौर से 1970 के बाद से तो प्रजनन दर भी घट रही है। हालांकि यह सच है कि मृत्यु दर अभी भी बहुत कम नहीं हुई है। अनुमानित औसत आयु 60 वर्ष से अधिक हो गई है पर विकसित देशों से बहुत कम है, जहां अनुमानित औसत आयु 75 वर्ष से अधिक है। इसके अलावा, कुल प्रजनन औसत दर तीन के करीब है, जो निम्न पुनर्स्थापन स्तर के आस-पास है। इसलिए यह कहा जा सकता है कि भारत में काफी बदलाव आ चुका है, पर अभी प्रक्रिया पूरी

5. कुलकर्णी (1996)

6. भट्ट और जैवियर (2004) और इरुदराजन (2005)



होनी बाकी है।

यह देखने के लिए कि विभिन्न भाग इस प्रक्रिया में कितने आगे बढ़े हैं, हम कुल प्रजनन दर द्वारा प्रजनन के स्तर को मापने पर ध्यान केंद्रित करेंगे। चूंकि मृत्यु दर बदलाव में विकास हो रहा है और आगे भी लगातार होने की संभावना है, हम प्रजनन के बदलाव का विश्लेषण करते हैं। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-2 के आकलनों का इस्तेमाल किया गया है क्योंकि ये आकलन बड़े राज्यों

Table 3.3: Large States Classified according to Level of Fertility and Share of Muslim Population, India, NFHS-2

Level of fertility	Range of TFR	All Population	Muslim Population
Moderately High	Greater than 4.0 but Less than/equal to 5.0		Rajasthan, Uttar Pradesh, Bihar
Moderate	Greater than 3.0 but Less than/equal to 4.0	Uttar Pradesh, Rajasthan, Bihar, Madhya Pradesh	INDIA, Madhya Pradesh, West Bengal, Maharashtra, Gujarat, Assam
Moderately Low	Greater than 2.2 but Less than/equal to 3.0	INDIA, Gujarat, Jammu and Kashmir, Maharashtra, West Bengal, Assam, Andhra Pradesh	Karnataka, Jammu and Kashmir, Tamil Nadu, Kerala, Andhra Pradesh
Low	Less than/equal to 2.2	Tamil Nadu, Karnataka, Kerala	

Source: Obtained from NFHS-2; IIPS and ORC Macro (2000).


में धर्म के हिसाब से वर्गीकृत हैं। तालिका 3.3 में राज्यों की कुल आबादी और उन राज्यों में जहाँ मुस्लिम आबादी इतनी अधिक है कि विश्वसनीय आंकड़े मिल सके, वहाँ पर मुसलमान आबादी के प्रजनन स्तर के हिसाब से वर्गीकृत किया गया है। कम मृत्युदर होने पर 2.2 या कम का कुल प्रजनन दर तकरीबन पुनर्स्थापन की स्थिति मानी जाती है और इसलिए प्रजनन स्तर के दर 6 को निम्न मानते हैं। 2.2 से ऊपर पर 3.0 तक होने पर कुल प्रजनन दर को 'मध्यम निम्न' मानते हैं, 3.0 से ऊपर पर 4.0 तक को 'मध्यम', और 4.0 से ऊपर पर 5.0 तक 6 मध्यम-उच्च कहा जाता है। चूंकि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-2 के आंकलन नब्बे के दशक के अंत के आस-पास के हैं, वर्तमान में प्रजनन का स्तर लगभग निश्चित रूप से कम है और राज्य-समुदाय यहाँ दर्शाए गए आंकड़ों से अधिक बदलाव की स्थिति तक पहुंच चुके हैं।

तालिका 3.3 दिखाती है कि अधिकतर राज्यों में प्रजनन औसत से अधिक होते हुए भी काफी हद तक आम प्रजनन से संबद्ध है। आम तौर पर, मुस्लिम प्रजनन कुछ राज्यों में आम प्रजनन से थोड़ा अधिक है, तो कुछ अन्य राज्यों में समान श्रेणी में ही। जम्मू-कश्मीर, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश में आम प्रजनन और मुसलमान प्रजनन में काफी कम अंतर है। स्पष्ट है कि भारत में मुसलमान आबादी में, खास तौर से बड़े राज्यों में काफी बदलाव आ चुका है परंतु फिर भी वह औसत से पीछे है। जाहिर है, बदलाव में कुछ देरी रह गई है। दूसरे प्रमाण दर्शाते हैं कि यह देरी 10-15 वर्षों के पहले के आम प्रजनन के आस-पास है।

7. उदाहरण के तौर पर, दुनिया भर में प्रमाण के आधार पर, पेलेटियर और फ्रोंगिलो (2003) ने हिसाब लगाया कि उम्र के हिसाब से कम वजन के चलन में अगर 5 प्रतिशत की कमी आ जाए तो बच्चों की मृत्यु दर में तकरीबन 30 प्रतिशत की और 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में 13 प्रतिशत की कमी आ जाएगी।



Fig. 3.14: Percentage of children under 5 who are Underweight and Stunted and % of low birth weight (<2,500 gms) babies, among Muslims and non-Muslims, 1998-99



7. शिशु पोषण

शिशु पोषण सामाजिक उन्नति का एक और महत्वपूर्ण संकेतक है। बच्चों को सही आहार ना मिलने से नवजात शिशु और बच्चों की मृत्यु का भय काफी बढ़ जाता है तथा कुछ आकलन तो यह दर्शाते हैं कि विकासशील देशों में बच्चों को सही पोषण ना मिलना आधे से अधिक बच्चों की मृत्यु का कारण है।⁷ इसके अलावा दुनिया भर में इसके काफी प्रमाण हैं कि बाल्यकाल में पोषण की कमी से स्कूल में, मानसिक विकास और स्वास्थ्य का स्तर गिर जाता है और अंत में, व्यस्क होने के पश्चात कार्य शक्ति और उत्पादकता का स्तर कम रह जाता है। इसलिए, भारत में शिशु पोषण में कमी की आर्थिक, कार्यशक्ति और सामाजिक कीमत अधिक चुकानी पड़ती है।

आम तौर पर, मुस्लिम प्रजनन कुछ राज्यों में आम प्रजनन से थोड़ा अधिक है, तो कुछ अन्य राज्यों में समान श्रेणी में ही।

नवजात शिशु और शिशु मृत्यु दर की तरह, विभिन्न सामाजिक-धार्मिक श्रेणियों में पांच वर्ष के कम उम्र के बच्चों में कम वजन वाले और जिनकी लंबाई कम रह गई है, उन बच्चों के प्रतिशत में भी काफी अंतर है (चित्र 3.14) परंतु, जहां नवजात शिशु मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर, अधिकतम अन्य सामाजिक-धार्मिक श्रेणियों की तुलना में, मुसलमानों में कम थी, शिशु पोषण में कमी में मुसलमान अधिकतर अन्य समूहों से बुरी स्थिति में हैं। उदाहरण के लिए, मुसलमानों में सभी सामाजिक वर्गों की तुलना में, अधिकतम कम लंबाई के बच्चे और दूसरे स्थान पर अधिकतम कम वजन के बच्चे हैं।

परंतु आम तौर पर यह अंतर सामाजिक वर्गों में बहुत अधिक नहीं है, तो यह दर्शाता है कि भारत में सभी सामाजिक-धार्मिक श्रेणियों में बच्चों में पोषण की कमी है और जन्म के समय औसतन बच्चों का वजन कम रहता है।^{8,9}


चित्र 3.15 में देश के छः भौगोलिक क्षेत्रों में सामाजिक-धार्मिक श्रेणियों के हिसाब से बच्चों के कम-वजन और कम लंबाई की घटना को दर्शाता है। उत्तरी-पूर्वी को छोड़कर जहां मुसलमानों में शिशु पोषण की कमी की दर अधिकतम है, बाकी सभी क्षेत्रों में यह दर अनुसूचित जाति-जनजाति से कम है पर अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा दक्षिण में (और शायद पश्चिम में) मुसलमानों की अनुसूचित जाति-जनजाति से तुलनात्मक स्थिति काफी बेहतर है। उदाहरण के लिए, दक्षिण में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में कम वजन का दर 43 फीसदी है, पर मुसलमानों में कम वजन की दर मात्र 32 फीसदी ही है। इससे उत्तर, पूर्वी क्षेत्र में मुसलमानों और अनुसूचित जाति और

8. As in the literature, a child is considered underweight when his or her weight-for-age is more than two standard deviations below the NCHS/WHO reference weight. A child is stunted when his or her height-for-age is more than two standard deviations below the NCHS reference.

9. This is not true of low birth weight, however; Muslims enjoy the second-lowest incidence of low birth-weight babies among all social groups.



Fig. 3.15: Percentage of children under 5 who are Underweight and Stunted among SRC's, by geographical region, 1998-99



अनुसूचित जनजाति में कम वजन की दर में अंतर काफी कम है (48 फीसदी की तुलना में 50 फीसदी)।

भारत में सभी सामाजिक-धार्मिक श्रेणियों में बच्चों में पोषण की कमी है और जन्म के समय औसतन बच्चों का वजन कम रहता है।

मुसलमानों और अन्य सामाजिक-धार्मिक श्रेणियों में जन्म के समय में शिशु के कम वजन के होने में क्षेत्रीय भिन्नताएं काफी असामान्य हैं (चित्र 3.15)। दक्षिण, पश्चिम और मध्य क्षेत्रों में मुसलमानों में जन्म के समय शिशुओं के कम वजन होने की घटना न्यूनतम या दूसरे क्रम पर न्यूनतम है। पर बाकी के तीन क्षेत्रों में मुसलमानों में सभी वर्गों की अपेक्षा अधिकतम या दूसरे क्रम पर अधिकतम है।

नवजात शिशु और शिशु मृत्यु दर की तरह ही हम अन्य व्यक्तिगत, पारिवारिक और समुदाय के कारकों को नियंत्रित करने के बाद यह देखेंगे कि क्या अन्य सामाजिक-धार्मिक श्रेणियों की तुलना में मुसलमानों में बच्चों के कुपोषण की दर में बहुत अंतर है। विश्लेषण बताता है कि बच्चों के कुपोषण से संबंधित अन्य कारकों, जैसे कि किस राज्य में वे रहते हैं, को नियंत्रित करने के पश्चात अन्य सामाजिक-धार्मिक श्रेणियों के बच्चों की तुलना में एक मुसलमान बच्चे के कम वजन या कम लंबाई होने का अधिक खतरा होता है। परंतु, इस वर्ग की तरह की, अनुसूचित जाति-जनजाति के बच्चे या अन्य हिंदू बच्चों के भी कम वजन और कम लंबाई के होने का खतरा अधिक है। सच तो यह है कि इन तीन समूहों में अंतर बहुत कम है और इनकी हालत एक दूसरे से ज्यादा भिन्न नहीं है।

अंत में, प्रमाण दर्शाते हैं कि मुसलमान बच्चों में अन्य हिंदू बच्चों की अपेक्षा कुपोषण का कुछ ज्यादा खतरा है। परंतु अनुसूचित जाति-जनजाति के बच्चों की तुलना में उनके कम वजन के या कम लंबाई के होने की संभावना कम है।¹⁰ पर दो क्षेत्रों में उत्तर और पूर्व में - 1992-93 और 1998-99 में मुसलमानों में कम वजन के बच्चों के जन्म की घटना काफी तेजी से बढ़ी, और दोनों ही क्षेत्रों में सभी वर्गों के औसत से मुसलमानों की हालत बहुत बुरी थी। यह अजीब सी बात है कि मुसलमान नवजात शिशु और शिशु मृत्यु दर में तो अन्य हिंदुओं से लाभ की स्थिति में हैं पर कुपोषण की दर में हानि उठा रहे हैं। यह समझना और भी मुश्किल इसलिए है कि जो कारक नवजात शिशु और शिशु मृत्यु दर के निम्न स्तर से जुड़े हैं जैसे कि जन्म देने के लिए और उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाओं का इस्तेमाल करना, महिला साक्षरता का अधिक होना और अच्छी सफाई व शिशु के आहार की आदतों का होना ही बच्चों के कुपोषण के निम्न दर से भी जुड़े हैं।



8. भविष्य में जनसंख्या वृद्धि की संभावनाएं

जनसंख्या अध्ययनकर्ताओं से उम्मीद की जाती है कि वे पास तथा दूर के भविष्य में आबादी के बारे में भविष्यवाणी करें। इनमें प्रजनन और मृत्यु दर की संभावनाओं के बारे में बताएं। हाल में प्रजनन घटा है और हम मान सकते हैं कि यह आगे और कम होगा और धीरे-धीरे 2.1 की कुल प्रजनन दर तक पहुंच जाएगा जो पुर्नस्थापन की निम्न दर है। इस बात यह भी उम्मीद की जाती है कि मृत्यु दर भी बहुत कम हो जाएगी। इस घटने की गति के बारे में बताना मुश्किल है और इसलिए कई दूसरी संभावनाओं के बारे में भी सोचा जाता है। इस अनुमान पर कि पुर्नस्थापन स्तर का प्रजनन 2030 के दशक तक संभव हो जाएगा, यह माना जाता है कि उस समय तक भारत में मुसलमान आबादी का आकार 32 करोड़ पर स्थिर हो जाएगा।

चूंकि मुस्लिम आबादी की वृद्धि औसत से ज्यादा रही है और कुछ समय तक रहने की संभावना है, अकसर यह पूछा जाता है कि क्या और कब मुसलमान वर्ग सबसे बड़ा हो जाएगा। कुछ लोग यह भी पूछते हैं कि किस वर्ग की आबादी सबसे ज्यादा है, इससे क्या फर्क पड़ता है। परंतु, राजनैतिक और सामाजिक माहौल को देखते हुए, बहस जारी रहती है और लोग कयास लगाते रहते हैं। हाल के एक अध्ययन में इस विषय की समीक्षा की गई और बीसवीं सदी के चलन के हिसाब से यह माना गया कि 2050 वर्ष तक भारत में मुसलमान और ईसाई आबादी लगभग 50 प्रतिशत तक पहुंच जाएगी। परंतु यह बात विभाजन से पहले के भारत की है, जिसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश भी आते थे। इसके साथ दो समस्याएं हैं, पहले तो यह कि इसमें आबादी के हिस्से में वर्गात्मक क्रिया का इस्तेमाल कर उससे समुदाय का हिस्सा निकाला गया है (लेखक भारतीय धर्मानुयायियों में हिंदू, सिख, बौद्ध और जैन को एक समूह मानते हैं और मुसलमानों और ईसाईयों को दूसरा समूह मानते हैं) और समय के साथ यह चक्र बढ़ता जाता है। दूसरे, इसमें यह माना गया कि वर्तमान चलन आगे भी यूं ही चलता रहेगा। पर अब जब सभी समुदायों में प्रजनन दर में कमी दर्ज कर ली गई है, प्रजनन में अंतर कुछ ही समय की बात है। जैसे-जैसे प्रजनन में बदलाव की प्रक्रिया बढ़ती जाएगी, सभी बड़े समुदायों में प्रजनन घटेगा, जब कुछ समुदायों में प्रजनन निम्न स्तर तक पहुंच जाएगा, उसके और कम होने की गति धीमी हो जाएगी, परंतु जो पिछड़ रहे थे, जैसे कि मुसलमान, वो धीरे-धीरे उनके स्तर तक पहुंच जाएंगे। इससे अंतर कम हो जाएगा और अधिकतर विकसित देशों की तरह सभी समुदाय निम्न प्रजनन स्तर तक पहुंच जाएंगे। समय के साथ, प्रजनन और जनसंख्या वृद्धि में वर्तमान अंतर का कम होते-होते खत्म हो जाने का अनुमान है और इसके सदा बने रहने की संभावना नहीं है। प्रश्न यह है कि इस अंतर को खत्म होने में कितना समय लगेगा और इस अवधि में वृद्धि का अंतर कितना रहेगा।¹³

मुस्लिम आबादी के हिस्से के बारे में अनुमान लगाते हुए, कुल आबादी की संभावनाएं जानने की जरूरत होती है। पहले ये कयास लगाए जा रहे थे कि दूसरे समुदायों की अपेक्षा मुसलमान प्रजनन के पुर्नस्थापन के स्तर तक दस साल बाद पहुंचेंगे। यह भी अनुमान लगाया जा रहा था कि भारत में मुस्लिम आबादी का हिस्सा कुछ समय बाद बढ़कर 19 प्रतिशत से जरा नीचे (17 अरब की कुल आबादी में 32 करोड़ मुसलमान) पर स्थिर हो जाएगा। अगर अंतर को खत्म होने में ज्यादा समय लगा तो, मुसलमान आबादी का हिस्सा उसी हिसाब से बढ़ जाएगा। इस अनुमान पर कि मुस्लिम और गैर-मुस्लिम दोनों ही पुर्नस्थापन स्तर तक पहुंच जाएंगे पर मुसलमानों को इसमें 10-12 साल तक का समय ज्यादा लगेगा, 2101 तक 17 से 18 अरब की कुल आबादी में मुसलमानों के 18 से 19 प्रतिशत के बीच यानि 32 से 34 करोड़ होने की संभावना है। (परिशिष्ट तालिका 3.14) मोटे तौर पर यह कहा जा सकता है कि मुस्लिम जनसंख्या का भाग का वर्तमान स्तर से बढ़ने की तो संभावना है, पर शताब्दी के अंत तक 20 प्रतिशत से अधिक बढ़ने की उम्मीद नहीं है।

जहां आबादी के भाग पर कयासों को लेकर काफी बहस होती है, इससे प्रजनन के बारे में निर्णय

अन्य सामाजिक-धार्मिक श्रेणियों के बच्चों की तुलना में एक मुसलमान बच्चे के कम वजन या कम लंबाई होने का अधिक खतरा होता है।

मुसलमान बच्चों में अन्य हिंदू बच्चों की अपेक्षा कुपोषण का कुछ ज्यादा खतरा है।

अकसर यह पूछा जाता है कि क्या और कब मुसलमान वर्ग सबसे बड़ा वर्ग हो जाएगा।

10. आंकड़ों से यह भी पता चलता है कि 90 के दशक में कुपोषण को कम करने में मुसलमानों का विकास अनुसूचित जाति और जनजाति से बेहतर और अन्य वर्गों के आस-पास ही था।



भारत में मुस्लिम आबादी का हिस्सा कुछ समय बाद बढ़कर 19 प्रतिशत से जरा नीचे पर स्थिर हो जाएगा।

जोड़े प्रजनन के बारे में निर्णय अपने हितों को ध्यान में रखकर करते हैं ना कि समुदाय की आबादी में भागीदारी बढ़ाने के लिए या समुदाय के लिए राजनैतिक शक्ति पाने के लिए।

लिए जाने पर अधिक असर पड़ने की संभावना नहीं है। जोड़े प्रजनन के बारे में निर्णय अपने हितों को ध्यान में रखकर करते हैं ना कि समुदाय की आबादी में भागीदारी बढ़ाने के लिए या समुदाय के लिए राजनैतिक शक्ति पाने के लिए। यह सभी समुदायों के लिए सत्य है, चाहे वे बहुसंख्यक हों या अल्पसंख्यक। व्यक्तिगत चिंताएं जैसे बच्चे को जन्म देना, बच्चों को पालने में खर्च और संभावित मूल्य, समुदाय के रूप में जुटने से अधिक महत्वपूर्ण होता है। हाल के प्रमाण बताते हैं कि लोग परिवार नियंत्रण को आम तौर पर स्वीकार करते हैं, एक छोटा परिवार वांछित है और गर्भनिरोधक सेवाओं की मांग है और उन्हें इस्तेमाल में लाया जाता है। पिछले तीन दशक बताते हैं कि भारत में प्रजनन काफी कम हुआ और गर्भनिरोधक तरीके आम हो गए हैं। इसके अलावा, पिछले दशक में जनसंख्या वृद्धि दर कम हुआ है और आंकलन बताते हैं कि उसका घटना लगातार जारी है। साथ ही, यह मुसलमानों सहित सभी मुख्य समुदायों में हो रहा है। मुसलमानों की वृद्धि दर कुल आबादी के साथ-साथ घटते-घटते अंत में शून्य पर स्थिर हो जाएगी। इसके काफी आसार हैं कि यह शताब्दी के अंत से पहले ही संभव हो जाएगी।

यूरोपीय देशों में हाल में देखा गया है कई आबादियों में प्रजनन पुनर्स्थापन स्तर से कम हो गया है और आबादी का आकार किसी अंततोगत्वा स्तर पर स्थिर हो जाने की बजाय घट रहा है। इस समय, यह कहना मुश्किल है कि इस शताब्दी में भारत के लिए यह भी होना संभव हो जाएगा कि नहीं। अगर ऐसा होता है तो कुल आबादी और मुसलमान आबादी के बारे में शताब्दी के अंत तक के लिए ऊपर जो संभावनाएं व्यक्त की गई हैं, उससे वो कम होगी। (परिशिष्ट तालिका 3.14 के हिसाब से, कुछ और संभावनाओं के अनुसार कुल आबादी शताब्दी के अंत तक 15 अरब से कम और मुस्लिम आबादी 30 करोड़ से कम होगी।)

प्रजनन स्तर के घटने की कमी कई सामाजिक-आर्थिक, राजनैतिक और कार्यक्रमों जैसे कारकों पर निर्भर करती है एवं महिलाओं और लड़कियों में शिक्षा का प्रचार-प्रसार करने से और भारत में सभी वर्गों में लगातार गरीबी के उन्मूलन से, इस प्रक्रिया में अधिक तेजी लाई जा सकती है। जहां नागरिकों के बड़े भाग पर रहन-सहन में धर्म का काफी महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, मुसलमानों के प्रजनन पर इसका अधिक प्रभाव नहीं है। उदाहरण के लिए, परिवार नियोजन के आधुनिक सिद्धांतों पर आधारित गर्भनिरोधक के प्रचलन की दर, हाल के वर्षों में, मुसलमानों में बढ़ रही है और 40 प्रतिशत के आस-पास है। वर्तमान में, दो करोड़ मुसलमान जोड़ों से अधिक आधुनिक गर्भनिरोधक तरीकों का इस्तेमाल करते हैं और अगर देश भर में मुसलमानों को उच्च गुणवत्ता वाली गर्भाधान-संबंधी स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराई जाएं और उनके पास विकल्प हों, तो यह संख्या और भी बढ़ जाएगी। पर, अन्य सामाजिक-धार्मिक श्रेणियों की तुलना में अधिक गरीबी होने से और विशेषकर महिलाओं में साक्षरता के बढ़ते अंतर से मुस्लिम प्रजनन की घटती दर पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। केरल को छोड़कर, तमिलनाडु, कर्नाटक और हाल में आंध्र प्रदेश में मानव विकास के मानकों में कोई बड़ा सुधार नहीं होने के बावजूद प्रजनन में काफी बदलाव आए हैं और उसकी दर में काफी कमी आई है। पर दुनिया भर में किए अध्ययन यही बताते हैं कि महिला शिक्षा में सुधार और साथ ही गरीबी का स्तर घटने से मानव प्रजनन में अधिक तेजी से कमी आती है और अनुमानित उम्र में सुधार होता है। ऊपर दिए हुए दोनों कारक अपने आप में महत्वपूर्ण लक्ष्य हैं।

संक्षेप में, भारत में जनसंख्या वृद्धि कुछ समय तक तो यूं ही होने की संभावना है पर धीरे-धीरे यह वृद्धि खत्म हो जाएगी। जैसे-जैसे जनसंख्या में बदलाव की स्थिति बढ़ती जाएगी, मुसलमानों सहित सभी समुदायों में इस वृद्धि में कमी आने की संभावना है। 21 वीं शताब्दी के अंत तक, भारत को 17-18 अरब की कुल आबादी में मुसलमानों का 17-18 अरब की कुल आबादी में मुसलमानों का 18-19 फीसदी या 32 से 34 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है। तुलनात्मक दृष्टि से जनसंख्या और स्वास्थ्य स्थितियों के विश्लेषण से कई बार कुछ रोचक बातें सामने आती हैं।

11. भट्ट और जेवियर (2004, 2005)

12. जोषी इटो ए एल (2003, 2005)

13. जनसंख्या अध्ययनकर्ताओं द्वारा आमतौर पर प्रयोग होने वाला सामूहिक संभावना का नियम प्रजनन और मृत्यु दर के बारे में अलग-अलग संभावनाएं बता देता है, और इस उद्देश्य के लिए उचित तकनीक भी है, न कि गणित की क्रियाओं द्वारा भागों की संभावना के बारे में राय कायम करना।



- उत्तरी-मध्य क्षेत्र में मुसलमानों और अन्य लोगों में जनसंख्या में बदलाव पिछड़ रहा है और इस क्षेत्र में तेजी से बदलाव आने से मुसलमानों में बदलाव की गति तेज होगी।
- आम धारणा के विरुद्ध, मुसलमानों में प्रजनन पर नियंत्रण और आधुनिक गर्भनिरोधकों की काफी माँग है।
- इसलिए ऐसे कार्यक्रम की जरूरत है जो जोड़ों को जनसंख्या नियंत्रण के बेहतर विकल्प उपलब्ध कराए।
- मृत्यु दर और बाल स्वास्थ्य में, मुसलमान औसत से थोड़े बेहतर हैं पर चूंकि स्वास्थ्य की परिस्थितियां आम तौर पर असंतोषप्रद हैं, उन्हें सुधारने का प्रयास करना चाहिए। शहरी गरीब लोगों के स्वास्थ्य की जरूरतों पर ध्यान देने से गरीब मुसलमानों की परिस्थितियां सुधरेगी क्योंकि बहुत से दक्षिणी और पश्चिमी राज्यों के मुसलमान शहरी इलाकों में रहते हैं।
- मुसलमान आबादी का स्थानीय वितरण असमान है और उन राज्यों में ज्यादा केंद्रित है जो विकास के मामले में पिछड़े हुए हैं। क्षेत्रीय अंतर को कम करने से जनसंख्या के अंतर को भी कम करने में काफी मदद मिलेगी।

मुसलमानों में प्रजनन कम हुआ और जनसंख्या वृद्धि दर कम हुआ है, लोग परिवार नियंत्रण को आम तौर पर स्वीकार करते हैं। भारत में गर्भनिरोधक तरीके आम हो गए हैं।



भारत में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति



मुसलमानों की शैक्षणिक परिस्थिति

1. परिचय

सामाजिक और आर्थिक विकास में शिक्षा की भूमिका के बारे में विशेषज्ञ मानते हैं कि यह देश के विकास के लिए जरूरी है। आबादी में इतनी क्षमता होनी चाहिए कि एक ओर माहौल में जहां वैज्ञानिक और तकनीकी ज्ञान तेजी से बदल रहा है, उसमें काम कर सकें और सीख सकें। जहां मानव पूंजी की महत्ता और एक देश के विकास के लिए उसकी बढ़ोत्तरी तो महत्वपूर्ण ही है, इसके सूक्ष्म-आर्थिक नतीजों को भी समझने की जरूरत है। बच्चों और नौजवानों में शिक्षा की मदद से उनकी कार्यात्मक और विश्लेषणात्मक क्षमता को सुधारने से उनके लिए व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से सफलता पाने के अवसर बढ़ जाते हैं। शिक्षा में सुधार से ना सिर्फ कार्य क्षमता के अवसर बढ़ जाते हैं (जिसकी वजह से कमाई भी बढ़ेगी), बल्कि प्रजातांत्रिक भागीदारी भी बढ़ेगी और स्वास्थ्य तथा जीवन का स्तर भी सुधरेगा।

संविधान को अपनाते समय भारत ने निर्देशक सिद्धांतों पर देश की नीति के अनुच्छेद 45 के तहत प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध करने की जिम्मेदारी उठाई थी। अनुच्छेद 45 में लिखा है कि, “सरकार की यह कोशिश रहेगी कि संविधान को लागू करने के दस साल के अंदर-अंदर सभी बच्चों के लिए मुफ्त और जरूरी शिक्षा, चौदह वर्ष की उम्र तक, आवश्यक रूप से उपलब्ध कराए।”

एक महत्वपूर्ण फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि 1993 के संविधान के ऐतिहासिक अनुच्छेद में जीवन के अधिकार से लेकर शिक्षा का अधिकार मूलभूत अधिकारों में से एक है। फिर 2002 में संविधान के 86 वें संशोधन में शिक्षा को मौलिक अधिकार का दर्जा दे दिया गया। अनुच्छेद 21.4 में लिखा है कि “सरकार कानूनी रूप से मान्य किसी भी तरीके से छह से चौदह वर्षों के बीच के सभी बच्चों को मुफ्त और आवश्यक शिक्षा उपलब्ध कराएगी।” 86 वें संशोधन में अनुच्छेद 45 में भी सुधार किया गया, जो अब इस प्रकार है “सरकार कोशिश करेगी कि छः वर्षों तक के सभी बच्चों को बचपन में देखभाल और शिक्षा उपलब्ध कराए।” परंतु इस वादे के बाद भी स्कूल ना जाने वाले इस आयु वर्ग के बच्चों की संख्या काफी ज्यादा है। इस तथ्य के बावजूद कि अनुच्छेद 21 A के हिसाब से यह देश की जिम्मेदारी है कि हर बच्चे को मुफ्त और जरूरी शिक्षा उपलब्ध कराए, एक के बाद एक आने वाली सरकारें शिक्षा के अधिकार से संबंधित बिल को लागू करने में टाल-मटोल करती रही हैं। चूंकि शिक्षा एक सम-सामयिक विषय है, केंद्र और राज्य सरकारें दोनों उसके लिए जिम्मेदार हैं। शिक्षा के अधिकार से संबंधित कानून ना पास करके, केंद्र सरकार अपनी जिम्मेदारी से बचती रही है। नतीजतन, भारत के बच्चों की शैक्षणिक परिस्थितियां खराब ही हैं।

**सरकार छह से चौदह वर्ष की उम्र तक, सभी बच्चों के लिए मुफ्त और जरूरी शिक्षा, आवश्यक रूप से उपलब्ध कराएगी।
अनुच्छेद 21डू**



आजादी के बाद पहली बार धर्म के हिसाब से शैक्षणिक उपलब्धि पर जनगणना के आंकड़ों की उपलब्धता से संबंधित शैक्षणिक उपलब्धियों के सामयिक चलन को जांच पाई

यह अध्याय भारत के मुसलमानों की शिक्षा से जुड़े मुद्दों पर गौर करता है। यह बताता है कि न केवल मुसलमानों को दुगनी हानि उठानी पड़ती है क्योंकि उनमें शिक्षा का स्तर और गुणवत्ता दोनों ही निम्न हैं; बल्कि, जैसे-जैसे शिक्षा का स्तर बढ़ता जाता है, उनकी कमी कई गुना बढ़ जाती है। कुछ उदाहरणों में तो मुसलमानों का तुलनात्मक हिस्सा अनुसूचित जाति से भी कम है जो कि वर्षों पुरानी जातीय प्रथा का शिकार है। इस तुलनात्मक कमी की समस्या को समझाने के लिए, उसके सुधार के लिए तरीके सोचने में और संसाधनों के आवेदन के लिए नीति में काफी बदलाव किए जाने की जरूरत है। यह अध्याय भारत की सामाजिक-धार्मिक श्रेणियों की शैक्षणिक उपलब्धता के स्तरों की भिन्नताओं पर केंद्रित है। आजादी के बाद पहली बार धर्म के हिसाब से शैक्षणिक उपलब्धियों पर जनगणना आंकड़ों की उपलब्धता ने समिति को आजकल की शैक्षणिक उपलब्धियों के चलन की समीक्षा करना संभव बनाया¹”

बाकी का अध्याय नौ भागों में विभाजित किया गया है। अगला भाग इस अध्याय में उपयोग किए गए शैक्षणिक उपलब्धियों के धार्मिक श्रेणियों में साक्षरता के स्तर और समय के साथ उनमें कितना बदलाव आया है, इसका विश्लेषण करता है। स्कूली शिक्षा के तीन महत्वपूर्ण पहलू यानि कि कितने वर्षों तक शिक्षा ग्रहण की, दाखिले और उपस्थिति दर, का विश्लेषण भाग 4 में किया गया है। इसके बाद के दो भाग विभिन्न सामाजिक-धार्मिक श्रेणियों में शैक्षणिक उपलब्धियों की भिन्नताओं का विश्लेषण करने के लिए समर्पित हैं। जहां भाग 5 स्कूली शिक्षा पर केंद्रित है, भाग 6 उच्च शिक्षा की उपलब्धियों का विश्लेषण करता है। भाग 7 शैक्षणिक उपलब्धियों से संबंधित कारकों का अध्ययन करने का उपक्रम करता है। यह भी सुनिश्चित करने की कोशिश की गई है कि आर्थिक स्थिति, निवास का स्थान और कुछ दूसरे सामाजिक-आर्थिक कारकों पर नियंत्रण करने के बाद भी क्या किसी सामाजिक-धार्मिक श्रेणी से संबंध होना शैक्षणिक उपलब्धि का महत्वपूर्ण कारक हो सकता है। अपने बच्चों की शिक्षा के लिए स्कूल का चुनाव भी एक महत्वपूर्ण निर्णय है। भाग 8 मुस्लिम समुदाय को शिक्षा उपलब्ध कराने में मददगारों की भूमिका और दूसरे शैक्षणिक संस्थानों के रूप में उन्हें अन्य विकल्प उपलब्ध करने के बारे में बात करता है। मुस्लिम शिक्षा पर बातचीत शैक्षणिक सेवाओं में उर्दू भाषा की भूमिका को उजागर करता है जिससे कि मुसलमान आबादी के बड़े हिस्सों तक इनकी पहुंच बढ़ सके। भाग नौ इसी मुद्दे को उठाता है। अंतिम भाग विश्लेषण का सार बताता है और कुछ नीतिगत विकल्पों के बारे में मुख्य बातें बताता है।

2. शैक्षणिक उपलब्धि के मानक

चूंकि शैक्षणिक उपलब्धि और कमी के संख्यात्मक और गुणात्मक आयाम दोनों ही होते हैं, उनकी विभिन्नताओं को मापना आसान नहीं है। आंकड़ों के विभिन्न स्रोतों के आधार पर कई मानक विकसित किए गए हैं। बाहरी आंकलन बताते हैं कि बहुत से शिक्षित कहे जाने वाले लोगों में असली जिंदगी की परिस्थितियों¹ में अपने पढ़ाई लिखाई के कौशल को लागू करने की क्षमता नहीं होती और स्कूल छोड़ने के चार पांच वर्षों के भीतर ही वापिस असाक्षरता के स्तर तक पहुंच जाते हैं। जनगणना की परिभाषा में इस पहलू पर ध्यान नहीं दिया गया है। इसके उलट राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की परिभाषा पढ़ाई, लिखाई और गणित के कौशल को हासिल करने और रोजमर्रा की जिंदगी में उसे इस्तेमाल करने की क्षमता पर ध्यान केंद्रित किया गया है।² मुसलमानों और अन्य सामाजिक-धार्मिक श्रेणियों में शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर उपलब्धियों में विभिन्नताओं को मापने के लिए, निम्नलिखित तथ्यों का इस्तेमाल किया गया है:

- साक्षरता दर: कमियों के बावजूद, साक्षरता शैक्षणिक उपलब्धि का सबसे आसानी से समझ आने वाला और सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला संकेतक है। जनगणना साक्षरता दर को सात वर्ष और उससे ऊपर के पढ़ और लिख सकने वाले लोगों के प्रतिशत के रूप में मापता है।
- शिक्षा के उल्लेखनीय स्तर को पूरा करने वाली आबादी का भाग कम से कम स्नातक तक पढ़ाई पूरी

1. राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 6-1994 (www.nlm.nic.in)

2. इसी प्रकार, संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संस्थान (यूनेस्को) की साक्षर व्यक्ति की परिभाषा है, “वह व्यक्ति जिसने वो सारा जरूरी ज्ञान और कौशल हासिल कर लिए हैं, जिससे वो अपने वर्ग और समुदाय के प्रभावी तरीके से कामों में, जिनमें साक्षरता की जरूरत हो, संलग्न होने के समर्थ हो जाए और जो लिखने, पढ़ने और संख्या के बारे में इतना जानता हो कि वो इन कौशलों का अपने और अपने समान के विकास के लिए इस्तेमाल कर सके।”



करने वालों का आबादी में भाग, शैक्षणिक उपलब्धि के उच्च स्तरों के मापक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह, दसवीं या मैट्रिकुलेशन तक की शिक्षा अध्ययन के स्तर का मापक है। प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च-माध्यमिक शिक्षा की शैक्षणिक उपलब्धि को भी इसी तरह परिभाषित किया गया है।³ हर मामले में, लोगों की संख्या को संबंधित आयु वर्ग⁴ की आबादी के प्रतिशत के रूप में बताया गया है।

- **स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष:** संबंधित आयु की अवधि में एक व्यक्ति ने औसतन कितने वर्षों तक स्कूली शिक्षा हासिल की। दसवीं के लिए इसका आंकलन 7 से 16 वर्ष के आयु वर्ग के लिए किया जाता है।
- **दाखिले की दर:** यह उन बच्चों का आंकलन है जो वर्तमान में स्कूलों में दाखिला पाए हुए हैं और कक्षाओं में उपस्थित होते हैं।⁵

शैक्षणिक उपलब्धियों को मापने के लिए जनगणना 2001 आंकड़ों का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, जिसमें पहली बार शिक्षा के स्तरों पर धर्म के हिसाब से और अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए जानकारी उपलब्ध कराई। हालांकि सभी वर्गों के आंकड़े यहां दिए गए हैं, उसका संपूर्ण रूप से आंकलन करना संभव है। यह विभिन्न स्तर की शैक्षणिक उपलब्धि वाले लोगों के आयु का विवरण जान कर किया गया है। इन आयु-विशेष मानकों को पाने के लिए जो तरीका इस्तेमाल में लाया गया, उसके विवरण के बारे में तकनीकी सूचना 4/ और 4-2 में बताया गया है जहां इस अध्याय के लिए जनसंख्या गणना 2001 आंकड़ों का मुख्य स्रोत है, जहां जरूरत पड़ी वहां विश्लेषण की गुणवत्ता को और बेहतर बनाने के लिए राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संस्थान के 61 वें चक्र के आंकड़ों का भी इस्तेमाल किया गया है।

जहां ऊपर दिए गए सभी मापक संख्यात्मक हैं, कई और आंकड़ों के स्रोतों के द्वारा शिक्षा के गुणात्मक आयामों का अध्ययन किया गया है। उदाहरण के लिए, दाखिले और उपस्थिति की दर, शैक्षणिक संस्थानों का चुनाव जैसे कि सरकारी, निजी या मदरसे की शिक्षा तक पहुंच और उसकी कीमत और अन्य गुणात्मक आयामों का अध्ययन करने के लिए राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संस्थान, राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, राष्ट्रीय शैक्षणिक योजना और प्रशासन संस्था, माध्यमिक शिक्षा का केंद्रीय बोर्ड, और राष्ट्रीय प्रायोगिक अर्थिक अनुसंधान द्वारा कराए गए मानव विकास सर्वेक्षणों के आंकड़ों का इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा उच्च शिक्षा संस्थान जैसे कि विश्वविद्यालय, भारतीय प्रबंधन संस्थान, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान और देश के विभिन्न हिस्सों में अन्य तकनीकी और रोजगारोन्मुख शैक्षणिक संस्थानों के आंकड़े, शिक्षा के उच्चतर स्तरों तक पहुंच के विभिन्न आयामों को उजागर करने के लिए, प्रयोग में लाए गए हैं। संपूर्ण भारत तथा चुने हुए राज्यों के लिए आंकलन प्रस्तुत किए गए हैं और जहां भी संभव हो सका है, शहरी और ग्रामीण इलाकों के लिए और लिंग के हिसाब से अलग से आंकलन दिया गया है। राज्य-स्तर के आंकलनों को परिशिष्ट तालिका 4 में भी दिया गया है, जिससे जो लोग इस अध्याय में उठाए गए मुद्दों की तह तक जाना चाहते हैं, उन्हें यह आंकड़े आसानी से उपलब्ध हो जाएं।

3. साक्षरता के स्तर

साक्षरता के सबसे अधिक प्रयुक्त हुए आंकलन जनगणना में उपलब्ध हैं। भारत की तकरीबन 65 प्रतिशत जनता साक्षर है।⁶ उम्मीद के मुताबिक, पुरुषों में महिलाओं से साक्षरता का स्तर अधिक या-53 प्रतिशत के मुकाबले 75। 30 प्रतिशत शहरी इलाकों में भी ग्रामीण इलाकों से साक्षरता ज्यादा थी। 71 प्रतिशत के

3. मैट्रिकुलेशन का मतलब है दसवीं कक्षा तक पढ़ाई पूरी करना और संबंधित बोर्ड/ परिषद की परीक्षा में पास होना।
4. संबंधित आयु वर्ग है: 12 वर्ष और ऊपर (प्रारंभिक शिक्षा) 15 वर्ष और ऊपर (माध्यमिक स्कूली शिक्षा), 17 वर्ष और ऊपर (मैट्रिकुलेशन/ दसवीं पास), 19 वर्ष और ऊपर (उच्चतर माध्यमिक शिक्षा और डिप्लोमा) और 20 वर्ष और ऊपर (स्नातक)।
5. राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के आंकड़े जानकारी देते हैं कि कितने बच्चे वर्तमान समय में स्कूल जाते हैं, कितनों ने दाखिला लिया, पर बाद में पढ़ाई छोड़ दी और कितने कभी स्कूल ही नहीं गए इसलिए, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संस्थान के लिए, दाखिले और उपस्थिति की दर एक ही है। यहां उन दोनों का प्रयोग एक दूसरे के लिए किया गया है।
6. अधूरे कार्यभार को इस तथ्य से परखा जा सकता है कि छः वर्ष से ऊपर के 47-8 करोड़ लोग अभी भी निरक्षर हैं।
7. इस बात को नकारा नहीं जा रहा है कि इन समुदायों में साक्षरता का स्तर आज भी कम है और उसमें सुधार की जरूरत है।

बहुत से साक्षर कहे जाने वाले लोगों में असली जिंदगी की परिस्थितियों में अपनी पढ़ाई-लिखाई के कौशल का इस्तेमाल करने की क्षमता नहीं होती और कई बार उनमें से एक बड़ा हिस्सा स्कूल छोड़ने के 4-5 वर्ष बाद फिर से निरक्षरता की जद में आ जाता है।




मुकाबले 79- प्रतिशत। शहरी और ग्रामीण इलाकों में तथा लिंग में 20 प्रतिशत अंकों का यह अंतर पिछले दो दशकों से ज्यादा समय से भारतीय समाज में लगातार बना हुआ है, इसके बावजूद इस अवधि में साक्षरता के स्तर बढ़े हैं।

मुसलमानों और अनुसूचित जाति-जनजाति में निम्न साक्षरता स्तर अनुसंधानों में काफी अच्छी तरह से वर्णित किया गया है। साठ के दशक के मध्य में, इन दोनों ही वर्गों में साक्षरता दर कम था और 'बाकी सभी' से तो काफी कम था।⁷ परंतु, बहुत से राज्यों में, अनुसूचित जाति-जनजाति की स्थिति मुसलमानों से खराब थी। 2001 में मुसलमानों की साक्षरता दर 59.1 प्रतिशत थी। यह राष्ट्रीय औसत 65 प्रतिशत से काफी कम है। अगर अनुसूचित जाति-

2001 में मुसलमानों में साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से काफी कम थी।

जनजाति, जिनका साक्षरता दर और भी कम यानि 52.2 प्रतिशत है, और मुसलमानों को हटा दिया जाए, तो 'बाकी सभी' श्रेणी में 70.8 प्रतिशत का उच्च साक्षरता दर है। शहरी इलाकों में, मुसलमानों के साक्षरता स्तर (70.1 प्रतिशत) और राष्ट्रीय स्तर में 11 प्रतिशत अंकों का अंतर है और 'बाकी सभी' श्रेणी से 15 प्रतिशत अंकों का अंतर है। हालांकि ग्रामीण इलाकों में साक्षरता का स्तर कम है (मुसलमानों के लिए 52.7 प्रतिशत), तुलनात्मक श्रेणियों में अंतर कम हैं। यह बताना जरूरी है कि शहरी और ग्रामीण भारत में अभी भी अनुसूचित जाति-जनजाति सबसे कम साक्षर वर्ग हैं। हालांकि, अनुसूचित जाति-जनजाति और मुसलमान पुरुषों में 64 प्रतिशत का साक्षरता दर कम तो नहीं है पर 'बाकी सभी' के 8 प्रतिशत के स्तर से काफी कम है। इसके उलट, मुस्लिम महिलाओं का 50 प्रतिशत का साक्षरता स्तर दूसरे समुदायों की महिलाओं के बराबर ही है और ग्रामीण भारत में अनुसूचित जाति-जनजाति की महिलाओं से काफी आगे है।

राज्य स्तर का आम विश्लेषण मुसलमानों की बेहतर तस्वीर पेश करता है। 21 चुने हुए राज्यों में से 10 में मुसलमानों में प्रदेश स्तर की साक्षरता दर राज्य के औसत से अधिक थी। इनमें झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और गुजरात शामिल हैं (परिशिष्ट तालिका 4.1 देखें)। पर यह आंकलन धोखा दे सकते हैं और



वर्ग विशेष में उपलब्धि के निम्न स्तरों को छुपाते हैं। इनमें से काफी राज्यों में उच्च कुल साक्षरता दर के साथ-साथ पुरुषों और महिलाओं, दोनों में ही, निम्न शहरी साक्षरता स्तर पाया गया।

उदाहरण के लिए, आंध्र प्रदेश में कुल 61 प्रतिशत साक्षर आबादी में से 68 प्रतिशत मुसलमान साक्षर हैं, जबकि 'बाकी सभी' में 63 प्रतिशत ही साक्षर हैं। जब पुरुषों और महिलाओं के कुल साक्षरता स्तर के बारे में सोचा गया, मुसलमान (77 प्रतिशत और 59 प्रतिशत पर) 'बाकी सभी' (73 प्रतिशत और 92 प्रतिशत पर) से बेहतर हैं। परंतु, मुसलमानों में शहरी साक्षरता स्तर दोनों ही लिंगों में अनुसूचित जाति-जनजाति को छोड़कर बाकी सभी सामाजिक-धार्मिक श्रेणियों से कम हैं (चित्र 4.2)। आंध्र प्रदेश इस तथ्य को उजागर करता है कि मानव विकास के साक्षरता जैसे महत्वपूर्ण



आरक्षण को सिर्फ राज्य स्तर पर ही नहीं विश्लेषित किया जाना चाहिए। इसलिए, उचित स्तरों पर अलग-अलग विश्लेषण का उपक्रम किए जाने की जरूरत है। आम तौर पर, राज्य स्तर के आंकलन बताते हैं कि मुसलमानों और आम औसत में साक्षरता का अंतर शहरी इलाकों में ज्यादा है, विशेष तौर से मुस्लिम महिलाओं में, राज्य की उस समय के औसत साक्षरता परिस्थिति से काफी अधिक कमी है। परंतु, तमिलनाडु जैसे राज्य भी हैं, जहां सामाजिक-धार्मिक श्रेणियों में न्यूनतम अंतर हैं। चूंकि रहने की जगह (ग्रामीण-शहरी) और लिंग (पुरुष-महिला) की पहचान, दोनों ही नीति यंत्रों का केंद्र हो सकते हैं, यह सुझाव दिया जाता है कि पहले अलग-अलग तस्वीर पर गौर करने के बाद ही वित्तीय स्रोतों के आवंटन के बारे में कोई निर्णय लिया जाए।

3.1 साक्षरता स्तर में समयानुसार चलन

समय के साथ, सभी समुदायों के साक्षरता स्तर में सुधार हुआ है, पर विकास की दर एक सी नहीं रही है। संपूर्ण भारत की तस्वीर साठ के दशक में मुसलमानों में, अनुसूचित जाति-जनजाति और 'बाकी सभी' में काफी अंतर दर्शाता है। इस अवधि में शहरी इलाकों में तो यह अंतर कुछ हद तक कम हुआ है, पर ग्रामीण इलाकों में वैसा ही बना हुआ है। अनुसूचित जाति-जनजाति में साक्षरता का स्तर अन्य सामाजिक-धार्मिक श्रेणियों की तुलना में तेजी से बढ़ा है। इससे वो नब्बे के दशक के मध्य तक राष्ट्रीय स्तर पर मुसलमानों से आगे निकलने में सफल रहे हैं जबकि 'बाकी सभी' से यह अंतर कम हुआ है। यह चलन पुरुषों और महिलाओं में तथा शहरी और ग्रामीण इलाकों, दोनों में ही एक सा है। परिशिष्ट चित्र (समूह) 4.1 को भी चुने हुए राज्यों में चलन के बारे में जानने के लिए देखें। मतलब यह कि तुलनात्मक रूप से उच्च साक्षरता स्तर वाले समुदायों में तो स्थिति और सुधर ही रही है, पर अप्रत्यक्ष रूप से सकारात्मक क्रिया से अनुसूचित जाति-जनजाति को भी फायदा हुआ है।⁸ दूसरी तरफ मुसलमान अपनी शैक्षणिक स्थिति को सुधारने की जरूरत पर ठीक से प्रतिक्रिया नहीं कर पाए हैं। परिणामतः, उनके 'बाकी सभी' वर्ग से, जिसमें पहले से ही साक्षरता अधिक था, अंतर और बढ़ गया, खासतौर से अस्सी से दशक स्तर से बाद से।

तालिका 4.1 राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 61 वें चक्र (2004-05) के आंकड़ों से संगणित आयु विशेष में साक्षरता दर के बारे में बताती है। आंकलन साफ-साफ बताते हैं कि हाल के वर्षों में अनुसूचित जाति-जनजाति की आबादी में मुसलमानों की तुलना में साक्षरता दर अधिक तेजी से बढ़ी है। जहां बड़ी उम्र के वर्गों में मुस्लिम समुदाय में साक्षरता स्तर कहीं अधिक था, कम उम्र के वर्गों में यह अनुसूचित जाति-जनजाति में ज्यादा है। इसलिए, जनगणना के आंकड़ों में जो चलन देखा गया वो राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संस्थान के आंकड़ों से प्रमाणित हो गया।

राज्य स्तर के आकलन दिखाते हैं कि शहरी इलाके में और महिलाओं में सामान्य औसत और मुसलमानों में साक्षरता का अंतर अधिक है।

मुसलमान अपनी शैक्षणिक हालत को सुधारने की बाधा पर प्रतिक्रिया देने में असफल रहे हैं।

तालिका 4.1: जनसंख्या के अनुपात में आयु समूहों में साक्षरता दर- 2004-05

आयु वर्ग	हिंदू			मुस्लिम	अन्य अल्पसंख्यक
	सामान्य	अन्य पिछड़ा वर्ग	अनु जाति-जाति		
6-13 वर्ष	90.2	80.8	74.7	74.6	88.5
14-15 वर्ष	95.7	87.5	80.0	79.5	91.9
16-17 वर्ष	95.0	85.2	78.6	75.5	91.3
18-22 वर्ष	91.4	76.9	65.0	70.5	85.8
23 वर्ष और ऊपर	74.0	50.6	36.5	46.1	67.0
कुल	80.5	63.4	52.7	59.9	75.2

स्रोत: राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संस्थान के 61 वें चक्र के आंकड़ों से संकलित, सारिणी10 (2004-05).

परंतु उच्च स्तर की शिक्षा में सामाजिक-धार्मिक श्रेणियों में अंतर कितना गंभीर है? क्या साक्षरता के स्तर में पाई गई, भिन्नताएं उच्चतर स्तर की स्कूली शिक्षा और कॉलेज की शिक्षा में भी बनी रहती है? अब हम इन्हीं मुद्दों का विश्लेषण करेंगे।




4 दाखिले की दर और स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष

स्कूली शिक्षा के वर्ष और वर्तमान दाखिले आपस में जटिल रूप से संबंधित हैं। दाखिले और उपस्थिति के बिना, छात्रों को स्कूलों से फायदा नहीं होता। दाखिले और उपस्थिति का निम्न स्तर का मतलब है औसत रूप से स्कूली शिक्षा के वर्षों का कम होना।

4.1 स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष

भारतीय जनगणना 2001 में पहली बार वो आंकड़े उपलब्ध कराए गए जिससे कुछ हद तक स्कूली शिक्षा के औसत वर्षों का सामाजिक-धार्मिक श्रेणियों के हिसाब से आंकलन कर सके। आबादी जिसने मैट्रिक की

चित्र (समूह) 4.3: संपूर्ण भारत में सामाजिक समूहों द्वारा साक्षरता दर- 2001







पढ़ाई पूरी कर ली, उसको जानने के लिए 7-16 वर्ष के बच्चों का स्कूली शिक्षा के औसत वर्षों का आंकलन किया गया।¹⁰ इसके नतीजे चित्र 4.4 में दिखाए गए हैं।

चूंकि जनगणना सामाजिक-धार्मिक श्रेणियों के हिसाब से पूरे हो चुके साक्षरता के स्तरों पर आंकड़े उपलब्ध कराते हैं, स्कूली शिक्षा के औसत वर्षों की गणना थम जाती है। इस आंकलन में जो अभी भी पढ़ रहे हैं उनके शिक्षा के पूरे हुए वर्षों को नहीं शामिल किया जा सकता। परंतु अगर इन बच्चों को अतिरिक्त लाभ देकर पढ़ाई छोड़ने को कम किया जा सके, तो स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष बढ़ जाएंगे।

यह देखा जा सकता है कि औसतन एक बच्चा मात्र चार सालों के लिए ही स्कूल जाता है। मुसलमानों में स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष सबसे कम हैं (लगभग तीन वर्ष चार महीने)। विभिन्न सामाजिक-धार्मिक श्रेणियों का लिंग और निवास स्थान के हिसाब से तुलना भी, मुस्लिम समुदाय में लगातार कम औसत वर्षों की स्कूली शिक्षा का स्तर दिखाती है। सभी बच्चों के औसत स्कूली वर्षों की तुलना में मुसलमान बच्चों के औसत स्कूली वर्ष मात्र 83 प्रतिशत ही हैं और यह अंतर ग्रामीण लड़कों में सबसे ज्यादा है (जहां मुस्लिमों के औसत स्कूली वर्ष सभी ग्रामीण बच्चों का मात्र 78 प्रतिशत है), और उसके बाद आती हैं ग्रामीण लड़कियां। यह बात रोचक लगी कि शहरी बच्चों में भी लड़कियों की तुलना में लड़कों में अधिक भिन्नताएं हैं।

सभी राज्यों में, विशेषकर पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश, में भी मुसलमानों की खराब स्थिति देखी गई। इन दोनों राज्यों में, सभी सामाजिक-धार्मिक श्रेणियों में, मुसलमान बच्चों के औसत स्कूली वर्ष सबसे कम थे। लगभग सभी राज्यों में 'बाकी सभी' से मुसलमान बच्चों के औसत स्कूली वर्ष कम थे। सिर्फ छत्तीसगढ़ में (जहाँ 2 प्रतिशत मुस्लिम हैं), मुसलमानों के औसत स्कूली वर्ष 'बाकी सभी' से ज्यादा थे (परिशिष्ट तालिका 4.2)। मुसलमानों और अनुसूचित जाति-जनजाति की तुलनात्मक स्थिति में काफी भिन्नताएं हैं। मुसलमानों के औसत स्कूली वर्ष पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, असम, उत्तरांचल जैसे राज्यों में मुसलमान बच्चे अनुसूचित जाति-जनजाति की तुलना



8. यह कहा जाता है कि आरक्षण की वजह से अधिक रोजगार मिलने की संभावना और नतीजतन आर्थिक सुरक्षा से बच्चों की शिक्षा में अनुसूचित जाति-जनजाति के परिवारों द्वारा निवेश को बढ़ावा मिला है (देसाई और कुलकर्णी, 2006)

9. तकनीकी सूचना 4.1 में इस्तेमाल किए गए तरीके के बारे में समझाया गया है।

10. चूंकि 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का विवरण नहीं था, जनगणना ने छह वर्ष से छोटे सभी बच्चों को एक ही श्रेणी में डाल दिया। इस तरीके पर आधारित पर स्कूली शिक्षा के आंकलन अधिक संख्या में होंगे, क्योंकि उसे आयु विशेष से विभाजित किया जाएगा, जबकि सामान्य तौर पर विभाज्य और विभाजित, दोनों में ही 'पूरी आबादी' का प्रयोग होता है।



में अधिक समय तक स्कूलों में रहते हैं।

4.2 दाखिले की दर

जनगणना दाखिले और उपस्थिति के दर के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं कराती। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संस्थान में वर्तमान में दाखिला प्राप्त बच्चों का आंकलन उपलब्ध है और राष्ट्रीय प्रायोगिक आर्थिक अनुसंधान परिषद के 2004-5 के भारत मानव विकास सर्वेक्षण से उपस्थिति के स्तरों के काम चलाऊ आंकड़े मिल गए। समिति को राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संस्थान के 61 वें चक्र के आंकड़े (2004-05) मिले। इन आंकड़ों की 55 वें चक्र (1999-2000) की संख्याओं के साथ तुलना की गई जिससे कि समय के साथ दाखिले के दर के चलन को परखा जा सके। यह देखा जा सकता है कि सभी सामाजिक-धार्मिक श्रेणियों में वर्तमान दाखिले और उपस्थिति की दरें काफी बढ़ी हैं (चित्र 4.5)।


जहां सभी सामाजिक-धार्मिक श्रेणियों में दाखिला बढ़ा है, दाखिलों में यह सबसे अधिक है (95 प्रतिशत), और उसके बाद आते हैं मुसलमान (65 प्रतिशत)। हालांकि, इस बढ़त से मुसलमानों के दर्जे की तुलनात्मक स्थिति में कोई बड़ा अंतर नहीं आया है, परंतु विभिन्न सामाजिक-धार्मिक श्रेणियों में अंतर काफी कम हुआ है। 1999-00 में, दलितों को छोड़कर सभी सामाजिक-धार्मिक श्रेणियों में मुसलमानों के दाखिले दर सबसे कम थी और कुल आबादी के औसत दाखिले दर की 78 प्रतिशत थी। 2004-05 में मुसलमानों का प्रवेश दर अन्य पिछड़े वर्गों से थोड़ा अधिक था पर औसत प्रवेश दर से कुछ ही कम था। यह एक सकारात्मक चलन है जो मुस्लिम समुदाय का शिक्षा के प्रति बढ़ते रुझान को प्रतिबिंबित करता है और समिति द्वारा देखा गया। इसके बारे में अध्याय 2 में बताया गया है।

सामाजिक-धार्मिक श्रेणियों में तुलना दर्शाती है कि मुस्लिम समुदाय में शिक्षा के औसत वर्ष का स्तर लगातार गिरता जा रहा है।


राज्य के अनुसार विश्लेषण करने से पता चलता है कि अधिकतर राज्यों में मुस्लिम बच्चों की प्रवेश दर काफी अधिक है। केरल, कर्नाटक, दिल्ली, महाराष्ट्र और कुछ अन्य राज्यों में मुसलमानों में प्रवेश दर राज्य के औसत से अधिक है। दूसरी तरफ, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और उत्तरांचल जैसे राज्यों में उनमें प्रवेश की दर बहुत ही कम है। (राज्य के औसत के 70 प्रतिशत से भी कम) सच तो यह है कि उत्तर प्रदेश, झारखंड और आंध्र प्रदेश में, मुसलमान बच्चों का प्रवेश दर बाकी सभी सामाजिक-धार्मिक श्रेणियों से कम है (परिशिष्ट तालिका 4.3)।

राष्ट्रीय प्रायोगिक आर्थिक अनुसंधान परिषद के सर्वेक्षण में वर्तमान प्रवेश दरों का भी आंकलन था। नीचे उनके बारे में बताया गया है। वर्तमान प्रवेश दर के ये आंकलन राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संस्थान के आकलनों से कम हैं। मुसलमानों (74 प्रतिशत) और बाकी आबादी (83 प्रतिशत) में काफी अधिक अंतर है। केरल और तमिलनाडु में प्रवेश दर 90 प्रतिशत से अधिक है और कर्नाटक, महाराष्ट्र और दिल्ली में भी संतोषप्रद (80 प्रतिशत से अधिक) है। मगर इस बात पर भी गौर करने की जरूरत है कि किसी भी राज्य में वर्तमान

चित्र. 4.6: मुसलमानों और अन्य सभी में उपस्थिति के स्तर (नामांकन) में अंतर




चित्र. 4.7: मुसलमानों और अन्य सभी में उपस्थिति के स्तर (नामांकन) में अंतर





उपस्थिति दर बाकी की आबादी से अधिक नहीं है। इसके उलट, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश असम, आंध्र प्रदेश और कुछ छोटे राज्यों में प्रवेश दर में काफी अंतर है (चित्र 4.6 और 4.7)।

राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संस्थान के आंकड़ों में उन छात्रों की स्थिति का भी विश्लेषण किया गया है जो वर्तमान में स्कूल नहीं जाते। उन छात्रों को दो समूहों में बांटा जा सकता है- वो जो कभी भी किसी स्कूल में नहीं गए ('कभी भी दाखिला ना पाने वाले'), और वो जिन्होंने दाखिला तो लिया पर बाद में 'पढ़ाई छोड़ दी' ('पढ़ाई छोड़ने वाले')



6-14 वर्ष के आयु वर्ग के 25 प्रतिशत तक के मुसलमान बच्चे या तो स्कूल में दाखिल नहीं हुए या उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी। इस विश्लेषण में यह और सभी सामाजिक-धार्मिक श्रेणियों से अधिक है। मुसलमानों में पढ़ाई छोड़ने वालों की दर भी अधिक है और सिर्फ दलितों की ही पढ़ाई छोड़ने की दर, उनसे थोड़ी सी ज्यादा है (चित्र 4.8)।

पूरी तरह से देखें तो जहां पढ़ाई छोड़ने वाले और कभी स्कूल ना जाने वाले बच्चे अभी भी अधिकतर अन्य सामाजिक-धार्मिक श्रेणियों से अधिक हैं, हाल के कुछ वर्षों में प्रवेश की दर काफी बढ़ी है। हाल के एक अध्ययन से पता चला कि परिवार की आर्थिक परिस्थितियों के अलावा, विभिन्न समुदायों में स्कूल में दाखिला लेने पर विकास के स्थानीय स्तर (जैसे कि स्कूलों की उपलब्धता और अन्य संरचना) और माता पिता के शैक्षणिक स्तर का काफी प्रभाव पड़ता है। 1993-94 के अध्ययन के आंकड़े बताते हैं कि गांव के विकास और माता-पिता की शिक्षा के उच्च स्तर से सभी समुदायों में स्कूलों में प्रवेश दर बढ़ता है। रोचक रूप से, एक बार बच्चों को 'अधिक सकारात्मक' माहौल मिल जाए (जैसे कि जब माता-पिता, विशेषकर मां साक्षर हों और संरचनात्मक सुविधाएं बेहतर हों), दाखिले के दर में अंतरसमुदायी (हिन्दू/दलित/ मुसलमान) अंतर उल्लेखनीय नहीं रह जाता। इसके अलावा, माता-पिता की शिक्षा में अंतरसमुदायी (विशेषकर हिन्दू- मुस्लिम) अंतर को समझने के लिए स्थानीय विकास कारक से ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। इन नतीजों पर अगर गौर किया जाए, तो हाल में प्रवेश दर में वृद्धि आश्चर्यजनक है क्योंकि 1999-2000 और 2004-05 में माता-पिता की शिक्षा में अधिक बढ़ोत्तरी की उम्मीद नहीं की जा सकती। मुसलमान दाखिले में निरक्षर मां-बाप और अन्य सामाजिक आर्थिक बंधनों के रोड़ों को पार करते दिख रहे हैं।

दलितों में प्रवेश दर में सबसे अधिक वृद्धि हुई है, उसके बाद आते हैं मुसलमान।

5. शैक्षणिक उपलब्धि में भिन्नताएं: स्कूली शिक्षा


आयु के हिसाब से शिक्षा के स्तरों के बारे में जनगणना आंकड़ों में तीन सामाजिक - धार्मिक श्रेणियों, यानि मुसलमानों, अनुसूचित जाति/ जनजाति और 'बाकी सभी' की शैक्षणिक उपलब्धियों का आंकलन किया जा सकता है। स्कूली स्तर की उपलब्धि की चार श्रेणियों को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है:

1. प्रारंभिक शिक्षा: 12 वर्ष से अधिक उम्र के लोग जिन्होंने स्कूली शिक्षा के कम से कम पांच वर्ष पूरे कर लिए हैं, उनका विश्लेषण किया गया।
2. माध्यमिक स्तर की शिक्षा: 15 वर्ष और उससे ऊपर के लोग जिन्होंने शिक्षा के कम से कम आठ साल पूरे कर लिए हैं, उन्हें इस समूह में शामिल किया गया है।
3. मैट्रिकुलेशन: वो लोग जिन्होंने स्कूल के दस वर्ष पूरे कर लिए हैं और कम से कम 17 साल के हैं,

11. आंध्र प्रदेश के आंकड़े कुछ चौंकाने वाले हैं क्योंकि यह राज्य मुसलमानों में साक्षरता का काफी अधिक आंकलन दर्शाता है।
12. इस अध्ययन के विवरण के लिए बरूआ और अय्यर देखें।



चित्र (समूह) 4.9: विभिन्न सामाजिक-धार्मिक श्रेणियों में साक्षरता दर



उन्हे इस समूह में शामिल किया गया है।

- उच्च माध्यमिक: वो लोग जिन्होंने स्कूली शिक्षा के 12 वर्ष पूरे कर लिए हैं और उच्च माध्यमिक या उसके समकक्ष परीक्षा पास कर ली है और 19 वर्ष या उससे अधिक उम्र के हैं। तकनीकी/ गैर-तकनीकी डिप्लोमा हासिल करने वाले जो माध्यमिक स्तर की शिक्षा के बाद ही प्राप्त हो सकते हैं और इस कारण से उच्च माध्यमिक स्तर के समकक्ष हैं, उन्हे भी इस समूह में शामिल किया गया है।

6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के मुस्लिम बच्चों में से 25 फीसदी या तो कभी स्कूल नहीं गए या उन्होंने पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी।


आम तौर पर, विभिन्न सामाजिक-धार्मिक श्रेणियों की स्कूली शिक्षा की उपलब्धि में भिन्नताएं, शहरी और ग्रामीण दोनों इलाकों में बहुत होती है। अधिकतर, मुसलमानों में उपलब्धि का स्तर-अनुसूचित जाति/जनजाति के आस-पास या उससे थोड़ा ही अधिक है और अन्य सामाजिक-धार्मिक श्रेणियों से काफी कम है। परंतु, कुल मिलाकर देखा जाए तो ग्रामीण इलाकों में मुसलमानों की उपलब्धि का स्तर अधिकतर दलितों से कम है। इसका मुख्य कारण यह है कि ग्रामीण इलाकों में मुसलमान महिलाओं की शैक्षणिक उपलब्धि दलित महिलाओं से कम है। संपूर्ण भारत के स्तर पर जैसे-जैसे हम स्कूली शिक्षा से निम्न से उच्च स्तर की तरफ बढ़ते हैं, मुस्लिम महिलाओं की शैक्षणिक उपलब्धि की तुलनात्मक स्थिति खराब होती जाती है। इन भिन्नताओं को लिंग और निवास स्थान, दोनों के अनुसार, देखा जा सकता है। यह शिक्षा के प्रारंभिक और माध्यमिक स्तर दोनों पर ही देखा जा सकता है। (चित्र समूह 4.9)।

5.1 शैक्षणिक उपलब्धि में समयानुसार चलन:

मैट्रिकुलेशन विश्लेषण अभी तक वर्तमान स्थिति पर ही केन्द्रित है जहां वर्तमान परिदृश्य महत्वपूर्ण है, इसके समय संबंधी संदर्भ को भी जानना जरूरी है। यह समय के साथ-साथ विभिन्न सामाजिक-धार्मिक समूहों



चित्र (समूह) 4.10: संपूर्ण भारत- मैट्रिकुलेशन(पूर्णाता दर)



की शैक्षणिक उपलब्धियों में बदलाव को समझने में मदद करेगा। आम तौर पर शैक्षणिक उपलब्धियों में बदलाव के बारे में उपलब्ध अध्ययन संपूर्ण भारत और राज्य स्तर के सिर्फ संग्रहों के बारे में ही बात करता है। निम्नलिखित में जनगणना 2001 के आंकड़ों को विभिन्न स्तरों की शैक्षणिक उपलब्धियों के चलन को समझने के लिए इस्तेमाल किया गया है। यह जनगणना द्वारा शैक्षणिक उपलब्धियों को उम्र, निवास स्थान, लिंग, धर्म और जाति के अनुसार उपलब्ध कराने में संभव हुआ। आगे, हम सिर्फ मैट्रिकुलेशन के समयानुसार चलनों का विश्लेषण करेंगे क्योंकि पिछले भाग में हम पहले ही साक्षरता को विश्लेषित कर चुके हैं। इन्हे मैट्रिकुलेशन पूर्ति दर कहा गया है।



मुसलमानों में उपलब्धि का स्तर या तो दलितों के आस-पास या उससे थोड़ा ही ऊपर है, पर बाकी सामाजिक-धार्मिक श्रेणियों से काफी कम है।

आजादी के बाद से ही शिक्षा के अवसर बढ़ने से मुसलमानों और अन्य सभी की उपलब्धि स्तर में समानता नहीं आ पाई है।

जहां 17 वर्ष और ऊपर में से 26 प्रतिशत ने मैट्रिकुलेशन पूरी करी है, मुसलमानों में यही प्रतिशत मात्र 17 प्रतिशत है। जैसा कि साक्षरता के मामले में था, मैट्रिकुलेशन के स्तर पर भी, स्वतंत्रता के बाद शैक्षणिक अवसरों के बढ़ने के बाद भी मुसलमानों और 'बाकी सभी' की उपलब्धि के स्तरों में अंतर खत्म नहीं हुआ (चित्र समूह 4.10)। बल्कि सभी चार वर्गों में लिंग और निवास स्थान के हिसाब से अलग-अलग आंकड़ों में मुसलमानों और 'बाकी सभी' में शुरूआती भिन्नताएं और बढ़ गई हैं। यह भिन्नता शहरी इलाकों की महिलाओं और ग्रामीण पुरुषों में सबसे अधिक प्रत्यक्ष है। शहरी पुरुषों में अंतर में अधिक बदलाव नहीं आया है, बल्कि वो लगातार लगभग 30 प्रतिशत अंकों से काफी बड़ा बना हुआ है। अंतर बहुत अधिक है और समय के साथ-साथ बढ़ रहा है, इस उम्मीद से उलट पूरी शैक्षणिक व्यवस्था में सुधार से यह अंतर कम होगा। पर, दलितों में कुछ हद तक यह अंतर कम हुआ है खास तौर से शहरी पुरुषों और महिलाओं में तथा ग्रामीण पुरुषों। यह बदलाव काफी पहले यानि साठ के दशक में ही शुरू हो गया था।

विस्तृत आंकड़े बताते हैं कि केरल जैसे राज्य में भी यही हाल हैं (परिशिष्ट (समूह) 4.) शिक्षा के निम्न स्तरों पर उपलब्धियों के बावजूद, राज्य में मुसलमानों और 'बाकी सभी' शहरी पुरुषों और महिलाओं में असमानता काफी बढ़ी है। पश्चिम बंगाल में, 'बाकी सभी' वर्ग में शहरी पुरुषों के मैट्रिकुलेशन पूरे करनेवालों का प्रतिशत लगभग 50 प्रतिशत पर स्थिर है, जिससे मुसलमान बराबरी पर आ सकें। जहां ग्रामीण इलाकों में और महिलाओं में तुलनात्मक कमी कम है, पश्चिम बंगाल में, शहरी और ग्रामीण दोनों ही इलाकों में कुल मिला कर मुस्लिम महिलाओं की स्थिति समय के साथ 10 प्रतिशत अंकों से भी ज्यादा नीचे लुढ़क गई है। आंध्र प्रदेश एक तरह से इसका अपवाद है क्योंकि मुसलमानों में वहां एक तो शुरु से ही शहरी इलाकों में उपलब्धि का स्तर अधिक रहा है, दूसरे वो दूसरे वर्गों से अधिक पिछड़े भी नहीं हैं। परंतु, उनके विकास की दर कम रही है, जिससे 'बाकी सभी' नब्बे के दशक में उनके समानांतर पहुंच गए। ग्रामीण इलाकों में, मुसलमान दूसरे वर्गों से कुछ पिछड़ गए हैं, पर यह अंतर अभी तक उल्लेखनीय नहीं है।

स्कूली शिक्षा के भीतरी पड़ाव प्रारंभिक, माध्यमिक, दसवीं और उच्च माध्यमिक शिक्षा पूरी करना- एक व्यक्ति को आर्थिक और दूसरे अवसर उपलब्ध कराने में प्रभाव डालने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। विभिन्न समुदायों के लोग किस दर से उच्चतर स्तर की शिक्षा की तरफ बढ़ते हैं, यह जानना महात्वपूर्ण है उदाहरण के लिए, एक बार व्यक्ति प्रारंभिक शिक्षा पूरी कर ले तो क्या माध्यमिक स्तर की शिक्षा पूरी करने की

4.1: जवाहर नवोदय विद्यालय

जवाहर नवोदय विद्यालय प्रतिभावान ग्रामीण बच्चों के उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए शुरू किए गए थे। इन छात्रावास वाले विद्यालयों में बच्चे की 'क्षमता के हिसाब से पाठ्यक्रम पूरा कराया जाता है।' नवोदय विद्यालय समिति को इन विद्यालयों को स्थापित करने और उनका प्रबंधन करने के लिए एक स्वतंत्र संस्था के रूप में स्थापित किया गया। यह सोचा गया था कि देश के हर जिले में एक जवाहर नवोदय विद्यालय होगा। वर्तमान में 551 जिलों में 551 विद्यालय हैं, जिनमें डेढ़ लाख से भी अधिक विद्यार्थी पढ़ते हैं।

जवाहर नवोदय विद्यालय पूरी तरह से छात्रावास वाले कक्षा 6 से 12 तक सह-शिक्षा वाले विद्यालय हैं। यह माध्यमिक शिक्षा के केंद्रीय बोर्ड से संबद्ध हैं और उसी के पाठ्यक्रम को पढ़ाते हैं। कक्षा 8 तक शिक्षा का माध्यम मातृ-भाषा या स्थानीय भाषा होती है। उसके बाद सामाजिक विषयों और कलावर्ग के विषयों के लिए हिंदी माध्यम का तथा गणित और विज्ञान के लिए अंग्रेजी माध्यम का इस्तेमाल किया जाता है। छठी कक्षा में विद्यालय में दाखिले के लिए जिला-स्तर पर माध्यमिक शिक्षा केंद्रीय बोर्ड द्वारा उर्दू साहित्य 21 भषाओं में एक खुली परीक्षा ली जाती है। हर साल 30,000 से अधिक छात्रों को दाखिला दिया जाता है। जहां विद्यालयों में मुफ्त शिक्षा दी जाती है जिसमें रहना, खाना, यूनिफॉर्म और पाठ्य पुस्तकें भी शामिल है, कक्षा 9 से 12 तक 200 रुपए की मामूली मासिक फीस वसूली जाती है। अनुसूचित




जाति-जनजाति के, शारीरिक रूप से विकलांग श्रेणी के और गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के प्रार्थियों के लिए यह फीस माफ होती है।

नवोदय विद्यालयों को स्थापित करने के उद्देश्य -“ श्रेष्ठा का लक्ष्य, समानता और सामाजिक न्याय के साथ” - (शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति, 1986,) को ध्यान में रखते हुए- यह देखना जरूरी है कि मुस्लिम समुदाय को इस योजना से किस हद तक लाभ मिला है, जिसे 1986 की शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति में अधिकारिक रूप से शैक्षणिक रूप से पिछड़ा हुआ माना गया था। ग्रामीण इलाकों में जवाहर नवोदय विद्यालयों जैसे उच्च गुणवत्ता वाले विद्यालयों को स्थापित करते समय यह आशा की जा रही थी कि उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा की मांग कुछ हद तक कम होगी पर इन स्कूलों में मुस्लिमों की भागीदारी संतोषप्रद नहीं है।

चित्र 4.11 से देखा जा सकता है कि सभी बच्चों में मुस्लिम बच्चों का जवाहर नवोदय चुनाव परीक्षा के लिए नामांकन दाखिल करने का, उपस्थित होने का और चुने जाने का प्रतिशत बहुत ही कम है, और आबादी में उनके भाग से काफी कम हैं। यह भी रोचक तथ्य है कि जवाहर नवोदय विद्यालयों के लखनऊ (उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल की आपूर्ति करता है) और हैदराबाद जिसमें (आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, पांडिचेरी, अण्डमान और निकोबार द्वीप शामिल है) जैसे इलाके जहां की आबादी काफी मुसलमान है, वहां भी बहुत कम मुस्लिमों को इनसे लाभ मिल पाया-है। मुस्लिम लड़कियों की स्थिति लड़कों से बदतर है।

चित्र 4.11 जवाहर नवोदय विद्यालय चुनाव परीक्षा में मुसलमान बच्चों का प्रतिशत सूचना:



- 1 हैदराबाद क्षेत्र (आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, पांडिचेरी, अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप)
- 2 लखनऊ क्षेत्र (उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल)
- 3 पटना क्षेत्र (बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल)
- 4 पुणे क्षेत्र (महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, दादर और नगर हवेली तथा दमन व दीव)

आंकड़ों का स्रोत: नवोदय विद्यालय समिति, नई दिल्ली

ग्रामीण इलाके में जवाहर नवोदय विद्यालयों की स्थापना से यह आशा की गई थी कि उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा उपलब्ध कराने में अतिरिक्त बाधाएं कम होंगी..... पर इन स्कूलों में मुस्लिम भागीदारी संतोषजनक नहीं थी।



स्कूली शिक्षा में प्राथमिक शिक्षा ही सबसे बड़ी बाधा लगती है।

प्राथमिक, मध्य एवं उच्च माध्यमिक स्तर पर मुसलमानों में, अन्य सामाजिक-धार्मिक श्रेणियों की तुलना में पढ़ाई छोड़ने की दर सबसे अधिक है।

संभावना में विभिन्न सामाजिक-धार्मिक श्रेणियों के हिसाब से अंतर होता है? हाल के एक अध्ययन में सामाजिक-धार्मिक श्रेणियों के हिसाब से संभावनाओं की जो संगणना की गई है, उसमें काफी रोचक क्रम नजर आ रहे हैं। पहली ध्यान देने योग्य बात तो यह कि सभी समुदायों में 1983-2000 के बीच स्कूल शिक्षा के विभिन्न स्तरों (प्रारंभिक, माध्यमिक, दसवीं आदि) को पूरी करने की संभावना बढ़ी है। मुस्लिमों सहित सभी समुदायों में माध्यमिक स्तर की शिक्षा पूरी करने की संभावना सबसे तेजी से बढ़ी है। पर अंतर तो अब भी है और मुसलमान और दलित दसवीं से पीछे हैं। चार सालों के आंकड़ों के औसत के आधार पर, उच्च वर्ग के हिंदू और मुसलमानों को छोड़कर अन्य धार्मिक वर्गों के योग्य बच्चों में से लगभग 62 प्रतिशत की अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने की संभावना है। उसके बाद आते हैं मुसलमान (44 प्रतिशत), अनुसूचित जाति (39 प्रतिशत) और अनुसूचित जनजाति (32 प्रतिशत) के बच्चे। पर एक बार बच्चे अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी कर लें तो माध्यमिक शिक्षा पूरी करने वाले मुसलमान, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बच्चों का दर समान (65 प्रतिशत) है पर 'बाकी सभी' (78 प्रतिशत) से कम है। दूसरे पड़ाव पर भी यही हाल है। माध्यमिक शिक्षा पूरी करने वाले लगभग 50 प्रतिशत मुसलमान और दलित बच्चों की दसवीं तक की पढ़ाई पूरी करने की संभावना रहती है, जो 'बाकी सभी' वर्ग (62 प्रतिशत) से कम है। रोचक बात यह है कि स्नातक स्तर के पड़ाव पर मुसलमान अनुसूचित जाति और जनजाति से बेहतर कर रहे हैं। जहां दसवीं पास करने वाले 23 प्रतिशत दलित छात्र ही स्नातक तक की शिक्षा ग्रहण कर पाते हैं, मुसलमानों में यह 26 प्रतिशत है और दूसरे वर्गों में यह 34 प्रतिशत है। इन आंकड़ों के हिसाब से जहाँ स्तर में भिन्नताएं हैं, प्रारंभिक शिक्षा को पूरा करना स्कूली शिक्षा में सबसे बड़ी बाधा है। ग्रामीण इलाकों में जवाहर नवोदय विद्यालयों जैसे उच्च गुणवत्ता वाले स्कूलों की उपलब्धता से यह आशा थी कि इससे उच्च गुणवत्ता की शिक्षा की मांग को थोड़ा फायदा मिलेगा परंतु इन स्कूलों में मुसलमानों की भागीदारी संतोषप्रद नहीं है (बॉक्स 4.1 देखें)। स्कूली शिक्षा में मुसलमानों की औसत से कम उपलब्धि को मानते हुए, हम अब उच्च शिक्षा के बारे में बात करेंगे।

6. शिक्षा की उपलब्धियों में भिन्नताएं: उच्च शिक्षा

भारत में, संबंधित आबादी का एक बड़ा हिस्सा अभी भी उच्च शिक्षा के लाभों से वंचित है, और मुसलमान वंचित रह जाने वाले समुदायों की एक महत्वपूर्ण श्रेणी है। (तालिका 4.2) जनगणना आंकड़ों के अनुसार, जहां 20 वर्ष और उससे ऊपर की आबादी में से मात्र 7 प्रतिशत के लगभग स्नातक हैं या डिप्लोमा धारक हैं, मुसलमानों में यह भाग 4 प्रतिशत से भी कम है। इसके अलावा उचित उम्र में (18 वर्ष और ऊपर) तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने वाले मुसलमानों में सिर्फ एक प्रतिशत ही हैं, यानि लगभग 1 प्रतिशत ही नहीं।

जनगणना 2001 के आंकड़ों के आंकलन दिखते हैं कि 20 वर्ष से ऊपर के तकरीबन 3 करोड़ 80 लाख पुरुष और महिलाएं स्नातक और उससे आगे की डिग्री हासिल कर चुके हैं और मात्र 40 लाख लोगों के पास ही तकनीकी डिप्लोमा/ सर्टिफिकेट है। अगर पूरी तरह से देखा जाए तो संबंधित आबादी में से लगभग


तालिका 4.2: सामाजिक-धार्मिक श्रेणियों के अनुसार स्नातक और डिप्लोमा धारक

जनगणना 2001


सामाजिक-धार्मिक श्रेणियां	संख्या (लाख में)		20 वर्ष और अधिक जनसंख्या का प्रतिशत		सामाजिक-धार्मिक श्रेणियों के अनुसार विभाजन		
	स्नातक	डिप्लोमा और सर्टिफिकेट	स्नातक	डिप्लोमा और सर्टिफिकेट	स्नातक	डिप्लोमा	और सर्टिफिकेट
कुल	376.7	40.5	6.7	0.7	100		100
मुस्लिम	23.9	2.7	3.6	0.4	6.3		6.8
अ जाति जनजाति	30.8	4.1	2.4	0.3	8.2		10.2
अन्य सभी	322	33.7	8.8	0.9	85.5		83.0



चित्र 4.12: विभिन्न सामाजिक-धार्मिक श्रेणियों में 20वर्ष की उम्र से अधिक लोगों में स्नातकों का स्तर 2004-05



चित्र 4.13: जनसंख्या में 20 वर्ष से अधिक उम्र के स्नातकों का प्रतिशत : 2004-05




6 प्रतिशत ने स्नातक की शिक्षा पूरी कर ली है और आधे प्रतिशत से कुछ कम के पास ही डिप्लोमा/सर्टीफिकेट स्तर की तकनीकी योग्यताएं हैं। मुसलमानों के मामले में, 40 लाख से भी कम स्नातक है जो कि योग्य आबादी का लगभग 3.6 प्रतिशत हैं, और जो तकनीकी रूप से योग्य है वो 0.4 प्रतिशत पर नाममात्र हैं (तालिका 4.2)। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संस्था के 61 वें चक्र के अनुसार, स्नातक स्तर की शिक्षा से संबंधित जो आंकड़े, उसके द्वारा समिति को उपलब्ध कराए गए, वो दर्शाते हैं कि सबसे अधिक नुकसान में मुसलमान और अनुसूचित जाति/जनजाति हैं क्योंकि आबादी में उनके हिस्से के हिसाब से स्नातक स्तर पर शिक्षा में उनकी भागीदारी बहुत कम है। मुसलमानों में स्नातकों का भाग 6 प्रतिशत है जबकि 20 वर्ष और उससे ऊपर की आबादी में उनका हिस्सा लगभग दुगुना और 11 प्रतिशत से ऊपर है।


इसके अलावा, चित्र 4.13 में लिंग, निवास स्थान और सामाजिक-धार्मिक श्रेणियों के हिसाब से अलग-अलग आकलन दर्शाए गए हैं। उच्चवर्ग से अधिक है, खास तौर से पुरुषों में और शहरी इलाकों में। हिंदू-अन्य पिछड़े वर्गों में आबादी में उनके हिस्से की तुलना में स्नातकों में उनका भाग कम है पर यह 'कमी' (आबादी और स्नातकों में उनके भाग का अनुपात) इस समुदाय के लिए मुसलमानों और दलितों से काफी कम है।

तकनीकी स्नातकों का भाग महत्वपूर्ण है क्योंकि यह एक समुदाय/ राष्ट्र में कितना तकनीकी कौशल उपलब्ध है, उसके बारे में संकेत देता है। मुसलमानों में तकनीकी स्नातकों का हिस्सा प्रति 1000 व्यक्ति में मात्र

चित्र 4.14: 20 वर्ष की उम्र से अधिक लोगों में तकनीकी स्नातकों का स्तर 2004-05



चित्र 4.15: 20 वर्ष की उम्र से अधिक लोगों में डिप्लोमा धारकों का स्तर 2004-05






दो से भी कम है, और उनकी स्थिति दलितों की सभी सामाजिक-धार्मिक श्रेणियों से बुरी है। शहरी इलाक़ों और पुरुषों में तो यह भिन्नता और भी अधिक है। (चित्र 4.18)

डिप्लोमा पाठ्यक्रम यद्यपि निम्न स्तर की शिक्षा और कौशल सिखाते हैं पर तकनीकी शिक्षा के इस निम्न स्तर पर भी मुसलमान दलितों को छोड़कर अन्य सामाजिक-धार्मिक श्रेणियों की तुलना में अच्छा नहीं कर रहे हैं। ऐसे प्रशिक्षण के लिए मुसलमानों और अन्य सामाजिक-धार्मिक श्रेणियों में अंतर अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि मुसलमान काफी संख्या में कलात्मक गतिविधियों में संलग्न हैं और उनमें क्षमता है कि कुछ तकनीकी प्रशिक्षण मिलने पर वो उभरते और आर्थिक रूप से मददगार क्षेत्रों में बढ़िया कर सकें (चित्र

चित्र (समूह) 4.16: संपूर्ण भारत-स्नातक (पूर्णता दर)





4.18)।

6.1 शैक्षणिक उपलब्धि में समयानुसार चलन-उच्चतर शिक्षा

संपूर्ण-भारत स्तर पर स्नातकों का आयु-विशेष के भाग का विश्लेषण (चित्र समूह- 4.16) बतलाता है कि स्नातकों का हिस्सा समय के साथ बढ़ा है। मगर चिंतन के दो मुख्य विषय हैं: (अ) स्नातकों का भाग अभी भी बहुत कम है और (ब) इतने निम्न स्तरों पर भी सामाजिक-धार्मिक श्रेणियों में काफी भिन्नताएं हैं। मुस्लिमों के मामले में, उनकी उपलब्धि 'बाकी सभी' से आधे से भी कम है और यह अंतर, महिलाओं और पुरुषों दोनों के लिए ही, शहरी इलाकों में अधिक है।

शहरी पुरुषों में "स्नातक उपलब्धि देयक" में भिन्नताओं में अगर बदलाव के समयानुसार आयाम को देखें, तो मुसलमानों और 'बाकी सभी' में अंतर लगातार अधिक बना हुआ है। सत्तर के दशक के शुरू तक अंतर में कोई उल्लेखनीय बदलाव नहीं आया था। उसके बाद, अंतर थोड़ा बढ़ गया है। इसके साथ ही शहरी महिलाओं में मुसलमानों और 'बाकी सभी' में तुलनात्मक भिन्नता समय के साथ बढ़ी है। स्वतंत्रता के समय मुसलमानों और 'बाकी सभी' में अंतर तुलनात्मक रूप से कम था। परंतु तब से वो लगातार बढ़ा है और काफी ऊंचे स्तर तक जा पहुंचा है। वर्तमान में शहरी इलाके दोनों लिंगों में अंतर का स्तर बहुत अधिक यानि 15 प्रतिशत अंकों तक है। ग्रामीण इलाके में विकास काफी कम रहा है, विशेषतौर से महिलाओं में। परंतु वहां अभी तक मुसलमानों और 'बाकी सभी' में अभी तक कोई उल्लेखनीय अंतर नहीं पाया गया है।

मुसलमानों और दलितों में तुलना करने से भी कुछ रोचक नतीजे सामने आए हैं। शुरुआत में, मुसलमानों में अनुसूचित जाति-जनजाति से स्नातक उपलब्धि दर थोड़ा अधिक था। योजना के शुरुआती चरणों में, दलितों की गति बहुत ही कम थी जिससे कि मुसलमानों और उनमें अंतर थोड़ा और बढ़ गया था। परंतु सत्तर के दशक में, दलितों में स्नातक उपलब्धि दर मुसलमानों की अपेक्षा तेजी से बढ़ा। इससे मुसलमानों और दलितों में स्नातक उपलब्धि दर आस-पास आ गए। सच तो यह है कि शहरी पुरुषों में यह समानता की प्रक्रिया पचास के दशक में ही शुरू हो गई थी और नतीजा यह हुआ कि सत्तर के दशक तक दलित मुसलमानों से 'आगे निकल' गए थे। इसका परिणाम यह भी हुआ कि स्तर वर्तमान में काफी बढ़ गया है।

ग्रामीण इलाकों में भी ऐसे ही चलन दिखाई पड़ते हैं, पर चूंकि वहां स्नातक शिक्षा पूरी करने वालों का प्रतिशत कम होता है, इसलिए वहां पर स्तर भी काफी कम हैं। पर 'बाकी सभी' की तुलना में मुस्लिम पुरुषों और महिलाओं में अंतर निश्चित रूप से बढ़ रहा है और अगर यह चलन उलट ना गया तो यह संभावना भी लगभग तय है कि मुसलमान दलितों से काफी पिछड़ जाएंगे।

संपूर्ण भारत का यह हाल आयु-विशेष के हिसाब से स्नातक उपलब्धि दर के आंकलन में भी दिखाई दिया। (तालिका 4.3)। 51 वर्ष और ऊपर के लोगों में मुसलमानों में स्नातक उपलब्धि दर 2.1 प्रतिशत पर हिंदू-सामान्य (9.8 प्रतिशत को छोड़कर सभी सामाजिक-धार्मिक श्रेणियों से ज्यादा है। पर 20-30 वर्ष

चूंकि कारीगरी मुस्लिमों की एक अहम गतिविधि है, उन्हें इसका प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। खासकर उन्हें जिन्होंने स्कूली शिक्षा पूरी न की हो।


तालिका 4.3: संपूर्ण भारत में उम्र वर्ग के अनुसार स्नातकों का हिस्सा, 2004-05

आयु वर्ग	हिंदू			मुस्लिम	अन्य अल्पसंख्यक
	सामान्य	अन्य पिछड़ा वर्ग	अनु जाति जनजाति		
20-30 वर्ष	18.6	6.5	3.3	4.5	11.6
30-40 वर्ष	16.8	4.6	2.3	3.3	9.2
40-50 वर्ष	14.6	3.2	1.5	2.8	8.1
51 वर्ष और ऊपर	9.8	1.9	0.9	2.1	5.7
कुल	15.3	4.4	2.2	3.4	8.9

Source: Estimated from NSSO (2004-05) 61st Round, Sch. 10.



चित्र 4.17: आईआईएम में नामांकन प्रक्रिया और मुस्लिम छात्रों का हिस्सा



आयु वर्ग में, जहां मुसलमानों में स्नातक उपलब्धि दर बढ़ कर 4.5 प्रतिशत हो गई है, हिंदु- अन्य पिछड़े वर्गों में स्नातक उपलब्धि दर और भी अधिक बढ़कर 6.5 प्रतिशत हो गई है और हालांकि दलितों में स्नातक उपलब्धि दर अभी भी कम है, पर अपेक्षाकृत अधिक तेजी से बढ़ी है।

राज्य स्तर परिदृश्य

संपूर्ण - भारत में मुसलमानों और 'अन्य सभी' की स्नातक उपलब्धि दर में बढ़ते अंतर का चलन सभी राज्यों में पाया गया (परिशिष्ट चित्र (समूह)। कई राज्यों में, शहरी इलाकों में, मुसलमान ना सिर्फ 'अन्य सभी' से बल्कि दलितों से भी पिछड़ रहे हैं। यह पुरुषों और महिलाओं दोनों में देखा गया। बिहार एक मात्र अपवाद है जहां असमानताएं समय के साथ बढ़ती नहीं है और जड़ हो गई हैं। मुसलमानों में उपलब्धि की दृष्टि से ग्रामीण परिदृश्य भी उतना ही खराब है। अधिकतर राज्यों में, मुसलमानों और 'अन्य सभी' में स्नातक उपलब्धि दर अधिकतर में भिन्नताएं बढ़ी हैं। कुछ में, दलितों की मुसलमानों से भिन्नता कम हुई है, या वो मुसलमानों से आगे निकल गए हैं। उदाहरण के लिए, उत्तर प्रदेश में स्वतंत्रता के बाद से मुसलमानों और दलितों में अंतर बढ़ा है, जिसमें दलित बेहतर कर रहे हैं।

6.2 उच्चतर शिक्षा के संस्थानों में भागीदारी

उच्चतर शिक्षा के नामी-गिरामी संस्थानों में उच्च शिक्षा पाने वाले स्नातक और स्नाकोत्तर कोर्स में विभिन्न सामाजिक-धार्मिक श्रेणियों के छात्र बहुत ही कम है। हाल के वर्षों में, ऐसे संस्थानों में विभिन्न वर्गों की हिस्सेदारी बहस का एक महत्वपूर्ण विषय बन गया है। यह उप-भाग इन संस्थानों से एकत्रित किए गए आंकड़ों का विश्लेषण करता है।

भारतीय प्रबंधन संस्थान और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान

विशेष मामला मानते हुए, समिति ने मुसलमान छात्रों के अभिजात्य वर्ग के संस्थानों में दाखिले पर गौर किया- भारतीय प्रबंधन संस्थान और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान। हाल के वर्षों-2004-5 और 2005-6 में -दाखिले के आंकड़े एकत्रित करने का प्रयास किया गया। भारतीय प्रबंधन संस्थान में दाखिले की प्रक्रिया जटिल है और विश्वविद्यालयों के विभागों के सीधे-सादे तरीके से, उन्हें अलग तरह से समझने की जरूरत है। चूंकि यह उच्चतर शिक्षा के राष्ट्रीय

स्तर के संस्थान हैं, इनमें दाखिले की प्रक्रिया सभी प्रबंधन संस्थानों के लिए 'संयुक्त प्रवेश परीक्षा' (कैट) को आयोजित करने से शुरू होती है। इसलिए, अंत में प्रवेश पाने वालों की संख्या इस बात पर निर्भर करती है कितने लोगों ने परीक्षा के लिए आवेदन किया, उनमें से कितने लोग साक्षात्कार के योग्य पाए गए और तीसरे चरण में कितने प्रार्थी चुने गए। एक संस्थान विशेष में अंतिम रूप से कितने लोग प्रवेश लेते हैं, वो चुने गए प्रार्थी को दिए गए संस्थानों के विकल्प पर निर्भर करता है।


इस बात पर गौर करना जरूरी है कि कैट परीक्षा देने वाले और सामाजिक-धार्मिक श्रेणियों के हिसाब से प्राप्तांक समिति को उपलब्ध नहीं कराए गए क्योंकि ये संस्थान इनको इस प्रकार वर्गीकृत ही नहीं करते। चरण-2 के आंकड़े में कितने मुसलमान छात्रों को साक्षात्कार के लिए बुलाया गया और कितने चरण-3 में चुने गए, उस हिसाब से उनकी सफलता की दर निर्धारित की गई। तकरीबन हर तीन मुस्लिम आवेदक में से एक को चुना गया, जो उनके लिए सकारात्मक ही है और दूसरे प्रार्थियों की सफलता दर से कुछ बेहतर हैं। इसके बावजूद भारत के सभी प्रबंधन संस्थानों के सभी पाठयक्रमों में मुस्लिम छात्रों की हिस्सेदारी मात्र 1.3 फीसदी है। अगर संख्या में देखा जाय तो 4743 में से 63 ही मुस्लिम थे। (चित्र 4.17)।

यह भी समझने की जरूरत है कि साक्षात्कार के चरण तक मुस्लिम छात्र इतनी कम संख्या में क्यों पहुंचे। एक तो संभावना यह हो सकती है कि कैट की परीक्षा में उनके प्रदर्शन का स्तर निम्न रहा हो, दूसरे कि



विभिन्न सामाजिक-धार्मिक श्रेणियों में प्रदर्शन का स्तर तो एक सा ही हो, पर अधिक मुस्लिम छात्र इसमें भाग ही न ले रहे हों, इस बात पर दोबारा जोर दिए जाने की जरूरत है कि साक्षात्कार के चरण तक पहुंचने वाले मुस्लिम छात्रों की सफलता दर काफी अधिक है क्योंकि वहां तक पहुंचने के लिए लिखित परीक्षा में अच्छे अंकों की जरूरत होती है।

भारतीय प्राद्यौगिकी संस्थानों के मामले में विभिन्न पाठ्यक्रमों में दाखिल 27,61 छात्रों में 894 ही मुस्लिम हैं। विभिन्न पाठ्यक्रमों के स्तर पर छात्रों का वर्गीकरण उपलब्ध है। स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में मुसलमानों की हिस्सेदारी लगभग 4 फीसदी है परंतु स्नातक स्तर के कोर्स में यह सिर्फ एक फीसदी है (चित्र 4.8) पीएचडी कार्यक्रमों में मुस्लिमों की भागीदारी थोड़ी बेहतर है। इस बात पर गौर किए जाने की जरूरत है कि आईआईटी में जहां स्नातक स्तर में पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए स्कूल के बाद संयुक्त प्रवेश परीक्षा से ही गुजरना पड़ता है, स्नातकोत्तर के लिए अन्य शैक्षणिक संस्थानों से आए स्नातक भी दूसरी प्रवेश परीक्षा दे सकते हैं। इसका मतलब यह है कि स्नातक की पढ़ाई के बाद मुस्लिमों का प्रदर्शन परीक्षा में बेहतर हो जाता है। इन पाठ्यक्रमों के मांग के हिसाब से इन चरणों में प्रतियोगिता भी कम हो जाती है।



भारत में उच्चकोटि के कॉलेजों में भागीदारी



समिति ने नियमित विज्ञान, कला एवं वाणिज्य के क्षेत्र में पाठ्यक्रम चलाने वाले कुछ उच्च कोटि के कॉलेजों में पढ़ रहे छात्रों का एक सर्वे कराया चित्र 4.19 में विज्ञान, कला एवं वाणिज्य के नियमित पाठ्यक्रमों में पढ़ रहे मुसलमानों को दर्शाया गया है। स्नातक पाठ्यक्रमों में हर 25 में सिर्फ 1 और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रति 50 छात्रों में सिर्फ 1 मुसलमान थे। इन सब में विशेषकर स्नातकोत्तर स्तर पर मुसलमानों की भागीदारी बहुत कम है और विज्ञान विषय में बहुत ही कम है। एक रोचक तथ्य यह है कि स्नातक स्तर के पाठ्यक्रमों में लड़कियों की प्रवेश दर अधिक है। स्नातकोत्तर पर कला विषयों को छोड़कर यह भागीदारी कम हो जाती है। यहाँ आई-आई-एम के अलावा अन्य प्रबंधन कॉलेज के आंकड़ों की बात हो रही है। लड़के व लड़कियों दोनों में एम बी ए कोर्स में दाखिला प्राप्त छात्रों में से मात्र एक फीसदी ही मुसलमान थे। जहाँ ये आंकड़े किसी नतीजे पर पहुंचने के लिए काफी नहीं हैं। वहीं आई-आई-एम से प्राप्त आंकड़ों के समान ही है। शीर्ष मेडिकल कॉलेजों में मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व थोड़ा ही बेहतर है। (चित्र 4.20) यहां सभी पाठ्यक्रमों में से लगभग 4 फीसदी छात्र मुसलमान हैं। अधिकतर स्नातक स्तर की पढ़ाई (एमबीबीएस, दन्त चिकित्सा, नर्सिंग आदि) कर रहे हैं। दूसरे कोर्स में मुस्लिमों की भागीदारी बहुत कम है। स्नातकोत्तर डिप्लोमा कोर्स को छोड़ कर अन्य सभी कोर्स में मुस्लिम लड़कियों की हिस्सेदारी लड़कों से कम है।

सत्तर के दशक से शहरी और ग्रामीण दोनों ही इलाके में मुसलमानों और अन्य श्रेणियों में स्नातक उपलब्धि दर में अंतर बढ़ता ही जा रहा है।


विश्वविद्यालय में दाखिला

भारत भर में तकरीबन 300 विश्वविद्यालय हैं। इन सभी में अलग-अलग विभाग हैं और इन सबसे कई कॉलेज संबद्ध हैं। सभी विश्वविद्यालयों से स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर में दाखिला-प्राप्त छात्रों के सामाजिक-धार्मिक पृष्ठभूमि आंकड़े उपलब्ध कराने को कहा गया। कुल 120 विश्वविद्यालयों और 83 कॉलेजों ने आंकड़े उपलब्ध कराए। “संपूर्ण भारत” में आंकड़ों के हिसाब से 13 लाख से ऊपर स्नातक

हैं (स्नातक डिग्रीधारक) और अन्य 15 लाख स्नातकोत्तर (मास्टर डिग्रीधारक और ऊपर) हैं।



स्नातक डिग्री में लगभग एक करोड़ 17 लाख छात्र पढ़ रहे हैं, भारत-भर में उपलब्ध आंकड़ों के हिसाब से लगभग 11 प्रतिशत स्नातक और लगभग 38 प्रतिशत स्नातकोत्तर छात्र हैं। चूंकि यह आंकड़े आंशिक ही हैं, निम्नलिखित विश्लेषण मात्र संकेत ही देता है। कुल 28 लाख छात्रों के लिए ही आंकड़े उपलब्ध हैं जो पूरे भारत में विभिन्न कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में पढ़ने वालों में से लगभग 19 प्रतिशत ही है।



इन आंकड़ों (चित्र 4.21)के अनुसार, छात्रों एक बड़ा हिस्सा यानि एक तिहाई से ज्यादा कला क्षेत्र में दाखिला प्राप्त है। दूसरे पसंदीदा विषय हैं - इंजीनियरिंग और वाणिज्य। हालांकि अंतर तो ज्यादा नहीं है, पर स्नातक पाठ्यक्रमों में मुस्लिम छात्र तकरीबन 9 फीसदी है, उनकी हिस्सेदारी आबादी में उनके भाग के मुकाबले कम है। मुसलमानों की विज्ञान और वाणिज्य विषयों में उपस्थिति की अधिक संभावना रहती है और उसके बाद आते हैं कला विषय। चूंकि कॉलेजों की संख्या अधिक नहीं है और सबका प्रतिनिधित्व नहीं कर सकती है, अधिक विस्तृत आंकड़ों के आधार पर नतीजों का आंकलन किया गया है।

श्रेष्ठतम कॉलेजों में पूर्व स्नातक छात्रों में से हर 25 में सिर्फ एक और परास्नातक छात्रों में से 50 में सिर्फ एक मुसलमान है।

परंतु सभी जगह मुस्लिमों में उनकी आबादी के हिस्से से कम भागीदारी थी और अन्य पिछड़े वर्गों और दलितों, दोनों से काफी कम थी। इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों में मुस्लिमों की भागीदारी विशेष रूप से काफी कम है।


स्नाकोत्तर पाठ्यक्रमों में मुसलमानों की स्थिति इतनी ही निराशाजनक है (चित्र 4.22)। प्रति बीस छात्रों में से मात्र एक ही मुसलमान है जो कि अन्य पिछड़े वर्गों (20 प्रतिशत) और दलितों (13 प्रतिशत) की भागीदारी से काफी कम है। परंतु, मुस्लिम छात्र रोजगारोन्मुख पाठ्यक्रमों में अधिक दाखिला लेते हैं और उसके बाद आता है वाणिज्य। संख्यात्मक और तुलनात्मक हिस्से के रूप में वो सभी सामाजिक-धार्मिक श्रेणियों से नीचे है सीमित आंकड़ों की वजह से इस विषय पर राज्य-विशेष के बारे में वक्तव्य दिया जाना संभव नहीं है।

14. यह कुल स्नातकोत्तर डिप्लोमा और अन्य दूसरे पाठ्यक्रमों के दोनों वर्षों को शामिल करता है।



अभी तक हमने शैक्षणिक उपलब्धियों पर ध्यान केंद्रित किया है और इनमें से कुछ को आयु वर्गों के हिसाब से विश्लेषित किया है जिससे कि 20 वर्ष और उसके ऊपर के बड़े अन्तर के आयु वर्ग में कोई सांख्यिकी कमी न रह जाये। उदाहरण के लिए 20 वर्ष और उससे ऊपर की आबादी में स्नातकों का हिस्सा, अन्य सामाजिक-धार्मिक श्रेणियों की तुलना में मुसलमानों में काफी कम है। पर हो सकता है कि हम उच्चतर शिक्षा में उन वर्गों को कम करके आंक रहे हो, जिनकी आखरी पीढ़ी के शिक्षा स्तर में काफी बदलाव आया है। 20 वर्ष और उससे ऊपर की आबादी में लगभग दो पीढ़ियां आ जाती हैं। अगर हाल की पीढ़ियों में शिक्षा का स्तर सकारात्मक

Fig. 4.22: Distribution of Students Enrolled in PG courses 2004-05



मुद्दा है तो यहां पर उच्चतर शिक्षा के जो प्रतिशत बताए गए हैं, वो उनकी वास्तविक भागीदारी के स्तर से कम है। आयु के हिसाब से आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि समय के साथ कुछ प्रगति हुई है, परंतु अंतर बना ही हुआ है और मुसलमानों की वर्तमान पीढ़ी भी पिछड़ रही है। जल्द ही भविष्य में शैक्षणिक उपलब्धि, शिक्षा में भागीदारी के वर्तमान स्तर पर निर्भर करेगा। तालिका 4.4 प्रवेश की 'वर्तमान स्थिति' का आंकलन प्रस्तुत करता है और वर्तमान में पढ़ने वालों पर ध्यान केंद्रित करता है। उदाहरण के

Table 4.4: Children Currently Studying as a Proportion of Population by Age Groups - 2004-05

Age Groups	Hindus			Muslims	Other Minorities
	Gen	OBC	SCs/STs		
6-13 years	19.1 (17.3)	36.1 (35.5)	25.7 (27.4)	14.0 (15.1)	5.1 (4.8)
14-15 years	24.3 (19.9)	36.1 (35.2)	21.4 (25.2)	12.2 (14.5)	6.0 (5.3)
16-17 years	28.9 (21.1)	33.7 (35.0)	20.2 (24.7)	10.7 (14.0)	6.3 (5.1)
18-22 years	34.0 (20.8)	30.5 (34.4)	17.7 (25.5)	10.2 (13.9)	7.6 (5.5)
23 years & above	35.6 (23.9)	29.2 (35.1)	18.3 (24.1)	7.4 (10.9)	9.5 (5.9)

Source: Estimated from NSSO (2004-05) 61st Round, Sch. 10.

Note: 1. Figures in parentheses report the share of each socio-religious group in the total population of that age group.

लिए, अगर हम 6-13 वर्ष के आयु वर्ग पर ध्यान केंद्रित करें तो इन उम्र के बच्चों को प्राथमिक विद्यालय में होना चाहिए। इसी प्रकार, अधिक उम्र के वर्गों को उच्च स्तर की शिक्षा से संबंधित होना चाहिए। तालिका 4.4 में दर्शाया गया है कि सामाजिक-धार्मिक श्रेणियों में, कुल आबादी में विभिन्न आयु वर्गों की कितनी भागीदारी है और इस आबादी में हर आयु वर्ग की कितनी भागीदारी है। इन दोनों प्रतिशतों के अंतर से हर आयु श्रेणी में उनका कम या अधिक प्रतिनिधित्व का पता चल जाएगा।

जहां समय के साथ उन्नति हुई है, वहीं अंतर अभी भी बना हुआ है। नतीजतन मुसलमानों की वर्तमान पीढ़ी पिछड़ रही है।

- विभिन्न पाठ्यक्रमों के आकड़े एक ही तस्वीर दिखाते हैं। भारतीय प्रबंधन संस्थान 5 नियमित पाठ्यक्रम चलाता है: 1 प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा। 2. व्यापार प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (सांख्यिकी)। 3. कृषि प्रबंधन। 4. कंप्यूटर की मदद से प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा एवं 5. फैलोशिप कार्यक्रम।
- आई आई एम में दाखिला प्राप्त मुसलमानों की संख्या थोड़ी कम है क्योंकि विभिन्न आई आई टी द्वारा चुने गए प्रार्थी कामन हैं।
- ये संस्थान इंडिया टुडे की 2003, 04, और 05 की रैंकिंग से लिए गए हैं।
- जिन कॉलेजों में समिति को आंकड़े उपलब्ध कराए वे हैं एस आर सी कॉलेज, हंसराज, सेन्ट स्टीफेन्स, (नई दिल्ली) प्रेसीडेन्सी, सेन्ट जेवियर्स (कोलकाता) सेन्ट जेवियर्स, बी आई एम कॉलेज, डा. अंबेडकर (पुणे), के.जे. सुमैया, मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज, (चेन्नई) और माउन्ट कारमेल (बंगलौर) समिति शीर्ष प्रबंधन संस्थानों से उचित प्रतिक्रिया पाने में सफल रही।



जैसे-जैसे शिक्षा का स्तर बढ़ता है, मुस्लिमों और अन्य सामाजिक-धार्मिक श्रेणियों में अंतर भी बढ़ता जाता है।

छ: से तेरह वर्ष की आयु वर्ग में विभिन्न सामाजिक-धार्मिक श्रेणियों की कुल आबादी और छात्र आबादी की हिस्सेदारी में शायद ही कोई अंतर हो। जैसे-जैसे आयु बढ़ता जाता है, अन्तर भी बढ़ता जाता है। ज्यादा आयु वर्गों में कुल आबादी के हिस्से के हिसाब से अनुसूचित जाति/ जनजाति, मुसलिम और अन्य पिछड़े वर्गों का छात्र आबादी में हिस्सा कम होता जाता है। हिन्दु अन्य पिछड़े वर्गों की तुलना में मुसलमानों और दलितों में अंतर ज्यादा है। पहले की अपेक्षा शिक्षा में भागीदारी की वर्तमान स्थिति काफी सुधरी है। परन्तु फिर भी आनेवाले सालों में मुसलमानों और अन्य सामाजिक-धार्मिक श्रेणियों की शैक्षणिक उपलब्धियों में काफी अन्तर रहेगा। इसके अलावा सिर्फ दलितों में ही अधिक उम्र के वर्गों में मुसलमानों में दलितों से अधिक कमी दर्ज की गई है (तालिका 4.4)। मुसलमानों की शिक्षा में हाल में आई तेजी और बढ़े हुए प्रवेश दर को बनाये रखने की जरूरत है और यह भी सुनिश्चित करना जरूरी है कि वे पढ़ाई बीच में न छोड़ने पाए।

(7) शैक्षणिक उपलब्धि से सम्बन्धित कुछ कारक

शैक्षणिक उपलब्धि के स्तर में कई तरह के कारकों का योगदान होता है और उनमें से आर्थिक परिस्थिति के महत्वपूर्ण होने की संभावना है। यह भाग आर्थिक परिस्थिति की भूमिका का विश्लेषण करता है कि आर्थिक परिस्थिति और अन्य कारकों को निश्चित करने के बाद भी क्या सामाजिक, धार्मिक श्रेणी से सम्बन्धित शैक्षणिक उपलब्धि को प्रभावित करता है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संस्थान के 61 वें चक्र के आंकड़ों से हम हर सामाजिक धार्मिक श्रेणी के गरीब और अन्य परिवारों की स्नातक उपलब्धि दर का आंकलन कर सकते

तालिका 4.5: सामाजिक-धार्मिक श्रेणियों के हिसाब से निर्धन और अन्य में स्नातक एवं परास्नातक की शिक्षा पूरी कर रहे लोगों का प्रतिशत: 20-30 आयु वर्ग - 2004-05

सामाजिक-धार्मिक श्रेणियां	20-30 वर्ष की उम्र के व्यक्ति	स्नातक		परा स्नातक पाठ्यक्रम		स्नातकों में बेरोजगारी की दर		
		जनसंख्या का प्रतिशत	सभी एसआरसी में विभाजन	इस आयु वर्ग में जनसंख्या का प्रतिशत	एसआरसी के अलावा		एसआरसी में स्नातकों का प्रतिशत	एसआरसी में विभाजन (%)
सामान्य	अ जाति जनजाति	66.3	21.8	3.8	10.1	21.5	8.9	19.1
	हिंदू-अन्य पिछड़ा वर्ग	78.5	35.1	6.2	26.6	22.1	24.2	23.8
	हिंदू-सामान्य	89.2	25.5	15.7	48.9	26.6	53.4	20.5
	मुस्लिम	71.2	11.4	4.9	6.8	22.9	6.4	25.6
	अन्य अल्पसंख्यक	86.1	6.2	10.1	7.6	22.4	7.2	25.3
	कुल	77.3	100	8.2	100	24.4	100	21.4
निर्धन	अ जाति जनजाति	33.7	37.7	0.8	17.4	27.6	19.6	9.8
	हिंदू-अन्य पिछड़ा वर्ग	21.5	32.7	1.7	30.8	23.0	29.0	16.2
	हिंदू-सामान्य	10.8	10.5	5.8	34.9	29.3	41.9	14.4
	मुस्लिम	28.8	15.7	1.2	10.5	16.3	7.0	16.7
	अन्य अल्पसंख्यक	13.9	3.4	3.4	6.4	9.5	2.5	17.4
	कुल	22.7	100	1.8	100	24.4	100	12.7

हैं।²² ऐसे ही आंकलन स्नातकोत्तर की पढ़ाई करने वालों के लिए भी मिल सकते हैं। तालिका 4.5 में 20 से 80 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों का आंकलन किया गया है। क्योंकि इस आयु वर्ग के लोगों की उच्च

19. दिल्ली विश्वविद्यालय के फैकल्टी आफ मैनेजमेंट स्टडीज, गुडगांव के मैनेजमेंट डेवलपमेंट इंस्टीच्यूट और जमरशेदपुर के एक्सएलआरआई, बंगलोर के सेंट जोन्स मेडिकल कॉलेज, बंगलोर मेडिकल कॉलेज, वीएमजे मेडिकल कॉलेज पुणे और दिल्ली लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज।



शिक्षा में संलग्न होने की ज्यादा सम्भावना है। हर सामाजिक आर्थिक श्रेणी के स्नातकों की बेरोजगारी दर भी दिखाई गई है। इससे कुछ रोचक तथ्य सामने आते हैं जैसा कि हमें आशा थी गरीब परिवारों की तुलना में अन्य परिवार के काफी अधिक लोगों ने स्नातक तक की पढ़ाई पूरी की थी। 20 से 30 आयुवर्ग के दो फीसदी से भी कम गरीब लोगों से स्नातक की शिक्षा पूरी की जबकि अन्य लोगों में से 8 फीसदी से ज्यादा ने ऐसा किया।

- गरीब और अन्य परिवारों दोनों में ही हिन्दू-सामान्य स्नातक उपलब्धि दर काफी ज्यादा था। चाहे उनकी आर्थिक स्थिति कुछ भी हो। मुसलमानों की स्नातक उपलब्धि दर दलितों से थोड़ी अधिक और अन्य अल्पसंख्यक एवं हिन्दू-अन्य पिछड़े वर्ग मुसलमानों और दलितों से तो बेहतर हैं, पर हिन्दू-सामान्य से पीछे हैं। नतीजतन, स्नातकों में गरीबों और अन्य परिवारों दोनों में ही उनकी आबादी के हिसाब से दलितों और मुसलमानों का हिस्सा कम है, परन्तु गरीब परिवारों में मुसलमानों और दलितों में स्नातक उपलब्धि दर और अन्य सामाजिक धार्मिक श्रेणियों में इस दर का अंतर अन्य परिवारों की अपेक्षा में बहुत कम है।
- गरीब परिवारों की तुलना में अन्य परिवारों में स्नातकों में बेरोजगारी दर भी ज्यादा है। इसके पीछे यह नियम भी-काम करता है कि आमतौर पर गरीब लोग बेरोजगार रहकर जीवनयापन नहीं कर पाते और उन्हें जो भी काम मिलता है उसे स्वीकार कर लेते हैं। दूसरी तरफ जो गरीब नहीं होते वे बेहतर नौकरी के अवसर के लिए इन्तजार कर सकते हैं। तुलनात्मक रूप से जहां अनुसूचित जाति और जनजाति के स्नातकों में सबसे कम बेरोजगारी की दर पाई गई है चाहे वो गरीब परिवार से हों या नहीं। जबकि मुस्लिम स्नातकों में बेरोजगारी की दर सबसे अधिक थी (हालांकि कई बार कुछ अन्य सामाजिक धार्मिक श्रेणियों से उनकी हालत बहुत अलग नहीं थी)(तालिका 4. 5)
- हिन्दू सामान्य को छोड़कर (जिन्हे दूसरों की अपेक्षा 5 प्रतिशत अंकों की बढ़त हासिल है), स्नातकोत्तर शिक्षा हासिल करनेवाले लोगों में अन्य परिवारों से आये लोगों के हिस्से में सामाजिक धार्मिक श्रेणियों के हिसाब से ज्यादा अंतर नहीं था। परन्तु स्नातकोत्तर शिक्षा प्राप्त करने वाले गरीब परिवार के स्नातकों में मुसलमानों का प्रतिशत अन्य सामाजिक धार्मिक श्रेणियों से काफी कम है। रोचक रूप से हिन्दू सामान्य की हिस्सेदारी सबसे अधिक है (29 प्रतिशत)। उसके बाद आते हैं दलित (28 प्रतिशत) पर अन्य पिछड़े वर्गों (23 प्रतिशत) और मुसलमानों (16 प्रतिशत) का हिस्सा बहुत कम है। इसका मतलब यह कि स्नातकोत्तर शिक्षा हासिल करने में स्नातकों में बेरोजगारी दर होने के बावजूद गरीब परिवारों का बड़ा हिस्सा स्नातकोत्तर शिक्षा हासिल करता है जबकि गरीब मुसलिम जिनके स्नातकों में बेरोजगारी दर कहीं ज्यादा है, वो इस मामले में पीछे रह जाते हैं।

भारत में उच्च शिक्षा की तुलनात्मक रूप से कम कीमत होने के बावजूद अक्सर ये कहा जाता है कि लोग स्नातकोत्तर शिक्षा इसलिए हासिल करते हैं जिससे कि वो बेरोजगारी को कुछ समय के लिए और रोक सकें। तुलनात्मक रूप से गरीब लोग भी इस श्रेणी में आते हैं। उपलब्ध आंकड़ों के हिसाब से इस सोच की समीक्षा करना मुश्किल है। परन्तु गरीब और अन्य मुसलिमों में निम्न स्नातक उपलब्धि दर और गरीब मुसलिमों में अन्य सामाजिक धार्मिक श्रेणियों की अपेक्षा स्नातकोत्तर शिक्षा करने वालों की संख्या का इतना कम होना काफी जानकारी देता है। जाहिर है सकारात्मक नीतियों को उच्च शिक्षा में गरीब और अन्य मुसलमानों की 'कमी' को ध्यान में रखने की जरूरत है।

ऊपर बताई गई आर्थिक स्थिति की भूमिका के हिसाब से स्नातक उपलब्धि दर से समबन्धित कारकों को और विश्लेषित किए जाने की जरूरत है। ये जानने की कोशिश की गई की आर्थिक स्थिति, उम्र, लिंग, ग्रामीण और शहरी इलाकों में निवास और राज्य में निवास, इन सब कारकों को नियन्त्रित करने के बाद भी विभिन्न सामाजिक धार्मिक श्रेणियों में कितने लोगों की स्नातक की शिक्षा पूरी करने की सम्भावना है।

राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के हिसाब से 20 से 30 आयु वर्ग के लोगों के लिए कुछ रोचक तथ्य सामने आए। 23 वे जैसी उम्मीद थी, नतीजे दर्शाते हैं कि आर्थिक स्थिति का स्नातक उपलब्धि दर पर काफी बड़ा सकारात्मक और महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। अगर अन्य चीजें सामान्य हों तो हिन्दू-सामान्य श्रेणी के लोगों का स्नातक की शिक्षा पूरी करने की सम्भावना अन्य सामाजिक-धार्मिक श्रेणियों से काफी ज्यादा है। उन्हें

गरीब और जो गरीब नहीं हैं, दोनों ही वर्ग में मुसलमान स्नातकों में बेरोजगारी की दर सामाजिक-धार्मिक श्रेणियों में सबसे अधिक है।

मुसलमानों और दलितों में स्नातक की शिक्षा पूरी करने की संभावना सभी अन्य धार्मिक-सामाजिक श्रेणियों से कम थी, खासतौर से शहरी इलाके और पुरुषों में।





उच्च माध्यमिक स्तर पर मुसलमान कहीं अधिक हानि की स्थिति में हैं।

स्कूल जाने योग्य उम्र के मात्र 3 फीसदी मुसलमान बच्चे ही मदरसों में पढ़ते हैं।

छोड़कर अन्य सामाजिक धार्मिक श्रेणियों में और ग्रामीण शहरी इलाकों में पुरुषों और महिलाओं में भिन्नताएं पाई गई हैं मुसलमानों और दलितों में स्नातक की शिक्षा पूरी करने की सम्भावना एक सी थी पर अन्य सभी सामाजिक धार्मिक श्रेणियों से कम थी। जहां ग्रामीण इलाकों में खासतौर से महिलाओं में उल्लेखनीय अंतर नहीं था, शहरी इलाकों में मुसलमानों, दलितों के स्नातक की शिक्षा पूरी करने की सम्भावना अन्य पिछड़े वर्गों से कम थी। शहरी इलाकों के पुरुष पर यह लागू नहीं होता। दूसरे शब्दों में अन्य कारकों को नियंत्रित करने के बाद अन्य सामाजिक धार्मिक श्रेणियों की तुलना में मुसलिम और दलित होना स्नातक की शिक्षा को पूरी करने की सम्भावना कम करता है खासतौर से शहरी इलाकों में और पुरुषों में।

यह भी एक प्रसांगिक मुद्दा है कि यह अन्तर सिर्फ स्नातक स्तर की शिक्षा में ही है या पहले की शिक्षा के अन्तर का ही प्रतिबिंब है। इसको समझने के लिए दो और प्रश्नों का भी विश्लेषण किया गया (1) अगर हम सिर्फ व्यक्तियों को देखें जिन्होंने उच्च माध्यमिक शिक्षा (स्नातक के लिए जरूरी योग्यता) पूरी कर ली है, तब भी क्या स्नातक की शिक्षा पूरी करनेवालों में सामाजिक-धार्मिक श्रेणियों में उच्च माध्यमिक शिक्षा पूरी करने की संभावनाओं में अंतर है मुस्लिम आबादी के दृष्टिकोण से दो नतीजे स्पष्ट रूप से दिखते हैं। जहां योग्य मुस्लिमों (जिन्होंने उच्च माध्यमिक स्तर की शिक्षा पूरी कर ली है) की स्नातक तक की पढ़ाई पूरी करने की संभावना योग्य हिंदू-सामान्य व्यक्तियों से काफी कम है, अंतर कम हो जाता है। इसके अलावा, कई परिस्थितियों में योग्य मुस्लिमों की स्नातक की शिक्षा पूरी करने की संभावना योग्य अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य अल्पसंख्यकों से ज्यादा अलग भी नहीं है। दूसरे शब्दों में एक बार मुस्लिम न्यूनतम शिक्षा की बाधा पार कर लेते हैं और स्थान आर्थिक स्थिति आदि के मामले में बराबरी का दर्जा हासिल कर लेते हैं तो मुसलमानों और अन्य में अंतर कई बार ज्यादा अलग नहीं होता।

उच्च माध्यमिक शिक्षा पूरी करने की संभावना हिंदू-सामान्य में सबसे अधिक और मुसलमानों में सबसे कम है। यह ग्रामीण और शहरी इलाके तथा पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए ही सत्य है। अनुसूचित जाति और जनजाति से थोड़ा कम होने के बावजूद उनसे मुसलमानों की उच्च माध्यमिक शिक्षा पूरी करने की संभावना ज्यादा अलग नहीं है। परंतु, अन्य सामाजिक धार्मिक श्रेणियों जैसे कि हिंदू-सामान्य, हिंदू अन्य पिछड़े वर्ग और दूसरे अल्पसंख्यकों की तुलना में मुसलमानों और दलितों के पूरा करने की संभावना काफी कम है।




उच्च माध्यमिक और स्नातक स्तर की शिक्षा पूरी करने के संभावित आंकलनों की तुलना दर्शाती है कि मुस्लिम उच्च माध्यमिक स्तर पर अधिक हानि की स्थिति में हैं। हम मान सकते हैं कि इस वजह से उच्च शिक्षा के योग्य मुस्लिम आबादी का आकार काफी छोटा रह जाता है। ऊपर बताए गए विश्लेषण के परिणाम

22 गरीब और अन्यकी पहचान करने के लिए जो तरीका इस्तेमाल किया गया है उसके लिए अध्याय 8 देखें।

23 probit समीकरण के नतीजों के आधार पर विश्लेषण किया गया है। यहां पर विस्तृत आंकलन और नतीजे नहीं दिये गए हैं।



निश्चित तो नहीं पर संभावनायोग्य हिंदू-सामान्य व्यक्तियों से काफी कम है, अंतर कम हो जाता है। इसके अलावा, कई परिस्थितियों में योग्य मुस्लिमों की स्नातक की शिक्षा पूरी करने की संभावना, योग्य अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य अल्पसंख्यकों से ज्यादा अलग भी नहीं है। दूसरे शब्दों में, एक बार मुस्लिम न्यूनतम शिक्षा की बाधा पार कर लेते हैं और स्थान, आर्थिक स्थिति आदि के मामले में बराबरी का दर्जा हासिल कर लेते हैं तो मुसलमानों और अन्य सामाजिक-धार्मिक श्रेणियों में अंतर कम हो जाता है। उच्चतर शिक्षा के लिए योग्य आबादी का समूह मुसलमानों की अपेक्षा में दलितों में अधिक तेजी से बढ़ रहा है। इस चलन के तह तक जाने की जरूरत है।




पूरी तरह से देखा जाए तो यह बात उजागर होती है कि सभी सामाजिक-धार्मिक श्रेणियों में समय के साथ स्थिति में सुधार हुआ है, इस प्रक्रियासे अंतर कम नहीं हुआ है। मुसलमानों और 'अन्य सभी' में अंतर संपूर्ण - भारत के स्तर और सभी राज्यों में लगातार बढ़ा है, विशेषकर उच्चतर शिक्षा स्तर पर। रोचक रूप से दलित मुसलमानों की बराबरी तक पहुंच गए हैं। इसका कारण यह हो सकता है कि विशेष कार्यक्रमों में दलित परिवारों को लक्ष्य बना कर विद्यालय स्थापित किए गए थे, संरचना को सुधारा गया और दाखिला प्राप्त करने पर उन्हें अतिरिक्त लाभ दिए गए। हो सकता है कि नौकरियों में आरक्षण का भी अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा हो क्योंकि इससे बच्चों को पढ़ाने का आर्थिक साधन मिला तथा साथ-साथ शिक्षा से आर्थिक लाभ की भी संभावना बढ़ी।

अधिकाधिक शैक्षणिक व्यवस्था के द्वारा सरकार को उचित कीमत पर उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा उपलब्ध कराने की अपनी जिम्मेदारी को पूरा करना चाहिए।

8 शैक्षणिक संस्थानों का चुनाव: मदरसों का मामला


बच्चे जिस प्रकार के शैक्षणिक संस्थान में पढ़ते हैं, वे भी उनकी शैक्षणिक स्थिति का महत्वपूर्ण संकेत है। ऐसा इसलिए है कि विभिन्न प्रकार के स्कूलों में शिक्षा की कीमत और गुणवत्ता अलग-अलग होती है। विभिन्न सामाजिक-धार्मिक श्रेणियों की संख्या 3.41 लाख²⁵ है और 7-19 वर्ष के आयु वर्ग की मात्र 4 प्रतिशत के लगभग है।

राष्ट्रीय प्रायोगिक अर्थव्यवस्था अनुसंधान परिषद (चित्र 4.25) दर्शाता है कि सभी मुस्लिम छात्रों में से स्कूल जाने वाले आयु वर्ग के मात्र 4 प्रतिशत के लगभग ही मदरसों में पढ़ते हैं। संपूर्ण - भारत के स्तर पर स्कूल जाने वाली उम्र के सभी मुस्लिम बच्चों में से लगभग 3 प्रतिशत ही मदरसों में पढ़ते हैं। इन आंकड़ों के साथ-साथ राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के आंकलन भी यही दिखाते हैं कि 10 वर्ष की आयु के मुस्लिम बच्चों में से 2.3 प्रतिशत ही मदरसों





चित्र 4.27: 7-19 वर्ष के मकताब में दाखिला प्राप्त बच्चों का वितरण



में पढ़ते हैं। यह अनुपात ग्रामीण इलाकों में और पुरुषों में अधिक है।

चित्र 4.27 राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद और राष्ट्रीय प्रायोगिक अर्थव्यवस्था अनुसंधान परिषद के आंकलन की तुलना करता है कि संपूर्ण - भारत के स्तर पर और चार मुख्य भौतिक क्षेत्रों में मदरसों में पढ़नेवाले मुस्लिम बच्चों का अनुपात है। ये देखा जा सकता है कि क्षेत्रीय भिन्नताओं के बावजूद पूर्वी क्षेत्र की छोड़कर आमतौर पर राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के आंकलन राष्ट्रीय प्रायोगिक अर्थव्यवस्था अनुसंधान परिषद से कम है। इन दोनों आंकलनों में काफी भिन्नताएं होने के

बावजूद उत्तरी क्षेत्र को छोड़कर बाकी - किसी भी क्षेत्र में मदरसे शिक्षा के स्रोत के रूप में अधिक महत्वपूर्ण नहीं हैं। पूर्व में भी राष्ट्रीय प्रायोगिक अर्थव्यवस्था अनुसंधान परिषद के आंकलन जो कि अधिक हैं वे दिखाते हैं कि स्कूल जाने के योग्य आयु के बच्चों में से 7 प्रतिशत से भी कम मदरसों में पढ़ते हैं।

इस गलत धारणा के पीछे कि अधिकतर मुस्लिम बच्चे मदरसों में पढ़ते हैं, एक कारण यह भी है कि लोग मदरसों और मखताब में अंतर नहीं जानते। जहां मदरसे धार्मिक तथा नियमित शिक्षा उपलब्ध कराते हैं,²⁶ मखताब आस पड़ोस के वो विद्यालय हैं जो अधिकतर मस्जिद से जुड़े होते हैं और उन बच्चों को धार्मिक शिक्षा देते हैं जो दूसरे स्कूलों से मुख्यधारा की शिक्षा पा रहे हैं। इसलिए मखताब आंशिक धार्मिक शिक्षा देते हैं और नियमित शैक्षणिक संस्थानों के सहायक के रूप में कार्य करते हैं।

विभिन्न समितियों की अनुशंसाओं के बावजूद उर्दू पढ़ाने की सुविधाओं का गंभीर अभाव है।

आमधारणा कि बड़ी तादाद में मुस्लिम बच्चे मदरसों में पढ़ते हैं, इस तथ्य से उपजी है कि वो असल में स्थानीय मखताब में दाखिला लिए हुए हैं। जैसा कि पहले भी जोड़ दिया गया था, स्थानीय मकताब शिक्षा का विकल्प नहीं, बल्कि सहायक है। उदाहरण के लिए केरल में मुख्यधारा संस्थानों और मकताब दोनों में एक साथ पढ़ते हैं। चूंकि निम्न और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में ठीक से उर्दू नहीं पढ़ाई जाती, बच्चों को धार्मिक पुस्तकें पढ़ना घर में ही पढ़ाया जाता है। कुछ बच्चों को पवित्र कुरान पढ़ाना उनके मां-बाप द्वारा सिखाया जाता है, रिश्तेदारों या निजी शिक्षकों द्वारा सिखाया जाता है। बहुत से मामलों में खासतौर से निम्न और मध्यम आयु वाले परिवारों में समय नहीं मिल पाता या उनमें इतनी क्षमता नहीं होती कि उन्हें खुद पढ़ा सके। सूक्ष्म अध्ययन के स्तर दिखाते हैं कि ऐसे मां-बाप अपने बच्चों को धर्म निरपेक्ष स्कूलों के साथ मकताब में भी दाखिला करा लेते हैं और ऐसे मामले में बच्चे दोनों ही स्कूलों में पढ़ते हैं। राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के आंकड़ों के अनुसार 7 से 19 वर्ष की आयु के जो मुस्लिम बच्चे पहले प्रकार के मकताबों में जाते हैं, उन्हीं के प्रतिशत का आंकलन किया गया है। ये आंकड़े भी बहुत अधिक नहीं हैं, मात्र 4 प्रतिशत मुस्लिम बच्चे ही इनमें पढ़ते हैं।²⁷ जहां शहरी इलाकों में यह प्रतिशत कम है रोचक रूप से लड़के और लड़कियों में ये लगभग समान ही है।

जब मदरसों के आधुनिकीकरण की योजना लाई जाय तो नीति बनाने वाले को इन दोनों प्रकार के संस्थानों के अंतर को भी ध्यान में रखना चाहिए। मकताब और छात्रावास युक्त मदरसे आवश्यक रूप से पारम्परिक होते हैं और सिर्फ धार्मिक शिक्षा ही देते हैं क्योंकि उनका सामाजिक कार्य है इस्लामी परम्परा को बनाए रखना। दूसरी तरफ अनुच्छेद 21A के अंतर्गत सरकार की ये संवैधानिक रूप से जिम्मेदारी बनती है कि वे आम लोगों को शिक्षा उपलब्ध कराए। मुस्लिमों के लिए अक्सर सहायता प्राप्त मदरसे ही अखिरी विकल्प होते हैं खासतौर से उनके लिए जिनके पास आर्थिक साधनों का इतना अभाव है कि वो स्कूली शिक्षा का



खर्च उठा सके या परिवार ऐसे इलाके में है जहां 'मुख्य धारा' के शैक्षणिक संस्थानों तक पहुंच मुश्किल है। इन मामलों का हल सिर्फ ये नहीं है कि मदरसों का आधुनिकीकरण कर दिया जाय, बल्कि अच्छी गुणवत्ता वाली तथा सस्ती दरों पर मुख्यधारा की शिक्षा उपलब्ध करायी जानी चाहिए और शिक्षा के लिए उचित संरचना भी तैयार करना चाहिए। इसके लिए सरकार को भी जनता को नियमित शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत सस्ती और अच्छी स्कूली शिक्षा उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी को पूरा करना चाहिए।

मदरसों की भूमिका सिर्फ धार्मिक शिक्षा उपलब्ध कराने तक सीमित नहीं है। इस बात को मानने की जरूरत है कि उनका देश भर के मुस्लिमों में शिक्षा के प्रचार का महत्वपूर्ण योगदान है। कई बार हम देखते हैं कि जहां सरकार असफल रहती है वहां मदरसे मुस्लिम बच्चों को वाकई स्कूली शिक्षा मुहैया कराते हैं। जब आस पास पड़ोस में कोई स्कूल न हो तब कई बच्चे मदरसों में जाते हैं। इस प्रयास को मान्यता दिए जाने की जरूरत है और इस तरह सर्टिफिकेट को सरकारी स्कूलों और विश्वविद्यालयों में आगे पढ़ाई करने के लिए और दाखिला प्राप्त करने के लिए बराबरी का दर्जा दिए जाने की जरूरत है।' इस उद्देश्य के लिए शिक्षा की दोनों व्यवस्थाओं के बीच विभिन्न स्तरों पर कुछ समानता बनाए जाने की जरूरत है। बहुत से मदरसे सुदूर आबादी क्षेत्र में मुख्यधारा स्कूलों की तरह ही शिक्षा देते हैं इसको परदर्शी तरीके से समझने की जरूरत है। बहुत से मदरसे सरकारी की आधुनिकीकरण योजना में रुचि ले रहे हैं और आधुनिक-नियमित विषयों को अपने पाठ्यक्रम में शामिल करने और शिक्षा देने के आधुनिक तरीकों का इस्तेमाल करना चाहते हैं। परन्तु इन संस्थानों में पढ़ने वाले बच्चों की कम संख्या को देखते हुए 'आधुनिकीकरण योजना को मुख्य धारा की शिक्षा का विकल्प नहीं माना जा सकता है।'

इसके अलावा मदरसों की आधुनिकीकरण की योजना को लागू करने के मामले में समीक्षा करने के दौरान कई खामियां पाई गई हैं। उनमें से कुछ

निम्नलिखित हैं- मदरसों में आधुनिक विषयों को पढ़ाने के लिए जितनी संख्या में और जिस गुणवत्ता के शिक्षक नियुक्त किए गए हैं और उनको जो वेतन दिया जा रहा है वो भी अपर्याप्त है। इसके अलावा मदरसों के पाठ्यक्रमों में आधुनिक विषयों में जगह बनाने का महत्वपूर्ण पर ध्यान नहीं दिया गया है। मदरसों के स्तर पर आधुनिक विषयों पर ध्यान नहीं दिया जाता है और राज्य स्तर पर उसका निर्देशन नहीं किया जाता। योजना की फिर से समीक्षा किए जाने की जरूरत है जिससे कि उसको फिर से ठीक किया जा सके। यह समझने की जरूरत है कि मदरसों का मुख्य उद्देश्य यह होता है कि मस्जिद को चलाने के लिए मानव संसाधन उपलब्ध कराया जाय और उनसे यह आशा की जाती है कि मदरसों से ऐसे ऊलेमा निकलें जो मुसलमानों की रोजमर्रा की जिंदगी के महत्वपूर्ण मुद्दे और सामाजिक तथा राजनीतिक बातचीत से मार्ग निर्देशन कर सकें। आधुनिकीकरण को उन्हें इस बारे में भी जागरूक करना चाहिए कि कौन सी चीज धर्म निरपेक्ष मानी जा सकती है जिससे कि वो दूसरे धर्मों के लोगों से भी अच्छे से बातचीत कर सकें।

9. शैक्षणिक उपलब्धि और भाषा का मुद्दा:-

आमतौर पर उर्दू भाषा में शिक्षा का उपलब्ध न होना भारत में मुसलमानों की निम्न शैक्षणिक स्थिति का एक प्रमुख कारण है। समिति से बातचीत करते हुए अधिकतर राज्यों में बड़ी संख्या में उर्दू भाषी लोगों ने यह मुद्दा उठाया। इस भाग में हम इसी मद्दे पर एक नजर डालेंगे।

9.1 संदर्भ


मातृभाषा में शिक्षा विशेष तौर से प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध कराने के कई लाभ हैं क्योंकि इससे बच्चा आसानी से समझता है और कौशल को इस्तेमाल करना सीखता है। यही कारण है कि 60 के दशक के शुरुआत में तीन भाषीय सूत्र को अपनाया गया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 35A के अनुसार, 'हर सरकार और स्थानीय निकाय की यह कोशिश रहेगी कि राज्य के अंदर भाषायी अल्पसंख्यक समूहों में उपलब्ध कराने की पर्याप्त सुविधाएँ दी जाएँ और राष्ट्रपति किसी भी राज्य को जिसमें भी वो जरूरी समझें वो ये निर्देश दे

उर्दू माध्यम के स्कूलों में दाखिले के निम्न स्तर का कारण है शुरुआती स्तर पर ही स्कूलों की गैर उपलब्धता।

उत्तर प्रदेश, झारखंड, आंध्र प्रदेश और बिहार में उर्दू माध्यम से शिक्षा के प्रावधान की स्थिति बहुत ही खराब है।



Fig. 4.28: Urdu Speaking Population and Enrolment in Urdu Medium Schools, 2004



Source: Estimated on the basis of Census 1991 & 2001 and NIEPA, 2004 data

सकते हैं कि ऐसी सुविधाओं का ठीक से इंतजाम किया जाय'।

इस प्रस्ताव की खूबियों को समझने के बावजूद लोग इसको मानते कम हैं और इसका हनन ज्यादा करते हैं।


9.2 उर्दू माध्यम के विद्यालय

विभिन्न समितियों की सकारात्मक अनुशासकों के बावजूद, कई राज्यों में, उर्दू पढ़ाने के लिए सुविधाओं की कमी। अधिकतर राज्यों में उर्दू माध्यम के स्कूलों की संख्या बहुत कम हैं। यह उर्दू माध्यम से पढ़ने वाले बच्चों के निम्न प्रतिशत से जाहिर है। चित्र 3.2-8 में अलग-अलग राज्यों में 6-14 आयु वर्ग की उर्दू-भाषीय आबादी का प्रतिशत दर्शाया गया है (जनगणना 2001)।

राष्ट्रीय शैक्षणिक योजना एवं प्रशासन संस्थान के आंकड़े दर्शाते हैं कि 6 से 14 आयु वर्ग के कितने बच्चे उर्दू माध्यम से पढ़ रहे हैं।

आम धारणा के विपरीत उर्दू भाषी आबादी सिर्फ गंगा के समतल इलाके में ही नहीं बसी है। कर्नाटक की 10 प्रतिशत आबादी, महाराष्ट्र की 7.5 प्रतिशत आबादी और आंध्र प्रदेश की 8.5 प्रतिशत आबादी की मातृभाषा उर्दू है। आश्चर्यजनक रूप से उन सभी राज्यों में उर्दू को अपनी मातृभाषा बताने वाली आबादी का प्रतिशत हिन्दी-उर्दू भाषी राज्यों से कहीं अधिक है। इन राज्यों में 6 से 14 वर्ष के स्कूल जाने वाले मुस्लिम बच्चों का उर्दू माध्यम से पढ़ने वाले सभी बच्चे मुस्लिम हैं कि नहीं, पर ऐसा होने की सम्भावना काफी अधिक है। यह आश्चर्य की बात है कि उत्तर प्रदेश में उर्दू माध्यम से पढ़ने वालों के आंकड़े बहुत ही कम हैं। बिहार और झारखण्ड में भी इनकी स्थिति असंतोषप्रद है। क्या ऐसा हो सकता है कि उत्तर प्रदेश और दूसरे उत्तरी राज्यों में मुस्लिम बच्चों के लिए उर्दू को एक विकल्प ही न माना जाता है। जबकि कर्नाटक महाराष्ट्र और आंध्रप्रदेश में लोग उसे अधिक पसंद करते हैं ?

Fig. 4.29: Performance in CBSE Examination




उर्दू माध्यम से दाखिला लेने वालों और उनकी उपलब्धता ये दर्शाती है कि एक राज्य में उर्दू माध्यम के स्कूलों की सीमित उपलब्धता के कारण ही उनमें प्रवेश का स्तर निम्न हो जाता है। राष्ट्रीय भाषायी अल्पसंख्यक आयोग के आंकड़े दिखाते हैं कि कर्नाटक (4410) महाराष्ट्र (3443) और आंध्रप्रदेश (2569) के तीन राज्यों में बड़ी संख्या में सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त उर्दू माध्यम के स्कूल हैं, जिसमें काफी संख्या में उर्दू भाषी बच्चे पढ़ रहे हैं। ये मुख्य कारण है कि वहां उर्दू माध्यम से इतनी बड़ी संख्या में लोगों ने दाखिला लिया हुआ है।

गैर उर्दू माध्यम स्कूल जहां वैकल्पिक विषय




बक्सा (4.2), कर्नाटक में उर्दू शिक्षा के अवसर :-

चित्र 4.30 कर्नाटक में मातृभाषा पर आधारित शिक्षा प्रकृति



कर्नाटक और महाराष्ट्र शुरुआती स्तर पर उर्दू माध्यम के स्कूलों के प्रावधान का बेहतर उदाहरण हैं। वे इसके साथ ही अंग्रेजी माध्यम से पढ़ने का अवसर भी प्रदान करते हैं।

चित्र 4.31 अल्पसंख्यक भाषा के प्राथमिक विद्यालय :-



- 24 अंसारी 1989 जाहँगीर 1991, रूगेया, 1998 सलामत उल्लाह 1994 हसन और मेनन
- 25 Outlook में प्रकाशित एक सूचना के अनुसार इनमें से 12 प्रतिशत हिन्दु हैं। (लेखक,2006)। निश्चित रूप से पश्चिम बंगाल में मदरसों का मतलब कुछ अलग है और बहुत से नियमित विद्यालयों को भी मदरसा कहा जाता है। ज्ञान से पता चलता है कि इस राज्य में भी आमतौर से मदरसों के रूप में जाने वाले संस्थानों में और भी कम अनुपात में बच्चे जाते हैं।
- 26 इसके अलावा और भी कई तरीके के मदरसे होते हैं। उदाहरण के लिए छात्रावास युक्त मदरसे ऐसे संस्थान होते हैं जो धार्मिक और इस्लाम की शिक्षा देते हैं। यहां के छात्र किसी दूसरे तरह के स्कूल में नहीं जाते और ना ही किसी दूसरी तरह की शिक्षा ग्रहण करते हैं, देश भर में ऐसे कई संस्थान हैं।




उर्दू को अपनी मातृभाषा मानने वाले बच्चे की बड़ी संख्या को देखते हुए, उर्दू में स्नातक स्तर तक वैकल्पिक विषय के रूप में पढ़ाया जाना चाहिए।

कर्नाटक में रहने वाले मुसलमान विशेष तौर से जो दक्षिणी हिस्से में रहते हैं, उर्दू बोलते हैं और उर्दू माध्यम के स्कूलों में ही प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण करना पसंद करते हैं। कर्नाटक राज्य में पूरे प्रदेश में ऐसी शिक्षा का प्रावधान है, उत्तरी भागों में भी अगर वहां उर्दू शिक्षा की मांग है तो।

2001 की जनगणना के अनुसार कर्नाटक में 65 लाख मुस्लिम हैं जो उसकी आबादी का 12 प्रतिशत हिस्सा है और 6 से 14 आयुवर्ग के 2004 में लगभग 2 लाख मुस्लिम बच्चे थे जो कि इस आयु वर्ग के कुल हिस्सों का 14 प्रतिशत थे। तकरीबन 70 प्रतिशत मुस्लिम बच्चे अपनी मातृभाषा उर्दू बताते हैं जिससे यह पता चलता है कि कर्नाटक के स्कूलों में उर्दू पढ़ाई का एक सरल माध्यम है।


कर्नाटक के शिक्षा विभाग के आंकड़े बताते हैं कि अल्पसंख्यक भाषाओं में प्रारंभिक स्तर की शिक्षा देने वाले 77 प्रतिशत संस्थान उर्दू माध्यम से पढ़ाते हैं। 10 वीं कक्षा तक के स्कूलों में यह अनुपात घट जाता है पर फिर भी काफी ज्यादा है।

Fig. 4.32 Teachers In Minority Language Primary Schools



बड़ी संख्या में उर्दू माध्यम के स्कूलों की उपलब्धता अधिकतर उर्दू भाषी बच्चों को अपनी मातृभाषा में पढ़ने का मौका देती है। 70 प्रतिशत से ज्यादा उर्दूभाषी बच्चे उर्दू माध्यम के प्रारंभिक विद्यालयों में दाखिल प्राप्त हैं। हाईस्कूल में यह अनुपात घट जाता है फिर भी 60

Fig. 4.33 Teachers In Minority Language High Schools





प्रतिशत पर ये काफी अधिक है। रोचक बात यह है कि लड़कियों का अधिक बड़ा हिस्सा उर्दू माध्यम के स्कूलों में दाखिला प्राप्त है।

विभाग में नियुक्ति पर भी अगर नजर डालें तो उर्दू माध्यम स्कूलों में उर्दू में शिक्षा दिए जाने की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त अध्यापक हैं।

उर्दू माध्यम स्कूलों में ना सिर्फ शिक्षकों की संख्या ज्यादा है पर उनका लिंग के हिसाब से विभाजन भी उर्दू माध्यम से पढ़ने वाले छात्रों की लैंगिंग संरचना से मेल खाता है। 31 ये एक महत्वपूर्ण पहलू है क्योंकि साहित्य दिखलाता है कि मुस्लिम माता-पिता अपनी बेटियों को उसी स्कूल में भेजना अधिक पसंद करते हैं जहां महिला शिक्षक अधिक हों। हाई स्कूलों में भी लगभग 50 प्रतिशत महिलाएं हैं। उसके शिक्षक-प्रशिक्षक संस्थान हैं। जिन प्रार्थियों ने विश्वविद्यालय के पहले के स्तर के कालेज से शिक्षा प्राप्त कर ली है वे इस पाठ्यक्रम के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसको पूरा करने के बाद वे निम्न स्तर के प्रारंभिक विद्यालयों में पढ़ाने के योग्य हो जाता है।

शहरी इलाके में, हर स्तर की शिक्षा में मुसलमानों और अन्य सामाजिक-धार्मिक श्रेणियों में अंतर अधिक है।

के रूप में उर्दू पढ़ाए जाने का प्रावधान बहुत कम है और स्कूल काफी दूरी पर हैं। ये अधिकतर स्कूलों में संस्कृत को दिये जाने वाली महत्व से एकदम उलट है। “हिंदू भाषी राज्यों में मुख्य रूप से हिन्दी, अंग्रेजी और संस्कृत में काम होता है जबकि गैर हिन्दी भाषी राज्यों में दो ही भाषाओं में काम होता है जिसके कुछ ही अपवाद है (राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, 2005)” दिल्ली और कई उत्तर भारतीय राज्यों के शैक्षणिक ढांचे में संस्कृत के महत्व दिए जाने से कई अल्पसंख्यक भाषाएं ताक पर रख दी गई हैं। छात्रों को संस्कृत ही चुनना पड़ता है क्योंकि कई स्कूलों में उर्दू (और कोई अन्य क्षेत्रीय भाषा) पढ़ाने का प्रावधान ही नहीं है। इसलिए प्रभावी रूप से संस्कृत एक जरूरी विषय बन जाता है।

यह आश्चर्य की बात नहीं है कि उर्दू माध्यम से पढ़ने वाले छात्रों का प्रदर्शन बहुत ही खराब होता है। इससे एक कुचक्र तैयार होता है। चूंकि उर्दू में पढ़ने की सुविधाओं का अभाव है इसीलिए परिणाम भी बुरे ही होते हैं (चित्र 4.29) इससे उर्दू की कार्यात्मक क्षमता कम होती है जिससे उर्दू सीखने की मांग कम होने का एक बहाना मिल जाता है। समिति समझती है कि सरकार का लक्ष्य मुस्लिम बच्चों की शैक्षणिक स्थिति सुधारना है ना कि उर्दू माध्यम के

स्कूलों की संख्या को बढ़ाना। पर चूंकि मुस्लिम बच्चों की बड़ी संख्या में उर्दू ही उनकी मातृभाषा है। समिति यह अनुभव करती है कि जिन इलाकों में उर्दू भाषी आबादी अधिक है वहां उर्दू कम से कम वैकल्पिक विषय के रूप में जरूर पढ़ाई जानी चाहिए। कर्नाटक में उच्च माध्यमिक स्तर तक उर्दू माध्यम से पढ़ने का विकल्प उपलब्ध है (बक्स 4.2)। पर स्नातक स्तर पर यह सुविधा उपलब्ध नहीं है। जहां उर्दू की प्रारंभिक शिक्षा और वैकल्पिक विषय के रूप में उर्दू की उपलब्धता एक उचित मांग लगती है, उच्चतर स्तर पर उर्दू माध्यम से पढ़ाई के प्रश्न पर ध्यान से गौर किए जाने की जरूरत है। इस बात को भी ध्यान में भी रखने की जरूरत है कि उर्दू से पढ़ाई करने वाली-छात्रों को रोजगार मिलने की कितनी सम्भावना है।

27. मद्रसों और मकताबों के आंकलन को मिलाकर सभी मुस्लिम बच्चों में से मात्र 6.3 प्रतिशत ही किसी प्रकार के मद्रसों में पढ़ते हैं। विद्वान लोग जिस 10 प्रतिशत की बात करते हैं उससे ये बहुत कम हैं।

28. मद्रसा शिक्षा योजना। (उत्तर प्रदेश)के आधुनिकीकरण पर समीक्षा रिपोर्ट हमदर्द एजुकेशन सोसाइटी, नई दिल्ली

29. 1991 की जनगणना के अनुसार उर्दू भाषी लोगों का प्रतिशत था-झारखण्ड सहित बिहार में 9.9 प्रतिशत, महाराष्ट्र में 7.3 प्रतिशत, आंध्रप्रदेश में 8.4 प्रतिशत और उत्तर प्रदेश में 9 प्रतिशत।



10. कुछ अंतिम निष्कर्ष :-

अन्य सामाजिक धार्मिक श्रेणियों की तुलना में मुस्लिमों में शिक्षा की तुलनात्मक रूप से कमी को खत्म करने के लिए सरकार को अपनी नीति में काफी बदलाव करने पड़ेंगे तथा निजी और स्वैच्छिक क्षेत्रों में प्रभावी भागीदारी को बढ़ावा देने की जरूरत है। आबादी की बढ़ी हुई संख्या को देखते हुए तथा नीति बनाने वालों के पास सीमित साधनों की उपलब्धता के कारण सरकार द्वारा न्यूनतम स्तर की स्कूली शिक्षा के प्रावधान पर जोर दिया जाना उचित लगता है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि सरकार उच्चतर स्तर की शिक्षा में भागीदारी से मुंह मोड़ सकती है। नीति का केन्द्र शिक्षा के वो क्षेत्र होने चाहिए जहां सरकारी प्रयास आबादी के कमजोर हिस्से को उचित तरीके से पूरी सुविधा देने के लिए काफी नहीं है। जहां निजी और स्वैच्छिक क्षेत्रों के निवेश और प्रयास द्वारा मुसलमानों के शैक्षणिक स्तर को दूसरे समुदायों के बराबर लाने में मदद मिल सकती है। ये जिम्मेदारी मुख्य रूप से सरकार की है। मुस्लिमों तक सरकारी मदद और शिक्षा वृद्धि का पूरा लाभ नहीं पहुंच पाया है। हम पहले इस अध्याय में पाए गए मुख्य नतीजों के सार के बारे में चर्चा करेंगे जिससे नीति के केन्द्रीय बिन्दुओं को समझा जा सके।

मुस्लिम अभिभावक अपने बच्चों को उचित कीमत वाले सरकारी स्कूलों में भेजने या मुख्यधारा की शिक्षा ग्रहण कराने के खलाफ नहीं हैं।

स्कूली शिक्षा के सम्बन्ध में मुस्लिमों की परिस्थितियां एक गंभीर चिंता का विषय है। आंकड़े साफ तौर बताते हैं विभिन्न मापकों के अनुसार भारत में शिक्षा का स्तर अभी भी विश्व स्तर पर माने जाने वाले मानकों से कम है और उसमें भी मुस्लिम समुदाय की शैक्षणिक स्थिति तो काफी गंभीर है। सम्पूर्ण भारत पर तो मुसलमानों का साक्षरता स्तर कुछ संतोषप्रद है। पर राज्य स्तर पर निवास स्थान और लिंग के हिसाब से आंकड़ों का अलग-अलग विश्लेषण किए जाने पर मुस्लिमों के परिस्थिति की एक अलग ही तस्वीर नजर आती है। जब शिक्षा में उन्नति को ध्यान में रखते हुए शैक्षणिक उपलब्धि के वैकल्पिक संकेतों पर ध्यान दिया जाए तो मुस्लिमों और दलितों को छोड़कर अन्य सामाजिक धार्मिक श्रेणियों की स्थिति में काफी अंतर दिखता है। उदाहरण के लिए स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष और मुस्लिमों की उपस्थिति दर अन्य सामाजिक धार्मिक श्रेणियों (कुछ मामलों में दलितों को छोड़कर) से काफी कम है। बल्कि कई संदर्भों में हम देखते हैं कि दलित मुसलमानों से आगे निकल गए हैं।

जहां ग्रामीण और शहरी इलाकों में काफी भिन्नताएं हैं, यह देखा गया कि शहरी इलाकों में मुस्लिमों और अन्य सामाजिक धार्मिक श्रेणियों में ग्रामीण इलाकों की अपेक्षा अधिक अंतर था। उसी प्रकार हालांकि मुस्लिम महिलाओं में पुरुषों की तुलना में शैक्षणिक उपलब्धियां कम थीं। अन्य सामाजिक-धार्मिक श्रेणियों की तुलना में महिलाओं में अंतर कम था।

समयानुसार चलन का विश्लेषण दिखाता है कि शैक्षणिक स्थिति में सुधार के बावजूद मुसलमानों में प्रगति की दर सबसे कम है। दूसरे शब्दों में जहां समय के साथ मुसलमानों में शैक्षणिक उपलब्धियां बढ़ी हैं इस वृद्धि की गति अन्य सामाजिक धार्मिक श्रेणियों की तुलना में बहुत कम है। इसलिए उम्मीद के मुताबिक अंतर कम नहीं हुआ है। बल्कि आजादी के बाद से मुस्लिमों में और लाभान्वित वर्गों में अंतर बढ़ी है खासतौर से 80 के दशक में। सच तो यह है

कि उपलब्धि के स्तर में लगातार विविधता आने से पारंपरिक रूप से दबे कुचले दलित आगे बढ़ रहे हैं और कई संदर्भों में मुस्लिमों से आगे निकल रहे हैं। यह आखिरी बात बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि स्वतन्त्रता के समय दलितों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति मुसलमानों से खराब थी। जाहिर है कि मुस्लिम योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाए हैं, और थोड़ा बहुत खिसकते-खिसकते, धीरे-धीरे अन्य सामाजिक धार्मिक श्रेणियों से अधिकाधिक पिछड़ते जा रहे हैं।

स्नातक स्तर और तकनीकी शिक्षा में सभी सामाजिक-धार्मिक श्रेणियों की उपलब्धि काफी कम है। इन निम्न

30 संविधान में इस और ऐसे अन्य प्रावधानों के अलावा केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित कई समितियों ने भारत में उर्दू के प्रचार की समीक्षा की। 1972 में गुजराल समिति स्थापित की गई जिसने अपनी रिपोर्ट 1975 में दाखिल की। उसके बाद 1979 में अली अहमद सुरु समिति स्थापित की गई जिसमें अपनी रिपोर्ट 1983 में दाखिल की। 1990 में अली सरदार जाफरी ने उर्दू के प्रचार के लिए जनता दल सरकार को एक और रिपोर्ट सौंपी।



स्तरों पर भी दोनों ही क्षेत्रों में सामाजिक-धार्मिक श्रेणियों में थोड़ी भिन्नताएं हैं और मुसलमान पिछड़ रहे हैं। सबसे गंभीर चिंतन का विषय तो यह है कि जिन क्षेत्रों में सबसे अधिक रोजगार की संभावनाएं हैं, उनमें मुसलमानों की भागीदारी सबसे कम है। इससे समुदाय के दूरगामी आर्थिक सशक्तीकरण पर गंभीर प्रभाव पड़ता है और देश के आर्थिक विकास पर भी गंभीर प्रभाव पड़ता है। सामाजिक-धार्मिक श्रेणियों की उपलब्धि के स्तर पर भिन्नताएं शिक्षा के निम्न स्तरों पर अधिक स्पष्ट हैं। सामाजिक धार्मिक श्रेणियों में भिन्नताएं दसवीं के बाद काफी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। उच्चस्तर शिक्षा में मुसलमानों की कम भागीदारी का एक महत्वपूर्ण कारण यह है कि उच्च माध्यमिक उपलब्धि दर में उनका स्तर काफी निम्न है। स्कूल पूरा करने की दर में अधिकतर सामाजिक-धार्मिक श्रेणियों से मुसलमान काफी हानि की स्थिति में हैं। एक बार यह बाधा पार हो जाए और समुदाय के लोग उच्च स्तर शिक्षा के योग्य बन जाएं तो उपलब्धियों में अंतर काफी कम हो जाता है।

इसके अलावा, मुस्लिम समुदाय से समिति की बातचीत और दाखिले और दूसरी शैक्षणिक उपलब्धियों के वर्तमान चलन को देखते हुए, बहुत सी धारणाओं और मुस्लिम शिक्षा के लिए प्रचलित मान्यताओं को गलत साबित किया जा सकता है, इनको उजागर करने की जरूरत है।

मुस्लिम माता-पिता आधुनिक या मुख्यधारा की शिक्षा और सस्ते सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को भेजने के खिलाफ नहीं हैं। यह जरूरी नहीं कि वो अपने बच्चों को मदरसों में पढ़ाना पसंद करें। भारत में अन्य बच्चों के लिए जो नियमित स्कूली शिक्षा उपलब्ध है, मुसलमान भी उसे ही अधिक पसंद करते हैं। मुस्लिमों का हिस्सा अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा पसंद करता है जबकि कुछ अन्य उर्दू माध्यम से पढ़ना चाहते हैं। सरकारी स्कूलों तक मुस्लिम बच्चों की पहुंच बहुत सीमित है। यह भी एक आम धारणा है कि मुस्लिम मां-बाप अपनी लड़कियों के लिए शिक्षा जरूरी नहीं समझते। इससे गलत आदर्श पड़ सकते हैं। अगर लड़कियों का दाखिला करा भी दिया जाये तो उन्हें कम उम्र में इसलिए निकाल दिया जाता है ताकि उनकी शादी जल्द हो सके। इससे मुस्लिम लड़कियों के लिए आस-पास स्कूल उपलब्ध नहीं हैं। लड़कियों के लिए छात्रावासों की कमी है, महिला अध्यापकों की कमी है और शिक्षा के स्तर को आगे बढ़ाने के लिए छात्रवृत्तियों की कमी है।

इस बात पर ध्यान दिए जाने की जरूरत है कि सिर्फ साक्षर होना काफी नहीं है। साक्षरता से उलट शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे व्यक्ति को नए अवसर पहचानने की क्षमता मिलती है। वो जानना चाहता है क्यों और उसमें एक विचारशील व्यक्ति का विकास होता है। शिक्षा का मतलब ये भी है कि जिंदगी भर इन योग्यताओं को बनाए रखा जा सके और बढ़ाया जा सके तथा अगली पीढ़ी को भी इस प्रकार की शिक्षा दी जा सके। सामाजिक वैज्ञानिकों के हिसाब से इससे काफी बड़ा प्रभाव होगा। इसलिए एक व्यक्ति को शिक्षा पद्धति में शामिल होने के बाद एक न्यूनतम अवधि के लिए उसमें बने रहना जरूरी है जिससे कि वो इन लाभों को उठा सके।

सामाजिक धार्मिक श्रेणियों में शैक्षणिक चलन में बदलाव दिखाते हैं कि अनुसूचित जाति और जनजाति के शैक्षणिक विकास को ध्यान में रखते हुए उठाए गए सरकारी और निजी कदमों से कुछ तो लाभ उठाया है। इससे सकारात्मक गतिविधियों की महत्ता समझ में आती है। इस बात को भी समझना जरूरी है कि किस क्षेत्र में सकारात्मक कार्य करने से अधिक फायदा हुआ है, स्कूली शिक्षा पर अधिक ध्यान दिए जाने और मुसलमानों के लिए उच्चतर शिक्षा में अधिक अवसर पैदा करना वांछित है। मुसलमानों के कुछ हिस्सों के पेशेगत ढांचे को देखते हुए जिन लोगों में अपनी स्कूली शिक्षा नहीं पूरी की है उनके लिए कौशल विकास

31 उर्दू माध्यम के स्कूलों में लगभग 70 प्रतिशत अध्यापक महिलाएं हैं।

32 बिहार, झारखण्ड और उत्तर प्रदेश लगातार अपने-अपने राज्यों में उर्दू माध्यम के स्कूलों की संख्या से सम्बन्धित आंकड़े देने में असफल रहे हैं। भाषायीय अल्पसंख्यक आयोग की 42 वीं रिपोर्ट देखें (जुलाई 2003 से जून 2004), सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार।

33. समिति के साथ जनसभाओं में मुस्लिम प्रतिनिधियों ने यह आरोप लगाया कि राज्यस्थान में कई पद खत्म कर दिए गए हैं। साथ ही कक्षा 5 के बाद उर्दू माध्यम के कोई भी स्कूल नहीं है।

सामाजिक-धार्मिक श्रेणियों में शिक्षा की हालत में अदलाव दर्शाते हैं कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों ने उन्हें ध्यान में रखकर किए गए सरकारी व निजी प्रयासों का लाभ उठाया है। इससे सकारात्मक कार्यों का महत्व प्रतिविंबित होता है।



भारत में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति

से संबंधित कदम उठाए जाने चाहिए। आखिरी अध्याय में कुछ विशेष नीतिगत कदमों का वर्णन किया गया है।



अर्थव्यवस्था और रोजगार : मुसलमानों की स्थिति

1. परिचय

रोजगार की उपलब्धता किसी भी व्यक्ति विशेष और उसके परिवार को क्रय शक्ति मुहैया कराने के साथ-साथ बुनियादी आवश्यकताओं, आराम और मनोरंजन की जरूरतों के लिए संसाधनों को एकत्र करने तथा उनका उपयोग करने में सक्षम बनाता है। इसके अलावा रोजगार के जरिए आमदनी में बढ़ोतरी निवेश की इजाजत भी प्रदान करता है, भले ही उसका रूप कुछ भी हो। निवेश टिकाऊवस्तु में भी हो सकता है और शिक्षा, स्वास्थ्य और पूंजी के क्षेत्र में भी। हालांकि ऐसे निवेश से भविष्य की आय को बढ़ा पाना काफी जटिल है और इस वजह से व्यक्ति विशेष के साथ-साथ अर्थव्यवस्था की भी बढ़ोतरी को बरकरार रख पाना मुश्किल है, जबकि योग्यता में वृद्धि की वजह से मिलने वाले आर्थिक लाभ महत्वपूर्ण होते हैं और रोजगार में भी गैर-आर्थिक लाभ काफी महत्वपूर्ण हैं। ऐसी मान्यता है कि उचित गतिविधियों में किसी की संलिप्तता उसे सम्मान और अछा कर्मचारी होने की भावना देता है।


भौतिक संसाधन (खासकर भूमि) और मानवीय पूंजी (खासकर शिक्षा) न सिर्फ रोजगार के अवसर को प्रभावित करते हैं बल्कि व्यवसाय या कामकाज के तौर-तरीकों को भी निर्धारित करते हैं। इन संसाधनों की अपेक्षाकृत कम उपलब्धता, कर्मचारियों या कामगारों को श्रम बाजार की पंक्ति में निचले छोर पर बने रहने को मजबूर कर सकती है। रोजगार, शिक्षा और भौतिक संसाधनों में निवेश काफी तेजी से एक दूसरे से जुड़ते चले जाते हैं। यहां यह तर्क भी दिया जा सकता है कि शिक्षा का सकारात्मक प्रभाव काफी हद तक बाजार में रोजगार के अवसरों की मौजूदगी पर निर्भर करता है। रोजगार मिलने की प्रबल संभावना या भारी भरकम आमदनी की उम्मीद के रूप में शिक्षा के आर्थिक लाभ के बिना मानवीय पूंजी में निवेश नहीं होगा। हालांकि, भौतिक पूंजी का स्वामित्व रोजगार के लिए अवसर पैदा करता है, रोजगार में बढ़ोतरी नई पूंजी के निर्माण का अवसर पैदा करती है।

इस अध्याय में आपस में जुड़े निम्नांकित लक्ष्य हैं:

- तुलनात्मक परिप्रेक्ष्य में रोजगार में मुसलमानों की स्थिति का विस्तृत ब्यौरा उपलब्ध कराना,
- रोजगार के संदर्भ में समुदाय को पेश आने वाली परेशानियों की प्रकृति का पता लगाना और
- उन क्षेत्रों की पहचान करना, जहां नीतियां समुदाय के लिए काम के माहौल को सुधारने पर केंद्रित की जानी चाहिए।

पूरे अध्याय को 10 खंडों में बांटा गया है। अगले खंड में आंकड़ों और तौर-तरीके दिए गये हैं। खंड तीन से आठ में राष्ट्रीय स्तर पर मुसलमानों की रोजगार संबंधी स्थिति और हालात का आकलन करने के लिए

*रोजगार की उपलब्धता
व्यक्ति और उसके परिवार
को क्रय शक्ति प्रदान करने
के साथ-साथ
जीवकोपार्जन हासिल
करने में सक्षम बनाती है।
यह मौलिक जरूरतों की
पूर्ति, आराम और
मनोरंजन के साधन
उपलब्ध कराता है।*



सबसे ताजे आंकड़ों (एनएसएसओ-61वें राउंड) का इस्तेमाल किया गया है। खंड-3 में बेरोजगारी की दर और कार्यसहभागिता का विश्लेषण किया गया है, जबकि खंड चार में विभिन्न एसआरसी के कामकाजी लोगों की कार्य-स्थिति (स्वरोजगार, नौकरी पेशा या नियोक्ता आदि) की चर्चा की गयी है। रोजगार मुहैया कराने वाले प्रतिष्ठानों के प्रकार और कार्य स्थान का विश्लेषण खंड पांच में है। अगले दो खंडों में कार्यक्षमता के औद्योगिक और व्यावसायिक वितरण पर प्रकाश डाला गया है। खंड आठ में कर्मचारियों के समेह के आधार पर वेतन से होने वाली आमदनी और रोजगार की सुरक्षा की तुलना की गयी है। विभिन्न राज्यों में मुसलमानों के रोजगार की स्थिति का आकलन करने के लिए खंड नौ में देश के सभी बड़े राज्यों में रोजगार की स्थिति के महत्वपूर्ण पहलुओं की चर्चा की गयी है। अगर हाल के वर्षों में इनमें बदलाव आ गए हों तो यह आकलन काफी कठिन है। तीन कालखंडों 1993-94, 1999-2000 और 2004-05 के आंकड़ों का विश्लेषण कर खंड 10 में इस दिशा में किये जाने वाले प्रयासों की चर्चा की गयी है। अंतिम खंड में सभी प्रमुख निष्कर्षों को मिलाया गया है और कुछ ऐसे खेत्रों की पहचान की गयी है, जिनमें नीतिगत हस्तक्षेप की जरूरत है।

2. डाटाबेस और पद्धति

रोजगार की स्थिति के विश्लेषण का केंद्र नेशनल सैम्पल सर्वे आर्गेनाइजेशन (एनएसएसओ) के आंकड़ों पर आधारित है। विश्लेषण के लिए हाल के 61वें दौर (2004-05) के आंकड़ों को आधार बनाया गया है, लेकिन वर्ष 1993-94 और 1999-2000 के क्रमशः 50 वें और 55वें दौर को तुलनात्मक अध्ययन के लिए इस्तेमाल किया गया है। अध्ययन के अनुमानों की पुष्टि के लिए 2001 की जनगणना के आंकड़ों को जरूरत पड़ने पर उपयोग में लाया गया है जैसा कि पहले अध्याय में चर्चा की जा चुकी है कि एनएसएसओ के आंकड़ों आधार पर छह व्यापक एसआरसी परिभाषित किये गए हैं। अध्ययन के दौरान प्रत्येक श्रेणी के लिए लगभग सभी अनुमान तैयार किए गए हैं। चूंकि जनगणना के आंकड़े हमें समान श्रेणियां तैयार करने की इजाजत नहीं देते हैं, इसलिए जहां भी तुलना की आवश्यकता हुई है, वहां एनएसएसओ के आंकड़ों से तुलनात्मकक श्रेणी तैयार की गई है।

एनएसएसओ के 61वें राउंड का डाटा एसआरसी के अनुरूप रोजगार की संरचना के आमतौर पर इस्तेमाल किया जाता है।

रोजगार का विश्लेषण करने के लिए 15-64 वर्ष आयु के लोगों के समूह को ही चुना गया है। इससे अलग आयु वर्ग होने पर उसका विशेष उल्लेख किया गया है। बाल श्रम की मौजूदगी जैसे कुछ विश्लेषण के लिए अन्य आयु वर्ग को भी अध्ययन में शामिल किया गया है। रोजगार के गुण धर्मों की विवेचना के दौरान हमने एक कर्मचारी /मजदूर की समग्र परिभाषा का इस्तेमाल किया है, इसमें कर्मचारियों/मजदूरों की प्रमुख एवं सहायक दोनों स्थितियों पर विचार किया गया है। एनएसएसओ की परिभाषा के मुताबिक दी गई अवधि के दौरान किसी भी आर्थिक क्रियाकलाप में शामिल व्यक्ति एक कर्मचारी/मजदूर है, भले वह अवैतनिक सहायक ही क्यों नहीं हो। आर्थिक गतिविधियों में शामिल होते हुए भी अगर कोई व्यक्ति बीमारी, सामाजिक उत्सवों आदि के कारण अगर अस्थायी तौर पर काम से छुट्टी करता है तो उसे भी कर्मचारी की श्रेणी में शामिल किया गया है। किसी व्यक्ति की प्रमुख क्रियाकलाप स्थिति से तात्पर्य है कि दिए गए समय में वह इस कार्य के अपेक्षाकृत अधिक समय व्यतीत करता है। अगर एक व्यक्ति दिए गए समय के अधिकांश हिस्से में काम करता है, तो उसे एक प्रधान कर्मचारी माना जाएगा। लेकिन यदि कोई व्यक्ति अधिक समय गैर-कामकाजी के तौर पर गुजारता है और अपेक्षाकृत छोटी समयावधि के लिए कोई आर्थिक कामकाज करता है, तो उसे द्वितीयक (सब्सिडरी) कर्मचारी कहा जाएगा। परिणामस्वरूप कर्मचारी/मजदूर के रूप में काफी कम समय के लिए काम करने वाले व्यक्ति को भी गिना गया है। कमोबेश, वर्ष के दौरान प्रारंभिक औसत स्थिति या सामान्य स्थिति का दैनिक या साप्ताहिक स्थिति के मुकाबले विश्लेषण किया गया है।



3. कामगार जनसंख्या औसत और बेरोजगारी दर

व्यापक तौर पर डब्ल्यूपीआर (कामगार-आबादी अनुपात/दर) किसी खास जनसमूह की ओर से आर्थिक गतिविधियों में सहभागिता की एक झलक देता है। पहले की गई चर्चा के मुताबिक काम पाने की क्षमता संसाधनों(दोनों भौतिक एवं अन्य) और मौजूद कार्य के अवसरों पर निर्भर करती है। अच्छे संपन्न घरों से आने वाले सभी लोग खासकर महिलाएं, नौकरियों में शामिल नहीं होते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा करने के लिए कोई भी आर्थिक जरूरत मजबूर नहीं करती है। संपन्नता की वजह से कई बार मन मुताबिक काम नहीं होने पर उसे कर पाना मुमकिन नहीं हो पाता। काम की वरीयता कई कारकों पर निर्भर करती है। इनमें सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारक भी शामिल होते हैं। कमोबेश, रोजगार की अनुपलब्धता ऐसी स्थिति पैदा करती है, जिसके परिणामस्वरूप लोग, खासकर महिलाएं, कामगारों के समूह से खुद को अलग कर लेते हैं। सामाजिक विज्ञान अनुसंधान में इसे 'हतोत्साहित कर्मचारी प्रभाव' के तौर पर दिखाया गया है। इसी तरह, डब्ल्यूपीआर में अंतर संपन्नता में अंतर के साथ-साथ रोजगार के अवसरों की प्रकृति एवं संख्या के अंतर को भी साबित करता है और प्रायः इन जटिल संबंधों को सुलझाने में काफी मुश्किल होती है। बेरोजगारी दर जरूरतमंद कामगारों की संख्या और उनको मिलने वाले रोजगार के अनुपात को दिखाता है। विकसित देशों में खुली बेरोजगारी, खासकर आम स्थिति, की प्रतिशतता कम होती है। आंशिक तौर पर ऐसा इसलिए है कि बड़ी संख्या में गरीब लोग बेरोजगारी नहीं झेल सकते हैं और उन्हें जो भी काम मिलता है, उसे ले लेते हैं। हालांकि इसके बावजूद भी उन्हें पूर्ण रोजगार नहीं मिल पाता है, वे पूरे वर्ष भर खुद को रोजगार का जरूरतमंद भी नहीं बता सकते हैं। इसलिए आम स्थिति की बेरोजगारी दर की बजाय दैनिक स्थिति बेरोजगारी दर को वरीयता दी जाती है।


मुस्लिमों के लिए कार्य सहभागिता का निम्न अनुपात निश्चित तौर पर मुस्लिम समुदाय में महिलाओं की आर्थिक गतिविधि में निम्न भागीदारी के कारण ही है।


इस खंड में यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि अन्य एसआरसी के मुकाबले आर्थिक सहभागिता और बेरोजगारी में मुसलमानों की स्थिति कितनी अलग है।

ग्रामीण क्षेत्रों में मुसलमानों में कर्मचारी जनसंख्या अनुपात अन्य सभी एसआरसी के मुकाबले काफी कम है, लेकिन शहरी क्षेत्रों में यह अंतर मामूली सा है। (चित्र- 5.1 एवं सारिणी 5.1 सभी सारिणी अध्याय के अंत में हैं।) मुसलमानों के लिए कार्य सहभागिता अनुपात में कमी की एक प्रमुख वजह इस समुदाय की महिलाओं द्वारा आर्थिक गतिविधियों में हिस्सेदारी नहीं करना है, जबकि विभिन्न समुदायों में वह पुरुषों से बहुत अलग नहीं है। आश्चर्यजनक रूप से कार्य-सहभागिता अनुपात के मामले में मुस्लिम महिलाएं उंची जाति की हिन्दू महिलाओं से भी पीछे हैं, जहां ऐसा माना जाता है कि उनके काम करने में सामाजिक-सांस्कृतिक बाधाएं आ सकती हैं।

पूरे देश में 15-64 वर्ष आयुवर्ग की कुल 45 फीसदी महिलाएं ही नौकरी करती हैं, जबकि पुरुषों के वर्ग में यह अनुपात करीब 85 प्रतिशत है। हालांकि मुस्लिम महिलाओं के बीच श्रमिक सहभागिता दर औसत

चित्र- 5.1 --- एसआरसी का कर्मचारी /मजदूर सहभागिता दर






मुस्लिम महिलाओं में काम और आबादी का अनुपात सभी सामाजिक धार्मिक श्रेणियों के अनुपात से कम है। शहरी क्षेत्रों में यह और अधिक है।

करीब 25 प्रतिशत है। वर्ष 2001 की जनगणना के आंकड़ों के मुताबिक मुस्लिम महिलाओं के बीच डब्ल्यूपीआर कम है। (जनगणना के अनुमान के मुताबिक सभी आयुवर्ग के मुसलमान पुरुषों में डब्ल्यूपीआर 47.5 प्रतिशत ही है, जबकि बाकी धार्मिक समुदायों के लिए यह औसत 51.7 प्रतिशत है। मुस्लिम महिलाओं के लिए डब्ल्यूपीआर 14.1 प्रतिशत है जबकि राष्ट्रीय औसत 25.6 फीसदी का है।) ग्रामीण क्षेत्रों में जहां 70 प्रतिशत हिन्दू महिलाएं कामकाज में हिस्सा बंटती हैं, वहीं सिर्फ करीब 29 प्रतिशत मुस्लिम महिलाएं ही ऐसा करती हैं। यहां तक कि ग्रामीण क्षेत्रों में उंची जाति की हिन्दू महिलाएं भी बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लेती हैं। इनके लिए यह आंकड़ा 43 प्रतिशत का है। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की कम हिस्सेदारी को इस वास्तविकता से समझा जा सकता है कि मुस्लिम परिवार और महिलाएं कृषि कार्यों से जुड़ने के प्रति कम इच्छुक होती हैं। शहरी क्षेत्रों में मुस्लिम महिलाओं का डब्ल्यूपीआर तो और भी कम है। यहां लगभग 18 प्रतिशत महिलाएं ही कामकाज में जुटी हैं और संभवतः इसके पीछे, कुनबे में महिलाओं के लिए अवसरों का सीमित होना एक प्रमुख कारण हो सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में सीमित ही सही, लेकिन भूमि की मिल्कियत ऐसे अवसरों को बढ़ा सकती है और इसी वजह से इन क्षेत्रों में मुस्लिम महिलाओं की सहभागिता थोड़ी अधिक है।

मुस्लिम महिलाओं में सहभागिता के कम दर की एक वजह उनकी निर्भरता हो सकती है, क्योंकि उनकी जनसंख्या में अपेक्षाकृत बच्चों की अधिक हिस्सेदारी की वजह से महिलाओं को घर में ही रहना पड़ता है। अध्याय तीन में हमने देखा कि मुस्लिम आबादी में युवा वर्ग की संख्या कुल आबादी के मुकाबले अधिक है, जहां कुल आबादी का 23 प्रतिशत हिस्सा 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का है, वहीं मुसलमानों की कुल संख्या का 27 प्रतिशत हिस्सा इस वर्ग में आता है। इसके बाद 10-14 वर्ष आयुवर्ग की संख्या भी मुसलमान समुदाय में कुल आबादी के मुकाबले दो फीसदी अधिक है। कम उम्र के कारण निर्भरता की यह व्यापक स्थिति है। हालांकि कुल आबादी और मुसलमानों की आबादी में बुजुर्गों की हिस्सेदारी अधिक नहीं है, इसलिए बुजुर्गों की निर्भरता अधिक नहीं है। कम उम्र निर्भरता का कुल डब्ल्यूपीआर पर क्या प्रभाव होता है यह विशेष डब्ल्यूपीआर से यह साबित हो जाता है कि मुसलमानों में लगभग सभी आयुवर्ग में सहभागिता दर कम है। (परिशिष्ट सारिणी- 5.1)। यह कमी शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के पुरुष-महिलाओं में है। इसलिए मुसलमानों के बीच डब्ल्यूपीआर में कमी के पीछे 'कम उम्र निर्भरता' नहीं दिखती है।

आमतौर पर दैनिक स्थिति बेरोजगारी दर (चित्र- 5.2 और सारिणी- 5.2) 11 फीसदी से अधिक नहीं है। मुसलमानों को एक साथ मिलाकर देखा जाए तो सभी हिन्दुओं के मुकाबले इनमें बेरोजगारी दर कुछ अधिक जरूर है, लेकिन हर समूह में कुछ अंतर भी है। आमतौर पर उंची जाति के हिन्दुओं में अन्य जातियों के

चित्र- 5.2 - एसआरसी की बेरोजगारी दर





मुकाबले बेरोजगारी दर कम है, खासकर अनुसूचित जाति/जनजाति के मुकाबले यह अंतर काफी ज्यादा है। मुसलमानों में (पुरुष, महिला, ग्रामीण और शहरी) बेरोजगारी दर अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजातियों के मुकाबले कम तो जरूर है, लेकिन उन्नी जाति के हिन्दुओं की तुलना में अधिक है। मुसलमानों का बेरोजगारी दर अन्य पिछड़ी जातियों के हिन्दुओं से भी अधिक है, सिवाय शहरी क्षेत्रों के। मुसलमानों में भी बेरोजगारी दर आम मुसलमानों की तुलना में अन्य पिछड़ी जातियों के मुसलमानों में अधिक है।

4. कार्य की स्थिति के आधार पर कर्मचारियों/मजदूरों का वितरण

डब्ल्यूपीआर से जहां आर्थिक गतिविधियों में एक समुदाय की हिस्सेदारी का पता चलता है, वहीं कार्य की स्थिति उस क्षमता का वर्णन करती है, जिससे कर्मचारी/मजदूर इन गतिविधियों में भाग लेते हैं या सहभागिता सुनिश्चित करते हैं। उदाहरण के तौर पर एक कामकाजी व्यक्ति स्वरोजगार से जुड़ा हो सकता है या किसी रोजगार में एक कर्मचारी हो सकता है। इसके अलावा वह वैतनिक या दिहाड़ी पर काम करने वाला कर्मचारी हो सकता है। प्राप्त आंकड़ों के अनुसार कर्मचारियों की स्थिति इस तरीके से निर्धारित की गई है :-

- पारिवारिक प्रतिष्ठान में स्वरोजगार से जुड़ा-
 - खुद कर्मचारी/नियोक्ता/ अवैतनिक पारिवारिक कर्मचारी
- नियमित वेतन/ दैनिक मजदूरी प्राप्त कर्मचारी-
 - सार्वजनिक क्षेत्र में/निजी क्षेत्र में
- सामयिक मजदूरी पाने वाला श्रमिक -
 - सार्वजनिक कार्य/ अन्य प्रकार के कार्यों में

हालांकि इन स्थितियों में आपसी तौर पर ग्रेड देना काफी मुश्किल है, क्योंकि इनमें आमदनी में व्यापक अंतर होता है, फिर भी स्वरोजगार श्रेणी में एक नियोक्ता को बेहतर विकल्प बताने में किसी को परेशानी नहीं हो सकती है। इसी प्रकार कर्मचारी श्रेणी में नियमित वेतन या मजदूरी मुहैया कराने वाली नौकरी सामयिक मजदूरी के मुकाबले बेहतर है। यहां यह पता करना काफी अहम है कि क्या मुसलमान कर्मचारी किसी खास रोजगार स्थिति से जुड़े हैं।

4.1 स्वरोजगार से संबंधित गतिविधियों में केंद्रित

स्वरोजगार गतिविधियों में संलिप्त मुसलमान कर्मचारियों की अपेक्षाकृत अधिक हिस्सेदारी सबसे अधिक चौंकाने वाला पहलू है। खासकर यह शहरी क्षेत्र और महिलाओं में बहुत अधिक है। (चित्र- 5.3 और सारिणी 5.4 तथा चित्र- 5.4 और सारिणी- 5.3)। अगर सबको एक साथ मिलाकर देखा जाए तो स्वरोजगार की तीनों श्रेणियों में मुसलमानों की कुल कार्यक्षमता का करीब 61 प्रतिशत हिस्सा लगा है, जबकि हिन्दुओं में यह आंकड़ा करीब 55 फीसदी है। शहरी क्षेत्रों में 57 फीसदी मुसलमान स्वरोजगार में लगे हैं, जबकि हिन्दुओं में 43 प्रतिशत ही ऐसा करते हैं। महिलाओं की बात की जाए तो मुस्लिम महिलाओं के लिए यह आंकड़ा 73 फीसदी तक है, जबकि 60 प्रतिशत नौकरी पेशा हिन्दू महिलाएं स्वरोजगार से जुड़ी हैं। हम अभी आगे यह देखेंगे कि स्वरोजगार श्रेणी में मुसलमान गैर कृषि कार्यों के मुकाबले कृषि कार्यों से काफी कम जुड़े हैं।


मुस्लिम समुदाय में स्वरोजगार पर निर्भरता सामान्य मुसलमानों की तुलना में अन्य पिछड़ी जातियों के मुसलमानों में अधिक है। जहां सामान्य श्रेणी के 59 फीसदी मुसलमान ही स्वरोजगार पर निर्भर हैं, वहीं अन्य पिछड़ी जाति के मुसलमानों के लिए यह आंकड़ा 64 फीसदी है (देखें अध्याय-10)। हिन्दुओं के बीच, अनुसूचित जाति/ जनजाति के सिर्फ 43 फीसदी हिस्से को ही स्वरोजगार पर भरोसा है, जबकि अन्य पिछड़ी जातियों का 51 फीसदी और उन्नी जाति के हिन्दुओं का 55 प्रतिशत हिस्सा स्वरोजगार में शामिल है। स्वरोजगार से संबंधित गतिविधियों में अधिक भागीदारी निभाने वाले मुसलमानों के लिए गण की उपलब्धता अनुमानतः किसी अन्य एसआरसी के मुकाबले अधिक कठिन है। हम इस बिंदु पर अध्याय छह में फिर से लौटेंगे।

सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात है कि मुसलमान श्रमिकों का सर्वाधिक हिस्सा स्वरोजगार में जुटे हैं। यह खासकर शहरी क्षेत्रों और महिला श्रमिकों के लिए सत्य है।

सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों की वेतन वाली नौकरियों में मुस्लिम श्रमिकों की हिस्सेदारी बहुत ही कम है, ऐसी ही स्थिति अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के श्रमिकों के मामले में भी है।



चित्र- 5.3- शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में एसआरसी के आधार पर रोजगार गतिविधि की स्थिति




4.2 वैतनिक नौकरियों में कम भागीदारी

एक कर्मचारी के रूप में मुसलमान आमतौर पर सामयिक मजदूर के रूप में काम करते हैं (चित्र- 5.3 एवं 5.4 और सारिणी- 5.3 एवं 5.4)। अनुसूचित जाति/ जनजातियों के मुकाबले वैतनिक नौकरियों (सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों में) में मुसलमानों का प्रतिनिधित्व काफी कम है। वैतनिक नौकरी करने वालों में से उंची जाति के हिन्दू श्रेणी से 25 फीसदी कर्मचारी नियमित नौकरियों में हैं लेकिन मुस्लिम कर्मचारियों का सिर्फ करीब 13 फीसदी हिस्सा ही नियमित नौकरी करता है। अनुसूचित जाति/जनजातियों के कर्मचारियों की स्थिति भी कोई बेहतर नहीं है। वास्तव में, सामयिक कार्यों में इनका वर्चस्व काफी है और इस समूह में इस श्रेणी के 46 प्रतिशत कामगार कार्यरत हैं।

मुसलमानों के लिए, खासकर सार्वजनिक क्षेत्र में नियमित नौकरियों तक पहुंच की कमी आम चिंता का सबब है। सारिणी- 5.3 और 5.4 में दिए गए अनुमान इस चिंता को स्पष्ट करते हैं, जैसा कि पहले ही स्पष्ट हो चुका है कि नियमित नौकरियों के संबंध में जब कुल अनुमान और पुरुष एवं महिला कर्मचारियों की अलग-अलग तुलना की जाए तो मुसलमानों की स्थिति अन्य पिछड़ी जातियों तथा अनुसूचित जाति/जनजातियों के हिन्दुओं से भिन्न नहीं है। (सारिणी- 5.3)। हालांकि शहरी क्षेत्रों में गतिविधियों की स्थिति के आधार



चित्र- 5.4- महिला एवं पुरुष कर्मचारियों की पेशागत स्थिति




पर कर्मचारियों के वितरण में नियमित नौकरियों में मुसलमानों की हिस्सेदारी पारंपरिक रूप से नुकसान में रहने वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों से भी बुरी है। शहरी क्षेत्र में कुल मुसलमान कर्मचारियों की 27 फीसदी आबादी ही नियमित नौकरियों में हैं जबकि अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के 40 प्रतिशत, ओबीसी के 36 प्रतिशत और उन्नी जाति के हिन्दुओं के 49 फीसदी कर्मचारी नियमित नौकरियों में हैं। (चित्र 5.3)

कुछ छोटे असंगठित प्रतिष्ठानों में भी नियमित कर्मचारियों को पाया जा सकता है। बड़े प्रतिष्ठानों में नियमित नौकरियां अधिक स्थायी और फायदेमंद होती हैं। ये नौकरियां आमतौर पर सामाजिक सुरक्षा और अन्य फायदों के कारण अपनी ओर आकर्षित करती हैं। सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र और निजी/सार्वजनिक क्षेत्र की लिमिटेड कंपनियों में विभिन्न एसआरसी के नियमित कर्मचारियों का अनुपात क्या होगा क्षेत्र या सरकारी नौकरियों में 24 फीसदी से भी कम नियमित मुसलमान कर्मचारी कार्यरत हैं। (चित्र- 5.5, परिशिष्ट सारिणी- 5.2)। चित्र में सिर्फ प्रत्येक एसआरसी के नियमित कर्मचारियों की हिस्सेदारी दी गयी है जो सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और निजी क्षेत्र की बड़ी कंपनियों में कार्यरत हैं।

अन्य एसआरसी के लिए यह अनुपात काफी अधिक है, जबकि अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के नियमित कर्मचारियों में से करीब 39 फीसदी ऐसी नौकरियों में हैं, उन्नी जाति के हिन्दुओं की हिस्सेदारी 37



चित्र- 5.5 2004-05 के दौरान सरकारी और निजी क्षेत्र के बड़े प्रतिष्ठानों में कार्यरत विभिन्न एसआरसी के नियमित कर्मचारियों की हिस्सेदारी



फीसदी और अन्य पिछड़ी जाति के 30 फीसदी कर्मचारी नियमित नौकरियों में हैं। बड़े निजी प्रतिष्ठानों (प्राइवेट और पब्लिक लिमिटेड) में नियमित नौकरियों में भी ऐसा ही रूख दिखता है। इसमें से मुसलमानों की हिस्सेदारी सबसे कम है। ऐसी नौकरियों में मुसलमानों की अपेक्षाकृत कम भागीदारी के साथ शहरी क्षेत्रों में यह अंतर तेज हुआ है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी स्थिति ऐसी ही है, लेकिन एसआरसी के बीच का अंतर कम है। इन फायदेमंद नौकरियों में नियमित कर्मचारियों में पुरुषों और महिलाओं की हिस्सेदारी भी इन्ही पैटर्न पर है। इन आकर्षक नौकरियों में मुसलमानों की हिस्सेदारी सबसे कम है। (चित्र-5.5)। सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की संख्या प्रबल है और संभवतः यह इस

समूह को सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने की सकारात्मक लेकिन भेदभावपूर्ण नीति का ही नतीजा है।

पारंपरिक रूप से वंचित एससी और एसटी की तुलना में शहरी क्षेत्रों में नियमित नौकरियों में मुस्लिम महिलाओं की भागीदारी बहुत सीमित है।

4.3 सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में रोजगार

विभिन्न सरकारी विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से ओर से समिति को दिए गए आंकड़ों से भी सरकारी/ सार्वजनिक क्षेत्रों में मुसलमानों की कम हिस्सेदारी परिलक्षित होती है। इसे अध्याय नौ में विस्तार से विश्लेषित किया गया है। अधिकतर विभागों और पीएसयू में मुसलमान कर्मचारियों की संख्या पांच फीसदी से अधिक नहीं है। आंकड़े यह बताते हैं कि कुछ हद तक केंद्रीय स्तर पर मुसलमानों की संख्या के मुकाबले राज्य सरकार के विभागों और राज्यस्तरीय पीएसयू में यह आंकड़ा अधिक होता है। हालांकि विस्तृत जानकारी से यह स्पष्ट है कि सार्वजनिक क्षेत्र के मुसलमान, अन्य पिछड़ी जाति और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कर्मचारी अपेक्षाकृत निचले स्तर के पदों पर अधिक हैं, जबकि उच्च जाति के हिन्दुओं की मौजूदगी उच्च पदों पर अधिक है। (देखें अध्याय 9) अध्याय नौ में विश्लेषित किये गए आंकड़े यह भी बताते हैं कि अखिल भारतीय सिविल सेवा के किसी भी कैडर में मुसलमानों की हिस्सेदारी पांच फीसदी से अधिक नहीं है।

5. उपक्रम के प्रकार एवं कार्य-स्थिति के अनुसार कामगारों का वितरण

पिछला खंड यह दर्शाता है कि मुस्लिम कामगारों की भागीदारी स्वरोजगार में ज्यादा होती है। इसके बाद मजदूरी और नियमित कार्यों में इनकी भागीदारी होती है। सार्वजनिक अथवा सरकारी क्षेत्रों में इनकी संख्या काफी सीमित है। यह खंड उन उपक्रमों के प्रकार के बारे में जानकारी देता है, जिनमें मुस्लिम कामगारों की संख्या ज्यादा है।

61वें चरण की जांच के आधार पर हम उपक्रमों को व्यापक स्तर पर निम्नलिखित हिस्सों में बांट सकते हैं:-

- मालिकाना हक (पुरुष/महिला मिल्कियत के साथ)
- साझेदारी (एक ही घर के सदस्यों/ अन्य सदस्यों के बीच)
- सरकारी/ सार्वजनिक क्षेत्र
- सार्वजनिक/निजी क्षेत्र की लिमिटेड कंपनियां



● अन्य

यद्यपि यहां सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र और सार्वजनिक/निजी क्षेत्र की लिमिटेड कंपनियों औपचारिक क्षेत्र के उपक्रमों के अंतर्गत आती हैं तथा अन्य को अनौपचारिक क्षेत्र के उपक्रमों में गिना जाता है। अतः औपचारिक/अनौपचारिक उपक्रमों के आधार पर भी हम इन क्षेत्रों में सरकारी नौकरियों की उपलब्धता का बेहतर अनुमान लगा सकते हैं।

उपर बताए गए लोक क्षेत्रों में उपलब्ध नियमित रोजगार के आकलन में कैजुअल वर्क को सम्मिलित नहीं किया गया है, जो कि सरकारी क्षेत्रों में होता है। उस परिप्रेक्ष्य में सरकारी क्षेत्रों में रोजगार की उपलब्धता का यह आकलन संयुक्त रूप से किया गया है।

5.1 अनौपचारिक स्वरोजगार उपक्रमों की ओर नजर


पूर्व निष्कर्षों के आधार पर यह पाया जाता है कि मुस्लिम समुदाय स्वरोजगार पर ज्यादा निर्भर है। विभिन्न सामाजिक-धार्मिक श्रेणियों (एसआरसी) में उपक्रमों के प्रकार के आधार पर कामगारों की संख्या यह दर्शाती है कि मुस्लिम समुदाय की एक बड़ी संख्या छोटे उपक्रमों में कार्यरत हैं। औपचारिक क्षेत्रों में रोजगार के आधार पर इनकी भागीदारी राष्ट्रीय औसत से भी कम है।


मुस्लिम रोजगार के संदर्भ में यह आकलन और भी रोचक पहलुओं को उजागर करता है, जो कि निम्न है:

- अन्य सभी एसआरसी की तुलना में मुसलमानों (पुरुष और महिला) की एक एक बड़ी संख्या स्वयं के मालिकाना हक वाले उपक्रमों (जो ज्यादातर शहरी क्षेत्रों में हैं) में कार्यरत हैं।
- मुस्लिम महिलाओं के मालिकाना हक वाले उपक्रमों में महिला कामगारों की भागीदारी अधिक है। इससे यह स्पष्ट है कि मुस्लिम समुदाय में महिलाओं के मालिकाना हक वाले उपक्रमों की संख्या अन्य एसआरसी की तुलना में अधिक है। यद्यपि, मुस्लिम महिलाओं के उपक्रम छोटे और घरेलू हैं, जहां छोटे-मोटे कार्य किए जाते हैं और इनसे उनको बहुत थोड़ी कमाई हो पाती है।
- सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों अथवा सरकारी क्षेत्र की इकाइयों में मुस्लिमों की भागीदारी बहुत कम है। उदाहरण के तौर पर इन इकाइयों में मुस्लिम पुरुष कामगारों की भागीदारी छह प्रतिशत से भी कम है, वहीं अन्य पुरुष कामगारों की भागीदारी 10 प्रतिशत और हिन्दू पुरुष कामगारों की भागीदारी 13 प्रतिशत है। यहां तक ओबीसी और एससी/एसटी कामगारों की संख्या मुस्लिमों की संख्या से अधिक है। इसी तरह की स्थिति शहरी एवं ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में महिला कामगारों की है।
- अन्य एसआरसी की तुलना में मुस्लिम कामगारों की भागीदारी अनौपचारिक क्षेत्र के उपक्रमों में अधिक है। उदाहरण के तौर पर आठ प्रतिशत से कम मुसलमान कामगार शहरी क्षेत्र के औपचारिक

महत्वपूर्ण रूप से मुस्लिम श्रमिकों का बड़ा अनुपात छोटे प्रोपराइटरी उपक्रमों से जुड़े हैं और औपचारिक क्षेत्र के रोजगार में उसकी हिस्सेदारी राष्ट्रीय औसत की तुलना में बहुत ही कम है।

(चित्र- 5.6) प्रत्येक एसआरसी में कामगारों की हिस्सेदारी





क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पाते हैं, जबकि राष्ट्रीय औसत 21 प्रतिशत है। शहरी क्षेत्रों में उपलब्ध नौकरियों में हिन्दू ओबीसी और एससी/एसटी की हिस्सेदारी क्रमशः 18 और 22 प्रतिशत है। इसी तरह का ढर्रा पुरुष और महिला कामगारों का ग्रामीण क्षेत्रों में है।

अनौपचारिक क्षेत्र के उपक्रमों में मुस्लिम श्रमिकों की हिस्सेदारी अपेक्षाकृत अधिक है।

अपने ही घरों में काम करने की मुस्लिम महिला कामगारों की प्रतिशतता सभी श्रमिकों की तुलना में बहुत अधिक है। मुसलमानों में यह प्रतिशत 70 प्रतिशत है तो सभी श्रमिकों की प्रतिशतता 51 प्रतिशत।

5.2 घरेलू उद्योग और सड़कों पर रेहड़ी पटरी लगाने जैसे कार्यों के प्रति अधिक रूझान

यदि हम श्रमिकों के वितरण को कार्य के स्थान के आधार पर देखें (टेबल- 5.7, 5.8 और चित्र- 5.7) तो अनौपचारिक क्षेत्र में कार्यरत मुसलमानों की दयनीय माली हालत के बारे में पता चलता है। यह स्पष्ट है कि मुसलमान कामगारों की एक बड़ी संख्या स्वयं के मालिकाना हक वाले उपक्रमों में कार्यरत हैं, जो उन्हीं के घरों में स्थित हैं। जैसा कि पहले भी कहा गया है कि मुसलमानों को स्वरोजगार पर ज्यादा भरोसा है। इन आंकड़ों से दो और बातें सामने आती हैं। एक- सड़कों पर रेहड़ी लगाने वालों में मुस्लिम कामगारों की संख्या अनुमान से कहीं अधिक है। करीब 12 प्रतिशत मुस्लिम पुरुष सड़कों पर रेहड़ी पटरी लगाते हैं, जबकि राष्ट्रीय औसत आठ प्रतिशत है। दूसरा- मुस्लिम महिलाओं में 70 फीसदी अपने घरों में लगे उपक्रमों में कार्य करती हैं, जबकि कुल कामगारों की हिस्सेदारी 51 फीसदी है।

सड़कों पर रेहड़ी लगाने जैसे कार्यों में मुस्लिमों की संख्या अधिक होना मुस्लिम कामगारों की दयनीयता को प्रदर्शित करता है और मुस्लिम महिलाओं की संख्या गृह-आधारित उपक्रमों में अधिक होना इस बात का द्योतक है कि उनका रूझान अन्य कार्यों के प्रति आज भी मामूली रूप से है, चाहे कारण जो भी हो। अनेक मामलों में पारंपरिक बाधाएं आज भी बरकरार हैं जो महिलाओं के घर से बाहर काम करने पर रोक लगाती हैं। हालांकि ऐसी स्थिति उच्च जाति की हिन्दू महिलाओं के साथ भी है। इन कारणों से महिलाओं के लिए कार्य के अवसर और भी सीमित हो जाते हैं और यदि कभी काम मिलता है तो अक्सर उनका शोषण होने की भी आशंका अधिक होती है। हालांकि, घर की जिम्मेदारियों जैसे घरेलू कार्यों तथा बच्चों की देखभाल इत्यादि के कारण घर से बाहर जाकर कार्य करना भी उनके लिए मुश्किल होता है।

6. औद्योगिक समूहों के आधार पर कामगारों का वितरण







हमलोगों ने अबतक यह देखा कि अन्य सामाजिक धार्मिक समुदायों की तुलना में स्वरोजगार और अनौपचारिक व्यवसायों में मुस्लिम कामगारों की संख्या अधिक है। अगला मुद्दा जिसके अध्ययन करने की आवश्यकता है, वह यह है कि क्या औद्योगिक समूहों में मुस्लिम कामगारों की भागीदारी अच्छी है- 5.9 और 5.10 औद्योगिक क्षेत्र में प्रत्येक एसआरसी में पुरुष और महिला कामगारों (शहरी और ग्रामीण) के अलग-अलग वितरण को दर्शाते हैं। चित्र- 5.8 में मुस्लिम एवं अन्य कामगारों के बीच कुछ रोचक असमानताएं भी सामने आती हैं।

- अन्य सभी एसआरसी की तुलना में कृषि संबंधी कार्यों में मुस्लिम कामगारों की भागीदारी बहुत कम है। मात्र 40 फीसदी मुस्लिम कामगार कृषि क्षेत्र में लगे हैं, जबकि कुल कामगारों की भागीदारी कृषि क्षेत्रों में 58 फीसदी है। यह अंतर पुरुष कामगारों (50 प्रतिशत की तुलना में 36 प्रतिशत) की तुलना में महिलाओं में (74 फीसदी की तुलना में 52 प्रतिशत) अधिक है। कृषि क्षेत्र में हिन्दू-ओबीसी और एससी/एसटी कामगारों की भागीदारी उच्च जाति के हिन्दुओं की तुलना में अधिक है, जबकि अन्य समूहों की तुलना में इस क्षेत्र में कार्यरत मुस्लिम कामगारों की संख्या काफी कम है। निर्माण कार्य एवं व्यवसाय के क्षेत्र में उनकी (खासकर मुस्लिम पुरुषों की) भागीदारी अन्य समुदायों की तुलना में काफी अधिक है।
- गैर-कृषि क्षेत्र के विभिन्न उद्योगों में रोजगार का व्यापक विवरण परिशिष्ट सारिणी 5.3 में देखा जा सकता है। उसके अनुसार निम्नलिखित निर्माण उद्योगों में मुस्लिम कामगारों की भागीदारी अन्य सामाजिक धार्मिक समुदायों की तुलना में अधिक है:-

1. धुप्रपान से संबंधित उत्पादों के निर्माण में (खासकर मुस्लिम महिलाएं) और
2. कपड़ा उद्योग एवं उससे संबंधित उत्पादों के निर्माण में (खासकर मुस्लिम महिलाएं)




चित्र- 5.7 कार्य-स्थल के आधार पर प्रत्येक एसआरसी में कामगारों की भागीदारी



■ SCs/STs ■ H-OBCs ■ H-UC ■ Muslims ■ Other Minorities



चित्र- 5.8 चुनिंदा औद्योगिक समूहों में प्रत्येक सामाजिक-धार्मिक समुदाय में कामगारों की हिस्सेदारी



इसके अतिरिक्त मुस्लिम पुरुष कामगारों की भागीदारी अन्य समुदाय की तुलना में धातुकर्म और उससे संबंधित उत्पादों (मशीन एवं औजार छोड़कर) के उत्पादन में अन्य की अपेक्षा अधिक है। गैर-निर्माणकारी उद्योग, भूमि यातायात एवं फुटकर व्यापार के क्षेत्र में पुरुष मुस्लिम कामगारों की हिस्सेदारी का अनुपात अन्य एससीआर की तुलना में अधिक है।



हमारे विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में दो प्रकार के औद्योगिक समूह महत्वपूर्ण हैं:-

1. वे समूह जहां पर मुस्लिम कामगारों का अनुपात अन्य की तुलना में अधिक है और

2. जहां कुल कामगारों में मुस्लिम कामगारों का एक अ%छा अनुपात मिलता है।

उपर बताए गए तीन निर्माण उद्योग संबंधी क्षेत्रों में भी मुसलमान कामगारों की संख्या अन्य एसआरसी की अपेक्षा अधिक है और श्रमिकों का एक बड़ा हिस्सा मुस्लिम समुदाय से है। इसमें भी तंबाकू तथा कपड़ा उद्योग के क्षेत्र में कुल कामगारों में मुस्लिम कामगारों का अनुपात काफी महत्वपूर्ण और अधिक है।

अन्य औद्योगिक क्षेत्र, जहां मुस्लिम कामगारों का अनुपात अ%छा है, वे हैं- वाहनों की बिक्री, मरम्मत और सुधार तथा कुछ अन्य क्षेत्रों में विद्युत मशीन एवं उपकरणों के निर्माण शामिल हैं, जहां इनकी संख्या अधिक है। इसी प्रकार गैर-निर्माण क्षेत्र में थोक विक्रय, कमीशन एवं फुटकर व्यापार में मुस्लिम कामगारों का अनुपात ज्यादा है। इनमें कुल पुरुष कामगारों में लगभग 22 फीसदी मुस्लिम हैं।

क्या वे उद्योग जहां मुस्लिम कामगारों की बहुलता है, विकासोन्मुख हैं उल्टर देना निश्चित रूप से कठिन है, क्योंकि कुछ उद्योग काफी संकीर्ण सीमा में होते हैं और वहां मुस्लिम कामगारों की संख्या अधिक होती है, परंतु उनमें उस प्रकार का विकास नहीं हो पाता, जैसा कि अन्य उद्योगों में देखने को मिलता है। हालांकि हम नीचे दिए गए तरीकों के अनुसार प्रारंभिक आकलन करते हैं, जिससे निर्माण उद्योग से जुड़े समूहों के विकास की गति का आकलन किया जा सके। निर्माण उद्योग समूह मुस्लिम कामगारों के लिए काफी महत्वपूर्ण होते हैं।

6.1 विकासोन्मुख उद्योगों में भागीदारी

श्रमिकों के औद्योगिक वितरण का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि कामगारों की संख्या क्या उन उद्योगों में अधिक है, जो धीरे-धीरे खत्म हो रहे हैं अथवा उनमें जो तेजी से विकसित हो रहे हैं।

प्रथम-दृष्ट्या यह प्रतीत होता है कि कामगारों की संख्या उन उद्योगों में अधिक है, जिनमें न केवल रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं, बल्कि उनकी उत्पादन क्षमता और उनका समग्र विकास भी तेजी से हो रहा है। इसी

चार्ट- 5.1 औद्योगिक समूहों के वर्गीकरण पर आधारित विकास

वर्गए:- अच्छे गुणात्मक रोजगार के साथ औद्योगिक विकास

ए1- मूल्य संवर्धन के साथ-साथ रोजगार एवं श्रम उत्पादकता भी बढ़ रही हो।

ए2- मूल्य संवर्धन एवं श्रम उत्पादकता तो बढ़ रही हो परन्तु रोजगार घट रहा हो।

वर्ग बी- खराब गुणात्मक रोजगार के साथ औद्योगिक विकास

बी1- मूल्य संवर्धन एवं रोजगार बढ़ रहा हो परन्तु श्रम उत्पादकता घट रही हो।

बी2- मूल्य संवर्धन तो बढ़ रहा हो परन्तु रोजगार एवं श्रम उत्पादकता दोनों घट रही हो।

वर्गसी- ऐसे उद्योग जिनके विकास की संभावना न हो

सी1- रोजगार बढ़ रहा हो परन्तु मूल्य संवर्धन एवं श्रम उत्पादकता घट रही हो।


सी2- श्रम उत्पादकता बढ़ रही हो परन्तु मूल्य संवर्धन एवं रोजगार घट रहा हो।

सी3- मूल्य संवर्धन, रोजगार एवं श्रम उत्पादकता सभी घट रहे हों।

प्रकार से इनकी संख्या उन उद्योगों में भी कम नहीं है, जिनका विकास न के बराबर है तथा उनकी उत्पादन क्षमता भी कम है।

हालांकि कृषि क्षेत्र में जुटे मुस्लिम श्रमिकों की संख्या अन्य समूहों की तुलना में बहुत कम है, लेकिन पारंपरिक विनिर्माण और व्यापार के क्षेत्र में, खासकर पुरुषों के लिए, उनकी हिस्सेदारी अन्य समुदायों की तुलना में अधिक है।

गैर-विनिर्माण के खुदरा एवं थोक व्यापार में मुसलमान कामगारों की एक बड़ी आबादी संलग्न है।



मुसलमानों के लिए महत्वपूर्ण विनिर्माण क्षेत्र में वृहत स्तर पर कपड़े, ऑटो रिपेयर और इलेक्ट्रिकल मशीनरी ऐसे क्षेत्र हैं जिनपर यदि ध्यान दिया जाए तो मुस्लिम कामगारों के लिए इससे रोजगार की वृहत संभावना बढेगी।

सुरक्षा संबंधी कार्यों (जैसे- पुलिस) में मुसलमानों की भागीदारी आबादी में उनकी हिस्सेदारी की तुलना में बहुत ही कम है

विभिन्न क्षेत्रों में कामगारों में विकास के अवसर के संदर्भ में मूल्यांकन किया जाए कि क्या मुस्लिम कामगार ज्यादातर उन उद्योगों से जुड़े हैं, जिनका सापेक्षिक विकास हाल के वर्षों में अधिक रहा है तो यह उपयोगी सिद्ध हो सकता है।

किसी एक क्षेत्र में उच्च विकास अथवा उत्पादन क्षमता का बढ़ना पूरे उद्योग के विकास के हित में होता है। इसके साथ-साथ इन उद्योगों में रोजगार के अवसरों में वृद्धि होती है और विकास का फायदा कामगारों तक भी पहुंचता है। हालांकि निम्न आय वाले और नीचे तबके के कामगारों को बहुत ज्यादा फायदा नहीं होता है। इसके लिए विकास के साथ-साथ श्रम की उत्पादकता अथवा प्रत्येक कामगार के आय को भी बढ़ाना आवश्यक है। दूसरे शब्दों में, सबसे वांछनीय परिणाम वह है, जिसमें उन क्षेत्रों का विकास हो जो गुणात्मक रोजगार के अवसर उत्पन्न करते हैं।

नीचे इस परिप्रेक्ष्य में व्यापक तर्क प्रस्तुत किये गए हैं। सात ऐसे समूहों का निर्धारण किया गया है, जो विकास के विभिन्न पहलुओं को दर्शाते हैं। फिर इनको तीन भागों में बांटा गया है। (चार्ट-5.1)

सामान्यतः यदि किसी उद्योग का समय के साथ मूल्य समायोजन बढ़ रहा हो तो उसे एक गतिशील क्षेत्र में गिना जा सकता है। इस अवधारणा के आधार पर औद्योगिक समूहों के प्रथम चार वर्ग (ए1, ए2, बी1, बी2) को उन उद्योगों में गिना जा सकता है, जिनका विकास हो रहा है। हालांकि यदि कोई उत्पादक रोजगार के विकास को ज्यादा महत्वपूर्ण मानता हो तो प्रथम दो औद्योगिक समूहों (ए1, ए2) को सबसे कुशल उत्पादक रोजगार क्षमता वाला वर्ग मान सकता है। बचे हुए तीन औद्योगिक समूहों को यह माना जा सकता है कि इनमें विकास की कोई गंजाइश नहीं है।

विकास के आधार पर इन समूहों का संगठित एवं असंगठित क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। चूंकि मुस्लिम कामगारों की बहुतायत अनौपचारिक क्षेत्र में ज्यादा है, अतः असंगठित क्षेत्रों से संबंधित विकास के प्राप्त आंकड़ों पर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है।

सारिणी- 5.11 नब्बे के दशक के दौरान उन औद्योगिक समूहों के मूल्य संवर्धन, रोजगार एवं श्रम उत्पादकता के विकास दर के आंकड़े प्रस्तुत करता है, जिनका संबंध मुस्लिम कामगारों से है।

इन आंकड़ों से सबसे चौंका देने वाली यह बात सामने आती है कि इन औद्योगिक समूहों की विकास दर स्थिर नहीं है और इसमें बहुत ज्यादा अंतर देखने को मिलता है।

सारिणी 5.11 में दर्शाये गए पांच क्षेत्रों में पहनने वाले तैयार कपड़ों के उद्योग ही एक ऐसा क्षेत्र है, जिसमें इस काल के दौरान मूल्य संवर्धन, रोजगार एवं श्रम उत्पादकता में विकास हुआ है। वाहनों की मरम्मत एवं रख-रखाव दूसरा क्षेत्र है, जिसमें इन तीनों में हाल के वर्षों में विकास हुआ है, परंतु इस क्षेत्र में भी नब्बे के दशक के शुरुआती दौर में विकास की गति उतनी अच्छी नहीं थी। कपड़ा उद्योग के क्षेत्र में नब्बे के दशक के अंत में मूल्य संवर्धन एवं उत्पादकता में विकास देखने को मिला है, परंतु रोजगार के विकास में नकारात्मक परिणाम हो रहे हैं। तंबाकू उद्योग के क्षेत्र में इसी अवधि के दौरान रोजगार एवं मूल्य संवर्धन में विकास हुआ है, परंतु उत्पादकता घटी है।

अतः समग्र रूप से निर्माण क्षेत्रों में जैसे- कपड़ा उद्योग, वाहन मरम्मत और विद्युत उपकरणों के निर्माण से संबंधित क्षेत्र, जो मुस्लिमों के लिए काफी महत्वपूर्ण है, उनमें मुस्लिम कामगारों के हितों से संबंधित व्यापक स्तर पर रोजगार संबंधी नियमों पर ध्यान केंद्रित किया जा सकता है। यह भी गौर करने की बात है कि ये वो क्षेत्र हैं जिनका देश के समग्र आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान की संभावनाएं हैं। हालांकि, इस बात को पुनः दोहराए जाने की आवश्यकता है कि हमारे पास उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर हम इस स्थिति में नहीं हैं कि निर्माण क्षेत्र से संबंधित किसी भी आकलन को सटीक रूप से प्रस्तुत कर सकें। और यह भी संभव है कि सारिणी- 5.11 में दर्शाए गए क्षेत्रों में मुस्लिम कामगारों की संख्या उन क्षेत्रों में अधिक हो जहां



इस तरह के विकास की संभावनाएं महसूस न की गयी हो।

मुस्लिम कामगारों की संख्या जहां अधिक है, उन क्षेत्रों के गहन अध्ययन वांछनीय है। उन क्षेत्रों से संबंधित नीतियों पर ध्यान देने की आवश्यकता है, जहां मुस्लिम कामगार उपस्थित हैं। साथ ही ऐसी रणनीतियों पर ध्यान देना भी आवश्यक है, जिनसे इन्हें निम्न विकास वाले क्षेत्रों से उच्च विकास वाले क्षेत्रों में लाया जा सके।

6.2 सुरक्षा एवं रक्षा संबंधी कार्यों में भागीदारी

मुस्लिम समुदाय का सुरक्षा संबंधी कार्यों में भागीदारी उनके समुदाय की सुरक्षा के परिप्रेक्ष्य में काफी

सारिणी 5.11 - असंगठित क्षेत्र के मुस्लिम कामगार और विनिर्माण क्षेत्र में विकास

उद्योग समूह	मूल्य संवर्धन की विकास दर		रोजगार की विकास दर		श्रम उत्पादकता की विकास दर	
	1989-95	1994-01	1989-95	1994-01	1989-95	1994-01
तंबाकू उत्पाद	-4.3 (7.1)	5.0 (7.7)	-8.8 (2.1)	7.7 (-1.9)	4.5 (5.1)	-2.7 (9.6)
कपड़ा	-2.9 (6.4)	6.3 (2.9)	-2.4 (-0.3)	-0.2 (0.2)	-0.5 (6.8)	6.4 (2.7)
पोशाक	6.2 (27.0)	14.4 (2.2)	1.5 (17.3)	14.4 (3.7)	4.7 (9.7)	-0.1(-1.5)
मोटर वाहन एवंपुर्जे	-1.8 (9.1)	16.5 (11.3)	3.0 (3.5)	9.4 (4.3)	-4.8 (5.6)	7.1 (7.0)
इलेक्ट्रिकल मशीनरी	NA (9.7)	21.7 (5.3)	-6.3 (2.5)	18.6 (-0.8)	NA (7.2)	3.1 (6.1)
कुल	-1.0 (8.3)	6.9 (6.9)	-1.7 (2.1)	2.2 (0.7)	0.8 (6.1)	4.8 (6.2)

नोट: कोष्ठक के आंकड़े संगठित क्षेत्र में विकास दर को दर्शाते हैं।

स्रोत :उन्नी एवं रानी (2004)

महत्वपूर्ण माना जाता है(अध्याय- दो देखें)। यद्यपि उनकी सुरक्षा कार्यों में भागीदारी (यथा- पुलिस में) का आकलन करना काफी मुश्किल है। नेशनल सैम्पल सर्वे आर्गेनाइजेशन द्वारा प्राप्त राज्य एवं केंद्र स्तर पर सरकारी आदेश एवं सुरक्षा गतिविधियों में संलग्न कामगारों से संबंधित आंकड़ों से यह अनुमान लगाना मुश्किल है, क्योंकि इनमें पुलिस, अग्निशमन, प्रशासन, लॉ कोर्ट एवं कारागार प्रशासन से संबंधित सभी विभाग शामिल होते हैं।

मौजूदा आंकड़े यह दर्शाते हैं कि इन कार्यों में केंद्र स्तर पर मुस्लिमों की भागीदारी मात्र छह फीसदी है, जबकि अनारक्षित हिन्दुओं की भागीदारी 42 फीसदी है और एससी/एसटी और ओबीसी दोनों की भागीदारी 23-23 प्रतिशत है। राज्य स्तर पर मुस्लिमों की भागीदारी थोड़ी अधिक सात फीसदी है, जबकि अन्य वर्गों की हिस्सेदारी क्रमशः 37, 21 तथा 26 प्रतिशत है।

एनएसएसओ द्वारा प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, रक्षा संबंधी कार्यों में मुस्लिमों की भागीदारी मात्र चार फीसदी पायी गयी है, जबकि हिन्दू, एससी/एसटी 12 फीसदी, ओबीसी- 23 फीसदी और अनारक्षित हिन्दू 52 फीसदी है। इसके अतिरिक्त समिति के पास उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार सुरक्षा संबंधी कार्यों, जैसे पुलिस में मुस्लिमों की भागीदारी उनकी जनसंख्या की तुलना में भी काफी कम है। (अध्याय- नौ देखें)

7. पेशागत स्थिति के आधार पर कामगारों का वितरण


उन औद्योगिक क्षेत्रों की पहचान के बाद जहां मुस्लिम कामगारों की संख्या अधिक है, अब अगला कदम इससे संबंधित है कि ये कामगार इन उद्योगों में किस प्रकार का कार्य करते हैं। सारिणी- 5.12 और 5.13 में प्रत्येक एसआरसी के कामगारों का व्यवसाय के आधार पर वितरण प्रस्तुत किया गया है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण भिन्नताएं सामने आती हैं(चित्र- 5.9)।

- अन्य एसआरसी की तुलना में मुस्लिम कामगारों की भागीदारी उत्पादन संबंधी प्रक्रियाओं और

बीड़ी मजदूरों, टेलरों और मैकेनिकों को सामाजिक संरक्षा एवं सुरक्षा के दायरे में लाये जाने की आवश्यकता है



चित्र- 5.9 चुनिंदा व्यावसायिक समूहों में प्रति सामाजिक-धार्मिक समुदाय के कामगारों की हिस्सेदारी



यातायात उपकरणों से संबंधित कार्यों में अधिक है। इस प्रकार के कार्यों में कुल मुस्लिम कामगारों का 34 फीसदी, कुल कामगारों का 21 फीसदी और हिन्दू कामगारों का 19 प्रतिशत कामगार शामिल हैं। महत्वपूर्ण रूप से यही दर पुरुष और महिला और शहरी एवं ग्रामीण कामगारों के परिप्रेक्ष्य में लागू होता है।

- विक्रय संबंधी कार्य दूसरा ऐसा व्यापार है, जहां मुस्लिमों की संख्या अन्य एसआरसी से अधिक है। मुस्लिम कामगारों का 16 फीसदी इन कार्यों में जुटा हुआ है, जबकि राष्ट्रीय औसत मात्र 10 फीसदी है और हिन्दू केवल नौ फीसदी हैं।
- हालांकि मुस्लिम कामगारों की भागीदारी उत्पादन एवं विक्रय संबंधी व्यवसायों में अधिक है, वहीं तकनीकी, क्लेरिकल तथा कुछ हद तक प्रबंधन कार्यों से संबंधित व्यवसायों में इनकी भागीदारी कम है। ऐसा विशेष तौर पर शहरी क्षेत्रों में देखा गया है।

प्रोफेशनल और प्रबंधकीय कार्यों में मुस्लिमानों की भागीदारी बहुत कम

विभिन्न सामाजिक धार्मिक समुदायों के व्यावसायिक विवरणों का विस्तृत अन्वेषण यह दर्शाता है कि मुस्लिम कामगारों की औसत भागीदारी निम्नलिखित गैर- कृषि संबंधी व्यवसायों में अधिक है।

1. व्यापारी एवं दुकानदार (खासकर शहरी क्षेत्रों और पुरुषों के लिए)
2. विक्रेता एवं दुकानों पर सहायक (खासकर शहरी क्षेत्रों और पुरुषों के लिए)
3. दर्जी, कपड़े तैयार करने वाले (खासकर शहरी क्षेत्र की महिलाओं के लिए)



4. यातायात संबंधी उपकरणों के संचालन (खासकर शहरी क्षेत्र के पुरुषों के लिए)
5. तंबाकू तैयार करने और तंबाकू उत्पाद (खासकर महिलाएं)
6. कताई करने वाले बुनकर, सिलाई एवं रंगाई (खासकर शहरी क्षेत्रों के पुरुषों के लिए)
7. मशीनों के फिटर, उनको जोड़ने वाले तथा औजार बनाने वाले (खासकर शहरी क्षेत्र)

इसके अतिरिक्त शहरी क्षेत्रों में ज्यादातर पुरुष कामगार बढ़ई, ईंट बिछाने और निर्माण के कार्यों में अपेक्षाकृत ज्यादा लगे होते हैं। व्यापक रूप से मुस्लिम ज्यादातर अपने पारम्परिक कार्यों में जुटे होते हैं। अन्य क्षेत्रों में उनका रूझान कम होता है। एसआरसी के आधार पर श्रम के इस आर्थिक विभाजन का राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के समग्र विकास में काफी महत्वपूर्ण स्थान होता है। अतः विभिन्न क्षेत्रों में लगे कामगारों की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए विभिन्न नीतियों की आवश्यकता हो सकती है।

8. रोजगार सुरक्षा के पहलू एवं कमाई

अबतक मुस्लिम कामगारों से संबंधित प्राप्त आंकड़ोंसे इस बात को बल मिलता है कि उनकी स्थिति अन्य कामगारों से ज्यादा दयनीय है। इसे और बेहतर तरीके से समझने के लिए हमें आंकड़ों को और अच्छी तरह से समझना चाहिए। प्रत्येक एसआरसी के कामगारों के लिए संविदात्मक व्यवस्था की निम्नलिखित सूचना उपलब्ध है।

- संविदा के आधार पर वितरण (लिखित/अलिखित, समय)
- सामाजिक हितों की उपलब्धता के आधार पर वितरण (पीएफ, पेंशन, ग्रेजुएटी आदि)
- मेहनताना के आधारपर कामगारों का वितरण (नियमित/रोज, मासिक, साप्ताहिक, प्रति इकाई)


सारिणी- 5.13 नियमित वेतन अथवा मेहनताना प्राप्त करने वाले कामगारों की स्थिति से संबंधित महत्वपूर्ण पहलुओं को दर्शाता है। इस प्रकार की सारिणी कैजुअल वर्कर्स के संदर्भ में नहीं मिलती क्योंकि उनकी संविदा लिखित रूप में होती है और साथ में उनके लिए किसी प्रकार की सामाजिक सुरक्षा से जुड़े फायदे की बात की गयी होती है। उपलब्ध आंकड़े यह दर्शाते हैं कि औसतन नियमित मुस्लिम कामगार को इस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ता है। अन्य एसआरसी समुदाय में कामगारों की तुलना में नियमित मुस्लिम कामगारों की ऐसी तादाद ज्यादा है। (टेबल- 5.13, 5.10)

- बिना किसी लिखित संविदा वाली श्रेणी में मुस्लिम कामगार 73 फीसदी, अनारक्षित हिन्दू 52 फीसदी तथा हिन्दू-ओबीसी एवं एससी/एसटी प्रत्येक में 63 फीसदी।
- बिना किसी सामाजिक सुरक्षा के फायदे की श्रेणी में मुस्लिम कामगार 71 फीसदी हैं जबकि राष्ट्रीय औसत 55 फीसदी है।


इन सबके अलावा बहुत कम ऐसे नियमित मुस्लिम कामगार हैं जिन्हें मासिक वेतन मिलता है। अंत में औसतन मुस्लिम कामगारों में एक बड़ी संख्या इकाई दर पर काम करती है, जबकि वे नियमित कार्य की क्षमता रखते हैं। वे इस दौर में निचले पायदान पर हैं और उनकी स्थिति अन्य एसआरसी के नियमित कामगारों की

उपलब्ध आंकड़े यह दर्शाते हैं कि औसतन, नियमित मुस्लिम कर्मचारी उन श्रमिकों की तुलना में अधिक वल्लरेबल होते हैं जिनके काम का न तो कोई लिखित ब्योरा होता है और न ही किसी तरह की सामाजिक सुरक्षा एवं लाभ ही मिलता है

चित्र 5.10 : कार्य की स्थिति के अनुरूप प्रत्येक एसआरसी के नियमित श्रमिकों का वितरण



नोट:- बड़े निजी क्षेत्र में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की लिमिटेड कंपनियां शामिल हैं।



सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र की नौकरियों में अन्य एसआरसी की तुलना में नियमित मुस्लिम श्रमिकों की दैनिक आय कम होती है।

कार्य की स्थिति के मामले में मुसलमानों की स्थिति दयनीय है क्योंकि उनका अनौपचारिक क्षेत्र में ध्यान अधिक होता और उनकी नौकरी की स्थितियां यथा- कांटेक्ट की अवधि, सामाजिक सुरक्षा आदि, (यहां तक कि नियमित कामगारों में भी) अन्य समुदायों की तुलना में निम्नतर होती है।

तुलना में काफी दयनीय है।

कार्य की खस्ता हालत कम कमाई में भी परिलक्षित होती है। 1999-2000 के आंकड़ों के अनुसार ज्यादातर एसआरसी वर्ग के कामगारों की तुलना में मुस्लिम कामगारों को सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों की नौकरियों में कम वेतन मिलता था। यहां तक कि सार्वजनिक क्षेत्रों में मुस्लिम पुरुषों और महिलाओं को हिन्दुओं की तुलना में भी कम वेतन मिलता था। निजी क्षेत्रों में यह अंतर और भी अधिक देखने को मिलता है। सामान्य तौर पर हिन्दू ओबीसी कामगारों की औसतन रोज की कमाई हिन्दू-एससी/एसटी और मुस्लिम वर्ग के कामगारों से अधिक थी, जब मुस्लिम कामगारों की कमाई की तुलना हिन्दू एससी/एसटी वर्ग के नियमित कामगारों की कमाई से की गयी तो कोई विशेष पैटर्न नहीं पाया गया। अंत में कैजुअल वर्क के संदर्भ में मुस्लिम कामगारों द्वारा अन्य सामाजिक-धार्मिक समुदायों में काफी कम वेतन प्राप्त किया जाता है, खासकर निजी क्षेत्रों में।

सामान्यतः सार्वजनिक क्षेत्र की नौकरियों में मुस्लिम पुरुष एवं महिलाएं निचले दर्जे की नौकरियों में हैं, जैसे-चतुर्थ श्रेणी की नौकरियों में। निजी क्षेत्रों में भी यह अंतर कार्य के प्रकार के आधार पर देखने को मिलता है। निजी क्षेत्रों में मुस्लिम कामगार छोटे उपक्रमों में ज्यादा लगे हुए हैं, जहां उत्पादकता बहुत कम है, जैसे- गैराजों में मैकेनिक आदि। महिलाएं निर्माण संबंधी छोटे उपक्रमों में लगी हैं। कैजुअल वेज अर्निंग में बहुत ज्यादा अंतर देखने को नहीं मिलता है क्योंकि कार्य की प्रकृति सभी समुदायों के लिए एक समान होती है।

9. रोजगार की स्थिति में अंतर-राज्यीय बदलाव

मुस्लिमों के रोजगार की स्थिति भिन्न-भिन्न राज्यों में अलग-अलग होती है। उदाहरण के तौर पर हमने देखा कि राष्ट्रीय स्तर पर इनकी डब्ल्यूपीआर सबसे कम है परंतु राज्य विशेष के आधार पर डब्ल्यूआरपी का आकलन करने पर यह मिलता है कि कई राज्यों में मुस्लिमों की डब्ल्यूआरपी सबसे कम नहीं है। इन राज्यों में बिहार, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल (परिशिष्ट सारिणी- 5.5) शामिल हैं। अधिक रोचक अंतर कामगारों की कार्य परिस्थिति और उनके औद्योगिक वितरण के देखने को मिलती है।

- बहुत से राज्यों में मुस्लिम कामगारों की भागीदारी अन्य एसआरसी वर्ग की तुलना में अधिक है। दिल्ली, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान जैसे राज्यों में विशेष तौर पर निर्माण क्षेत्रों में इनकी भागीदारी अधिक है, जो 25 फीसदी से भी ज्यादा है। वे राज्य जहां मुस्लिम कामगारों की भागीदारी अन्य एसआरसी की तुलना में कम है, वे हैं- असम, गुजरात, पंजाब, हरियाणा और केरल (परिशिष्ट सारिणी- 5.6)

10. नब्बे के दशक से रोजगार की स्थिति में बदलाव का ढर्रा

रोजगार की स्थिति के संदर्भ में मुस्लिमों की वर्तमान अवस्था को देखने के बाद यह देखना उपयोगी होगा कि समय के साथ स्थितियों भी बदल गयी है। विभिन्न पहलुओं से संबंधित नब्बे के दशक के शुरुआती दौर के आंकड़ों का अभाव है। समय के साथ स्थितियों के परिवर्तन से संबंधित आंकड़ों की जानकारी सारिणी 5.14 से मिलती है, जिसमें कामगारों की निर्माण एवं व्यापार में हिस्सेदारी और प्रशासनिक, कार्यकारी एवं प्रबंधन जैसे कार्यों में रोजगार से संबंधित आंकड़े शामिल हैं। इसमें सबसे रोचक बात यह है कि सभी एसआरसी समुदायों की स्थितियां एक समान हैं, यद्यपि परिवर्तन कम या ज्यादा हो सकते हैं।

- नब्बे के दशक के दौरान निर्माण क्षेत्र में कार्यशक्ति की हिस्सेदारी में कमी देखी गयी, परंतु मौजूदा दशक के हाल के वर्षों में (2000-04) के दौरान हिस्सेदारी बढ़ी है। इस तरह का उतराव चढाव सभी एसआरसी में देखने को मिला, परंतु महिला कामगारों, खासकर मुस्लिम में अधिक देखने को मिला।
- राष्ट्रीय स्तर पर 1993-2005 के दौरान व्यापार में कामगारों की हिस्सेदारी बढ़ी है। हालांकि ग्रामीण क्षेत्रों में यह धीमी गति से बढ़ी और शहरी क्षेत्रों में 2000 के बाद घटी है।
- सभी एसआरसी में यह वृद्धि मुस्लिम पुरुष कामगारों के संबंध में ज्यादा रही है। अतः हाल के वर्षों में कामगारों का रूझान व्यापार की तरफ काफी बढ़ा है। मुस्लिम कामगारों में यह रूझान और भी तेजी



से बढ़ा है।

- प्रशासनिक कार्यकारी एवं प्रबंधन जैसी नौकरियों में सभी एसआरसी की भागीदारी बढ़ी है। यह रूझान शहरी तथा पुरुष कामगारों में अधिक पाया गया है।

11. सारांश

संक्षेप में सभी के साथ तुलना करने पर ऐसा पाया जाता है कि ज्यादातर मुस्लिम कामगार स्वरोजगार, निर्माण तथा व्यापार संबंधी गतिविधियों में लगे हुए हैं। नियमित वेतनभोगी नौकरियों में इनकी हिस्सेदारी खासकर सरकारी अथवा बड़े सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों में अन्य एसआरसी की तुलना में कम है। कार्य परिस्थिति के मामले में अन्य एसआरसी की तुलना में इनकी स्थिति अ%छी रही है, क्योंकि इनकी हिस्सेदारी असंगठित क्षेत्रों में ज्यादा है, जहां कार्य परिस्थिति अ%छी नहीं है।

ऐसा देखा गया है कि उ%च-स्तरीय शिक्षा का फायदा मुस्लिम पुरुषों एवं महिलाओं को ज्यादा हुआ है। यद्यपि 1990 के दशक के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुषों और शहरी क्षेत्रों की महिलाओं में इसकी कमी आई है।

अतः जिन मुस्लिमों ने शैक्षणिक बाधाओं को पार कर लिया है, उन्हें अ%छी आमदनी हुई है। अधिक लाभ के बावजूद मुस्लिमों की उ%च शिक्षा में भागीदारी काफी कम हुई है, जैसा कि अध्याय - चार में देखने को मिलता है। इसका एक कारण यह भी हो सकता है कि उन्हें उ%च शिक्षा के बावजूद नियमित कार्य मिलने की संभावना कम रहती है। यूपीएससी द्वारा नियुक्तियों की सूचना के आधार पर कम से कम यह अवधारणा गलत सिद्ध होती है। मुस्लिम प्रत्याशियों की सफलता की दर लगभग समान है।

इस मुद्दे पर और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए समिति ने गैर-कृषि क्षेत्र में कार्यका एसआरसी की आयु, स्थान (ग्रामीण, शहरी, राज्य), शिक्षा के स्तर और आर्थिक परिस्थिति के आधार पर अध्ययन किया। इसके परिणाम काफी रोचक रहे।

- ग्रामीण क्षेत्रों के पुरुष कामगारों के गैर-कृषि क्षेत्र में नियमित रोजगार प्राप्त करने की प्रायिकता एससी/एसटी और मुस्लिमों के लिए अन्य एसआरसी की तुलना में अधिक है। इस प्रकार की नौकरियों को करने की प्रायिकता भले ही मुस्लिमों में कम हो।
- ग्रामीण महिला कामगारों में इस प्रकार के कार्य करने की प्रायिकता एससी/एसटी कामगारों में अधिक है। इनके बाद बारी आती है अन्य अल्पसंख्यकों की। आश्चर्यजनक रूप से नियमित गैर-कृषि संबंधी कार्य को करने वाली ग्रामीण महिला कामगारों की प्रायिकता में बहुत ज्यादा भिन्नता नहीं है।
- शहरी पुरुष कामगारों में मुस्लिम कामगारों को नियमित कार्य मिलने की संभावना न्यूनतम है, जबकि एससी/एसटी में यह अधिकतम है। हालांकि मुस्लिम, हिन्दू-ओबीसी और अन्य अल्पसंख्यकों द्वारा नियमित कार्य प्राप्त करने की संभावना में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है।


समग्र रूप से मुस्लिम कामगारों द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में नियमित गैर-कृषि कार्य प्राप्त करने के अवसर अन्य एसआरसी को प्राप्त होने वाले अवसरों से कम नहीं है। वास्तव में मुस्लिम महिला कामगारों को ये अवसर अधिक मिलते हैं।

शहरी क्षेत्रों में इस प्रकार के कार्य करने के अवसर हिन्दू-ओबीसी, मुस्लिम एवं अल्पसंख्यक कामगारों के लिए लगभग समान रूप से मिलते हैं। हालांकि वहीं मुस्लिम महिला कामगारों को ये अवसर कम मिलते हैं। इस दिशा में और अधिक जानकारी के लिए विशेष अध्ययन की आवश्यकता है।

भारत में मुस्लिमों की रोजगार स्थितियों के बारे में हमें नये तथ्यों की ओर ले जाता है, जिसकी चर्चा हम पिछले अध्यायों में विस्तार से कर चुके हैं। व्यापक स्तर पर यदि हम देखें तो मुस्लिमों के लिए बेहतर शिक्षा

शहरों के पुरुष श्रमिकों के बीच मुसलमान श्रमिकों की नियमित कार्यों में सहभागिता सबसे कम है, जबकि एससी-एसटी श्रमिकों की अंशभागिता सर्वाधिक है

मुसलमानों के रोजगार की स्थिति में सुधार तभी संभव है जब उनके कौशल के विकास पर ध्यान केंद्रित करने के साथ-साथ उन क्षेत्रों में ऋण प्रवाह किये जाएं जिनमें मुस्लिम कामगार ज्यादा जुड़े हैं और जो हाल के वर्षों में ज्यादा विकासोन्मुखी रहा हो।



चूंकि मुसलमान श्रमिकों का बड़ा हिस्सा स्व-रोजगार से जुड़ा है और ऐसे समूहों के बेहतर भविष्य निर्माण के लिए कौशल विकास और ऋण संबंधी पहल करने की आवश्यकता है

की व्यवस्था, रोजगार की अवस्था में सुधार के साथ-साथ उन क्षेत्रों में क्षमता एवं आर्थिक स्थिति में सुधार से संबंधित प्रयासों की आवश्यकता है, जहां मुस्लिम कामगारों की संख्या ज्यादा है और वे क्षेत्र हाल के वर्षों में विकासोन्मुख रहे हों। चूंकि किसी जिला विशेष में मुस्लिम कामगारों की संख्या अधिक पायी जाती है तो वहां ऐसे कार्यक्रम जिनमें क्षमता, कार्यकुशलता, वित्त, तकनीक और बाजार सहयोग का विशेष स्थान हो, शुरू किये जाने की आवश्यकता है, खासकर उन 58 जिलों में जहां मुस्लिमों की आबादी वहां की कुल जनसंख्या की 25 प्रतिशत से ज्यादा है।

इसका प्रमुख उद्देश्य है कि उन छोटे उपक्रमों की उत्पादकता बढ़ायी जाए, जहां मुस्लिम कामगारों की बड़ी संख्या जुटी हुई है। इन क्षेत्रों में नए प्रयास हितकर हो सकते हैं। नए प्रयोगों की आवश्यकता है, जिसमें आधुनिक प्रबंधन, तकनीकी एवं कलात्मक दक्षता का उपयोग कर बेहतर अध्ययन किया जा सके और प्रभावी प्रयास किए जा सकें।

इस प्रकार के प्रयास के संदर्भ में बंगलौर के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में माया आर्गेनिक ने उपयोगी प्रतिरूप प्रस्तुत किया है। इस प्रकार के प्रयासों के माध्यम से उन कामगारों की मदद की जा सकती है जो विकासोन्मुख उद्योगों में लगे हैं। ऐसे उद्योगों में लगे उन कामगारों के लिए, जिनका विकास न के बराबर हो रहा है, सुचारू रणनीति बनाई जा सकती है। इसके तहत नयी क्षमताओं एवं कार्यकुशलताओं, जिसकी मांग बढ़ रही हो, पर विशेष ध्यान देना पड़ सकता है। इस तरह की शिक्षा दोनों को दिए जाने की आवश्यकता है जिसने अपनी पढाई पूरी कर ली हो या जिसने अपनी पढाई बीच में ही छोड़ दी हो, परंतु कक्षा आठ तक की पढाई अवश्य पूरी की हो। ज्यादातर तकनीकी प्रशिक्षण कार्यक्रमों में हायर सेंकेंड्री तक की शिक्षा की आवश्यकता होती है। मुस्लिम युवाओं के शिक्षा-स्तर के आधार पर वे इन प्रशिक्षणों की योग्यता नहीं रखते हैं। इनके विद्यालय में शिक्षा पूरी करने की दर तथा दक्षता को बढ़ाने की आवश्यकता है। इन प्रशिक्षणों का प्रावधान मिडिल की पढाई के बाद भी किया जा सकता है। पॉलिटैकनिक पाठ्यक्रमों में न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता को घटायी जाना वांछनीय है।



Box 5.1: Maya Organic

A Systems Approach to Addressing Livelihood Issues in the Informal Sector

The initiative of Maya Organic is based on the premise that existing models of development for the poor are purely symptomatic and typically address issues like access to capital and training in isolation without appreciation of their relevance in a broader context. These models also lack of understanding of the complexities of an increasingly market based economy leading to reorganization of business structures and its significant impact on the poor. The organization sees a need for an innovative institutional structure that would address the key issue of building capabilities both at an individual level and as an organizational unit in response to market realities. These capabilities would address learning- the key to resilience and survival in an ever changing market scenario. This institutional structure is a collective of the working poor. Such collectivization is done through the formation of groups of informal sector workers working together in pursuit of an objective- production of goods and services.


Collectivization is required given the well known weaknesses of entrepreneurship as a model of development among the working poor. Maya takes a sectoral approach by forming workers' collectives in specific sectors which work as production and business units. This is required to understand the complexities within each business sector. However, each collective draws strength from other collectives, enabling cross sectoral learning. A strong umbrella structure is provided to these collectives so that they can engage with the markets at its own terms. The association of the collectives with the umbrella structure and Maya Organic also creates a label and a brand. This brand redefines traditional views of poor quality and poor value of informal sector products and services. The initiative also builds dignity for informal sector workers by producing high quality goods and services through its producer collectives.

Maya is presently developing independent collective enterprises of the working poor of rural and urban Bangalore in the sectors of garments, lacware, wood and metal working. It supports key issues of marketing, product design & development and capabilities building for collective members. Within these sectors, Maya is developing its own product line in toys and accessories, garments, and wood and metal furniture. It is also developing services to formal industry in garments outsourcing. And finally, it is developing a bottom up compliance with respect to changing market needs of quality, design and finish.

A similar approach to workforce organisation and development in construction is attempted through the formation of LabourNet as a prerequisite to developing collectives in construction services. LabourNet registers construction workers of all trades onto a database across Bangalore city that is available on call to builders and contractors. This provides a basis for formalizing subcontracting, establishing training systems, and reaching social security benefits to workers. It also addresses issues of occupational safety management, onsite skills training through partnering with construction firms.

The operational structure to support this initiative consists of two elements. MOSS (Maya Organic Support Services) is a marketing organisation of MAYA that interfaces with markets, sources orders and undertakes activities for brand building. It integrates all sectors. Sector development Units provide inputs to develop worker owned collectives in each sector. These inputs relate to production, skills and business capabilities and reaching out welfare benefits to members. Maya's approach is broad based using pragmatic operating structures so that the scalability and reach of the initiative can be enhanced products and services. No existing legal structure fits this initiative but it draws on the formal structure of Self Help Groups (SHGs) but with radical functions. Resources and surplus generated through enterprise activities are ploughed back to develop the sector, develop new collectives and reach out social security benefits to members

Source: Maya Organic, Bangalore



भारत में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति

सारिणी 5.1 : वर्ष 2004-05 के अनुसार सामाजिक धार्मिक श्रेणी में कामगार आबादी अनुपात (डब्ल्यूपीआर) (प्रधान एवं सहायक स्थिति) (15-64 वर्ष)

सामाजिक समूह		शहरी	ग्रामीण	पुरुष	महिला	कुल
हिन्दू	सभी हिन्दू	53.1	70.3	84.9	46.1	65.8
	एससी-एसटी	56.3	74.5	87.3	54.9	71.4
	ओबीसी	56.4	70.5	85.8	48.3	67.3
	यूसी	49	63.5	80.8	33.1	57.4
मुस्लिम		51.1	57	84.6	25.2	54.9
अन्य अल्पसंख्यक		51.6	70.2	81.8	47.2	64.5
सभी		52.7	68.9	84.6	43.6	64.4


सारिणी 5.2 : सभी आयु वर्ग में दैनिक स्थिति के अनुरूप सामाजिक धार्मिक श्रेणियों में बेरोजगारी दर

	हिन्दू				मुस्लिम	अन्य अल्पसंख्यक	सभी
	सभी हिन्दू	एससी-एसटी	ओबीसी	यूसी			
शहरी	8.1	10.5	8.2	6.8	8.1	10.9	8.3
ग्रामीण	8.0	10.0	7.4	6.0	10.8	8.2	
पुरुष	7.2	10.2	7.0	5.1	8.1	10.2	7.8
महिला	9.0	9.9	8.8	8.0	9.2	12.2	9.2



सारिणी 5.3 : कार्य स्थिति 2004-05 के अनुरूप प्रत्येक सामाजिक धार्मिक श्रेणी में पुरुष और महिला श्रमिकों का वितरण, सभी कामगार (प्रमुख एवं द्वितीयक, आयु 15-64)

कार्य स्थिति	हिन्दू				मुस्लिम	अन्य अल्पसंख्यक	सभी
	सभी हिन्दू	एससी-एसटी	ओबीसी	यूसी			
	All						
घरेलू उपक्रम में अपने श्रमिक	29.6	22.9	31.5	35.1	39.4	31.4	30.7
घरेलू उपक्रम के नियोक्ता	1.1	0.3	0.9	2.5	1.4	2.5	1.2
बगैर मजदूरी वाले पारिवारिक श्रमिक	24.6	20.0	28.2	24.5	20.2	21.6	24
नियमित दिहाड़ी/ वेतन	14.7	10.4	12.4	24.7	13.0	19.2	14.8
सार्वजनिक कार्य में अनियमित कर्मचारी	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1
अन्य कार्यों में अनियमित कर्मचारी	29.9	46.2	26.9	13.1	25.8	25.2	29.2
कुल	100	100	100	100	100	100	100
				पुरुष			
घरेलू उपक्रम में अपने श्रमिक	37.3	29.8	40.5	40.7	42.5	34.3	37.7
घरेलू उपक्रम के नियोक्ता	1.5	0.4	1.2	3.2	1.4	3.4	1.6
बगैर मजदूरी वाले पारिवारिक श्रमिक	14.2	10.2	16.5	15.4	13.5	13.6	14.1
नियमित दिहाड़ी/वेतन	18.1	13.0	15.6	28.0	14.9	21.7	17.9
सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यों में अनियमित	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1
अन्य कार्यों में अनियमित	28.8	46.4	26.2	12.6	27.5	27.0	28.6
कुल	100	100	100	100	100	100	100
				महिला			
घरेलू उपक्रम में अपने श्रमिक	14.9	11.6	15	20.9	29.1	26.5	16.6
घरेलू उपक्रम में नियोक्ता	0.4	0.1	0.4	0.7	1.3	1.0	0.5
बगैर मजदूरी वाले पारिवारिक श्रमिक	44.4	36.2	49.5	47.8	42.5	35.4	43.7
नियमित दिहाड़ी/वेतन	8.2	6.0	6.6	16.0	6.9	15.0	8.6
सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यों में अनियमित	0.2	0.2	0.2	0.2	0.0	0.1	0.2
अन्य कार्यों में अनियमित	31.9	46.0	28.3	14.5	20.1	22.0	30.4
कुल	100	100	100	100	100	100	100




सारिणी 5.4 : वर्ष 2004-05 में कार्य स्थिति और रिहाइश के स्थान के अनुरूप प्रत्येक एसआरसी में श्रमिकों का वितरण सभी श्रमिक (प्रमुख एवं द्वितीयक, आयु वर्ग 15-64 वर्ष)

कार्य स्थिति	हिन्दू				मुस्लिम	अन्य अल्पसंख्यक	सभी
	सभी हिन्दू	एससी-एसटी	ओबीसी	यूसी			
	शहरी						
घरेलू उपक्रमों में अपने श्रमिक	29.7	25.5	30.9	30.8	39.4	26.9	30.9
घरेलू उपक्रमों में नियोक्ता	2.3	0.6	1.7	3.7	2.0	4.2	2.4
बगैर मजदूरी वाले पारिवारिक श्रमिक नियमित दिहाड़ी / वेतन	10.6	7.3	13.5	9.5	15.9	10.1	11.3
सार्वजनिक क्षेत्र में अनियमित श्रमिक	42.3	39.9	36.4	49.3	27	44.7	40.3
अन्य कार्यों में अनियमित	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1
कुल	15	26.6	17.4	6.7	15.5	13.9	15
	100	100	100	100	100	100	100
	ग्रामीण						
घरेलू उपक्रमों में अपने श्रमिक	29.6	22.5	31.6	37.6	39.4	32.9	30.6
घरेलू उपक्रमों में अपने श्रमिक	0.8	0.2	0.8	1.8	1.0	1.9	0.9
बगैर मजदूरी वाले पारिवारिक श्रमिक नियमित दिहाड़ी / वेतन	28.4	22.0	31.6	32.8	22.2	25.3	27.7
सार्वजनिक क्षेत्र में अनियमित श्रमिक	7.2	5.7	6.8	11.0	6.4	10.9	7.4
अन्य कार्यों में अनियमित	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2
कुल	33.9	49.4	29.1	16.7	30.8	28.8	33.3
	100	100	100	100	100	100	100



सारिणी 5.5 : वर्ष 2004-05 में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में उद्यम के प्रकार के अनुरूप प्रत्येक एसआरसी में श्रमिकों का वितरण सभी कामगार 15-64 वर्ष के बीच

	हिन्दू				मुस्लिम	अन्य अल्पसंख्यक	सभी
	सभी हिन्दू	एससी-एसटी	ओबीसी	यूसी			
	शहरी						
अनौपचारिक क्षेत्र	76.9	78.5	82.2	71.4	92.1	76.4	79.1
पुरुष मालिकाना हक वाले	59.2	58.6	65.7	53.6	76.2	55.4	61.5
महिला मालिकाना हक वाले	5.7	6.3	5.9	5.2	7.4	5.5	5.9
एक ही परिवार के सदस्यों के साथ साझेदारी	2.8	2.4	2.5	3.4	2.8	4.0	2.9
अन्य परिवार के सदस्यों के साथ साझेदारी	2.3	1.5	2.3	2.6	1.4	2.8	2.2
अन्य	6.9	9.8	5.8	6.5	4.3	8.6	6.6
औपचारिक क्षेत्र	23.1	21.5	17.8	28.6	7.9	23.6	20.9
सरकारी/ सार्वजनिक क्षेत्र	15.4	16.6	11.3	18.4	5.6	15.5	13.9
सार्वजनिक/निजी क्षेत्र की कंपनियां	7.7	4.9	6.5	10.2	2.3	8.1	6.9
कुल	100	100	100	100	100	100	100
	ग्रामीण						
अनौपचारिक क्षेत्र	87.7	88.1	89.8	82.8	94.2	88.1	88.5
पुरुष मालिकाना हक वाले	67.7	67.6	70.6	61.9	72.6	53.0	67.3
महिला मालिकाना हक वाले	11.8	11.2	11.9	12.6	13.7	23.5	12.9
एक ही परिवार के सदस्यों के साथ साझेदारी	1.7	1.5	1.7	1.9	1.6	4.9	1.9
अन्य परिवार के सदस्यों के साथ साझेदारी	1.3	1.0	1.3	1.5	1.0	0.8	1.2
अन्य	5.2	6.7	4.3	4.9	5.2	5.8	5.2
औपचारिक क्षेत्र	12.3	11.9	10.2	17.2	5.8	11.9	11.5
सरकारी/ सार्वजनिक क्षेत्र	9.0	8.8	7.2	13.0	4.8	9.7	8.5
सार्वजनिक/निजी क्षेत्र की कंपनियां	3.3	3.1	3.0	4.2	1.0	2.2	3.0
कुल	100	100	100	100	100	100	100




सारिणी 5.6 : वर्ष 2004-05 में उद्यम के प्रकार और पुरुष एवं महिला कामगारों के अनुरूप प्रत्येक एसआरसी में श्रमिकों का वितरण सभी कामगार 15-64 वर्ष के बीच

	हिन्दू				मुस्लिम	अन्य अल्पसंख्यक	कुल
	सभी हिन्दू	एससी-एसटी	ओबीसी	यूसी			
	कुल						
अनौपचारिक क्षेत्र	81.0	83.1	85.1	74.0	92.6	80.4	82.7
पुरुष मालिकाना	71.1	72.6	76.2	63.3	84.2	68	72.8
महिला मालिकाना	0.6	0.6	0.6	0.5	0.4	0.6	0.6
एक ही परिवार के सदस्यों के साथ साझेदारी	2.3	1.9	2.1	3.1	2.3	3.7	2.4
अन्य पविार के सदस्यों के साथ साझेदारी	2.0	1.3	2.1	2.5	1.4	2.1	1.9
अन्य	5.0	6.7	4.1	4.7	4.2	5.8	4.9
औपचारिक क्षेत्र	19.0	16.9	14.9	26.0	7.4	19.6	17.3
सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र	12.9	12.8	9.9	16.9	5.6	13.6	11.9
सार्वजनिक/निजी क्षेत्र की कंपनी	6.1	4.1	5.0	9.1	1.8	6.1	5.4
कुल	100	100	100	100	100	100	100
	महिला						
अनौपचारिक क्षेत्र	88.3	89.4	91.1	82.3	95.3	87.9	89
पुरुष मालिकाना	44.8	44.3	49.8	37.1	38.4	30.4	42.8
महिला मालिकाना	32.2	32.1	32.0	32.8	47.7	42	34.8
एक ही परिवार के सदस्यों के साथ साझेदारी	1.8	1.6	1.8	1.9	1.8	5.9	2.2
अन्य पविार के सदस्यों के साथ साझेदारी	0.9	0.8	0.9	1.0	0.4	0.9	0.8
अन्य	8.6	10.5	6.8	9.6	7.0	8.8	8.4
औपचारिक क्षेत्र	11.7	10.6	8.9	17.7	4.7	12.1	11.0
सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र	8.7	7.8	6.0	14	3.5	9.8	8.2
सार्वजनिक/निजी क्षेत्र की कंपनी	3.1	2.7	2.9	3.7	1.2	2.3	2.8
कुल	100	100	100	100	100	100	100



सारिणी 5.7 :- वर्ष 2004-05 में प्रत्येक सामाजिक-धार्मिक श्रेणी में कार्यस्थल के अनुरूपक श्रमिकों का वितरण
(सभी श्रमिक 15-64 वर्ष की आयु के बीच)

कार्य स्थल	हिन्दू				मुस्लिम	अन्य अल्पसंख्यक	कुल
	सभी हिन्दू	एससी-एसटी	ओबीसी	यूसी			
	शहरी						
कोई नियत स्थल नहीं	3.8	5.6	4.2	2.5	5.1	2.7	3.9
अपना निवास स्थान	13.2	12.4	14.8	12.1		20.1	9.5
अपना उपक्रम	17.5	8.2	16.7	22.8		21.3	21.8
नियोक्ता का निवास स्थान	5.5	8.5	4.7	4.7		4.2	5.8
नियोक्ता का उपक्रम	43.3	40.3	40.9	46.9		28.5	45.0
नुक़ड़- कोई स्थिर स्थान नहीं	3.2	4.2	3.5	2.4		3.2	2.4
नुक़ड़- स्थायी स्थान	4.0	6.2	4.6	2.2		7.4	2.0
निर्माण स्थल	6.6	11.0	7.7	3.3		6.5	7.8
अन्य	3.1	3.6	2.8	3.2		3.8	3.2
कुल	100	100	100	100		100	100
	ग्रामीण						
कोई नियत स्थल नहीं	9.3	12.1	8.8	6.5		11.3	5.6
अपना निवास स्थान	29.0	24.3	32.0	29.4		31.3	35.8
अपना उपक्रम	14.5	8.6	15.6	20.9		15.7	15.6
नियोक्ता का निवास	2.9	3.8	2.5	2.4		3.7	2.6
नियोक्ता का उपक्रम	23.2	21.2	22.3	28.3		16.2	21.5
नुक़ड़- स्थायी स्थान	2.3	2.4	2.5	1.5		3.6	1.9
नुक़ड़- कोई स्थायी स्थान नहीं	3.1	4.1	2.8	2.3		5.8	1.8
निर्माण स्थल	11.4	18.5	9.5	5.0		9.3	10.6
अन्य	4.2	5.2	4.0	3.6		3.1	4.6
कुल	100	100	100	100	100	100	100



भारत में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति


सारिणी 5.8 : वर्ष 2004-05 में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कार्य स्थल के अनुरूप प्रत्येक एसआरसी में पुरुष एवं महिला श्रमिकों का वितरण (सभी श्रमिक 15-64 वर्ष के आयु वर्ग के)

कार्य स्थल	हिन्दू				मुस्लिम	अन्य अल्पसंख्यक	सभी
	सभी हिन्दू	एससी-एसटी	ओबीसी	यूसी			
	पुरुष						
कोई नियत स्थान नहीं	8.2	11.7	8.5	5.0	9.6	6.2	8.3
अपना निवास स्थान	12.3	10.8	14.7	10.2	13.8	8.7	12.3
अपना उपक्रम	17.6	9.0	17.5	24.9	21.9	21.1	18.5
नियोक्ता का निवास स्थान	3.0	3.7	2.6	2.9	3.5	2.7	3.0
नियोक्ता का उपक्रम	36.5	31.9	34.3	43.2	25.5	37.2	35.0
नुक़ड़ पर नियत स्थान	3.1	3.4	3.4	2.4	2.8	3.3	
नुक़ड़ पर नियत स्थान नहीं	4.1	5.4	4.2	2.8	8.0	2.6	4.6
निर्माण स्थल	11.0	19.0	10.8	4.8	9.7	13.5	11.0
अन्य	4.2	5.1	4.0	4.0	3.9	5.2	4.2
कुल	100	100	100	100	100	100	100
	महिला						
कोई नियत स्थान नहीं	3.3	5.3	3.2	1.5	3.6	1.2	3.2
अपना निवास स्थान	48.7	44.5	52.1	47.5	69.7	51.8	51.3
अपना उपक्रम	10.9	6.8	12.4	12.8	6.3	13.3	10.7
नियोक्ता का निवास स्थान	7.0	9.7	5.4	6.5	5.8	6.1	6.7
नियोक्ता का उपक्रम	19.8	16.7	17.5	27.2	9.8	21.5	18.9
नुक़ड़ पर नियत स्थान	1.5	2.0	1.5	1.0	0.4	1.0	1.3
नुक़ड़ पर नियत स्थान नहीं	1.7	3.0	1.8	0.3	1.5	0.6	1.6
निर्माण स्थल	4.6	8.4	3.9	1.5	1.1	2.5	4.0
अन्य	2.5	3.7	2.3	1.6	1.9	2.2	2.4
कुल	100	100	100	100	100	100	100



सारिणी 5.9 : वर्ष 2004-05 में उद्योग समूहों के अनुरूप प्रत्येक एसआरसी में पुरुष एवं महिला श्रमिकों का वितरण (सभी श्रमिक 15-64 वर्ष के आयु वर्ग के)

उद्योग समूह	हिन्दू				मुस्लिम	अन्य अल्पसंख्यक	सभी
	सभी हिन्दू	एससी-एसटी	ओबीसी	यूसी			
	सभी						
कृषि, पशुधन, वानिकी आदि	59.9	66.6	62.1	47.1	39.8	56.4	57.7
खनन और पत्थर निकालना	0.6	0.9	0.5	0.5	0.3	0.5	0.6
विनिर्माण कार्य	11.0	8.7	11.9	12.4	20.5	9.0	11.8
बिजली, गैस एवं पानी	0.3	0.2	0.2	0.4	0.3	0.5	0.3
निर्माण कार्य	5.6	8.0	5.1	3.3	6.8	6.1	5.8
थोक एवं खुदरा व्यापार	8.1	4.7	7.7	13.4	16.8	9.7	9.1
होटल एवं रेस्तरां	1.3	0.6	1.4	1.9	1.3	1.1	1.3
परिवहन, भंडारण एवं संचार	3.7	3.3	3.4	4.8	6.4	4.2	4.0
वित्त, बीमा एवं रियल-इस्टेट आदि	1.6	0.7	1.1	3.7	1.2	2.3	1.6
सामुदायिक, सामाजिक एवं व्यक्तिगत सेवाएं	7.9	6.3	6.6	12.4	6.8	10.2	7.9
कुल	100	100	100	100	100	100	100
	पुरुष						
कृषि, पशुधन, वानिकी आदि	51.6	58.5	53.9	39.8	36.3	47.7	49.6
खनन और पत्थर निकालना	0.8	1.1	0.7	0.7	0.4	0.7	0.7
विनिर्माण कार्य	11.7	9.1	12.7	13.1	17.1	9.3	12.2
बिजली, गैस एवं पानी	0.4	0.4	0.3	0.6	0.3	0.7	0.4
निर्माण कार्य	7.6	11.1	7.1	4.2	8.5	8.8	7.7
थोक एवं खुदरा व्यापार	10.8	6.4	10.2	17.1	20.2	13.3	12.1
होटल एवं रेस्तरां	1.5	0.8	1.6	2.2	1.4	1.4	1.5
परिवहन, भंडारण एवं संचार	5.5	5.2	5.1	6.4	8.2	6.3	5.8
वित्त, बीमा एवं रियल-इस्टेट आदि	2.1	0.9	1.5	4.5	1.3	3.0	2.1
सामुदायिक, सामाजिक एवं व्यक्तिगत सेवाएं	8.0	6.4	6.9	11.6	6.3	8.8	7.8
कुल	100	100	100	100	100	100	100
	महिला						
कृषि, पशुधन, वानिकी आदि	75.8	80.0	76.9	65.5	51.8	71.4	73.8
खनन और पत्थर निकालना	0.3	0.5	0.2	0.1	0.1	0.1	0.3
विनिर्माण कार्य	9.6	7.9	10.5	10.7	31.8	8.5	11.1
बिजली, गैस एवं पानी	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0
निर्माण कार्य	1.9	2.8	1.6	1.1	0.9	1.6	1.8
थोक एवं खुदरा व्यापार	2.9	1.9	3.2	4.2	5.3	3.3	3.1
होटल एवं रेस्तरां	0.8	0.3	1.0	1.3	0.8	0.6	0.8
परिवहन, भंडारण एवं संचार	0.3	0.2	0.2	0.8	0.2	0.6	0.3
वित्त, बीमा एवं रियल-इस्टेट आदि	0.5	0.2	0.4	1.6	0.6	1.0	0.6
सामुदायिक, सामाजिक एवं व्यक्तिगत सेवाएं	7.8	6.2	6.0	14.6	8.5	12.7	8.1
कुल	100	100	100	100	100	100	100




सारणी 5.10 : वर्ष 2004-05 में उद्योग समूहों के अनुरूप शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक एसआरसी में पुरुष एवं महिला श्रमिकों का वितरण, (सभी श्रमिक 15-64 वर्ष के बीच)

उद्योग समूह	हिन्दू				मुस्लिम	अन्य अल्पसंख्यक	सभी
	सभी हिन्दू	एससी-एसटी	ओबीसी	यूसी			
	शहरी						
कृषि, पशुधन, वानिकी आदि	8.9	10.8	12.1	4.9	5.6	7.6	8.4
खनन और पत्थर खुदाई	0.9	1.1	0.8	0.9	0.2	0.4	0.8
विनिर्माण	23.5	21.2	26.4	22	32.4	17.5	24.4
बिजली, गैस और जल	0.7	0.9	0.6	0.8	0.5	0.7	0.7
निर्माण	8.2	13.4	9.2	4.7	7.6	8.6	8.2
थोक एवं खुदरा व्यापार	19.9	14.7	18.7	23.8	28.1	23.9	21.3
होटल एवं रेस्तरां	3.3	2.2	3.7	3.5	2.2	2.8	3.1
परिवहन, भंडारण और संचार	8.7	10.4	8.2	8.2	10.3	7.8	8.8
वित्त, बीमा और रियल इस्टेट आदि	5.6	2.7	4.1	8.7	2.8	7.1	5.3
सामुदायिक, सामाजिक और व्यक्तिगत सेवाएं	20.1	22.6	16.2	22.6	10.3	23.7	18.9
कुल	100	100	100	100	100	100	100
	ग्रामीण						
कृषि, पशुधन, वानिकी आदि	73.7	75.5	73.7	70.5	56.3	72.3	72.1
खनन और पत्थर खुदाई	0.6	0.8	0.5	0.3	0.4	0.5	0.5
विनिर्माण	7.6	6.7	8.5	7.1	14.7	6.3	8.1
बिजली, गैस और जल	0.1	0.1	0.1	0.3	0.2	0.4	0.2
निर्माण	4.9	7.1	4.2	2.5	6.4	5.3	5.1
थोक एवं खुदरा व्यापार	4.9	3.1	5.2	7.7	11.3	5.0	5.5
होटल एवं रेस्तरां	0.7	0.4	0.8	1.0	0.8	0.5	0.7
परिवहन, भंडारण और संचार	2.4	2.2	2.3	2.9	4.5	3.1	2.6
वित्त, बीमा और रियल इस्टेट आदि	0.5	0.3	0.4	1.0	0.4	0.7	0.5
सामुदायिक, सामाजिक और व्यक्तिगत सेवाएं	4.6	3.7	4.3	6.8	5.1	5.8	4.7
कुल	100	100	100	100	100	100	100



**सारिणी 5.12 : वर्ष 2004-05 में पेशागत समूहों के अनुरूप प्रत्येक एसआरसी में श्रमिकों का वितरण
(सभी श्रमिक 15-64 वर्ष के बीच)**

पेशागत श्रेणियां	हिन्दू				मुस्लिम	अन्य अल्पसंख्यक	सभी
	सभी हिन्दू	एससी-एसटी	ओबीसी	यूसी			
पुरुष							
प्रोफेशनल, टेक्नीकल और इससे संबंधित श्रमिक	4.1	2.1	2.9	8.1	3.0	5.0	4.0
प्रशासकीय, कार्यपालिका एवं प्रबंधकीय श्रमिक	3.9	1.5	3.1	8.1	4.7	6.2	4.2
क्लर्क एवं संबंधित कार्य	3.6	2.2	3.0	6.4	1.9	4.3	3.5
सेल्स श्रमिक	9.1	4.9	8.5	15.0	16.2	9.9	10.0
सेवा कार्यो से संबंधित श्रमिक	3.9	3.7	4.1	3.8	3.1	3.2	3.8
किसान, मछुआरा, शिकारी, लॉगर और इससे संबंधित श्रमिक	51.5	58.3	53.9	39.7	35.8	47.7	49.5
उत्पादन एवं संबंधित श्रमिक	23.8	27.3	24.5	18.8	35.2	23.7	25.2
परिवहन कल-पुर्जे आपरेटर एवं संबंधित श्रमिक							
पेशा से वर्गीकृत नहीं होने वाले श्रमिक	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
कुल	100	100	100	100	100	100	100
महिला							
प्रोफेशनल, टेक्नीकल और इससे संबंधित श्रमिक	3.5	1.4	2.3	9.9	3.8	4.0	3.7
प्रशासकीय, कार्यपालिका एवं प्रबंधकीय श्रमिक	1.5	0.9	1.2	3.2	2.9	3.7	1.6
क्लर्क एवं संबंधित श्रमिक	1.1	0.4	0.8	3.1	0.5	0.7	1.2
सेल्स श्रमिक	3.0	2.1	3.3	3.9	4.8	5.2	3.1
सेवा कार्यो से संबंधित श्रमिक	4.4	4.9	4.0	4.4	4.9	5.6	4.5
किसान, मछुआरा, शिकारी, लॉगर और इससे संबंधित श्रमिक	75.6	79.7	76.9	65.4	51.5	48.4	73.7
उत्पादन एवं संबंधित श्रमिक	10.9	10.6	11.5	10.1	31.5	32.3	12.2
परिवहन कल-पुर्जे आपरेटर एवं संबंधित श्रमिक							
पेशा से वर्गीकृत नहीं होने वाले श्रमिक	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0
कुल	100	100	100	100	100	100	100




सारिणी 5.13 : वर्ष 2004-05 में एसआरसी के लिए नियमित वेतन/दिहाड़ी पर कार्य की स्थिति

ठेका	हिन्दू				मुस्लिम	अन्य अल्पसंख्यक	सभी
	सभी हिन्दू	एससी-एसटी	ओबीसी	यूसी			
कांट्रैक्ट की अवधि							
अलिखित	58.2	62.9	62.6	51.7	72.8	57.3	59.4
<= एक वर्ष	2.3	1.8	2.3	2.6	1.6	2.4	2.3
>एक से तीन वर्ष	2.3	1.4	2.1	2.8	2.0	1.7	2.2
> तीन वर्ष	37.2	33.8	32.9	42.9	23.6	38.6	36.1
कुल	100	100	100	100	100	100	100
सामाजिक सुरक्षा लाभ							
केवल पीएफ / पेंशन	9.5	9.4	8.6	10.5	6.5	9.1	9.2
केवल ग्रेच्युटी	0.8	0.8	0.5	0.9	0.4	0.4	0.7
केवल स्वास्थ्य सुविधाएं एवं मातृत्व लाभ	1.4	1.1	1.4	1.4	1.1	1.3	1.3
केवल पीएफ /पेंशन एवं ग्रेच्युटी	2.7	2.3	2.3	3.4	1.6	2.0	2.6
केवल पीएफ, पेंशन एवं स्वास्थ्य सुविधाएं व मातृत्व लाभ	2.7	2.4	2.5	3.1	1.9	3.1	2.7
केवल ग्रेच्युटी एवं स्वास्थ्य सेवा एवं मातृत्व लाभ	1.4	1.2	1.4	1.7	1.1	1.0	1.4
स्वास्थ्य सेवा एवं मातृत्व लाभ	28.1	25.2	23.7	33.5	17.0	31.7	27.3
किसी के लिए पात्र नहीं	53.4	57.5	59.6	45.6	70.5	51.4	54.8
कुल	100	100	100	100	100	100	100
भुगतान की विधि							
नियमित मासिक वेतन	90.4	87.7	87.1	94.8	81.7	93.1	89.8
नियमित साप्ताहिक वेतन	4.2	5.6	6.4	1.6	7.9	2.4	4.4
दैनिक भुगतान	1.1	1.3	1.7	0.5	4.2	1.4	1.4
पीस रेट से भुगतान	2.6	3.2	3.5	1.5	4.0	1.1	2.6
अन्य	1.6	2.2	1.3	1.6	2.2	2.0	1.7
कुल	100	100	100	100	100	100	100



सारिणी 5.14 : समय के साथ विभिन्न सामाजिक-धार्मिक श्रेणियों के कामगारों के औद्योगिक एवं पेशागत प्रोफाइल में परिवर्तन

साल	हिन्दू				मुस्लिम	अन्य अल्पसंख्यक	सभी
	सभी हिन्दू	एससी-एसटी	ओबीसी	यूसी			
ए- विनिर्माण में हिस्सेदारी							
सभी							
2004-05	11.0	8.7	11.9	12.4	20.5	9.0	11.8
1999-00	9.9	7.5	11.0	11.1	18.1	8.0	10.6
1993-94	14.2	11.0			20.9	16.8	14.9
पुरुष							
2004-05	11.7	9.1	12.7	13.1	17.1	9.3	12.2
1999-00	10.9	8.1	11.6	12.8	15.6	8.8	11.3
1993-94	12.7	9.6			16.0	11.6	13.0
महिला							
2004-05	9.6	7.9	10.5	10.7	31.8	8.5	11.1
1999-00	7.9	6.6	9.9	6.5	27.0	6.4	9.0
1993-94	17.2	13.2			38.1	27.1	18.9
शहरी							
2004-05	23.5	21.2	26.4	22.0	32.4	17.5	24.4
1999-00	22.0	17.7	24.7	22.0	28.1	16.2	22.5
1993-94	25.4	20.3			30.9	20.1	25.7
ग्रामीण							
2004-05	7.6	6.7	8.5	7.1	14.7	6.3	8.1
1999-00	6.8	6.0	8.0	5.7	13.1	5.1	7.2
1993-94	11.5	9.8			15.7	15.8	12.1
बी- व्यापार में हिस्सेदारी							
सभी							
2004-05	8.1	4.7	7.7	13.4	16.8	9.7	9.1
1999-00	7.6	4.0	7.5	12.1	17.8	9.4	8.7
1993-94	6.3	3.4			14.0	8.3	7.1
पुरुष							
2004-05	10.8	6.4	10.2	17.1	20.2	13.3	12.1
1999-00	9.9	5.2	9.6	15.0	21.1	12.0	11.3
1993-94	8.1	4.3			16.3	10.6	9.1
महिला							
2004-05	2.9	1.9	3.2	4.2	5.3	3.3	3.1
1999-00	3.0	1.9	3.4	4.1	5.7	4.4	3.3
1993-94	2.6	2.0			5.6	3.6	2.8
शहरी							
2004-05	19.9	14.7	18.7	23.8	28.1	23.9	21.3
1999-00	21.8	14.8	21.8	25.1	32.6	24.4	23.5
1993-94	16.5	9.9			21.7	18.8	17.3



सारिणी 5.14 का शेष अंश

शहरी	हिन्दू				मुस्लिम	अन्य अल्पसंख्यक	सभी
	सभी हिन्दू	एससी-एसटी	ओबीसी	यूसी			
ग्रामीण							
2004-05	4.9	3.1	5.2	7.7	11.3	5.0	5.5
1999-00	4.0	2.4	4.4	5.8	10.4	4.3	4.5
1993-94	3.8	2.5			10.0	4.9	4.3
सी- प्रशासकीय, कार्यपालिका और प्रबंधकीय श्रमिकों की हिस्सेदारी सभी							
2004-05	3.5	1.4	2.7	7.7	4.5	5.1	3.7
1999-00	2.7	1.1	2.2	5.4	3.8	3.6	2.9
1993-94	1.8	0.6		2.3	2.8	3.1	1.9
पुरुष							
2004-05	3.9	1.5	3.1	8.1	4.7	6.2	4.2
1999-00	3.4	1.3	2.6	6.5	4.2	4.7	3.6
1993-94	2.2	0.7		2.8	3.0	4.0	2.3
महिला							
2004-05	1.6	1.0	1.3	3.6	2.9	1.9	1.7
1999-00	1.4	0.7	1.5	2.1	2.3	1.4	1.4
1993-94	1.0	0.6		1.2	2.2	1.4	1.1
शहरी							
2004-05	9.2	4.0	7.1	13.8	8.1	11.6	9.2
1999-00	8.2	4.0	5.8	12.2	6.8	10.0	8.1
1993-94	5.7	2.1		6.6	4.7	9.2	5.8
ग्रामीण							
2004-05	1.5	0.9	1.4	2.8	2.5	2.2	1.6
1999-00	1.3	0.7	1.4	2.0	2.3	1.4	1.4
1993-94	0.8	0.5		1.0	1.8	1.1	0.9



बैंक ऋण तक पहुंच

1. पारचय

खपत, उत्पादन और निवेश जरूरतों की पूर्ति के लिए किसी व्यक्ति, परिवार और फर्मों का ऋण हासिल करना बहुत ही कठिन होता है। सामाजिक धार्मिक समुदायों की सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकों तक अन्यायसंगत पहुंच असमानता को बढ़ावा दे सकता है। इस अध्याय में इस बात की पड़ताल की गयी है कि पिछले पांच वर्षों के दौरान भारत के विभिन्न हिस्सों में बसने वाले मुसलमान भाई किस हद तक बैंकों से ऋण सुविधाएं उठाते रहे हैं।

मुस्लिम बहुल आबादी वाले 44 जिलों (59 बैंक शाखाओं) में प्रधानमंत्री के 15 सूत्रीय कार्यक्रम का सावधानीपूर्वक अध्ययन करने के बाद भारतीय रिजर्व बैंक को यह पता चला कि प्रमुख बैंकों में अल्पसंख्यक समुदायों के बीच ऋण वितरण करने की गति को बढ़ाने को लेकर उत्साह का अभाव है। अध्ययन में यह उल्लेख किया गया है कि ज्यादातर जिलों में अल्पसंख्यक समुदाय के ऋण लेने वालों की विशेष जरूरतों की पूर्ति के लिए कोई भी अधिकारी नियुक्त नहीं किया गया है। यहां तक कि इन जिलों में से आधे में जिला सलाहकार समिति की बैठकें आयोजित नहीं हुई हैं और बैंक कर्मचारी अल्पसंख्यक समुदाय की विशेष जरूरतों के प्रति संवेदनशील नहीं बन पाए हैं। विकास कार्यक्रमों के प्रचार प्रसार के लिए भी कुछ नहीं किया गया। ऐसा पाया गया कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्यमिता विकास कार्यक्रमों को भी प्रोत्साहित नहीं किया गया। उपरोक्त बातों पर विचार करते हुए आरबीआई ने समय-समय पर सुधारात्मक कदम उठाए हैं। इस अध्याय में इन्हीं बातों पर विमर्श किया गया है कि ऐसे कदमों से मुसलमानों को कहाँ तक फायदा हुआ है।

यह अध्याय चार खंडों में बांटा गया है। दूसरे खंड में मुसलमानों को व्यावसायिक बैंकों द्वारा दिये गए ऋण को लेकर भी चर्चा की गयी है। इसके बाद के खंड में इस बात पर चर्चा की गयी है कि इन बैंकों की जमा पूंजी में मुसलमानों की भागीदारी कितनी है। खंड चार में नाबार्ड और सिडबी जैसे विशिष्ट बैंकों से मुस्लिमों को ऋण का प्रवाह कितना रहा पंचम खंड में इस अध्याय से संबंधित सारांश दिये गए हैं।

2. अधिसूचित वाणिज्यिक बैंकों की ओर से प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में दिया गया ऋण

अधिसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) की ओर से प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को दी जाने वाली अग्रिम राशि बैंकिंग प्रणाली से ऋण प्रवाह का सर्वाधिक हिस्सा है। आरबीआई नियमित अंतराल पर इन अग्रिम राशियों

सभी सामाजिक धार्मिक समुदायों के लोगों की सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकों तक अन्यायसंगत पहुंच से असमानता बरकरार रहेगी

1. सर्कुलर नंबर- आरपीसीडी न एन पी बीसी9 13-9/ 10-1/2001-02 दिनांक 13 अगस्त 2001



27 सार्वजनिक बैंकों और 29 निजी बैंकों से प्राप्त आंकड़ों की इस अध्याय में व्याख्या की जा रही है

पंद्रह-सूत्री कार्यक्रम के तहत विशेष ध्यान दिये जा रहे 44 अल्पसंख्यक बहुल जिलों से प्राप्त डाटा की भी व्याख्या की गयी है।

का ब्योरा संग्रह करता है, जिसकी व्याख्या नीचे की गयी है। समिति की ओर से रिजर्व बैंक और एससीबी से मंगाए गए अतिरिक्त आंकड़ों का इस्तेमाल सामुदायिक स्तर पर दिए जाने वाले ऋणों और उनकी ओर से जमा की गयी पूंजी के बारे में भी तहकीकात की गयी।

ऑनरशिप और/परिचालन की प्रकृति के अनुसार भारत में एससीबी को पांच समूहों में श्रेणीबद्ध किया गया है- (ए) भारतीय स्टेट बैंक और इसके सहयोगी (बी) राष्ट्रीयकृत बैंक (सी) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (डी) विदेशी बैंक (ई) अन्य अधिसूचित वाणिज्यिक (निजी) बैंक। 31 मार्च 2005 तक एससीबी की जमा पूंजी 1753174 करोड़ रुपये और बैंक ऋण 1157804 करोड़ था। प्राथमिक क्षेत्र की अग्रिम राशि (पीएसए) 345627 करोड़ रुपये थी। इनमें आरआरबी शामिल नहीं है।

आरबीआई समय-समय पर प्राथमिक क्षेत्रों को बैंक ऋण या अग्रिम देने के संबंध में बैंकों को दिशा-निर्देश देता रहा है। आरबीआईने राय दी है कि कुल बैंक अग्रिमों का कम से कम 40 प्रतिशत पीएसए को भेज दिया जाए। एससीबी सभी विशेष अल्पसंख्यक समुदाय को दी जाने वाली अग्रिम राशि और प्राथमिकता वाले क्षेत्रोंसे संबंधित जिला एवं राज्यस्तरीय डाटा हरेक छह महीने पर 30 सितंबर और 31 मार्च को प्रस्तुत करते हैं। विशिष्ट अल्पसंख्यक समुदायों में ईसाई, मुस्लिम, बौद्ध, सिख और जोरास्ट्रियन शामिल हैं।

नीचेजिस आंकड़े की समीक्षा की गयी है वे सार्वजनिक क्षेत्र के 27 बैंकों और निजी क्षेत्र के 29 बैंकोंसे संबंधित हैं और इसे रिजर्व बैंक ने उपलब्ध कराया है। (देखें- परिशिष्ट सारिणी 6.1 में बैंकों की सूची देखें।) इसमें सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र के बैंकों के लिए अलग-अलग व विस्तृत आंकड़े दिए गए हैं। ग्राहकों या लाभ पाने वालों को तीन समूहों में बांटा गया है- 1. मुस्लिम, 2. अन्य अल्पसंख्यक और 3. अन्य सभी। डाटा के आधार पर इस बात की समीक्षा की गयी है कि अन्य समूहों की तुलना में मुसलमानों को किस अनुपात में ऋण मिलता है। हालांकि समिति ऋण के लिए आवेदन देने वालों से संबंधित डाटा हासिल करने में अक्षम रही, इसे तीन चीजों पर भरोसा करना पड़ा है- खातों की संख्या, बकाया राशि और प्रति खाता बकाया राशि। खातों की संख्या के आधार पर मुसलमानों की हिस्सेदारी इस बात का संकेत देती है वे पीएसए हासिल करनेमें कहां तक सक्षम रहे हैं। हालांकि, इसमें ऋण की राशि पर विचार नहीं किया गया है, इसे बकाया राशि में मुस्लिमों की भागीदारी से प्राप्त किया जाता है। इन दोनों मानकों को मिलाकर हमें प्रति व्यक्ति बकाया राशि की जानकारी मिल पाती है। इससे यह पता चलता है कि क्या मुसलमानों से संबंधित पीएसए अन्य सामाजिक धार्मिक समुदायों की पीएसए की तुलना में बड़ी है या छोटी।

यहां यह उल्लेखनीय है कि खातों की कुल संख्या में सभी 29 निजी क्षेत्र के बैंकों की हिस्सेदारी महज तीन प्रतिशत है, बकाया राशि में उनकी संयुक्त भागीदारी 15 प्रतिशत या अध्ययन की अवधि के दौरान औसतन 329 करोड़ रुपये है। कुल खाताधारकों में विभिन्न सामाजिक-धार्मिक समुदायों की भागीदारी और पीएसए को दिये गये ऋण से संबंधित जानकारी सारिणी 6.1 में दी गयी है। ये आंकड़े देश स्तर पर तथा 15 सूत्रीय कार्यक्रम के तहत अल्पसंख्यक बहुल 44 जिलों के लिए दिये गये हैं। हालांकि देश स्तर पर खाता रखने वाले मुसलमान भाइयों की संख्या संतोषजनक है, लेकिन मुसलमानों की आबादी की तुलना में अल्पसंख्यक बहुल 44 जिलों में इसमें 12 प्रतिशत की कमी है। यदि पीएसए राशि के बारे में विचार किया जाए तो देश स्तर पर इस आंकड़े में नौ प्रतिशत की गिरावट है, जबकि 44 अल्पसंख्यक बहुल जिलों में यह 25 प्रतिशत कम है। दूसरी ओर खाताधारकों की कुल संख्या में 'अन्य' की हिस्सेदारी मोटे तौर पर उसकी जनसंख्या में

2. प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में कृषि, लघु इकाइयां, अन्य गतिविधियों/ऋण लेने वाला यथा- छोटे व्यवसाय, खुदरा व्यापार, लघु वाहन आपरेटर, पेशा और स्वनियोजन वाले व्यक्तियों, छोटे शिक्षा ऋण, माइक्रो क्रेडिट आदि शामिल है। कुछ अन्य प्रकार के फंडों को भी प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में रखा गया है जैसे- सिडबी, नाबार्ड, ग्रामीण विद्युतीकरण योजना, राष्ट्रीय आवासीय बैंक और हुडको, राज्य वित्तीय निगम
3. बैंकों के पांच समूहों के कुल बैंक ऋण में इनकी क्रमिक हिस्सेदारी है- 24 प्र.श., 47 प्र.श., 3 प्र.श., 19 प्र.श. और सात प्रतिशत।



हिस्सेदारी के समान ही है, जबकि पीएसए में यह आंकड़ा 10 प्रतिशत अधिक है। अन्य अल्पसंख्यकों की स्थिति तुलनात्मक दृष्टि से बेहतर है, खासकर अल्पसंख्यक बहुल 44 क्षेत्रों में, जहां खातों की कुल संख्या और बकाया राशि उनकी आबादी की तुलना में दोगुनी है।

हालांकि इन रूझानों को सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकों के मामले में देखा जा सकता है, बकाया राशि के मामले में मुसलमानों की हिस्सेदारी निजी क्षेत्र के बैंकों की तुलना में दो प्रतिशत अधिक है। सभी सामाजिक धार्मिक समुदायों के लिए निजी क्षेत्र के बैंकों की प्रति खाता बकाया राशि अधिक है। उदाहरण के तौर पर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में मुसलमानों के लिए बकाया राशि 19837 रुपये, अन्य अल्पसंख्यकों के लिए 40686 रुपये और 'अन्य' के लिए यही राशि 59055 रुपये थी जबकि निजी क्षेत्रों के बैंकों के लिए यह क्रमशः 1,11,634 रुपये, 2,01,840 रुपये और 2,74,911 रुपये है।

निजी क्षेत्र के बैंकों में औसत बकाया राशि के संदर्भ में सामाजिक धार्मिक समुदायों के बीच अंतर कम है। हालांकि जिन लोगों को ज्यादा ऋण राशि की आवश्यकता होती है, वे निश्चित तौर पर निजी क्षेत्र के बैंकों की ओर रुख किया होगा- यह भी सच है कि निजी बैंक पूरी तरह लाभ के उद्देश्य से प्रेरित होते हैं और जाहिर है कि वे केवल ऋण चुका पाने में सक्षम व्यक्तियों को ही ऋण देगा।

अध्ययन अवधि के दौरान सभी अधिसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एएससीबी) की पीएसए के तहत मुस्लिम खाताधारकों की संख्या लगभग 46 लाख प्रति वर्ष थी, जिनमें से 97 प्रतिशत हिस्सेदारी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की है। मुसलमानों द्वारा प्राप्त पीएसए की कुल राशि 10394 करोड़ रुपये थी, लेकिन पीएसए में सरकारी बैंकों की सहभागिता केवल 85 प्रतिशत है जो यह दर्शाता है कि निजी बैंकों ने मुसलमानों को ज्यादा ऋण दिए।

सभी एससीबी के खाताधारकों में मुसलमानों की हिस्सेदारी 12 प्रतिशत के करीब है। हालांकि यह आंकड़ा आबादी के हिसाब से उसकी हिस्सेदारी के काफी करीब है, लेकिन खातों के मामले में अन्य अल्पसंख्यकों का अनुपात आठ प्रतिशत से थोड़ा अधिक है। यह उनकी आबादी में हिस्सेदारी (5.6 प्र.श.) की अपेक्षा निश्चित तौर पर अधिक है। यह उल्लेखनीय है कि बकाया राशि में मुसलमानों की हिस्सेदारी केवल 4.7

बकाया राशि में मुस्लिमों की हिस्सेदारी महज 4.7 प्र.श. है जबकि अन्य अल्पसंख्यकों में यह आंकड़ा 6.5 प्र.श. है। ये आंकड़े उनकी आबादी में हिस्सेदारी के मामले में बहुत कम है

औसतन मुस्लिमों की प्रति खाता बकाया राशि अन्य अल्पसंख्यकों की तुलना में करीब आधी है

सारिणी 6.1 :- विभिन्न श्रेणी के बैंकों द्वारा एसआरसी को दी ऋणी पीएसए राशि एवं 44 अल्पसंख्यक बहुल जिले 31 मार्च 2001 से 31 मार्च 2005 तक पांच वर्षों का औसत

मानक	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक			निजी क्षेत्र के बैंक		
	मुस्लिम	अन्य अल्पसंख्यक	अन्य	मुस्लिम	अन्य अल्पसंख्यक	अन्य
ए. भारत के सभी जिले						
खातों की संख्या(कुल का प्र.श.)	12.2	8.1	79.7	11.3	10.5	78.2
बकाया राशि (कुल का प्र.श.)	4.6	6.3	89.1	6.6	7.9	85.5
प्रति खाता बकाया राशि (रुखाता)	19837	40686	59055	111634	201840	274911
आबादी में प्रतिशत हिस्सा	13.4	5.6	80.9			
बी. अल्पसंख्यक बहुल 44 जिले						
खातों की सं. (कुल का प्र.श.)	21.3	5.0	73.7	20.7	14.9	64.4
बकाया राशि (कुल का प्र.श.)	7.9	3.7	88.4	9.9	7.7	82.4
प्रति खाता बकाया (रुखाता)	20343	40203	64665	108435	114971	330103
आबादी में प्रतिशत हिस्सा	32.8	2.0	65.2			




प्रतिशत है, जबकि अन्य अल्पसंख्यकों के लिए यह आंकड़ा 6.5 प्रतिशत का रहा है। (परिशिष्ट सारिणी 6.2 देखें।)

यद्यपि सरकारी बैंकों की ओर सेदी गयी ऋण राशि (परिमाण में) निजी बैंकों की तुलना में अधिक है, लेकिन निजी बैंक मुसलमानों और अन्य समुदायों को ऋण देने के मामले में बेहतर हैं। उदाहरण के तौर पर सरकारी बैंकों की बकाया राशि में मुसलमानों का हिस्सा 4.6 प्रतिशत है, जो निजी बैंकों के 6.6 प्रतिशत हिस्से से बहुत कम है। (देखें चित्र- 6.1)। सही मायनों में मार्च 2005 के अंत में मुसलमानों के लिए बकाया राशि 15685 करोड़ रुपये थी, जबकि अन्य अल्पसंख्यकों के लिए यह 19671 करोड़ रुपये थी। सभी अधिसूचित वाणिज्यिक बैंकों की ओर सी पीएसए की कुल राशि 328755 करोड़ रुपये है।

खातों की संख्या की प्रतिशत हिस्सेदारी और बकाया राशि में अंतर को व्यक्त करने के लिए हम कह सकते हैं कि मुसलमान ऋण हासिल करने में सक्षम हैं, लेकिन उनके द्वारा प्राप्त राशि अन्य समूहों की तुलना में छोटी होती है। उदाहरण के तौर पर, एएससीबी के संदर्भ में मुसलमानों के लिए प्रति खाता बकाया राशि मार्च 2001 के 16319 रुपये से बढ़कर मार्च 2005 में 32770 रुपये पर पहुंच गयी। अन्य अल्पसंख्यकों के लिए

यह आंकड़ा मार्च 2001 के 34204 रुपये से बढ़कर मार्च 2005 में 54186 रुपये हो गया। मुसलमानों के लिए प्रति खाता बकाया राशि अन्य अल्पसंख्यकों की तुलना में लगभग आधी होती है। निजी बैंकों में प्रति खाता बकाया राशि मार्च 2001 के 41085 रुपये से बढ़कर मार्च 2005 में 130224 रुपये तक पहुंच गयी। निजी बैंकों के लिए समान अवधि में यहीं आंकड़ा 15581 रुपये से 28747 रुपये पर पहुंच गया। कुल मिलाकर, निजी बैंकों के लिए प्रति खाता बकाया राशि सरकारी बैंकों की तुलना में अधिक है। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, इससे पता चलता है कि निजी बैंक बड़ी रकम वाले कम ऋण प्रदान करते हैं। निजी बैंकों में मुसलमानों को अन्य सामाजिक धार्मिक समुदायों की तुलना में छोटे ऋण मिलते हैं।



प्रधानमंत्री के 15-सूत्री कार्यक्रम के तहत बैंकिंग और ऋण सुविधा मुहैया कराने के भारतीय रिजर्व बैंक के प्रयास से मुख्यतया अन्य अल्पसंख्यकों को लाभ हुआ है, लेकिन मुस्लिम हाशिए पर पहुंच गए हैं

2.1 राज्य स्तरीय व्याख्या

पीएसए के लिए राज्यवार आंकड़े चित्र 6.2 में दिये गये हैं। हालांकि मुख्य ध्यान 21 राज्यों पर केंद्रित किया गया है, लेकिन शेष राज्यों के आंकड़े एग्रीगेट के तौर पर जारी किये गये हैं। इसमें 31 मार्च 2001, 2002, 2003, 2004 और 2005 को समाप्त वर्षों का लेखा-जोखा प्रस्तुत किया गया है। मुस्लिमों की बड़ी आबादी वाले चार प्रमुख राज्यों- पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश और बिहार का अध्ययन करने पर बहुत ही निराशाजनक परिदृश्य सामने आता है। उदाहरण के तौर पर पश्चिम बंगाल में केवल 29 प्रतिशत खाते मुसलमानों के हैं जो उनकी आबादी की हिस्सेदारी से चार प्रतिशत अधिक है। लेकिन बकाया राशि का प्रतिशत 9.2 प्रतिशत है। केरल के मामले में मुसलमानों के लिए यही आंकड़ा क्रमशः 22 प्रतिशत और 16 प्रतिशत है, जो आबादी में उसकी 25 प्रतिशत की भागीदारी से नीचे है। यही स्थिति उत्तर प्रदेश और बिहार में पाई जाती है, जहां खातों की संख्या के मामले में मुसलमानों का हिस्सा उसकी आबादी के अनुपात की तुलना में कमोबेश बराबर है, लेकिन बकाया राशि के मामले में उनकी हिस्सेदारी कमतर है।

अन्य राज्यों की स्थिति भी व्यापक तौर पर समान ही है। महाराष्ट्र और दिल्ली को छोड़कर अधिकांश राज्यों में मुसलमानों की खातों की संख्या अन्य अल्पसंख्यकों की तुलना में अधिक है। दरअसल, असम और दिल्ली



(करोड़ रु)

**सारिणी 6.2 :- राज्यों द्वारा सामाजिक धार्मिक समुदायों के लिए एएससीबी की प्राथमिक क्षेत्र की अंशिक राशि
31 मार्च 2001 से 31 मार्च 2005 तक पांच वर्षों के दौरान वार्षिक औसत**

राज्य (आबादी में हिस्सेदारी)	कुल पीएसए		मुस्लिम		अन्य अल्पसंख्यक		अन्य	
	खातों की सं. (000)	राशि ओ/एस (करोड़ रु)	प्रश हिस्सा खातों में	प्रश हिस्सा राशि में ओ/एस	प्रश हिस्सा खातों में	प्रश हिस्सा राशि में ओ/एस	प्रश हिस्सा खातों में	प्रश हिस्सा राशि में ओ/एस
प.बंगाल(25.2; 2.1)	2192	10172	29.3	9.2	0.9	0.7	69.8	90.1
केरल (24.7; 19.0)	2757	10788	21.6	15.8	27.0	22.2	51.4	62.0
उ. प्र. (18.5; 0.8)	3295	18209	16.3	8.6	4.0	3.8	79.7	87.6
बिहार (15.9; 4.4)	2413	4447	12.8	7.0	2.5	1.9	84.7	91.1
असम (30.9; 4.1)	245	1461	16.9	7.9	3.0	2.1	80.1	90.1
जे एंड क (67.0; 3.4)	249	1387	41.1	54.4	34.9	5.6	24.0	40.1
कर्नाटक (12.2; 2.9)	2271	17920	10.6	4.7	3.3	2.2	86.0	93.2
दिल्ली(11.9; 5.1)	239	18073	4.2	0.5	8.5	2.7	87.2	96.8
महाराष्ट्र(10.6; 7.6)	1934	34820	6.0	2.0	6.6	2.3	87.4	95.7
आंध्र प्रदेश (9.2; 1.6)	5500	19639	7.5	2.8	3.6	1.6	88.8	95.6
गुजरात (9.1; 0.7)	1087	9485	12.4	2.6	0.9	0.6	86.7	96.8
राजस्थान(8.5; 1.6)	1238	9572	7.2	3.0	3.5	4.5	89.3	92.4
म. प्रदेश(5.2; 1.9)	2543	11074	17.4	3.1	2.6	1.6	80.1	95.3
हरियाणा(5.8; 5.7)	682	7455	2.6	0.7	10.1	5.4	87.3	94.0
तमिलनाडु(5.6; 6.1)	7318	22989	9.6	6.6	7.5	3.9	82.9	89.5
उड़ीसा(2.1; 3.5)	1186	4789	5.4	2.0	2.7	1.8	91.9	96.2
हिमाचल प्रदेश (2.0; 2.6)	229	1368	2.0	0.6	3.3	2.6	94.8	96.8
पंजाब (1.6; 61.3)	1047	15072	1.1	0.3	63.5	42.4	35.4	57.3
अन्य राज्य(5.6; 45.0)	1053	7498	7.8	2.8	12.8	13.5	79.4	83.7
भारत(13.4; 5.6)	37476	226219	12.2	4.6	8.1	6.6	79.7	88.9

नोट 1: राज्यों के नामों के बाद कोष्ठक में दिए गए आंकड़े राज्य की आबादी में मुस्लिमों और अन्य अल्पसंख्यकों की हिस्सेदारी दर्शाते हैं

में आबादी में मुसलमानों की हिस्सेदारी और खातों की संख्या में उनकी हिस्सेदारी का अंतर अन्य राज्यों की तुलना में अधिक है। यह अन्य अल्पसंख्यकों की स्थिति से उलट है, जिनकी अधिकांश राज्यों में खातों की संख्या में हिस्सेदारी आबादी में हिस्सेदारी से अधिक होती है। गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और उड़ीसा ही ऐसे राज्य हैं जहां मुसलमानों के खातों की संख्या आबादी में उसके हिस्से से अधिक है। इस प्रकार, राज्य-स्तरीय स्थिति राष्ट्र-स्तरीय स्थिति के समान ही है। बैंकिंग और ऋण सुविधाएं उपलब्ध कराने के प्रयास संबंधी प्रधानमंत्री के 15-सूत्रीय कार्यक्रम के तहत रिजर्व बैंक द्वारा किये गये प्रयासों से मुख्यतः अन्य अल्पसंख्यकोंको लाभ हुआ है, लेकिन मुसलमान हाशिए पर पहुंच गये हैं।

चार प्रमुख राज्यों में प्रति खाता बकाया राशि का आकलन करने से यह तथ्य एक बार फिर सामने आता है कि हालांकि खातों की संख्या के मामलों में मुसलमानों की हिस्सेदारी भले ही अपेक्षाकृत ठीकठाक हो, प्रति खाता उनकी आउटस्टैंडिंग राशि निम्न है। मुस्लिमों और अन्य अल्पसंख्यकों की प्रति खाता अधिशेष राशि के बीच का कमतर अंतर दिखाने वाला राज्य केरल है, लेकिन पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में यह अंतर बहुत अधिक है। (देखें चित्र- 6.2)

महाराष्ट्र और तमिलनाडु को छोड़कर शेष सभी राज्यों में स्थिति एक जैसी है (देखेंचित्र 6.3), जहां

- छत्तीसगढ़, उत्तरांचल और झारखंड के आंकड़े क्रमशः मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार (अविभाजित राज्यों के अनुरूप) के साथ रखे गए हैं

जब आबादी में मुस्लिमों की हिस्सेदारी बढ़ती है अधिशेष राशि की हिस्सेदारी घटती जाती है



को छोड़कर ज्यादातर जिलों में मुसलमानों के खाताओं की संख्या एवं बकाया राशि आबादी में उनकी हिस्सेदारी की तुलना में काफी नीचे है।

खातों की संख्या और बकाया राशि के संदर्भ में अन्य अल्पसंख्यकों और मुसलमानों की प्रतिशत हिस्सेदारी के बीच सीधे तुलना करना गुमराह करने वाला है क्योंकि उनके आबादी के अनुपात में अंतर है। इस तरह की तुलना उम्मीदत: यह प्रदर्शित करता है कि दोनों पारामीटरों में अन्य अल्पसंख्यकों की हिस्सेदारी मुसलमानों की तुलना में कम है। लेकिन यहां रोचक तथ्य यह है कि 44 अल्पसंख्यक बहुल जिलों में से 33 में अन्य अल्पसंख्यकों की खातों की संख्या उनकी आबादी के हिस्से से अधिक है। बकाया राशि के मामले में यह आंकड़ा क्रमशः 32 और चार का होता है। राज्यों के लिए शुष्कता तथ्यों पर नजर डालें तो पता चलता है कि किसी हद तक मुसलमानों की स्थिति खाता की संख्या के संदर्भ में बेहतर है लेकिन जब बकाया राशि की बात आती है तो इनकी स्थिति बहुत ही खराब सामने आती है।


एससीबी के मामले में मुसलमानों की प्रति खाता बकाया राशि मार्च 2001 के 15463 रुपये से बढ़कर मार्च 2005 में 29671 रुपये तक पहुंच गई। अन्य अल्पसंख्यकों के लिए यही आंकड़ा मार्च 2001 में 28781 रुपये और मार्च

2005 में 57844 रुपये था। 44 अल्पसंख्यक बहुल जिलों के संदर्भ में नजर डालें तो निजी क्षेत्र के बैंकों ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की तुलना में मुसलमानों को अधिक ऋण दिए हैं, जैसा कि उनके प्रति खाता बकाया राशि से प्रतीत होता है। निजी क्षेत्र के बैंकों की प्रति खाता बकाया राशि मार्च 2001 के 72747 रुपये से बढ़कर मार्च 2005 में 1,52,526 रुपये तक पहुंच गयी। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए यहीं आंकड़ा समान अवधि के दौरान 14375 रुपये से 27417 रुपये रहा।

हालांकि प्राथमिकता वाले क्षेत्र में प्रति खाता औसत बकाया राशि करीब 57940 रुपये रही, जिनमें से मुसलमानों के लिए यह आंकड़ा 21823 रुपये और अन्य अल्पसंख्यकों के वास्ते केवल 21823 रुपये रहा। यह दीगर है कि अन्य अल्पसंख्यकों की आबादी मुसलमानों की आबादी से दोगुनी होगी। सरकारी बैंकों के लिए सभी समुदायों में प्रति खाता बकाया राशि बहुत ही कम है। हालांकि इसका औसत 54005 रुपये है जबकि मुसलमानों और अन्य अल्पसंख्यकों के लिए यही अनुपात क्रमशः 20343 रुपये और 40203 रुपये है। दूसरे शब्दों में, मुसलमानों को प्राप्त राशि इस क्षेत्र में प्रति खाता औसत बकाया राशि का 37 प्रतिशत है। इसकी तुलना में निजी क्षेत्र के बैंकों ने मुसलमानों के लिए अपेक्षाकृत अधिक राशि मंजूर की है, जो प्राथमिकता क्षेत्र की औसत राशि का 43 प्रतिशत है, जो यह दर्शाता है कि मुसलमान अत्यधिक राशि के लिए निजी क्षेत्र के बैंकों की ओर रुख करते हैं।

मार्च 2005 को समाप्त वर्ष के दौरान सभी जिलों के लिए प्रति खाता औसत बकाया राशि का आकलन करने से यह पता चलता है कि मुसलमानों के लिए प्रति खाता बकाया राशि अन्य अल्पसंख्यकों की आधी तथा 'अन्य' की तुलना में एक तिहाई होती है। केवल बारह जिलों - किशनगंज, दरभंगा और अररिया (सभी

चित्र 6.3 : राज्य द्वारा एसआरसी के लिए एससीबी का प्राथमिकता के आधार पर अग्रिम राशि (31 मार्च 2000 से 31 मार्च 2005 की पांच वर्ष की अवधि के लिए राष्ट्रीय औसत)



मुस्लिम समुदाय बैंकिंग के विरुद्ध नहीं है और विशेष पहल के जरिये और अधिक सुधार किया जा सकता है

5. पहले समूह के लिए सार्वजनिक और निजी बैंकों का घाटा क्रमशः 38.5 और 38.2 प्रतिशत है जबकि आबादी में मुसलमानों की कुल हिस्सेदारी 51 प्रतिशत है।



सारिणी 6.3 :- राज्यों द्वारा सामाजिक धार्मिक समुदायों के लिए एएससीबी की पीएसए 31 मार्च 2001 से 31 मार्च 2005 तक पांच वर्षों का राष्ट्रीय औसत

समूह	मानक	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक			निजी क्षेत्र के क्षेत्र		
		मुस्लिम	अन्य अल्पसंख्यक	अन्य	मुस्लिम	अन्य अल्पसंख्यक	अन्य
समूह ए. : चयनित 44 जिलों के 40 प्रतिशत से अधिक मुस्लिम आबादी वाले जिले	खातों की संख्या (कुल का प्र.श.)	31.6	5.3	63.1	31.8	7.9	60.3
	बकाया राशि (कुल का प्र.श.)	12.9	3.4	83.7	13.2	4.8	81.9
	बकाया राशि प्रति खाता(स्रखाता)	19700	31132	64317	104895	154208	342882
	आबादी में प्रश हिस्सा	51.4	1.2	47.4			
समूह बी. : 44 चयनित जिलों के 26-40 प्रतिशत मुस्लिम आबादी वाले जिले	खातों की संख्या (कुल का प्र.श.)	31.3	10.1	58.5	19.5	20.7	59.8
	बकाया राशि (कुल का प्र.श.)	18.5	8.2	73.3	22.5	22.1	55.4
	बकाया राशि प्रति खाता(स्रखाता)	18653	25524	39493	102314	95076	82238
	आबादी में प्रश हिस्सा	34.2	2.5	63.3			
समूह सी. : 44 चयनित जिलों के 26-40 प्रतिशत मुस्लिम आबादी वाले जिले	खातों की संख्या (कुल का प्र.श.)	13.7	1.5	84.8	4.7	2.4	92.9
	बकाया राशि (कुल का प्र.श.)	6.3	1.8	91.9	2.0	2.4	95.7
	बकाया राशि प्रति खाता(स्रखाता)	14749	38418	35016	169600	396964	416342
	आबादी में प्रश हिस्सा	24.1	0.9	75			
समूह डी. : 44 चयनित जिलों के 22 प्रतिशत से नीचे मुस्लिम आबादी वाले जिले	खातों की संख्या (कुल का प्र.श.)	11.6	3.9	84.4	10.3	3.9	85.8
	बकाया राशि (कुल का प्र.श.)	3.6	3.1	93.3	2.1	1.6	96.2
	बकाया राशि प्रति खाता(स्रखाता)	39834	99995	140904	138519	285315	758755
	आबादी में प्रश हिस्सा	18.1	3.7	78.2			

बिहार में), नाडिया एवं मालदा (प. बंगाल), औरंगाबाद (महाराष्ट्र), बिदर एवं बिजापुर (कर्नाटक), हैदराबाद (आंध्रप्रदेश), और कोझिकोड, मालापुरम एवं वेनाड (केरल) में ही मुसलमानों की प्रति खाता बकाया राशि अन्य अल्पसंख्यकों से अधिक है। इससे एक बार फिर यह संकेत मिलता है कि मुसलमानों को प्राथमिकता क्षेत्र कोदिये जाने वाले उधार का समुचित हिस्सा नहीं मिल पा रहा है।

नाबार्ड का क्षमता निर्माण और सहायता कार्यक्रम में मुसलमानों की स्थिति में लाभ पहुंचाने और उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति सुधारने की क्षमता है

इन जिलों में ऋण लक्ष्य को पूरा करने संबंधी रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के कारण मुसलमानों और अन्य अल्पसंख्यकों की प्रति खाता बकाया राशि की तुलना हमारे उद्देश्यों के लिहाज से प्रासंगिक होगा। अन्य अल्पसंख्यकों को प्रति खाता अधिशेष राशि मुसलमानों की तुलना में दोगुनी है। ज्यादातर जिलों में मुसलमानों और अन्य अल्पसंख्यकों की प्रति खाता बकाया राशि के बीच व्यापक अंतर है।


चित्र- 6.4 में अध्ययन की अवधि के दौरान सर्वाधिक मुस्लिम आबादी वाले छह जिलों में प्रति खाता औसत बकाया राशि को प्रदर्शित किया गया है। केवल पश्चिम बंगाल के मालदा और केरल के मालापुरम में ही मुसलमानों की प्रति खाता बकाया राशि अन्य अल्पसंख्यकों की तुलना में अधिक होती है। अन्य सभी जिलों



में अन्य अल्पसंख्यकों की तुलना में यह आंकड़ा मुसलमानों के लिए कम होता है। उदाहरण के तौर पर उत्तर प्रदेश के रामपुर में करीब 50 प्रतिशत मुस्लिम आबादी है, लेकिन वहां अन्य अल्पसंख्यकों की तुलना में मुसलमानों के लिए यह आंकड़ा केवल आधा ही है।

उपरोक्त आकलन से पता चलता है कि प्रधानमंत्री के 15 सूत्रीय कार्यक्रम के तहत अल्पसंख्यकों को सीधे ऋण देने का प्रयास आमतौर पर सफल रहा है। हालांकि जब बैंक (खासकर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक) अन्य अल्पसंख्यकों को ऋण उपलब्ध कराने में सफल रहा है, लेकिन मुसलमानों के खातों की प्रतिशत हिस्सेदारी, बकाया राशि और प्रति खाता बकाया राशि का आंकड़ा निराशाजनक है। इसे तब देखा जा सकता है जब इन मानकों की तुलना उनकी आबादी या अन्य अल्पसंख्यकों से की जाए।

चित्र- 6.4-- चयनित जिलों में एससीबी द्वारा दिया गया प्रति खाता ऋण (मार्च 2001 से मार्च 2005 तक की अवधि के औसत)




2.3 आर्थिक क्षेत्रों से प्राप्त पीएसए

इस खंड में आर्थिक क्षेत्रों यथा- कृषि, लघु उद्योग और अन्य पीएसए- की ओर से प्राप्त आंकड़ों के विसंयोजन द्वारा मुसलमानों को दिए गए पीएसए ऋण की स्थिति के बारे में एक बार फिर लेखा-जोखा प्रस्तुत किया जा रहा है। परिशिष्ट सारिणी 6.1 में प्रदर्शित बैंकों के विशेष आंकड़े रिजर्व बैंक द्वारा उपलब्ध कराए गये हैं। आंकड़ों की वैधता जांच के बाद 31 बैंकों से संबंधित आंकड़े आकलन के लिए रख लिये गए।

स्मॉल स्केल इंडस्ट्री (एसएसआई) में मुसलमानों की पीएसए एकाउंट में हिस्सेदारी (11.3 प्रतिशत) अधिक है, उसके बाद स्थान आता है अन्य पीएसए (10.1 प्रतिशत) का और कृषि क्षेत्र का, जिसका प्रतिशत है- 8.3 प्रतिशत। बकाया ऋण के संदर्भ में मुसलमानों की हिस्सेदारी अन्य पीएसए की तुलना (5.9 प्रतिशत) में सबसे अधिक है। 5.2 प्रतिशत के साथ कृषि और एसएसआई दूसरे और तीसरे स्थान पर है। आर्थिक क्षेत्रवार और राज्यवार आकलन (चित्र- 6.5) से प्राप्त निष्कर्ष पीएसए के राज्यवार आकलन के समान ही है, जिसकी चर्चा इस अध्याय के आरंभ में ही की जा चुकी है। खातों के संदर्भ में मुसलमानों की हिस्सेदारी पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश और बिहार के सभी तीनों आर्थिक क्षेत्रों में संतोषप्रद है। (देखें चित्र-6.6)। हालांकि अधिशेष राशि के संबंध में उनकी हिस्सेदारी इन राज्यों में उनकी आबादी की तुलना में बहुत कम है। अधिकांशतः अन्य राज्यों में खातों और अधिशेष राशि के संदर्भ में मुसलमानों की हिस्सेदारी आबादी में उसकी प्रतिशतता से बहुत कम है।

चित्र - 6.5 एससीबी पीएसए में मुसलमानों का प्रतिशत हिस्सा (मार्च 2003- 2005 तक तीन वर्ष के लिए औसत)



3. व्यक्तिगत जमा


एससीबी द्वारा दिए गए पीएसए ऋण तक मुस्लिमों की पहुंच के अलावा बैंकों में राशि जमा कराने के प्रति मुसलमानों के आदतों की भी तहकीकात की गयी। समिति ने रिजर्व बैंक की मदद से एससीबी के जरिये 31 मार्च 2003, 2004 और 2005 को समाप्त हुए तीनों वर्षों के लिए जमा राशियों से संबंधित जानकारी संग्रह करने का प्रयास किया। लगभग 56 बैंकों में से दो तिहाई ने अपने रिकार्ड भेजे। जिन बैंकों के आंकड़े बीच से गायब थे उन्हें आकलन में शामिल नहीं किया गया। (देखें- तकनीकी नोट 6.2)।

एक बार फिर जमा खातों में मुसलमानों की हिस्सेदारी उनकी आबादी की तुलना में बहुत कम पाई गयी। (देखें सारिणी 6.7)। अधिसूचित वाणिज्यिक बैंकों के 1800 लाख जमा खातों में मुसलमानों का हिस्सा

6. बिहार के किशनगंज को इसमें शामिल नहीं किया गया है क्योंकि समिति को केवल मार्च 2005 को समाप्त हो रहे वर्ष का आंकड़ा ही था




चित्र- 6.6 चयनित राज्यों में आर्थिक क्षेत्रों के पीएसए ऋण में मुस्लिमों की प्रतिशत हिस्सेदारी (मार्च 2003-2005 के बीच तीन वर्ष की अवधि के दौरान का औसत)



Note: A/C denotes Accounts; AO denotes Amount Outstanding; Agril denotes Agriculture; SSI denotes Small Scale Industries.

महज 7.6 प्रतिशत है। यह जमा राशि में उनकी 7.4 प्रतिशत की हिस्सेदारी से थोड़ा ऊपर है। लेकिन इस आकलन में जो रोचक तथ्य सामने आया, वह यह है कि ऋण से संबंधित मामलों में आंकड़ा कुछ और ही बोलता है।

चित्र- 6.7 एससीबी की जमा राशि में मुसलमानों की सहभागिता




उत्तर प्रदेश और बिहार में जमा राशि में मुसलमानों की भागीदारी खातों के मामले में उनकी हिस्सेदारी से कुछ अधिक है। (देखें चित्र 6.8)। पश्चिम बंगाल में हालांकि, जमा राशि में मुसलमानों का हिस्सा 5.5 प्रतिशत है जो खातों के मामले में उनके हिस्से (12.1 प्रतिशत) से कहीं कम है। लेकिन केरल में इस दोनों के बीच अंतर बहुत मामूली है। शेष 17 राज्यों में से 10 में मुसलमानों की जमा राशि में हिस्सेदारी उनके खातों की प्रतिशतता से अधिक है। यह एक संतोषजनक स्थिति है, जिसे परिशिष्ट सारिणी 6.8 में प्रति खाता जमा राशि से संबंधित आकलन में और अधिक स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया गया है।

उत्तर प्रदेश और बिहार में मुसलमानों की प्रति खाता जमा राशि राज्य के औसत से अधिक है, जबकि केरल में इसमें मामूली अंतर है। पश्चिम बंगाल से संबंधित आंकड़े यह बताते हैं कि वहां मुसलमानों की प्रति खाता जमा राशि राज्य के औसत के आधे से थोड़ा कम है। शेष 17 में से 10 राज्यों में मुसलमानों के लिए प्रति खाता जमा राशि राज्य के औसत से अधिक है। यहां तक कि राष्ट्रीय स्तर पर मुसलमानों की प्रति खाता जमा राशि 28829 रुपये है, जो 29369 रुपये के राष्ट्रीय औसत से मामूली रूप से कम है। यह पीएसए से संबंधित स्थिति के बिलकुल उलट है, जहां पाया गया है कि मुसलमानों के लिए प्रति खाता बकाया राशि अन्य अल्पसंख्यकों की तुलना में करीब आधी और

“अन्य” की तुलना में लगभग एक तिहाई होगी।

चित्र- 6.8 जमा राशि में मुसलमानों की हिस्सेदारी



इससे पता चलता है कि मुस्लिम समुदाय बैंकिंग के खिलाफ नहीं हैं। हालांकि विशेष उपायों के माध्यम से इस दिशा में और भी सुधार लाया जा सकता है। उन सुधारों की चर्चा अंतिम हिस्से में स्पष्ट रूप से की गयी है।

4. अन्य विशिष्ट बैंकिंग संस्थान

समिति ने ऋण देने वाले विशिष्ट संस्थान - भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) और राष्ट्रीय कृषि एवं



ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) से ऋण प्रवाह के संदर्भ में भी जानकारियां हासिल की। इन दो संस्थानों की महत्ता इनके परिचालन की प्रकृति में समाहित है जो क्रमशः इस प्रकार हैं- लघु उद्योग क्षेत्र को ऋण उपलब्ध कराना और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करना। यह चिंताजनक है कि ऐसे विशिष्ट संस्थानों की ओर से भी दिए जाने वाले ऋण में मुसलमानों का हिस्सा नगण्य है।

4.1 स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया (सिडबी)

सिडबी लघु और मध्य उपक्रमों को चार तरह से सहयोग पहुंचाता है: प्राथमिक ऋण संस्थानों(पीएलआई) को परोक्ष ऋण सहायता उपलब्ध कराकर, इनकी शाखाओं के माध्यम से सीधे ऋण मुहैया कराकर, विकास कार्यों को बढ़ावा देकर और सिडबी फाउंडेशन फॉर माइक्रो क्रेडिट के जरिये। सिडबी ने सीधे तौर पर ऋण उपलब्ध कराना हाल ही में शुरू किया है और मुसलमानों को दिये गये ऐसे ऋणों से संबंधित आंकड़े केवल 2004-05 और 2005-06 के लिए ही उपलब्ध हैं। सिडबी पीएलआई के जरिये परोक्ष रूप से ऋण उपलब्ध कराता है। परिशिष्ट सारिणी- 6.9 में वर्ष 2000-01 से 2005-06 तक (छह वर्ष) सिडबी द्वारा मुसलमानों को उपलब्ध कराए गए ऋणों से संबंधित आंकड़े दिये गए हैं। इस अवधि के दौरान परोक्ष और प्रत्यक्ष रूप से मुसलमानों को प्रदत्त ऋणों की कुल राशि महज 180 करोड़ रुपये थी, जबकि कुल जारी राशि 31806 करोड़ रुपये थी। इसी अवधि में चुकौती राशि 26593 करोड़ रुपये की तुलना में 124 करोड़ रुपये थी। मुसलमानों को प्रत्यक्ष रूप से भी जारी राशि मामूली थी।

चित्र- 6.9 से यह पता चलता है कि खातों की संख्या में मुसलमानों की हिस्सेदारी और इस अवधि के दौरान सिडबी की ओर से जारी राशि की प्रतिशतता के बारे में उल्लेख किया गया है। ऋणों की संख्या, जारी राशि और प्रदत्त राशि में मुस्लिमों की हिस्सेदारी प्रतिशतता बहुत ही कम है।



चित्र '6.10' से यह पता चलता है कि मुसलमानों को प्रति खातेआवंटित और प्राप्त राशि बहुत ही कम है। मुसलमान दोहरी मार से गुजर रहे हैं- पहला- उनका हिस्सा आवंटित राशि में बहुत ही छोटा है और दूसरा- प्रति खाता उनका आवंटन और वितरण राशि कुल अनुपात की तुलना में एक तिहाई है।

सिडबी द्वारा प्रदत्त ऋण में मुसलमान भाइयों की हिस्सेदारी बहुत ही कम है और इस संदर्भ में राज्यवार आकलन से बहुत अधिक पता नहीं चलता है। (देखें परिशिष्ट सारिणी- 6.9) ज्यादातर राज्यों में तीनों मानकों के आधार पर मुसलमानों की प्रतिशतता बहुत कम है। चित्र- 6.11 से राज्यों में मुसलमानों की प्रतिशतता का उल्लेख किया गया है। सिडबी की ओर से अप्रैल 2000 से मार्च 2006 तक आवंटित 180 करोड़ रुपये में से केरल, जम्मू एवं कश्मीर, कर्नाटक और दिल्ली को 146 करोड़ रुपये प्राप्त हुए। अर्थात् मुसलमानों को कुल राशि का 81 प्रतिशत प्राप्त हुआ।


4.2 नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट (नाबार्ड)

नाबार्ड की योजना के दायरे में छोटे और हाशिए पर के ऋण लेनेवाले तथा कमजोर समुदाय के लोग तथा कृषि और गैर-कृषि दोनों क्षेत्र के लोग आते हैं। इसने कृषि तथा गैर-कृषि क्षेत्रों के लिए आवश्यक कदम उठाए हैं, जिसका उद्देश्य आय का स्तर बढ़ाकर ग्रामीण लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाना तथा रोजगार के अवसर पैदा करना और बढ़ाना है। मुस्लिम सहित कमजोर और वंचित समुदायों को ध्यान में रखकर अनेक कदम उठाए गए हैं। नाबार्ड की मौजूदा प्रबंधन सूचना योजना (एमआईएस) में अल्पसंख्यकों के संदर्भ में समुदायवार ऋण संबंधी डाटा उपलब्ध नहीं हैं। इसलिए नाबार्ड नेराज्य स्तरीय बैंकर्स कमेटी (एसएलबीसी) के पास उपलब्ध जानकारी पर आधारित ऋण संबंधी आंकड़े हासिल किए हैं। मुसलमानों को ऋण प्रवाह दिये जाने के बारे में उपलब्ध आंकड़े उत्पादन एवं निवेश ऋण में मुसलमानों की भागीदारी प्राप्त करने के लिए इस्तेमाल में लाए जाएंगे। आंकड़े बताते हैं कि वर्ष 2004-05 और 2005-06 के दौरान औसतन प्रतिवर्ष मुस्लिम समुदाय

चित्र 6.9 सिडबी द्वारा अप्रैल 2000 से मार्च 2006 तक जारी ऋणों में मुसलमानों की भागीदारी



चित्र- 6.11 अप्रैल 2000- मार्च 2006 तक सिडबी द्वारा मुसलमानों को जारी राशि





अपर्याप्त लक्ष्य एवं भौगोलिक योजनाओं का परिणाम ग्रामीण इलाकों में मुसलमानों की आर्थिक समस्याओं के समाधान में असफलता के रूप में सामने आया है

कुछ बैंकों ने मुस्लिम की तमाम समस्याओं को निगेटिव ज्योग्रैफिकल एरिया में रखा गया है, जहां बैंक का ऋण और अन्य सुविधाएं आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाती हैं

को उत्पादन ऋण का 3.2 प्रतिशत और निवेश ऋण का 3.9 प्रतिशत दिया गया जो कुल मिलाकर 291 करोड़ रुपये हुआ। राज्यवार आंकड़े (देखें परिशिष्ट सारिणी- 6.11) दिखाते हैं कि पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और तमिलनाडु को छोड़कर अन्य राज्यों में रिफाइनंस में मुस्लिम भाइयों की हिस्सेदारी सीमित है। मुसलमानों ने असम और जम्मू कश्मीर में निवेश ऋण रिफाइनंसिंग में अच्छी हिस्सेदारी पाई है।

क्षमता निर्माण एवं सहायता कार्यक्रमों के जरिये ग्रामीण अर्थव्यवस्था में मजबूती लाने की दिशा में नाबार्ड की सफलता सभी जानते हैं। चूंकि योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर एवं वंचित समुदायों को लाभ पहुंचाना है, इसलिए इसमें मुसलमानों को लाभान्वित करने तथा उनकी सामाजिक-धार्मिक स्थिति में सुधार लाने की व्यापक क्षमता है।

नाबार्ड के स्वयं-सहायता समूह (एसएचजी)- बैंक से संबंधित कार्यक्रम दुनिया का सबसे बड़ा कार्यक्रम है और इसमें ग्रामीण मुसलमानों की आर्थिक स्थिति सुधारने की अपार क्षमताएं हैं। हालांकि, 31 मार्च 2005 तक नाबार्ड द्वारा पोषित 16.18 लाख स्वयं सहायता समूहों में से 1.44 लाख एसएचजी अल्पसंख्यक बहुल 44 जिलों में पाए गए हैं। हालांकि जिला ग्रामीण औद्योगिकीकरण परियोजना (डिप) और रूरल इंडस्ट्रीयल क्लस्टर स्कीम (आरआइसी) में ग्रामीण समुदायों को स्व-रोजगार और दक्षता विकास के अवसर प्रदान कर उन्नति के पथ पर अग्रसर करने की व्यापक क्षमता है। अल्पसंख्यक बहुल 44 जिलों में से क्रमशः 14 और 7 जिलों में डिप और आरआइसी योजनाएं शुरू की गयी हैं। इसी तरह एक अल्पसंख्यक बहुल जिला में वाटरशेड परियोजना शुरू की गयी है। नाबार्ड योजनाओं में ग्रामीण मुस्लिम आबादी की आर्थिक दशा सुधारने की भरपूर क्षमता होने के बावजूद अपर्याप्त लक्ष्य और बेतरीब भौगोलिक योजनाएं ग्रामीण क्षेत्रों के मुसलमानों की आर्थिक समस्याएं को सुलझाने में असफल रही हैं।


5. सारांश

इस अध्याय में यह दिखाया गया है कि मुसलमानों की पीएसए सहित बैंक ऋण तक पहुंच निम्न एवं अपर्याप्त है। सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र के बैंकों में अन्य सामाजिक-धार्मिक समुदायों तुलना में ऋण का औसत आकार भी बहुत छोटा है। सिडबी और नाबार्ड जैसे विशिष्ट संस्थानों की भी ऋण वगैरह की स्थितियां समान हैं। 2001 की जनगणना के अनुसार वैसे गांवों में बैंकिंग सुविधाओं का लाभ उठाने वाले परिवारों की प्रतिशतता बहुत कम है जहां मुसलमानों की आबादी अधिक है। ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाओं की

अनुपलब्धता को भी इसका मुख्य कारण माना जा सकता है। मुसलमानों को वित्तीय असुविधा से उनके सामाजिक आर्थिक और शैक्षणिक उत्थान पर दूरगामी प्रभाव पड़ते हैं। जैसा कि पांचवें अध्याय में कहा गया है, स्वरोजगार मुसलमानों के लिए आय का प्रमुख स्रोत है। मुसलमानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए यह आवश्यक है कि स्वरोजगार में जुटे व्यक्तियों को ऋण की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित कर प्रोत्साहित किया जाए।

समिति को यह मालूम हुआ कि कुछ बैंक स्वनिर्धारित मानदंडों पर कुछेक क्षेत्रों को निगेटिव क्षेत्र में शामिल करते हैं, जहां बैंक ऋण और अन्य सुविधाएं आसानी से उपलब्ध नहीं कराए जा सकते हैं। ऐसी प्रक्रिया को अमरीका में रेड लाइनिंग कहते हैं जबकि भारत में कुछ बैंक इसे निगेटिव जोन कहते हैं।

चित्र 6.12 50 प्रतिशत से अधिक मुस्लिम आबादी वाले गांव, जहां बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध हैं। (वर्ष- 2001)



7. 2004-05 के दौरान सिडबी द्वारा जारी राशि 9091 करोड़ रुपये था। उसी वर्ष ऋण और अनुदान के रूप में नाबार्ड द्वारा दिया गया कुल वित्तीय सहयोग 27102 करोड़ रुपये था।

8. कुल मुस्लिम खातों में प्रत्यक्ष खातों का प्रतिशत केवल 0.45 प्र., जारी राशि केवल 15.5 प्र.श. और वितरित राशि भी इतनी ही है।



मुसलमानों को सीधे तौर पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए। प्रचार एवं उद्यमिता विकास कार्यक्रमों के माध्यम से और बैंकिंग सेवाओं के संदर्भ में उपलब्ध जानकारी को उजागर करने में पारदर्शिता से विभिन्न ऋण योजनाओं के प्रति जागरूकता पैदा करनी चाहिए। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के गरीबी वाले इलाकों में रहने वाले समुदायों को मदद करने का एक महत्वपूर्ण तरीका है- माइक्रो क्रेडिट प्रदान करना, खासकर महिलाओं को। सिडबी और नाबार्ड की माइक्रो-क्रेडिट योजनाओं में मुसलमानों की भागीदारी बढ़ाने संबंधी एक नीति अख्तियार की जानी चाहिए। इससे मुसलमान भाई आर्थिक रूप से कम खतरनाक क्षेत्रों की ओर मुखातिब हो सकें और आय का सुरक्षित प्रवाह संभव हो सके। आर्थिक सशक्तीकरण और वित्तीय सुरक्षा के बीच महत्वपूर्ण संबंध हैं। इस प्रकार मुस्लिम समुदाय की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए विशेष कदम उठाए जाने की जरूरत है।

मुसलमानों को सीधे ऋण उपलब्ध कराने, विभिन्न ऋण योजनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करने और सूचनाओं के आदान-प्रदान करने में पारदर्शिता संबंधी कदम उठाये जाने चाहिए।

9. मौसमी कृषि कार्यों के लिए लघु अवधि की पुनःवित्तीय सुविधा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। 10. कृषि और गैर-कृषि सेक्टर और ग्रामीण हाउसिंग के क्षेत्र में पुनर्वित्तीय योजना



भारत में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति



सामाजिक और भौतिक संरचना का इस्तेमाल

1. अल्पसंख्यक और विकास


किसी राज्य, क्षेत्र या निवास स्थान (चाहे वह ग्रामीण क्षेत्र में हो या शहरी क्षेत्र में) में जीवन के स्तर की पहचान का एक निर्धारित तरीका है कि उस स्थान के निवासियों के लिए उपलब्ध सामाजिक और भौतिक बुनियादी संरचनाओं की मौजूदगी और उनके इस्तेमाल की जानकारी हासिल की जाए। सिद्धांततः ऐसी सुविधाएं सामाजिक और धार्मिक पहचानों से इतर सभी नागरिकों के उपयोग के लिए होती हैं। इसके बावजूद सभी सामाजिक धार्मिक वर्गों में इन सुविधाओं की मौजूदगी, पहुंच और इस्तेमाल में अंतर का आकलन किया जा सकता है।

यहां अनुभवजन्य साक्ष्यों के आधार पर यह निर्धारित करने का प्रयास किया गया है कि क्या भारत में मुसलमानों को सामाजिक और भौतिक बुनियादी संरचनाओं तक पर्याप्त पैठ है या नहीं। (सामाजिक सुरक्षा के तहत प्राथमिक एवं बुनियादी शिक्षा, विद्यालय, स्वास्थ्य जांच केंद्र आदि आते हैं, जबकि भौतिक बुनियादी संरचनाओं के तहत बिजली, नलों से पानी की आपूर्ति, सड़क और बस सेवाएं तथा डाक एवं संचार सेवाएं आती हैं।) मुसलमानों को यदि इन सुविधाएं का लाभ नहीं मिलता या ऐसी सुविधाएं ही उपलब्ध नहीं होती हैं तो विकास की क्षमता बाधित होती है। उदाहरण के तौर पर, सरकारी स्कूलों, खासकर बालिका विद्यालयों की कमी के कारण गरीब परिवार के मुस्लिम बच्चों को बीच में ही पढ़ाई छोड़नी पड़ती है। स्वास्थ्य सुविधाओं, सुरक्षित पेयजल और स्वच्छता सेवाओं की कमी के कारण तमाम तरह की विकृतियां पैदा होती हैं, उत्पादकता घटती है और जीवन अवधि कम होता है। इसी तरह परिवहन व्यवस्था, संचार के माध्यमों और गण सुविधाओं के अभाव में शिल्पकारों, मूर्तिकारों और कलाकारों को उत्पादन से संबंधित सामग्रियों को आयात करने तथा उत्पादों के विपणन में परेशानी का सामना करना पड़ता है। इन सभी कारणों से भी मुस्लिम परिवारों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति बुरी तरह प्रभावित हो सकती है। इस अध्याय में इस बारे में अध्ययन किया गया है कि क्या मुसलमान किसी अन्य एसआरसी की तुलना में अधिक गैर-लाभान्वित रहे हैं

‘बुनियादी संरचनाओं तक पहुंच’ का निर्धारण करने में सामाजिक और भौतिक बुनियादी संरचना के तीन व्यापक आयामों - मौजूदगी, पहुंच और उपयोगिता को ध्यान में रखा गया है। सुविधाओं तक पहुंच रिहाइश के स्थान पर भी निर्भर करता है। नीचे दिये गये आंकड़े (विवरण- 7.1) में इन आयामों का उल्लेख किया

1. सामाजिक बुनियादी संरचना में प्राथमिक और प्रारंभिक विद्यालयों, स्वास्थ्य औषधालय आदि का उल्लेख किया गया है, जबकि भौतिक बुनियादी संरचना में बिजली, नल का पानी, सड़क और बस सेवा, डाक एवं एवं संचार आदि को शामिल किया गया है

*सभी सामाजिक धार्मिक
समुदायों के बीच
‘सामाजिक और भौतिक’
सुविधाओं की उपलब्धता,
पहुंच और उसके इस्तेमाल
के बीच विचारनीय अंतर
है*



गया है, हालांकि अनुभवजन्य साक्ष्य केवल सामाजिक और भौतिक बुनियादी संरचनाओं की मौजूदगी को दर्शाता है। सुविधाओं तक पैठ की कमी के दो कारण हो सकते हैं- सामाजिक और/अथवा भौतिक आधारभूत संरचनाओं की गैर-मौजूदगी या सुविधाएं उपलब्ध होने के बावजूद एसआरसी द्वारा उनका दोहन न कर पाना। समिति ने नीचे इस समस्या के दोनों आयामों पर प्रकाश डालने की कोशिश की है।

विवरण 7.1 :- सामाजिक और भौतिक आधारभूत संरचनाओं तक पैठ के विभिन्न आयाम

रिहाइश का स्थान	मौजूदगी	पहुंच	इस्तेमाल
शहरी	उच्च व्यापकता निम्न आपूर्ति बाधाएं सेवा की गुणवत्ता	स्थान संबंधी कारक बाधा स्थानीयकरण न हो पैठ में बाधा पैठ पर आने वाली लागत	सुविधाजनक पैठ के विकल्प व्यक्तिगत इच्छा स्थानीयकरण के अवसर निवेश पर वापसी
ग्रामीण	निम्न व्यापकता सदैव एक दूरी पर निम्न गुणवत्ता और विकल्प का अभाव	दूर तक फैले संस्थान दूरी के कारण असमानता/ स्थानीयकरण की संभावना एक्सेस आसान नहीं	लागत- लाभ लागत में कमी सांस्कृतिक संघर्ष

आंकड़ों से संबंधित दो सर्वाधिक विश्वसनीय स्रोत - जनगणना और एनएसएसओ- भारतीय संदर्भ में विवरण - 7.1 में चिह्नित आयामों की व्याख्या करने और समझने-समझाने के लिए मानक आंकड़ा आधार तैयार नहीं करते हैं। इस तरह इस दिशा में जांच करना कठिन होता है, साथ ही राष्ट्रीय स्तर के आंकड़े से स्थानीय मुद्दों का समझना उचित नहीं होता है। संपूर्णता में स्थानीय तस्वीरें धुंधली होती हैं। दूसरी ओर संपूर्णता में व्याख्या नहीं करना करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि सैम्पल साइज इतना छोटा हो सकता है कि वह सामान्य अनुमान के काबिल नहीं हो। नीति के तहत आंकड़ा संग्रह करने वाली एजेंसियां सर्वेक्षण स्थल को हमेशा गोपनीय रखती हैं, जिससे विशिष्ट क्षेत्रों की पहचान कर पाना कठिन होता है।

**सामाजिक और भौतिक
बुनियादी संरचना तक
पहुंच के आकलन में
2001 की जनगणना और
एनएसएसओ के 61वें
राउंड के सर्वेक्षण का
इस्तेमाल किया गया है**

सामाजिक और भौतिक आधारभूत संरचनाओं तक पहुंच की व्याख्या करने में मुद्दों की जटिलताओं को ध्यान में रखकर जनगणना विभाग और एनएसएसओ के 61वें राउंड सर्वेक्षण के आंकड़े हासिल करने के प्रयास किये गये। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों और देश के चुनिंदा राज्यों में इन संरचनाओं तक पहुंच में अंतर को उजागर करना है।

भारत के जनगणना विभाग से उपलब्ध कराए गए आंकड़ों से शहरी इलाकों के लिए ऐसी ही व्याख्या कर पाना संभव नहीं है। एनएसएसओ के आंकड़े से छोटे रिहाइशी स्थानों जैसे- वार्डों और मोहल्लोंकी पहचान में पारिभाषिक समस्याएं हैं क्योंकि शहरी इलाकों की आवासीय स्थितियां जटिल होती हैं। यह एक तथ्य है कि व्यावहारिक तौर पर शहरी इलाकों में सभी सामाजिक एवं भौतिक आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध होती हैं, लेकिन शहरोंया नगरों के क्षेत्रफल के आधार पर इसकी व्यापकता में अंतर हो सकता है। बुनियादी स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र, पीने योग्य पानी और बिजली की उपलब्धता जैसी सामाजिक सुविधाओं की अनुपलब्धता एवं स्वच्छता की कमी शहरी इलाकों में रहनेवाले गरीबों की पुरानी समस्याएं हैं। फिलहाल शहरी इलाकों में बुनियादी सुविधाओं तक पहुंच में असमानताओं से उत्तर मामलों के आकलन के लिए कोई भरोसेमंद आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

इस अध्याय का शेष भाग चार खंडों में बंटा हुआ है। खंड-दो में अधिक या कम मुसलमानों की आबादी वाले गांवों में आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धता की व्याख्या की गयी है। तीसरे खंड में विभिन्न एसआरसी



के परिवारों के जीवन स्तर से संबंधित आंकड़े की व्याख्या की गयी है। समिति के निर्देश पर लोगों के जीवन स्तर के गुणात्मक अध्ययन के परिणामों को खंड चार में वर्णित किया गया है। अंतिम खंड में मुख्य तथ्यों का संक्षेप समावेश किया गया है।

2. ग्रामीण जन-सुविधाएं

शिक्षा, संचार और परिवहन सेवाओं की आम आदमी तक पहुंच व्यक्ति और परिवारों के कल्याण के महत्वपूर्ण कारक होते हैं। हालांकि, बहुत से इलाकों में इन सुविधाओं का अभाव होता है। कम आबादी वाले गांव बड़ी समस्या खड़ी करते हैं क्योंकि आर्थिक रूप से यह संभव नहीं है कि उनमें से सभी में बुनियादी संरचनाएं उपलब्ध कराई जा सकें। यह संभव है कि किसी निश्चित एसआरसी की बहुलता वाले गांव अन्य गांवों की तुलना में बुनियादी सुविधाओं के मामले में कम सफल हों। ऐसा संभव है कि कुछ निश्चित सामाजिक धार्मिक वर्गों के लोगों की बहुलता वाले गांव दूसरे गांवों की तुलना में कुछ जन-सुविधाएं पाने में कम सफल रहे हों। यह देखने के क्रम में कि क्या मुसलमान इस मोर्चे पर भी असफल रहे हैं, किसी गांव की मुस्लिम आबादी को ध्यान में रखने पर आधारित ग्रामीण जनसुविधाओं से संबंधित आंकड़ों की जांच किये जाने की आवश्यकता है।

भारतीय जनगणना विभाग प्रत्येक गांव में उपलब्ध विभिन्न जन-सुविधाओं से संबंधित सूचनाएं उपलब्ध कराता है। लेकिन ग्रामीण स्तर पर धर्म के आधार पर आबादी के वितरण का आंकड़ा उपलब्ध नहीं है, जिससे यह पता लगा पाना मुश्किल है कि क्या मुसलमानों की बहुलता वाले गांवों में अन्य गांवों के समान जन-सुविधाएं उपलब्ध हैं समिति के आग्रह का सम्मान करते हुए, भारतीय जनगणना विभाग ने मुसलमानों की आबादी (कुल आबादी की प्रतिशतता में) और विशेष जन-सुविधाओं की उपलब्धता के अनुसार क्रॉस-टेबलेशन की विशेष व्यवस्था की। इससे यह पता लगाने में सुविधा मिली कि क्या किसी गांव में जन सुविधा की उपलब्धता वहां की मुस्लिम आबादी जुड़ा हुआ है। जीवन यापन और अर्थव्यवस्था संबंधी कारणों से छोटे गांवों की तुलना में बड़े गांवों में अधिक सुविधाएं उपलब्ध होने की अधिक संभावना होती है। इसलिए, ऐसे तुलनात्मक अध्ययन केवल छोटी आबादी वाले गांवों में किये गए थे। तीन आबादी वर्गों के गांवों के लिए सूची-पत्र बनाने का काम अलग-अलग किया गया- 1000 की आबादी से कम के छोटे गांव, 1000 से 1999 की आबादी वाले मध्यम आकार वाले गांव और 2000 से अधिक आबादी वाले बड़े गांव।

व्याख्यात्मक सहूलियतों के लिए गांवों को कुल आबादी में मुसलमानों की संख्या के आधार पर फिर तीन श्रेणियों में बांटा गया - पहला- गांव की जनसंख्या के 10 प्रतिशत से कम मुसलमान, दूसरा- 10 प्रतिशत से अधिक और 40 प्रतिशत से कम की आबादी और तीसरा- 40 प्रतिशत से अधिक मुसलमानों की आबादी। इन सूची पत्रों के लिए पांच सुविधाओं का चयन किया गया, जिनमें शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सीय सुविधाएं, डाक एवं तार सुविधाएं, गांव तक पहुंचने के लिए पक्की सड़क और बस स्टॉप शामिल हैं। शैक्षणिक संस्थानों का आमतौर पर मतलब प्राथमिक/प्रारंभिक शिक्षण केंद्र से है, जबकि चिकित्सीय सुविधा का मतलब स्वास्थ्य उप-केंद्र, डिस्पेंसरी या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जैसी उच्चस्तरीय सुविधा से।

2.1 राष्ट्रीय स्तर के अन्वेषण

चित्र 7.1 में विशेष सुविधाओं वाले गांवों की प्रतिशत दर्शायी गयी है। विशेष सुविधा वाले गांवों को आबादी में मुसलमानों की हिस्सेदारी पर आधारित तीनों श्रेणियों में से प्रत्येक के लिए दिखलाया गया है। नीले डंडे सभी गांवों से संबंधित आंकड़े प्रदर्शित करते हैं। लाल, हरी और नीली रेखाएं क्रमशः छोटे, मझोले और बड़े आकार वाले गांवों की संकेतक हैं।






जिस गांव की आबादी में मुसलमानों की हिस्सेदारी कम है वहां शैक्षणिक सुविधाओं वाले गांवों की संख्या 88 प्रतिशत है, जबकि अधिक मुस्लिम आबादी की प्रतिशतता वाले गांवों में यह अनुपात 85 प्रतिशत है। बड़े गांवों में यह अंतर कम होता है क्योंकि 2000 से अधिक की आबादी वाले गांवों में व्यावहारिक तौर पर एक शिक्षण संस्थान अवश्य होता है। लेकिन जैसे ही गांवों का आकार छोटा होता जाता है और मुसलमानों की हिस्सेदारी बढ़ती जाती है, तो प्राथमिक और प्रारंभिक शिक्षण केंद्रों की संख्या घटती जाती है। इस प्रकार,

भारतीय जनगणना विभाग ने मुस्लिमों की आबादी की हिस्सेदारी (कुल ग्रामीण आबादी की प्रतिशतता के अनुकूल मुसलमानों की आबादी) और विशेष जन-सुविधाओं की मौजूदगी का विशेष आकलन किया



चित्र समूह:- 7.1

भारत के विभिन्न आकार वाले गांवों में मुसलमानों की आबादी की प्रतिशतता के अनुरूप उपलब्ध जन-सुविधाएं



■ सभी गांव ● < 1000 आबादी ▲ 1000-2000 आबादी × > 2000 आबादी



छोटी आबादी वाले गांवों में मुस्लिम आबादी और शैक्षणिक बुनियादी संरचना की उपलब्धता के बीच स्पष्टतया उल्टा संबंध होता है। हालांकि 10 प्रतिशत से कम मुस्लिम आबादी वाले करीब 82 प्रतिशत छोटे गांवों में शैक्षणिक संस्थान मौजूद होते हैं। लेकिन अधिक मुस्लिम आबादी के साथ ही यह आंकड़ा घटकर 69 प्रतिशत तक आ जाता है।

चिकित्सा सुविधा की पूरी तस्वीर बहुत साफ नहीं है। दस से 39 प्रतिशत तक की मुस्लिम आबादी वाले गांवों में चिकित्सीय सुविधा की स्थिति निम्न या उच्च मुस्लिम आबादी वाले गांवों की तुलना में बेहतर होती है। हालांकि, यदि गांवों के आकारों के आधार पर एक स्पष्ट चित्र सामने आता है। इसमें मुसलमानों की आबादी के अनुपात में बढ़ोतरी होने के साथ (खासकर अधिक आबादी वाले गांवों में) चिकित्सीय सुविधाओं की उपलब्धता घटती है। डाक/तार कार्यालयों के मामले में भी ऐसी ही स्थिति सामने आती है। यहां भी यही बात सामने आती है कि 10 से 39 प्रतिशत मुस्लिम आबादी वाले गांवों में डाक/तार संबंधी सुविधाएं बेहतर हैं, हालांकि अलग-अलग आकलन से संकेत मिलते हैं कि मुसलमानों की आबादी बढ़ने के साथ ही ऐसी सुविधाओं की उपलब्धता में कमी आती है।

मुस्लिम बहुल गांवों तक पहुंचने के लिए पक्की सड़क संबंधी सुविधाएं बेहतर नहीं हैं। गांवों का आकार बढ़ने के साथ ही इसमें और कमी आती है। सभी मौसम में इस्तेमाल लायक सड़कें और गांव तक सरकारी बसों की आवाजाही का वहां के लोगों की आर्थिक गतिविधियों पर बहुत अचछा असर होता है। चूंकि मुसलमानों के पास जोत-भूमि की भी कमी है और उनमें कारीगरों की संख्या अधिक है, इसलिए ऐसे लोगों, दैनिक मजदूरी करने वालों और छोटे व्यापारियों के लिए सड़क और बस की बेहतर सेवाएं उनके लिए आर्थिक अवसर प्रदान करने वाले होंगे। आंकड़े बताते हैं कि वे इस मोर्चे पर भी लाभान्वित नहीं हैं।

सभी राज्यों के ग्रामीण इलाकों में विभिन्न जन-सुविधाओं की उपलब्धता में व्यापक अंतर को देखते हुए यह आवश्यक है कि इन समस्याओं की अलग-अलग व्याख्या का प्रयास किया जाए। इसलिए भारत के जनगणना विभाग से प्रत्येक राज्य के लिए अलग-अलग सारिणियां हासिल की गईं। इसके परिणाम परिशिष्ट चित्रों (7.1 से 7.4) और परिशिष्ट सारिणियों (7.1 से 7.5 तक) में दिये गए हैं। सुविधा के लिए गांवों को दो समूहों- 40 प्रतिशत से कम और 40 प्रतिशत से अधिक मुस्लिम आबादी वाले- में बांटा गया है।

2.2 राज्य स्तरीय विभेद

विभिन्न प्रकार की सुविधाओं से संबंधित राज्यस्तरीय जांच के मुख्य अंशों पर नीचे विचार किया जा रहा है:-


(ए) **शैक्षणिक सुविधाएं:-** पश्चिम बंगाल और बिहार के मुस्लिम आबादी वाले 1000 से अधिक गांवों में कोई शैक्षणिक संस्थान नहीं है, उत्तर प्रदेश में यह आंकड़ा 1943 है। छोटे गांवों में स्थिति बदतर है। सभी तीन आकारों वाले गांवों में शैक्षणिक सुविधाओं के मामले में मुस्लिमों की आबादी की प्रतिशतता कम है। ऐसा खासकर उन छोटे गांवों के मामले में है जहां अंतर बहुत अधिक है। यह दिखाएगा कि मुस्लिम बहुल गांवों, खासकर छोटे गांवों, में शैक्षणिक संस्थानों की कमी है। (चित्र-7.2)

(बी) **चिकित्सीय सुविधाएं:-** चिकित्सीय सुविधाओं के मामले में भी स्थिति खराब है। बिना चिकित्सीय सुविधाओं वाले 16 प्रतिशत से अधिक गांव मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में मौजूद हैं। असम और जम्मू-कश्मीर में करीब-करीब 2000 मुस्लिम बहुल क्षेत्र, पश्चिम बंगाल और बिहार में 3000 से अधिक गांव तथा उत्तर प्रदेश में 5000 से अधिक गांव बिना किसी चिकित्सीय सुविधाओं के हैं। ज्यादातर राज्यों में चिकित्सीय सुविधाओं वाले मुस्लिम बहुल गांवों की प्रतिशतता ऐसी सुविधाओं से संपन्न सभी गांवों की प्रतिशतता से कम है, जो मुसलमानों की बहुलता वाले इलाकों में सरकारी सेवाओं के मामले में भेदभावपूर्ण रवैये का संकेतक है।


(सी) **डाक एवं तार सुविधाएं:-** पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, असम, जम्मू एवं कश्मीर तथा झारखंड जैसे राज्यों के बड़ी संख्या में मुस्लिम बहुल इलाकों में डाक एवं तार सुविधाओं का अभाव है। (देखें परिशिष्ट चित्र 7.2)

छोटे गांवों में शैक्षणिक बुनियादी संरचनाओं की उपलब्धता और मुस्लिम आबादी के बीच स्पष्टतया विपरीत संबंध है

मुस्लिम बहुल गांवों में पक्की सड़कें और स्थानीय बस-स्टॉपें बेहतर स्थिति में उपलब्ध नहीं हैं



चित्र 7.2- 2001 के आंकड़े के अनुसार गांवों में शैक्षणिक संस्थानों की उपलब्धता



(डी) पक्की सड़कें एवं बस स्टॉप :- पक्की सड़क वाले मुस्लिम बहुल गांवों की संख्या सभी गांवों के लिए उपलब्ध इस सुविधा की तुलना में कम है। पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और झारखंड (छोटे गांवों), पश्चिम बंगाल, बिहार और झारखंड (मझोले गांवों) और उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड (बड़े गांवों)

सारिणी 7.1 बिना बुनियादी सुविधाओं वाले गांवों की कुल संख्या (ऑल इंडिया 2001)

सुविधाएं	छोटे (1000 से कम आबादी)			मझोले (1000से 2000 तक की आबादी)			बड़ (2000 से अधिक की आबादी)		
	मुस्लिम आबादी का हिस्सा								
	< 9%	10-39%	40% +	< 9%	10-39%	40% +	< 9%	10-39%	40% +
संपूर्ण भारत									
शिक्षा	44542	4676	4240	3667	1186	1078	906	423	382
मेडिकल	193640	13051	11193	56813	9435	7130	18181	6191	4680
डाक	168088	11670	11013	43838	7959	7111	11194	4398	4448
बस स्टॉप	172048	12410	10547	53199	10336	7898	22519	8859	6717
सड़क मार्ग	133063	8496	7910	34124	5749	4970	10627	3644	3502
संबद्ध श्रेणियों में गांवों की संख्या	242549	16525	13840	103175	15648	11149	68537	18895	11763
आबादी का प्र.श. (सभी)	87.7	6.8	5.5	23.2	2.6	74.2	26.7	3.3	70.0
मुस्लिम आबादी का प्र.श	8.8	23.3	67.9	13.8	7.4	78.9	14.9	8.2	76.8



जैसे राज्य के मुस्लिम आबादी वाले गांवों में बस स्टॉपों की उपलब्धता चिंता का मुख्य कारण है। (देखें- परिशिष्ट चित्र 7.3 और 7.4)

कुल मिलाकर, सभी गांवों में बुनियादी सुविधाओं के निर्माण के प्रगति अपर्याप्त है। यह बुनियादी सुविधाओं वाले गांवों की कम संख्या से ज्ञात हो सकता है। चिकित्सीय सुविधाओं के मामले में स्थिति खासतौर पर चिंताजनक है। इस बात के कोई मजबूत संकेत नहीं हैं कि मुस्लिम आबादी वाले गांवों में बुनियादी सुविधाओं की कमी है। हालांकि, व्यापक मुस्लिम आबादी वाले राज्यों जैसे- उत्तर प्रदेश, बिहार, असम और झारखंड में बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराने को लेकर स्थिति चिंताजनक है। बुनियादी सुविधाओं की कमी वाले राज्यों में मुसलमानों की दशा के आकलन से पता चलता है कि इस समुदाय का एक बड़ा हिस्सा बुनियादी सेवाओं से वंचित है। टेबल- 7.1 से मुस्लिम आबादी वाले विभिन्न आकारों वाले गांवों की वास्तविक संख्या और विशेष भौतिक तथा सामाजिक सुविधाएं की कमी का पता चलता है।

3. जीवन-स्तर

हालांकि 2001 की जनगणना में गृह-सूची में आवासीय स्थितियों की विस्तृत जानकारी प्रदान की गयी है, लेकिन इसमें धर्म संबंधी आंकड़े नहीं दिए गए हैं। दूसरी ओर, परिवारों की सूची जिनमें धर्म का उल्लेख किया गया उनमें आवासीय स्थितियों के आंकड़े नहीं दिये गए हैं। इसलिए तकनीकी तौर पर दोनों सूची-पत्रों को मिलाना संभव नहीं है और इसलिए जनगणना संबंधी जानकारी को धर्म के आधार पर आवासीय स्थितियों की सूची-पत्र बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। वर्ष 1998-99 के दौरान सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेश दिल्ली के 92486 सैम्पलों पर राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस-दो) आवासीय और स्वास्थ्य संबंधी स्थितियों तथा घरेलू ईंधन पर आंकड़े उपलब्ध कराता है।

3.1 आवास एवं स्वच्छता


यहां मुख्य ध्यान आवासीय स्थितियों जैसे- आवास के प्रकार, सफाई, कूकिंग ईंधन और बिजली के साधन पर है। चित्र 7.3 में आवास और सफाई की तुलनात्मक तस्वीरें पेश की गयी हैं। संपूर्ण भारत की तस्वीरों के अलावा ग्रामीण और शहरी इलाकों के लिए अलग-अलग तुलनात्मक आंकड़े भी पेश किये गए हैं। ऐसा इसलिए कि ग्रामीण और शहरी इलाकों में जीवन के स्तर में व्यापक बदलाव देखा जाता है।

भवन निर्माण में इस्तेमाल वाले होने वाली सामग्रियों के आधार पर मकानों को तीन भागों में बांटा जाता है- पक्का, आधा पक्का और कचचा। शहरी और ग्रामीण इलाकों में पक्का मकानों में रहने वाले मुस्लिम परिवारों की संख्या कुल जनसंख्या की तुलना में कम है। मुसलमानों की स्थिति ओबीसी और एससी/एसटी की तुलना में बेहतर है, हालांकि पक्का घरों में रहने वाले मुसलमानों का अनुपात दोनों क्षेत्रों के सामान्य हिन्दुओं से कम है।

शौचालयों की मौजूदगी सफाई की महत्वपूर्ण जरूरतें है। भारत में आधे से अधिक मुस्लिम परिवारों में शौचालय का अभाव है। यह अनुपात ग्रामीण इलाकों में बहुत अधिक है। यहां तक कि शहरी क्षेत्रों में सात में से एक मुस्लिम परिवार शौचालय का अभाव है। हालांकि, मुसलमानों की स्थिति एससी/एसटी और ओबीसी की तुलना में बेहतर है। पांच में से केवल एक मुस्लिम परिवार के पास अपने तरह का फ्लश शौचालय मौजूद है। यह अनुपात भारतीय आबादी की तुलना में बेहतर है। शहरी क्षेत्रों में फ्लश ट्वायलेट रखने वाले मुस्लिम परिवारों की संख्या शहरी आबादी की तुलना में बहुत कम है। वैसे मुस्लिम परिवारों की संख्या अधिक है जिनके पास सार्वजनिक/सामूहिक फ्लश ट्वायलेट या खुद का पिट ट्वायलेट की सुविधा उपलब्ध है। कुल मिलाकर मुसलमानों को शौचालय सुविधाओं तक पहुंच कम है, लेकिन एससी/एसटी और ओबीसी से इनकी स्थिति

बुनियादी सुविधाओं के अभाव वाले राज्यों में मुस्लिमों पर ध्यान केंद्रित करना यह दर्शाता है कि इस समुदाय का बड़ा हिस्सा मूलभूत सेवाओं की पहुंच से बाहर है


चित्र 7.3 : पक्के मकानों वाले परिवार एवं शौचालयों की सुविधा से वंचित परिवार एवं मकान



2. पक्का मकान वैसे हैं जो ईंट, सीमेंट, टाइल्स आदि जैसी उच्च गुणवत्ता सामग्रियों से बने हों। कच्चे मकान वैसे मकान हैं जो खर-पतवार, मिट्टी जैसी निम्न गुणवत्ता वस्तुओं से बने हों और अर्द्ध पक्का वैसे मकान हैं जिनमें कुछ उच्च और कुछ निम्न गुणवत्ता वाली सामग्रियों का इस्तेमाल किया गया हो।




चित्र 7.4 ग्रामीण विद्युतीकरण के स्तर पर एसआरसी की हिस्सेदारी



बेहतर है। ऐसा मुसलमानों में पर्देदारी (खासकर महिलाओं में) के कारण हो सकता है।

चित्र 7.5 रोशनी के लिए बिजली का इस्तेमाल नहीं




3.2 परिवार विद्युतीकरण एवं नल के पानी की उपलब्धता

विद्युतीकरण

एनएसएसओ के 55वें और 61वें राउंड के आंकड़े परिवार स्तर पर विद्युतीकरण की स्थिति के संबंध में आंकड़े उपलब्ध कराये गये हैं। एनएसएसओ ने सीधे गांव/ रिहायशी क्षेत्र विशेष के आंकड़े संग्रहित नहीं किये हैं जो परिवारों के सर्वेक्षण के साथ जुड़े हो सकते हैं। ग्रामीण स्तर के औसत हासिल करने के लिए एक नयी विधि का इस्तेमाल किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य गांवों में बिजली उपलब्ध कराना है। आंकड़े से इस बात की जानकारी मिलती है कि परिवार में प्रकाश के किस स्रोत का इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसी जानकारियों को विद्युत के स्तर के अनुसार गांव का

चित्र 7.6 नल के पानी की उपलब्धता



चित्रण करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। विद्युतीकरण का स्तर एक गांव के वैसे परिवारों की संख्या से प्राप्त हो जाता है जिनके यहां विद्युतीकरण हो चुका है। सभी गांवों को एक रैंक प्रदान किया जाता है। रैंकिंग में एक नंबर पर वैसे गांव आते हैं, जिनका विद्युतीकरण नहीं हो जबकि छठे स्तर पर वैसे गांवों को रखा गया है जिनके यहां 90 प्रतिशत या अधिक परिवारों के घर बिजली उपलब्ध है। इसका उद्देश्य सीआरसी के अनुपात के अनुसार गांव में बिजली की उपलब्धता का अंतर पता करना है। इससे बिजली की उपलब्धता को लेकर एसआरसी के वितरण की सही तस्वीर मिलती है। यह स्पष्ट है कि ज्यादातर मुसलमान और एससी/एसटी अधिकतर वैसे गांवों में रहते हैं जहां बिजली की सुविधा का स्तर बहुत ही कम है। गांवों में बिजली की सुविधा का



स्तर जैसे-जैसे बढ़ता जाता है, वैसे-वैसे मुस्लिमों की संख्या का अनुपात कमता जाता है। दूसरी ओर सामान्य हिन्दू परिवारों के मामले में यह उल्टा है। जिन गांवों में सामान्य हिन्दुओं की प्रतिशतता बढ़ती जाती है वहां बिजलीकरण की सुविधा भी ज्यादा होती है। ओबीसी की हिस्सेदारी का गांवों के विद्युतीकरण के स्तर से स्पष्ट संबंध नहीं दिखाता है। 61वें राउंड के इन आंकड़ों की तुलना करने से सामाजिक धार्मिक श्रेणियों में भारी अंतर की पुष्टि होती है। (देखें- चित्र- 7.4)

जनगणना डाटा से भी यह पता चलता है कि संपूर्ण भारत के औसत की तुलना में रोशनी के लिए बिजली के इस्तेमाल संबंधी आंकड़े मुसलमानों में कम पाए गए हैं। (देखें चित्र- 7.5) मुस्लिम की बहुलता वाले गांवों में यह अंतर बहुत अधिक है। जैसे-जैसे गांवों के आकार छोटे होते जाते हैं बिजली उपलब्धता की प्रतिशतता घटती चली जाती है और मुसलमानों की आबादी की प्रतिशतता बढ़ती जाती है।

पाइप द्वारा पेयजल आपूर्ति

एनएसएसओ के 60वें राउंड में रिहाइश के स्थान के आधार पर नल के पानी का इस्तेमाल करने वाले परिवारों का आंकड़ा उपलब्ध कराया गया है। जैसी की अपेक्षा है, नल के पानी के मामले में शहरी क्षेत्र अब्बल है। ऐसे क्षेत्रों में सभी सामाजिक धार्मिक श्रेणियों से 60-70 प्रतिशत परिवार जलापूर्ति के इस स्रोत का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ग्रामीण इलाकों में स्थिति भिन्न है। यहां केवल एक चौथाई परिवारों को नल का पानी उपलब्ध होता है। (देखें- चित्र 7.6)। लेकिन अन्य सभी वर्गों की तुलना में मुसलमानों को नल के पानी की उपलब्धता बहुत ही कम है। नेशनल कार्डिसल ऑफ एप्लायड इकोनॉमिक रिसर्च (एनसीईआर) की मानव विकास रिपोर्ट (एनसीईआर 1999) में भी एक दशक पहले इसी तरह की स्थिति का जिक्र किया गया था। रिपोर्ट में कहा गया है कि नल के पानी की उपलब्धता में सुधार के लिए तो कुछ भी नहीं हुआ है और विभिन्न श्रेणियों के बीच सापेक्षिक अंतर को भी कम करने की कोशिश नहीं की गयी। जनगणना डाटा में भी यही आंकड़े मौजूद हैं।

3.3 घरेलू उद्देश्य के लिए इस्तेमाल ईंधन

स्वास्थ्य की दृष्टि से खाने बनाने के लिए साफ ईंधन बहुत ही आवश्यक है। यह उन महिलाओं के लिए गंभीर प्रश्न है जिनपर खाने बनाने की जिम्मेदारी होती है।


राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस) आंकड़ों में 1998-99 के लिए ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में आधुनिक ईंधनों के इस्तेमाल के तौर-तरीकों का उल्लेख किया गया है। ग्रामीण इलाकों में केवल 6 प्रतिशत और शहरी क्षेत्रों में 48 प्रतिशत परिवारों को ही साफ ईंधन प्राप्त हो रहा है। इस बाबत मुस्लिम परिवारों की स्थिति खराब है। खासकर शहरी क्षेत्रों में असमानता बहुत अधिक है। (देखें चित्र- 7.7)

वर्ष 2001 की जनगणना से संबंधित डाटा की जांच से यह खुलासा हुआ है कि ग्रामीण परिवारों में करीब 60 प्रतिशत परिवार रसोई गैस, बिजली या किरोसिन जैसे आधुनिक ईंधनों का इस्तेमाल नहीं करते हैं। (देखें चित्र 7.8)। रसोई बनाने के लिए इन गैसों का इस्तेमाल नहीं करने वाले परिवारों की प्रतिशतता में तब और बढ़ोतरी हो जाती है जहां मुसलमान परिवारों की प्रतिशतता बढ़ जाती है। ऐसा गांवों का आकार बढ़ा होने पर भी होता है।


शहरी ओर ग्रामीण इलाकों में पक्का मकानों में रहने वाले मुस्लिम परिवारों का अनुपात कुल आबादी की तुलना में कम है


कुल मिलाकर, मुसलमानों को शौचालय की सुविधाएं निम्न तो है, लेकिन एससी/एसटी और अन्य पिछड़ा वर्ग की तुलना में बेहतर है

चित्र 7.7 : विभिन्न एसआरसी द्वारा धन के मुख्य स्रोत के रूप में बिजली, एलपीजी, बायो-गैस और केरोसीन का इस्तेमाल करने वाले परिवार



चित्र-7.8 वैसे परिवार जो खाना बनाने के लिए रसोई गैस, बायो-गैस और केरोसीन का इस्तेमाल नहीं करते





मुस्लिम बहुलता वाले क्षेत्रों की तुलना में कम मुस्लिम आबादी वाले क्षेत्रों में बेहतर सड़कें, नाले और पेयजल सुविधाएं हैं

जीवन स्तर के मामले में मिली-जुली स्थिति है। भवन निर्माण के मामले में मुस्लिम आबादी औसत हैं जबकि शौचालय के संदर्भ में उसके आंकड़े थोड़े बेहतर हैं। जल की उपलब्धता, विद्युतीकरण और रसोई ईंधन के मामले में मुसलमानों की स्थिति खराब है। हालांकि मुसलमानों ने अन्य श्रेणियों की तुलना में निजता अर्थात् प्राइवैसी को बहुत अधिक प्राथमिकता प्रदान की है और इसीलिए मुस्लिम परिवारों में शौचालयों की उपलब्धता अपेक्षाकृत बेहतर है। आमतौर पर मुस्लिम परिवार सामान्य हिन्दुओं या अन्य अल्पसंख्यकों की तुलना में सभी सुविधाओं से कम लैस होते हैं जबकि ओबीसी-हिन्दुओं और एससी/एसटी की तुलना में उनकी स्थिति थोड़ी बेहतर जरूर है।

4. गुणपरक अध्ययन एवं आकलन

समिति ने दूसरे स्रोतों से पूरक आंकड़े प्राप्त करने के लिए कुछ चयनित शहरी और ग्रामीण इलाकों में अध्ययन शुरू कराए गए। इसका उद्देश्य था- निम्नलिखित प्रश्नों का हल ढूंढना :-

- स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र, बैंक, सड़क, बिजली और पेयजल जैसे बुनियादी संरचना की उपलब्धता को लेकर अन्य इलाकों की तुलना में मुस्लिम बहुल क्षेत्र की स्थिति क्या है ?
- क्या गैर-मुस्लिम बहुलता वाले इलाकों में रह रहे मुसलमानों को ये सुविधाएं समान रूप से उपलब्ध हैं ?
- क्या शहरों और गांवों में संबंधित तौर-तरीके एक समान हैं या इनमें अवधारणात्मक अंतर हैं ? इसी तरह क्या ये तौर-तरीके विभिन्न राज्यों में अलग-अलग होते हैं ?

सर्वेक्षण तीन दक्षिण भारतीय राज्यों-कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु तथा उत्तर भारत में लखनऊ के आसपास के इलाकों में कराए गए। दक्षिणी राज्यों में दो शहरी इलाकों से सैम्पल लिए गए - पहला मुस्लिम बहुलता वाले क्षेत्र और दूसरा- जहां मुसलमान कम संख्या में हैं। इसी प्रकार दो ग्रामीण इलाकों में भी सर्वेक्षण किया गया।

इन सर्वेक्षणों के परिणाम से पता चलता है कि तीनों भारतीय राज्यों के मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाएं एवं आधारभूत संरचनाओं में मामूली अंतर है। कुछ निश्चित इलाकों में मुस्लिम बहुलता वाली आबादी को स्कूल या स्वास्थ्य केंद्र की सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं तो कुछ अन्य स्थानों पर भी मुस्लिम अल्पसंख्यकों को इन सुविधाओं की अनुपलब्धता का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। अध्ययन किये गये सभी इलाकों में निम्न आय वाले समूह रहते हैं और सरकार की उदासीनता से ये क्षेत्र पिछड़े हुए थे।

हालांकि लखनऊ और इसके आसपास के मुस्लिम बहुल इलाकों में किये गये सर्वेक्षण में अवधारणात्मक अंतर पाया गया। मुस्लिम बहुलता वाले इलाकों की तुलना में कम मुस्लिम आबादी वाले इलाकों में सड़कें, नाला और जलापूर्ति व्यवस्था अच्छी थी। समान आर्थिक पृष्ठभूमि वाले मुसलमानों की अधिक आबादी वाले क्षेत्रों में स्कूल और स्वास्थ्य केंद्र की सुविधाएं भी मौजूद नहीं थीं। उदाहरण के तौर पर लखनऊ के हिन्दू बहुल स्लम इलाके में बेहतर सड़कें, नाले, सफाई, जलापूर्ति और गंदगी निस्तारण की सुविधाएं थीं लेकिन मुस्लिम बहुलता वाले ऐसे इलाके में ये सुविधाएं उपलब्ध नहीं थीं।

5. सारांश


विभिन्न राज्यों और इलाकों में स्थित अधिक मुस्लिम आबादी वाले गांवों में भौतिक एवं सामाजिक बुनियादी संरचना खराब है। इसके परिणामस्वरूप अन्य सामाजिक धार्मिक श्रेणियों की तुलना में मुस्लिम परिवारों को बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। इन राज्यों में ग्रामीण सामाजिक बुनियादी संरचना में सुधार से ही मुसलमानों को शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन और संचार जैसी बुनियादी सुविधाएं बेहतर तरीके से मिल पाएंगी। उदाहरण के तौर पर झारखंड में अन्य गांवों की तुलना में मुस्लिम आबादी वाले गांव अनेक मायनों में खराब स्थिति से गुजर रहे हैं, इस असंतुलन को दूर करने की जरूरत है। इसके अलावा, कर्नाटक में मझोले आकार वाले गांवों में चिकित्सा सुविधाओं, तमिलनाडु के गांवों में शिक्षा संबन्धी सुविधाएं और जम्मू कश्मीर के गांवों में संचार नेटवर्क में असमानता देखी गयी।



मुसलमानों की आवासीय स्थिति संपूर्ण औसत के समतुल्य है। वे हिन्दू-सामान्य की तुलना में खराब स्थिति में हैं तो हिन्दू-ओबीसी की तुलना में बेहतर हैं। मुस्लिम परिवारों में शौचालय और जलापूर्ति सुविधाएं बेहतर हैं लेकिन आधुनिक ईंधन एवं रोशनी के मामले में उनकी स्थिति खराब है। मुसलमानों का ओवरऑल जीवन स्तर हिन्दू-ओबीसी के जैसा, जबकि एससी/एसटी से बेहतर और अन्य की तुलना में अधिक खराब है। निर्माकित तथ्यों पर जोर दिये जाने की जरूरत है।

- उच्च मुस्लिम आबादी वाले एक तिहाई छोटे गांवों में कोई शैक्षणिक संस्थान नहीं हैं।
- व्यापक मुस्लिम आबादी वाले बड़े आकार के गांवों में चिकित्सीय सुविधाओं का अभाव है। ऐसे 40 प्रतिशत गांवों में कोई भी चिकित्सीय सुविधा नहीं है।
- मुस्लिम घटिया बुनियादी सुविधाओं वाले इलाकों में रहते हैं। इससे उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं, परिवहन आदि बुनियादी सुविधाओंसे वंचित रहना पड़ता है।
- जहां तक जीवनस्तर का संबंध है, मुसलमान घरों की संरचना के मामले में एससी/एसटी तथा ओबीसी के समकक्ष हैं जबकि शौचालय सुविधाओं के मामले में वे थोड़े बेहतर हैं। नल के पानी की उपलब्धता, बिजली और आधुनिक ईंधन के मामलों में भी मुसलमान फिसड्डी हैं। इन सभी मानदंडों के लिए उनकी स्थिति हिन्दू-सामान्य की तुलना में ज्यादा खराब है।

इन समस्याओं से निजात पाने के लिए नीतिगत पहल की आवश्यकता है।




भारत में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति



गरीबी, उपभोग और जीवन-स्तर

1. परिचय

यह अध्याय भारत में उपभोग के स्तरों में असमानता और सामाजिक-धार्मिक श्रेणियों (एसआरसी) में गरीबी की घटनाओं की व्याख्या करता है। हालांकि गरीबी उन्मूलन भारत सरकार के प्रमुख उद्देश्यों में से एक रहा है, लेकिन गरीबी का दंश आज भी जारी है। आजादी के समय देशवासियों की आय और व्यय का स्तर बहुत ही खराब था। आजादी के दो दशक बाद भी सत्तर के दशक के शुष्क वर्षों में गरीब रेखा से नीचे (बीपीएल) रहने वाले लोगों का अनुपात या हेडकाउंट अनुपात (एचसीआर) देश स्तर पर 55 प्रतिशत के करीब था और शहरी इलाकों में यह अनुपात थोड़ा कम था। अस्सी के दशक में गरीबी में कमी आई और आने वाले वर्षों में इसमें कमी आना जारी रहा तथा हालिया अनुमानों के मुताबिक 365 दिनों की रिकॉल अवधि के आधार पर पूरे देश में गरीबी का अनुपात 22.7 प्रतिशत तथा 30 दिनों की रिकॉल अवधि पर (2004-05) यह अनुपात 28.5 प्रतिशत है। भारत में गरीबों की जो संख्या अनुमानित थी, उससे इतर जब 30 दिन की रिकॉल अवधि का इस्तेमाल किया गया तो गरीबों की अनुमानित संख्या में काफी बढ़ोतरी हुई और यह 32 करोड़ के आसपास थी। यदि 365 दिनों की रिकॉल अवधि का इस्तेमाल किया गया तो गरीबों की संख्या में तेजी से गिरावट आई और 2004-05 में यह 25 करोड़ 10 लाख रह गई। रिकॉल अवधि में अंतर से केवल 2004-05 में ही गरीबों की संख्या में करीब छह करोड़ 40 लाख का फर्क पड़ गया। इस सदी में भी गरीबी का यह व्यापक दायरा सरकार के लिए सदैव चुनौती रहा है। जबतक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) दर आठ प्रतिशत पर बरकरार नहीं रहती और देश की जनता के बीच असमानता की खाई कम नहीं होती तबतक सहस्राब्दी विकास लक्ष्य के तहत 2015 तक एचसीआर में आधी कटौती का लक्ष्य पूरा नहीं हो सकता।





जबतक आठ प्रतिशत के हालिया सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में निरंतरता नहीं आएगी और मुद्रास्फीति की दर 3 प्रतिशत पर टिके नहीं रहेंगे तब तक सहस्राब्दी विकास लक्ष्य-2015 के तहत गरीबी उन्मूलन का लक्ष्य पाना कठिन नजर आता है।

इस अध्याय को चार खंडों में बांटा गया है। दूसरे खंड में प्रति व्यक्ति औसत व्यय में अंतर का विश्लेषण किया गया है तो तीसरे खंड में गरीबी-एचसीआर के अनुपात के बारे में चर्चा की गयी है। जुलाई 2004 और जून 2005 के बीच की अवधि के ताजे 61वें एनएसएसओ डाटा का इस्तेमाल कर व्यय और गरीबी के अंतर का विश्लेषण एक-दूसरे समुदाय के तुलनात्मक अध्ययन के साथ किया गया है। खंड एक और दो में प्रयुक्त अनुमानित आंकड़े 365 दिनों में व्यक्ति के मासिक उपभोक्ता खर्च के आंकड़ों पर आधारित हैं। ये आंकड़े भारत सरकार के योजना आयोग की ओर से उपलब्ध कराये गये हैं। खंड-चार में 1987-88 से 2004-05 तक की अवधि के दौरान गरीबी की स्थिति में आए परिवर्तन की व्याख्या की गयी है। इन लौकिक परिवर्तनों की चर्चा यूनिफॉर्म रिफरेंस पीरियड (यूआरपी) के आधार पर अनुमानित आंकड़ों की तुलना कर की गयी है, जिसमें सर्वेक्षण के दिन से तीस दिनों के व्यय आंकड़ों का इस्तेमाल किया गया है। गरीबी आंकने की परिभाषा और उसकी प्रक्रिया को वर्षों तक एकसमान बनाए रखने के लिए एनएसएसओ के 43 वें राउंड (जुलाई 1987 से जून 1988 तक) और 50 वें राउंड (जुलाई 1993 से जून 1994 तक) के आंकड़े इस्तेमाल किये गये हैं। तकनीकी कारणों से तुलनात्मक व्याख्या के लिए जुलाई 1999 से जून 2000 की संदर्भ अवधि वाले 55वें राउंड के आंकड़ों का इस्तेमाल नहीं किया गया है।

शुरू में ही यह उल्लेख करना आवश्यक लगता है कि हमने गरीबी का आकलन चुनाव आयोग द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत किया है। शुरू के वर्षों (1987-88 और 1993-94) के लिए हमारा आकलन चुनाव आयोग के आकलन से मेल खाता है। वर्ष 2004-05 के लिए गरीबी आकलन को अस्थायी रूप से देखा जाना चाहिए। हमारा मानना है कि हालांकि 'स्तरों' की जांच किये जाने की आवश्यकता है और इसमें बदलाव किये जा सकते हैं, लेकिन और अधिक मजबूत आकलन उपलब्ध होने के बावजूद सामाजिक-धार्मिक श्रेणियों के बीच के अंतर समान रहेंगे।

2. उपभोक्ता खर्च के स्तरों में अंतर

अच्छी स्थिति के निश्चित संकेतकों में से एक है- परिवारों का उपभोक्ता व्यय। इस खंड में सामाजिक धार्मिक श्रेणियों के बीच उपभोक्ता व्यय का तुलनात्मक अध्ययन किया गया है। साथ ही इस खंड में प्रत्येक सामाजिक धार्मिक श्रेणी के भीतर इन खर्चों में असमानता की जानकारी भी दी गयी है।

2.1 प्रति व्यक्ति खर्च का माध्य (एमपीसीई)

आर्थिक लहजों में कह सकते हैं कि ऐतिहासिक रूप से वंचित समूहों का उपभोक्ता व्यय स्तर सहित जीवन स्तर निम्न रहा है। रिहाइश के स्थान के आधार पर सामाजिक धार्मिक श्रेणियों के बीच के अंतर के बारे में नीचे चर्चा की गयी है।

वर्ष 2004-05 में भारत में प्रति व्यक्ति खर्च के माध्यों का औसत 712 रुपये रहा, जिसमें 1023 रुपये के खर्च के साथ सामान्य श्रेणी के हिन्दू अव्वल रहे जबकि अन्य पिछड़े वर्ग के हिन्दू 646 रुपये के खर्च के साथ दूसरे स्थान पर रहे। मुसलमानों के खर्च का स्तर 635 रुपये और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोग 520 रुपये के खर्च के साथ निचले पायदान पर रहे। (देखें चित्र 8.2)

शहरी इलाकों में सामाजिक धार्मिक श्रेणियों में प्रति व्यक्ति खर्च के माध्यों के औसत में ज्यादा अंतर है। शहरी क्षेत्रों में सामान्य हिन्दुओं का एमपीसीई 1469 रुपये रहा जबकि अनुसूचित जातियों और जनजातियों तथा मुसलमानों का एमपीसीई 800 रुपये। शहरी इलाकों में मुसलमानों का उपभोक्ता व्यय अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के स्तर के लगभग बराबर है। हालांकि ग्रामीण इलाकों में उनका उपभोक्ता व्यय औसत करीब 579 रुपये है और सामाजिक-धार्मिक श्रेणियों में व्यय अंतर भी देश भर के आंकड़े के तुल्य

1. खंड-दो और तीन की व्याख्या के लिए परिशिष्ट सारिणी 8.1 में दी गई रेखा संख्या -1 का इस्तेमाल किया गया है जबकि खंड-चार के लिए गरीबी रेखा दो का इस्तेमाल किया गया है। इससे एसआरसी के बीच तुलना कराने के मुख्य उद्देश्यों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 2. इन सर्वेक्षणों के लिए परिवारों का संग्रह दो चरणों के आधार किया गया। इसलिए भार या गुणक आंकड़ों के आंतरिक हिस्से हैं। तीनों राउंडों के सर्वेक्षण में देश के दुर्गम इलाकों को छोड़कर और सभी हिस्सों को ध्यान में रखा गया। इस पेपर में चार राउंडों के रोजगार और बेरोजगार सर्वेक्षण आंकड़ों के साथ उपभोक्ता व्यय डाटा का भी इस्तेमाल किया गया है।



ही है, लेकिन शहरी क्षेत्रों में इसमें अंतर है। सामान्य हिन्दुओं का एमपीसीई अन्य सभी वर्गों की तुलना में अधिक है। इस प्रकार, उपभोक्ता व्यय के मामले में शहरी क्षेत्रों के मुसलमान ग्रामीण इलाकों के मुसलमानों की तुलना में बहुत बेहतर स्थिति में हैं।


यहां यह जानना महत्वपूर्ण है कि क्या शहरों और नगरों के आकार के अनुरूप उपभोक्ता व्यय में फर्क पड़ता है (चित्र 8.3)। यह स्पष्ट है कि सभी सामाजिक धार्मिक वर्गों में उपभोक्ता व्यय का औसत शहरों के आकार से पूरी तरह प्रभावित है, इस परिप्रेक्ष्य में हम यूं कहें कि मुसलमानों की स्थिति 50 हजार की आबादी और 50 हजार से दो लाख तक की आबादी वाले शहरों में बहुत ही खराब है। दरअसल, भारत के छोटे शहरों में मुसलमानों का एमपीसीई अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की तुलना में मामूली रूप से कम है। शहरी और ग्रामीण इलाकों में औसत व्यय के वर्गीकरण के अनुसार आबादी वितरण के आंकड़े चित्र 8.4 और 8.5 में प्रदर्शित किये गए हैं। शहरी क्षेत्रों में मुसलमानों की आबादी का सबसे बड़ा हिस्सा 400 से 500 रुपये की व्यय श्रेणी में आता है जबकि आधे मुसलमान 300 से 600 रुपये की श्रेणी में आते हैं। अनुसूचित जातियों और जनजातियों की स्थिति मुसलमानों की तुलना में बेहतर है।

उनके बाद अन्य पिछड़े वर्गों का स्थान है। चित्र 8.4 और 8.5 में दर्शाये गये आबादी के वितरण संबंधी आंकड़े से भी अन्य सामाजिक धार्मिक श्रेणियों की अपेक्षा सामान्य हिन्दू श्रेणी में उपभोक्ता व्यय के और अधिक समान वितरण की आवश्यकता जताई है। शहरी इलाकों में रहने वाले 20 फीसदी से कम मुसलमानों की व्यय क्षमता 1050 रुपये के राष्ट्रीय औसत के समतुल्य या उससे अधिक है। हालांकि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़ा वर्ग की स्थिति कुछ हद तक बेहतर है, लेकिन सामान्य हिन्दुओं की स्थिति बहुत ही अच्छी है क्योंकि उनमें से 50 प्रतिशत से अधिक की व्यय क्षमता राष्ट्रीय औसत से अधिक है। ग्रामीण इलाकों में मुसलमानों की स्थिति अन्य पिछड़ा वर्ग के समान ही है जबकि 50 फीसदी से अधिक सामान्य हिन्दुओं का एमपीसीई राष्ट्रीय औसत से अधिक है।


चित्र 8.4 और 8.5 के साथ-साथ इनसेट में दर्शाये गये रेखाचित्र प्रत्येक एसआरसी में विभिन्न व्यय श्रेणियों के लिए परिवारों के वितरण को दर्शाते हैं। शहरी क्षेत्रों में सामान्य हिन्दुओं और 'अन्य सभी' की तुलना में ज्यादातर मुस्लिम (और एससी/एसटी) परिवार 500 रुपये से भी कम की व्यय श्रेणी में आते हैं। हालांकि मुसलमानों, एससी/एसटी और अन्य पिछड़े वर्गों में मध्यम आय वाले परिवारों (500-1000 रुपयेके बीच) का समानुपात अधिक है, लेकिन उमें उच्च आय वाले परिवारों (1000 रुपये सेअपर) की हिस्सेदारी बहुत कम है।

चित्र 8.6 में ग्रामीण इलाकों में अधिक खर्च वाले श्रेणियों के आधार पर परिवारों का वितरण दर्शाया गया है, जिससे यह पता चलता है कि इन क्षेत्रों में असमानता मौजूद है। मुसलमानों, एससी/एसटी और ओबीसी परिवारों का एक बड़ा हिस्सा 500 रुपये की व्यय श्रेणी में आता है जबकि इस श्रेणी में सामान्य हिन्दुओं और 'अन्य सभी' का अनुपात काफी कम है। हालांकि सभी सामाजिक-धार्मिक श्रेणियों के परिवारों का

चित्र- 8.2 वर्ष 2004-05 में रिहाइश के स्थान और एसआरसी के अनुसार लोगों का एमपीसीई




चित्र. 8.3 शहरी आकार श्रेणी और एसआरसी के तहत एमपीसीई (वर्ष 1993-94)



3. चूंकि 61वें राउंड में नगर/शहर के आकार का वर्गीकरण आंकड़ा नहीं उपलब्ध कराया गया था, इसलिए समिति को अस्थायी आंकड़ा उपलब्ध कराया गया। नगर/शहर के आकार के वर्गीकरण का आकलन 55वें राउंड के आंकड़ों से किया गया, जो वर्ष 1999-00 के लिए प्रासंगिक हैं।



चित्र 8.4: व्यय श्रेणियों के आधार पर प्रत्येक एसआरसी में व्यय का वितरण, 2004-05 -शहरी



बड़ा हिस्सा 500 रुपये और 1000 रुपये के व्यय दायरे में आता है, लेकिन अन्य एसआरसी की तुलना में मुसलमानों, ओबीसी और एससी/एसटी में ऐसे परिवारों की हिस्सेदारी बहुत ही कम है। ग्रामीण इलाकों में मुसलमानों के व्यय का स्तर नीचा होने का प्रमुख कारण है उनके पास जमीनों की कमी। (बॉक्स 8.1)

शहरी क्षेत्रों में मुस्लिम परिवारों का व्यापक अनुपात 500 रुपये से कम व्यय वाले दायरे में है।

2.2 एमपीसीई में राज्य स्तर पर अंतर

विभिन्न राज्यों में सभी एसआरसी के एमपीसीई के स्तर में अंतर शहरी और ग्रामीण इलाकों के राष्ट्रीय स्तर के समान ही हैं (देखें सारिणी 8.2 और 8.3)। सभी राज्यों के शहरी क्षेत्रों में, जहां मुसलमानों की आबादी अधिक है, मुसलमानों का एमपीसीई एससी/एसटी को छोड़कर अन्य एसआरसी की तुलना में बहुत ही कम है। दरअसल, पश्चिम बंगाल, बिहार, आंध्र प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश में एससी/एसटी की तुलना में मुसलमानों का स्तर बहुत ही निम्न है। असम को छोड़कर सभी राज्यों में मुसलमानों का व्यय स्तर संबद्ध राज्य के औसत व्यय स्तर से नीचा रहा। चित्र 8.6 के जरिये कुछ गिने-चुने राज्यों के शहरी क्षेत्रों में एमपीसीई का आकलन प्रस्तुत किया गया है।


भले ही ग्रामीण इलाकों में एमपीसीई का स्तर शहरी इलाकों की तुलना में निम्न हो, लेकिन ग्रामीण इलाकों में मुसलमानों की स्थिति शहरी क्षेत्रों से बेहतर है।

2.3 विभिन्न सामाजिक-धार्मिक श्रेणियों के बीच व्यय में अंतर

असमानता की माप के लिए सामान्यतया 'गिनि (शून्य) गुणांक' का इस्तेमाल किया जाता है। प्रत्येक एसआरसी के लिए गुणांक का आकलन चित्र 8.7 में प्रदर्शित किया गया है। इस पद्धति से एक समूह के बीच की असमानता को दर्शाया जाता है। कुल मिलाकर ग्रामीण इलाकों की तुलना में शहरी इलाकों में असमानता बहुत अधिक है। यद्यपि मुसलमानों, एससी/एसटी और हिन्दू-ओबीसी का व्यय स्तर सामान्य



चित्र 8.5 - व्यय श्रेणियों के आधार पर प्रत्येक एसआरसीका आबादी वितरण (2004-05)- ग्रामीण




हिन्दुओं और अन्य अल्पसंख्यों की तुलना में कम है, लेकिन इन एसआरसी के बीच खपत का अंतर भी कम है। दूसरी ओर, सामान्य हिन्दू और अन्य अल्पसंख्यक अपेक्षाकृत धनी हैं, लेकिन इनमें बहुत अधिक असमानता है, खासकर शहरी क्षेत्रों में।


गिनि गुणांक के राज्यवार आकलन से यह पता चलता है कि लगभग सभी राज्यों में यह गुणांक 0.30 के आसपास है। यह महाराष्ट्र, केरल और तमिलनाडु जैसे राज्यों में थोड़ा अधिक है जबकि केरल और हरियाणा में गुणांक सर्वाधिक है। असम, बिहार और झारखंड में यह असमानता सबसे कम है। पूरे देश भर के आकलन के अनुसार, ज्यादातर राज्यों में ग्रामीण इलाकों की अपेक्षा शहरी क्षेत्रों में असमानता का स्तर बहुत अधिक है।

ग्रामीण इलाकों में जमीन संपत्ति का एक महत्वपूर्ण प्रकार और विकासशील देशों में आर्थिक स्थिति का महत्वपूर्ण संकेतक है। चित्र- 8.8 में एनएसएसओ के 61वें राउंड के आंकड़े (2004-05) के अनुसार ग्रामीण इलाकों में जमीन पर कब्जे से संबंधित आंकड़े दिखलाए गए हैं।

यह देखा जा सकता है कि 94 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों के पास घर-बार, खेती-बाड़ी के लिए जमीन है, जबकि 87 प्रतिशत परिवारों के पास एक एकड़ से अधिक भूमि है। यह भी देखा जा सकता है कि सामान्य-हिन्दू श्रेणी और हिन्दू-ओबीसी के अपेक्षाकृत अधिक परिवारों के पास भूमि

चित्र 8.6 शहरी क्षेत्र - चयनित राज्यों में एसआरसी के अनुसार एमपीसीई - 2004-05





मौजूद है। अन्य सामाजिक-धार्मिक श्रेणियों की तुलना में मुसलमान परिवारों को कम जमीनें हैं। यह आंकड़ा महज 83 प्रतिशत है। आंकड़ा यह प्रदर्शित करता है कि मुसलमानों की जमीनों का औसत आकार अन्य सभी एससीआर के लोगों से कम होता है।

3. गरीबी का आकलन और एसआरसी में अंतर

प्रस्तावना खंड में जैसा कि उल्लेख किया गया है, एनएसएसओ के 61वें राउंड के आंकड़ों पर आधारित गरीबी का आकलन अस्थायी है। चूंकि पूर्ववर्ती वर्षों के राष्ट्र और राज्य-स्तरीय आकड़े योजना आयोग के आकलन से मेल खाते हैं, इसलिए हम अपने आकलन में किसी प्रकार की बड़ी समस्या की अपेक्षा नहीं रखते हैं। किसी भी स्थिति में, एसआरसी के बीच

के अंतर में परिवर्तन की संभावना नहीं है।

3.1 गरीबी के संपूर्ण स्तर में अंतर


पूर्व में उल्लेखित है, हेड काउंट अनुपात (एचसीआर) गरीबी के आकलन का महत्वपूर्ण उपाय है। जैसा कि उल्लेखित है, प्रमुख राज्यों के लिए रिहाइश के स्थान और एसआरसी के अनुसार एचसीआर के आकलन के लिए आधिकारिक विधि (राष्ट्रीय योजना आयोग) का इस्तेमाल किया गया, जिसमें 365 दिनों की संदर्भ अवधि के साथ एनएसएसओ के 61वें राउंड के अस्थायी आंकड़े को शामिल किया गया है (चित्र 8.9)।

ज्यादातर राज्यों के ग्रामीण इलाकों की तुलना में शहरी क्षेत्रों में असमानता अधिक है।

बॉक्स : 8.1 जमीन पर कब्जा

ग्रामीण इलाकों में जमीन संपत्ति का एक महत्वपूर्ण प्रकार और विकासशील देशों में आर्थिक स्थिति का महत्वपूर्ण संकेतक है। चित्र- 8.8 में एनएसएसओ के 61वें राउंड के आंकड़े (2004-05) के अनुसार ग्रामीण इलाकों में जमीन पर कब्जे से संबंधित आंकड़े दिखलाए गए हैं।

चित्र- 8.8 ग्रामीण इलाकों में एसआरसी के जमीनों की स्थिति (2004-05)



4. गिनि गुणांक का उच्चतर मूल्य यह दर्शाता है कि संभावित महत्तम मूल्यों के साथ उच्चतर स्तर की असमानता




यह देखा जा सकता है कि 94 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों के पास घर-बार, खेती-बाड़ी के लिए जमीन है, जबकि 87 प्रतिशत परिवारों के पास एक एकड़ से अधिक भूमि है। यह भी देखा जा सकता है कि सामान्य-हिन्दू श्रेणी और हिन्दू-ओबीसी के अपेक्षाकृत अधिक परिवारों के पास भूमि मौजूद है। अन्य सामाजिक-धार्मिक श्रेणियों की तुलना में मुसलमान परिवारों को कम जमीनें हैं। यह आंकड़ा महज 83 प्रतिशत है। आंकड़ा यह प्रदर्शित करता है कि मुसलमानों की जमीनों का औसत आकार अन्य सभी एससीआर के लोगों से कम होता है।

38.4 प्र.श. हेड काउंट अनुपात के साथ शहरी क्षेत्रों के मुसलमानों में गरीबी अधिक है।

एसआरसी और रिहाइश के स्थान के आधार पर देश स्तर पर एचसीआर की गणना से यह पता चलता है कि 2004-05 में भारत के 22.7 प्रतिशत लोग गरीब थे, जिनकी संख्या 25 करोड़ 10 लाख से अधिक थी। एससी/एसटी के लोग सर्वाधिक गरीब हैं जिनका एचसीआर अनुपात 35 प्रतिशत है। गरीबी की सूची में दूसरे स्थान पर मुसलमान हैं, जिनमें 31 प्रतिशत लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं। सामान्य हिन्दू सबसे कम गरीबों की श्रेणी में पहले स्थान पर हैं जिनका हेडकाउंट अनुपात केवल 8.7 प्रतिशत है। ओबीसी का एचसीआर अनुपात 21 प्रतिशत है, जो राष्ट्रीय औसत के करीब है।


यह उल्लेखनीय है कि शहरी क्षेत्रों के मुसलमानों का हेडकाउंट अनुपात 38.4 प्रतिशत है और गरीबी के मामले में वे शीर्ष पर हैं। इसके बाद स्थान है एससी/एसटी के लोगों का जिनका एचसीआर 36.4 प्रतिशत है। शहरी-ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी का अंतर सर्वाधिक मुसलमानों में है और उनका प्रतिशत 11 है। दूसरे स्थान पर हिन्दू-ओबीसी हैं। अन्य सभी एसआरसी समूहों में शहरी-ग्रामीण अंतर अपेक्षाकृत कम है।



शहरों के क्षेत्रफल पर आधारित 50वें राउंड के सर्वेक्षण आंकड़ों से प्राप्त एसआरसी समूहों में गरीबी के अंतर से यह खुलासा हुआ है कि 50 हजार से कम आबादी वाले छोटे शहरों में मुसलमानों की गरीबी का स्तर सबसे अधिक है। इस सूची में वैसे शहर दूसरे स्थान पर हैं जिनकी आबादी 50 हजार से दो लाख के बीच है। हालांकि शहरों के क्षेत्रफल में बढ़ोतरी के साथ ही मुसलमानों की स्थिति में सुधार होता है। हालांकि एससी/एसटी की गरीबी की स्थिति में सुधार शहरों के आकार में बढ़ोतरी के साथ नहीं होता है। भारत में दस लाख से अधिक की आबादी वाले शहरों में 45 प्रतिशत एससी/एसटी गरीब हैं जबकि ऐसे शहरों में गरीब मुसलमानों की संख्या 28 प्रतिशत और सामान्य हिन्दू श्रेणी के गरीबों की संख्या 14 प्रतिशत है।

3.2 गरीबी की व्यापकता में अंतर

एचसीआर का तात्पर्य गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) जीवन बसर करने वाले लोगों की संख्या से है, लेकिन इसके तहत इस बात पर विचार नहीं किया जाता कि बीपीएल से वे कितने नीचे जीवन जी रहे हैं। दूसरे शब्दों में एचसीआर के तहत केवल गरीबी की सीमा पर ही विचार किया जाता है, इसकी व्यापकता पर नहीं। सामाजिक धार्मिक श्रेणियों में गरीबी की व्यापकता की व्याख्या करने का साधारण तरीका है- प्रत्येक एसआरसी के लिए गरीबी रेखा के अनुपात के रूप में गरीबों के माध्यम्य व्यय का पता करना (चित्र 8.10)। निम्न अनुपात गरीबी की उच्च व्यापकता का द्योतक होता है।



5. देश भर के 30 शहरों में ग्रामीण इलाकों के कृषि कामगारों के लिए सीपीआईएल और औद्योगिक कामगारों का इस्तेमाल कर गरीबी रेखा संशोधित की गयी।



**गरीब मुसलमान भाई
औसतन गरीबी रेखा से
संबंधित व्यय का केवल
75 प्रतिशत उपभोग कर
पाते हैं, जो अन्य
सामाजिक धार्मिक
समुदायों के लिहाज से
बहुत कम है।**

सामान्यतया, ऐसा देखा जा सकता है कि ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में शहरी इलाकों में सामान्य हिन्दू को छोड़कर गरीबी की व्यापकता सभी एसआरसी के लिए उच्चतर होती है। शहरी क्षेत्रों में एससी/एसटी के बीच गरीबी की व्यापकता सबसे अधिक है, दूसरे स्थान पर आते हैं मुस्लिम समुदाय के लोग। गरीब मुस्लिम औसतन गरीबी रेखा व्यय का 75 प्रतिशत ही खर्च कर पाते हैं। ओबीसी की स्थिति इन दो सामाजिक धार्मिक श्रेणियों से कुछ ज्यादा बेहतर है। ग्रामीण इलाकों में सामान्य हिन्दुओं को छोड़कर अन्य एसआरसी समूहों की तुलना में मुसलमानों में गरीबी बहुत कम है।

3.3 राज्य-स्तरीय गरीबी

आजादी के बाद पहली बार शहरों में गरीबी का स्तर ग्रामीण क्षेत्रों से मामूली रूप से अधिक है (टेबल-8.3)। उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और बिहार में शहरों की गरीबी का स्तर बहुत ऊंचा है। यहां गरीबी का स्तर 36 से 40 प्रतिशत है। अपेक्षाकृत अधिक गरीबी वाले अन्य राज्यों में महाराष्ट्र, उत्तर-प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान और आंध्र प्रदेश शामिल हैं जहां गरीबी का स्तर 26 से 30 प्रतिशत है।

यहां उल्लेखनीय है कि शहरी गरीबी मुसलमानों और अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों में

टेबल. 8.3 : सीआरसी में राज्यवार शहरी गरीबी का स्तर, वर्ष 2004-05

राज्य-शहरी	सभी	हिन्दू				मुस्लिम	अन्य अल्पसंख्यक
		सभी	एससी/एसटी	ओबीसी	सामान्य		
कुल	22.8	20.4	36.4	25.1	8.3	38.4	12.2
प. बंगाल	12	10	22	13	6	27	1
केरल	18	19	32	21	8	24	9
उ. प्र.	31	24	42	28	11	44	6
बिहार	36	34	65	39	8	45	4
असम	3	3	4	5	1	5	0
जे एंड क	9	4	9	5	2	12	2
झारखंड	18	16	37	15	5	32	27
कर्नाटक	30	27	52	30	13	45	9
उत्तरांचल	15	14	29	20	8	24	0
दिल्ली	12	12	24	24	4	22	1
महाराष्ट्र	26	20	33	25	12	49	27
आंध्रप्रदेश	26	25	41	27	11	35	16
झुजरात	11	10	17	18	3	24	0
राजस्थान	29	27	47	28	11	41	15
म. प्र.	41	38	64	46	13	58	6
हरियाणा	5	5	16	5	1	6	0
तमिलनाडु	18	18	37	16	5	18	15
उड़ीसा	43	42	69	49	22	48	49
हिमाचल	2	3	3	10	1	1	0
छत्तीसगढ़	38	38	48	47	13	61	10
पंजाब	1	2	3	2	0	0	0
अन्य सभी राज्य	5	6	14	6	3	9	1

6. उदाहरण के तौर पर गरीबी रेखा के नीचे के बीस लोगों का एक समुदाय गरीबी रेखा के नीचे रहे 18 व्यक्तियों वाले समुदाय जैसा नहीं है।



टेबल- 8.4 : सीआरसी में राज्यवार ग्रामीण गरीबी का स्तर (वर्ष 2004-05)

राज्य-शहरी	सभी	हिन्दू			मुस्लिम	अन्य अल्पसंख्यक	
		सभी	एससी/एसटी	ओबीसी			सामान्य
कुल	22.7	22.6	34.8	19.5	9.0	26.9	14.3
प. बंगाल	25	21	27	16	14	33	32
केरल	9	9	19	7	4	11	4
उ. प्र.	28	28	39	26	10	33	40
बिहार	35	34	56	29	13	38	33
असम	18	12	14	16	7	27	20
जे एंड क	3	3	4	0	2	4	0
झारखंड	38	38	49	32	17	36	46
कर्नाटक	14	14	21	14	7	18	1
उत्तरांचल	11	12	17	19	7	8	21
दिल्ली	-	-	-	-	-	-	-
महाराष्ट्र	23	22	44	16	13	21	36
आंध्रप्रदेश	8	8	16	6	2	7	4
गुजरात	14	15	24	14	3	7	6
राजस्थान	16	16	28	9	6	11	15
म. प्र.	30	31	45	22	6	25	2
हरियाणा	9	9	21	7	2	24	6
तमिलनाडु	17	17	23	14	14	10	18
उड़ीसा	41	40	60	30	16	22	70
हिमाचल	8	8	16	7	4	4	6
छत्तीसगढ़	33	33	40	27	26	40	11
पंजाब	6	4	4	7	3	4	6
अन्य सभी राज्य	12	18	29	12	10	22	3

सर्वाधिक है। उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तरप्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में मुसलमानों का एचसीआर संबद्ध राज्यों के औसत से ज्यादा है। महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश के शहरी इलाकों में मुसलमानों में गरीबी का स्तर एससी/एसटी की तुलना में अधिक है। पूरे देश भर में मुसलमानों में शहरी गरीबी एससी/एसटी की तुलना में थोड़ा कम है, लेकिन ओबीसी और सामान्य-हिन्दुओं की अपेक्षा अधिक है।

यहां तक कि ग्रामीण इलाकों में गरीबी का स्तर मुसलमानों में अधिक है, कुछ राज्यों में मुसलमानों में एचसीआर अनुपात एससी/एसटी की तुलना में बहुत अधिक है। हालांकि ओबीसी और सामान्य हिन्दुओं के बारे में उल्लेख नहीं किया गया है (चित्र-8.4)। पश्चिम बंगाल और असम इस मामले में शीर्ष पर है, जहां ग्रामीण क्षेत्रों के मुसलमानों में गरीबी का स्तर बहुत अधिक है। ज्ञातव्य हो कि असम और पश्चिम बंगाल को छोड़कर ज्यादातर राज्यों के ग्रामीण इलाकों की तुलना में शहरी क्षेत्रों के मुसलमानों में गरीबी का स्तर बहुत अधिक है।

3.4 वर्ष 1983 और 2004-05 के बीच गरीबी में परिवर्तन


जैसा कि उल्लेख किया गया है, वर्ष 2004-05 के (एनएसएसओ61वें राउंड) आंकड़ों के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों की गरीबी से शहरी क्षेत्रों की गरीबी का स्तर थोड़ा अधिक है। ऐसा पहले के वर्षों में नहीं था। (देखें चित्र 8.11, संलग्नक सारिणी 8.5 और 8.6)। तीस दिनों के उपभोक्ता व्यय आंकड़ों के आधार पर 1987-88 में एससी/एसटी के बीच हेडकाउंट अनुपात जो 54 था, वह 1993-94 में गिरकर 50 पर आ

शहरी क्षेत्रों में 1993-94 से 2004-05 के एक दशक के दौरान मुस्लिमों की गरीबी में कमी बहुत सामान्य रूप से आई जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में यह कमी व्यापक थी



गया। ऐसा ही रूख मुसलमानों के एचसीआर में देखने को मिला क्योंकि यह आंकड़ा 1993-94 तक 47 से घटकर 46 तक आ गया था और 2004-05 में यही आंकड़ा फिसलकर 37 तक पहुंच गया। यहां एक बात गौर करने योग्य है कि 1993-94 और 2004-05 के एक दशक के अंतराल में शहरी क्षेत्रों में मुसलमानों



चित्र- 8.11 1987 से 2005 के बीच के समय में एचसीआर / रिहाइश के स्थान और एसआरसी के अनुसार



के एचसीआर में गिरावट परिमित थी, जबकि ग्रामीण इलाकों में एचसीआर में व्यापक गिरावट थी। सामान्य हिन्दुओं और अन्य पिछड़े वर्गों सहित अन्य हिन्दू श्रेणियों में गरीबी का स्तर सबसे कम है।

रिहाइश के स्थान के अनुसार सभी सामाजिक धार्मिक श्रेणियों में एचसीआर में परिवर्तन पर निगाह दौड़ाएं तो मुसलमानों के लिए अनोखी स्थिति नजर आती है(चित्र 8.12)। शुष्कता अवधि के दौरान ग्रामीण गरीबी में लगभग दो प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई, लेकिन 1993-94 और 2004-05 के बीच के दस साल के दौरान एचसीआर में 12 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गयी है। दूसरी ओर शहरी क्षेत्रों में

चित्र 8.12 निवास स्थान एवं एसआरसी के अनुसार इस अवधि के दौरान एचसीआर में परिवर्तन



मुसलमानों के एचसीआर की गिरावट निरंतर लेकिन परिमित रही, जिससे ग्रामीण इलाकों की गरीबी के स्तर (33 प्रतिशत) की तुलना में शहरी क्षेत्रों का यह आंकड़ा बहुत अधिक (47 प्रतिशत) रहा। अन्य सभी एसआरसी के लिए शहरी-ग्रामीण अंतर कम है। इस प्रकार गरीबी में कमी से शहरों और ग्रामीण इलाकों में रहने वाले मुसलमानों की स्थिति का रूझान भी अनोखा है। गरीबी के स्तर में मामूली गिरावट के साथ ही शहरों में निवास करने वाले मुसलमानों की स्थिति खतरनाक है जबकि ग्रामीण इलाकों के मुस्लिमों के लिए असाधारण आर्थिक अवसर उत्पन्न हो रहे हैं और गरीबी में सर्वाधिक गिरावट दर्ज की जा रही है। इस तरह के रूझान की सही तरह से व्याख्या किये जाने की जरूरत है।



4. सारांश

सामाजिक धार्मिक श्रेणियों में गरीबी के विभेद की व्याख्या करने से पता चलता है कि मुसलमान गरीबी के उच्च स्तर का सामना कर रहे हैं। कुल मिलाकर उनकी स्थितियां अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों की तुलना में मामूली बेहतर हैं। समय के साथ गरीबी के स्तर में बदलाव यह प्रदर्शित करता है कि अन्य एसआरसी की तरह शहरी क्षेत्रों में मुसलमानों की आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं हुआ है। जब विभिन्न एसआरसी में गरीबी के स्तर में समय के साथ बदलाव की व्याख्या करते हैं तो कोई सिलसिलेवार पद्धति नहीं उभरकर सामने आती है। (देखें संलग्नक सारणियां 8.5 और 8.6)। इन परिवर्तनों को सुलझाने के लिए और विस्तृत व्याख्या की आवश्यकता है।

हालांकि विभिन्न राज्यों में मुसलमानों की स्थिति में अंतर है लेकिन केरल, असम, तमिलनाडु, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश और पंजाब को छोड़कर करीब-करीब सभी राज्यों के शहरी इलाकों में इस समुदाय की स्थिति खराब है। ग्रामीण इलाकों में उनकी सापेक्षिक स्थिति कुछ हद तक बेहतर है, लेकिन ज्यादातर राज्यों में मुसलमानों की गरीबी का स्तर एससी/एसटी को छोड़कर अन्य सभी एसआरसी की अपेक्षा अधिक है। इस स्थिति से निपटने के लिए नीतिगत हस्तक्षेप की तत्काल आवश्यकता है। ऐसी उम्मीद है कि विभिन्न अध्यायों और अंतिम अध्याय में की गई सिफारिशें देश में गरीबों, खासकर मुसलमानों क

शहरी क्षेत्रों में मुसलमानों की आर्थिक स्थितियों में अन्य सामाजिक धार्मिक समुदायों की तरह सुधार नहीं हुआ



भारत में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति



सरकारी रोजगार और कार्यक्रम

1. प्रस्ताव:

वित्त वर्ष 2004-05 में 38.7 करोड़ से अधिक लोग भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार में लगे थे। पांचवें अध्याय में मुस्लिम कामगारों पर विशेष ध्यान देते हुए रोजगार की संरचना और पैटर्न का विश्लेषण किया गया है। इसमें पाया गया है कि रोजगार के सर्वाधिक वांछित संगठित क्षेत्र में मुस्लिम कामगारों की उपस्थिति बहुत सीमित है। वर्ष 2005-06 के आर्थिक सर्वेक्षण के मुताबिक, संगठित क्षेत्र में लगभग 2.7 करोड़ लोगों को रोजगार मिला हुआ था। इनमें से लगभग 1.86 करोड़ लोग यानी 70 फीसदी हिस्सा सरकारी विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में काम कर रहे थे, जबकि बाकी कर्मचारी संगठित निजी क्षेत्र में काम कर रहे थे। भारत में सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार हासिल करना अब भी अधिकांश लोगों के लिए कुछ कारणों से पसंदीदा रोजगार बना हुआ है। लंबी अवधि तक नियमित आय और सेवानिवृत्ति लाभों से मिलने वाली आर्थिक सुरक्षा के अलावा सरकारी नौकरियों में उच्च पद कर्मचारी को समाज में स्वीकार कर लिए गये रूतवे के कारण विशेष स्थिति प्रदान करता है। सरकार के प्रतिनिधियों के रूप में भी उन्हें रूतबा और प्रोटोकाल विशेषाधिकार मिलते हैं। इन कारणों से सरकारी नौकरियां आकर्षक बन जाती हैं। सरकारी आवास एवं रहने की सुविधा भी सरकारी नौकरी चुनने का एक अन्य कारण है। हालांकि गत एक दशक से अधिक समय से सार्वजनिक रोजगार के आकार में कटौती हुई है, फिर भी इस तरह के रोजगार के प्रति आकर्षण में कोई कमी नहीं आई है। एक बहुलवादी समाज में सरकारी क्षेत्र के रोजगार में विभिन्न समुदायों का तार्किक प्रतिनिधित्व भागीदारी मूलक शासन को बढ़ावा देने के लिए जरूरी है।

भारत में केन्द्र और राज्य सरकारें वंचित समूहों के आर्थिक विकास और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए कई तरह के कार्यक्रम चलाती हैं। इसके अलावा गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की मदद करने का एक सिद्धांत भी है।

यह अध्याय विभिन्न राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय सरकारी विभागों, एजेंसियों और कार्यक्रमों में मुस्लिमों के प्रतिनिधित्व का तुलनात्मक नजरिए से विश्लेषण करता है। इस अध्याय का दूसरा खण्ड केन्द्र और राज्य सरकारों, दोनों से रोजगार पर जुटाए गए प्रार्थमिक आंकड़ों का एक अध्ययन प्रस्तुत करता है। अध्याय का तीसरा खण्ड इन कार्यक्रमों से मुसलमानों को होने वाले लाभ की सीमा का मूल्यांकन करता है। अध्याय का अंतिम खंड वंचित नीतिगत उपायों के कुछ निहित तत्वों की पहचान करता है।

बहुलवादी समाज में सहभागिता गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए सरकारी क्षेत्र की नौकरियों में विभिन्न समुदायों की उचित भागीदारी आवश्यक है

भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) में मुसलमानों की भागीदारी महज तीन प्रतिशत है, जबकि आईएफएस और आईपीएस में यह प्रतिशतता क्रमशः 1.8 और 4 प्र.श. है।




यह विश्लेषण मुख्यतः केन्द्र और राज्य सरकारों तथा उनकी एजेंसियों द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों पर आधारित है। राज्यों से रोजगार एवं लोकहितकारी कार्यक्रमों के बारे में कई विशेष प्रारूपों में आंकड़े जुटाने और उनका मिलान करने का अनुरोध किया गया था। विभिन्न राज्यों में सरकारी रोजगार से संबंधित आंकड़े जुटाना जहां अपेक्षाकृत आसान था, वहीं समिति द्वारा वंछित ढांचे में हितकारी कार्यक्रमों के बारे में सूचना जुटाना मुश्किल था। इन ढांचों में इस तरह के आंकड़े नहीं रखे जाने के कारण इस तरह की समस्या आई। इसके अलावा 129 विश्वविद्यालयों और 89 कालेजों तथा 154 सार्वजनिक उपक्रमों से भी आंकड़े जुटाए गए और नीचे उनका विश्लेषण किया गया है। कई प्रकाशित सूचियों, बयानों और अधिकारियों के नाम वाली सूचियों का भी परीक्षण और विश्लेषण किया गया है।

कुल मिलाकर, वर्ष 2003 और 2004 में सिविल सेवाओं की लिखित परीक्षा में मुस्लिम उम्मीदवारों की संख्या महज 4.9 प्रतिशत ही रही।

2. सरकारी रोजगार में मुसलमानों की भागीदारी

केन्द्र और राज्य सरकारें बड़ी संख्या में शिक्षित और तकनीकी तौर पर प्रशिक्षित लोगों को रोजगार देती हैं। सामान्य तौर पर इन आजीवन अथवा स्थाई नौकरियों से ना केवल सरकार के विभिन्न स्तरों पर निर्णय निर्माण की भागीदारी होती है बल्कि इनमें स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, कृषि प्रसार कार्यकर्ताओं, स्कूली अध्यापकों आदि अथवा पुलिस कर्मियों के रूप में सुरक्षा प्रदान करने जैसी सेवाएं और सरकारी कार्यक्रमों को लागू करने की प्रक्रिया में व्यापक संपर्क की संभावनाएं भी होती हैं। निर्णय निर्माण प्रक्रिया और व्यापक संपर्क वाली सेवाओं दोनों में विभिन्न सामाजिक-धार्मिक श्रेणियों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व होना चाहिए।

जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, सरकार सबसे बड़ी रोजगार प्रदाताओं में से एक है। सार्वजनिक क्षेत्र भी सकल घरेलू उत्पाद (जी डी पी) और घरेलू पूंजी निर्माण (जी डी सी एफ) में महत्वपूर्ण योगदान करता है (आलेख 9.1) इसमें से कई निवेश जनसंख्या के विभिन्न हिस्सों की आय और रोजगार को प्रभावित करते हैं। इस तरह सरकारी क्षेत्र में नियमित सुरक्षित रोजगार जहां पर्याप्त सुरक्षा देता है, वहीं ये निर्णय निर्माण प्रक्रिया को भी कई तरीके से प्रभावित कर सकते हैं, जिससे जनसंख्या के विभिन्न हिस्सों पर असर पड़ता है। पांचवें अध्याय में जनसंख्या और एनएसएसओ के द्वितीयक आंकड़ों के विश्लेषक ने सरकारी नौकरियों में मुसलमानों की भागीदारी की व्यापक तस्वीर प्रस्तुत की, वहीं केन्द्र और राज्य सरकारों से प्राप्त प्राथमिक आंकड़ों से हमें सूक्ष्म अंतर्दृष्टि तैयार करने में मदद मिलती है। यह ध्यान देने योग्य है कि समिति के पास एक करोड़ एक लाख से अधिक कर्मचारियों के बारे में आंकड़े मौजूद थे। निजी क्षेत्र के बैंकों और विश्वविद्यालयों से मिले आंकड़ों को छोड़ने के बाद भी समिति के पास सरकारी क्षेत्र के व्यापक हिस्से से मिले आंकड़े मौजूद थे। (सारणी 9.1)



समिति को 88 लाख कर्मचारियों से संबंधित आंकड़ा विभिन्न सरकारी विभागों, एजेंसियों और संस्थाओं से प्राप्त हुआ था। इनमें से केवल 4.4 लाख अर्थात पांच फीसदी ही मुस्लिम हैं। 14 लाख सार्वजनिक उपक्रम कर्मचारियों वाली सूचना दर्शाती है कि केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों में महज 3.3 फीसदी और राज्य स्तरीय सार्वजनिक उपक्रमों में 10.8 प्रतिशत ही मुस्लिम कर्मचारी हैं। (सारणी 9.1)

राष्ट्रीय स्तर के रोजगार

राष्ट्रीय स्तर पर सिविल सेवाओं के कैडर, विभिन्न सरकारी विभागों, विश्वविद्यालयों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के आंकड़े उपलब्ध हैं। आगे हम इनमें से हरेक क्षेत्र में मुस्लिमों की हिस्सेदारी पर चर्चा करेंगे।



सारणी 9.1 : सरकारी क्षेत्र के रोजगार में मुस्लिम कर्मचारी

दर्ज विभाग/ संस्थाएं	कर्म चारियों की दर्ज संख्या	मुस्लिम कर्मचारियों की दर्ज संख्या	दर्ज कर्मचारियों के अनुपात में मुस्लिम
राज्य स्तरीय विभाग	4452851	278385	6.3
रेलवे	1418747	64066	4.5
बैंक और भारतीय रिजर्व बैंक	680833	15030	2.2
सुरक्षा एजेंसियां	1879134	60517	3.2
डाक सेवा	275841	13759	5.0
विश्वविद्यालय	137263	6416	4.7
सभी दर्ज सरकारी रोजगार (सार्वजनिक उपक्रमों को छोड़कर)	8844669	438173	4.9
केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम	687512	22387	3.3
राज्य स्तरीय सार्वजनिक उपक्रम	745271	80661	10.8
सभी सार्वजनिक उपक्रम	1432783	103048	7.2

--सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, बीएसएफ, एसएसबी और अन्य सुरक्षा एजेंसियां

--129 केंद्रीय और राज्य विश्वविद्यालय तथा 84 कॉलेज --- 154 सार्वजनिक उपक्रमों से प्राप्त आंकड़े

**विभिन्न विभागों के
रोजगारों में मुस्लिमों की
हिस्सेदारी सभी स्तरों पर
सबसे कम है**

सिविल सेवाओं में रोजगार

प्रमुख रूप से भारतीय प्रशासनिक सेवा (आई ए एस), भारतीय विदेश सेवा (आई एफ एस) और भारतीय पुलिस सेवा (आई पी एस) जैसी प्रमुख

सेवाओं के वर्ष 2006 की उपलब्ध सिविल सूचियों का मुस्लिमों की हिस्सेदारी का पता लगाने के लिए विश्लेषण किया गया। सरकारी कर्मचारी के नाम के आधार पर उसके धर्म की पहचान की गयी और कुल 8827 प्रविष्टियों में से केवल 10 मामलों में ही कर्मचारी के धर्म का पता लगाना संभव नहीं हो पाया। (सारणी 9.2) आई ए एस में मुसलमानों की मौजूदगी केवल तीन प्रतिशत ही पायी गयी, जबकि आई एफ एस में यह 1.8 प्रतिशत और आई पी एस में चार प्रतिशत रही। इसके अतिरिक्त ऊंची नियुक्तियां पाने वाले मुस्लिम अधिकतर प्रोन्नत उम्मीदवारों के रूप में ही ऐसा कर सके। प्रतियोगी परीक्षाओं के जरिए सीधी भर्ती में उनका हिस्सा घटकर क्रमशः 2.4 प्रतिशत, 1.9 प्रतिशत और 2.3 प्रतिशत ही है।

वर्ष 2003 और 2004 के दौरान संघ लोक सेवा आयोग की भर्तियां

वर्ष 2003 और 2004 दोनों वर्षों के आंकड़े संघ लोक सेवा आयोग ने (यू पी एस सी) ने उपलब्ध कराये थे। (सारणी 9:3)। सामान्य तौर पर धार्मिक पहचान पर आधारित आंकड़े नहीं रखे जाने के कारण यूपीएससी ने लिखित परीक्षा में शामिल होने वाले, मौखिक साक्षात्कार के लिए चुने गये और नियुक्त के लिए चुने गये उम्मीदवारों में मुस्लिमों का हिस्सा दर्शाने वाले अपने रिकार्ड से कुछ विशेष सारणियां तैयार की। समग्र रूप से देखा जाए तो वर्ष 2003 और 2004 में सिविल सेवा की लिखित परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों में केवल 4.9 प्रतिशत ही मुस्लिम थे, जो कि जनसंख्या में मुसलमानों की 13.4 प्रतिशत हिस्सेदारी से काफी नीचे है। हालांकि मुस्लिम उम्मीदवारों की सफलता-दर अन्य उम्मीदवारों के समान ही है। सिविल सेवा की लिखित परीक्षा में मुस्लिम उम्मीदवारों की कम संख्या जहां चिंता का एक कारण है, वहीं समान सफलता-दर आश्वस्त करने वाली है। यूपीएससी की प्रतियोगी चयन प्रक्रिया में मुसलमानों का

**भारतीय रेलवे में
मुसलमानों की भागीदारी
महज 4.5 प्रतिशत है।
लगभग सभी (98.7
प्रतिशत) निचले स्तर पर
तैनात हैं।**



समूह-ए की 11 प्रतिशत नौकरियां में वैसे अल्पसंख्यकों का बोलबाला है, जो मुस्लिम नहीं हैं।

सुरक्षा एजेंसियों में मुसलमानों की हिस्सेदारी 4 प्रतिशत है

सारिणी 9.2 : ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज-2006 में मुसलमानों की हिस्सेदारी

सेवा	सभी अधिकारी	मुस्लिम अधिकारियों की संख्या	मुस्लिम अधिकारियों का प्रतिशत	अपुष्ट नाम
सिविल सेवा अधिकारी (आई ए एस, आई पी एस)	8827	285	3.2	10
प्रतियोगी परीक्षा के जरिए सीधी भर्ती	6460	155	2.4	4
राज्य सेवा से प्रोन्नत	2367	130	5.5	6
भारतीय प्रशासनिक सेवा	4790	142	3.0	4
प्रतियोगी परीक्षा के जरिए सीधी भर्ती	3542	80	2.3	0
राज्य सेवा से प्रोन्नत	1248	62*	5.0	4
भारतीय विदेश सेवा	828	15	1.8	0
सीधी भर्ती	621	12	1.9	0
आई एफ एस (बी)	207	3	1.4	0
कर्मचारी का ग्रेड प्रथम	3209	128	4.0	6
प्रतियोगी परीक्षा के जरिए सीधी भर्ती	2297	63	2.7	4
राज्य सेवा से प्रोन्नत	912	65**	7.1	2

प्रतिनिधित्व बढ़ाने जाने की जरूरत है।

1. 1980 के दशक की शुरुआत में राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा की गयी भर्तियों के अध्ययन से भी पता चलता है कि मुस्लिम उम्मीदवारों की सफलता-दर दूसरे उम्मीदवारों से बहुत अलग नहीं है (हसन, 1997 : पृष्ठ संख्या 290-291)।

सारिणी 9.3 : सघ लोक सेवा आयोग द्वारा वर्ष 2003 और 2004 में संस्तुत उम्मीदवार

श्रेणी	कुल	मुस्लिम उम्मीदवार	मुस्लिम उम्मीदवारों की प्रतिशतता
सिविल सेवा की लिखित परीक्षा में शामिल	11537	283	4.9
साक्षात्कार के लिए चयनित	2342	56	4.8
संस्तुत किये गये उम्मीदवार	835	20	4.8
लिखित परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के अनुपात में संस्तुत उम्मीदवारों का प्र.श.	7.2	7.1	-
साक्षात्कार के लिए चुने गये उम्मीदवारों के मुकाबले संस्तुत किये गये उम्मीदवारों का प्र.श.	35.7	35.7	-



केन्द्र सरकार के चुनिंदा विभागों में मुसलमान कर्मचारी

केन्द्र सरकार के विभिन्न विभागों और एजेंसियों में मुसलमानों की समग्र भागीदारी सारिणी 9.4 में दी गई है। रोजगार में इनकी वास्तविक हिस्सेदारी और देश की जनसंख्या में उनके हिस्से का अनुपात रोजगार में कमी को इंगित करता है। विभिन्न विभागों में हर स्तर पर रोजगार में मुसलमानों की हिस्सेदारी काफी कम है। निचले स्तर के रोजगारों में, जिनमें शिक्षा के कमस्तर की जरूरत होती है, मुसलमानों की हिस्सेदारी में मामूली वृद्धि के बावजूद भी 'ग्रुप सी' में सबसे अधिक कर्मचारी और अधिकारी हैं, जो सामान्यतः पूरे रोजगार के दौरान जनसंपर्क बनाते हैं। इस स्तर पर मुसलमानों की हिस्सेदारी पांच फीसदी से भी कम है और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में तो यह 2.5 फीसदी तक है।

विभिन्न स्तर पर सरकारी नौकरियों और देश की जनसंख्या में मुसलमानों की हिस्सेदारी का तुलनात्मक अध्ययन उनके कम प्रतिनिधित्व को दर्शाता है। कोई भी यह कह सकता है कि हर विभाग और हर स्तर पर यह कभी मौजूद है लेकिन खासकर सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और बैंकों में ऊंचे स्तर पर यह कभी और भी अधिक है। विभिन्न विभागों में नौकरियों में व्यापक कमी के बावजूद मुसलमानों को ग्रुप सी और डी के निचले पदों पर भी सीमित संख्या में ही नियुक्त किया जाता है। अन्य विभागों की तुलना में विश्वविद्यालयों की नौकरियों में मुसलमानों को अच्छा-खासा प्रतिनिधित्व है। विश्व विद्यालयों की गैर शैक्षणिक नौकरियों में मुसलमानों के प्रतिनिधित्व का स्तर सबसे अच्छा है और उसके बाद सबसे अधिक मुसलमान रेलवे और डाक विभाग में ग्रुप डी की नौकरियों में हैं।

भारतीय रेल

भारतीय रेल करीब 14 लाख लोगों को नौकरी देता है। इनमें से सिर्फ 64 हजार कर्मचारी मुस्लिम समुदाय से आते हैं, जो रेलवे की कुल नौकरी का महज 4.5 फीसदी है। इसमें भी रेलवे में नौकरी करने वाले लगभग सभी मुसलमान (98.7 प्रतिशत) निचले स्तर पर तैनात हैं और शेष 1.3 प्रतिशत ग्रुप ए श्रेणी में, अन्य हिन्दु (एच.जनरल और एच.ओबीसी) 72 फीसदी पदों पर तैनात हैं, उसके बाद 18 प्रतिशत पदों पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व है। इस स्तर पर मुसलमानों को 3 प्रतिशत फीसदी का मामूली प्रतिनिधित्व ही हासिल है। निचले स्तर पदों पर मुसलमानों की भागीदारी कुछ अधिक है लेकिन वह भी 5 प्रतिशत तक ही है जबकि अन्य हिन्दू 65 प्रतिशत फीसदी नौकरियों पर काबिज हैं। (सारिणी 9.1)

राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियां

देश में सेवा के तीनों अंगों सहित विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों में करीब 19 लाख कर्मचारी हैं। हालांकि सीमा सुरक्षा बल, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल और सशस्त्र सीमा बल के सिर्फ 5.2 लाख कर्मचारियों की ही सामाजिक-धार्मिक श्रेणियों की स्थिति के स्तर की विस्तृत जानकारी मिल पाई। ग्रुप ए के तहत रोजगार की कुल संख्या में पी एस यू, रेलवे, सुरक्षा एजेंसी डाक, सिविल सेवा की संख्या दर्शाई गई है, ग्रुप बी के तहत पी एस यू, रेलवे, सुरक्षा एजेंसियां, डाक, ग्रुप सी के तहत रेलवे, सुरक्षा एजेंसियां और डाक तथा ग्रुप डी में रेलवे, सुरक्षा एजेंसियों एवं डाक विभाग की नौकरियों की संख्या दी गई।

इन सुरक्षा एजेंसियों में ऊंचे पदों/ श्रेणियों में मुसलमानों की हिस्सेदारी 3.6 प्रतिशत के स्तर तक कम है जबकि निचले पदों पर महज 4.6 प्रतिशत का ही प्रतिनिधित्व मिला है। अगर सभी एजेंसियों को एक साथ मिलाकर कर देखा जाए तो 96 प्रतिशत मुसलमान कर्मचारी निचले स्तर पर तैनात हैं, खासकर ग्रुप सी में, और ग्रुप ए एवं बी में सिर्फ 2 प्रतिशत फीसदी ही मुसलमान अधिकारी हैं। अगर ग्रुप की नौकरियों को अलग कर दिया जाए, जो सुरक्षा एजेंसियों की कुल नौकरी का 4 प्रतिशत हिस्सा है और इनमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की 37 प्रतिशत मौजूदगी है, तो बाकी सभी पदों पर अन्य हिन्दु श्रेणी के लोगों का वर्चस्व है। ग्रुप 'ए' के करीब 11 प्रतिशत पद गैर मुस्लिम अल्पसंख्यकों के पास हैं। (सारिणी 9.2)

**विश्वविद्यालयों और बैंकों
में मुसलमानों का
प्रतिनिधित्व बहुत कम है**

**सरकारी विभागों में
प्रमुसलमानों का
प्रतिनिधित्व उसकी
आबादी की हिस्सेदारी की
तुलना में नहीं है**



Table 9.4: Share of Muslim Employees in Selected Central Government Department and Institutions

Category/ Level of Employment	Total number of Employees#	Civil Services	Railways Telegraph	Post & Services	Security	Banks	University	PSU***
Group 'A'	231619	4.8 (35.8)	2.5 (18.7)	3.8 (28.4)	3.1 (23.1)	1.7 (12.7)	3.7 (27.6)*	2.3 (17.2)
Group 'B'	122551	-	3.4 (25.4)	4.4 (32.8)	3.9 (29.1)			2.8 (20.9)
Group 'C'	1486637	-	4.9 (36.6)	4.8 (35.8)	4.6 (34.3)	2.5 (18.7)	5.4 (40.3)**	3.9 (29.1)
Group 'D'	659113	-	5.0 (37.3)	5.3 (39.6)	4.3 (32.1)			

Note: Figures in parenthesis are ratios (in percentage terms) of Muslims' share in employment of a specific department to their share in total population which is 13.4.

* Teaching Faculty, ** Non teaching Faculty

*** For PSUs Group A is Higher Managerial, Group B is Managerial and Group C & D Workers

For employment number under Group A PSUs, Railways, Security Agencies, Postal, Civil Services are shown for Group B PSUs, Railways, Security Agencies, Postal; for Group C Railways, Security Agencies, Postal; and for Group D Railways, Security Agencies, Postal department are indicated.

डाक और टेलीग्राफ

डाक विभाग के करीब 2.75 लाख कर्मचारियों में मुस्लिम समाज की जिम्मेदारी महज पांच फिसदी है विभाग में उंची जाति के हिन्दुओं के अलावा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का अच्छा खासा प्रतिनिधित्व है। इस विभाग में मुसलमानों और अन्य पिछड़ी जातियों की हिस्सेदारी उनकी जनसंख्या के हिसाब से काफी कम है। अन्य विभागों की तरह डाक विभाग में भी मुसलमान उंचे पदों की बजाय निचले पदों पर ही अधिक हैं। सारिणी 9.3 में मुसलमानों की सबसे अधिक भागीदारी ग्रुप 'डी' में ही दिख रही है जब कि ग्रुप 'ए' में महज 3.8 प्रतिशत मुसलमान ही हैं

शिक्षा विभाग में मुसलमानों का प्रतिनिधित्व केवल 6.5 प्रतिशत और गृह विभाग में महज 7.3 प्रतिशत है। पुलिस कांस्टेबल में मुसलमानों का प्रतिनिधित्व केवल छः प्रतिशत है

विश्वविद्यालयों में रोजगार

129 विश्वविद्यालयों और 84 महाविद्यालयों की ओर से कमेटी को मिले आंकड़ों के मुताबिक 1.37 लाख कर्मचारियों में से 42 प्रतिशत शैक्षणिक कार्यों से जुड़े हैं तो शेष 58 प्रतिशत गैर शैक्षणिक कर्मचारी हैं। चित्र संख्या 9.2 से यह स्पष्ट है कि इन दोनों खण्डों की नौकरियों में सामान्य हिन्दुओं (एच-जनरल) की मौजूदगी, जनसंख्या में उनकी आनुपातिक हिस्सेदारी से करीब-करीब दो गुनी अधिक है। कुल जनसंख्या में 6 प्रतिशत की हिस्सेदारी रखने वाले अन्य अल्पसंख्यकों का भी विश्वविद्यालय के रोजगारों में अच्छा प्रतिनिधित्व है। शैक्षणिक कर्मचारियों में अन्य पिछड़ी जातियों की संख्या अधिक है और यह जनसंख्या में उनके अनुपात से भी अधिक है। विश्वविद्यालय में रोजगार के मामले में सिर्फ मुसलमानों और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को प्रतिनिधित्व कम मिला है। शैक्षणिक कर्मचारियों में महत्व 3.7 प्रतिशत और गैर शैक्षणिक कर्मचारियों में 5.4 प्रतिशत ही मुसलमान हैं तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए यह आंकड़ा क्रमशः 7.4 प्रतिशत और 16.9 प्रतिशत है। देश की जनसंख्या में इन दोनों सामाजिक - धार्मिक समूहों की हिस्सेदारी क्रमशः 13.4 प्रतिशत और 25.2 फीसदी है।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में रोजगार

भारतीय रिजर्व बैंक, अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों, नाबार्ड और सिडबी की ओर से कमेटी को मुहैया कराए गए आंकड़ों के मुताबिक कुल 6.8 लाख कर्मचारियों में से करीब 32 प्रतिशत उंचे पदों पर हैं जबकि 79 प्रतिशत निचले स्तर के कर्मचारी हैं। बैंकों में मुसलमानों का प्रतिनिधित्व काफी कम 2.2 फीसदी है। इसमें भी सिर्फ 1.7 प्रतिशत मुसलमान उंचे पदों पर हैं और 1.5 प्रतिशत निचले स्तर पर कार्यरत हैं।



राज्य स्तर पर बैंकों में राजगार के मामले में मुसलमानों का प्रतिनिधित्व 5 प्रतिशत से अधिक हैं। जम्मू कश्मीर में सबसे अधिक 18.1 प्रतिशत मुसलमान बैंकों में कार्यरत हैं, उसके बाद असम में 6.5 प्रतिशत और फिर आंध्र प्रदेश में 5.6 प्रतिशत मुसलमान बैंककर्मी हैं / लेकिन अगर हम राज्य की जनसंख्या में मुसलमानों की हिस्सेदारी और बैंकों में उनकी नौकरियों की प्रतिशत हिस्सेदारी की तुलना करें, तो आंध्र प्रदेश में उनका आंकड़ा 24.3 प्रतिशत और जम्मू कश्मीर में 48.9 फीसदी है। उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक भारतीय रिजर्व बैंक के 19 हजार कर्मचारियों में सिर्फ 159 मुसलमान हैं।

सार्वजनिक क्षेत्र के केन्द्रीय उपक्रम


154 केन्द्रीय पीएसयू समूह से मिले आंकड़ों के मुताबिक इनमें करीब 6.88 लाख लोग नौकरी करते हैं, जिनमें से 28.7 प्रतिशत उच्च प्रबंधन पदों पर तैनात हैं, जबकि 14.2 प्रतिशत प्रबंधन स्तर और शेष 57.1 प्रतिशत निचले स्तर के कर्मचारी माफिक कामगार हैं। केन्द्रीय पीएसयू के रोजगार में मुसलमानों का प्रतिनिधित्व लगभग नगण्य है। उदाहरण के तौर पर उच्च प्रबंधन में 2.3 प्रतिशत और मध्य प्रबंधन में 2.8 फीसदी मुसलमान ही है। (चित्र 9.4) अन्य कर्मचारियों की श्रेणी में भी सिर्फ 3.9 प्रतिशत मुसलमान ही प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। जनसंख्या में काफी कम हिस्सेदारी निभाने वाले अल्पसंख्यकों से मुसलमानों की तुलना करने पर यह जाहिर होता है कि प्रबंधन स्तर पर गैर मुस्लिम अल्पसंख्यकों की भागीदारी 25 प्रतिशत तक है जबकि कर्मचारियों के मामले में यह आंकड़ा 30 प्रतिशत के आस पास है। प्रबंधन स्तर पर “अन्य हिन्दू” श्रेणी की मौजूदगी काफी अधिक है और “अन्य कर्मचारियों” की श्रेणी में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की भागीदारी अपेक्षाकृत अच्छी है।

2.2 राज्य स्तर के रोजगार

कमेटी ने राज्यों को अपने सभी विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) में रोजगार के आंकड़े उपलब्ध कराने को कहा था, लेकिन सिर्फ 12 राज्यों ने आंकड़े उपलब्ध कराए और उनमें से भी कुछ की ही जानकारी पूर्ण थी। पश्चिम बंगाल ने ऐसे रूप में आंकड़े मुहैया कराए जिनका उपयोग करना काफी मुश्किल था। आंकड़ों में मुस्लिम कर्मचारियों की संख्या तो दी गई थी, लेकिन अन्य एसआरसी के कर्मचारियों और रोजगार के बारे में जानकारी की गैर मौजूदगी की वजह से अर्थपूर्ण विश्लेषण संभव नहीं हो सका। बिहार के मामले में आंकड़े एकत्रित करना संभव नहीं हो सका, क्योंकि राज्य सरकार के विभागों ने इस दिशा में कोई उचित प्रयास ही नहीं किए।

इन सबके बावजूद कमेटी को विभिन्न राज्यों के 44 लाख कर्मचारियों के बारे में जानकारी मिल पाई। कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु की ओर से पूरी जानकारी दी गई, जबकि बिहार ने सिर्फ 75 हजार और झारखंड ने महज 15 हजार एवं असम ने 91

Fig 9.2: Employment in Universities among SRCs
No. of Employees: 1,37,263



Source: Data received from 129 universities and 84 colleges

स्वास्थ्य विभाग में
मुसलमानों का प्रतिनिधित्व
केवल 4.4 प्रतिशत है

Fig. 9.3 : Employment in National Banks
No. of Employees: 275841







Fig. 9.4 : Employment in Central PSUs No. of Employees: 687512



Note : Data Based on 154 PSUs; Higher Managerial includes Board of Directors, Top Management-Professionals and Administration, Executive Carde, Managerial includes Supervisory Cadre-Technical and Non-Technical

हजार कर्मचारियों से संबंधित जानकारी ही उपलब्ध कराई। पश्चिम बंगाल ने 1.35 लाख और उत्तरप्रदेश ने 1.34 लाख कर्मचारियों के बारे में कमेटी को जानकारी दी। राज्यों की ओर से मिली कर्मचारियों के बारे में जानकारी के मुताबिक विभिन्न राज्यों के विभागों में करीब तीन लाख मुसलमान ही इन नौकरियों में पाए गए जो इन राज्यों की जनसंख्या में उनकी हिस्सेदारी का महज आधा हिस्सा है। (सारिणी 9.5) आंकड़ों के मुताबिक किसी भी राज्य में मुसलमानों को अपनी संख्या के अनुपात में रोजगार नहीं मिला बल्कि मुसलमान अपने जनसंख्या अनुपात से नौकरियों में काफी पिछड़े हैं। सिर्फ आंध्रप्रदेश ही एक ऐसा राज्य है जहां मुसलमानों का प्रतिनिधित्व अच्छा है लेकिन अब भी उनकी जनसंख्या अनुपात के मुकाबले काफी कम है। कर्नाटक, गुजरात और तमिलनाडु तीन ऐसे राज्य हैं जहां मुसलमानों को अपनी जनसंख्या अनुपात के मुकाबले नौकरियों में 50

प्रतिशत से अधिक प्रतिनिधित्व मिला है। कर्नाटक में यह अनुपात 70 प्रतिशत फीसदी है तो गुजरात में 59 प्रतिशत और तमिलनाडु में 57 प्रतिशत का अनुपात दिया है। अन्य सभी राज्यों में मुसलमानों को जनसंख्या में अपनी हिस्सेदारी के मुकाबले 50 प्रतिशत से भी कम प्रतिनिधित्व मिला है। (सारिणी 9.5)

राज्यों के कुल योग में आंध्र प्रदेश के 876292 कर्मचारी भी शामिल हैं, लेकिन उनके आंकड़ों का विश्लेषण उपलब्ध नहीं है। आम तौर पर कोई भी इन आंकड़ों को देखकर कह सकता है कि मुसलमान निचली श्रेणी की नौकरियों में अपेक्षाकृत अधिक हैं, सिर्फ पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में ऊंचे पदों पर मुसलमानों की संख्या निचली श्रेणी से अधिक है। कर्नाटक में ऊंचे पदों पर तैनात मुसलमानों की संख्या

Table 9.5: Share of Muslim Employees in Selected State Governments (No. of Employees : 44,52,851*)

States	Total number of Employees	Muslim Population (%)	Higher Positions	Lower Positions	Group A	Group B	Group C	Group D	Others
West Bengal	134972	25.2	4.7	1.8	6.7	3.9	2.1	2.5	1.4
Kerala	268733	24.7	10.3	10.4	11.8	10.1	11.1	9.1	10.5
Uttar Pradesh	134053	18.5	7.5	4.9	4.6	8.0	4.3	5.4	6.7
Bihar	78114	16.5	7.2	7.6	7.9	7.0	7.3	8.4	5.2
Assam	81261	30.9	10.2	11.4	9.2	10.7	11.5	9.9	10.5
Jharkhand	15374	13.8	3.8	7.2	4.0	3.7	9.0	4.5	-
Karnataka	528401	12.2	4.9	8.9	4.7	5.1	9.3	6.0	-
Delhi	135877	11.7	2.1	3.3	3.5	1.4	3.9	1.1	1.6
Maharashtra	915645	10.6	3.1	4.5	2.3	3.4	4.4	4.6	-
Gujarat	754533	9.1	3.4	5.5	-	-	-	-	-
Tamil Nadu	529597	5.6	4.2	2.9	4.0	4.2	3.1	2.5	-
Sum of States	4452851	16.0	5.7	5.6	5.8	6.1	5.9	5.1	3.3

Note: Higher Positions: aggregate of Group A and Group B. Lower Positions: aggregate of Group C, Group D and Others
*876291 employees from Andhra Pradesh are included in the Sum of States, further breakup of these data is not available.



और निचली श्रेणी की नौकरियों में मौजूद मुसलमानों की संख्या का अंतर सबसे अधिक है। यहां ऊंचे पदों पर 4.9 फीसदी मुसलमान हैं जबकि निचली श्रेणी की नौकरियों में इनकी संख्या 8.9 प्रतिशत है। इसके बाद झारखंड में भी यह अंतर अच्छा-खासा है। झारखंड में 3.8 प्रतिशत ऊंचे पदों पर मुसलमान हैं, जबकि निचली श्रेणी में उनकी मौजूदगी 17.2 प्रतिशत है। इसके अलावा अधिकांश राज्यों में मुसलमान ग्रुप “ए” अधिकारियों की बजाय अधिक संख्या में बतौर ग्रुप “बी” अधिकारी नियुक्त हैं। सिर्फ पश्चिम बंगाल, दिल्ली, केरल, बिहार और झारखंड में ग्रुप “ए” के मुसलमान अधिकारियों की संख्या, अनुपातिक तौर पर ग्रुप “बी” के मुसलमान अधिकारियों से अधिक है। निचली श्रेणी की नौकरियों के मामले में ग्रुप “सी” में 15.9 प्रतिशत मुसलमान कर्मचारी हैं, जबकि ग्रुप “डी” में 5.1 फीसदी मुसलमान हैं।

राज्य सरकार के चुनिंदा विभागों में मुसलमानों का प्रतिनिधित्व

राज्य स्तरीय चुनिंदा सरकारी नौकरियों में मुसलमानों की मौजूदगी के भाग (सारिणी 9.6 और सारिणी 9.4) से स्पष्ट है कि अन्य विभागों के मुकाबले गृह विभाग में मुसलमानों का सबसे अधिक प्रतिनिधित्व है। गृह विभाग में भी इसकी मौजूदगी महज 7.3 प्रतिशत है, इसके बाद शिक्षा और परिवहन विभाग में 6.5 प्रतिशत मुसलमान हैं, जबकि स्वास्थ्य विभाग में इनकी उपस्थिति 4.4 फीसदी और अन्य विभागों में 6 फीसदी ही है। संबंधित राज्यों की जनसंख्या में मुसलमानों की भागीदारी की तुलना में इन नौकरियों में उनकी उपस्थिति अब भी काफी कम है। कमेटी को मिले आंकड़ों को यहां दिया गया है लेकिन अभी और जानकारियां एकत्र कर विभिन्न विभागों में उनकी मौजूदगी का विश्लेषण करना आवश्यक है।

परिवहन विभाग में मुसलमानों का प्रतिनिधित्व 6.5 प्रतिशत है

शिक्षा विभाग : आठ राज्यों से मिले आंकड़ों के मुताबिक शिक्षा विभाग में मुसलमानों का प्रतिनिधित्व सिर्फ 6.5 प्रतिशत है जो जनसंख्या में उनकी प्रतिशत हिस्सेदारी की तुलना में करीब करीब आधी है। सिर्फ तीन राज्यों केरल (12.3 प्रतिशत) बिहार (12.3 प्रतिशत) और कर्नाटक (11.9 प्रतिशत) में शिक्षा में मुसलमानों की उपस्थिति 10 प्रतिशत से अधिक है। शिक्षा विभाग की नौकरियों में मुसलमानों के 11.9 प्रतिनिधित्व के साथ सिर्फ कर्नाटक एक मात्र ऐसा राज्य है जहां यह प्रतिनिधित्व जनसंख्या में मुसलमानों की 12.2 प्रतिशत हिस्सेदारी के आसपास है। बिहार की जनसंख्या में मुसलमान 16.5 प्रतिशत हैं लेकिन शिक्षा विभाग की नौकरियों में उनकी भागीदारी महज 12.3 प्रतिशत है। इसी तरह केरल में 24 प्रतिशत

Table 9.6: Share of Muslim Employees in Selected State Government Departments (No. of Employees : 44,52,851)

States	Muslim Population (%)	Education Dept.		Home Dept.		Health Dept.		Transport Dept.		Others Depts.	
		Higher Positions	Lower Positions	Higher Positions	Lower Positions	Higher Positions	Lower Positions	Higher Positions	Lower Positions	Higher Positions	Lower Positions
West Bengal	25.2	-	-	14.1	5.1	1.3	0.9	-	-	4.3	2.2
Kerala	24.7	13.0	11.7	10.8	10.7	11.2	10.2	9.4	9.2	8.9	10.5
Uttar Pradesh	18.5	-	-	8.1	9.9	4.3	5.6	1.9	4.9	7.6	4.8
Bihar	16.5	14.8	11.8	5.9	7.1	-	2.6	8.3	10.9	7.5	7.6
Assam	30.9	-	-	9.3	11.5	8.0	11.1	13.9	11.5	12.2	11.4
Jharkhand	13.8	-	-	5.7	7.6	6.0	3.2	-	-	3.7	7.8
Karnataka	12.2	5.0	12.4	3.6	4.2	4.7	5.0	16.8	7.0	5.1	7.3
Delhi	11.7	5.9	7.2	1.5	2.3	1.0	1.8	1.4	1.1	0.3	0.9
Maharashtra	10.6	2.9	4.7	4.2	4.2	2.6	3.3	-	-	2.2	3.9
Gujarat	9.1	1.7	4.5	5.6	5.6	2.2	1.5	9.4	16.3	-	-
Tamil Nadu	5.6	5.8	5.3	0.0	2.6	4.6	3.3	1.0	2.6	2.9	2.1
Sum of States	16.0	5.7	6.2	8.7	5.6	4.4	3.5	1.6	6.9	5.5	5.1



**न्यायपालिका में
मुसलमानों का
प्रतिनिधित्व और उनकी
मौजूदगी बहुत ही चिंता
का विषय है**

**मुसलमानों का प्रतिनिधित्व
बढ़ाया जाना आवश्यक है,
खासकर उन क्षेत्रों में जहां
रोज-ब-रोज संपर्क
अधिक हों या संवेदनशील
कार्य अधिक हों**

मुसलमान हैं लेकिन शिक्षा विभाग की नौकरियों में उनकी उपस्थिति लगभग इसकी आधी (12.3 प्रतिशत) है। शिक्षा विभाग में मौजूद मुसलमान कर्मचारी अधिकांशतः निचले स्तर पर ही हैं (सारिणी 9.6) सिर्फ बिहार, केरल और तमिलनाडु में उच्च पदों पर मुसलमानों का प्रतिनिधित्व निचले स्तर से अच्छा है। जनसंख्या की दृष्टि से सघन मुस्लिम राज्यों में अधिकांशतः मुसलमान कर्मचारी ग्रुप 'डी' में नियुक्त हैं (सारिणी 9.5)

गृह विभाग : गृह विभाग में मुसलमानों के प्रतिनिधित्व के बारे कमेटी को 12 राज्यों से जानकारी मिली। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से इस विभाग में उत्तर प्रदेश में सिर्फ 1344, झारखंड में महज 428, तमिलनाडु में केवल 2637 और पश्चिम बंगाल में 5690 मुसलमान कर्मचारी हैं। हांलाकि समिति को मिले आंकड़ों के मुताबिक सभी प्रमुख विभागों में से गृह विभाग में मुसलमानों का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक 7.3 प्रतिशत है। (सारिणी 9.4) गृह विभाग की नौकरियों में मुसलमानों को 10 प्रतिशत से अधिक प्रतिनिधित्व देने वाले राज्य आंध्र प्रदेश (14.6 प्रतिशत) असम (11.3 प्रतिशत) और केरल (10.7 प्रतिशत) हैं। आंध्र प्रदेश एक मात्र ऐसा राज्य है, जहां गृह विभाग में मुसलमानों को राज्य में अपनी जनसंख्या के अनुपात से अधिक प्रतिनिधित्व मिल रहा है। बाकी राज्यों में पुलिस बलों में मुस्लिम कर्मचारियों की भारी कमी है। सारिणी 9.6 से जाहिर है कि गृह विभाग में काम करने वाले मुसलमान निचले पदों की बजाय अधिक संख्या में उंचे पदों पर तैनात हैं। हांलाकि ग्रुप "ए" की बजाय मुसलमानों की संख्या ग्रुप "बी" पदों पर अधिक है। केरल उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र को छोड़कर बाकी राज्यों में निचले स्तर पर तैनात मुसलमान कर्मचारियों की संख्या ग्रुप "सी" में ज्यादा है जबकि इन तीन राज्यों में ग्रुप "डी" की नौकरियों में अधिक मुसलमान हैं। गृह विभाग में ग्रुप "सी" के 95 प्रतिशत मुसलमान कर्मचारी पुलिस कांस्टेबल हैं, लेकिन इसके बावजूद कांस्टेबलों की कुल संख्या में मुसलमानों की भागीदारी महज 6 प्रतिशत के करीब है।

स्वास्थ्य विभाग:- असम, कर्नाटक दिल्ली, आंध्र प्रदेश, गुजरात एवं तामिलनाडु सहित 12 राज्यों से स्वास्थ्य विभाग के 4.02 लाख कर्मचारियों से संबंधित आंकड़े ही उपलब्ध हो पाए। स्वास्थ्य विभाग की नौकरियों में सिर्फ 4.4 फीसदी मुसलमानों की मौजूदगी, जनसंख्या में उनकी प्रतिशत हिस्सेदारी से कहीं कम है। सिर्फ केरल और असम ही दो ऐसे राज्य हैं, जहां स्वास्थ्य विभाग की नौकरियों में मुसलमानों का प्रतिनिधित्व 10 प्रतिशत से अधिक है केरल में 10.5 प्रतिशत और असम में 10.8 प्रतिशत स्वास्थ्य कर्मचारी मुस्लिम समुदाय से हैं, लेकिन दोनो राज्यों में इनकी जनसंख्या की तुलना में यह प्रतिनिधित्व भी काफी कम है हांलाकि अपेक्षाकृत इस विभाग में उंचे पदों पर खासकर ग्रुप "बी" स्तर पर मुसलमानों की उपस्थिति अच्छी है। (परिशिष्ट सारिणी 9.7)

परिवहन विभाग :- सिर्फ नौ राज्यों में परिवहन विभाग के अपने 12.11 लाख कर्मचारियों के आंकड़े उपलब्ध कराए। केरल, दिल्ली, गुजरात, और तमिलनाडु ने इस विभाग के पूर्ण आंकड़े कमेटी को दिए। परिवहन विभाग में मुसलमानों की हिस्सेदारी महज 6.5 प्रतिशत है, जो जनसंख्या में उनकी हिस्सेदारी की करीब करीब आधे से भी कम है। इन नौ राज्यों में से सिर्फ चार राज्यों के परिवहन विभाग में मुसलमानों की संख्या 10 फीसदी से अधिक है। जिनमें गुजरात 16.3%, असम 11.8%, बिहार 10.9% और आंध्र प्रदेश 10.0% हिस्सेदारी दे रहे हैं। सारिणी 9.6 परिवहन विभाग में निचले स्तर (ग्रुप सी एवं डी) की नौकरियों में मुसलमानों की संख्या (ग्रुप ए एवं बी) में मुसलमानों की संख्या महज 1.6 प्रतिशत है। सिर्फ केरल, असम, कर्नाटक और दिल्ली में उंचे पदों पर मुसलमानों की उपस्थिति निचले स्तर के मुकाबले अच्छी है। परिवहन ही एक ऐसा विभाग है, जहां ग्रुप "डी" की नौकरियों में मुसलमानों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या में उनकी प्रतिशत हिस्सेदारी के काफी करीब है (सारिणी 9.8)

अन्य विभाग:- 12 राज्यों से मिले सभी अन्य विभागों के कुल 16.6 लाख कर्मचारियों के आंकड़ों के मुताबिक इन विभागों में मुसलमानों की मौजूदगी 6.0 प्रतिशत है। (परिशिष्ट सारिणी 9.4) पश्चिम बंगाल, केरल, बिहार, असम और झारखंड की ओर से उपलब्ध कराए गए आंकड़े पूरे नहीं थे। जिन 12 राज्यों ने आंकड़े मुहैया कराए थे, उनमें से भी सिर्फ केरल और असम में ही मुसलमानों का प्रतिनिधित्व 10 फीसदी



से अधिक था, लेकिन इसके बावजूद जनसंख्या में उनकी हिस्सेदारी से काफी कम। केरल में 10.2 प्रतिशत नौकरी मुसलमानों के पास है तो असम में 11.7 प्रतिशत है। (परिशिष्ट सारिणी 9.9)

न्यायपालिका में मुसलमान कर्मचारियों की हिस्सेदारी:-

न्यायपालिका में नियुक्ति प्रक्रिया काफी निष्पक्ष मानी जाती है लेकिन इसके बावजूद न्यायपालिका में मुसलमानों की “भागीदारी एवं मौजूदगी” एक गंभीर चिंता का कारण है। निष्पक्ष कहने का तात्पर्य यह है कि न्यायपालिका में नियुक्ति के लिए चयन प्रक्रिया कई स्तर की होती है और चयन समिति ही उम्मीदवारों का चयन करती है। चयन समिति की उद्देश्यता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश करते हैं और समिति में राज्य लोक सेवा आयोग का एक प्रतिनिधि भी शामिल होता है। न्यायपालिका में सिर्फ अनुसूचित जातियों और जनजातियों के आरक्षण का प्रावधान से सभी समुदाय के लोगों के लिए चयन परीक्षा में मिले उनके अंकों और साक्षात्कार में उनकी प्रतिभा के प्रदर्शन पर निर्भर करता है। लिखित परीक्षा के दौरान प्रतियोगी की पहचान की जांच की जाती हैं। इसलिए प्रथम दृष्टया किसी भी समुदाय के प्रति किसी भेदभाव का कोई सवाल ही नहीं है। कमेटी को 15 राज्यों से विभिन्न स्तर के लगभग एक लाख कर्मचारियों के आंकड़े मिले। अन्य सामाजिक-धार्मिक श्रेणियों के साथ-साथ समग्रता के साथ भी जानकारी उपलब्ध कराई गई। (चित्र 9.5)

न्यायपालिका की नौकरियों में मुसलमानों की 7.8 प्रतिशत भागीदारी है, जबकि अन्य पिछड़ी जातियों की करीब 21 प्रतिशत और अनुसूचित जातियां एवं अनुसूचित जनजातियां करीब 20 प्रतिशत की हिस्सेदारी निभाती है। सामान्य श्रेणी के हिन्दुओं को न्यायपालिका की नौकरियों में काफी अधिक हिस्सेदारी मिली हुई है जो जनसंख्या में उनकी प्रतिशत हिस्सेदारी से लगभग दो गुनी है और न्यायपालिका की करीब - करीब आधी नौकरियों पर इस वर्ग का प्रतिनिधित्व है। मुसलमानों की स्थिति अपेक्षाकृत निचले पदों पर अधिक है, फिर भी जनसंख्या में उनकी हिस्सेदारी की तुलना में बराबर नहीं है। सत्र न्यायाधीश या इससे ऊपर के ऊंचे पदों मुसलमानों की हिस्सेदारी मामूली है (परिशिष्ट सारिणी 9.10)

विभिन्न राज्यों की ओर से जिन भी विभाग के आंकड़े उपलब्ध कराए गए थे उनमें मुसलमानों की समग्र भागीदारी को बढ़ाने की जरूरत है, जबकि विभिन्न सरकारी खंडों में अनुपातिक प्रतिनिधित्व पर कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन खासकर ऐसे सरकारी विभागों में, जहां रोजाना जनसंपर्क होता हो या संवेदनशील जिम्मेदारियां हों, महत्वपूर्ण मौजूदगी सुनिश्चित करने की जरूरत है। इनमें गृह खासकर पुलिस विभाग, स्वास्थ्य और शिक्षा विभाग शामिल हैं।

हाल में राज्य स्तर पर हुई नियुक्तियां:- कमेटी ने पिछले पांच वर्षों में उत्तर प्रदेश, असम, गुजरात, कर्नाटक, उत्तरांचल, दिल्ली, राजस्थान, उड़ीसा और (हिमाचल प्रदेश में राज्य लोक सेवा आयोग के जरिए हुई नियुक्तियों के आंकड़े मंगाए। सारिणी 9.7)


सारिणी 9.7 में दिए गए आंकड़ों से स्पष्ट है कि ग्रुप डी को छोड़कर बाकी सभी नौकरियों में सामान्य श्रेणी के हिन्दुओं का प्रतिनिधित्व जनसंख्या में उनकी हिस्सेदारी से कहीं अधिक है। अन्य पिछड़ी जाति के हिन्दुओं की भागीदारी निचले स्तर के रोजगारों में, जनसंख्या में उनकी हिस्सेदारी के काफी करीब है, लेकिन उच्च पदों के मामले में यह करीब आठ फीसदी तक कम है। नियुक्तियों में मुसलमानों और अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों की भागीदारी अपनी जनसंख्या प्रतिशत से काफी कम है। हालांकि मुसलमान ग्रुप सी एवं ग्रुप डी के मुकाबले ऊंचे पदों पर अपेक्षाकृत अधिक हैं, जबकि ऊंचे पदों पर अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों की भागीदारी महज चार फीसदी है, लेकिन ग्रुप ‘डी’ की नौकरियों में काफी अधिक है। राज्य लोक सेवा आयोगों द्वारा की गई सभी नियुक्तियों में मुसलमानों की हिस्सेदारी करीब 2.1 प्रतिशत रही है, जबकि इन राज्यों की जनसंख्या में उनकी 12.4 प्रतिशत हिस्सेदारी है। यह विश्लेषण नियुक्ति में करीब 83 प्रतिशत की कमी को दिखाता है।

राज्य लोक सेवा आयोगों की ओर से हाल में हुई भर्तियों में मुसलमानों की हिस्सेदारी 2.1 प्रतिशत के करीब है।

मुसलमानों / अल्पसंख्यकों की आर्थिक स्थिति और अनोखी सामाजिक-सांस्कृतिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर भी कार्यक्रम बनाए गए हैं



Fig. 9.5 : Share of Muslims in Judiciary Employment
No. of Employees: 98593



कमेटी ने उत्तर प्रदेश, असम, राजस्थान, उड़ीसा और हिमाचल प्रदेश में साक्षात्कार के लिए बुलाए गए सभी उम्मीदवारों की पूरी जानकारी प्राप्त की और विश्लेषण करने पर पाया कि सभी श्रेणियों में साक्षात्कार के लिए बुलाए गए उम्मीदवारों ने एक बार फिर बाजी मारी है और उनकी भागीदारी जनसंख्या में उनकी हिस्सेदारी से काफी अधिक है। (सारिणी 9.8) यह देखा गया कि जहां तक ग्रुप 'ए' के पदों का सवाल है, तो इसके साक्षात्कार के लिए बुलाए गए मुस्लिम उम्मीदवारों की प्रतिशत संख्या अपने जनसंख्या अनुपात के काफी करीब थी। जबकि ग्रुप 'डी' पदों पर साक्षात्कार के लिए बुलाए गए उम्मीदवारों में करीब 18 प्रतिशत मुसलमान थे, लेकिन जिन राज्यों से कमेटी ने साक्षात्कार के लिए बुलाए गए और चयनित उम्मीदवारों की जानकारी ली थी उनमें वास्तविक नियुक्तियों में उनकी हिस्सेदारी महज 1.1 प्रतिशत रही। आंकड़ों के मुताबिक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार अधिकांशतः निचले स्तर की नौकरियों के लिए आगे आते हैं। जबकि अन्य पिछड़ी जातियों के उम्मीदवार ग्रुप डी में अपनी अच्छी भागीदारी निभाने के साथ-साथ अन्य नौकरियों में भी समान हिस्सेदारी कर रहे हैं।

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम :

कमेटी को सिर्फ 10 राज्यों से सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के 7.6 लाख कर्मचारियों के आंकड़े मिले। इन 7.6 लाख कर्मचारियों में मुसलमानों की भागीदारी 10.7 प्रतिशत है, जो काफी अच्छी होने के बावजूद जनसंख्या में उनकी भागीदारी 14.8 प्रतिशत से कम है। समग्र आंकड़े पीए स यू रोजगारों में करीब 28 प्रतिशत कमी को दर्शाते हैं। गुजरात और आंध्र प्रदेश के पी एस यू में मुसलमानों की भागीदारी अच्छी है, जहां यह आंकड़ा, इन राज्यों में उनकी मौजूदगी क्रमशः 9.1 प्रतिशत और 9.2 प्रतिशत से काफी अधिक है। गुजरात में पीएस यू में मुसलमानों की भागीदारी करीब 16 प्रतिशत जबकि आंध्र प्रदेश में 12 प्रतिशत है। केरल में मुसलमानों की हिस्सेदारी 10.8 प्रतिशत होने से काफी कम है। हालांकि गुजरात और केरल में अधिकांश मुसलमान राज्य के पीएस यू में ऊंचे पदों के मुकाबले निचले स्तर की नौकरियों में लगे हैं। (परिशिष्ट सारिणी 9.11)

Table 9.7: Share of Muslims Recruited through State Public Service Commissions during the last 5 years.
(Recommended/selected for recruitment*: 63,402)

Category	All	Hindus				Muslims	Other Minorities
		All Hindus	SCs/STs	OBCs	Upper Castes		
Higher Positions	25.4	88.8	20.9	22.7	45.3	3.2 (20.7)	8.0
Lower Positions	74.6	98.0	35.2	29.0	33.9	1.6 (10.4)	0.3
Group 'A'	5.8	82.2	19.3	23.7	39.2	7.5 (48.6)	10.3
Group 'B' #	12.4	86.4	19.8	21.2	45.3	2.2 (14.3)	11.5
Group 'C'	21.1	95.8	12.6	20.8	62.4	3.0 (19.4)	1.2
Group 'D'	53.4	98.9	44.1	32.2	22.6	1.1 (7.1)	0.0

*Includes Uttar Pradesh, Assam, Gujarat, Karnataka, Uttaranchal, Delhi, Rajasthan, Orissa and Himachal Pradesh
Rajasthan is excluded due to non-availability of data on Hindus
Note : Group B, Group C, Group D includes candidates directly recruited or promoted
States not included: Maharashtra and West Bengal as data on Hindus is not provided.
Figures in parentheses are ratios of Muslim share to their population share in per cent terms.



**Table 9.8: Share of Muslims Interviewed in State Public Service Commissions*
(Candidates called for Interview: 40,085)**

Category	All	Hindus				Muslims	Other Minorities
		All Hindus	SCs/STs	OBCs	General		
Higher Positions	79.1	87.2	22.3	21.0	43.9	7.3 (46.9)	5.5
Lower Positions	20.9	87.4	40.1	20.5	26.7	3.3 (21.2)	9.4
Group 'A'	35.8	80.5	18.3	17.5	44.7	13.4 (86.1)	6.1
Group 'B' #	19.0	84.8	30.5	23.2	31.1	3.7 (23.8)	11.5
Group 'C'	19.9	87.8	41.4	20.0	26.4	2.5 (16.1)	9.7
Group 'D'	1.0	79.4	14.6	31.7	33.2	17.8 (114.4)	2.8

*Includes UP, Assam, Rajasthan, Orissa, HP

States not included: Uttaranchal, Delhi, Maharashtra and Gujarat (as data not provided). West Bengal not included as Hindus data is not provided. Kerala, due to lack of data, is not in our format.

Figures in parentheses are ratios of Muslim share to their population share in per cent terms.

3. कार्यक्रम :

जैसा अध्याय आठ में देखा गया है कि शहरी क्षेत्र में करीब 38 प्रतिशत और ग्रामीण क्षेत्र में 27 प्रतिशत मुसलमान गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं। काफी ज्यादा मुसलमान ऐसे हैं जो गरीबी स्तर के करीब हैं। इससे ऐसे लोगों की साख कम होती है और उन्हें बैंकों एवं ऐसे ही वित्तीय संस्थानों से कर्ज लेने में कठिनाई होने लगती है।

मुस्लिम समुदाय की इस स्थिति को देखते हुए, उनमें गरीबों, खासकर महिलाओं और बच्चों के कल्याण स्तर को सरकारी कार्यक्रमों की मदद से सुधार पाना काफी जटिल है। सहायता के योग्य इस तबके को आर्थिक विकास के साथ-साथ सामाजिक सुरक्षा मुहैया कराने के लिए देश में कई कार्यक्रम लागू किए गए। उदाहरण के तौर पर शिक्षा और स्वास्थ्य योजनाओं के अलावा कृषि, सिंचाई और भूमि वितरण के जरिए ग्रामीण आय को सुधारने/ बढ़ाने के लिए कई कार्यक्रम हैं। इसी प्रकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली, समेकित बाल विकास योजना (आई सी डी एस) और मध्याह्न भोजन योजनाएं भी गरीबों की मदद के लिए बनाई गई हैं। बालिकाओं के लिए छात्रवृत्ति-योजनाएं, सामाजिक सुरक्षा/ पेंशन और ऐसे ही कई अन्य कार्यक्रम भी हैं। जबकि ज्यादातर कार्यक्रम गरीबों की मदद के लिए बनाए गए हैं, यद्यपि अधिकतर मामलों में इनका लक्ष्य खास व्यवसाय, क्षेत्र और पूंजी पैदा करना है। मुसलमानों/ अल्पसंख्यकों के अनूठे सामाजिक-सांस्कृतिक आवश्यकताओं और आर्थिक रूप से योग्य बनाने के लिए लक्षित कार्यक्रम भी मौजूद हैं। उदाहरण के लिए, मुसलमानों/अल्पसंख्यकों और अन्य पिछड़ी जातियों एवं वित्त निगम (एनएमडीएफ सी) और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम (एनबीसी एफ डीसी), की स्थापना की गई है। यह जानना महत्वपूर्ण है कि इन कार्यक्रमों और विशेषज्ञ संस्थानों का फायदा मुसलमान उठा रहे हैं या नहीं।

3.2 लाभान्वित उन्मुख कार्यक्रम :-

केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित होने के बावजूद 200 से अधिक कार्यक्रमों में से कुछ को राज्य स्तर पर पर्याप्त प्रावधान नहीं मिल पा रहा है, तो बाकी को सभी राज्यों में लागू नहीं किया गया। मुस्लिम समुदाय की इस स्थिति को देखते हुए, उनमें गरीबों, खासकर महिलाओं और बच्चों के कल्याण स्तर को सरकारी कार्यक्रमों की मदद से सुधार पाना काफी जटिल है। सहायता के योग्य इस तबके को आर्थिक विकास के साथ-साथ सामाजिक सुरक्षा मुहैया कराने के लिए देश में कई कार्यक्रम लागू किए गए। उदाहरण के तौर पर शिक्षा और स्वास्थ्य योजनाओं के अलावा कृषि, सिंचाई और भूमि वितरण के जरिए ग्रामीण आय को सुधारने/ बढ़ाने के लिए कई कार्यक्रम हैं। इसी प्रकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली, समेकित बाल विकास योजना (आई सी डीएस) और मध्याह्न भोजन योजनाएं भी गरीबों की मदद कि बनाई गई है।

**उत्तर प्रदेश के सरकारी
कार्यक्रमों में लाभान्वित
मुसलमानों की हिस्सेदारी
3 से 14 फीसदी के बीच
है, जो उनकी आबादी के
हिस्से 24 प्रतिशत की
तुलना में बहुत कम है**



जिन राज्यों ने समिति को आंकड़े उपलब्ध कराए, वहां भी कुल मिलाकर मुसलमानों की स्थिति असंतोषजनक है

शहरी क्षेत्रों में करीब 60 प्रतिशत मुस्लिम महिलाओं का प्रसव आमतौर पर निजी रूप से संचालित हो रहे अस्पतालों में होता है, जो अन्य सभी एसआरसी (केवल एससी-एसटी को छोड़कर) की तुलना में कम है

बालिकाओं के लिए छात्रवृत्ति-योजनाएं, सामाजिक सुरक्षा/पेंशन और ऐसे ही कई अन्य कार्यक्रम भी हैं। जबकि ज्यादातर मामलों इनका लक्ष्य खास व्यवसाय, क्षेत्र और पूंजी पैदा करना है। मुसलमानों/अल्पसंख्यकों के अनूठे सामाजिक-सांस्कृतिक आवश्यकताओं और आर्थिक रूप से योग्य बनाने के लिए लक्षित कार्यक्रम भी मौजूद हैं। उदाहरण के लिए, मुसलमानों/अल्पसंख्यकों और अन्य पिछड़ी जातियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (एनएमडीएफ सी) और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम (एनबीसी एफ डीसी), की स्थापना की गई है। यह जानना महत्वपूर्ण है कि इन कार्यक्रमों और विशेषज्ञ संस्थानों का फायदा मुसलमान उठा रहे हैं या नहीं।

3.2 लाभान्वित उन्मुख कार्यक्रम :-

केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित होने के बावजूद 200 से अधिक कार्यक्रमों में से कुछ को राज्य स्तर पर पर्याप्त प्रावधान नहीं मिल पा रहा है, तो बाकी को सभी राज्यों में लागू नहीं किया गया। इसके लिए उन्हें जिला और राज्यस्तर पर रखे जाने वाले रिकार्ड से यह जानकारी निकालनी थी। कुछ राज्यों ने 20 प्रतिशत लाभान्वितों में से प्रतिनिधि नमूने लेकर मुसलमानों की संख्या का अनुमान लगाया और योजना के कुल लाभ में मुसलमानों की भागीदारी का आंकलन किया। जानकारी को एकत्र करने के लिए कमेटी के सदस्यों ने कई बार संबंधित राज्यों के मुख्य सचिवों और संबंधित विभागों के सुधार सचिवों/सचिवों के साथ बैठकें की।

राज्य स्तरीय

कमेटी ने राज्यों से चार वर्षों, 2003-03, 2003-04, 2004-05 और 2005-00 के आंकड़े देने को कहा। राज्यों ने दिए भी, पर कई राज्यों ने पहले तीन वर्षों के आंकड़े दिए, तो कुछ ने दो वर्षों के और कुछ ने चारों वर्ष के आंकड़े उपलब्ध कराए। राज्यों के बीच तुलनात्मक विश्लेषण के दौरान इन आंकड़ों को सालाना औसत में बदल दिया गया। इन जानकारियों की जांच भी की गई और कमेटी ने वार्षिक योजनाओं तथा राज्य, केन्द्र सरकार की रिपोर्ट जैसे प्रारंभिक स्रोतों से प्राप्त जानकारी के जरिए इन आंकड़ों को प्रमाणिक बनाया। इन तमाम प्रयासों के बावजूद आंकड़े कुछ हद तक अपर्याप्त थे।

आंकड़ों की अपर्याप्तता का आलम यह था कि पश्चिम बंगाल, असम, आंध्रप्रदेश और बिहार ने काफी सीमित आंकड़े दिए थे, जबकि वादा पूरा आंकड़ा देने का किया था। कमेटी ने राज्यों के रूख पर भी खेद व्यक्त किया। इनमें जम्मू कश्मीर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा हैं। कई योजनाओं में तो व्यक्तिगत लाभान्वितों को लक्षित ही नहीं किया गया है। कुछ अन्य योजनाएं भी हैं जिनमें ढांचागत सुविधाओं पर ध्यान केन्द्रित किया गया है और उनका लक्ष्य क्षेत्र की पूरी जनसंख्या पर है। अगर ऐसी योजनाओं को अलग कर दिया जाए तो सिर्फ कुछ योजनाएं ही ऐसी बचती हैं, जिन्हें “लाभान्वित उन्मुख योजना” के तौर पर श्रेणीबद्ध किया जा सकता है।

आंकड़े एकत्र करने में होने वाली परेशानी को ध्यान में रखते हुए कमेटी ने मुस्लिम समुदाय पर योजनाओं के प्रभाव का विश्लेषण करने के लिए चुनिंदा विभागों की कुछ ऐसी सीमित योजनाओं को ही चुना जिनको लाभ देना था। यह चुनाव राज्य में कंप्यूटराइज्ड सूचना भंडार से सूचनाएं उपलब्ध करा पाने में विभाग की क्षमता पर भी आधारित था। कमेटी इस बात को जानती थी कि संबंधित अधिकारी को कानूनी रूप से लाभान्वितों के धन के बारे में जानकारी रखने की कोई आवश्यकता नहीं थी और विभाग को लाभान्वितों के नाम के आधार पर यह जानकारी उपलब्ध करानी थी। योजनाओं के विश्लेषण के लिए आंकड़े संबंधित राज्य सरकारों से लिए गए। जबकि प्रत्येक योजनाओं के तहत कुल लाभों की जानकारी, राज्य की वार्षिक योजनाओं और बजट में उपलब्ध थी, राज्य सरकारों को योजनाओं को लागू करने वाली एजेंसियों और विभागों से यह जानकारी एकत्र करने को कहा गया।

उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ और पंजाब जैसे राज्यों ने लाभान्वित उन्मुख कार्यक्रमों के बारे में कोई



जानकारी उपलब्ध नहीं कराई। विश्लेषण में शामिल योजनाओं के बारे में उपलब्ध जानकारी अन्य राज्यों द्वारा मुहैया कराए गए। आंकड़े परिशिष्ट सारणी 9.12 में दिए गए।

कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष इस प्रकार हैं

केरल में गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों में 30.7 प्रतिशत मुसलमान होने के बावजूद सहकारी ऋण (28 प्रतिशत) और राष्ट्रीय नेत्रहीनता नियंत्रण कार्यक्रम (21 प्रतिशत) जैसे कार्यक्रमों को छोड़कर विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों में उनकी हिस्सेदारी 5 प्रतिशत से 18 प्रतिशत तक ही है।

उत्तर प्रदेश में गरीबों की संख्या का 23.6 प्रतिशत हिस्सा होने के बावजूद मुसलमानों की स्थिति असंतोषजनक है। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना एसजे एसआर वाई और लघु उद्योगों, जिनमें

बॉक्स 9.1 यशस्विनी कर्नाटक में किसानों की स्वास्थ्य योजना

14 नवंबर 2002 को कर्नाटक ने यशस्विनी सहकारी किसान स्वास्थ्य सेवा योजना (यशस्विनी) शुरू की। यह विश्व में अब तक की सबसे बड़ी स्ववित्तपोषित स्वास्थ्य सेवा थी, जिसके तहत हितकारी समिति के पंजीकृत किसानों और उनके आश्रितों को सस्ते शुल्क पर शल्य चिकित्सा सहित अन्य स्वास्थ्य सेवाएं पेश की गई थी, शल्य चिकित्सा की 1600 प्रक्रियाओं को इस योजना में शामिल किया गया था। यशस्विनी एक सहयोग योजना है, जिसमें लाभान्वितों को एक छोटी रकम सालाना तौर पर जमा करना होता है। इसमें वयस्कों के लिए 10 रुपये प्रतिमाह और बच्चों के लिए पांच रुपये प्रतिमाह की राशि तय की गई है ताकि वह अवधि के दौरान आवश्यक राज्य चिकित्सा प्राप्त कर सकें। लाभान्वितों को योजना के तहत पूरे कर्नाटक में 135 से अधिक अस्पतालों में मुफ्त इलाज की सुविधा दी गई है। यह योजना सहकारी समिति के उन सभी सदस्यों के लिए खुली है, जिनकी सदस्यता कम से कम छह महीने पुरानी हो। इस बीमा योजना में नवजात बच्चों से लेकर 75 वर्ष की आयु तक के किसान शामिल हैं। यह योजना स्वैच्छिक आधार पर सभी सदस्यों के लिए है, आश्रितों (पत्नी एवं बच्चे) का पंजीकरण भी सदस्य की इच्छा पर निर्भर है। योजना का संचालन कर्नाटक राज्य सहकारी विभाग और भारत सरकार के बीमा नियंत्रण एवं विकास प्राधिकरण “परिवार स्वास्थ्य योजना लिमिटेड” के संरक्षण में चल रहा है। तीसरे पक्ष के एक प्रमाणित प्रशासक को योजना के क्रियान्वयन एजेंसी के तौर पर नियुक्त किया गया है। मार्च 2006 के अंत तक कर्नाटक में यशस्विनी योजना के तहत 17.01 लाख लोग लाभान्वित हुए हैं। दुर्भाग्यवश उनमें मुसलमानों की संख्या कुल लाभान्वितों के मध्य एक प्रतिशत है। इस योजना के तहत सिर्फ 17 हजार मुसलमान ही लाभान्वित हुए हैं।

आईसीडीएस कार्यक्रम भी असफल हो चुका है क्योंकि इसकी पहुंच एक भी एसआरसी तक नहीं है। ज्यादातर राज्यों में मुस्लिमों से संबंधित कवरेज भी बहुत घटिया स्तर का रहा है।

मुसलमानों की भागीदारी 16 प्रतिशत से अधिक है, को छोड़कर अन्य योजनाओं में मुसलमानों की हिस्सेदारी 3 प्रतिशत से 14 प्रतिशत तक है। कृषि एवं निगम विभागों द्वारा लागू की गई योजनाओं में मुसलमानों हिस्सा 10 फीसदी से भी कम है।

कर्नाटक में गरीबों का 20 प्रतिशत हिस्सा मुसलमानों का है और स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (15 प्रतिशत से अधिक) और लघु उद्योगों की स्थापना (11 प्रतिशत) में उनकी भागीदारी संतोषजनक है। बाकी बची योजनाओं में हालांकि मुसलमानों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। यहां तक कि यशस्विनी जैसे सफल कार्यक्रम में भी मुसलमानों का प्रतिनिधित्व अपर्याप्त है। (देखें बॉक्स 9.1)

महाराष्ट्र में जहां कुल गरीब आबादी 16.4 प्रतिशत मुसलमान है, एसजेएसआरवाई, एनएसएपी और हथकरघा एवं कपड़ा विभाग जैसी योजनाओं मुसलमानोंकी अच्छी भागीदारी है। हालांकि बाकी अन्य योजनाओं में, जब मुसलमानों की भागीदारी 8 प्रतिशत या उससे भी कम है, मुसलमानों को और को अधिक प्रभावकारी तरीके से लक्षित करने की जरूरत है।



गुजरात में गरीब आबादी का 9.7 प्रतिशत हिस्सा मुसलमानों का है और अधिकांश योजनाओं में उनकी हिस्सेदारी इससे कम ही है। सिर्फ एसजेएसआर वार्ड और एनएसएजी योजनाओं में उनकी मौजूदगी संतोषजनक है।

तमिलनाडु में गरीबों में 4.1 फीसदी मुसलमान हैं और मुसलमानों की हिस्सेदारी सिर्फ निगम और स्वास्थ्य विभागों की योजनाओं में ही संतोषजनक है।

जिन राज्यों ने कमेटी को आंकड़े सौंपे थे वहां मुसलमानों की समग्र संलिप्तता आसंतोषजनक है। नर्सों में मुसलमानों के प्रतिनिधित्व की अनुपस्थिति दर्ज की गई है। सिर्फ एसजेएस आर वार्ड, सरकारी ऋण और एनएसएपी जैसी योजनाओं में मुसलमानों को उचित प्रतिनिधित्व मिल रहा है। चर्चित धारणा के विपरीत परिवार नियोजन कार्यक्रमों में मुसलमानों की भागीदारी का बढ़ना भी काफी दिलचस्प है।

बाल विकास एवं पोषण कार्यक्रम:-

पूरे देश में ओर देश के भीतर क्षेत्रीय एवं आबादी समूहों के बीच बच्चों की स्थिति का आंकलन सापेक्षित विकास की तुलना करने का सबसे अच्छा तरीका है नवजात एवं शिशु मृत्यु दर को घटाने और बाल पोषण की स्थिति सुधारने में किए जा रहे वर्तमान प्रयास अगले एक दशक या उसके बाद गुणवत्ता पर अपना प्रभाव छोड़ेंगे। इनमें शिक्षा क्षेत्र भी शामिल किया गया है। मानव विकास के इस पहलु को समझने के लिए, तीन प्रमुख कार्यक्रम नीचे दिए गए हैं। इनमें 16 वर्ष तक की उम्र के बच्चे की स्वास्थ्य-पोषण आवश्यकताओं को ध्यान में रखा गया है।

मौलाना आजाद फाउंडेशन को प्रभावकारी बनाने के लिए कॉर्पस फंड को 1000 करोड़ रुपये तक बढ़ाया जाने की आवश्यकता है।

प्रसव का स्थान एवं स्वास्थ्य सुविधा- 1999-2000


सरकार का एक लक्ष्य प्रसव के दौरान मृत्यु, नवजात मृत्यु और शिशु मृत्यु दर को कम करना है। इसके लिए सरकार ने स्वास्थ्य की बुनियादी सुविधाओं को विकेन्द्रीकृत किया है और स्थानीय स्तर पर “एएनएम” नर्सों जैसी स्वास्थ्य कर्मियों की सेवा उपलब्ध कराई है। इस बुनियादी सुविधा और स्वास्थ्य कर्मियों से प्रसव पूर्व देख रेख और प्रसव के साथ साथ जच्चा-बच्चा स्वास्थ्य में सुधार होने की उम्मीद है। इस व्यापक कार्यक्रमों का विश्लेषण कर पाना काफी मुश्किल है। हालांकि आंशिक विश्लेषण का प्रयास अवश्य किया गया है। उदाहरण के तौर पर, बच्चे के जन्म के स्थान के बारे में जानकारी के विश्लेषण से सुरक्षित प्रसव प्रक्रिया का आंकलन किया जा सकता है। दूसरे, बच्चे का जन्म तकनीकी रूप से प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मियों की मदद या उसकी मौजूदगी में हुआ है या नहीं। इस जानकारी से इन सेवाओं तक पहुंचने में अतिरिक्त मदद मिलेगी। इस विषयों पर राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-2 के आंकड़े ग्रामीण और शहरी दोनों इलाकों के लिए एकत्र किए गए हैं।

यह उम्मीद की जाती है कि लोग अस्पतालों और स्वास्थ्य केन्द्रों में बच्चों के प्रसव को प्राथमिकता दें, जहां प्रशिक्षित चिकित्सा और नर्सिंग कर्मचारियों की सेवाएं उपलब्ध हों। हालांकि कई बार लोग दूरी और लागत की वजह से संस्थागत प्रसव का भार वहन नहीं कर पाते हैं। आंकड़े बताते हैं कि शहरी और ग्रामीण इलाके में प्रसव स्थान में काफी बड़ा अंतर है। उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो शहरी इलाके में प्रसव ज्यादातर अस्पतालों या निजी संस्थानों में होता है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में बिना किसी प्रशिक्षित कर्मचारी की मदद से घर में प्रसव करा लिया जाता है। (चित्र 9.6)

ग्रामीण-शहरी अंतर के इस आम पैटर्न में विभिन्न सामाजिक-धार्मिक श्रेणियों में मुसलमानों की स्थिति सबसे बुरी है और जिसमें अनुसूचित जाति एवं जनजाति ही इस मामले में उनकी बराबरी पर हैं। शहरी क्षेत्र में मुस्लिम समुदाय में होने वाले कुल प्रसव मामलों में 60 प्रतिशत मामले अस्पतालों में होते हैं, वह भी विशेषतः निजी अस्पतालों में। दूसरी ओर सामान्य हिन्दु श्रेणी और अन्य पिछड़ी जातियों के लोग अधिक अनुपात में संस्थागत सहायता का उपयोग करते हैं। सार्वजनिक और निजी संस्थानों का उपयोग यह दोनों श्रेणियों, मुसलमानों और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों से काफी अधिक करती है।



Fig. 9.6 : Percentage Share of Deliveries in Home and Institutions



ग्रामीण क्षेत्रों में प्रसव के तान चाथाई मामल घरा म हा अजामादए जात ह, इनम स 80 प्रतिशत स आधक में तो अशिक्षित कर्मियों की उपस्थिति भी नहीं होती है। करीब पांच दशकों या इससे भी अधिक समय से ग्रामीण क्षेत्रों में प्रसव के दौरान प्रशिक्षित कर्मियों की मौजूदगी को बढ़ाने के लिए चलाए गए अभियान से सुधार होने की उम्मीद भी थी, लेकिन बच्चों के जन्म के समय प्रशिक्षित कर्मियों की मौजूदगी के समय 10 प्रतिशत से भी कम मामलों से यह कार्यक्रम बेअसर दिख रहा है। शहरी क्षेत्रों में भी मुस्लिम महिलाओं के प्रसव की स्थिति काफी बुरी है, वास्तव में प्रसव के दौरान प्रशिक्षित कर्मियों की सहायता लेने के मामले में मुसलमान, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अन्य सामाजिक-धार्मिक श्रेणियों से भी पीछे हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में प्रसव के दौरान अस्पताल की सुविधाओं का उपयोग करने के कम स्तर के बावजूद, यहां अन्य श्रेणियों के मुकाबले अन्य पिछड़ी

जाति और सामान्य श्रेणी के हिन्दु इन सुविधाओं का अपेक्षाकृत अधिक उपयोग करते हैं।

समेकित बाल विकास सेवाएं(आईसी डीएस)- 2004-05:-

एक बार बच्चों के जन्म के बाद उन्हें पोषण देना काफी महत्वपूर्ण है। देश भर में खासकर ग्रामीण क्षेत्रों और गरीब तबकों के छह वर्ष तक की उम्र के बच्चों के बीच इस समस्या को हल करने के लिए आईसीडीए एक समग्र कार्यक्रम है।

किसी गरीब तबके या विशेष एसआरसी को लक्षित नहीं करने के बावजूद व्यवहारिक तौर पर आईसीडीएस अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की ओर उन्मुख है। इस कार्यक्रम के दो तत्व हैं- पहला व्यवहारिक परिवर्तन और दूसरा दैनिक आधार पर वास्तविक पोषक तत्वों की आपूर्ति।

हाल में आखिल भारतीय स्तर पर कराए गए सर्वेक्षण में सरकारी संस्थाओं द्वारा मुहैया सरकारी राज्य विशेष आईसीडीएस और मध्याह्न भोजन से संबंधित आंकड़े एकत्रित किए गए। इसी प्रकार एक अन्य सर्वेक्षण ने जटिल स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में जानकारी उपलब्ध कराई, जो जन्म स्थान और बच्चे को जन्म के समय मिले पेशेवर सहयोग के प्रकार में दिखाता है।

एनएसएसओ आंकड़ों के 61 वें दौर के विश्लेषण के मुताबिक आईसीडीएस की पहुंच देश भर में छह वर्ष

अप्रैल 2002 से मार्च 2006 तक चार वर्षों में मदरसों के आधुनिकीकरण और बुनियादी संरचना के विकास के लिए कुल आवंटन 106 करोड़ रुपये का रहा है।



की उम्र तक के सिर्फ 11 प्रतिशत बच्चों तक ही है। (सारणी 9.9) केरल, महाराष्ट्र, गुजरात और पश्चिम बंगाल में आईसीडीएस की पहुंच अपेक्षाकृत अच्छी है, जबकि उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तरांचल और राजस्थान में जरूरतमंद आबादी के तीन फीसदी से भी कम हिस्से को इसका लाभ मिल पा रहा है।

Table 9.9: Percentage Coverage of the ICDS for 0-6 years old Population by States and SRCs 2004-05

Incidence	All	Hindu				Muslim All	All Others
		All Hindus	SCs/STs	OBCs	General		
India	10.5	10.9	10.2	12.5	9.9	7.6	13.5
West Bengal	16.6	17.9	16.3	18.8	21.5	13.8	24.5
Kerala	20.9	25.2	26.9	31.2	22.2	9.4	29.1
Uttar Pradesh	1.9	2.0	1.5	2.7	1.6	1.9	0.0
Bihar	2.7	3.0	1.8	2.3	3.5	1.7	0.0
Assam	11.8	13.3	12.0	10.8	19.3	10.4	2.8
Jammu & Kashmir	6.6	1.0	1.3	0.6	0.9	10.1	0.0
Jharkhand	2.0	1.8	0.0	0.9	2.9	4.0	0.7
Karnataka	10.6	11.1	6.2	14.8	11.4	6.7	15.4
Uttaranchal	3.1	2.5	1.4	4.8	1.7	7.8	0.0
Delhi	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Maharashtra	21.2	22.2	16.6	23.4	26.6	14.0	21.4
Andhra Pradesh	9.6	9.9	8.0	13.1	8.7	6.3	9.8
Gujarat	23.3	22.5	14.3	28.0	22.9	31.7	11.7
Rajasthan	2.4	2.5	5.6	2.4	1.6	2.2	0.2
Madhya Pradesh	5.0	4.8	2.0	6.1	4.6	8.1	0.9
Haryana	23.7	24.7	20.2	25.2	30.1	6.6	20.2
Tamil Nadu	17.6	18.3	8.0	22.7	17.1	15.1	8.8
Orissa	38.3	38.3	34.1	40.4	37.6	39.3	39.8
Himachal Pradesh	17.8	18.2	21.1	17.3	8.9	9.0	15.9
Chhattisgarh	22.5	22.7	12.1	25.2	21.4	2.6	17.0
Punjab	4.1	5.9	7.5	6.5	0.6	0.0	3.2
All Other States	20.1	10.5	4.3	16.8	9.5	12.4	32.4

एसआरसी के द्वारा आईसीडीएस के उपयोग के विश्लेषण के मुताबिक अखिल भारतीय स्तर पर जरूरतमंद बच्चों में अन्य पिछड़ी जातियों के 13 प्रतिशत बच्चे इस योजना के माध्यम से लाभान्वित हो रहे हैं, जबकि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के 10 प्रतिशत और सामान्य हिन्दुओं के 10 प्रतिशत के अलावा मुसलमानों के आठ फीसदी से कम बच्चों को ही इसका लाभ मिल रहा है। केरल में विभिन्न सामाजिक-धार्मिक श्रेणियों द्वारा आईसीडीएस के उपयोग में काफी अंतर है। इस योजना के तहत जहां अन्य पिछड़ी जातियों के 31 प्रतिशत बच्चे इसका लाभ पा रहे हैं वहीं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के 27 प्रतिशत बच्चों को इसका लाभ मिल रहा है। सामान्य श्रेणी के हिन्दुओं में यह आंकड़ा भले ही 22 प्रतिशत है लेकिन सिर्फ 9 प्रतिशत से कुछ अधिक मुस्लिम बच्चों तक ही इस योजना का लाभ पहुंच पा रहा है। पश्चिम बंगाल में भी आईसीडीएस का वितरण समान नहीं है। राज्य में इस योजना से लाभान्वित होने वालों में सामान्य श्रेणी के हिन्दु बच्चों की हिस्सेदारी 22 प्रतिशत है, अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों



के लिए यह भागीदारी 16 प्रतिशत और मुसलमानों में 14 प्रतिशत है। इस योजना के तहत लाभ पाने वाले मुसलमानों की भागीदारी गुजरात, उत्तरांचल और मध्य प्रदेश में कुछ बेहतर है।

Table 9.10: Percentage Coverage of the Mid Day Meal for 6-16 years old Population by States and SRCs 2004-05

Incidence	All	Hindus				Muslim All	All Others
		All Hindus	SCs/STs	OBCs	General		
India	26.8	28.1	34.7	27.6	19.1	22.8	17.2
West Bengal	32.3	31.9	35.6	31.6	27.6	33.3	23.5
Kerala	35.0	37.4	47.4	37.5	26.8	37.4	24.2
Uttar Pradesh	17.0	17.9	25.6	16.2	10.4	13.8	10.5
Bihar	13.4	13.3	13.7	13.6	11.3	14.0	0.0
Assam	21.9	21.2	23.8	23.9	15.5	22.4	30.3
Jammu & Kashmir	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0
Jharkhand	17.6	18.0	23.7	16.3	6.5	10.8	24.7
Karnataka	45.8	46.5	50.7	49.8	36.1	42.4	33.6
Uttaranchal	28.7	29.9	37.0	24.5	27.4	16.7	44.6
Delhi	9.7	9.9	19.8	13.9	2.5	13.7	0.0
Maharashtra	31.4	32.5	33.4	33.9	30.4	25.2	28.9
Andhra Pradesh	29.9	30.2	40.2	29.7	17.9	26.5	32.7
Gujarat	33.0	33.6	48.0	38.4	9.9	31.4	13.1
Rajasthan	25.5	26.1	29.2	27.2	16.6	23.1	8.7
Madhya Pradesh	33.7	35.0	42.6	34.6	15.9	21.2	13.7
Haryana	16.7	16.3	29.7	14.8	8.4	29.2	16.1
Tamil Nadu	53.8	55.2	71.5	50.9	11.2	38.5	45.9
Orissa	32.2	32.0	36.3	29.7	26.4	35.5	36.3
Himachal Pradesh	37.4	37.8	43.1	35.7	35.0	39.7	19.6
Chhatisgarh	40.2	41.1	45.9	38.2	22.1	27.8	12.9
Punjab	2.5	2.8	5.2	0.0	1.3	0.0	2.4
All Other States	56.5	59.1			59.1	32.5	52.0

व्यापक परिप्रेक्ष्य में आईसीडीएस कार्यक्रम विफल होता दिख रहा है क्योंकि किसी भी सामाजिक-धार्मिक श्रेणियों तक यह पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंच पा रहा है। अधिकांश राज्यों में मुसलमानों तक इस कार्यक्रम की पहुंच काफी दयनीय है।

मध्याह्न भोजन (एमडीएम) के लाभान्वित (6 से 16 वर्ष तक के बच्चे)- 2004-05

मध्याह्न भोजन कार्यक्रम एक दशक से भी कम पुराना कार्यक्रम है। इसे देश भर में लागू किया गया है और शिक्षा बजट का करीब एक तिहाई हिस्सा इस कार्यक्रम को दिया गया है। विद्यालयों में बच्चों के पंजीकरण और उनकी उपस्थिति को सुनिश्चित करना इस कार्यक्रम के प्रमुख लक्ष्यों में एक है।

दिन में विद्यालय में उपस्थिति रहने वाले सभी बच्चों को भोजन मुहैया कराने के कार्यक्रम का लाभ पहुंचाने के सबसे प्रभावी उपायों में से एक है। लेकिन विद्यालयों में पंजीकरण और शिक्षा जारी रख पाने में कम भागीदारी रखने वाला तबका विभिन्न सामाजिक-धार्मिक श्रेणियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है जो लाभ



को 'पहुंचा पाने में अभी भी बाधक है। किसी खास श्रेणी के बच्चे अगर सरकारी या सहायता प्राप्त विद्यालय में नहीं जाते हैं, तो उन्हें यह लाभ नहीं मिलता है। इसलिए इस योजना के आच्छादन एवं अनुपालन की व्याख्या में काफी सावधानी बरतनी होगी। बड़े पैमाने पर अगर मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के साथ-साथ विद्यालयों में पंजीकरण और उसे जारी रखने को प्रोत्साहित करने के लिए अन्य उपाय भी किए जाएं तो बेहतर परिणाम प्राप्त किए जा सकेंगे।

योजना का व्यापक प्रभाव 27 प्रतिशत है। इसमें अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों की हिस्सेदारी 35 प्रतिशत है, जबकि अन्य पिछड़ी जातियों के 28 प्रतिशत बच्चे इसका लाभ पा रहे हैं। मुसलमानों के लिए यह आंकड़ा 23 फीसदी है, जबकि सामान्य श्रेणी के हिन्दु महज 19 प्रतिशत ही हैं जो इसका लाभ पा रहे हैं। राज्यवार विश्लेषण (सारणी 9.10) के मुताबिक एमडीएमके का प्रभाव सबसे अधिक तमिलानाडु में है जहां 6 से 16 वर्ष के आयु वर्ग के 54 प्रतिशत बच्चों तक इसकी पहुंच है, उसके बाद कर्नाटक में 46 प्रतिशत और केरल में 35 प्रतिशत तथा पश्चिम बंगाल में 32 प्रतिशत बच्चे इसका लाभ पा रहे हैं। बेहतर परिणाम देने वाले इन राज्यों में मुस्लिम बच्चे भी अच्छी संख्या में विद्यालय जाते हैं। तमिलानाडु के अलावा काफी राज्यों में मुसलमान बच्चे भी अन्य एसआरसी तरह ही शामिल किए गए हैं।

एनएमडीएफसी से ऋण लेने में सबसे बड़ी बाधा राज्य सरकार की ओर से गारंटी नहीं मिलने के कारण होती है।

अल्पसंख्यकों के लिए कल्याण योजनाएं

अल्पसंख्यकों के कल्याण केलिएकेन्द्र सरकार ने विभिन्न योजनाएंशुरू की हैं इन कार्यक्रमों के प्रभाव एवं क्षेत्र की चर्चा की गई है।

मौलाना आजाद शिक्षा फाउंडेशन

समाज में शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग,खासकर अल्पसंख्यकों के कमजोर तबकों के बीच शिक्षा का प्रोत्साहित करनेकेलिए वर्ष 1989 में मौलाना आजाद शिक्षा काउंडेशन की स्थापना की गई। काउंडेशन विद्यालयों केविस्तार, स्थापना, बैज्ञानिक उपकरणों की खरीद बालिका छात्रावासों के निर्माण के लिए गैर सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता मुहैया कराता है काउंडेशन "मौलाना आजाद दराष्ट्री छात्रकृति योजना" के जरिए पांच हजार मधावी बालिकाओं को 10-10 जहार रूपये की छात्र वृत्ति भी प्रदान करता है। लेकिनइसमें मुस्लिम समुदाय में गरीबी रेखासे नीचे रहने वाले खंड से छात्र वृत्ति के लिए योग्य है। लड़कियों की भागीदारी महन 0 प्रतिशत है।

पाउंडेशन को केन्द्र सरकार की ओर से 100 करोड़ रूपये एकत्र की राशि भी दी गई थी,और वर्ष 2006-07 के बजट मे इस राशि को बढ़ाकर 200 करोड़ करदि गया है। इस मकसद सिर्फ यह था कि खर्च के लिए मूल राशि को छूने की जरूरत नहीं पड़े और इस राशि के निवेश से मिलने वाली ब्याज का उपयोग किया जाए। काउंडेशन ने अपनी स्थापना के बाद से 90 करोड़ रूपये का अनुदान स्वीकृति किया है और 688 गैर सरकारी संगठनों की मदद की है। काउंडेशन की योजनाएं काफी लोकप्रिय हैं। इन योजनाओं ने मौजूदा संस्थानों को बढ़ाने और सुधारने के लिए एक माहौल पैदा करने का काम किया है तथा मुसलमानों और पिछड़े अल्पसंख्य को के शैक्षणिक स्तर कासुधारनेकी प्रक्रिया को भी प्रोत्साहित किया है। हालांकि धन की कमी ने योजनाओं के व्यापक प्रभाव में बाधा तो डाली है। इन योजनाओं के लिए एकत्र राशि का ब्याज इतना कम है कि शैक्षणिक स्तरपर उनका महत्वपूर्ण पभावी नहीं मिल जाता है। ब्याजदारों में कमी ने भी काउंडेशन की वित्तीय क्षमता को कम किया है। वर्ष 2002-03 से 2005 तक काउंडेशन ने सिर्फ 27 करोड़ रूपये का अनुदान स्वीकृति किया। प्रभकारी क्षमता के लिए एकत्र राशि को 1000 करोड़ रूपये तक बढ़ाने की जरूरत है।

केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित क्षेत्र विशेष एवं मदरसा आधुनिकीकरण कार्यक्रम

यह कार्यक्रम दसवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया। केन्द्र सरकार द्वारा चलाई जा रही दो योजनाओं शैक्षणिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यकों के लिए क्षेत्र विशेष प्रोग्राम और मदरसा शिक्षा आधुनिकीकरण



कार्यक्रम को मिलाकर इसमें शामिल किया गया है। वर्तमान में इस योजना के दो तत्व हैं: आधारभूत विकास और मदरसों का आधुनिकीकरण।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की तरफ से कमेटी को दिए गए आंकड़े बताते हैं कि इस योजना के तहत 4694 मदरसों को सहायता दी गयी है। अप्रैल 2002 से मार्च 2006 के बीच पिछले चार साल के दौरान कुल 106 करोड़ रुपये दिए गए हैं, जिसमें से 79 करोड़ रुपये ढांचागत विकास के लिए और 27 करोड़ रुपये मदरसों के आधुनिकीकरण के लिए मुहैया कराए गए हैं, लेकिन इस राशि को और बढ़ाए जाने की जरूरत है। मदरसा शिक्षा से जुड़ी विस्तृत जानकारी पहले ही अध्याय चार में दी जा चुकी है।

राज्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विभाग/ निगम

कुछ योजनाएं ऐसी भी हैं जो अल्पसंख्यकों और पिछड़े वर्ग को खासतौर पर ध्यान में रखकर बनाई गई हैं। ये योजनाएं हैं- अल्पसंख्यक कल्याण और पिछड़ा वर्ग विभाग/निगम की तरफ से लागू की जाती हैं। केवल 8 राज्यों- पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश, असम, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात और उड़ीसा ने ही इन योजनाओं में अल्पसंख्यकों की हिस्सेदारी का आंकड़ा पेश किया है। इन राज्यों की ओर से दी गई जानकारी (वर्ष 2002-2003 और 2004-2005) परिशिष्ट सारिणी 9.14 में उपलब्ध है।

अल्पसंख्यकों को मिले लाभ के संबंध में पश्चिम बंगाल सरकार ने 17618 लोगों के बीच 64 करोड़ रुपये का खर्च दिखाया है जिनमें से ज्यादातर मुस्लिम हैं। वहीं केरल में कुल खर्च किए गए 141 करोड़ रुपये का महज 22 फीसदी हिस्सा ही मुसलमानों को मिला है जबकि वहां की कुल अल्पसंख्यक आबादी का 57 फीसद मुस्लिम है। केरल में लाभान्वितों की कुल तादाद का 17 फीसद ही मुसलमानों को मिला है। उत्तर प्रदेश में कुल खर्च किए गए 539 करोड़ रुपये का 98 फीसदी मुसलमानों को मिला है, वहीं लाभान्वितों में से 92 फीसदी मुसलमान हैं उत्तर प्रदेश में खर्च की इतनी तादाद की वजह है अल्पसंख्यक विभाग की ओर से शिक्षकों को दिया गया अनुदान, वेतन और प्री मैट्रीकुलेशन छात्रवृत्तियों का फायदा बड़ी संख्या में छात्रों तक पहुंचाना। कर्नाटक में खर्च किए गए 56 करोड़ रुपये का 71 फीसदी मुसलमानों को मिला है जबकि बाकी के चार राज्यों में अल्पसंख्यक/मुस्लिम कल्याण का खर्च बेहद कम है।

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्तीय निगम

अल्पसंख्यकों के वित्तीय विकास पर खास तवज्जो देने के लिए 1994 में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्तीय निगम का गठन किया गया। एनएमडीएफसी का मुख्य मकसद था अल्पसंख्यकों के पिछड़े तबके को मदद पहुंचाने के लिए आर्थिक और विकास गतिविधियों को बढ़ावा देना। इसमें महिलाओं और विभिन्न व्यावसायिक समूहों को तवज्जो दी गई है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्तीय निगम गरीबी रेखा के नजदीक रहने वाले अल्पसंख्यकों को स्वरोजगार के लिए विभिन्न मदद भी देता है। निगम से मदद पाने के लिए गांवों में रहनेवाले अल्पसंख्यकों की सलाना आमदनी 40 हजार जबकि शहरों में रहने वाले अल्पसंख्यकों की सलाना आमदनी 55 हजार से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्तीय निगम की कुल अधिकृत पूंजी 650 करोड़ रुपये हैं, जिसमें से 65 फीसदी केंद्र सरकार मुहैया कराती है जबकि 26 फीसदी राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश की सरकारें उपलब्ध कराती हैं, जबकि अल्पसंख्यकों के वित्तीय कल्याण को बढ़ावा देने में लगे संगठन 9 फीसदी राशि देते हैं। 31 मार्च 2006 तक राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्तीय निगम की देय रकम 437 करोड़ रुपये भारत सरकार ने मुहैया कराए थे जबकि 80 करोड़ रुपये विभिन्न राज्यों की सरकारों और केंद्र शासित प्रदेश की सरकारों ने दिए थे। हालांकि इस मद में अब तक किसी और संगठन की तरफ से कोई योगदान नहीं मिल सका है। दसवीं पंचवर्षीय योजना की समाप्ति तक राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्तीय निगम ने इकट्ठा होने वाले 1065 करोड़ खर्च करने का अनुमान लगाया है। जिसके जरिए 3.01 लाख लोगों

एनबीसीएफडीसी की ओर से आवंटित कुल राशि में मुस्लिमों की हिस्सेदारी बहुत ही कम है। 247 करोड़ रुपये में से महज 23 करोड़ रुपये ही मुस्लिम-ओबीसी को आवंटित किये गये हैं।




को लाभान्वित किया जा सकेगा। इनमें से 2.19 फीसद लोग ऐसे हैं जो नितांत गरीब हैं। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्तीय निगम ने इसके लिए 2658.29 करोड़ रुपए, 6.30 लाख लोग, 5.63 फीसदी लाभान्वितों का लक्ष्य रखा गया है।


राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्तीय निगम के पास लाभान्वितों तक पहुंचने के दो रास्ते हैं- पहला राज्य सरकारों की तरफ से मनोनीत व्यवस्था करनेवाले संगठन और दूसरा गैर सरकारी संगठन। वर्तमान में निगम के पास 25 राज्यों और दो केंद्र शासित प्रदेशों में 35 व्यवस्था करनेवाले संगठनों के अलावा पूरे देश में फैल 150 से भी ज्यादा गैर सरकारी संगठनों का नेटवर्क है। व्यवस्था करने वाले संगठन और गैर सरकारी संगठनों की तरफ से रियायती ब्याज दर पर 5 लाख रुपए तक के सशर्त ऋण और 25000 रुपए तक माइक्रो फाइनेंसिंग के तहत लाभान्वितों को दी जाती है।

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्तीय निगम इन दो योजनाओं के तहत 803 करोड़ रुपये की रकम 2.87 लाख लाभान्वितों के दे सकता है। ये दोनों योजनाएं राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवम् वित्तीय निगम द्वारा व्यय किए गए रकम का 96 फीसदी और 3 फीसदी हिस्सा हैं। सशर्त ऋण देना निगम की अहम गतिविधि है जो राज्य सरकारों द्वारा मनोनीत व्यवस्था करने वाले संगठनों (scas) द्वारा मुहैया कराई जाती है। अपने सशर्त ऋण योजना के तहत राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्तीय निगम किसी भी व्यावसायिक रूप से

चित्र-9.7 :- वर्ष 2002 से 2005-06 के दौरान एनएमडी एफ सी की ओर से सशर्त ऋण योजना के तहत भुगतान



चित्र: 9.8- वर्ष 2002-3 से 2005-06 के दौरान एनएमडीएफसी की सशर्त ऋण योजना के तहत लाभान्वित



सजीव और तकनीकी रूप से संभव उपक्रम के परियोजना लागत का 85 फीसदी तक मदद दे सकता है। शेष 15 फीसदी राज्य सरकारों द्वारा मनोनीत व्यवस्था करने वाले संगठन एवम् लाभान्वित लगाते हैं सशर्त ऋण प्रायः 50 हजार तक मंजूर किए जाते हैं और इसके लिए एक या दो सरकारी-कर्मचारी की गारंटी भी देनी पड़ती है। इस राशि से ज्यादा के ऋण के राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम की मंजूरी के बाद ही दिए जा सकते हैं। माइक्रो फाइनेंसिंग योजना का अहम मकसद लक्ष्य समूह के सबसे गरीब तबके को मदद देना है। खासतौर से सुदूर ग्रामीण इलाकों और शहरी झोपड़ियों में रहनेवाली ऐसी महिलाओं को जो आमतौर पर बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ऋण का फायदा नहीं उठा पाती हैं।

वर्ष 2002-03से 2005-06 के दौरान सशर्त ऋण योजना के तहत कोष इकट्ठा होने की गति और इसके जरिए लाभान्वितों को ब्यौरा पहले ही चित्र 9.7 और 9.8 में बताया गया है (इसकेलिए परिशिष्ट सारिणी 9.14 भी देखें)। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम ने इस योजना के तहत 400 करोड़ रुपये व्यय किए हैं जिसमें से 73 फीसदी मुस्लिमों के लिए व्यय किया गया है। इस अवधि में लाभान्वितों की कुल तादाद 1.15 लाख है जिसमें से 77 फीसद मुस्लिम लाभान्वित हैं।



इस योजना के तहत बड़े पैमाने पर धन मुहैया कराए जाने की गति उत्तरप्रदेश के अलावा शेष राज्यों में संतोषजनक रही है। अध्ययन किए गए अवधि के दौरान माइक्रो फाइनेंस योजना के जरिए 16 हजार लाभान्वितों के बीच 19 करोड़ रुपए वितरित किए गए हैं। बेहद कम राशि होने की वजह से इसमें लाभान्वितों की संख्या बताना असंभव है। (चित्र 9.8 में वर्ष 2005-06 के लिए मुहैया आंकड़े उपयोग की गई धनराशि है न कि पिछले 3 साल के दौरान व्यय की गई धनराशि)

हालांकि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम के कार्यों से मुसलमानों को काफी लाभ मिला है, लेकिन बैंकों और दूसरे वित्तीय संस्थानों (अध्याय 6 में विश्लेषित) के मुकाबले राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम द्वारा ऋण देने की गति काफी धीमी है।

इसकी वजह से मुस्लिम समुदाय को आर्थिक विकास के लिए मिलने वाली मदद सीमित हो जाती है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवम् वित्त निगम से ऋण लेने के रास्ते में राज्य सरकार की ओर से दी जाने वाली गारंटी सबसे बड़ी चुनौती है। अपनी तंग आर्थिक स्थिति की वजह से राज्य सरकारों के गारंटी ऋण की तरफ अनिच्छा बढ़ती जा रही है। इसके अलावा लाभान्वितों की पहचान का आधार कुनबे के लोगों की ऋण मिलने के प्रवाह पर आधारित है। गौरतलब है कि यहाँ कुनबे का तात्पर्य D B L परिवारों में नहीं है। (राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम के लिए कृषि वित्त निगम की ओर से बनाई गई रणनीतिक योजना की अंतिम रिपोर्ट, जो कि पृष्ठ 116 एवं 121 में D B L परिवारों पर वर्णन है। ये आकलन लाभान्वितों एवं गैर सरकारी संगठन से बातचीत पर आधारित है) ऋण देने में लिया गया समय भी मानक समय से ज्यादा है। कई मामलों में तो ये बेहद धीमी और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम की ओर से मुहैया कराए गए धन की उपलब्धता पर आधारित होता है। सूक्ष्म वित्त के अंतर्गत गैर सरकारी संगठनों की ओर से ऋण लेनेकी मांग की दर काफी ऊँची है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम में राशि की उपलब्धता बढ़ाने के साथ-साथ इसे लक्षित आवश्यकताओं को पुरा करने के लिए नियमित करने की भी जरूरत है।

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम:

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम का गठन भारत सरकार ने जनवरी 1992 में किया था। इसका मुख्य मकसद पिछड़े वर्ग को लाभ पहुँचाने के लिए आर्थिक एवं विकास गतिविधियों को बढ़ावा देने के साथ-साथ इन सबकों के नितांत गरीबों में स्व रोजगार और कौशल विकास में मदद देना था। गरीबी रेखा से नीचे और गरीबी रेखा से ऊपर रहने वाले इसके सदस्य हैं लेकिन गरीबी रेखा में आधे से भी ज्यादा नीचे रहनेवाले लोगों को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम राज्य सरकारों द्वारा मनोनीत व्यवस्था करने वाले संगठनों और गैर सरकारी संगठनों के जरिए रियायती ब्याज दर पर कर्ज मुहैया कराता है।

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवम् विकास निगम की अधिकृत राशि 700 करोड़ रुपये है। 31 मई 2006 तक इसकी देय राशि 470.35 करोड़ रुपये थी। 31 मई 2006 तक इसके लाभान्वितों की कुल संख्या 7.02 लाख थी। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम की तरह ही राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम ने भी दो योजनाएं क्रियान्वित की हैं। ये योजनाएं हैं-सशर्त ऋण योजना और सूक्ष्म वित्त योजना। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम की दूसरी योजनाएं हैं- महिलाओं के लिए नई स्वर्णिम, "अंतर राशि ऋण योजना" प्रशिक्षण अनुदान योजना।

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम की तरफ से व्यय की गई राशि में मुसलमानों का हिस्सा बहुत कम है। कुल व्यय 274 करोड़ रुपये में से मुस्लिम पिछड़े वर्ग को महज 23 करोड़ रुपये ही मिल सके हैं। चूँकि ये धन राशि बेहद कम है इसलिए राज्य स्तर पर इसका विश्लेषण निरर्थक है (राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम द्वारा दिए गए आंकड़े अपर्याप्त हैं)।

हालांकि सभी कारणों की पहचान करना तो कठिन है लेकिन इन कार्यक्रमों के निम्न परिणाम का एक प्रमुख कारण है- राजनीतिक प्रक्रिया और गवर्नेन्स में मुसलमानों की भागीदारी में कमी



4. अंतिम निष्कर्ष :

सरकारी नौकरियों में मुसलमानों की मौजूदगी का विस्तृत विश्लेषण उसी तरह का उपाय चिन्हित करता है जैसा कि अध्याय 5 में किया जा चुका है। सरकारी या सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों का बेहद छोटा हिस्सा ही मुसलमानों का है और वो भी निचले तबके के कर्मचारियों में। ऊपर के निष्कर्षों से ये बात साफ हो जाती है कि मुसलमान तबके के नियमित कर्मचारियों की औसत आय एसआरसी के दूसरे तबके के कर्मचारियों के मुकाबले काफी कम है। हालांकि अब तक किसी तरह के भेद-भाव का आरोप नहीं लगा है, फिर भी-संबंधित साक्षात्कार मंडल में अल्पसंख्यकों का होना इच्छित है। यह मंडल में अनुसूचित जाति-जनजाति की भागीदारी की तर्ज पर ही पूरा किया जा सकता है। हालांकि समूह “सी” और समूह “डी” के चयन कमेटी में मुसलमानों की मौजूदगी सुनिश्चित करने की कोशिश की गई थी, लेकिन कमेटी को इसके नतीजे मुहैया नहीं कराए गए हैं (परिशिष्ट 9.15 देखें)।

यहां तक कि यदि निर्वाचित निकायों में मुसलमानों की हिस्सेदारी निम्न है, उन्हें और निम्न प्रतिनिधित्व वाले समुदायों को अन्वेषणकारी प्रणालियों के जरिये निर्णय लेने वाली इकाई में शामिल किया जा सकता है

कार्यक्रमों का संक्षिप्त अध्ययन करने से यह साफ हो जाता है कि इनसे मुस्लिम बहुत ज़्यादा लाभान्वित नहीं हुए हैं। दूसरों की तरह मुसलमानों की भागीदारी पर्याप्त नहीं है और जब भागीदारी अपर्याप्त है और कार्यक्रम में लगाई गई राशि इतनी कम है कि कोई अर्थपूर्ण प्रभाव छोड़ने में नाकाम है। चालू प्रारूप जिसमें आंकड़े हैं, उसकी मदद से विभिन्न एसआरसी को मिले लाभ का आकलन आसान ही नहीं है। आकलन और निगरानी कार्यक्रम में पारदर्शिता की कमी भी झलकती है। मूल्यांकन के लिए आंकड़े इकट्ठा करने से अलग सभी स्तर के राज्य नौकरशाही को मुसलमानों को विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल करने के लिए संवेदनशील बनाना भी जरूरी है।

हालांकि इस तरह के कार्यक्रमों के बेअसर होने के सभी कारणों की पहचान तो मुश्किल है लेकिन राजनीतिक प्रक्रिया और प्रशासनिक स्तर पर खास तौर से स्थानीय स्तर पर मुसलमानों की कम भागीदारी इसकी एक बड़ी वजह है। सभी तरह के सार्वजनिक उपक्रमों में मुसलमानों की हिस्सेदारी कम है और उनकी लोकतांत्रिक सहभागिता के साथ-साथ नीति निर्माण में भी उनकी भूमिका को बढ़ाना भी जरूरी है। इससे विकास प्रक्रिया में उनके अर्थपूर्ण और सक्रिय सहभागिता भी बढ़ेगी। लोकतांत्रिक सहभागिता किसी भी संसदीय प्रजातंत्र का अहम लक्ष्य होता है। जो सभी समुदाय को अवसर मुहैया कराती है। भारत में इस सहभागिता की जरूरत कई स्तर पर होती है- राष्ट्रीय स्तर पर, प्रादेशिक या केन्द्रशासित प्रदेशों के स्तर पर और जमीनी स्तर पर अर्थात् पंचायत और शहरी निकाय के स्तर पर। संसदीय जनतंत्र के इन संस्थानों के दूसरी तरफ कई अर्द्ध सरकारी संस्थान भी हैं जो कि चुनावी लोकतंत्र और जनप्रतिनिधित्व के सिद्धांत पर चलती हैं। उदाहरण के लिए सरकारी समीतियों का गठन अपने क्षेत्र में विकास के लिए धन मुहैया कराने के मकसद से किया गया था लेकिन ये समीतियां अपने निवाशियों में से प्रतिनिधि चुनने का भी अधिकार रखती हैं। हालांकि भारत जैसे बहुसांस्कृतिक समाज में संसदीय जनतंत्र चुनावी नियमों के सिद्धांत पर आधारित होता है बावजूद इसके प्रायः यह प्रशासनिक संरचना का हिस्सा बनने के लिए होने वाले चुनाव के दौरान

जातिगत, भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों को अवसर मुहैया कराने में नाकाम रहती हैं। निर्वाचित संस्थानों में मुसलमानों की भागीदारी काफी कम है। वर्तमान लोकसभा की 543 सीटों में से केवल 36 सांसद ही मुसलिम हैं। निर्वाचित संस्थानों में मुसलमानों की कम भागीदारी के बावजूद भी उन्हें और दूसरे कम प्रतिनिधित्व वाले समुदायों को नई पद्धतियों के जरिए नीति निर्धारण प्रक्रिया में सामिल किया जा सकता है।

राजनीतिक सहभागिता बढ़ाने के अलावे भी सरकार समाज के कमजोर तब के और गरीब परिवारों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए जिम्मेदारी उठा रही है। ये विश्लेषण साबित करता है। कार्यक्रमों मुस्लिम लाभान्वितों की हिस्सेदारी बेहद कम है।



संविधान के 73 वें एवम् 74 वें संशोधन के अंतर्गत संस्थानों में हिस्सेदारी बढ़ाने की नई संरचना :

संविधान के 73 वें एवम् 74 वें संशोधन के जरिए स्थानीय - स्वशासन में अधिकारों को निहित करना, भारतीय लोकतांत्रिक प्रक्रिया में एक क्रान्तिकारी परिवर्तन है। इन संशोधनों से स्थानीय निर्वाचित संस्थान न सिर्फ समस्याओं को आसानी से पहचान सकेंगे बल्कि उनके समधान के लिए उचित उपाय भी कर सकेंगे। छोटे क्षेत्र में ध्यान केंद्रित करने की वजह से इस प्रक्रिया के जरिए हाशिये पर खड़े समुदायों के प्रति ज्यादा संवेदनशील रुख अख्तियार किया जा सकेगा। हालांकि स्थानीय स्वाशासन ने प्रादेशिक प्रशासन और नौकरशाही के साथ कड़ी के रूप में काम करते हुए विभिन्न स्तर पर सफलतायें अर्जित की हैं। बावजूद इसके यह अभी तक तय नहीं है कि नीति-निर्धारण में ये संस्थान व्यापक भूमिका निभा सकेंगे या नहीं स्थानीय आबादी के प्रभावशाली जाति और सामाजिक-सांस्कृतिक वर्ग ने इन संस्थानों पर अपना व्यापक प्रभाव जमा लिया है। ऐसे माहौल में अल्पसंख्यक या मुसलमान जो कि तादाद में बेहद कम हैं इस प्रक्रिया में निर्णायक भूमिका नहीं निभा सकते हैं। हालांकि संविधान अनुसूचित जाति-जनजाति को राजनीतिक सहभागिता के साथ-साथ सामाजिक-आर्थिक उत्थान में भागीदारी सुनिश्चित करता है।

दिए गए परिदृश्य में इस प्रक्रिया की व्याख्या इस प्रकार भी की जा सकती है कि इसके जरिए लोकतांत्रिक सहभागिता के निम्न स्तर को सुनिश्चित किया जा सकता है। हालांकि इस साकारात्मक कार्यवाई को प्रतिवादित करने वाली पद्धति के पक्ष में राजनीतिक क्षमता कम है। यहां ये भी तर्क दिया जा सकता है कि विभिन्न संस्थानों के मनोनीत और सहनिर्वाचित सदस्यों को कमतर आंका जाता है और वे सामूहिक फैसले में काट छोट का अधिकार नहीं रखते हैं। इसलिए उन्हें बैठकों के लिए विचार-विमर्श का मुद्दा तय करने का सलाह देने का अधिकार होना चाहिए। मंडल और जिला परिषद (संविधान का 73 वां संशोधन) निगम, नगरपालिका (संविधान का 74 वां संशोधन; सहकारी समिति और बैंकों के लिए) विपणन संस्थान के लिए अल्पसंख्यकों के मनोनयन संबंधी अध्ययन का विवरण निचे है।

मंडल एवं जिला परिषद :- आंध्रप्रदेश पंचायत की धारा 149 के अनुसार (वी)“एक व्यक्ति जो कि अल्पसंख्यक समुदाय से आता है कंडिका में वर्णित सदस्यों के जरिए अनुमोदित तरीके से सहनिर्वाचित हो सकता है (आई) ये चुनाव उस सदस्य के होंगे जो मंडल का रजिस्टर्ड वोटर हो और उसकी आयु 21 साल से कम नहीं हो। स्थानिय परिप्रक्ष्य में अल्पसंख्यक का तात्पर्य मंडल क्षेत्र में धार्मिक और भाषाई दोनों अल्पसंख्यकों से है आंध्र प्रदेश में जिला परिषद के लिए सह- निर्वाचित सदस्यों के लिए भी इसी तरह की प्रक्रिया अहपनाई जाएगी। आंध्र प्रदेश में मंडल और जिला परिषद के चुनाव में अल्पसंख्यकों के चुने जाने के बाद भी ये प्रावधान कारगर होगा।

नगर निगम और नगरपालिका

आन्ध्र प्रदेश के नए नगर निगम कानून (संशोधन) 2006 के मुताबिक विधान सभा ने प्रदेश के सभी नगर निगमों से अल्प संख्यक समुदाय के दो लोगों को निगम के सदस्य के तौर पर सहनिर्वाचित करने को कहा है। इन सहनिर्वाचित सदस्यों को निगम की बैठकों में हिस्सा लेने का पूरा अधिकार होगा लेकिन वोट देने का अधिकार नहीं होगा ये प्रावधान हैदराबाद , विशाखापत्तनम और विजयवाड़ा के नगर निगम में लागू किया गया है। राज्य के नगर पंचायत में भी दो सदस्यों को सह निर्वाचित करने के लिए इसी तरह का प्रावधान बनाया गया है। निकाय चुनाव में सामान्य तरीके से अल्पसंख्यकों के चुने जाने के बाद भी ये प्रावधान कारगर होगा।

सहकारी बैंक :- आंध्र प्रदेश सहकारी समिति संशोधन, अध्यादेश 2005: आंध्र प्रदेश के सभी जिलों को मिलाकर राज्य भर में 200 से भी ज्यादा सहकारी कृषि ऋण समितियां काम कर रही हैं। जिसके पूरे प्रदेश में 3000 से भी ज्यादा बैंक हैं। इस तरह के सभी बैंकों में 8-9 चुने गए सदस्य हैं। प्रदेश की विधान सभा ने वर्ष 2005 में “ आंध्रप्रदेश सहकारी समिति कानून1964 में” संशोधन किया। धारा 31 (डी) के मुताबिक -“अल्पसंख्यक समुदाय का एकव्यक्ति समिति के रजिस्ट्रार द्वारा मनोनीत होगा। इस मनोनीत सदस्य को कमेटीकी कार्यवाहियों में हिस्सा लेने का पूरा अधिकार होगा लेकिन मत देने का अधिकार नहीं।” इस योजना को सहकारी बैंकों के ऊंचे स्तर और जिला सहकारी बैंकों में भी लागू किया गया।

कृषि विपणन समिति :- कृषि विपणन समिति को निजी बजार , विशेष बाजार और समेकित उत्पाद बाजार के साथ सामिल करने के मामले में भी आंध्र प्रदेश अग्रणी है। आंध्रप्रदेश में इस तरह की 371 समितियां हैं जो सभी जिलों में मौजूद हैं सभी समितियों को अलग-अलग तरह के 14 सदस्य मनोनीत करने का अधिकार है। 14 मनोनीत सदस्यों मेंसे 5 सदस्य अनुसूचित जाति / जनजाति पिछड़ा वर्ग , अल्पसंख्यकों और महिलाओं के बीच से होते हैं।

दूसरी समितियाँ: आंध्रप्रदेश में इस तरह की कई और समितियां हैं, जैसे आंध्रप्रदेश मजदूर समिति, स्वरोजगार में लगे लोगों की समिति, वन समिति , अल्पसंख्यक समिति / आयोग। इन समितियों में अल्पसंख्यकों , मुसलमानों और हाशिये पर खड़े दूसरे समुदाय के लोगों को लिए समान नामांकन और सह -निर्वाचन प्रक्रिया अपनाकर लोकतांत्रिक सहभागिता बढ़ाने के लक्ष्य तक पहुंचा जा रहा है।



भारत में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति



मुस्लिम ओ बी सी और स्वीकारात्मक कार्य

1. प्रस्तावना

यह अध्याय उन कई स्वीकारात्मक कार्य संबंधी नीतियों की ओर ध्यान दिलाता है जो मुस्लिमों या उनके एक समूह को उपलब्ध हैं और जिन नीतियों का उनकी जीवन-दशाओं पर असर पड़ता है। जब से मण्डल आयोग की अनुशंसा केन्द्रीय सरकार की सेवाओं पर लागू हुई है, मुस्लिमों में अन्य पिछड़ा वर्ग की पहचान की गई है, तबसे अन्य धर्मों के साथ उन तक भी ओ बी सी आरक्षण का लाभ विस्तारित हुआ है। प्रस्तुत प्रयास वे मुस्लिम, जो ओ बी सी सूची में सम्मिलित नहीं हैं और जिन्हें किसी भी प्रकार का आरक्षण प्राप्त नहीं है, की ओबीसी से तुलना करने का है। इन दोनों सामाजिक समूहों की स्थिति की हिन्दू पिछड़ा वर्ग से भी तुलना की गई है, जो देश की ओ बी सी आबादी का एक बड़ा हिस्सा है। यहाँ उनकी तुलनात्मक वंचना की सीमा को समझने की पूरी कोशिश की गई है। इस तुलना को एनएसएसओ द्वारा 55 वें दौर या उसके आगे के आंकड़ों से सुविधा मिली है, जिसमें मुस्लिमों से सम्बन्धित आंकड़ों को अन्य सामाजिक- धार्मिक समुदायों (एस आर सी) से अलग किया जा सकता है। प्रारम्भ में ही यह समझ लेना चाहिये कि एनएसएसओ के आंकड़े स्वयं रिपोर्ट देते हैं और विशेषकर इसलिए ओबीसी के संदर्भ में ये प्रत्युत्तर देने वाले की सामाजिक स्थिति के बारे में उसकी जागरुकता पर निर्भर है।

इस अध्याय का आरम्भिक आग्रह मुस्लिम ओ बी सी के स्वीकारात्मक कार्यों के दृष्टिकोण पर ध्यान देने पर ही है। इसलिये सबसे उचित श्रेणियाँ हिन्दू-ओ बी सी और मुस्लिम-ओ बी सी हैं। लेकिन समुदाय के अंतर्गत विभिन्नता को समझने के लिए आवश्यक है कि शेष मुस्लिमों के संदर्भ में भी तुलनात्मक आंकड़े दिए जायें। यह अध्याय विस्तृत चक्र- प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों, आंकड़ों से निर्मित है। मुस्लिम समाज के अन्तर्गत स्तरीकरण पर सामाजिक अध्ययन भारत में मुस्लिमों के मध्य जाति या विरादरी की जटिलताओं को समझने का प्रयास करते हैं। पिछड़ा वर्गों के आंदोलन, संविधान सभा की बहसों के विश्लेषण और सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयों के विभिन्न महत्वपूर्ण निर्णयों के अध्ययन से श्रेणी 'अन्य पिछड़ा वर्ग' के उद्भव के इतिहास को समझने में महत्वपूर्ण सहायता मिलती है। स्वतंत्रता के बाद जाति आधारित आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए मुस्लिम ओ बी सी के आंकड़े-आजादी, शिक्षा और सार्वजनिक रोजगार में उनका हिस्सा, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण (एन एस एस)के 61 वें दौर के आंकड़ों पर आधारित हैं, जिसमें मुस्लिमों में ओ बी सी को विश्लेषण की एक श्रेणी के रूप में सम्मिलित किया गया है। तुलना की बेहतरी के लिए 55 वें दौर के आंकड़ों का भी प्रयोग किया गया है। विशेषकर इस समिति को केन्द्र व राज्य

*मौजूदा प्रयास
ओबीसी में गैर-
सूचीबद्ध मुस्लिमों
और ओबीसी सूची
में शामिल होते हुए
भी आरक्षण की
सुविधाओं का लाभ
नहीं उठाने वाले
मुसलमानों की
तुलना करना है।*

*एसआरसी की
स्थिति से संबंधित
एनएसएसओ का
डाटा स्व-रिपोर्टिंग
पर आधारित है,
इसलिए खासकर
ओबीसी के मामले
में रिस्पॉण्डेंट की
सामाजिक अवस्था
के प्रति जागरुकता
संदिग्ध दिखता है।*



‘पिछड़ा वर्ग’ का संवैधानिक उल्लेख अनुच्छेद 15(4) और 16(4) में किया गया है, जिसमें केंद्र/राज्य अथवा शासकीय निकायों (स्टेट) को विशेष प्रावधान बनाने के अधिकार प्राप्त हों

पहले ‘पिछड़ा वर्ग’ में वंचित और हाशिए पर पहुंच चुकी जातियां, जनजातियां और समुदाय शामिल किये गए थे।

सरकार के विभिन्न विभागों व मंत्रालय द्वारा, विश्वविद्यालय और संस्थानों द्वारा एवं सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा विशेष रूप से उपलब्ध कराए गए शिक्षा और सार्वजनिक रोजगार से सम्बन्धित आंकड़ों का अध्ययन और विश्लेषण किया गया ताकि मुस्लिम ओ बी सी की तुलनात्मक भागीदारी का अनुमान लगाया जा सके।

केन्द्र व राज्य की ओ बी सी सूची में सम्मिलित मुस्लिमों के सभी पिछड़ा समूहों को एकत्रित करने के लिए हम केन्द्र और राज्य सूची पर बहुत निर्भर थे और उनके मध्य दुहराव की स्थिति को पहचानने की कोशिश की गई। इसके आलावा, मंडल आयोग द्वारा प्रस्तुत सूची की भी मदद ली गई। देश के विभिन्न क्षेत्रों और प्रांतों में पाई जाने वाली विभिन्न मुस्लिम जाति-बिरादरी को अलग करने के लिये, भारतीय संविधान सर्वेक्षण, द्वारा इसके भारत के लोग प्रोजेक्ट में प्रयोग के लिये भारत के सामाजिक समूहों की रूपरेखा तैयार करने के तहत प्रयास का भी प्रयोग किया गया।

इस अध्याय का शेष भाग निम्न क्षेत्रों से सम्बन्धित है- परिच्छेद 2 ओ बी सी श्रेणी के उदभव, इसके आधिकारिक पाठ और इससे जुड़ी बहसों पर ध्यान देता है। अगला परिच्छेद मुस्लिम ओ बी सी की विशिष्ट सामाजिक रूप रेखा पर ध्यान देता है। इसके बाद केन्द्र और राज्य दोनों स्तरों पर उन्हें लक्षित करके किये जा रहे स्वीकारात्मक कार्यों के विभिन्न प्रयासों का विश्लेषण किया गया है। इसके अगले परिच्छेद में केन्द्र व विभिन्न राज्यों के ओ बी सी की तुलना की गई है ताकि इनके बीच किसी विभिन्नता से बचा जा सके। अंतिम परिच्छेद अनुभवात्मक परिस्थिति का अध्ययन करता है और मुस्लिम- ओ बी सी की स्थिति का हिन्दू- ओ बी सी व मुस्लिम-सामाजिक श्रेणियों से तुलना करता है।

2. श्रेणी ‘अन्य पिछड़ा वर्ग’ का उद्भव

पद ‘पिछड़ा वर्ग’ का संवैधानिक संदर्भ में जिक्र अनुच्छेद 15(4) और 16(4) में किया गया है, जिसमें राज्य को यह शक्ति दी गई है कि वह सामाजिक या शैक्षणिक रूप से पिछड़े नागरिकों के किसी वर्ग(एस ई बी) के लिये विशेष प्रबंध कर सके। बावजूद इसके अनुसूचित जातियां व जनजातियां की विशेष रूप से परिभाषा के विपरीत, श्रेणी ‘पिछड़ा वर्ग’ की स्पष्ट परिभाषा नहीं की गई है।

3. मुस्लिम ओ बी सी और स्वीकारात्मक कार्य

इस पद का उपयोग ब्रिटिश काल में पृचलन में आया लेकिन विभिन्न प्रकार के अंतरों के साथ और बिना किसी स्पष्ट मानक के समूहों को पिछड़ा वर्ग के रूप में सम्मिलित किया गया या बाहर किया गया। अपने आरम्भिक पृयोग में ‘पिछड़ा वर्ग एक’ वृहत श्रेणी थी जिसमें अविकसित ओर सीमान्त पर स्थिति जातियां, जनजातियां व समुदाय सम्मिलित हो सकते थे। यह सम्बोधन 1880 तक ऐसे समूहों के संमय का वर्णन के लिये उपयुक्त किया जाता था जिन्हें अशिक्षितता दरिद्र श्रेणी भी कहते थे और जो आरम्भिक विद्यालयों में अध्ययन के लिये भत्ता पाने को अधिकृत थे।

इस पद की परिभाषा की अशुद्धता का प्रभाव संविधान निर्माण के समय भी देखा जा सकता है। संविधान सभा में बहस में भाग लेने वाले सदस्यों के मतों से इस पद की विभिन्न व्याख्या उद्भूत हुई जिनमें व्यापक रूप में दो विभिन्न प्रयोगों को देखा जा सकता है-पहला उन सभी भागों के समूह, जिन्हें वरीयता प्राप्त उपचारों की आवश्यकता थी। यहाँ श्रेणी ‘पिछड़ा वर्ग’ में अछूतों और जनजातियों को भी सम्मिलित करता था। दूसरे अछूतों से एक स्तर ऊँचे लेकिन दमित वर्ग के रूप में। इस सन्दर्भ में विशेष पद जो इसे प्रथम करता था और प्रयोग में आया, वह ‘अन्य पिछड़ा’ था। हालांकि यह दोनो प्रयोग, हिन्दु सामाजिक संरचना का विशेष सन्दर्भ लिया, तब तक अनुपस्थिति रहे जब तक कि इन समूहों से सम्बन्धित प्रतिनिधियों ने इस प्रश्न को नहीं उठाया। इसीलिए मद्रास के



मुहम्मद इस्माइल साहब ने जब स्पष्टीकरण चाहा कि क्या यह पद 'अल्प-संख्यक समुदायों' के पिछड़ा तक विस्तृत है।

अनुच्छेद 340, राज्य को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग की स्थिति की जांच करने के लिये, एक आयोग गठित करने की शक्ति देता है। अखिल भारतीय स्तर पर अब तक इस तरह के दो आयोग गठित किए हैं- काका कालेलकर आयोग और बी.पी. मंडल आयोग प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग

(काका कालेलकर आयोग) ने अपना प्रतिवेदन 1955 में जमा किया। आयोग ने जातीय सोपान में निम्न स्थिति को, अन्य आधारों जैसे शैक्षणिक स्तर, आय का स्तर और सार्वजनिक रोजगार में प्रतिनिधित्व को सम्मिलित करते हुए, पिछड़ेपन के निर्धारक घटक के रूप में मानने पर बल दिया। आयोग का प्रति वेदन ऐसा पहला प्रयास था जिसमें मुस्लिमों (और अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों) के कुछ जाति-समुदायों को भी पिछड़ा घोषित किया।

VII सी ए डी, 692 अपनाया गया और उन्हें स्वीकारात्मक कार्यों के दायरे में लाया गया। द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग (बी. पी. मंडल आयोग 1989 ने भी जातीय आधार पर बल दिया) हालाँकि एक जाति या एक सामाजिक समूह को 'पिछड़ा' मानने वास्तविक सूचक-जातीय सोपान में निम्न स्तर अल्पायु में विवाह, ऊँची महिला कार्य सहभागिता, विद्यालय छोड़ने की ऊँची दर, पेयजल का अभाव, पारिवारिक संपत्ति का औसतन निम्न मूल्य, कच्चे घरों की अधिक उपस्थिति, आदि माने गये। अहिन्दू समुदायों के सन्दर्भ में दूसरे प्रतिमान अपनाये गये जिन पर इस अध्याय में आगे चर्चा की गई है।

'जाति' की जगह ओ बी सी के संवैधानिक संदर्भ में 'वर्ग' के प्रयोग जैसा अनुच्छेद 15(4), 16(4) और 149(1) विविध विधिक विवादों-बहसों को जन्म दिया। हालाँकि न्यायालय ने दोनों पिछड़ा वर्ग आयोगों की तरह ही 'जाति' को वर्गीकरण का आधार माना। वेंकटरमन बनाम मद्रास राज्य में सर्वोच्च न्यायालय ने मद्रास सरकार द्वारा घोषित हिन्दू पिछड़ी जातियों के पिछड़ा स्वीकार किया। 2 इसे आगे रामकृष्ण सिंह बनाम मद्रास राज्य निश्चित करते हुए मैसूर उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि वर्ग जाति के आधार पर बनाये गये व्यक्तियों के समूह हैं। 3 बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कई वादों में इस नियम को परिशोधित किया। बालाजी बनाम मैसूर राज्य में, सर्वोच्च न्यायालय ने स्वीकारात्मक कार्यों में पूरे कोटे पर पचास प्रतिशत की सीमा तय कर दी। जातीय आधारों के उपयोग पर यह एक आलोचना थी और इसका एक कारण अहिन्दू समुदाय में उपयोग किये जाने में इसकी अनुपयुक्तता बताई गई। 4

चित्रलेखा बनाम मैसूर राज्य मामले में न्यायालय ने स्पष्ट किया कि (1) 'जाति.....प्रासंगिक हो सकती है.....सामाजिक पिछड़ेपन.... में', लेकिन (11) 'यह महत्वपूर्ण या प्रभावी परिमाण नहीं हो सकता।' बाद में 1968 में पी. राजेन्द्र बनाम मद्रास राज्य में 'जातीय आधार' को स्पष्ट किया गया, जबकि सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि 'जाति भी नागरिकों का एक वर्ग है यदि जाति समग्र रूप से सामाजिक व शैक्षणिक आधारों पर पिछड़ी हो' 5 इसे यू. एस. वी. बालाराम बनाम आंध्र प्रदेश में पुनः सुनिश्चित किया गया। जनसर्वोच्च न्यायालय ने आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के निर्णय को बदल दिया और पिछड़ेपन को परिभाषित करने के लिये जातीय आधार के प्रयोग की मान्यता दी। 'मशहूर' इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ (मण्डल बाद) में, 9 न्यायाधीशों की पीठ ने पिछड़ेपन के मानक के रूप में आर्थिक आधार को नकार दिया। न्यायालय ने जातीय संकल्पना को मान्यता दी और कहा; 'भारत में जाति सामाजिक वर्ग का आधार हो सकती

2. आल इंडिया रिपोर्टर 1951, एस.सी. 119

3. आल इंडिया रिपोर्टर मैसूर 338

4. आल इंडिया रिपोर्टर 1963, एस. सी.

ओबीसी की संवैधानिक व्याख्या के दौरान 'जाति' के स्थान पर 'श्रेणियों' के इस्तेमाल ने काफी कानूनी विवादों और बहस को जन्म दिया। हालाँकि, अदालतों ने दोनों पिछड़ा वर्ग आयोगों की तरह ही जाति को वर्गीकरण का आधार माना।



है और प्रायः होती है। अहिंदुओं में पिछड़े वर्गों के सवाल पर न्यायालय ने व्यवस्था दी कि पारम्परिक व्यवसायों के आधार पर इसकी पहचान की जानी चाहिये।

इसलिये ब्रिटिश काल के सभी श्रेणियों को सम्मिलित करने वाले वर्ग से लेकर पिछड़ा वर्ग, क्रमिक रूप से उन जातीय समूहों की श्रेणी के रूप में उभरा है, जो सामाजिक सोपान में मध्य स्तर पर आते हैं और आर्थिक, शैक्षणिक और अन्य मानव विकास संवेदकों के आधार पर पीछे स्थित हैं।

**गैर-हिन्दुओं में
पिछड़ा वर्ग के
सवाल पर न्यायालय
ने व्यवस्था दी कि
पारम्परिक
व्यवसायों के
आधार पर इसकी
पहचान की जानी
चाहिए।**

3. मुस्लिम ओ बी सी-एक रूपरेखा

भारत में मुस्लिमों की सामाजिक संरचना के सामाजिक अध्ययन उनमें निम्नगामी आधारों की उपस्थिति वाले सामाजिक स्तरों पर बल देते हैं। भारतीय मुस्लिमों में भी हिन्दू जातीय व्यवस्था के लक्षण जैसे कि सामाजिक समूहों की सोपानीकृत व्यवस्था, जाति के अंदर ही विवाह और वंशानुक्रमिक व्यवसाय आदि वृहद स्तर पर पाए गए। भारत की 1901 की जनगणना में 133 सामाजिक समूहों को पूर्णतया या आंशिक मुस्लिम के रूप में सूचीबद्ध किया गया। वर्तमान समय में भारत का मुस्लिम समाज 4 बड़े समूहों में विभाजित है। (1) अशरफ जी अपनी उत्पत्ति विदेशी धरती जैसे अरब, फारस, तुर्किस्तान या अफगानिस्तान से मानते हैं (2) ऊँची जातियों के हिन्दू जो इस्लाम में परिवर्तित हो गए (3) मध्य स्तर की जातियों, जिनके व्यवसायिक संस्कार स्वच्छ थे, से इस्लाम में परिवर्तित (4) वे अछूत जातियाँ जिन्होंने इस्लाम कबूल किया जैसे भंगी (जमादार), मेहतर (सफाई कर्मी) चमार (चमड़ा बनाने वाले), डोम आदि

इन चार समूहों को मुख्यतः दो बड़े समूहों में रखा जाता है। प्रथम जिन्हें ऊँचा माना जाता है, में विदेशी रक्त वाले सारे मुस्लिम और अगड़ी जातियों से परिवर्तित मुस्लिम आते हैं। जबकि 'अजलाफ', जिन्हें नीचा या अपवित्र माना जाता है, में स्वच्छ सामाजिक संस्कारों वाले व्यावसायिक समूह और निम्न श्रेणियों के परिवर्तित आते हैं। बिहार, उ० प्र० व बंगाल में सैयद, शेख, मुगल और पठान 'अशरफ' में हैं। 'अजलाफ' बड़ई, मिस्त्री, पेन्टर, चरवाहा, चमार, ग्वाला आदि हैं। 8 1901 की जनगणना के अनुसार 'अजलाफ' श्रेणी में आते हैं- विभिन्न श्रेणियों के परिवर्तित जो बिहार में नव मुस्लिम और उत्तरी बंगाल में वस्य के रूप में जाने जाते हैं। इनमें विभिन्न काम करने वाले समूह भी आते हैं जैसे जुलाहा या बुनकर, धुनिया या रुई धुनने वाले, कुलू या तेल निकालने वाले कुंजड़ा या सब्जी बेचने वाले, हज्जाम या नाई, दर्जी या कपड़ा सिलने वाले और इसी प्रकार के 'अन्य' 9 1901 की जनगणना में एक तीसरी श्रेणी जिसे अरजन कहा जाता था, भी रिकार्ड की गई। इसमें बहुत नीची जातियाँ जैसे कि हलालखोर, लालबेगी, अब्दुल और नेड़िया आती थी। 10

**1901 की जनसंख्या
में पूरी तरह और
अंशतः मुसलमानों
के रूप में 133
सामाजिक समूहों
को सूचीबद्ध किया
गया, जो मुस्लिम
समुदाय के बीच
सामाजिक
वर्गीकरण को
दर्शाता है**

सामाजिक स्तर की निम्नगामी आधार की समान प्रवृत्ति अन्य क्षेत्रों में भी देखी जा सकती है। केरल में, मालाबाट के मोपना 5 श्रेणीगत भागों में बंटे हैं जिन्हें- थांगल, अरेबिस, मालानारीस, पुसलारस व ओसारन्स कहा जाता है। थांगल अपनी उत्पत्ति पैगम्बर की पुत्री फातिमा से मानते हैं और सबसे ऊँची श्रेणी में आते हैं। 11 अरेबिस इसके बाद की श्रेणी में आते हैं और अपनी उत्पत्ति अरब पुरुष और इससे नीची श्रेणी मालाबारियों की है। इन्होंने अपनी अरबी विरासत खो दी है और ये मातृ-विरासत को मानते हैं। पुसलाट हिन्दू मछुआरे जिन्हें मुक्कुवल कहा जाता है से परिवर्तित, नव मुस्लिम हैं, ओसान नाई हैं और अपने व्यवसाय के कारण इन्हें सबसे निम्न श्रेणी का माना जाता है आंध्र प्रदेश में। 1987 में किए गये एक सर्वेक्षण ने मुस्लिमों में जाति के अंदर ही विवाह करने वाले समूहों की सोपानिक उपस्थिति पाई। इस सोपान में सबसे ऊपर वे आते थे, जो अपनी विदेशी उत्पत्ति मानते थे-सैयद, शेख, पठान और लब्बाई(अरब व्यापारियों से उत्पन्न, जिन्होंने स्थानीय

5. आल इंडिया रिपोर्टर 1968, उएस. सी. 1912-1915

6. आल इंडिया रिपोर्टर 1972, एस. सी. 1375

7. सुप्रीम कोर्ट के सेज 1992. प्र० 217

8. अहमद (1977), पृ० 9

9. भारत की जनगणना 1901, पृ० 543



मुस्लिम ओबीसी पर सम्मेलन

इस समिति द्वारा भारतीय मुस्लिमों की विभिन्न समस्याओं को समूहीकृत करने और उन पर विचार करने के लिये राष्ट्रीय स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया। इस दो दिवसीय सम्मेलन में देश के विभिन्न क्षेत्रों और प्रान्तों के प्रतिनिधि सम्मिलित हुए। इनमें मुस्लिम ओ बी सी समूह के सुधारवादी सदस्य, अध्येता जिन्होंने इनकी समस्याओं का अध्ययन व अवलोकन किया हो और धार्मिक इकाइयों के प्रतिनिधि सम्मिलित थे।

सभी प्रतिभागियों में इस बात पर सहमति थी कि मुस्लिम एक भिन्न समुदाय है और यह सरकार की प्रत्येक नीतिगत पहल में नजर आना चाहिए। सुधारवादियों ने मुस्लिम समूह के हिन्दू एस सी के समान व्यवसाय वालों को एस सी श्रेणी में रखने की वकालत की। एस सी स्थिति में भेदभाव के सवाल को भी उठाया गया। यह प्रतिवेदन दिया गया कि उत्तर प्रदेश में जहाँ हिंदु बंजारों को एस सी सूची में सम्मिलित किया गया है जबकि मुस्लिम समुदायों में उन जैसों को केवल ओ बी सी सूची में सम्मिलित किया गया है। सार्वजनिक और निजी उपक्रमों के रोजगारों में भी मुस्लिमों के अपर्याप्त प्रतिनिधित्व को ध्यानाकर्षण के मुद्दे के रूप में देखा गया। मुस्लिम ओ बी सी का प्रतिनिधित्व तो और भी कम था, इसलिए ओ बी सी कोटा में इनके लिये अलग कोटा की जरूरत का सुझाव दिया गया।

मुस्लिम ओ बी सी के आरक्षण को बढ़ाने के साथ एक मत यह भी था कि वे जो वर्तमान में आरक्षण की योजना के अंतर्गत नहीं आते, उनकी दशा भी कारुणिक है और उन्हें तत्काल सुधारों की आवश्यकता है। महिला प्रतिनिधियों ने शिकायत की कि आरक्षण का लाभ हमेशा समुदाय के पुरुष सदस्यों को ही मिल पाता है। हालांकि यह भी पाया गया कि अधिकांश मुस्लिम महिलाएं स्व-रोजगार करती हैं और अतः उनके लिए अलग पैमाने की आवश्यकता है।

ओबीसी बच्चों के लिये छात्रवृत्ति, मुफ्त पोशाकें और छात्रावासों के निर्माण की मांग की गई। वैश्वीकरण के उभार के परिप्रेक्ष्य में, तकनीक के नवीनीकरण और तकनीशियनों के कौशल को अद्यतन करने की महती आवश्यकता पर भी बल दिया गया। सुधारवादियों ने जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने में आने वाली प्रशासनिक बाधाओं की भी शिकायत की। उन्होंने केन्द्र के उच्च शिक्षण संस्थानों में भी मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने की मांग की।

पत्नियां अपनाईं)। सबसे निचले स्तर पर वे श्रेणियां थीं जिनके व्यवसाय स्वच्छ नहीं थे- डूंडेकला (रूई साफ करने वाले), हज्जाम (नाई) और फकीर-बुदबुदकी (भिखारी-साधु) 12

मुस्लिम समूह जो वर्तमान में श्रेणी 'ओ बी सी' में सम्मिलित हैं, आवश्यक रूप से मुस्लिम आबादी के अशरफ-इतर समूह हैं। ये मध्य और निम्न हिन्दू जातियों से परिवर्तित हैं और अपने पारम्परिक व्यवसायों से पहचाने जाते हैं। उत्तर प्रदेश के एक गाँव के अध्ययन से इस प्रकार के 18 समूहों की पहचान की जा सकती है, उदाहरण के लिये- जुलाहा (बुनकर), मिरासी (गायक), दर्जी (कपड़ा सिलने वाले), हलवाई (मिठाई बनाने वाले), मनहार (चूड़ी बनानेवाले) आदि। 13 1911 की जनगणना ने उत्तरप्रदेश में मुस्लिमों के 102 जाति समूहों की पहचान की, उनमें से कम से कम 97 अशरफ समुदाय के नहीं थे। इस प्रकार के कई समूह जैसे राजपूत, कायस्थ कोडरी, कोटी, कुम्हार, कुर्मी, माली, मोची आदि हिन्दू और मुस्लिम दोनों में समान थे।

10 भारत की जनगणना 1901, पृ 544

11. डी. सूजा (1973) पृ 49-5 1

12. साहिब 2003

13. भट्टी 1973

14. मजहवी सिख(1956) और नव बौद्ध (1990) के लिये बाद में संशोधन किये गये

मुस्लिम समूह जो वर्तमान में 'ओबीसी' श्रेणी में सम्मिलित हैं, आवश्यक रूप से मुस्लिम आबादी के वे समूह हैं जो गैर-अशरफ हैं।

चूंकि राष्ट्रपति का 1950 का आदेश एससी का दर्जा केवल उन हिन्दू समूहों तक सीमित रखता है, जो मलीन व्यवसायों में लगे हैं, इसलिए उनके गैर-हिन्दू समतुल्यों को मध्यम-स्तरीय जातियों के धर्म परिवर्तन करने वालों के साथ 'ओबीसी' घोषित किया गया।



मुस्लिम ओबीसी से संबंधित सम्मेलन में सभी प्रतिभागियों में आम सहमति बनी कि मुस्लिम एक भिन्न समुदाय है और इसे सरकार के सभी नीतिगत पहलों में ध्यान रखा जाना चाहिए।

मंडल आयोग ने मुसलमानों के कम से कम 82 विभिन्न सामाजिक समूहों को ओबीसी श्रेणी में घोषित किया।

चूँकि संवैधानिक (अनुसूचित जाति) आदेश 1950, राष्ट्रपति का आदेश 1950 के नाम से लोकप्रिय, के अनुसार अनुसूचित जातियों का दर्जा केवल उन हिन्दू समूहों को है जिनका व्यवसाय स्वच्छ नहीं है। 14 अतः उनके अहिन्दू समतुल्यों को मध्य स्तरीय जातियों का परिवर्तित माना गया और इन्हें ओ बी सी घोषित किया गया। इसलिए मुस्लिमों में ओ बी सी की दो मुख्य श्रेणियाँ हैं। हलखेर, हेला, लालबेगी या भंगी (जमादार), धोबी (कपड़ा धुलने वाले), नाई या हज्जाम (बाल काटने वाले), चिक (कसाई), फकीर (भिक्षुक) आदि जो 'अरजल' में आते हैं और जो अछूतों से इस्लाम में परिवर्तित हैं। मोमिन या जुलाहा (बुनकर), दर्जी या इदरिस (कपड़ा सिलने वाले), रईन या कुजड़ा (सब्जी बेचने वाले) वे अजलाफ हैं, जो स्वच्छ व्यवसायिक जातियों से परिवर्तित हैं इसलिए कोई मुस्लिमों में तीन समूहों को समझा जा सकता है- (1) वे जिनमें कोई सामाजिक आयोग्यता नहीं है- अशरफ, (2) वे जो हिन्दू ओ बी सी के समतुल्य हैं- अजलाफ और (3) वे जो हिन्दु एस सी के समतुल्य हैं- अरजला। वे जो मुस्लिम ओ बी सी से सम्बोधित किये जाते हैं वे श्रेणी (2) और (3) को मिला कर हैं।

4. मुस्लिम ओ बी सी में सव्कारात्मक कार्यों की रूपरेखा

अखिल भारतीय स्तर पर ओबीसी वर्ग के मुद्दे पर पिछड़ापन के कारणों की पहचान करने और इस आधार पर ऐसे सामाजिक समूहों की पहचान करने एवं उनकी स्थिति में सुधार लाने के प्रयत्नों के लिये दो पिछड़ा वर्ग आयोगों के गठन की घोषणा के द्वारा ध्यान देने के प्रयास किये गए। इन दोनों में से प्रथम आयोग (काका कालेलकर आयोग) की अनुशंसा को केन्द्र सरकार द्वारा पिछड़े वर्गों की पहचान के लिये आर्थिक आधार की नहीं बल्कि 'जाति' को आधार मानने की वजह से निरस्त कर दिया गया। द्वितीय आयोग (मंडल आयोग) की अनुशंसा को इसके प्रतिवेदन के एक दशक से भी ज्यादा समय के बाद, 1991 में आंशिक रूप से लागू किया गया। केन्द्र में इन दो प्रयासों के अलावा विभिन्न राज्य सरकारों ने भी अपने पिछड़ा वर्ग आयोगों का गठन किया और पिछड़ा वर्ग के आरक्षणों के लिए विभिन्न प्रयास किए।

4.1 काका कालेलकर आयोग(1955)और बी. पी. मंडल आयोग(1980)

प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग ने अपना प्रतिवेदन 1955 में सौंपा। इस प्रतिवेदन द्वारा एक सूची प्रस्तुत की गई जिसमें 2399 जातियों और समुदायों को पिछड़ा माना गया। इनमें से भी 837 को 'अत्यंत पिछड़ा' माना गया और उनपर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता बताई गई। इसलिए पिछड़ा वर्ग श्रेणी को बाद में दो श्रेणियों-पिछड़ा व अत्यंत पिछड़ा में बांट दिया गया। इस श्रेणी में न केवल हिन्दू बल्कि अहिन्दू जिसमें मुस्लिम भी थे, को भी पिछड़ा समूहों को सूची में सम्मिलित किया गया। आयोग की अनुशंसा ऐसा प्रथम प्रयास था जिसमें मुस्लिमों (अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों) में भी 'पिछड़ा समुदाय' की उपस्थिति को अधिकारिक रूप से पहचाना गया। अध्यक्ष द्वारा जातीय आधार को स्वीकृति नहीं प्रदान की गई और इसके कई कारणों में से एक कारण मुस्लिमों और ईसाइयों में जातियों की अनुपस्थिति बताई गई। मेरी आँखें उन खतरों में देख रही थीं जो जातीय आधारों पर सुधारों को प्रयासों का मशवरा देने से देश के मुस्लिम और ईसाई हिस्सों पर अस्वास्थ्यकर प्रभाव 'डालते'। 15

द्वितीय अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग आयोग, मण्डल आयोग ने अपना प्रतिवेदन 1980 में प्रस्तुत किया। आयोग ने ऐसे 11 सूचक जो कि जातीय और वर्गीय लक्षणों के मिश्रण थे, को सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन को नापने के लिये स्वीकारा। आयोग ने जातियों को 'हिन्दू सामाजिक संरचना का निर्माण करने वाली इकाई' माना जो एक जातिहीन और समतामूलक समाज बनाने के संवैधानिक आग्रह, के बावजूद प्रचलित थे। इसने 3743 जातियों की एक वृहद सूची बनाई, जिन्हें पिछड़ा घोषित किया गया। आयोग ने सैद्धांतिक रूप में स्वीकार किया कि जाति या जाति जैसे लक्षण हिन्दू समाज तक ही सीमित नहीं थे बल्कि इनका प्रभाव अहिन्दु समूहों-मुस्लिम, सिख और ईसाइयों में भी व्याप्त था। 1931 की जनगणना के आधार और आयोग की सुविधा के लिये कराए गये सर्वेक्षणों के आधार



पुर मुस्लिमों में 82 विभिन्न समूहों को ओबीसी श्रेणी घोषित किया गया। आयोग ने हालांकि अहिन्दू ओबीसी में जाति को एक पैमाना मानने से बचना चाहा क्योंकि ये धर्म अपने प्रारूप में समतावादी हैं (थी) 16 आयोग ने हालांकि 'गरीबी' को भी एकमात्र मानक मानने से बचने की कोशिश की। आयोग ने जिन दो 'अशोधित एवं तैयार' मानकों को अपनाया, उनकी दो स्थितियाँ थीं-

- सभी 'अछूत' जो किसी भी अहिन्दू धर्म में परिवर्तित हो गये थे, मुस्लिमों में ये अरजल थे।
- ऐसे व्यावसायिक समुदाय जो अपने पारंपरिक विरासत में मिलने वाले व्यवसायों के नाम से जाने जाते हैं और जिनके हिन्दू समक्ष हिन्दू ओ बी सी की सूची में सम्मिलित हैं, मुस्लिमों में ये अजलाफ श्रेणी में आते हैं।

मुस्लिमों में अरजल और अजलाफ को ओबीसी श्रेणी में सम्मिलित करते हुए मंडल आयोग ने उनके द्वारा महसूस की जा रही वंचनाओं की प्रति उसकी असमानता पर ध्यान नहीं दिया। सामाजिक सोपान के सबसे निचले स्तर पर मौजूद होने से अरजल सबसे बुरी हालत में थे और उन्हें अलग से देखने की जरूरत थी। यह ज्यादा उचित होता कि उन्हें इसी श्रेणी में सम्मिलित कर लिया जाता या कम से कम एक अलग श्रेणी अत्यंत पिछड़ा वर्ग (एमबीसी) की अलग श्रेणी के रूप में ओ बी सी से अलग किया जाता।

केरल व कर्नाटक मॉडल

पिछड़ा वर्गों के आरक्षण के लाभ को संपूर्ण मुस्लिम आबादी तक विस्तारित करने की पहल की जरूरत है। इस मुस्लिमों (मलाईदार परत को छोड़कर) का एक अलग समूह बनाकर और उन्हें पिछड़ा वर्ग के बड़े समूह में सम्मिलित करते हुए उनके लिये एक विशेष कोटा प्रदान कर, प्राप्त किया गया है। उनकी आरक्षण नीतियों के ये पृथक लक्षण विदेशी शासन के समय से ही हैं। मैसूर के प्रिन्सले राज्य में स्वीकारात्मक कार्य प्रारंभिक रूप में 1854 से शुरू हुए जब सरकार ने पुलिस विभाग के 10 प्रतिशत पदों को गैर-ब्राह्मण, मुस्लिम व भारतीय ईसाइयों के लिए आरक्षित कर दिया। केरल में, कम प्रतिनिधित्व वाले समुदाय के लिये आरक्षण की मांग 1936 में ही त्रावणकोट व कोचीन के प्रिन्सले राज्यों द्वारा और मालाबाट में इसके भी पहले 1921 में ही, स्वीकार कर ली गई थी। केवल जाति समूह जैसे कि इज़ावा के लिये ही नहीं, बल्कि धार्मिक अल्पसंख्यकों, मुस्लिमों व ईसाइयों के लिए भी कोटा निश्चित कर दिया गया था।

स्वतंत्रता के बाद, मैसूर राज्य का कर्नाटक के रूप में पुनर्गठन के समय, सभी गैर-ब्राह्मण हिन्दू जातियों और सभी अहिन्दू अल्पसंख्यक समुदायों जैसे मुस्लिमों व इसाइयों को पिछड़ा वर्ग के रूप में घोषित किया गया। 1960 में नागन गौड़ा समिति के सिफारिशों पर पिछड़े वर्गों की श्रेणी में दो भागों पिछड़ा (28 प्रतिशत) और अत्यंत पिछड़ा (22 प्रतिशत) के रूप में दो भागों में बांट दिया गया। एससी, एसटी कोटा को मिलाकर आरक्षण की सीमा 68 प्रतिशत तक पहुंच गई। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने ऐतिहासिक निर्णय में आरक्षण की सीमा 50 प्रतिशत तक सीमित कर दी। 17 अपनी समझ में मुस्लिम पिछड़े समुदायों में गिने जाते रहे। हावनू आयोग 1972, ने अल्पसंख्यक समूहों की एक अलग श्रेणी बनाने और उनके लिए 6 प्रतिशत से कम आरक्षण की सिफारिश की। राज्य ने पिछड़ा वर्ग को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया (a) अत्यधिक पिछड़ा (b) अधिक पिछड़ा और (c) पिछड़ा। सभी मुस्लिम जिनकी आय 2 लाख रुपये वार्षिक से कम थी, पिछड़ा घोषित किए गए और उन्हें अधिक पिछड़ा की विशेष श्रेणी में जगह दी गई तथा उनके लिए 4 प्रतिशत सीटें पृथक की गईं। राज्य सरकार द्वारा इस समिति को उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, इस उपाय से राज्य सरकार की सेवाओं में मुस्लिमों का हिस्सा काफी बढ़ा। मुस्लिमों के लिये व्यावसायिक पाठ्यक्रमों जैसे कि चिकित्सा, दंतचिकित्सा और अभियांत्रिकी में उपलब्ध सीटें भी पर्याप्त सीमा तक बढ़ाई गईं। 1996-2002 के मध्य 346 मुस्लिम छात्रों ने चिकित्सा में, 258 ने दंत

15. द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग (प्रथम खण्ड) 1980 में वर्णित, पृ 0 3

16. उपरोक्त, पृ 0 55

17. बाला जी मैसूर राज्य, आल इंडिया रिपोर्टर पृ 0 649-64

**केरल और
कर्नाटक ने
आरक्षण के लाभ
को पूरे मुस्लिम
समुदाय तक
पहुंचाने की पहल
की गई।**

**हवानूर आयोग,
1972 ने अल्पसंख्य
समूह की एक
अलग श्रेणी बनाने
और उन्हें छह
प्रतिशत से अधिक
आरक्षण नहीं देने
की सिफारिश की।**



**केरल में
मुसलमानों का
अलग से 10
प्रतिशत शेयर
निर्धारित किया
गया जो बाद में
12 प्रतिशत तक
पहुंचा।**

**अडुद्रद्वय हडुस्त्रह
दश1द्रहपुद्रुद्रुह अडुह्य
स्त्रशुद्रुद्रु डु2डु4 2द्रहद्व
हद्रह्यद्रह1डुहद्रुशुद्रु शुरु
दहशहृष्ट्रुशु शद्र
हद्रह्यद्रद्वशुद्रु, 4द्रह
डुद्रुडुह्य4 १५ त हद्रद्र
स्त्रह्यद्यद्रद्वह्य अडु1द्र
डुद्रुद्रुद्रु द्रुष्ट्रुह्यहस्त्रद्रु
2द्रहद्वद्रुद्रु हद्रद्रु द्रुशुद्यस्त्र
शुद्रु डुडुष्वा2डुहस्त्र
ष्यडुह्यह्यद्रह्य**

चिकित्सा में और 3486 ने अभियांत्रिकी पाठ्यक्रमों में अपने लिए सीटें सुरक्षित की।

केरल में आरक्षण की योजना 1952 में लाई गई और 45% आरक्षण की मात्रा (एससी व एसटी के लिये 19 %को जोड़कर) निश्चित की गई। लाभान्वितों में इज़ावा, ममला, नदरस (हिंदू व इसाई), अन्य हिन्दू पिछड़ी जातियों और एससी व एसटी के ईसाई धर्म अपनाने वाले सम्मिलित थे। 1957 में राज्य के पुनर्गठन पर, पिछड़ा वर्गों का कोटा 40 % तक बढ़ा दिया गया। बाद में योजना को बढ़ाकर पिछड़ा समुदायों को सम्मिलित करने के लिए परिवर्तित किया गया। मुस्लिमों के लिये अलग से 10 % हिस्सा तय किया गया जिसे बाद में बढ़ाकर 12 % किया गया। वर्तमान में केरल की आरक्षण प्रणाली निम्न प्रकार से है- पिछड़ा वर्ग 40 % (इज़ावा 14 प्रतिशत, मुस्लिम 12%, लैटिन कैथोलिक 4 प्रतिशत, नदार 2 प्रतिशत, एससी से ईसाई में परिवर्तित 1 प्रतिशत, धीवर 1 %, ओबीसी 3, विश्वकर्मा 3 %) और एससी एवं एसटी 10 प्रतिशत।

तमिलनाडु मॉडल

तमिलनाडु के मुस्लिमों या मुस्लिम ओबीसी के लिये एक अलग मॉडल है, जो केरल व कर्नाटक से थोड़ा भिन्न है। केरल व कर्नाटक के विपरीत मुस्लिमों के कई अलग श्रेणी के रूप में आरक्षण के योग्य नहीं बनाया गया है बल्कि अधिकांश मुस्लिम विरादरियों को या तो पिछड़ा या अत्यंत पिछड़ा वर्ग में सम्मिलित कर दिया गया है। राज्य सरकार ने धार्मिक आधार पर आरक्षण नहीं दिया है तब भी 95 प्रतिशत मुस्लिम पिछड़ा वर्गों के अंतर्गत सम्मिलित है।

आरम्भ में, मुस्लिमों में जो शैक्षणिक रूप से पिछड़े थे, को एक विशेष दर्जा जुलाई 28, 1852 के प्रस्ताव द्वारा दिया गया। बाद में इसे 'अदिवासियों' और नीचीजाति के हिन्दुओं तक विस्तारित कर दिया गया। चूंकि अधिक वेतन वाली नौकरियों में ब्राह्मणों का प्रतिनिधित्व काफी ज्यादा था, अतः एक शासनिक आदेश (1927) द्वारा पूरक आरक्षण लाया गया, जिसके द्वारा गैर-ब्राह्मणों के लिए 42 प्रतिशत और मुस्लिमों के लिए 17 प्रतिशत पद उपलब्ध कराये गए।

स्वतंत्रता के बाद, आरक्षण को संवैधानिक रूप से पहचाने गए वंचित श्रेणियों जैसे एससी, एसटी व ओबीसी तक ही विस्तृत किया गया। मुस्लिमों के अलग कोटे को खत्म कर दिया गया। वस्तुतः मुस्लिमों के विभिन्न समुदायों को पिछड़ा मानकर उन्हें पिछड़ा वर्गों की सूची में सम्मिलित कर दिया गया। सनाथन आयोग (1970) ने 1951 की श्रेणी व्यवस्था को स्वीकारा। इसने 195 जाति-समुदायों की पिछड़ा के रूप में पहचान की और 31 प्रतिशत आरक्षण का सुझाव दिया, जबकि शेष 18 प्रतिशत को एससी व एसटी के लिये छोड़ दिया गया। तमिलभाषी मुस्लिम समुदाय जैसे कि लबई, दकिनी मुसलिम और अन्य को पिछड़ी श्रेणी में सम्मिलित किया गया। पिछड़ा वर्ग के 31 प्रतिशत कोटा को बढ़ाकर 1980 में 30 प्रतिशत किया गया, जिससे कुल आरक्षण 68 प्रतिशत हो गया।

अम्बाशंकर आयोग (1982) के सुझावों को मानते हुए पिछड़ा वर्ग को पिछड़ा वर्ग (बीसी), अत्यंत पिछड़ा वर्ग (एमबीसी) और असहूलियत वर्ग में बांट दिया गया। आरक्षण की मात्रा 69 प्रतिशत है, जो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा तय की गई 50 प्रतिशत की सीमा से बहुत ज्यादा है। तमिलनाडु पिछड़ा वर्ग, अनसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति (शैक्षणिक संस्थानों व राज्य की सेवाओं में आने वाले पद पर नियुक्ति के लिए सीटों का आरक्षण) अधिनियम, 1993 को 76 वें संविधान संशोधन के द्वारा 9 वीं सूची में सम्मिलित किया गया।

बिहार मॉडल

'कर्पूरी फॉर्मूला' जैसा कि इसे लोकप्रिय रूप में कहा जाता है, द्वारा पिछड़ा वर्ग को विकसित भाग, अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) दो भागों में बांट दिया गया। बिहार में पिछड़ा वर्ग की दुर्दशा को

17. बालाजी बनाम मैसूर राज्य, ऑल इंडिया रिपोर्टर पृष्ठ 649-64



समझने का सबसे पहले महत्वपूर्ण प्रयास तब किया गया जब 1971 में मुंगेरीलाल आयोग का गठन किया गया। 1975 में सौंपे गये अपने प्रतिवेदन में आयोग ने पिछड़ा वर्ग को दो भागों अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) व अत्यंत पिछड़ा वर्ग (एमबीसी) में बांटने की सिफारिश की। ओबीसी सूची में 128 जातियां थी जबकि एमबीसी सूची में 93 जातीय समूह सम्मिलित थे। कर्पूरी ठाकुर सरकार ने 1978 में मुंगेरी लाल आयोग द्वारा किया गया वर्गीकरण स्वीकार कर लिया। 'नियुक्ति' के उद्देश्य से 8 प्रतिशत ओबीसी के लिए, 12 % एमबीसी के लिए, 14 % एससी के लिए, 19 % एस टी के लिये 33 महिलाओं के लिए और 3 प्रतिशत आर्थिक रूप से पिछड़ों के लिये अलग कर दिये गए। बिहार से झारखण्ड को अलग कर दिये जाने के बाद उपरोक्त व्यवस्था को थोड़ा सा बदल दिया गया। एससी के कोटे को कम करके 1% किया गया और एसटी का कोटा 15 % निश्चित किया गया, ओबीसी के लिए 13 प्रतिशत, एमबीसी के लिए 18 प्रतिशत और 3 पिछड़ी जाति की महिलाओं के लिए निर्धारित किया गया। मुस्लिम जातीय समूहों को उनके पिछड़ेपन के आधार पर या तो ओबीसी या एमबीसी में सम्मिलित कर लिया गया। 9 मुस्लिम समूहों को राज्य के ओबीसी समूह में स्थान मिला, जबकि अन्य 21 को एमबीसी का हिस्सा माना गया। मुस्लिम पिछड़ों के सुधार के प्रयास के जिन तीन मॉडलों पर ऊपर विस्तृत चर्चा की गई है, को सारांश रूप में निम्न प्रकार से समझा जा सकता है-

- सम्पूर्ण मुस्लिम समुदाय (मलाईदार परत को छोड़कर) के लिये सीटों का आरक्षण: केरल व कर्नाटक
- पिछड़ी जाति-बिरादरी के आधार पर आरक्षण, लेकिन मुस्लिम समूह जो कि मुस्लिम आबादी का 95 प्रतिशत हिस्सा हैं, को सम्मिलित करते हुए: तमिलनाडु
- ओबीसी का पिछड़ा व एमबीसी में विभाजन, अधिकांश मुस्लिम पिछड़े एमबीसी सूची में: बिहार

धर्म से अलग अनेक ओबीसी समूह हैं जो राज्य सरकारों की सूची में तो शामिल हैं, लेकिन केंद्र की सूची में नहीं हैं।

सारणी 10.1: सार्वजनिक रोजगार के लिए तुलनात्मक आरक्षण का हिस्सा/कोटा : अखिल भारत एवं महत्वपूर्ण राज्य

भारत/राज्य	मुस्लिम आबादी(%)	एसआर सी के लिये कोटा (%)				टिप्पणी
		एस सी	एस टी	ओ बी सी	कुल	
भारत	13.4	15	7.5	27	49.5	<ul style="list-style-type: none"> मुस्लिमों के लिये अलग कोटा नहीं मुस्लिम ओ बी सी, अन्य सभी ओबीसी के साथ समूह में
प० बंगाल	25.2	22	6	7	35	<ul style="list-style-type: none"> मुस्लिमों के लिये अलग कोटा नहीं राज्य की ओबीसी सूची में 9 मुस्लिम समूह सम्मिलित
केरल	24.7	10		40	50	<ul style="list-style-type: none"> ओ बी सी में 10 -12 / का कोटा, विशेष रूप से विभिन्न स्तरों के मुस्लिमों के लिए निश्चित
उत्तरप्रदेश	18.5	21	2	27	50	<ul style="list-style-type: none"> मुस्लिमों के लिये अलग कोटा नहीं ओ बी सी सूची में लगभग 30 मुस्लिम समेत
बिहार	16.5	15	1	34	50	<ul style="list-style-type: none"> मुस्लिमों के लिये अलग कोटा नहीं ओ बी सी वर्ग में बी सी (13/), एम बी सी (18/) और ओ बी सी महिला(3/) का उपविभाजन.9मुस्लिम समूह बीसी में और 27 एमबीसी सूची में
असम	30.9	7	15	15	37	<ul style="list-style-type: none"> मुस्लिमों के लिए अलग कोटा नहीं ओबीसी श्रेणी बीसी और एमबीसी में विभजित, मुस्लिम समूह बीसी और एमबीसी, दोनों में सूचियों में सम्मिलित
झारखंड	13.8	11	27	22	60	<ul style="list-style-type: none"> मुस्लिमों के लिए अलग कोटा नहीं मुस्लिम ओबीसी, ओबीसी सूची में सम्मिलित



भारत/राज्य	मुसलमानों की आबादी (%)	एसआरसी के लिए कोटा (%)				टिप्पणी
		एससी	एसटी	ओबीसी	कुल	
कर्नाटक	12.2	15	3	32	50	<ul style="list-style-type: none"> पिछड़ा वर्ग पुनः श्रेणी- एक, दो ए और दो बी, तीन ए व तीन बी क रूप में श्रेणीकृत, श्रेणी एक- चार प्र.श. (89 जातियां जिनमें दरवेसू, चप्परबंद, बाजीगर, पिंजारी, लदाफ, डुडेकुला, मलाईदार तबका सहित मंसूरी शामिल) दो-ए : 15 प्र.श. (101 जाति समूह, मुस्लिम समूह जैसे कि दर्जी रंगरेज, जुलाहा आदि भी सम्मिलित), दो-बी : 4 प्र.श. (विशेष रूप से मुस्लिमों के लिए, मलाईदार तबका को छोड़कर), तीन-ए : 4 प्र.श. कोई मुस्लिम समूह नहीं, तीन - बी : 5 प्र.श., कोई मुस्लिम समूह नहीं।
उत्तरांचल	11.9	19	4	14	37	<ul style="list-style-type: none"> मुस्लिमों के लिए कोई कोटा नहीं राज्य सूची में कुछ मुस्लिम समूह
दिल्ली	11.7	15	7.5	27	49.5	<ul style="list-style-type: none"> मुस्लिमों के लिए अलग से कोटा नहीं राज्य सूची में 54 जातियां, जिनमें 19 मुस्लिम हैं
महाराष्ट्र	10.6	13	7	32	52	<ul style="list-style-type: none"> मुस्लिमों के लिए अलग कोटा नहीं पिछड़ा वर्ग श्रेणी विमुक्त जाति (3 प्र.श.), नोमेडिक जनजाति (8 प्र.श.), विशेष पिछड़ी जाति (2 प्र.श.) और ओबीसी (19 प्र.श.) में उपविभाजित, लगभग 35 मुस्लिम समूह, राज्य सूची की विभिन्न श्रेणियों में
आंध्र प्रदेश	9.2	15	6	25	46	<ul style="list-style-type: none"> मुस्लिमों के लिए अलग कोटा नहीं पिछड़ा वर्ग श्रेणी समूह ए (7 प्र.श.), समूह-बी (10 प्र.श.), समूह-सी (1 प्र.श.) और समूह-डी (7 प्र.श.) में उपविभाजित। कुछ मुस्लिम समूह जैसे कि डुडेकुला, लदाफ, पिंजरी, नूरबास, मेहतर आदि समूह ए, बी व डी में सम्मिलित, समूह सी एस सी से ईसाई में परिवर्तितों के लिए।
गुजरात	9.1	7	15	27	49	<ul style="list-style-type: none"> मुस्लिमों के लिए अलग कोटा नहीं। लगभग 50 मुस्लिम समूह राज्य की ओबीसी सूची में
राजस्थान	8.5	15	7.5	27	49.5	<ul style="list-style-type: none"> मुस्लिमों के लिए अलग कोटा नहीं लगभग 30 मुस्लिम समूह ओबीसी सूची में
मध्य प्रदेश	6.4	16	20	14	50	<ul style="list-style-type: none"> मुस्लिमों के लिए अलग कोटा नहीं 37 मुस्लिम समूह ओबीसी सूची में सम्मिलित ओबीसी की जनसंख्या संबंधी आंकड़े अनुपलब्ध
हरियाणा	5.8	15	7.5	27	49.5	<ul style="list-style-type: none"> मुस्लिमों के लिए अलग से कोटा नहीं ओबीसी की सूची में बहुत कम मुस्लिम शामिल
तमिलनाडु	5.6	18	1	50	69	<ul style="list-style-type: none"> मुस्लिमों के लिए अलग से कोई कोटा नहीं



भारत/राज्य	मुसलमानों की आबादी(%)	एसआरसी के लिए कोटा (%)				टिप्पणी
		एससी	एसटी	ओबीसी	कुल	
						<ul style="list-style-type: none"> ओबीसी श्रेणी बीसी (30 प्र.श.) और एमबीसी एवं गैर-अधिसूचित समुदायों (20 प्र.श.) में उपविभाजित राज्य सूची में सम्मिलित मुस्लिम समूह मुसलमानों की कुल आबादी का 95 प्रतिशत
उड़ीसा	2.1	15	7.5	27	49.5	<ul style="list-style-type: none"> मुस्लिमों का कोई अलग कोटा नहीं ओबीसी सूची में कुछेक मुस्लिम समूह
हिमाचल प्रदेश	2	15	7.5	5%	27.5	<ul style="list-style-type: none"> मुस्लिमों का कोई अलग कोटा नहीं राज्य सूची में कुछेक मुस्लिम समूह शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए ओबीसी कोटा उपयोगी नहीं
छत्तीसगढ़	2	15	18	14	47	<ul style="list-style-type: none"> मुस्लिमों के लिए कोई अलग कोटा नहीं तृतीय और चतुर्थ श्रेणियों के पदों के लिए कोटा थोड़ा अलग। एससी-16, एसटी-20, ओबीसी-14। ओबीसी की आबादी का आंकड़ा अनुपलब्ध।
पंजाब	1.6	20	5	5 (17%)	47	<ul style="list-style-type: none"> मुस्लिमों का कोई अलग कोटा नहीं अन्य लाभान्वितों में पिछड़े इलाके और सीमा क्षेत्रों की महिलाएं, स्वतंत्रता सेनानी और उनके बच्चे, रक्षकर्मियों के बच्चे/ अर्द्ध-सैनिक बल (4 प्र.श.), खिलाड़ी (2 प्र.श.)

5. मुस्लिम ओबीसी राज्य व केंद्र की ओबीसी सूची में सम्मिलित नहीं

राज्यों में केन्द्र की तुलना में ओबीसी के लिये आरक्षण का लम्बा इतिहास रहा है। जब मंडल आयोग के सुझाव स्वीकृत किए गए, तब केन्द्र की ओबीसी सूची को 'समानता' के आधार पर प्राथमिक स्तर व मंडल आयोग द्वारा बनाई ओबीसी सूची में सम्मिलित थे, ही केन्द्र सूची में सम्मिलित हो पाये। इसलिए यह आश्चर्यजनक नहीं था कि कई जातियां-समुदाय जो या तो केवल सूची में या केवल राज्य सूची में सम्मिलित थे, छोड़ दिए गए। इस असमानता को हल करने की आशा की गई जब एक स्थाई राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग(एन सी बी सी) बनाया गया। 18 1993 में बने एनसीबीसी ने जाति-समुदाय को केन्द्र की ओबीसी सूची में सम्मिलित करने के लिए सामाजिक-आर्थिक, शैक्षणिक आधारों पर आधारित कई दिशा-निर्देश दिए। केन्द्र व राज्य सूची में असमानता अब भी मौजूद है। यह एक साधारण शिकायत है और केवल मुस्लिमों से जुड़ी नहीं है। धार्मिक आधारों से परे ऐसे कई ओबीसी समूह हैं जो राज्यसूची में हैं लेकिन केन्द्र सूची में नहीं हैं। उदाहरण के लिए मध्य प्रदेश में राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के द्वारा अनुशंसित 95 सामाजिक समूहों को ओबीसी सूची में सम्मिलित किया गया है लेकिन इनमें से केवल 65 समूहों को ही केंद्र सूची में जगह मिल पाई है। उत्तर प्रदेश की ओबीसी सूची में 74 जातियां सम्मिलित हैं लेकिन केन्द्र की सूची में केवल 65 जातियां शामिल हैं।

मुसलमानों में कुछ ऐसे समूह हैं जिन्हें केंद्र की सूची में तो शामिल किया गया है, लेकिन राज्यों की सूची शामिल नहीं किया गया है।

पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग अधिनियम 1993 की धारा 19(1) के अंतर्गत आयोग नागरिकों के किसी भी वर्ग को केंद्र की पिछड़ा वर्ग सूची में सम्मिलित करने के आग्रह की जांच करेगा और किसी बीसी की सूची में अधिक या कम उपस्थिति की शिकायत भी सुनेगा और केंद्र सरकार को उचित सुझाव देगा।



गुजरात में परियोजना के तहत 85 ऐसे मुस्लिम समुदायों का पता चला, जिनमें से कम से कम 76 गैर-अशरफ हैं। हालांकि केंद्रीय सूची में केवल 22 ऐसे समुदाय मिले, जिन्हें केंद्रीय सूची में शामिल किया गया, जबकि राज्य सूची में 27 मुस्लिम समुदाय शामिल हैं।

ऐसी विभिन्नता मुस्लिम ओबीसी की स्थिति में भी पाई जाती है।

उदाहरण के लिये मध्य प्रदेश की राज्य सूची में 37 समुदाय, इस्लामिक समूहों के रूप में सम्मिलित हैं, लेकिन उनमें से केवल 27 ही केन्द्रीय सूची में हैं। बिहार में सूचियों के नवीनीकरण के बाद 17 ओ बी सी समूह ऐसे हैं जिन्हें केन्द्रीय सूची में जगह नहीं मिली है। इनमें से 6 विशेष रूप से मुस्लिम हैं, इनके नाम (1)फकेटा-दीवान (2)जुलाहा-अंसारी (केन्द्रीय सूची में समकक्ष मोक्षक सम्मिलित) (3)अत्रफरोश-गंधेरी (4)इतपाज-इब्राहिमी, (5)जाट (अप) गढ़ेरिया और (6)सूरजपुरी हैं। उत्तर प्रदेश में 2 मुस्लिम समूह-मिर्शिकर व नानबाई को केन्द्रीय सूची में जगह नहीं मिली है। गुजरात में मुस्लिम समूह जैसे कि जिलाया, तरियातई, मंसूरी, बरब, सूमरा, तरक, कलाल और नहवैया राज्य की पिछड़ा वर्ग सूची में हैं, लेकिन केन्द्रीय सूची में नहीं। इसी प्रकार महाराष्ट्र में कई मुस्लिम समूह जैसे कि मंसूरी, पान फरोश, अतार, सन्प्यरुडी, मुस्लिम मदारी, मुस्लिम गावली, दरवेशी, हाशमी, नालबंद ऐसे हैं जिन्हें केन्द्रीय सूची में जगह नहीं मिली है।


राज्य सरकारों द्वारा बनाई गई ओबीसी सूचियों में भी कई ऐसी वंचित जातियां और समुदाय हैं जिन्हें सूची में जगह नहीं मिली है। ऐसे कुछ मुस्लिम समूह हैं जिन्हें केंद्र की सूची में जगह मिली है परंतु जिन्हें अभी राज्य सूची में सम्मिलित किया जाना बाकी है। बिहार में कलवार, राजस्थान में मुसूरी, उत्तर प्रदेश में आतिशबाज, पश्चिम बंगाल में रईन, कलवार, रंगबाज और चूड़ीहार ऐसे मुस्लिम समुदायों के उदाहरण हैं। अभी भी ऐसे कई समूह हैं जिन्हें न तो केन्द्र और नहीं राज्य की सूची में जगह मिल पाई है। ऐसे समूहों की पहचान भारतीय नरविज्ञान सर्वेक्षण के भारत के लोग प्रोजेक्ट के लिए एकत्र सूचनाओं से की जा सकती है। उदाहरण के लिए गुजरात में प्रोजेक्ट ने 85 मुस्लिम समुदायों की पहचान की है, जिनमें से कम से कम 76 अशरफ नहीं हैं। इनमें से केवल 22 को केन्द्रीय सूची में और केवल 27 मुस्लिम समूहों को राज्य सूची में जगह मिल पाई है। प्रोजेक्ट के अनुसार बिहार में ऐसे 37 जाति-समुदाय हैं, जिन्हें अशरफ-इतर के रूप में गिना जा सकता है हालांकि केवल 23 को ही केन्द्रीय सूची में जगह मिली है। प्रोजेक्ट ने उत्तर प्रदेश में मुस्लिमों के 67 समूहों की पहचान की है, जिनमें से 65 व्यावसायिक समूह हैं। केन्द्र व राज्य सूची दोनों में इनमें से केवल 32 ही सम्मिलित हैं।

मुस्लिम समूहों के लिये एससी का दर्जा

जहाँ अशरफ और अजलाफ मुस्लिम सामाजिक संरचना में सबसे ऊंचे और मध्य स्तरों पर हैं, वहीं अरजल सबसे निचले स्तरों पर हैं। इन अरजलों में कुछ हिन्दू एससी की सूची में सम्मिलित समुदायों के समान पारम्परिक व्यवसायों में लगे हैं। वृहद स्तर पर ऐसा विश्वास किया जाता है कि इन समुदायों ने हिन्दू 'अछूतों' में से धर्म परिवर्तन किया है। धर्मपरिवर्तन से इनकी सामाजिक या आर्थिक स्थिति में कोई फर्क नहीं आया। उनके पारम्परिक व्यवसायों से जुड़े कलंक की वजह से इन्हें सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ता है। बावजूद इसके, इनके हिन्दू समकक्षियों को प्राप्त एससी के दर्जे से इन्हें वंचित रहना पड़ता है।

18. पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग अधिनियम 1993 के सेक्शन 19 (1)के अंतर्गत आयोग नागरिकों के किसी भी वर्ग को केन्द्र की पिछड़ा वर्ग सूची में सम्मिलित करने के लिए परीक्षित करेगा और किसी पिछड़ा वर्ग की सूची में दुहरी उपस्थिति या कम उपस्थिति की शिकायत सुनेगा और केंद्र सरकार को ऐसे सुझाव देगा जो यह उचित समझेगा।

एससी की सूची से उनका बहिष्कार, 1936 के पहले का है, जब शाही (अनुसूचित जाति) आदेश ने समान उत्पत्ति के इसाई और बौद्धों को एससी का दर्जा देने से मना कर दिया। मुस्लिमों के दलित वर्ग जैसे कि हलखोर को सूची में जगह मिली, लेकिन उन्हें मिलने वाले लाभों से वे अलग



कर दिए गए। हालांकि इस आदेश को दो बार, एक बार 1956 में सिखों में एससी को सम्मिलित करने के लिए और बाद में 1990 में नव बौद्ध को सम्मिलित करने के लिए सुधारा जा चुका है। इसलिए हकीकत में केवल इस श्रेणी से परिवर्तित मुस्लिम और इसाई हैं जिन्हें इस दर्जे से वंचित रखा गया है। परिणामस्वरूप ऐसे मुस्लिम समूह, जिनके नाम - गधेरी, गोरकुन, मेहतर या हलालखोर, मुस्लिम धोबी, बाखो, नट, पामरिया, लालबेगी हैं, दरिद्र और उपेक्षित बने हुए हैं। ओबीसी सूची में जगह दिए जाने मात्र से इन पर कोई असर नहीं पड़ा है क्योंकि इन्हें अधिक विकसित मध्य स्तरीय जातियों के साथ रखा गया है।

बहुतों ने यह दलील दी है कि 1950 का आदेश, संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16 जो कि अवसर की समानता, विवेक की स्वतंत्रता की गारंटी देते हैं और राज्य द्वारा नागरिकों के मध्य धर्म, जाति या पंथ के आधार पर भेदभाव करने से रक्षा करते हैं, से असंगत हैं।

6. अनुभवात्मक स्थिति

इस परिच्छेद में उन तुलनात्मक वंचनाओं की परिमाप करने की कोशिश की जाएगी, जिनका साधारणतः मुस्लिम और विशेषकर मुस्लिम ओबीसी सामना करते हैं। ऐसे विभिन्न आधारों को अपनाया गया है जैसे कि पुरुष व महिला कार्य सहभागिता, सार्वजनिक रोजगारों के विभिन्न क्षेत्रों व स्तरों में प्रतिनिधित्व, शहरी और ग्रामीण भूमि पर स्वामित्व, शिक्षा में तुलनात्मक हिस्सा ताकि मुस्लिम ओबीसी की स्थिति की तुलना उनके हिन्दू समकक्षों से और मुस्लिम ओबीसी की तुलना मुस्लिम सामान्य से भी की जा सके। इनमें से अधिकांश आधार सूचित करते हैं कि मुस्लिम ओबीसी हिन्दू ओबीसी की तुलना में ज्यादा वंचित हैं।

6. 1 मुस्लिम ओबीसी का जनसांख्यिकीय वितरण

जनसांख्यिकीय वितरण को सुनिश्चित करने के लिए भारत की दशकीय जनगणना का कार्य सर्वाधिक विश्वसनीय स्रोत है। हालांकि मुस्लिम ओबीसी का हिस्सा निश्चित करने में जनगणना प्रक्रिया अपर्याप्त है क्योंकि स्वतंत्रता के बाद जाति या बिरादरी के आधार पर जनगणना बंद कर दी गई है। इस निर्णय से केवल कल्पना, दावा और प्रतिदावा को ही बढ़ावा मिला है, जिनमें तथ्य नहीं होते। हालांकि कुछ राज्यों में राज्य पिछड़ा वर्ग आयोगों ने अपने राज्य में सम्मिलित ओबीसी सूची की विभिन्न जातियों की जनसंख्या जानने के प्रयत्न किए हैं। लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि ऐसे अधिकांश सर्वेक्षण एक या दो दशक पुराने हैं। इसके अलावा चूँकि सभी राज्य सरकारों या राज्यस्तरीय पिछड़ा वर्ग आयोगों ने ऐसा सर्वेक्षण नहीं किया है, इसलिए इनके द्वारा कोई अखिल भारतीय आकलन नहीं किया जा सकता।

1931 की जनगणना के आँकड़ों पर विश्वास करते हुए मण्डल आयोग ने देश में ओबीसी की आबादी को देश की कुल आबादी का 52% बताया। इसमें ऐसी कल्पना की गई कि अहिंदु धार्मिक समुदायों के ओबीसी का हिस्सा (मुस्लिम, इसाई, सिख) भी इसी अनुपात में होंगे। इसलिए अहिन्दू ओबीसी की आबादी देश की कुल आबादी की 8.4% आंकी गई। इस तथ्य के आधार पर कि 1931 का आधार स्वयं विवादित है, आकलनों के पुर्ननिरीक्षण की आवश्यकता थी। मण्डल आयोग भी अविश्वसनीय था क्योंकि मण्डल सूची में सम्मिलित अनेक जातियों-समुदायों को केन्द्र की सूची में अभी तक जगह नहीं मिली है। नवीनतम समय में राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (एन एस एस ओ) ने अपने 55 दौर से विभिन्न धार्मिक समुदायों के ओबीसी का भी व्यापक श्रेणियों के आंकड़े प्रस्तुत करना आरंभ कर दिया है। इसलिए अब इसके द्वारा मुस्लिम ओबीसी का आबादी, रोजगार या शिक्षा में हिस्सा आदि एकत्र किया जा सकता है। हालाँकि प्रत्येक जाति की गणना और उसका हिस्सा अभी भी उपलब्ध नहीं है। अपने विश्लेषण में हम मुस्लिम ओबीसी का आबादी में हिस्सा के लिए राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के 61 वे दौर पर ज्यादा निर्भर करेंगे।

रुडुवु4 वरुडु1रु इहदहदरुस

ह्वरुडुह ह्वरुदरु हहसुनरुह

शदु ११५० द्रुहा

द्रुवुषुवुवुहदुहदुहदुहदुह

2द्रुह्वरु हहदुवुदुदु १४,

१५, १६ इडुसु २५ शदु

ह्वरुदुदु वुशुवुहदुहदुहदुहदुहदुह

ह्वरुडुह दहदुहदुहदुहदुहदुह

द्रुहदुहदुहदुह4 शदु

शशुशुशुहहहदुहदुह4,

द्रुहदुहदुहदुहदुह शदु

षुवुहदुहदुहदुहदुह इडुसु

शुहशुहदुहदुह ह्वरुदु

षुहदुह5द्रुवुह द्रुहशदु

सुदुहदुहदुहदुहदुहदुहदुहदुह

ह्वरुदुह सुहदुहदुह शदु

दहशुहदुहदुहदुह शदु

हदुहदुहदुहदुहदुह, षुदुहदुहदुह शह

षुदुहदुह



राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण, 61 वां दौर

ओबीसी के सर्वेक्षण से प्राप्त आंकड़े, मंडल आयोग द्वारा अनुमानित आंकड़ों से कम थे। ऐसे ही 55 वें व 61 वें दौर द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों में भी पर्याप्त अंतर था। सारणी 10.2 के अनुसार, मुस्लिम ओबीसी के रूप में रिपोर्ट देने वाले 61 वें दौर के अनुसार, मुस्लिम कुल आबादी का 40.7% हिस्सा थे। 55 वें दौर की तुलना में, जिसमें मुस्लिम ओबीसी केवल 31.7% थे, 91% की वृद्धि पाई गई। ग्रामीण और नगरीय दोनों क्षेत्रों में यह प्रवृत्ति समान थी। चूंकि एन एस एस ओ, स्वयं रिपोर्ट किए गए आंकड़े उपलब्ध कराता है, अतः यह अंतर दर्शाता है कि या तो ओबीसी की स्थिति के प्रति जागरूकता बढ़ी या सर्वेक्षण के पिछले दौर के बाद ओबीसी की सूची में काफी सुधार हुआ। हिन्दू ओबीसी का आबादी में हिस्से में वृद्धि भी ध्यान देने योग्य थी। दोनों सर्वेक्षणों में एस सी-एस टी का कुल आबादी में हिस्से में वृद्धि भी ध्यान देने योग्य थी। दोनों सर्वेक्षणों में एस सी-एस टी का कुल आबादी में हिस्सा यथावत बना रहा। चूंकि एस सी-एस टी श्रेणियों को मिलने वाली सुविधाओं का 50 सालों से भी ज्यादा लम्बा इतिहास रहा है, इसलिये इसमें सम्मिलित सामाजिक समूह काफी हद तक अपनी स्थिति से वाकिफ है।

सारणी 10.2: एक आर सी के आधार पर आबादी का वितरण

	हिन्दू						मुस्लिम				अन्य अल्प संख्यक		
	आबादी (%)	% एस सी/एस टी		% ओ बी सी		% सामान्य	आबादी (%)	% ओ बी सी		% सामान्य			
		55वां	61वां	55वां	61वां			55वां	61वां		55वां	61वां	
अखिल भारत	80.5	31.3	31.2	38.3	43.0	30.5	25.9	13.4	31.7	40.7	68.3	59.3	6.1
नगरीय	75.6	20.6	20.5	33.0	36.9	46.5	42.6	17.3	32.6	40.2	67.4	59.8	7.1
ग्रामीण	82.3	34.6	34.5	39.9	44.9	25.5	20.6	12.0	31.2	40.9	68.8	59.1	5.7

स्रोत : एन एस एस ओ के 55 वें दौर (अनुसूची 10) और 61 वें दौर (अनुसूची 10) के आंकड़ों पर आधारित
टिप्पणी- मुस्लिम ओबीसी की आबादी में एस सी से परिवर्तित, सम्मिलित

इन परिवर्तनों में से ज्यादातर इस बात के संकेतक हैं कि हिन्दू-ओबीसी की तुलना में मुस्लिम-ओबीसी के लोग ज्यादा वंचित हैं।

ओबीसी आबादी का राज्यवार वितरण

सारणी 10.3 देश की हिन्दू व मुस्लिम ओबीसी आबादी का राज्यवार वितरण दर्शाती हैं। केरल, तमिलनाडु व हरियाणा में मुस्लिम ओबीसी, लगभग पूरी मुस्लिम आबादी को इंगित करते हैं। केरल में इसका मुख्य कारण मापिला का केन्द्रीय सूची में सम्मिलित होना है जो राज्य की 90% से ज्यादा मुस्लिम आबादी की रचना करते हैं। इसी प्रकार हरियाणा में मियों-मुस्लिम, एक ओबीसी समुदाय, अधिकांश मुस्लिम आबादी का निर्माण करता है। बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश व झारखण्ड से निर्मित हिन्दी-उर्दू पट्टी के अधिकांश मुस्लिम ओबीसी में सम्मिलित हैं। दूसरी तरफ, दो राज्यों पश्चिम बंगाल और असम, जिनमें मुस्लिमों की महत्वपूर्ण जनसंख्या रहती है में ओबीसी का अनुपात अतिन्यून है। इसलिए इन राज्यों में रहने वाले अधिकांश मुस्लिमों को ओबीसी स्थिति से मिलने वाली सुविधाएं प्राप्त नहीं हैं।

क्षेत्रीय सर्वेक्षण पर्याप्त अन्तर्राज्यीय विभिन्नताएं दर्शाता है। उन 20 राज्यों में जिनके आंकड़े प्रस्तुत हैं, में से 14 में ओबीसी का हिस्सा 61 वें दौर में पहले के सर्वेक्षणों की तुलना में बढ़ गया है। यह वृद्धि सबसे अधिक राजस्थान में हुई है (32 अंक), इसके बाद बिहार (23 प्रतिशत अंक) और उत्तर प्रदेश (18 प्रतिशत अंक) आते हैं। पश्चिम बंगाल, असम, जम्मू व कश्मीर, कर्नाटक, दिल्ली एवं हिमाचल प्रदेश में इनके हिस्सों में कमी देखी गई। दिल्ली में जहाँ यह परिवर्तन बहुत ज्यादा था (24 प्रतिशत अंक) वहीं पश्चिम बंगाल में यह मामूली था।

एन एस एस ओ के सर्वेक्षण का नवीनतम दौर (61 वां दौर) ओ बी सी आबादी का कुल आबादी का 40.4% अनुमान करता है। इनमें से 34% हिन्दू- ओबीसी का हिस्सा है और शेष 6.4 मुस्लिम



सारणी 10.3 : एसआरसी के आधार पर आबादी का राज्यवार वितरण

राज्य	आबादी 2001 (दस लाख)	हिन्दू				मुस्लिम			अन्य- अल्प- संख्यक	
		कुल	% एससी-एसटी		% ओबीसी		कुल	% ओबीसी		
			'99-00	'04-05	'99-00	'04-05		'99-00		'04-05
भारत	1028.6	80.5	31.3	31.2	38.3	43.0	13.4	31.7	40.7	6.1
पश्चिम बंगाल	80.2	72.5	43.3	42.0	8.3	8.4	25.2	2.6	2.4	2.3
केरल	31.8	56.2	18.1	21.1	49.4	56.0	24.7	89.8	99.1	19.1
उत्तर प्रदेश	174.7	80.8	28.8	28.5	41.6	51.5	18.2	44.4	62.0	0.9
बिहार	109.9	79.6	29.5	26.9	54.4	60.2	15.9	40.6	63.4	0.2
असम	26.7	64.9	34.5	40.7	24.6	26.6	30.9	4.9	3.0	4.2
जम्मू कश्मीर	10.1	29.6	22.9	35.4	3.1	10.1	67.0	19.4	17.1	3.4
झारखंड	-	-	-	37.8	-	47.0	-	-	61.7	-
कर्नाटक	52.9	83.9	29.2	29.7	35.1	39.2	12.2	56.8	52.7	3.9
उत्तरांचल	-	-	-	27.8	-	14.9	-	-	53.2	-
दिल्ली	13.9	82.0	18.5	27.8	22.4	14.1	11.7	45.1	21.6	6.3
महाराष्ट्र	96.9	80.4	23.5	22.2	30.0	37.7	10.6	6.8	11.6	9.0
आंध्र प्रदेश	76.2	89.0	27.3	25.6	49.4	50.2	9.2	10.7	19.5	1.8
गुजरात	50.7	89.1	30.0	29.0	29.3	39.8	9.1	25.6	33.0	1.8
राजस्थान	56.5	88.8	37.4	37.9	34.0	43.1	8.5	24.2	55.8	2.8
मध्य प्रदेश	81.2	92.1	42.	39.0	41.2	41.6	5.2	36.8	48.3	2.5
हरियाणा	21.1	88.2	24.7	25.5	25.1	29.3	5.8	82.4	86.2	6.0
तमिलनाडु	62.4	88.1	27.3	23.6	64.8	72.5	5.6	83.2	93.3	6.3
उड़ीसा	36.8	94.4	44.0	41.6	30.5	37.8	2.1	7.8	8.5	3.6
हिमाचल प्रदेश	6.1	95.4	23.6	32.4	11.5	14.8	2.0	33.4	30.9	2.6
पंजाब	24.4	36.9	4.3	39.6	17.4	14.3	1.6	40.6	54.4	61.5

स्रोत:- जनगणना- 2001, एनएसएसओ- 55वां एवं 66वां राउंड

ओबीसी का। देश की कुल ओबीसी आबादी में मुस्लिम ओबीसी का हिस्सा 15.7% है। यह, जैसा कि हम नीचे देखेंगे, इनके सार्वजनिक रोजगार में या शैक्षणिक संस्थानों में उनके प्रतिनिधित्व में नहीं दिखता।

6.2 मुस्लिमों में अनुसूचित जाति-जनजाति घटक

अनुसूचित जनजाति श्रेणी के विपरीत, अनुसूचित जाति-जनजाति श्रेणी में अपने धार्मिक आधारों से परे, मुस्लिम जनजातियों के सदस्य आरक्षण पाने के लिये अयोग्य हैं। किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में विशेष दर्जा देने के लिए जो मानक अपनाये गये हैं, वे उनके प्राचीन गुणों, भिन्न संस्कृति, भौगोलिक पृथक्ता, समुदाय में वृहत स्तर पर समय कार्यों में लज्जाशीलता और पिछड़ापन हैं। संविधान में ये मानक वर्धित नहीं हैं बल्कि इन्हें पूरी तरह से मान्यता प्राप्त है।

एसटी आबादी में मुस्लिम घटक बहुत कम हैं। 1991 की जनगणना के अनुसार देश की कुल जनजातीय जनसंख्या का ये केवल 0.25% ही है। मुस्लिम जिन्हें एसटी घोषित किया गया है, का सबसे ज्यादा अनुपात लक्षद्वीप में पाया जाता है। जहाँ की पूरी एसटी आबादी में मुस्लिम ही है। (99-74%)। मुस्लिम एसटी संख्या में अति न्यून पर कुल आबादी 6,77,58,285 है। (1991 की जनगणना)(सारणी 10.1 का परिशिष्ट देखें)

यह ध्यान देना चाहिए कि हालांकि धार्मिक पृष्ठभूमि से परे सभी एसटी को सारी सुविधाएं प्राप्त हैं,

सर्वेक्षण से प्राप्त ओबीसी के आंकड़े, मंडल आयोग के आकलन से कम थे, इसी प्रकार 55वें और 61वें राउंड के सर्वेक्षणों से प्राप्त आंकड़ों में भी पर्याप्त अंतर था।



जिन 20 राज्यों के आंकड़े प्रस्तुत हैं, उनमें से 14 में मुस्लिम ओबीसी का हिस्सा 61वें राउंड के सर्वेक्षणों की तुलना में बढ़ गया है।

पर सभी मुस्लिम जनजाति समूहों को यह लाभ नहीं मिलता। ऐसे कई उदाहरण हैं, जिनमें मुस्लिम समूहों के एसटी दर्जे के लिए किए गये दावे पर कोई तवज्जो नहीं दी गई।

6.3 शैक्षणिक स्थिति

शिक्षा प्राप्ति का सबसे आसान सूचक साक्षरता है। ओबीसी में विशेषकर मुस्लिम- ओबीसी में साक्षरता स्तर के आंकड़े बताने वाले किसी अन्य स्रोत की अनुपस्थिति के कारण, इस समिति ने एनएसएसओ के आंकड़े को साक्षरता स्तर की गणना के लिये प्रयोग किया है। 6 वर्ष और इससे ज्यादा आयु की आबादी में साक्षरता का स्तर, अखिल भारतीय स्तर पर थोड़ी भिन्नता प्रदर्शित करता है। पृथक कर किए गए अध्ययन हालांकि आवास के आधार पर एवं आरसी की नगरीय क्षेत्र में स्पष्ट भिन्नता दर्शाते हैं। मुस्लिम और विशेषकर मुस्लिम ओबीसी, हिन्दू ओबीसी से पीछे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में मुस्लिम ओबीसी का साक्षरता स्तर सबसे कम है लेकिन उनके और अन्य एसआरसी के बीच भिन्नता, नगरीय क्षेत्रों जितनी स्पष्ट नहीं है।

सारिणी 10.4 : रिहाइश के स्थान के आधार पर एसआरसी में साक्षरता का स्तर


एस आर सी	भारत	नगरीय	ग्रामीण
हिन्दू- ओ बी सी	65.7	80.8	61.7
मुस्लिम-सामा 0	66.0	75.6	61.2
मुस्लिम ओ बी सी	61.9	70.1	57.8
भारत	67.3	82.6	61.9

स्रोत: एन एस एस ओ (2004-5) के 61 वें दौर से संकलित, अनु0 10

विद्यालय न जाने वाले बच्चे

6-12 आयु वर्ग के लगभग आधे बच्चे वर्तमान में विद्यालय नहीं जाते। यह देखा जा सकता है कि मुस्लिम ओबीसी के 12 साल या उससे कम आयु के विद्यालय नहीं जानेवाले बच्चों का अनुपात, इस चित्र में बहुत ही ज्यादा है। (दोनों में यह लगभग 55 फीसदी) है। अनुपस्थिति के स्तर में हिन्दू ओबीसी और मुस्लिम ओबीसी में भिन्नता ज्यादा है। (49% , 56% की तुलना में)

शिक्षा के स्तर



सारणी 10. 5 हर सामाजिक-धार्मिक श्रेणी के व्यक्तियों का उनके द्वारा प्राप्त सर्वोच्च स्तर की शिक्षा के अनुपात के आधार पर किया गया वर्गीकरण प्रस्तुत करता है। एस आर सी के मध्य की गई तुलना बताती है कि मुस्लिम ओबीसी व मुस्लिम सामान्य में शिक्षा का स्तर हिन्दू ओबीसी की तुलना में कम है। साधारणतः मुस्लिम ओबीसी में शिक्षा का स्तर अन्य दोनों एस आर सी की तुलना में कम है। इस समुदाय में निरक्षरता की दर सर्वाधिक है और इस समूह में व्यक्तियों का कम ही अनुपात विद्यालयी शिक्षा पूरी कर पाता है या स्नातक की शिक्षा ग्रहण कर पाता है।

सारणी 19.5: प्रत्येक एस आर सी में शिक्षा के स्तर के आधार पर व्यक्तियों (6वर्ष या अधिक आयु) का विवरण

स्रोत: एन एस एस ओ के 61 वें दौर(1004-5)से संकलित, अनु0 19

उच्च शिक्षा में उपलब्धियां

अंत में तीनों एसआरसी का उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में उनकी उपलब्धियों के आधार पर, मूल्यांकन किया गया। इस उद्देश्य से शिक्षा के 3 स्तरों का प्रयोग



सारिणी 10.5 : शिक्षा स्तर के आधार पर प्रत्येक एसआरसी में छः वर्ष से अधिक के व्यक्तियों का वितरण

शिक्षा का स्तर	हिन्दू-ओबीसी	मुस्लिम-सामान्य	मुस्लिम-ओबीसी	कुल
निरक्षर	33.4	33.3	37.4	31.6
महज साक्षर	1.2	2.2	2.9	1.4
प्राथमिक से नीचे	0.8	1.7	1.5	1.0
प्राथमिक	15.9	18.0	17.5	15.4
मिडिल	16.0	18.6	16.0	15.7
माध्यमिक	15.0	12.6	13.1	14.2
उच्चतर-माध्यमिक	7.4	5.9	5.1	7.8
डिप्लोमा/सर्टिफिकेट	3.9	2.8	2.5	4.4
स्नातक एव उपर	3.2	2.4	1.9	4.3

स्रोत : एनएसएसओ के 61 वें राउंड (2004-05), अनुसूची- 10 से प्राप्त आंकड़े

किया गया- सामान्य स्नातक या अधिक, तकनीकी स्नातक एवं तकनीकी डिप्लोमा व सर्टिफिकेट कार्यक्रम

सारिणी 10.6: 20 वर्ष की आयु से अधिक व्यक्तियों का उच्चतर शिक्षा में अनुपात, प्रत्येक एसआरसी में

यह देखा जा सकता है किसी भी सामाजिक-धार्मिक श्रेणी में तकनीकी-अतकनीकी डिग्री या तकनीकी डिप्लोमा-सर्टिफिकेट पानेवाले व्यक्तियों का अनुपात हिन्दु ओबीसी की तुलना में कम है। अपवादस्वरूप तकनीकी डिप्लोमा-सर्टिफिकेट पाठ्यक्रमों को छोड़ मुस्लिम ओबीसी की

सारिणी 10.6 : प्रत्येक एसआरसी में उच्चतर शिक्षा वाले बीस वर्ष से अधिक के व्यक्तियों का अनुपात

एसआरसी	सामान्य स्नातक	तकनीकी स्नातक	तकनीकी डिप्लो./सर्टि	उच्चतर शिक्षा
हिन्दू-ओबीसी	3.7	0.2	2.3	6.2
मुस्लिम-सामान्य	3.5	0.2	1.4	5.2
मुस्लिम-ओबीसी	2.3	0.1	1.7	4.1
कुल	5.5	0.3	2.6	8.5

स्रोत : एनएसएसओ के 61 वें राउंड (2004-05), अनुसूची- 10 से प्राप्त आंकड़े


उच्चतर शिक्षा में उपलब्धियां सबसे कम हैं। सामान्यतया, हिन्दु ओबीसी अन्य दोनो एसआरसी की तुलना में बेहतर करते हैं। इसलिए उच्चतर शिक्षा के आधार पर भी मुस्लिम ओबीसी अन्य एस आर सी- हिन्दु ओ बी सी व मुस्लिम सामान्य से पीछे हैं।

6.4 रोजगार की स्थिति

किसी समुदाय की शैक्षणिक उपलब्धियों का स्तर, उनके रोजगार की स्थिति में प्रदर्शित होता है। मुस्लिम समुदाय द्वारा राष्ट्रीय औसत, यहां तक कि हिन्दु ओबीसी की तुलना में भी शिक्षा में उपलब्धियों का निम्न स्तर, श्रम- बाजार में उनकी निचली स्थिति में ही परिवर्तित होगा, ऐसी उम्मीद की जाती है। एनएसएसओ के 61 वे दौर के आंकड़े पर प्राथमिक रूप से आधारित तीनों एस आर सी के श्रमिकों के रोजगार की दशाओं का भिन्न सूचकों- गुणवत्ता परक और संख्यापरक दोनों का उपयोग करते हुए


एसटी घोषित किये गये मुसलमानों की आबादी की प्रतिशतता लक्षद्वीप में सर्वाधिक पाई गयी, जहां मुसलमानों की आबादी में संपूर्ण रूप से एसटी (99.74 प्र.श.) शामिल हैं।

चित्र 10.3 : कामगार-आबादी का अनुपात : 2004-05





चित्र 10.4 : औपचारिक क्षेत्र में श्रमिकों का अनुपात : 2004-05



छह से 12 वर्ष आयु-वर्ग के बच्चों में से करीब आधे फिलहाल स्कूल नहीं जाते हैं

विश्लेषित किया गया। इसके साथ ही समिति ने पिछले 5 5 वें दौर (1999-2000)के आय पर सर्वेक्षण का भी उपयोग किया। अंत में समिति को विशेष रूप से केन्द्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रमों (पी एस यू), केन्द्रीय सुरक्षा अभिकरणों, राज्य लोक सेवा आयोगों और अकादमिक संस्थानों द्वारा अपने स्वयं के उद्यम एवं उपलब्ध कराए गए आंकड़ों से, एस आर सी के प्रतिनिधित्व के संदर्भ में महत्वपूर्ण सूचना प्राप्त हुई, जिसे एक भद्र वर्ग के रूप में माना जा सकता है। 19

कार्य सहभागिता व बेरोजगारी दर

15-63 आयु वर्ग के मध्य कार्य सहभागिता दर 20 (डब्ल्यू पी आर), हिन्दू ओ बी सी (67%) और दो मुस्लिम एस आर सी(लगभग 55%)के मध्य तीव्र अंतर

प्रदर्शित करती है। साथ ही अखिल भारतीय स्तर पर मुस्लिमों की दोनों श्रेणियों में और बहुत ही कम है। (चित्र 10.3, सारणी 10.2 का परिशिष्ट भी देखें) हालांकि मुस्लिम सामान्य और मुस्लिम ओबीसी के मध्य अंतर बहुत मामूली है। (अखिल भारतीय स्तर पर 56% और 54%) यह अंतर नगरीय और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में और महिलाओं के बीच देखा जा सकता है। हालांकि पुरुष आबादी में डब्ल्यू पी आर में अंतर मामूली है।

एन एस एस ओ के 61 वें दौर के आंकड़ों के आधार पर जहां 2004-5 में मुस्लिम- ओ बी सी के सभी आयु वर्ग के 92% बेरोजगार थे, वहीं हिन्दू-ओ बी सी व मुस्लिम-सामान्य में बेरोजगारी दर क्रमशः 7.5 व 7.57 प्रतिशत तक कम थी। इसी प्रकार का अंतर पुरुष व महिला एवं नगरीय व ग्रामीण क्षेत्रों में भी देखा गया। जिससे यह जाना जा सकता है कि मुस्लिम ओ बी सी में अन्य दो एस आर सी जो यहां उल्लिखित हैं, की तुलना में बेरोजगारी दर सर्वाधिक थी।

19. यहाँ रोजगार और शिक्ष में जटिल द्विपक्षीय जुड़ाव को नकारा नहीं गया है। उदाहरण के लिए सुरक्षित रोजगार माता-पिता को उनके बच्चों की शिक्षा में लगाने के लिये सामग्री जुटाती है साथ ही शिक्षा के लिये आर्थिक प्रेरणा को भी उभारती है।

औपचारिक क्षेत्र में श्रमिकों का हिस्सा

क्षेत्र जिसमें श्रमिक कार्यरत हैं, किसी समुदाय की सामाजिक-आर्थिक स्थिति का एक महत्वपूर्ण सूचक होता है। चित्र 19.4 स्पष्ट रूप से सूचना देता है कि औपचारिक क्षेत्र में कार्यरत मुस्लिम

सारणी 10.7 : दिहाड़ी और स्थाई मजदूरों का औसत दैनिक वेतन और मासिक वेतन (रुपये में)

आय की श्रेणी	लिंग	एच-ओबीसी	एम-जनरल	एम-ओबीसी	कुल
मजदूरी	कुल	39	43	49	40
	पुरुष	45	46	52	45
	महिला	27	27	32	28
वेतन-सार्वजनिक क्षेत्र	कुल	190	196	176	213
	पुरुष	199	199	177	220
	महिला	138	164	173	177
वेतन-निजी क्षेत्र	कुल	85	87	79	110
	पुरुष	92	91	83	115
	महिला	48	57	39	79

स्रोत : एनएसएसओ के 55 वें राउंड (1999-00), अनुसूची- 10 से प्राप्त आंकड़े



सामान्य व मुस्लिम-ओ बी सी का अनुपात उनकी आबादी की तुलना में कम है। एन एस एस ओ के 61 वे दौर के आंकड़ों के अनुसार औपचारिक क्षेत्र के सरकारी, पीएसयू नौकरियों में मुस्लिम-ओ बी सी का हिस्सा, हिन्दू ओ बी सी व मुस्लिम- सामान्य की तुलना में काफी कम है। 20 जहां ग्रामीण क्षेत्रों के 7.2% हिन्दू-ओबीसी के श्रमिक इस प्रकार की नौकरी में हैं, वहीं मुस्लिम-सामान्य और मुस्लिम -ओ बी सी के इस प्रकार के श्रमिकों का हिस्सा क्रमशः 5.8 व 3.4 प्रतिशत था। नगरीय क्षेत्रों में यह अंतर तीव्रतर था जिसमें हिन्दू-ओ बी सी (11.3) उनसे काफी आगे थे। इन दो एस आर सी की तुलना में मुस्लिम ओ बी सी में रोजगार की निम्न स्थिति इस तथ्य से स्पष्ट होती है कि विशेषकर नगरीय क्षेत्रों में इनमें श्रमिकों का बहुत कम हिस्सा स्थाई मजदूरी वेतन वाली नौकरियों में थी। तीनों एसआरसी के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में नियमित रोजगार में लगे श्रमिकों का अनुपात 6-7% के मध्य था। हालांकि नगरीय क्षेत्रों में मुस्लिम- ओबीसी का नियमित नौकरियों में योगदान (20.4%) मुस्लिम-सामान्य (36.4%) की तुलना में काफी कम था। सामान्यतः इसलिए ही औपचारिक क्षेत्रों में सहभागिता और नौकरी जो कि रोजगार का स्थायित्व देती हो (मजदूरी व वेतन दोनों), की दृष्टि से मुस्लिम ओबीसी, मुस्लिम-सामान्य और हिन्दू - ओ बी सी की तुलना में पीछे ठहरता है।

आय में विभिन्नता

श्रमिक दो बड़ी श्रेणियों-आकस्मिक एवं स्थाई में बांटे जा सकते हैं। स्थाई श्रमिक पुनः लोक या निजी क्षेत्रों में उनके कार्य के आधार पर उपविभाजित किये जा सकते हैं। सारणी 10.7 दर्शाती है कि एक आर सी में आकस्मिक स्थाई श्रमिकों की औसत दैनिक मजदूरी व वेतन (रुपये) क्या है। औपचारिक क्षेत्र की सरकारी / पी एस यू नौकरियों में मुस्लिम- ओ बी सी का हिस्सा, हिन्दू ओ बी सी और मुस्लिम सामान्य की तुलना में काफी कम था।

मुस्लिम एवं अन्य ओबीसी को मिलने वाली मजदूरी में कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं है। रोचक रूप से, मुस्लिम- ओ बी सी को मिलने वाली मजदूरी, मुस्लिम सामान्य और हिन्दू- ओ बी सी को मिलने वाली मजदूरी से ज्यादा है। ऐसा पुरुष और महिला दोनों प्रकार के श्रमिकों में देखा जा सकता है।

हिन्दू - ओ बी सी और मुस्लिम कार्मिक को सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में औसत वेतन से कम वेतन प्राप्त होता है। मुस्लिम ओ बी सी अधिक वेतन पाते हैं। ऐसा सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों के लिए सच है, इसलिए यह दर्शाता है कि मुस्लिम - ओ बी सी अन्य एस आर सी की तुलना में कम वेतन वाली नौकरियों में ज्यादा होते हैं।

सारणी 10.8: प्रत्येक एसआरसी के लिए कार्य-स्थल के आधार पर पुरुष श्रमिकों का वितरण

कार्य क्षेत्र	हिन्दू-ओबीसी	एम-जनरल	एम-ओबीसी	कुल
निर्धारित स्थल नहीं	8.5	9.6	5	8.3
अपना निवास	14.7	13.8	10.2	12.3
स्व-उपक्रम	17.5	21.9	24.9	18.5
नियोक्ता का निवास	2.6	3.5	2.9	3.0
नियोक्ता का उपक्रम	34.3	25.5	43.2	35.0
गली-फिक्स्ड लोकेशन	3.4	4.3	2.4	3.3
गली-नन फिक्स्ड लोकेशन	4.2	8.0	2.8	4.6
निर्माण-स्थल	10.8	9.7	4.8	11.0
अन्य	4.0	3.9	4.0	4.2

स्रोत : एनएसएसओ के 61 वें राउंड (2004-05), अनुसूची- 10 से प्राप्त आंकड़े

कार्य सहभागिता दर (डब्ल्यूपीआर) दर्शाता है कि हिन्दू-ओबीसी (67 प्र.श.) और दोनों मुस्लिम समुदायों (55 प्र.श.) के बीच बहुत अंतर है।

विचाराधीन अन्य दो समुदायों की तुलना में मुस्लिम ओबीसी में बेरोजगारी की दर सर्वाधिक है



सरकारी अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के अंडरटेकिंग संस्थानों की नौकरियों में मुस्लिम-ओबीसी की हिस्सेदारी हिन्दू-ओबीसी और मुस्लिम-जनरल की अपेक्षा बहुत ही कम है।

सभी एसआरसी में महिलाओं की ज्यादातर आबादी अपने घरों में कार्य करती है। हालांकि मुस्लिमों, खासकर मुस्लिम-ओबीसी, में ऐसे कामगारों का अनुपात अधिक है।

अन्य नियमित पुरुष श्रमिकों में, मुस्लिम - ओ बी सी , अन्य दोनों एस आर सी की तुलना में ज्यादा वंचित है। हालांकि मुस्लिम-सामान्य व हिन्दु ओ बी सी के मध्य यह अंतर मामूली है। महिला श्रमिकों के संदर्भ में मुस्लिम- ओ बी सी श्रमिक सार्वजनिक क्षेत्रों में कम वंचित हैं जबकि दूसरी तरफ निजी क्षेत्रों में अधिक सीमा तक वंचित है।

कार्यस्थल के आधार पर श्रमिकों का वितरण

विभिन्न सामाजिक-धार्मिक श्रेणियों के बीच, कार्यस्थल के आधार पर पुरुष श्रमिकों का वितरण बहुत भिन्न नहीं है। इन सभी एस आर सी से सम्बन्ध रखने वालों का ज्यादा अनुपात या तो नियोक्ता के उद्योग में या अपने स्वयं के उद्यम-आवास स्थान में कार्य करता है। एस आर सी के बीच कुछ अंतर देखे जा सकते हैं। उदाहरण के लिए मुस्लिम- ओ बी सी का तुलनात्मक रूप से ज्यादा हिस्सा नियोक्ता के उद्यम में कार्य करता है, जबकि निर्माण स्थलों पर कम (सारणी 10.8 देखें) सारणी 10.8= प्रत्येक एस आर सी के पुरुष श्रमिकों का कार्य के आधार पर वितरण

सभी एस आर सी में अधिकांश महिला श्रमिक अपने आवास पर ही कार्य करती हैं हालांकि मुस्लिमों विशेषकर मुस्लिम-ओ बी सी में ऐसे श्रमिकों का अनुपात ज्यादा है (सारणी 10.9 देखें) सारणी 10.9: प्रत्येक एस आर सी में महिला श्रमिकों का कार्य के आधार पर वितरण सार्वजनिक रोजगार में मुस्लिम ओ बी सी

समिति द्वारा विभिन्न लोक उपक्रमों (पी एस यू), रेलवे और केन्द्रिय सुरक्षा अभिकरणों से प्राप्त आंकड़ों का, सार्वजनिक क्षेत्र के रोजगार में एस आर सी के प्रतिनिधित्व का विश्लेषण करने के लिए प्रयोग किया गया उसके अलावा विभिन्न केन्द्रिय और राज्य विश्वविद्यालयों के वर्तमान कर्मचारियों के आंकड़ों का भी विश्लेषण किया गया। समिति का आंकलन सूचना देता है कि प्रत्येक सौ श्रमिकों में लगभग 11 हिन्दू- ओ बी सी के, केवल 3 मुस्लिम- सामान्य के और केवल एक मुस्लिम -ओ बी सी का है। सारणी 10.10 केन्द्रिय सरकार के तीन संस्थान के जो 26 लाख से अधिक श्रमिकों को रोजगार प्रदान करते हैं, में स्थिति को संक्षेप में दर्शाता है (विस्तार के लिए) सारणी 10.3 का परिशिष्ट देखें)

20. यह 15-64 आयु वर्ग के व्यक्तियों का वह अनुपात है जो किसी आर्थिक कार्य में मुख्य क्रियाकलाप या सहायक क्रिया कलाप के द्वारा लगा हुआ है।

सारणी 10.10 सार्वजनिक रोजगार में प्रतिनिधित्व

टिप्पणी: कोष्ठक में दी गई संख्यायें तुलनात्मक वंचना का प्रतिनिधित्व करती हैं (इसकी गणना इस प्रकार की गई है, प्रत्येक एस आर सी का कार्यक्षेत्र में हिस्सा* 100/ एस आर सी की 21-60 आयु वर्ग की आबादी में हिस्सा)

स्रोत: संबंधित अभिकरणों से प्राप्त आंकड़े

मुस्लिम ओ बी सी की तुलनात्मक वंचना सर्वाधिक रेलवे (14 लाख से अधिक श्रमिकों का नियोक्ता और केंद्रीय पी एस यू में जिसके बारे में समिति ने लगभग 7 लाख श्रमिकों से संबंधित आंकड़े प्राप्त किए) राज्य लोक सेवा आयोग (एस पी एस सी) द्वारा चयन के लिए अनुशंसित अभ्यर्थियों में भी प्रतिनिधित्व कम था। सभी क्षेत्रों में मुस्लिम सामान्य का भी काफी सीमा तक अपर्याप्त प्रतिनिधित्व था विशेषकर केंद्रीय सुरक्षा अभिकरण, केंद्रीय पी एस यू, एस पी एस सी द्वारा अनुशंसित अभ्यर्थी और विश्व विद्यालयों (शैक्षणिक और शिक्षणोत्तर दोनों परों में)। हालांकि हिन्दू - ओ बी सी का भी अपर्याप्त प्रतिनिधित्व था, लेकिन 6 में से 5 अभिकरणों में उनकी वंचना मुस्लिम- ओ बी सी



से कम थी, और 6 में से 3 अभिकरणों मुस्लिम सामान्य से कम थी।

चुने हुए केंद्र और राज्य संस्थानों एवं उपक्रमों में प्रतिनिधित्व

सारणी 10.10 और सारणी 10.3 के परिशिष्ट पर सरसरी निगाह डालने से स्पष्ट हो जाता है कि आबादी के अनुरूप रोजगार में हिस्सा के हिसाब से सभी तीन एस आर सी- हिन्दू- ओ बी सी और मुस्लिम-सामान्य का प्रतिनिधित्व कम है। हिन्दू ओ बी सी आबादी का 34 फीसदी हिस्सा है, लेकिन किसी भी केंद्रीय संगठन में उनका हिस्सा 12 प्रतिशत से ज्यादा नहीं है। यहां तक कि निम्नतम स्तर जो कि समूह घ कार्मिकों का है, भी इनमें सम्मिलित हैं। मुस्लिम ओ बी सी जो कि आबादी के 6.4 प्रतिशत हैं, केंद्रीय सुरक्षा अभिकरणों, अपवाद को छोड़, 1 प्रतिशत से भी कम है। इन सेवाओं के उच्च पदों पर तो ये लगभग अनुपस्थित हैं। केंद्रीय सुरक्षा बलों (बी एस एफ, सी आई एस एफ एवं अन्य को मिलाकर) में मुस्लिम- ओ बी सी का प्रतिनिधित्व, मुस्लिम-सामान्य से अधिक था (मुस्लिम सामा0 के 1प्र. की तुलना में 3.6प्र.)। हालांकि फिर भी आबादी में इनके हिस्से की तुलना में कम था।

यह उल्लेखनीय है कि मुस्लिमों के संदर्भ में, यहां तक कि उनकी आबादी का वह हिस्सा जो कि ओ बी सी नहीं है, का भी पर्याप्त रूप में अपर्याप्त अप्रतिनिधित्व था, (3 प्र. से 4.5 प्र. तक परिवर्तनीय)

राज्य सेवाओं में प्रतिनिधित्व

हिन्दू -ओ बी सी की स्थिति राज्यों में बेहतर है (सारणी 10.10 व सारणी 10.3 का परिशिष्ट)

सारणी 10.9 : प्रत्येक एसआरसी के लिए कार्य-स्थल के आधार पर महिला श्रमिकों का वितरण

कार्य क्षेत्र	हिन्दू-ओबीसी	एम-जनरल	एम-ओबीसी	कुल
निर्धारित स्थल नहीं	3.2	4.0	3.1	3.2
अपना निवास	52.1	66.8	73.6	51.3
अपना उपक्रम	12.4	6.5	5.9	10.7
नियोक्ता का निवास	5.4	6.9	4.3	6.7
नियोक्ता का उपक्रम	17.5	10.2	9.4	18.9
गली-फिक्स्ड लोकेशन	1.5	0.3	0.4	1.3
गली-नन फिक्स्ड लोकेशन	1.8	1.3	1.7	1.6
निर्माण-स्थल	3.9	1.0	1.0	4.0
अन्य	2.3	2.9	0.6	2.4

स्रोत : एनएसएसओ के 61 वें राउंड (2004-05), अनुसूची- 10 से प्राप्त आंकड़े

यद्यपि उनका आनुपातिक प्रतिनिधित्व अभी भी कम है लेकिन उच्च व मध्य स्तरों पर उनका प्रतिनिधित्व, केंद्रीय सेवाओं से काफी अधिक है। हालांकि हिन्दू -ओ बी सी का जादा अनुपात

सारणी 10.10: सार्वजनिक क्षेत्र की नौकरियों में हिस्सेदारी

विभाग/अंडरटे किंग/संस्थान	एच-ओबीसी	एम-जनरल	एम ओबीसी
केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियां	11.4 (33)	1.0 (15)	3.6 (82)
रेलवे	9.3 (27)	4.5 (66)	0.4 (9)
केंद्रीय पीएसयू	8.3 (24)	2.7 (40)	0.6 (14)
एसपीएससी-चयन के लिए अनुशंसित	27.0 (77)	0.9 (13)	0.9 (20)
यूनिवर्सिटी संकाय	17.6 (50)	3.9 (57)	1.4 (32)
यूनिवर्सिटी नन-टीचिंग	24.9 (71)	3.0 (44)	1.7 (39)


नोट:-कोष्ठक की संख्याएं तुलनात्मक वंचना का प्रतिनिधित्व करती हैं। इसकी गणना इस प्रकार की गयी है- प्रत्येक एसआरसी का कार्यक्षेत्र में हिस्सा * एसआरसी की 21-60 वर्ष की आबादी में एसआरसी का प्रति शेयर। स्रोत- संबंधित एजेंसियों से प्राप्त आंकड़े

समिति के आकलन दर्शाते हैं कि प्रत्येक 100 कर्मचारियों में से दो 11 हिन्दू-ओबीसी हैं, जबकि केवल तीन मुस्लिम-जनरल और महज एक मुस्लिम-ओबीसी है।

ग्रुप-ए स्तर पर मुस्लिम-ओबीसी की हिस्सेदारी अच्छी है, लेकिन उनकी उपस्थिति अन्य सभी स्तर पर महत्वपूर्ण है।



चित्र 10.5 : विश्वविद्यालयों में कर्मचारियों का वितरण



समूह घ सेवाओं में कार्यरत है जबकि राज्यों में मुस्लिम-सामान्य का समूह ग एवं समूह घ में तुलनात्मक रूप से बेहतर प्रतिनिधित्व है। मुस्लिम ओ बी सी की समूह स्तर पर बेहतर हिस्सेदारी है, लेकिन अन्य सभी स्तर पर इनकी उपस्थिति अपर्याप्त है।

विश्वविद्यालयों में प्रतिनिधित्व


विश्वविद्यालयों में कार्यरत लगभग 1.5 लाख व्यक्तियों में हिन्दू- ओ बी सी का संकाय सदस्यों में प्रतिनिधित्व आबादी में उनके हिस्से के लगभग समान था (चित्र 10.5) जबकि मुस्लिम- ओ बी सी व मुस्लिम- सामान्य, दोनों की विश्वविद्यालयों में केवल नाम मात्र की उपस्थिति थी।

यह विश्लेषण सूचित करता है कि जहां हिन्दू-ओ बी सी, विश्वविद्यालय के पदों में आरक्षण की सुविधा का उपयोग करने में सक्षम हैं, वहीं मुस्लिम ओ बी सी व मुस्लिम- सामान्य, दोनों की विश्वविद्यालयों में नाम मात्र की उपस्थिति थी।

6.5 आर्थिक स्थिति

किसी समुदाय के रोजगार की स्थिति और शैक्षणिक स्थिति दोनों मिलाकर उस समुदाय की आर्थिक स्थिति को निर्धारित करते हैं। विभिन्न आर्थिक सूचकों का प्रयोग करते हुए, इस उप समूह में एस आर सी की आर्थिक स्थिति का मूल्यांकन किया गया। विशेषकर विकासशील अर्थव्यवस्था में जिसका ग्रामीण आधार ज्यादा होता है, में इन सूचकों में सबसे महत्वपूर्ण, जमीन पर स्वमित्व और खर्च का स्तर (आय के प्रतिनिधि के रूप में) है। बाद वाले के आधार पर, इन तीनों एस आर सी में गरीबी की उपस्थिति व असमानता के स्तर का अनुमान करना संभव है।

चित्र 10.6 : विभिन्न एसआरसी में गरीबी (2004-05)



गरीबी की उपस्थिति

गरीबी की उपस्थिति की गणना, गरीब व्यक्तियों के अनुपात (यहाँ व्यक्ति गणना अनुपात से वर्णित)।

चित्र 10.6 में अखिल भारतीय अनुमान यह दर्शाता है कि गरीबी की उपस्थिति सबसे ज्यादा मुस्लिम -ओ बी सी में (38) और उससे कम मुस्लिम सामान्य में (35) है। इसके विपरीत हिन्दू- ओ बी सी में गरीबी का अनुपात (27), राष्ट्रीय औसत से भी कम है। यह देखा जा सकता है कि ग्रामीण व नगरीय दोनों क्षेत्रों में हिन्दू- ओ बी सी एवं राष्ट्रीय औसत की तुलना में मुस्लिम- ओ बी सी व मुस्लिम सामान्य में गरीबी की उपस्थिति अधिक है।

विशेषकर नगरीय क्षेत्रों में मुस्लिम- ओ बी सी और हिन्दू ओ बी सी का अंतर चोट पहुंचाने वाला है। हिन्दू- ओ बी सी की तुलना में मुस्लिम- सामान्य में गरीब व्यक्तियों का अनुपात लगभग 9 प्रतिशत अंक अधिक है। मुस्लिम ओ बी सी की स्थिति और बुरी है क्योंकि उनमें गरीब व्यक्तियों का अनुपात, हिन्दू- ओ बी सी की तुलना में 14 प्रतिशत अंक ज्यादा है।

मुस्लिम-जनरल की स्थिति हिन्दू-ओबीसी की तुलना में कमतर है, जिन्हें आरक्षण का लाभ मिला है।

सारिणी 10.11 : रिहाइश के स्थान और एसआरसी के आधार पर प्रति व्यक्ति औसत मासिक व्यय

क्षेत्र	एच-ओबीसी	एम-जनरल	एम-ओबीसी	कुल
कुल	620	633	605	684
शहरी	901	833	689	1052
ग्रामीण	548	532	566	559

स्रोत : एनएसएसओ के 61 वें राउंड (2004-05), अनुसूची- 10 से प्राप्त आंकड़े



सारणी 10.12 : गिनी गुणांक का इस्तेमाल कर असमानता निर्धारित करना

क्षेत्र	H-OBC	M-Gen	M-OBC	Total
अखिल भारत	0.32	0.32	0.33	0.36
शहरी	0.34	0.35	0.37	0.38
ग्रामीण	0.29	0.27	0.33	0.30

स्रोत : एनएसएसओ के 61 वें राउंड (2004-05), अनुसूची- 10 से प्राप्त आंकड़े

प्रति व्यक्ति मासिक व्यय (एम पी सी ई)

सभी 3 एसआरसी का एम पी सी आई, राष्ट्रीय से बहुत कम है। (सारणी 10.11) तीनों एसआरसी में से मुस्लिम- ओ बी सी का एम पी सी ई, सबसे कम है। मुस्लिम-सामान्य की स्थिति अन्य दोनों

एस आर सी से थोड़ा बेहतर है, जैसा कि उनके एम पी सी ई से पता लगता है। नगरीय क्षेत्रों में भी, तीनों सामाजिक-धार्मिक श्रेणियों का प्रति व्यक्ति मासिक व्यय राष्ट्रीय औसत से कम है, जैसा कि गरीबी के स्तर के साथ था, हालांकि तीनों एस आर सी में नगरीय क्षेत्रों में अंतर ज्यादा है।

सारणी 10.11: निवास और एस आर सी के आधार पर प्रति व्यक्ति मासिक आय
स्रोत: एन एस ओ (2004-5) के 61 वें दौर से अनुमानित, अनु0 10

दोनों मुस्लिम समूहों का प्रति व्यक्ति मासिक व्यय राष्ट्रीय औसत से बहुत कम है। विशेषकर नगरीय क्षेत्रों में मुस्लिम- ओ बी सी का एम पी सी ई, मुस्लिम-सामान्य की तुलना में बहुत कम है। ग्रामीण क्षेत्रों में एस आर सी में एम पी सी ई में अंतर मामूली है। मुस्लिम-ओ बी सी का एम पी सी ई, राष्ट्रीय औसत के लगभग समान है, जबकि मुस्लिम-सामान्य का एम पी सी ई, हिन्दू - ओ बी सी की तुलना में कुछ कम है।

एस आर सी में असमानताएं

अखिल भारतीय स्तर पर, तीनों एस आर सी में असमानता के स्तर में मामूली अंतर को विश्लेषित किया गया। सारणी 10.12, 22 समग्रतः अन्य एस आर सी की तुलना में, मुस्लिम ओ बी सी में असमानता का स्तर कुछ जादा है। ऊपर की गई चर्चा के अनुसार गरीबी का अधिक स्तर, आनुपातिक रूप से असमानत के ऊंचे स्तर से जुड़ा होता है।


सारणी 10.12: गिनी-गुणांक का प्रयोग करके असमानता का मापन

जमीन पर स्वामित्व और उसका औसत आकार

विभिन्न एस आर सी का जायदाद पर अधिकार, विकास का एक महत्वपूर्ण सूचक है। जबकि अखिल भारतीय स्तर पर जायदाद के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, एन एस ओ जमीन के स्वामित्व पर सूचनाएं देता है। विकासशील देशों में विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के लिए जमीन पर अधिकार, जायदाद पर अधिकार का महत्वपूर्ण तरीका है। (चित्र 10.7) हिन्दू ओ बी सी का जमीन पर औसत अधिकार, स्पष्ट रूप से मुस्लिम- ओ बी सी एवं मुस्लिम सामान्य की तुलना में बेहतर है। (लगभग दूना) वास्तव में हिन्दू- ओ बी सी का जमीन पर औसत अधिकार(1.9 एकड़) यहां तक कि राष्ट्रीय औसत (1.7 एकड़) से भी जादा है। जमीन पर औसत अधिकार में मुस्लिम-सामा0 एवं मुस्लिम-ओ बी सी में अंतर लगभग समान है।²²

(1.0 व 0.7 एकड़ क्रमशः)

दोनों मुस्लिम समुदायों में प्रति व्यक्ति मासिक व्यय राष्ट्रीय औसत से बहुत कम है।



कुल मिलाकर, अन्य एसआरसी की तुलना में मुस्लिम-ओबीसी के बीच असमानता का फी अर्थ है।



**मुस्लिम-ओबीसी का
अत्यंत कम प्रतिनिधित्व
यह दर्शाता है कि पिछड़ा
वर्गों के लिए उपलब्ध
लाभों का अभी उन तक
पहुंचना बाकी है।**

7. निष्कर्षात्मक टिप्पणी

एन एस एस ओ के नवीनतम दौर के अनुसार, मुस्लिम- ओ बी सी, कुल मुस्लिम आबादी का 40.7 प्रतिशत हिस्सा है। ये देश की कुल पिछड़ा वर्ग आबादी का भी महत्वपूर्ण घटक (15.7 प्रतिशत) है। हालांकि, एन एस ओ सर्वेक्षण केन्द्र और राज्य सूची में सम्मिलित प्रत्येक जाति/ समूह के लिए अलग आंकड़े उपलब्ध कराने में असफल है। परिणाम स्वरूप ओ बी सी के अन्दर विभिन्न जाति, समूहों का महत्वपूर्ण सूचकों जैसे कि शिक्षा प्राप्ति और रोजगार में उनका हिस्सा आदि के अंतर का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। इसलिए समिति का विचार है, कि दशकीय जनगणना प्रक्रिया के हिस्से के रूप में जाति, समुदाय की गणना, ओ बी सी श्रेणी में सम्मिलित समूहों में लाभ के समान वितरण को आंकने में महत्वपूर्ण होगी।

तीनों एस आर सी की आर्थिक व शैक्षणिक स्थिति की मुख्य जानकारी सारणी 10.13 में, सारांश रूप में दी गई है। यह रेखांकित करना महत्वपूर्ण है कि भारत में मुस्लिम एक ही घटक से निर्मित नहीं हैं, जैसा कि हमारा मानव विकास के विभिन्न सूचकों का विश्लेषण भी बतलाता है। अखिल भारतीय आंकड़ों के आधार पर जहां हिन्दू- ओ बी सी तुलनात्मक रूप से वर्चस्व है, वहीं पूरा मुस्लिम समुदाय, हिन्दू ओ बी सी से पीछे ठहरता है। हालांकि समग्रता में मुस्लिम- ओ बी सी की स्थिति, मुस्लिम सामान्य से भी खराब है। मुस्लिम- ओ बी सी का अत्यंत कम प्रतिनिधित्व दर्शाता है कि पिछड़ा वर्गों के लिए उपलब्ध लाभों का अभी उन तक पहुंचना बाकी है।

22. मिनी- गुणांक का प्रयोग करते हुए असमानता की गणना की गई। गुणांक का निम्न मूल्य, असमानता की निम्न-स्थिति को दर्शाता है।

एस आर सी के अंदर विभिन्नताओं को तलाशने के लिए, एक तलाश की प्रक्रिया यह जानने को अपनाई गई कि क्या उच्च और निम्न आय वर्गों में मुस्लिम ओ बी सी, मुस्लिम सामान्य और हिन्दू ओ बी सी के अनुपात में पर्याप्त अंतर है (सारणी 10.4 का परिशिष्ट देखें)। यह उल्लेखनीय है कि अन्य एस आर सी (एस सी, एस टी को छोड़कर) की तुलना में मुस्लिम- ओ बी सी और मुस्लिम सामान्य की आबादी का अधिक हिस्सा निम्न आय वर्गों में आता है, इसके विपरीत मुस्लिम व्यक्तियों का काफी कम हिस्सा उच्च आय वर्ग से सम्बन्धित है। रोचक रूप से मुस्लिमों की तुलना में एस सी, एस टी का बड़ा हिस्सा उच्च आय श्रेणी से संबंध रखता है। मुस्लिमों के अन्दर, मुस्लिम- ओ बी सी, उच्च आय वर्ग में मुस्लिम सामान्य से थोड़ा पीछे ठहरते हैं।

यहां प्रस्तुत आंकड़ों और दलीलों के आधार पर यह सुझाव देना तार्किक होगा कि भारत में मुस्लिम सामाजिक संरचना के हिसाब से तीन श्रेणियों- अशरफ, अजलाफ व अरजल में आते हैं। इन तीनों समूहों के लिए पृथक स्वीकारात्मक कार्यों की आवश्यकता है। द्वितीय समूह अजलाफ, ओ बी सी पर हिन्दू- ओ बी सी के समान, विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। तीसरा समूह जिनका पारंपरिक व्यवसाय, हिन्दू एस सी के समान है और जिन्हें एम बी सी के रूप में संबोधित किया जा सकता है, क्योंकि इन्हें आरक्षण को सम्मिलित करते हुए कई प्रकार के सुधारों की आवश्यकता है, क्योंकि ये 'संचयी रूप से पीड़ित हैं।'

22. गिनी गुणांक का प्रयोग करते हुए असमानता की गणना की गई। गुणांक का निम्न मूल्य, असमानता की निम्न स्थिति को दर्शाता है।



सारिणी 10.13 : मुस्लिम-ओबीसी, मुस्लिम-सामान्य और हिन्दू-ओबीसी की शैक्षणिक, रोजगार और आर्थिक स्थिति - तुलनात्मक तस्वीर

समूह	संकेतक	मुस्लिम-ओबीसी की हिन्दू-ओबीसी और मुस्लिम-सामान्य से तुलनात्मक स्थिति	
		हिन्दू-ओबीसी की अपेक्षा	मुस्लिम-सामान्य की अपेक्षा
शिक्षा	कभी स्कूल नहीं जाने वाले बच्चे	मुस्लिम-ओबीसी बच्चे की स्कूल नहीं जाने की प्रतिशतता सर्वाधिक	सामान्य मुस्लिम और ओबीसी मुस्लिमों में बहुत अधिक अंतर नहीं
	साक्षरता	हिन्दू ओबीसी की तुलना में मुस्लिम-ओबीसी का साक्षरता स्तर काफी कम	मुस्लिम-ओबीसी मुस्लिम-सामान्य से बहुत पीछे
	स्कूली शिक्षा	हिन्दू ओबीसी की तुलना में मुस्लिम-ओबीसी में वंचितों की संख्या बहुत अधिक	मुस्लिम-ओबीसी और मुस्लिम-सामान्य में कोई विशेष फर्क नहीं
	उच्चतर शिक्षा	दोनों समुदायों में उच्चतर शिक्षा प्राप्ति का स्तर निम्न, हिन्दू-ओबीसी की तुलना में मुस्लिम-ओबीसी की उपलब्धियां निम्न	स्नातक होने के मामले में मुस्लिम-सामान्य की स्थिति मुस्लिम-ओबीसी की तुलना में अच्छी
नियोजन की स्थिति	कार्य में भागीदारी का अनुपात (डब्ल्यूपीआर) एवं बेरोजगारी दर	एच-ओबीसी की अपेक्षा, खासकर महिलाओं के लिए, एम-ओबीसी का डब्ल्यूपीआर अनुपात बहुत कम। एच-ओबीसी की तुलना में एम-ओबीसी में बेरोजगारी दर अधिक।	डब्ल्यूपीआर में अंतर बहुत कम मुस्लिम-जनरल की तुलना में मुस्लिम-ओबीसी के बीच बेरोजगारी दर अधिक
	औपचारिक क्षेत्र में उपस्थिति	एच-ओबीसी की तुलना में एम-ओबीसी की उपस्थिति बहुत कम।	मुस्लिम-ओबीसी की तुलना में मुस्लिम-जनरल में उपस्थिति अधिक, खासकर पुरुषों और शहरी कामगारों में।
	कार्य-स्थल	मुस्लिम-ओबीसी के पुरुष हिन्दू-ओबीसी की तुलना में नियोक्ता के उपक्रमों में कार्य करना अधिक चाहते हैं। अपने घरों पर कार्य करने वाले एम-ओबीसी का अनुपात अधिक। अपने घरों में कार्य करने वाली महिला एम-ओबीसी कामगारों की संख्या एच-ओबीसी से अधिक	पुरुष एम-ओबीसी नियोक्ता के उपक्रमों में अधिक लगे हैं। मुस्लिम-जनरल की तुलना में ओबीसी-मुस्लिम की महिलाएं अपने घरों में अधिक कार्य करती हैं।
	आय का स्तर	वेतन समान हैं। हिन्दू-ओबीसी की तुलना में मुस्लिम-ओबीसी के श्रमिकों को कम वेतन मिलता है।	वेतन समान हैं मुस्लिम-सामान्य की तुलना में मुस्लिम-ओबीसी के वेतन कम हैं।
	केंद्रीय नियोजन	दोनों समुदायों का प्रतिनिधित्व बहुत ही कम हिन्दू-मुस्लिमों की अपेक्षा मुस्लिम-ओबीसी अधिक वंचित	दोनों समुदायों का प्रतिनिधित्व बहुत ही कम कोई स्पष्ट तौर-तरीका नहीं।
	राज्य सरकारों के तहत नियोजन	दोनों समुदायों का प्रतिनिधित्व हद से कम एम-ओबीसी की अपेक्षा एच-ओबीसी बेहतर	दोनों समुदायों का प्रतिनिधित्व हद से कम कोई स्पष्ट तौर-तरीका नहीं
	विश्वविद्यालयों में नियोजन	शिक्षण क्षेत्रों में एच-ओबीसी का प्रतिनिधित्व पर्याप्त, लेकिन गैर-शिक्षा क्षेत्र में प्रतिनिधित्व न के बराबर। एम-ओबीसी की स्थिति एच-ओबीसी से खराब	दोनों के प्रतिनिधित्व स्तर में मामूली अंतर।



समूह	संकेतक	मुस्लिम-ओबीसी की हिन्दू-ओबीसी और मुस्लिम-सामान्य से तुलनात्मक स्थिति	
		हिन्दू-ओबीसी की अपेक्षा	मुस्लिम-सामान्य की अपेक्षा
आर्थिक-स्थिति	गरीबी	एच-ओबीसी की अपेक्षा एम-ओबीसी अधिक गरीब हैं	दोनों की गरीबी में मामूली अंतर
	व्यय-स्तर	शहरी क्षेत्रों में एम-ओबीसी की अपेक्षा एच-ओबीसी का व्यय-स्तर बेहतर ग्रामीण इलाकों में कोई अधिक अंतर नहीं	शहरी क्षेत्रों में एम-जनरल की अपेक्षा एम-ओबीसी का व्यय-स्तर महत्वपूर्ण रूप से कम। ग्रामीण क्षेत्रों में अंतर मामूली
	असमानता	ग्रामीण और शहरी दोनों इलाकों में एच-ओबीसी और एम-ओबीसी का असमानता स्तर अधिक	खासकर ग्रामीण इलाकों में एम-जनरल की अपेक्षा एम-ओबीसी का असमानता स्तर थोड़ा अधिक
	भूमि पर कब्जा	एम-ओबीसी के पास भूमि एच-ओबीसी की तुलना में एक तिहाई	एम-ओबीसी और एम-सामान्य के पास भूमि में मामूली अंतर



सामुदायिक पहल को बढ़ावा देने में वक्फ की भूमिका

1. परिचय

इस रिपोर्ट में दिए गए अध्याय में अन्य सामाजिक- धार्मिक श्रेणियों की तुलना में मुस्लिम समुदाय में व्याप्त आर्थिक सामाजिक विकास से संबंधित कमियां बताई गई हैं। चूंकि ये अभाव सभी गरीब लोगों से जुड़े हैं, मुस्लिमों के हालात को सुधारने के वर्तमान प्रयास के तहत अतिरिक्त धन को अलग करने की जरूरत है। इनमें सर्वशिक्षा अभियान, जनसंख्या कार्यक्रम, जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन आदि प्रमुख हैं। साथ ही उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों को अधिक आवंटन की जरूरत पड़ेगी। इस बारे में लोग जागरूक हो रहे हैं कि अधिक निवेश और पहल व कार्यक्रमों के लिए समुदाय की भागीदारी एवं स्थानीय संसाधनों की वित्तीय हिस्सेदारी से फायदा होगा। उन्हें जुटाने के लिए अनुदान और लोगों से मदद मांगी जा सकती है, जिससे तृतीय क्षेत्र की गतिविधि कहते हैं। सच तो यह है कि संसाधनों के भौतिक योगदान के रूप में सामुदायिक भागीदारी कई कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में मदद कर सकती है। जैसे- स्कूल की स्थापना के लिए भूमि का प्रावधान और गांवों, कस्बाई इलाकों एवं झुग्गियों में समग्र बाल विकास सेवा केन्द्र चलाना। इससे एक प्रारंभिक स्कूल की स्थापना के लिए खेल के मैदान की जरूरत भी पूरी हो सकती है। इसी तरह विशेष सहायता समूह और अल्पवृत्तीय संस्थानों को बढ़ावा देने के लिए सामुदायिक वर्गों से संस्थागत और वित्तीय दोनों संसाधन चाहिए।

इस संदर्भ में मुस्लिम समुदाय की भलाई के लिए उनके द्वारा उठाए गए कदम पर ध्यान देना चाहिए। अध्याय-4 में मदरसों का जिक्र किया गया है, जो भी किसी ने कमाया है या पाया है, उसका एक हिस्सा अलग से सदा के लिए कल्याणकारी उद्देश्यों के लिए समर्पित करना एक पवित्र काम समझा जाता है। ऐसे कई उदार लोग हैं जो इस्लाम के द्वारा बताए गए 'अनुदान' के नियमों का पालन करते हुए काफी बड़ी और कीमती विशाल संपत्ति अल्लाह के नाम पर दान कर देते हैं। इससे जो भी फायदा होता है उससे विशेष रूप से गरीबों की जरूरतों को पूरा किया जाता है और जो संपत्ति दान की गई है, उसका रख रखाव किया जाता है। इस प्रकार मुस्लिमों द्वारा संपत्ति दान किए जाने को वक्फ कहते हैं। वक्फ का उद्देश्य इस्लाम में धार्मिक, पवित्र और कल्याणकारी माना गया है।

- शैक्षणिक संस्थानों, छात्रावासों, पुस्तकालयों, खेल की सुविधाओं इत्यादि का रख रखाव करना और इसको बढ़ावा देना। शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए छात्रवृत्ति देना।
- सभी गरीबों को, जिनमें सांप्रदायिक दंगे और प्राकृतिक आपदाओं से पीड़ित व्यक्ति भी शामिल हैं, को स्वास्थ्य सेवा सहायता और वित्तीय मदद उपलब्ध कराना।
- सामुदायिक उपयोग के लिए मुसाफिरखाना और विवाह भवन का निर्माण कराना।

वक्फ संपत्ति से जो भी फायदा होता है उससे विशेष रूप से गरीबों की जरूरतों को पूरा किया जाता है और जो संपत्ति दान की गई है, उसका रख रखाव किया जाता है।



- मस्जिदों, दरगाहों और कब्रगाहों का रखरखाव और वक्फ सम्पत्तियों की देखभाल।
- गरीब विधवाओं को वित्तीय सहायता, गरीब और शारीरिक रूप से विकलांग लोगों की मदद, गरीब लड़कियों की शादी कराना और तलाकशुदा महिलाओं की देखभाल।
- सुप्रीम कोर्ट के आदेशनुसार एवं मुअज्जम को वेतन देना।

जो लोग इस तरह से अपनी संपत्ति का समर्पण कर देते हैं, उन्हें वाकिफ कहते हैं और जिस व्यक्ति को वाकिफ द्वारा वक्फ संपत्ति से जुड़े कार्यों की देखभाल करने के लिए नामांकित किया जाता है उसे मुत्तालवी कहा जाता है। भारत में जमीन में अधिकतर कृषि योग्य भूमि और निर्मित व्यवसायिक एवं आवासीय संपत्ति वक्फ को दान में दी जाती है। भारत में वक्फ में मस्जिदें, दरगाहें, खानाकाह, मकबरे, असुरखानें, कब्रिस्तान, तकिए, ईदगाहें, इमामबाड़े और अंजुमन इत्यादि आते हैं।

जब अंग्रेज मुस्लिम विरोध को दबाने के लिए तरीके खोजने की कोशिश में लगे थे तब उन्होंने जमीन वापसी अधिकरण पास किया, जिसमें उन्होंने वक्फ की संपत्तियों पर कर लगा दिया और इस तरह से मुस्लिम परंपराओं को एक करारा झटका दिया। 'बंगाल में कर के रूप में 11 लाख पाउण्ड से अधिक एकत्रित किया गया, वो भी उन जमीनों से जो पहले कर के दायरे से बाहर थी। इस राशि में से एक बड़ा हिस्सा उन जमीनों में से था, जो मुसलमानों द्वारा या मुस्लिम संस्थाओं द्वारा बिना किराए के इस्तेमाल की जाती थी। उस समय लोगों में जो निराशा और वितृष्णा की भावना भर गई थी, वह हमेशा के लिए ग्रामीण अभिलेखों में दर्ज हो गई है। कई सौ ऐतिहासिक परिवार बर्बाद हो गए। मुसलमानों की शैक्षणिक व्यवस्था, जो लगभग पूरी तरह से ऐसे ही अनुदानों पर निर्भर थी, छिन्न भिन्न हो गई। सबसे ज्यादा हानि उठानी पड़ी मुस्लिम संस्थाओं को।' हालांकि वक्फ की संपत्ति हमेशा के लिए दान कर दी जाती है, पर अक्सर मुत्तालवी उससे होने वाली आय पर तकरीबन पूरा कब्जा जमाए रहते हैं।

मुस्लिमों द्वारा संपत्ति दान किए जाने को वक्फ कहते हैं। वक्फ का उद्देश्य इस्लाम में धार्मिक, पवित्र और कल्याणकारी माना गया है।

2. भारत में वक्फ संपत्तियों की आर्थिक संभावनाएं:

समिति ने सभी राज्य वक्फ बोर्डों और केन्द्रीय वक्फ परिषद से वक्फ संपत्तियों के प्रकार, स्वरूप और वितरण के बारे में आंकड़े उपलब्ध कराने को कहा। खासतौर से इस बारे में बताने के लिए कहा गया कि वे कहां पर स्थित हैं। ये आशा की जा रही थी कि ये आंकड़े नियमित रूप से उपलब्ध होंगे क्योंकि अधिकरण के मुताबिक वक्फ संपत्तियों का नियमित रूप से सर्वेक्षण का उपक्रम किया जाना चाहिए। परंतु कई राज्यों में ये जानकारी उपलब्ध नहीं थी, क्योंकि सर्वेक्षण सामयिक नहीं थे। किराए और अन्य साधनों द्वारा आय के आंकड़े मांगे गए। दिल्ली में एक गोलमेज गहन चिंतन कार्यशाला आयोजित की गई जिससे कि भारत भर के वक्फ के बारे में जानकारी और विचार मिल सके। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी वक्फ कानून के कुछ विद्वान और विशेषज्ञ तथा वक्फ बोर्डों के पूर्व अध्यक्ष शामिल हुए। समिति को नियमावतियों और उनके साधियों से भी बड़ी संख्या में प्रतिवेदन मिले।

भारत में विभिन्न प्रदेशों और संघीय राज्यों में 4.9 लाख से ज्यादा पंजीकृत वक्फों में सबसे ज्यादा वक्फ सम्पत्ति पश्चिम बंगाल में है (1 लाख 48 हजार दो सौ)। दूसरे नंबर पर वक्फ संपत्ति के मामले में उत्तर प्रदेश आता है। (1 लाख 22 हजार 8 सौ उन्यासी) अन्य वक्फ की अधिक संख्या वाले राज्य हैं केरल कर्नाटक और आंध्र प्रदेश (तालिका 11. 1 देखें) भारत भर में वक्फ सम्पत्ति के अंतर्गत तकरीबन 6 लाख एकड़ का कुल क्षेत्रफल आता है, जिसकी सरकारी-कीमत तकरीबन 6 हजार करोड़ रुपये है। परन्तु बाजार में इन संपत्तियों की कीमत कई गुना अधिक होगी। उदाहरण के तौर पर हाल ही में आकलन किया गया था कि सिर्फ दिल्ली में ही वक्फ सम्पत्ति की वर्तमान कीमत 6 हजार करोड़ रुपये से अधिक होगी। शहरी इलाकों में बड़ी संख्या में वक्फ सम्पत्ति शहर

1. केमन एच 0 करपर, 2001 द्वारा "पोलोरीसाइजेशन ऑफ इस्लाम"

2. बड़ी संख्या में वक्फ ऐसे क्षेत्रों में स्थित हैं जैसे कि केन्द्रीय सार्वजनिक वक्फों की बात करेंगे, पारिवारिक वक्फों की नहीं जिन्हें वक्फ अलऔलाद भी कहा जाता है।



के केन्द्रों में स्थित हैं जहां वर्तमान कीमत कागजी व सरकारी कीमतों से कहीं अधिक है। परन्तु इन सम्पत्तियों से वर्तमान में मात्र 143 करोड़ रुपए की सालाना आय होती है जिससे 2.7 प्रतिशत रकम ही वापस मिल पाता है। इस राशि में से वक्फ बोर्ड अपने कार्य संचालन और खर्चों के लिए 7 प्रतिशत का हिस्सा रख सकता है। यह आशा की जाती है कि वक्फ के लिए जो उद्देश्य तय किए गए हैं, बाकी की राशि उन्हीं पर व्यय की जाएगी।

चूंकि वक्फ सम्पत्तियों की कागजी कीमतें तकरीबन 50 साल पुरानी हैं, वर्तमान कीमत कई गुना अधिक है और वक्फ सम्पत्ति की बाजार में हम 1.20 लाख करोड़ रुपये कीमत मान सकते हैं। अगर इन सम्पत्तियों को प्रभावशाली तरीकों से और बाजार का रुख देखकर इस्तेमाल किया जाय तो इनसे कम से कम 10 प्रतिशत का रिटर्न हासिल किया जा सकता है, जो कि सालाना आंकड़ों के अनुसार तकरीबन बारह हजार करोड़ रुपये बैठता है। ये पता लगता है कि जहां कहीं भी वक्फ भूमि को सही तरीके से इस्तेमाल किया गया है, वहां पर वो औसतन 20 प्रतिशत का रिटर्न दे रही है। इसलिए जाहिर है कि देश में प्रमुख स्थानों पर स्थित कुछ वक्फ सम्पत्तियों का अगर सही ढंग से विकास किया जाय और व्यवसायिक रूप से इस्तेमाल किया जाय तो उनकी बाजार में कीमत और सालाना आय, दोनों ही बहुत तेजी से बढ़ेंगी। वक्फ की इस बढ़ी हुई आय से वक्फ के लाभान्वितों की शैक्षणिक स्थिति और अन्य महत्वपूर्ण मानव विकास आयामों को सुधारा जा सकता है। यह अभी भी किया जा रहा है, पर ऐसी सफलता की कहानियां बहुत कम हैं। पर समिति यहां पर एक सुझाव देना चाहेगी—अगर वक्फ समिति की सम्पत्तियों का सही तरीके से इस्तेमाल करना है तो केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा उचित प्रशासनिक मदद और वक्फ प्राधिकरण में जरूरी सुधार और कुछ अन्य सम्बन्धित कानूनों में बदलाव करके कानूनी मदद किए जाने की बहुत जरूरत है।

भारत में विभिन्न प्रदेशों और संघीय राज्यों में 4.9 लाख से ज्यादा पंजीकृत वक्फ सम्पत्ति है। परन्तु इन सम्पत्तियों से वर्तमान में मात्र 143 करोड़ रुपए की सालाना आय होती है जिससे 2.7 प्रतिशत रकम ही वापस मिल पाता है।

3. वक्फ के उद्देश्यों की पूर्ति में बाधाएं

भारत में बड़ी संख्या में वक्फ संपत्ति के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, 1954 में संसद ने एक विस्तृत वक्फ अधिकांनून पास किया। वक्फ कानून को लागू करने की प्रक्रिया में समय के साथ कमियां और कमजोरियां सामने आईं तथा वक्फ जांच समिति ने उनमें सुधार लाने के लिए उसमें कुछ सुझाव दिए, जिन्हें 1995 के वक्फ अधिकांनून में शामिल कर लिया गया। इन प्रयासों के बावजूद वक्फ बोर्डों और केन्द्रीय वक्फ परिषद के पास पर्याप्त अधिकार नहीं हैं।

3.1 व्यवस्था में कमियां:-

हालांकि कुछ सजग मुतावली भी होते हैं पर ऐसे भी उदाहरण हैं, जहां मुतावली वक्फों को अपनी निजी सम्पत्ति की तरह इस्तेमाल करते हैं। कभी-कभी तो दरगाहों पर जो चढ़ावा आता है, वो उसे खुद रख लेते हैं। मामला चाहे कुछ भी हो, पर मुतावली केन्द्रीय वक्फ परिषद या वक्फ बोर्डों से वक्फ सम्पत्ति के विकास के लिए कर्ज लेने या अनुदान मांगने सामने ही नहीं आते। शैक्षणिक संस्थानों के निर्माण के स्थान पर वो दुकानों का निर्माण करना चाहते हैं। बहुत सारी अन्य बातों के ऐवज में वो निम्न स्तर का किराया तय कर लेते हैं। उपर लिखे प्रयासों के बावजूद वक्फ बोर्ड और सम्पत्तियों का संचालन इसलिए असंतोषप्रद है क्योंकि प्रादेशिक वक्फ बोर्डों और केन्द्रीय वक्फ परिषद के पास पर्याप्त अधिकार नहीं हैं। वक्फ सम्पत्ति जिसका उद्देश्य

3 कई वक्फ में एक से अधिक सम्पत्ति होती है।

4 दूसरे राज्यों से (हालांकि उनका आकार छोटा था) समिति को समय से जानकारी नहीं मिल पाई ओर इसलिए उन्हें रिपोर्ट में शामिल ही नहीं किया गया।

5 एक बड़ी संख्या में वक्फ सम्पत्ति में कृषि भूमि भी आती है।

6 केन्द्रीय वक्फ परिषद द्वारा प्रादेशिक वक्फ बोर्डों को निवेश और विकास के लिए दिए गए कर्ज में 21 वीं सदी की शुरुआत में लगभग 20 प्रतिशत की वापसी दर मिली।



भारत में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति

तालिका 11.1: भारतीय राज्यों में पंजीकृत वक्फ संपत्तियां

राज्य	क्षेत्रफल एकड़ में)	संपत्तियों की संख्या	कागजी कीमत (लाखों में)	कुल संपत्तियों से वर्तमान आय	वक्फ बोर्ड का 7 फीसदी हिस्सा
पश्चिम बंगाल	59090	148200	16000	457	32
उत्तर प्रदेश	15000	122839	15200	1214	85
केरल	22410	36500	135586	803	56
आंध्र प्रदेश	145512	35703	8135	388	326
कर्नाटक	18033	28731	-	1288	90
महाराष्ट्र	92207	23566	4185	443	31
गुजरात	8792	22485	600	381	27
राजस्थान	153180	19543	196755	8314	58
मध्य प्रदेश	-	15000	-	-	-
हरियाणा	20895	11929	1125	500	500
पंजाब	1778	11243	1589	596	596
तमिलनाडु	34388	7057	165072	1385	97
बिहार	-	2459	2000	33	2
उत्तरांचल	-	2032	285	268	19
दिल्ली	152	1977	-	67	5
पांडिचेरी	425	589	179	118	8
असम	190	168	110	35	2
कुल	572052	490021	546821	16290	1934

Source: As per information received by the Prime Minister's High Level Committee from State Wakf Boards in 2005-06.

है जनता की भलाई के लिए इस्तेमाल किया जाना, उनको इसी के लिए बचाए रखने की जरूरत है।

तालिका 11.2 भारत में वक्फ संपत्तियों से निवेश पर लाभ

राज्य	दिया गया कर्ज (लाख में)	विकास से पूर्व सालाना आय	विकास के बाद सालाना आय	विकास के बाद आय में वृद्धि (%)	कर्ज वापसी की दर
केरल	49.8	96	877.7	814	15.7
बिहार	23.8	5.8	459	7,814	19.0
कर्नाटक	633.7	1,087.8	12,001	1,003	17.2
महाराष्ट्र	41	9.7	590	5,988	14.2
आंध्र प्रदेश	58.7	30.7	1,160	3,681	19.2
राजस्थान	3.2	--	106	--	32.9
मध्य प्रदेश	75.4	85	2,512	2,855	32.2
तमिलनाडु	191.4	720.3	3,747	420	15.8
उड़ीसा	188.1	60.4	4,232	6,907	22.2
पंजाब	17.6		666		37.9
भारत	1241.6	2,086	25,760.7	1,135	19.1

आंकड़े : एस के राशिद (2005) - भारत में वक्फ को सुरक्षा, रखरखाव और विकास, इंस्टीच्यूट ऑफ ऑब्जेक्टिव स्टडीज, नई दिल्ली: pp 74-85.



परन्तु जिन वक्फ सम्पत्तियों पर विशिष्ट धार्मिक कर्मकाण्ड किए जाते हैं, उन स्थानों के महत्व का सम्मान करना चाहिए। ऐसी नीति से प्रभावी रूप से सामाजिक एकता आएगी और आर्थिक विकास होगा। इसलिए कोशिश की जानी चाहिए कि ऐसी सम्पत्तियां भूमि अधिकार के क्षेत्र में शामिल न की जाय।

आंकड़ों की गैर उपलब्धता:-

वक्फ सम्पत्ति के रिकार्डों को अच्छे से संभाला नहीं गया है और वे मौसम, हानि और खराब ढंग से रखे जाने का शिकार हो जाते हैं। इसको रोकने के लिए फौरन कोई कदम उठाना चाहिए। उनको सरकारी कार्यक्रम के अंतर्गत अंकीकृत कर दिया जाना चाहिए। केन्द्र सरकार को इस काम के लिए केन्द्रीय वक्फ परिषद के बारे में सोचना चाहिए और कागजी आलेखों की गुणवत्ता का निर्देशन करना चाहिए। प्रादेशिक सर्वेक्षणों में वक्फों की सूची बनाए जाने के बावजूद कई बार राजस्व आलेखों में और स्थानीय स्वसरकारों के आलेखों में इन सम्पत्तियों को वक्फों की तरह पंजीकृत नहीं किया गया है। राज्य सरकार की ये कमियां और निष्क्रियता सालों से चले आ रहे कानूनी दाव पेंचों का नतीजा हैं।

वक्फ सम्पत्तियों का अधिग्रहण:-

वक्फ सम्पत्तियों का अधिग्रहण न सिर्फ निजी व्यक्तियों द्वारा किया जाता है बल्कि समिति ने यह भी देखा कि देश भर में सरकार और उनके विभाग इन्हें अधिग्रहित कर लेते हैं। अधिग्रहण के दो स्वरूप हैं- 1. सम्पत्ति को बिना किसी किराये या किसी भी प्रकार का कोई पैसा दिए पूरा का पूरा हड़प लेना

2 अधिग्रहण करने वाला व्यक्ति बहुत ही मामूली किराया दे, जो दशकों से वैसे ही चला आ रहा है। निजी अधिग्रहण की संख्या बहुत अधिक है। ये देश भर में फैले हैं और कानूनी दाव पेंचों में उलझे हैं। यहां पर हमारे ध्यान का केन्द्र बिंदु है सरकार के द्वारा अधिग्रहण जो कि वक्फ हितों का रखवाला है।

बक्सा 11. 2 में समिति को प्राप्त उन सम्पत्तियों की सूची दी गई है जिन वक्फ सम्पत्तियों पर अनधिकृत रूप से कब्जा कर ली गई है। (परिशिष्ट 11.1 में भारत भर में निजी और सरकारी विभागों द्वारा अनधिकृत और गैर कानूनी रूप से कब्जाई गई सम्पत्तियों की विस्तृत सूची दी गई है) यह देखा गया है कि प्रादेशिक, सरकारी और उनके विभागों के रवैये के कारण वक्फों का निर्माण जिन कल्याणकारी उद्देश्यों के लिए किया गया था, उनका बड़े स्तर पर पतन हो रहा है। सच तो यह है कि सरकार द्वारा वक्फ जमीनों का अधिग्रहण प्राधिकरणों के लिए न सिर्फ शर्म की बात है,

बल्कि निजी अधिग्रहण करनेवालों का साहस बढ़ा देती है और मुस्लिम समुदाय की स्थितियों में सुधार एवं पुर्ननिर्माण में बाधा उत्पन्न करती है। सत्तर के दशक में ही प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने सभी मुख्यमंत्रियों को एक पत्र लिखा जिसमें कहा गया था कि सभी वक्फ

सम्पत्तियों को अवैध कब्जे से खाली कर दिया जाय या वक्फ बोर्डों को उनकी बाजार की कीमत के हिसाब से पैसे अदा किए जाएं। वैकल्पिक रूप से ये निर्देश दिए गए थे कि सरकारों और उनके विभागों द्वारा अधिकृत की गई वक्फ सम्पत्तियों पर बाजार के हिसाब से किराया अदा किया जाय।

बक्सा 11.3 देखें।

वक्फ बोर्ड और सम्पत्तियों का संचालन इसलिए असंतोषप्रद है क्योंकि प्रादेशिक वक्फ बोर्डों और केन्द्रीय वक्फ परिषद के पास पर्याप्त अधिकार नहीं हैं।

वक्फ संपत्तियों की रक्षा का दायित्व ओढनेवाली सरकारों द्वारा ही उन पर अवैध कब्जे आम हैं।



राज्य सरकार और उसके विभागों के रवैये की वजह से बड़ी संख्या में वक्फ के कल्याणकारी उद्देश्य का बड़े स्तर पर शोषण हो रहा है।

बक्सा 11.2

समिति को विभिन्न राज्यों के वक्फ बोर्ड द्वारा सौंपे गए कुछ सरकारी एजेंसियों द्वारा अवैध कब्जे की सूची 2005-06

राज्य	वक्फ संपत्तियों की संख्या
दिल्ली ⁸	316
राजस्थान	60
कर्नाटक	42
मध्य प्रदेश	53
उत्तर प्रदेश	60
उड़ीसा	53

3.2 वक्फों का संचालन

वक्फ सम्पत्तियों का पूरा इस्तेमाल करने के उद्देश्य से पूरा करने के लिए नए सिरे से संस्थागत सहायता जरूरी है। वर्तमान में प्रादेशिक वक्फ बोर्डों ने मुस्लिम संसद सदस्य, विधान सदस्य और कुछ अन्य आते हैं। ये जरूरी नहीं है कि उनके पास वक्फ के संसाधनों का सही तरीके से इस्तेमाल करने के लिए जरूरी ज्ञान और तकनीकी दक्षता हो। आमतौर पर वक्फ के संचालन पर कड़ी निगाह रखना और उन्हें अधिग्रहित किए जाने की जरूरत है। संबंधित राज्य सरकारें कई वर्षों से बेखबर बनी हुई हैं और इस मुद्दे को एक बार फिर से संसद के ध्यान में लाया जाय और 1996 से 2006 के बीच एक संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया गया। इस संयुक्त संसदीय समिति की विस्तृत अनुशंसाओं का अभी भी इन्तजार किया जा रहा है। परन्तु बेव साइट:- [http; Rajya.sabha.nic.in/ book to refers/ eak8 / rfortlist. html](http://Rajya.sabha.nic.in/book%20to%20refer%20to%20eak8/rfortlist.html) पर नौ राज्यों की रिपोर्ट और अजमेर दरगाह कानून उपलब्ध हैं। ये राज्य हैं:- त्रिपुरा, मणिपुर, महाराष्ट्र, गोवा, मणिपुर, मेघालय, दादर एवं नागर हवेली, पांडिचेरी और लक्षद्वीप।

वक्फ संपत्तियों से पूरा लाभ उठाने के लिए नए सिरे से संस्थागत सहायता जरूरी है।

आम मुद्दे और समस्याएं; प्रादेशिक वक्फ बोर्डों द्वारा उठाई जा रही मुसीबतें

विभिन्न प्रादेशिक वक्फ बोर्डों ने समिति के सामने संस्थान में कई तरह के समस्याओं को उठाया, जिनमें से कुछ चुने हुए को ही उदाहरण के तौर पर पेश कर रहे हैं। ऐसी घटनाएं वक्फ के हितों के लिए हानिप्रद हैं और उसमें बताए गए लाभान्वितों के लिए तथा आम तौर पर गरीबों के अधिकारों का हनन है

मुख्य वक्फ संपत्तियों पर निजी कब्जा

कई बार वक्फ संपत्ति शहर के बीचो बीच होती है। ये वक्फ बोर्डों के लिए व्यवसायिक रूप से काफी लाभकारी होती है और इन्हें सही मायने में विकास के लिए और इनसे होने वाली आय को बढ़ाने के लिए उपलब्ध होना चाहिए। पर कई बार ऐसी संपत्तियों पर निगमों का तीसरे पक्षों का

7. समिति द्वारा दी गई सूची विस्तृत नहीं है और अधिक जानकारी के लिए प्रादेशिक वक्फ बोर्डों से विवरण प्राप्त किया जा सकता है।
8. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, दिल्ली विकास प्राधिकरण, रेलवे, कैंट, दिल्ली पुलिस, केन्द्रीय सरकारी कार्यकारी विभाग, नई दिल्ली नगरपालिका समिति, दिल्ली नगर निगम, दिल्ली यातायात निगम, दिल्ली जन बोर्ड और लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल।



बॉक्स 11.3
प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का मुख्यमंत्रियों को पत्र

परिच्छि VII:-
संख्या 7:- pmo/ 76

नई दिल्ली 26 मार्च 1976.

कुछ समय से मैं वक्फ प्रशासन को सुधारने के लिए चिंतित हूँ। प्रादेशिक सरकारों को चाहिए कि वो यह सुनिश्चित करे कि वक्फों की ठीक से देख भाल की जाय और प्रादेशिक वक्फ बोर्ड उनका संचालन 1954 के वक्फ कानून के हिसाब से करें। कुछ निम्नलिखित मुद्दे पर आपको फौरन ध्यान देने की जरूरत है।

कई कारणों से जिनमें विभाजन के बाद की विपरीत परिस्थितियां भी शामिल हैं, बड़ी संख्या में वक्फ सम्पतियां निजी पक्षों और साथ ही राज्य सरकार के विभागों और स्थानीय निकायों द्वारा कब्जा ली गई हैं। वक्फ बोर्ड जब चाहे सम्बन्धित राज्य सरकार के विभागों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर सकते हैं। ऐसे आरोप वांछित नहीं हैं, इसलिए आप को इस मुद्दे को प्रशासनिक आधार पर सुलझाना होगा। बहुत पहले 1961 में ही ऐसे मामलों को जल्द निपटाने के लिए तीन निम्नलिखित टोस सुझाव दिए गये थे;

1. जहां भी संभव हो वक्फ सम्पति को खाली कर दिया जाय और संबंधित वक्फ को वापस कर दिया जाय,
2. जहां जमीन पर महंगे भवनों का निर्माण किया जा चुका है और उनको खाली करना सम्भव नहीं है, सरकारी विभागों को वक्फ बोर्डों के साथ सदा के लिए सम्बन्ध स्थापित कर लेने चाहिए और इन बोर्डों को बाजार के हिसाब से इक्कट्टी राशि दे दी जानी चाहिए, या
3. वैकल्पिक रूप से राज्य सरकार बोर्डों से उचित बाजार की कीमत के हिसाब से जमीन खरीद सकती है। अगर वो जमीन पर अपने अधिकार छोड़ने को तैयार हो जाएं। प्रत्यक्ष रूप से इनका संचालन करने वाले या संबंधित मुताविलियों से उनकी हामी और उनके अधिकार छोड़ने के लिए जरूरी कागज हासिल किए जा सकें।

मैं समझती हूँ कि वक्फ बोर्डों ने आपको उन वक्फ सम्पतियों की सरकारी सूचियां भेज दी है जिससे कि सरकारी विभागों और स्थानीय निकायों के सुझावों पर अमल करते हुए इन सबसे निपट लिया जाय। समय-समय पर समीक्षा का उपक्रम भी किया जा सकता है और मुझे तथा वक्फ के मुताविलियों को इसकी मासिक रिपोर्ट भेजी जानी चाहिए। अधिकतर वक्फ सम्पतिया बहुत ही कम दाम पर किराए पर दी गई है, जो कि किराया नियंत्रण कानूनों के तहत बढ़ाया नहीं जा सकता। वक्फ जांच समिति की आंतरिक रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि धार्मिक और कल्याणकारी उद्देश्यों के लिए बनाए गए सभी सार्वजनिक वक्फों, बल्कि किसी भी समुदाय के सभी सार्वजनिक ट्रस्टों और अनुदानों को किराया नियंत्रण कानून के प्रावधानों से छूट दे दी जानी चाहिए। समिति उचित रूप से यह महसूस करती है कि वक्फ व्यक्तिगत लाभों के लिए नहीं बनाए जाते और इसलिए उनके साथ व्यक्तिगत जमीन के मालिकों से अलग तरह से व्यवहार किया जाना चाहिए। मैं समझती हूँ कि केन्द्र के सुझाव पर आंध्रप्रदेश, केरल कर्नाटक और तमिलनाडु आदि राज्यों में पहले ही सार्वजनिक वक्फ सम्पतियों को अपने-अपने किराया नियंत्रण कानूनों से छूट देने की हामी भर ली है। कृपया अपने राज्य में भी ऐसी ही छूट देने की संभावना पर गौर करें।

(भवदीय)

(sd)

(इंदिरा गांधी)

कब्जा हो जाता है। ऐसे विवादों को जल्द सुलझाने के लिए कोई प्रभावी तरीका जल्द विकसित करने की जरूरत है

राज्य सरकारों द्वारा आदेशों को ना मानना या विरोधाभासी आदेशों को जारी करना:- उत्तरप्रदेश



वक्फ प्रबंधन के लिए और कड़ी रवैया अपनाने की और अतिक्रमण की गई संपत्तियों को खाली कराना आवश्यक है।

हस्तांतरण में देरी- होने से या इसके ना होने से और प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र में संशय होने से वक्फ सम्पति अक्सर दुर्व्यवस्था का शिकार हो जाती है।

संयुक्त संसदीय समिति को वक्फों पर निर्देश :- 1996 से 2008,

- i देश भर में वक्फ सम्पत्तियों की पहचान करना, इन्हें जाकर देखना और उन्हें सुनिश्चित करना।
- ii विभिन्न राज्यों और संघीय राज्यों में अधिगृहित की गई वक्फ सम्पत्तियों की पहचान करना और सम्पत्ति को वापस पाने के तरीकों का सुझाव देना।
- iii गैर कानूनी रूप से वक्फ सम्पत्ति को उपहार में देना, हस्तांतरित करना, उस पर कर्ज लेना या उसे किराये पर देना या बेच देना इत्यादि की पहचान करना और यह सुझाव देना कि किस तरह से जिम्मेदार व्यक्तियों को ढूंढकर उनसे सम्पत्ति वापिस हासिल की जाय।
- iv वक्फ सम्पत्तियों का सही तरीके से इस्तेमाल करने के लिए कदमों और तरीकों का सुझाव देना।
- v राज्य सरकारों द्वारा वक्फ कानून 1995 को लागू किये जाने की स्थिति के बारे पता लगाना।
- vi वक्फ कानून 1995 में जरूरी संशोधनों के बारे में सुझाव देना जिससे कि उसके उद्देश्यों को पूरा किया जा सके और अधिकृत की गई वक्फ सम्पत्तियों को वापस पाया जा सके।
- vii केन्द्रीय वक्फ परिषद की कार्यप्रणाली पर नजर डालना और उसे अधिक प्रभावी बनाए के लिए जरूरी कदम सुझाव।
- viii प्रादेशिक वक्फ बोर्डों के कार्यकलापों पर नजर डालना और उनकी कार्य प्रणाली को बनाए रखने के लिए और आसान बनाने के लिए उचित कदमों की अनुशंसा करना।
- ix उपर पर बताए गए सभी उद्देश्यों या उनमें से किसी एक को पूरा करने के उचित कानूनी कदम या सुझाव।

सरकार के अल्पसंख्यक विभाग द्वारा अनधिकृत रूप से आदेश जारी किए गए जो कि वक्फ बोर्ड से संबंधित न्यायिक आदेशों की अवहेलना करते हैं। यह समुदाय के पास यू पी सरकार द्वारा वक्फ बोर्ड के आदेशों की अवहेलना करने का सबसे ताजा उदाहरण है। इस तरह से विभाग बोर्ड के आदेशों को रोक देता है, उनकी अवहेलना करता है और उन्हें नकार देता है। ऐसी हरकतें वक्फ कानून के खिलाफ हैं। सुन्नी और शिया बोर्ड दोनों ने ही 2004 में वक्फ बोर्ड की कार्यप्रणाली के लिए नियमों का सुझाव दिया था और वक्फ कानून 1995 को लागू करने के संबंध में रिपोर्ट दाखिल की थी, पर विभाग ने अभी तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं की है। जहां यूपी सरकार को इस मामले को सुलझाने के लिए कहा जा सकता है, वहीं वक्फ कानून 1995 में ऐसे संशोधन भी किए जा सकते हैं, जिससे इस तरह के व्यवधान को रोका जा सके।

रिकार्ड का हस्तांतरण और अधिकार क्षेत्र:-

हस्तांतरण में देरी- होने से या इसके ना होने से और प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र में संशय होने से वक्फ सम्पति अक्सर दुर्व्यवस्था का शिकार हो जाती है। प्रशासनिक और कानूनी रूप से वक्फ संचालन को सुधारने के लिए स्पष्टता को बढ़ाना होगा। इसका उदाहरण नीचे देखें।¹⁰

पंजाब वक्फ बोर्ड के तीन हिस्सों को एकीकृत करना:-

2004 तक पंजाब हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ का एक संयुक्त वक्फ बोर्ड हुआ करता था। इन सभी राज्यों के वक्फ संसाधनों को मिलकर बंटवारे से पहले पंजाब के लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इसमें जन-कल्याण विशेष तौर से शैक्षणिक और रोजगारोन्मुख संस्थानों के प्रावधान और चिकित्सा सेवाओं आदि के लिए जरूरी -वित्तीय मामलों में एक लचीलापन बना रहता था। परंतु अब वक्फ बोर्ड के तीन हिस्से कर दिए जाने से प्रशासनिक खर्चा बहुत ज्यादा बढ़ गया है क्योंकि एक तो अब तीन अलग-अलग बोर्ड हैं और उनके साथ हैं, अलग-अलग प्रशासनिक



ढांचे । पंजाब में 11 हजार वक्फ सम्पत्ति हैं, परन्तु उनसे लाभ उठाने के लिए अधिक मुसलमान नहीं हैं। हरियाणा में एक बहुत बड़ा मेवाड़ क्षेत्र है जहां बड़ी संख्या में मुसलमान देश के सबसे अधिक पिछड़े वर्ग में आते हैं, परन्तु अब वे पंजाब में स्थित मुख्य वक्फ सम्पत्ति से लाभ नहीं उठा पाते। उनके लिए उपलब्ध कल्याणकारी कर्मों से वंचित हो गए हैं। समिति ने इस संबंध में मिले प्रतिवेदनों का विश्लेषण किया और इस मुद्दे का अध्ययन किया। उसका मानना यह है कि केन्द्र सरकार को पहले की तरह पंजाब वक्फ बोर्ड के तीनों हिस्सों को फिर से एक कर देना चाहिए।

कई राज्यों में कई कारणों से वक्फ बोर्डों को बकाया राशि नहीं दी गई।

वक्फ को देय राशि:-

कई राज्यों में वक्फ बोर्डों की बड़ी राशि बकाया है, पर विभिन्न कारणों से उनको दी नहीं गई है। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड ने समिति को बताया कि राज्य सरकार पर उसका 81 लाख 68 हजार 185 रुपये बकाया है और औरंगाबाद, जालना परमानी, नांदेड़ बीड़, उस्मानाबाद, पुणे, नासिक, अमरावती, सांगली, नागपुर, अहमदनगर और धुले” में जिन सम्पत्तियों पर कब्जा किया गया है, उनके लिए महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड को संबंधित ब्याज नहीं दिया गया है। यह जरूरी है कि वक्फ कानून में उचित निर्देश शामिल किए जाय जिससे कि उचित समयावधि में बाकी राशि का भुगतान हो जाय।

संयुक्त संसदीय समिति की अनुसंशाओं का लागू न होना:-

बहुत सी परिस्थितियों में संयुक्त संसदीय समिति द्वारा दी गई अनुसंशाओं को भी लागू नहीं किया गया है। ऐसा ही एक मामला यहां दिया गया है। शिलांग में मेघालय के मुसलमानों द्वारा 1994 में उमशिल्पी कालेज स्थापित किया गया। लम्बे समय से कालेज की समिति राज्य सरकार से निवेदन कर रही है कि जंगल के किनारे, कीटिंग सड़क, शिलांग में स्थिति वक्फ की जमीन पर कब्जा करने के लिए जो कार्यवाहियां की गई हैं, उनको वापिस ले लिया जाय। और इस जमीन को विस्तार के लिए कालेज को दे दिया जाय। वक्फ बोर्ड और सम्बन्धित वक्फ जिसका नाम गुलामरामान वक्फ भूमि है उसके मुत्तवली ने इस प्रस्ताव को मान लिया है। यहां तक कि संयुक्त संसदीय समिति में भी मुख्यमंत्री से उसकी संस्तुति की और केन्द्र के जनकल्याण मंत्री ने भी उन्हें इस सम्बंध में कई पत्र लिखे। पर अभी तक इस पर कोई भी कार्यवाई नहीं की गई है जबकि कालेज को जो जमीन चाहिए वह यूं ही बेकार पड़ी हुई है। केन्द्र सरकार इस बारे में मेघालय सरकार से बात कर सकती है और उससे कह सकती है कि इस संपत्ति से संबंधित कब्जे की कार्यवाई को वापस लेने के लिए

संयुक्त संसदीय समिति द्वारा दी गई संस्तुतियां भी कई कई मामले में लागू नहीं की गई।

9 वक्फ सम्पत्ति के गलत इस्तेमाल किये जाने का ताजा मामला वो है जिसमें सजललाल शिया वक्फ सम्पत्ति है जो हैदराबाद शहर के बीचो बीच स्थित है। पहले ये एक कब्रगाह थी और अब नामी वायसराय होटल तैयार होनी है। हालांकि यह एक वक्फ सम्पत्ति है और वक्फ के निर्देशक को अपना काम करने से रोक रहा है। इसी तरीके से कलकता के प्रमुख इलाके में स्थित राजकुमार गुलाम मोहम्मद वक्फ सम्पत्ति 1905 से बहुत ही कम किराये पर शॉ वैलेस कम्पनी के पास थी। 1984 में वक्फ बोर्ड ने इसके किराए की अवधि को समाप्त कर दिया। हानि उठाने वाले ने उच्च न्यायालय में यह मामला उठाया, जहां यह 22 साल से लम्बित है। इस अवधि में उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि कब्जे के किराए के रूप में वक्फ बोर्ड को हर महीने 25 हजार रुपये अदा किए जाय। जबकि बाजार के किराए के हिसाब से इसका सालाना किराया बनता है 10 लाख रुपए।

10. महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड का मामला नीचे दिया गया है। परन्तु ऐसी समस्याएं विभिन्न राज्यों में और विभिन्न संदर्भों में पाई गई हैं। महाराष्ट्र - महाराष्ट्र में वक्फ कानून 1995 में लागू होने से पहले वक्फ कानून 1994 द्वारा संचालित मराठवाड़ा क्षेत्र को छोड़कर बाकी सभी मुस्लिम ट्रस्ट और वक्फ बाम्बे सार्वजनिक ट्रस्ट कानून 1950 के अंतर्गत आते थे और महाराष्ट्र के अनुदान आयोग के द्वारा देखे जाते थे। परन्तु 1 जनवरी 1990 से वक्फ कानून 1995 लागू हो गया, इसलिए यह जरूरी हो गया कि सभी मकबरे मस्जिद, इदगाहे, इमामबाड़े दरगाहें, खानकाह और कब्रगाह, महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड को हस्तांतरित कर दी जाय। इस बीच में वक्फ सर्वेक्षण आयुक्त ने भी अपना काम पूरा कर लिया और राज्य सरकार को भी वक्फ कानून 1995 के भाग 5(2) के अंतर्गत सरकारी बजट 13 नवम्बर 2003 को वक्फ सूची प्रकाशित करा दी। अनुदान आयुक्त को यह निर्देश दिया गया कि जब से वक्फ सम्पत्ति वक्फ बोर्ड के अधिकार क्षेत्र में आ गई है तब से उसके द्वारा इक्कट्टा की गई राशि का भी हस्तांतरण कर दिया जाय। अनुदान आयुक्त के हिदायतों की भी अवहेलना की और वक्फ की आय में से हिस्सा इक्कट्टा करता रहा। वक्फ बोर्ड के पीछे पड़ जाने पर अनुदान आयुक्त ने कहा कि 2006 में वक्फ के हितों को नुकसान पहुंच रहा है क्योंकि पूरे रिकार्ड के अभाव में वक्फ बोर्ड को मिलने वाली कई शिकायतों और विभिन्न कानूनी मामलों के बारे में जांच करना सम्भव नहीं है कुछ मामले में तो अनुदान आयुक्त अनधिकृत रूप से वक्फ सम्पत्ति को अलग कर रहे हैं।



जरूरी आदेश जारी करे और उसे उस शिल्पी कालेज को आवंटित करे,

दिल्ली का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का मामला:-

कई वक्फ संपत्तियां कब्जा ली गईं परंतु या तो उनका मुआवजा नहीं मिला या कई मामले में मुआवजे का दावा स्वीकार नहीं किया गया।

भारत सरकार ने 1911 से 1915 के बीच भूमि का काफी बड़ा हिस्सा नई राजधानी के निर्माण और दिल्ली शहर के विस्तार के लिए अधिकृत कर लिया था। इनमें से काफी वक्फ सम्पतियां भी थी, जिनमें से बहुत सी संपत्तियों के लिए या तो भरपाई की नहीं गई या दावे को स्वीकार नहीं किया गया। 1940 में 42 मामलों में भारत सरकार ने सुन्नी-मजलिस-A -औकाफ (दिल्ली वक्फ बोर्ड का पुराना स्वरूप) के साथ व्यक्तिगत रूप से करारनामा प्राप्त किया जिससे कि वो धार्मिक उद्देश्यों के लिए इन सम्पत्तियों का इस्तेमाल कर सकें। दिल्ली गजट में 1970 में दी गई सूचना के आधार पर बहुत सी संपत्तियों को जिनमें वो भी शामिल है जो करारनामे के अंतर्गत आती है, को वक्फ संपत्ति घोषित कर किया गया। दिल्ली विकास प्राधिकरण और भूमि एवं विकास अधिकारी जो शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत आते हैं, ने जिला न्यायालयों में तकरीबन 300 से अधिक मामले दर्ज कराकर इसको चुनौती दी।

1974 और 1984 के बीच में चार सशक्त समितियों ने सभी पक्षों के बीच के वाद-विवाद की समीक्षा की। मंत्रियों की एक बैठक जिसमें 6 कैबिनेट मंत्री भी शामिल थे, ने भी इस मुद्दे पर गौर किया। अधिकारियों की एक समिति जिसमें कार्य व विकास मंत्रालय, घरेलू मामला मंत्रालय, दिल्ली विकास प्राधिकरण, भूमि और विकास अधिकारी तथा दिल्ली वक्फ बोर्ड के प्रतिनिधि शामिल थे, ने विस्तार से इन संपत्तियों का सर्वेक्षण किया और इस बात की समीक्षा की कि राजधानी के विकास की जरूरतों के संदर्भ में हर सम्पत्ति का क्या योगदान हो सकता है। उन्होंने प्रमाणित किया कि 123 संपत्तियों के मामले में यह स्पष्ट था कि वह वक्फ सम्पत्ति है और संस्तुति की कि इनको दिल्ली वक्फ बोर्ड को हस्तांतरित कर दिया जाय। भारत सरकार ने 31 जनवरी 1984 को समिति की संस्तुति पर मुहर लगा दी और 123 संपत्तियों के अलावा अधिकारियों की समिति ने पाया कि 40 अन्य संपत्तियां जो थी तो वक्फ संपत्ति, परंतु सरकारी सम्पत्ति जैसे कि सार्वजनिक पार्कों वगैरह में स्थित थीं। यह निर्णय लिया गया कि उन संपत्तियों के मामले में मालिकाना हक तो सरकार के पास ही रहेगा, पर दिल्ली वक्फ बोर्ड उन्हें वक्फ सम्पत्ति की तरह इस्तेमाल कर सकेगा।

उपर लिखे निर्देशों के बावजूद एक कानूनी आवेदन की वजह से दिल्ली उच्च न्यायालय ने पहली जून 1984 को यह आदेश दिया कि सम्पत्ति की देखभाल और मालिकाना हक सरकार के पास ही रहना चाहिए। संयुक्त भारत में वक्फ संपत्तियों की जांच के बाद ही और उन तक जाकर उनको देखने के बाद ही यह निर्णय लिया गया था कि दिल्ली वक्फ बोर्ड को सिर्फ उन्ही सम्पत्तियों का हस्तांतरण किया जाय जो,

दिल्ली वक्फ बोर्ड प्रभावशाली रूप से अपनी कीमती संपत्तियों के इस्तेमाल से वंचित किया गया है।

- i स्पष्ट-रूप से वक्फ के उद्देश्य की जांच हो।
- ii सार्वजनिक गतिविधियों के लिए उनकी जरूरत न हो
- iii और आसपास के सार्वजनिक भवनों से उन्हें स्पष्ट रूप से अलग किया जा सके।
- iv दिल्ली वक्फ बोर्ड को वक्फ संपत्तियां इसलिए हस्तांतरित की गई हैं कि उनका संचालन सही तरीके से और सार्वजनिक हितों के लिए हो पाए।
- v गजट में जो वक्फ सम्पत्ति सूचीबद्ध थी, पर अस्तित्व में नहीं थी, उन पर ध्यान नहीं दिया गया।

इस हिसाब से सरकारी विभाग और दिल्ली वक्फ बोर्ड के बीच सारे विवाद खत्म हो गए हैं और दोनो ही पक्षों से लंबित मामलों को न्यायालयों से वापस लिया जाना है। परन्तु 6 जून 1984 के

11 मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र, प्रदेश वक्फ बोर्ड का पत्र संख्या MSBW/REG/ 668/2006 जिसमें समिति का ध्यान वक्फ की तरफ खींचा गया है।

12 समिति के नाम मेघालय वक्फ बोर्ड का दिनांक 8 अगस्त 2005 का पत्र संख्या MSB /PMO/2005-06/1029



अंतरिम रोक के बाद इस संबंध में आगे कोई कार्यवाई नहीं की गई। यह दुःखद बात है कि 22 सालों के बाद भी और मामलों को 112 बार सूचीबद्ध होने के बाद भी नहीं सुना गया, क्योंकि सरकार की तरफ से उत्साह की कमी रही। बाकी के इन 22 सालों में वक्फ संपत्ति पर काफी हद तक अधिग्रहण कर लिया गया जो अभी तक चल ही रहा है। आगे हम देखेंगे कि दिल्ली वक्फ बोर्ड प्रभावी रूप से अपनी कीमती संपत्ति का इस्तेमाल करने से वंचित रह जाएगा। अपनी संपत्ति से वो इतने संसाधन पैदा नहीं कर सका कि वक्फ की सामाजिक जिम्मेदारियों को पूरा कर सके और वर्तमान में बुरी हालत में है।

2003 में आवेदनकर्ताओं ने इन 123 सम्पत्तियों की बाजार में कीमत लगभग 3000 करोड़ रुपये आंकी थी। तब से अब तक दिल्ली में संपत्ति की कीमत दुगुनी हो गई। इसलिए हम कह सकते हैं कि अब ये संपत्तियां 6000 करोड़ रुपये की होंगी। लंबित कानूनी मामलों के कारण इनसे अधिक फायदा नहीं उठाया जा सका। अगर इनकी व्यावसायिक संभावनाओं को ठीक से उपयोग में लाया जाय कि तो इससे इतने संसाधन प्राप्त हो सकेंगे कि दिल्ली के मुस्लिम समुदाय की कई जरूरतों को पूरा किया जा सके। भारत सरकार अपने न्यायाधिकारियों को ये निर्देश दे सकती है कि इस मामले में सक्रियता दिखाएं और लम्बे समय से अटके हुए न्यायिक मामलों को जल्दी से जल्दी निबटाएं। इसके लिए कानूनी सहायता का नवीनीकरण करना होगा और इस मामले को अंतिम रूप देने के लिए गंभीरता से लेना होगा।

4 बाधाओं को पार करना, कुछ संस्तुतियां

4.1 संस्थागत सुधार-

यह अध्याय वक्फ के सामाजिक धार्मिक संस्थान के रूप में महत्व पर प्रकाश डालता है। ये आजकल के 'गैर सरकारी संस्थाओं' की तरह ही हैं, जो कल्याणकारी गतिविधियों में संलग्न हैं। परन्तु वर्तमान में वक्फ सम्पत्तियों का संचालन बहुत ही बुरी हालत में है क्योंकि उनमें कानूनी दाव-पेंच बहुत ज्यादा हैं और संचालन का तरीका भी ठीक नहीं है। कई बार महत्वपूर्ण वक्फ मामलों में इसलिए हार का सामना करना पड़ता है क्योंकि वित्तीय और प्रशासनीय संसाधनों का अभाव होता है। इससे काफी कीमती सम्पत्तियां भी हाथ से निकल जाती है। इसलिए जरूरी वित्तीय और कानूनी सहायता देकर प्राथमिक रूप से वक्फ बोर्डों को सशक्त बनाना बहुत ही जरूरी है। भारत भर में तकरीबन पांच लाख वक्फ समिति के संचालन को सुधारने के लिए वक्फ की काफी अधिक वैधानिक, प्रशासनिक और न्यायिक महत्व दिए जाने की जरूरत है। अन्य कार्यबोझ के चलते केन्द्र और राज्य सरकार दोनों ही स्थिति को जस की तस बनाए रखने की कोशिश करते हैं और ये नहीं समझते कि वक्फ से काफी पैसा बनाए जाने की संभावना है, जिससे कि गरीब और जरूरतमंद लोगों के कल्याण के लिए कार्य किए जा सकते हैं। जैसा कि इस अध्याय में बताया गया है उचित वैधानिक और कानूनी सशक्तिकरण से वक्फ समिति के संचालन को नई ऊर्जा मिल जाएगी जिससे ना सिर्फ उन्हें वित्तीय रूप से समर्थ बनाया जा सकेगा, बल्कि फायदेमंद भी बनाया जा सकेगा। नीचे भारत भर के वक्फों के क्रिया-कलापों और संचालन को सुधारने के लिए कुछ संस्तुतियां की गई हैं।

यह जरूरी लगता है कि राज्य और राष्ट्रीय स्तर दोनों पर ही वक्फ संपत्तियों के विकास के लिए एक तकनीकी सहायक निकाय उपलब्ध कराया जाय। इस निकाय में प्रादेशिक वक्फ बोर्ड, स्कूल ऑफ प्लानिंग एण्ड आर्किटेक्चर राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आदि से अपने-अपने क्षेत्र में दक्ष लोगों और अन्य विभागों जैसे कि समाजविद अर्थशास्त्री, वित्तीय और कानूनी दक्षता प्राप्त प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाय। संबंधित सरकारी विभाग के एक प्रतिनिधि को भी इस निकाय का हिस्सा होना चाहिए। कोई भी वक्फ संपत्ति जिनके अविकसित रूप की बाजार में वर्तमान कीमत एक करोड़ रुपए या उससे अधिक आंकी गई हो या शहरी इलाके में जिसका क्षेत्रफल एक बीघा से ज्यादा हो और भारत के ग्रामीण इलाकों में दो एकड़ से ज्यादा हो, को तकनीकी सहायक निकाय के मशवरे से चलाना चाहिए। सभी वक्फ संपत्तियों की प्रादेशिक

भारत में पांच लाख से अधिक वक्फ संपत्तियों को की हालत में सुधार के लिए उच्च स्तरीय वैधानिक, प्रशासनिक और न्यायिक प्राथमिकता की जरूरत है।

यह बहुत जरूरी है कि केंद्रीय वक्फ परिषद और प्रत्येक प्रादेशिक वक्फ बोर्ड में कम से कम दो महिलाएं हों। इससे ना सिर्फ लैंगिक समानता बढ़ेगी, बल्कि महिलाओं और बच्चों के लिए कल्याणकारी कदमों तक सीधी पहुंच भी बढ़ेगी।



प्रादेशिक वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्यों को उस राज्य के महत्वपूर्ण व्यक्तियों की सूची में से चुना जा सकता है।

सरकार को संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा अधिकारियों की एक नई श्रेणी को नियुक्त करना चाहिए जिससे कि वे वक्फ के काम काज को दक्षता से चला सकें। पर ऐसे अधिकारियों को इस्लामी कानून और उर्दू का ज्ञान होना चाहिए।

या केन्द्रीय तकनीकी सहायक निकाय की सहमति से ही विकसित किया जाना चाहिए, उस पर कर्ज उठाना चाहिए या उसे प्रतिबंधित करना चाहिए।

महिला प्रतिनिधित्व, यह बहुत जरूरी है कि केन्द्रीय वक्फ परिषद और प्रत्येक प्रादेशिक वक्फ बोर्ड में कम से कम दो महिलाएं हों। इससे ना सिर्फ लैंगिक समानता बढ़ेगी, बल्कि महिलाओं और बच्चों के लिए कल्याणकारी कदमों तक सीधी पहुंच भी बढ़ेगी।

केन्द्रीय वक्फ परिषद की बनावट

एक संघीय मंत्री केन्द्रीय वक्फ परिषद के पूर्व अध्यक्ष की कुर्सी पर कब्जा जमाए हुए हैं, उसकी व्यस्तताओं के चलते कई बार परिषद महत्वपूर्ण मसलों पर भी समय से तैयारी नहीं कर पाता और कार्यवाही नहीं कर पाता। इसलिए ये सुझाव दिया जाता है कि महत्वपूर्ण व्यक्तियों जैसे कि रिटायर्ड उच्च न्यायालय के जजों, केन्द्रीय विश्वविद्यालय के कुलपतियों और उपकुलपतियों और प्रादेशिक वक्फ बोर्डों के पूर्व मुखियाओं में से एक पूर्णकालिक अध्यक्ष नियुक्त किया जाय। ये अध्यक्ष 3 साल की अवधि तक पद पर बना रह सकता है। केन्द्रीय वक्फ परिषद के दूसरे सदस्यों को विभिन्न कार्य क्षेत्रों के महत्वपूर्ण पदों पर विराजमान मुस्लिमों की सूची से नामांकित किया जा सकता है। जैसे कि वास्तुविद, चिकित्सक, वकील, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट में से नामांकित किया जा सकता है। वर्तमान में संसदीय और विधानसभा के सदस्यों के प्रतिनिधित्व को जोड़कर देखा जा सकता है और हर प्रादेशिक बोर्ड में उनकी कुल संख्या 4 से घटा कर 2 की जा सकती है। केन्द्रीय वक्फ परिषद का सचिव एक ऐसा उच्चपदीय अधिकारी होना चाहिए जो भारत सरकार में कम से कम सहायक सचिव स्तर के पद पर काम कर चुका हो जिससे कि सरकारी विभागों के साथ प्रभावी और सार्थक बात-चीत हो सके। प्रभाव जमाने के लिए इस अधिकारी को वक्फ के मामलात की और मुस्लिम धार्मिक पुस्तकों की अच्छी जानकारी होनी चाहिए और उर्दू में भी महारत हासिल होनी चाहिए।

प्रादेशिक वक्फ बोर्ड

प्रादेशिक वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्यों को उस राज्य के महत्वपूर्ण व्यक्तियों की सूची में से चुना जा सकता है। उदाहरण के लिए रिटायर्ड उच्च न्यायालय के जज, पूर्व उप कुलपति और जिन्होंने नामी मुस्लिम शैक्षणिक संस्थान स्थापित किए हैं, उन्हें वक्फ बोर्ड में नियुक्त किया जाना चाहिए। वक्फ बोर्ड के दूसरे सदस्यों के साथ अलग-अलग व्यवसायों से जुड़े, मुस्लिम लोगों वास्तुविद, चिकित्सक, वकील, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट और विद्वानों आदि की सूची से नामांकित किया जाना चाहिए। संसदीय और विधान सभा सदस्यों के प्रतिनिधित्व को फिलहाल जोड़ कर रखा जा सकता है और हर वक्फ बोर्ड में उनकी कुल संख्या चार से घटा कर दो की जा सकती है। कानून, राज्य सरकार द्वारा किसी व्यक्ति को बोर्ड का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किए जाने के लिए किसी योग्यता का उल्लेख नहीं करता। ऐसा पाया गया है कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी राज्य सरकार के उच्च पद पर आसीन नहीं होते या वक्फ के हितों का ध्यान नहीं रखते। इसलिए जरूरी है कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी पूर्णकालिक हो और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों में गिना जाता हो। आदर्श रूप से सम्पूर्ण भारत या केन्द्रीय सेवाओं से संबंधित प्रथम श्रेणी के अधिकारी को ही, जिसे संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा नियुक्त किया गया हो, मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाया जाना चाहिए।

वक्फ के लिए समूह ओ के अधिकारी

इस बात का जोरदार सुझाव दिया जाता है कि प्रादेशिक वक्फ बोर्डों और केन्द्रीय वक्फ परिषद के काम काज को चलाने के लिए अधिकारियों की जरूरत है, जिससे वक्फ के काम काज ठीक से किए जा सकें। इसके लिए सरकार को संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा अधिकारियों की एक नई श्रेणी को नियुक्त करना चाहिए जिससे कि वे वक्फ के काम काज को दक्षता से चला सकें। पर ऐसे



अधिकारियों को इस्लामी कानून और उर्दू का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि वक्फ से सम्बन्धित अधिकतर कागजात इसी भाषा में होते हैं। इस श्रेणी के कुछ अधिकारियों को केन्द्रीय वक्फ समिति की सहमति से केन्द्रीय और राज्य हज समितियों को प्रशासनिक सहायता देने के लिए कहा जा सकता है।

लेखा प्रबन्धन, यह सुझाव दिया जाता है कि सभी वक्फों को वित्तीय जांच की योजना के अंतर्गत लाना जरूरी होना चाहिए।

राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक वक्फ विकास निगम;

केन्द्र सरकार के अंतर्गत एक राष्ट्रीय वक्फ विकास निगम बनाया जा सकता है जिसको पांच सौ करोड़ रुपए की राशि हर साल दी जाय। समुदाय और गैर सरकारी संस्थानों से भी इतनी ही राशि पाने की कोशिश की जानी चाहिए। इस निगम का मुख्य प्रबंधक व निदेशक मुस्लिम धार्मिक क्रियाओं का अच्छा जानकार होना चाहिए और उर्दू में दक्ष होना चाहिए। निगम वक्फ के संसाधनों को बढ़ाने के लिए और वक्फ की संपत्ति के विकास के लिए वित्तीय व तकनीकी सहायता देता रह सकता है। सभी राज्यों में ऐसे निगम स्थापित किए जाने चाहिए।

अजमेर दरगाह कानून को संशोधित करने की जरूरत

वक्फ कानून 1954 को 1995 में संशोधित किया गया था। इस रिपोर्ट में कुछ और संशोधन के सुझाव दिए गए हैं। परन्तु दरगाह, ख्वाजा साहेब अजमेर कानून 1955 को कभी संशोधित नहीं किया गया, जबकि बाकी के भारत में और वक्फों की तरह वहां भी वैसी ही समस्याएं हैं। इसलिए दरगाह ख्वाजा साहेब अजमेर कानून को भी विस्तृत रूप से बदला जाना चाहिए।

4.2 कानूनी और प्राशासनिक सुधार:-

परिहार करने योग्य न्यायिक कमजारियों को दूर करना:-

वक्फ कानून भाग-6 (उपभाग (1) का संशोधन, उच्चतम न्यायालय ने मुस्लिम वक्फ बोर्ड, राजस्थान और राधाकृष्णन एवं अन्य के मामले में कहा था कि जहां कोई भी गैर मुस्लिम ऐसी संपत्ति का मालिक हो, जिसे वक्फ की सूची में शामिल कर लिया गया है तो सिर्फ इस कारण उसका अधिकार, मालिकाना हक और उससे लाभन्वित होने का अधिकार खत्म नहीं हो जाता। ऐसे किसी व्यक्ति को वक्फ कानून के मुताबिक अपने मालिकाना हक को घोषित करने के लिए एक साल के भीतर के दायर करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि भाग (6) के उपभाग (1) में जो विशेष सीमा का नियम बनाया गया है वो गैर मुस्लिमों पर लागू नहीं होता। ऐसी व्याख्या किया जाना वक्फ के हितों के लिए हानिकार हो सकता है और अवैध अधिग्रहण को बढ़ावा दे सकता है। इसलिए भाग 6 को संशोधित किए जाने की जरूरत है जिससे कि कोई भी संशय बाकी न रहे। इस संशोधन को उस तारीख से लागू करना पड़ेगा जब से सम्पत्ति को वक्फ मान लिया गया। वक्फ कानून 1995 के भाग 6 (1) में इस वाक्य के बाद कि “या कोई भी व्यक्ति जिसका हित इसे जुड़ा हो” के बाद निम्नलिखित शब्द भी जोड़े जाने चाहिए-चाहे उसका धर्म कोई भी हो।

लीज की अवधि को बढ़ाना

जहां कहीं वक्फ की सम्पत्ति पंजीकृत कल्याणकारी संस्थाओं या दूसरों द्वारा शैक्षणिक या स्वास्थ्य सेवा संस्थानों को स्थापित करने के लिए या चलाने के लिए या वक्फ में उल्लिखित अन्य सामाजिक और आर्थिक विकास के उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल की जा रही है और इस्लामी कानून के तहत उसे ऐसा करने की अनुमति हो, वहां पर वक्फ सम्पत्तियों को लीज की अधिकतम अवधि को 3 साल से बढ़ाकर 30 साल कर देना चाहिए।

केन्द्र सरकार के अंतर्गत एक राष्ट्रीय वक्फ विकास निगम बनाया जा सकता है जिसको पांच सौ करोड़ रुपए की राशि हर साल दी जाय।



जहां कहीं वक्फ की सम्पति पंजीकृत कल्याणकारी संस्थाओं या दूसरों द्वारा शैक्षणिक या स्वास्थ्य सेवा संस्थानों को स्थापित करने के लिए या चलाने के लिए या वक्फ में उल्लिखित अन्य सामाजिक और आर्थिक विकास के उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल की जा रही है और इस्लामी कानून के तहत उसे ऐसा करने की अनुमति हो, वहां पर वक्फ सम्पतियों को लीज की अधिकतम अवधि को 3 साल से बढ़ाकर 30 साल कर देना चाहिए।

वक्फ संपत्तियों को किराया नियंत्रण कानून से छुटकारा दिलाने के लिए कानून में संशोधन करने की सख्त जरूरत है।

‘कब्जा करने वाला’ की परिभाषा

भाग 3 में ‘कब्जा करने वाले’ की परिभाषा शामिल किए जाने की जरूरत है। ‘कब्जा करने वाले की’ परिभाषा यह होनी चाहिए कि “कोई भी व्यक्ति जो बिना कानूनी अधिकार के अवधि और लाइसेंस की अवधि पूरी होने के बाद भी वहां पर रह रहा है या फिर बोर्ड द्वारा उनको खत्म किए जाने के बाद भी वहां रह रहा है या वक्फ बोर्ड की पहले से ली गई लिखित अनुमति के बिना उससे किराए पर दी गई या कब्जा की गई सम्पति में बदलाव करता है। “इस परिभाषा के शामिल होने से वक्फ बोर्डों पर से अधिग्रहण हटाने में मदद मिलेगी। दूसरे वक्फ परिसर में काबिज व्यक्ति को “ इच्छुक व्यक्ति” की परिभाषा में शामिल किया जाना चाहिए। तीसरे “ वक्फ परिसर की परिभाषा का मतलब है कि “ कोई भी मस्जिद, कब्रगाह, मजार, ताकिया, ईदगाह, ईमामबाड़ा, दरगाह, खानकाह, मकबरा, अंजुमन और उनसे जुड़ी या उनके अंतर्गत आने वाली जमीन, उनकी देखभाल करने के लिए समर्पित की गई संपत्ति, उनकी आय से खरीदी गई संपत्ति, जमीन, बगीचा, कुआ, बाबड़ी, स्कूल, अस्पताल और वक्फ परिसर में जाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले रास्ते। “ इस परिभाषा से भाग 54 के अंतर्गत वक्फ सम्पति पर अनाधिकृत रूप से कब्जा जमाए लोगों को हटाने में मदद मिलेगी।

किराया नियंत्रण कानून

कई बार किराया नियंत्रण कानून किरायेदारों को इस तरह से सुरक्षा प्रदान करता है कि मालिक को संपत्तियों को विकसित करने और उनकी देखभाल करने के लिए कोई लाभ नहीं मिल पाता। अधिकतर राज्यों में वक्फ संपत्ति किराया नियंत्रण कानून के अंतर्गत आती है। इसलिए वक्फ पर इस कानून को लागू करना उसके कल्याणकारी उद्देश्यों को हानि पहुंचाना है और उसके लाभान्वितों से उनके हक को छीनता है। इसलिए वक्फ कानून के तहत वक्फ संपत्तियों को किराया नियंत्रण कानून से छूट दिलाने के लिए संशोधन की सख्त जरूरत है। इसके लिए वक्फ कानून में एक नया प्रावधान जोड़ जा सकता है।

गलत तरह से कब्जा की गई संपत्ति (विस्तार) की वापसी की समय सीमा

बढ़ना: सार्वजनिक वक्फ (विस्तार)सीमा कानून, 1959 सार्वजनिक वक्फ की संपत्ति को वापस हासिल करने के लिए मामला दायर कर के पाने का रास्ता खोल देता है। इस कानून के तहत, अवैध कब्जे वक्फ संपत्ति को वापस हासिल करने के लिए मामला दर्ज कराने की अवधि 31 दिसम्बर 1970 तक बढ़ा दी गई थी। विभिन्न राज्यों में यह समय कुछ और बढ़ाया जा सकता है, ये निम्नलिखित हैं:

बिहार एवं संघीय राज्य दिल्ली	31 दिसंबर 1985	तक
हरियाणा	31 दिसंबर 1975	तक
मध्य प्रदेश	31 दिसंबर 1983	तक
हिमाचल प्रदेश	31 दिसंबर 1978	तक
उड़ीसा	31 दिसंबर 1981	तक
राजस्थान	31 दिसंबर 1980	तक
पश्चिम बंगाल	31 दिसंबर 1976	तक

परंतु 1976 से अधिकतर प्रादेशिक वक्फ बोर्ड ठीक तरह से गठित नहीं हुए थे या उनके पास इतने साधन नहीं थे कि सीमा की अवधि को बढ़ाने का लाभ उठा पाएं या इसका आयोग कर पाएं। सार्वजनिक कार्यों के प्रशासन और निर्देशन की जिम्मेदारी सरकार की हो। कई बार काफी लम्बी अवधि के लिए वक्फ प्रशासन का अस्तित्व ही नहीं रहा। नतीजतन बड़ी संख्या में वक्फ संपत्तियों पर गैरकानूनी रूप से कब्जा की गई हैं और उन्हें वापस पाने के लिए दर्ज किए गए मामले समय की



सीमा में कैद होकर रह गए हैं। इसलिए सीमा की अवधि पहले से बढ़ा देनी चाहिए, नहीं तो काफी कीमती संपत्तियां अजनबियों द्वारा अनधिकृत रूप से कब्जा की जाएगी या इस्तेमाल कर ली जाएगी। यह प्रादेशिक वक्फ मशीनरी की सामूहिक असफलता दर्शाता है। सरकार की निष्क्रियता या अपर्याप्त कार्यवाई को वक्फ संपत्तियों को गलत तरीके से हानि पहुंचाने का या उनकी उपेक्षा का दोषी माना जाएगा। सरकार और/ या सरकारी निकायों द्वारा वक्फ सम्पत्तियों की देखभाल करना/ संचालन करना, विकसित करना और / प्रशासन करने की ऐसी असफलता से मुस्लिम समुदाय में अशांति फैल गई है।

प्राचीन ईमारतें और पुरातत्व स्थल और अवशेष कानून, 1998

यह कानून वक्फ कानून के उद्देश्यों से विरोधाभास रखता है। कई बार इस कानून का महत्व ज्यादा माना जाता है। ऐसे असंख्य मामले हैं जहां वक्फ की संपत्ति को पूजा स्थल या धार्मिक महत्व का होने के बावजूद वक्फ बोर्ड द्वारा इसलिए नहीं हासिल किया जा सकता क्योंकि उसे सुरक्षित इमारत का दर्जा दे दिया गया है।

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अंतर्गत आने वाली बड़ी संख्या में वक्फ संपत्ति की वर्तमान स्थिति को देखते हुए यह उचित होगा कि उनकी सूचियों की सालाना रूप से समीक्षा की जाय और भारतीय पुरातत्व विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों और केन्द्रीय वक्फ परिषद के प्रतिनिधियों की संयुक्त सभा में उनकी परिस्थितियों का आंकलन किया जाय। उसमें जो कुछ भी तय किया जाय उस पर दोनों ही पक्ष हस्ताक्षर करें और दोनों ही उसकी प्रतिलिपि को संभाल कर रखें और साथ ही संबंधित मंत्रालयों में भी उनकी प्रतिलिपि रखी जाय। ऐसी संपत्तियों की संकेतक सूची जो भौतिक रूप से तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अंतर्गत आती हैं, पर वक्फ संपत्तियों की तरह सूचीबद्ध की गई है परिशिष्ट 11.1 में देखी जा सकती है।

ठेका कानून:- 1981 में पश्चिम बंगाल विधानसभा में ठीका और अन्य पट्टेदारी और भूमि कानून लागू किया, जिसे 2001 में संशोधन के बाद ठेका कानून की तरह जाना जाता है। इस कानून के तहत राज्य भर में बड़ी संख्या में संपत्तियों के किराएदार उनके मालिक बन गए, जहां कानून सरकारी और निगम की संपत्तियों को ठेका कानून से छूट देती है, वक्फ संपत्तियों को यही लाभ नहीं मिल पाया है। नतीजतन वक्फ बोर्ड बड़ी संख्या में संपत्तियों को खो बैठा और साथ ही उनसे होने वाली आमदनी भी। वक्फ बोर्ड और गैर सरकारी संस्थान प्रयास कर रहे हैं कि ठेका कानून से वक्फ की जमीन को भी छूट मिल जायेगी

पश्चिम बंगाल सरकार को यह सलाह दे दी जाती है कि वो ये छूट दे दी।

समिति का यह निश्चित विचार है कि कानून का इस्तेमाल वक्फ संपत्तियों पर कब्जा करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए और यह अनुशंसा करती है कि सरकार को स्थाई आधार पर उचित कार्यवाई करनी चाहिए।

वक्फ के नियम:- वक्फ कानून 1995 लागू होने के बाद भी 11 साल बीत जाने पर भी बड़ी संख्या में राज्यों ने वक्फ नियम नहीं बनाया। यह एक मुख्य कारण है कि वक्फ कानून के प्रावधानों को लागू नहीं किया गया है। भ्रष्टाचार चल रहा है और कोई भी इसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं हैं। प्रादेशिक वक्फ बोर्डों के विभागीय सदस्यों के लए नियमित रूप से प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चलाए जाने चाहिए जिससे कि वे पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित रहें। यह काम केन्द्रीय वक्फ परिषद के निर्देशन में होना चाहिए।

4.3 कानूनी प्रावधानों को लागू करना:-

वक्फ कानून 1995 में किए गए संशोधन:-

13. उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश और आंध्रप्रदेश में वक्फों को किराया नियंत्रण कानून के दायरे से बाहर कर दिया गया है।

समिति का यह विचार है कि इस कानून को वक्फ संपत्तियों को कब्जा करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए और अनुशंसा करती है कि हमेशा के लिए सरकार को कोई उचित कदम उठाने चाहिए।

सरकार और संबंधित निकाय वक्फ के हितों की रक्षा में विफल रहे हैं, जिससे मुस्लिम समुदाय में असंतोष है।



वक्फ ट्रिब्यूनल में पूर्णकालिक अधिकारी नियुक्त किए जाने चाहिए जो सिर्फ वक्फ के उद्देश्यों पर ध्यान दे सकें।

सार्वजनिक परिसर कानून 1071 को लागू कर वक्फ संपत्तियों का अतिक्रमण हटाया जाना चाहिए और बाजार दर से किराए की बकाया राशि को बकाया भूमि कर की तरह वसूला जाना चाहिए।

समिति सुझाव देती है कि निम्नलिखित मुद्दों को वक्फ कानून 1995 के तहत इस तरह से निपटाया जाना चाहिए कि प्रादेशिक वक्फ बोर्ड प्रभावी बन सकें और वक्फ संपत्तियों पर अतिक्रमण को हटाने के लिए पर्याप्त रूप से सशक्त बन सकें। इसके अलावा यह भी देखा गया कि वक्फ कानून के तहत आने वाले वक्फ प्राधिकरण इतने प्रभावी नहीं हैं जितना उनके बारे में सोचा जा रहा था। (भाग 83 और 84) प्रादेशिक, न्यायिक सेवा के सदस्य जो वक्फ अधिकरणों की अध्यक्षता करते हैं, आम रूप से दो या उनसे अधिक कार्यभार संभालते हैं जैसे किजिला शेपन या सिविल जज, इनके निष्प्रभावी होने का प्रमुख कारण है। नतीजतन वक्फ के मामलों को देखने के लिए उनके पास समय की कमी है और कभी कभी तो वो प्राधिकरणों में एक महीने में सिर्फ कुछ ही दिन के लिए बैठते हैं। यह सभी जानते हैं कि अतिक्रमण की हुई संपत्तियां/ या जिन पर अनाधिकृत रूप से निर्माण कर दिया गया है, गैर कानूनी रूप से कब्जा कर लिया गया है। जिनका गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया है, इनके निपटाने में देरी करने से अपनी अलग ही समस्याएं पैदा हो जाती हैं। इसके अलावा वक्फ बोर्ड इस संपत्ति का लाभ उठाने और सही तरीके से इस्तेमाल करने से वंचित रह जाते हैं। इसलिए वक्फ कानून के भाग 83 (4) को संशोधित करके यह लिख दिया जाना चाहिए कि वक्फ प्राधिकरण में पूर्ण-कालिक अध्यक्षता के लिए अधिकारी नियुक्त किए जाएं जो सिर्फ वक्फ के मसलों को ही हल करें। वक्फ प्राधिकरण को यह भी अधिकार होगा कि वो अंतरिम सहायता दे सकें और हानि आदि की भरपाई कर सकें।

इस्लाम में बतलाए गए रास्ते के अनुसार वक्फ का मालिकाना हक सिर्फ अल्लाह के पास ही होता है। मुत्तावली सिर्फ सम्पत्तियों के प्रबन्धक होते हैं और उनका इस्तेमाल सिर्फ गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए किया जा सकता है। इन नियमों को वक्फ कानून को ठीक तरह से लागू करने के लिए जो अन्य कानून बनाये गए हैं उन्हें ठीक तरीके से प्रतिबिम्बित नहीं किया गया है। वक्फ को दो तरह से लाभ मिलने चाहिए, पहले तो वक्फ के कार्यकलापों को आसान बनाने के लिए जो विभिन्न कानून बनाए गए हैं, उनमें से कुछ चीजों को संशोधित करने की जरूरत है और दूसरे वक्फ बोर्डों के सशक्तिकरण के लिए कुछ अन्य ऐसे कानून बनाए जाएं जो उनकी कानूनी रूप से सहायता कर सकें। उपर बताए गए दोनों प्रकारों के लिए राज्य स्तर के उदाहरण नीचे दिए जा रहे हैं।

1. सार्वजनिक परिसर कानून (अनाधिकृत रूप से काबिज लोगों को निकालना) :-
गजट में सूचीबद्ध सभी वक्फों को सार्वजनिक परिसर समझा जाना चाहिए। वक्फ जनता के बड़े हिस्से के लिए बनाए जाते हैं। वक्फ की कुछ गतिविधियां जैसे स्कूल और अनाथाश्रम चलाना, जरूरतमंदों को मासिक वित्तीय सहायता देना आदि, सिर्फ मानवतावादी और धर्म निरपेक्षता होता है। ऐसी संपत्तियों पर किसी भी अतिक्रमण को सरकारी जमीन पर अतिक्रमण की तरह समझा जाना चाहिए। सार्वजनिक परिसर कानून, 1971 को वक्फ संपत्तियों से अतिक्रमण हटाने के लिए लागू करना चाहिए और बाजार की कीमत पर किराए लागू करना चाहिए और किराए को उसी तरह वसूला जाना चाहिए जैसे भूमि कर वसूला जाता है।

अन्य कानूनी संरचनाएं जो वक्फ को सरल बनाती हैं:-

जैसा कि इस अध्याय के शुरुआत में बताया गया है वक्फ सम्पत्तियां निजी सम्पत्तियों से काफी अलग हैं। वक्फ संपत्तियों का मालिकाना हक अल्लाह के हाथ में है, जिसे ऐसे समझा जा सकता है कि एक कृत्रिम उच्चपदीय व्यक्ति के रूप में समझा जा सकता है। इनका इस्तेमाल सिर्फ गरीब जरूरतमंद और बेसहारा लोगों के लिए ही किया जा सकता है। फिर भी प्रादेशिक और केन्द्रीय प्रशासन आमतौर पर इस अंतर पर कोई ध्यान नहीं देता। जहां वक्फ संपत्तियों को कुछ कानूनों से छूट देकर उनके मानववादी उद्देश्यों को पूरा करने में उनकी मदद करेगी। निम्नलिखित कानूनों में छोटे-मोटे संशोधन करने से उन्हें इस तरह से सशक्त बना दिया जाय कि उनके आम सार्वजनिक उद्देश्य को

14. ऐसी संपत्तियां जिन्हें पहले से ही वक्फ संपत्ति घोषित किया जा चुका है, पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अंतर्गत और कब्जे में आती हैं, उनके बारे में कहा गया है। यहां ऐतिहासिक इमारतों से संबंधित संपत्तियों की बात नहीं की जा रही है, जिनमें ताजमहल कुतुबमीनार और हुमायुं का मकबरा आदि आते हैं।



हानि पहुंचाए बिना वक्फ के क्रियाकलापों में उनकी मदद की जा सके। सरकार वक्फ बोर्डों से सलाह लेकर और सार्वजनिक मंतव्यों को जानने के बाद जरूरी कार्यवाही कर सकती है।

निम्नलिखित कानूनों में संशोधन की जरूरत है,

1. किराया नियंत्रण कानून, भूमि सुधार अधिनियम

कृषिभूमि सीलिंग अधिनियम,

शहरी जमीन सीलिंग अधिनियम

सम्पत्तियों का पंजीकरण अधिनियम

किरायेदार सम्बन्धी अधिनियम

स्टाम्प ड्यूटी अधिनियम

कोर्ट फी अधिनियम

आयकर अधिनियम

निजी जमीन का अधिकार एवं समर्पण अधिनियम

ये अध्याय वक्फ सम्पत्तियों का निजी व्यक्तियों और संस्थानों द्वारा अवैध इस्तेमाल किए जाने आने फायदे के लिए उपयोग में लाने की बात करता है। ऐसी स्थितियों के पीछे कई संस्थागत, प्रबंधन सम्बन्धी और कानूनी कमियां हैं। उपर दी गई जानकारी सुधारात्मक कार्यवाही की शुरुआत के लिए पर्याप्त होना चाहिए। सरकार और कानूनी व्यवस्था को इस तरह के प्रयास करने चाहिए कि वक्फ पर्याप्त स्तर पर कल्याणकारी गतिविधियों को पूरा कर सकें। अपनी संपत्ति में कुछ हद तक सहायक होगा और इसका बड़े पैमाने पर असर होगा। यह मुस्लिम समुदाय का आत्मनिर्भर होने के लिए भी एक महत्वपूर्ण कदम होगा। यह भी संभव हो जाएगा कि वक्फ की सम्पत्ति का इस्तेमाल विश्वस्तरीय सुविधाओं को पाने के लिए किया जा सके, जैसे कि विश्वविद्यालय और कॉलेज, अस्पताल और स्वास्थ्य केंद्र और सभागार इन संपत्तियों का इस्तेमाल वृद्धाश्रम, पॉलीटेक्नीक और कोचिंग सेंटर की तरह भी किया जा सकता है।

वक्फ संपत्तियों को कुछ कानूनों से छूट दी जानी चाहिए क्योंकि इसवसे काफी मानवतावादी मकसद पूरे हो सकेंगे।



भारत में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति



भविष्य पर एक नजर: दृष्टिकोण और संस्तुतियां

1. परिदृश्य :

यह रिपोर्ट इस बात की तह तक जाती है कि क्या भारत की विभिन्न सामाजिक धार्मिक श्रेणियों, भारत के मुस्लिमों को केंद्र में रखते हुए को विकास के लाभ उठाने का बराबर अवसर मिल पाया है। शुरू से ही यह बात विदित थी कि अल्पसंख्यकों को पहचान, सुरक्षा और समानता जैसे मुद्दों से जूझना होगा, यह भी समझा गया कि यह तीनों प्रकार के मुद्दे आपस में जुड़े हुए हैं, पर चूंकि इस समिति के निर्देश मुख्य रूप से समानता पर जोर देते हैं, यह रिपोर्ट, मुस्लिमों के अन्य सामाजिक-धार्मिक श्रेणियों की तुलना में विभिन्न विकास के आयामों के अनुसार वंचित रह जाने के बारे में मुख्य रूप से बताती है। यहां शुक्राती अध्याय में उन मुद्दों जो सभी गरीब लोगों में समान हैं और उन मुद्दों जो सिर्फ अल्पसंख्यकों, विशेषकर मुस्लिमों से जुड़े हैं, में जो अंतर बताया गया है उसे दुबारा याद कर लेना भी फायदेमंद साबित हो सकता है।

हमारा विश्लेषण दिखाता है कि जहां अलग-अलग प्रदेशों में मुस्लिमों की 'और उन मुस्लिमों की जो अपने आप को पिछड़ा वर्ग और अन्य वर्गों का हिस्सा बताते हैं' स्थितियों में काफी अंतर है, यह समाज विकास के लगभग सभी आयामों में कमी और वंचित रह जाना दर्शाता है। सत्य तो यह है कि ज्यादातर मुस्लिम अनुसूचित जाति / जनजाति से तो थोड़े उपर हैं, पर हिंदुओं के अन्य पिछड़े वर्ग, दूसरे अल्पसंख्यक और हिंदू-सामान्य मुस्लिम आबादी वाले प्रदेशों में, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और असम में स्थिति कुछ ज्यादा ही गंभीर है। मजे की बात यह है कि इन कमियों के बावजूद, इस समाज में नवजात शिशु मृत्युदर और लिंगानुपात कम है। 'विकास में कमी' के साथ-साथ, मुस्लिमों में यह धारणा कि उनके साथ भेद-भाव किया जाता है और उन्हें पृथक रखा जाता है, आम है जिससे समस्या और ज्यादा बढ़ जाती है।

कमेटी पुरजोर सुझाव देती है कि देश के मुस्लिमों में तुलनात्मक रूप से वंचित रह जाने को सुलझाने के लिए जो नीतियां अपनाई जाएं वो उनके संयुक्त विकास और उनकी विशिष्ट पहचान का सम्मान करते हुए समाज को 'मुख्यधारा से जोड़ने' पर पूर्ण रूप से केंद्रित हों। रहन-सहन, काम और शैक्षणिक हलकों की विभिन्नताओं को समझने की अत्यधिक आवश्यकता है, साथ ही जन कार्यक्रम और सहयोगात्मक नीतियों के द्वारा बनाई गई 'जगहों' में वाकई पिछड़ी सामाजिक-धार्मिक श्रेणियों का अधिक से अधिक समावेश सुनिश्चित करने की जरूरत है। एक बहुआयामी समाज में समावेश और समानता की जरूरत पर काफी जोर देना आवश्यक है। परंतु अवसरों की समता और समानता को सुनिश्चित करने के लिए इस्तेमाल किए गए तरीके, जो समावेश करने की कोशिश करते हैं, ऐसे होने चाहिए कि विभिन्नता भी बनी यह सके और साथ ही साथ भेद-भाव की धारणा भी खत्म हो जाए। यह तभी संभव है जब विभिन्नताओं से भरे भारतीय सामाजिक परिदृश्य में मुस्लिमों की आवश्यकता और अभिन्न हिस्सेदारी को पूरी पहचान मिले।

जहां अलग-अलग प्रदेशों में मुस्लिमों की स्थितियों में काफी अंतर है, यह समाज विकास के लगभग सभी आयामों में कमी और वंचित रह जाना दर्शाता है।



अवसरों की समता और समानता को सुनिश्चित करने के लिए इस्तेमाल किए गए तरीके, जो समावेश करने की कोशिश करते हैं, ऐसे होने चाहिए कि विभिन्नता भी बनी यह सके और साथ ही साथ भेद-भाव की धारणा भी खत्म हो जाए।

हम राष्ट्रीय आंकड़ा बैंक बनाने की संस्तुति करते हैं ,जहां विभिन्न सामाजिक-धार्मिक श्रेणियों से संबंधित सभी आंकड़ों को उपलब्ध करा पाए।

इस परिदृश्य को ध्यान को रखते हुए, निम्नलिखित नीतिगत दृष्टिकोणों और संस्तुतियों को मुख्य रूप से दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है:

- सामान्य नीतिगत कदम / तरीके जो रिपोर्ट में विश्लेषित सामाजिक-आर्थिक और शैक्षणिक विकास के विभिन्न पहलुओं से जुड़े हैं।
- विशेष नीतियां और कदम जो रिपोर्ट में वर्णित किसी खास मुद्दे और या आयाम 'या आयाम जैसे शिक्षा, कर्ज आदि से जुड़े हों।'

2. सामान्य नीतिगत कदम और तरीके

यहां हम कुछ ऐसे कदमों के बारे में बात करेंगे जो अपने आप में तो आवश्यक हैं ही, साथ ही बाद में विशेष प्रकार के यंत्रों के प्रभाव को भी बढ़ा सकते हैं।

2.1 पारदर्शिता, निर्देशन और आंकड़ों की उपलब्धता की जरूरत

सामाजिक-धार्मिक श्रेणियों का सामाजिक-आर्थिक स्थितियों पर आधारित लगातार विश्वसनीय आंकड़ों की उपलब्धता, सरकारी कार्यक्रमों भागीदारी और इसी प्रकार की अन्य बातें सही नीतियों के निर्धारण में पारदर्शिता सुनिश्चित करने में और विभिन्न कार्यक्रमों और उपक्रमों को प्रभावशाली तरीके से निर्देशित करने के लिए बहुत जरूरी हैं। दूसरे शब्दों में, अच्छे राज्य के लिए विस्तृत आंकड़ों की उपलब्धता पूर्वाकांक्षित है। ऐसे आंकड़ों की उपलब्धता के कारण असीम परेशानी का सामना करना पड़ा और इसलिए उपलब्ध आंकड़ों को इकट्ठा करने, तुलनात्मक अध्ययन करने और टोस रूप में प्रस्तुत करने के लिए हमें स्वतंत्र प्रयास करना पड़ा। इन यंत्रों से काफी मुश्किल से मिले आंकड़े, फिर भी इतने विस्तृत नहीं थे कि हम कई मुद्दों का मन-माफिक रूप से विश्लेषण कर पाएं। इसलिए, इस बात की तुरंत जरूरत है कि ऐसे प्रबंध किए जाएं कि विभिन्न सामाजिक धार्मिक श्रेणियों के लिए नियमित रूप से आंकड़े, एकत्रित किए जाएं और उन्हें अनुसंधानकर्ताओं और जनता को उपलब्ध कराया जाए।

हम राष्ट्रीय आंकड़ा बैंक बनाने की संस्तुति करते हैं ,जहां विभिन्न सामाजिक-धार्मिक श्रेणियों से संबंधित सभी आंकड़ों को कंप्यूटराइज्ड कर देना चाहिए और इंटरनेट पर उपलब्ध कराना चाहिए। जनगणना, राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी और राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संस्थान बड़े स्तर पर अच्छे गुणों वाले आंकड़ों के सबसे अधिक महत्वपूर्ण स्रोत हैं, परंतु वो भी सामाजिक-धार्मिक श्रेणियों के हिसाब से सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थितियों के आंकलन के लिए जरूरी कारकों के हिसाब से आसानी से आंकड़े नहीं उपलब्ध करा पाए। अतः इस बात की सख्त जरूरत है कि नागरिकों की स्थिति उनकी सामाजिक-धार्मिक श्रेणी के हिसाब से समझने के लिए आंकड़ों का नियमित रूप से नए सिरे से निर्धारण किया जाए जिससे विकास के लाभ की गतिशीलता को समझा जा सके और उसका निर्धारण किया जा सके। राष्ट्रीय आंकड़ा बैंक में राष्ट्रीय और प्रादेशिक स्तर पर चलाए जाने वाले विभिन्न लाभकारी कार्यक्रमों का भी भंडार हो और साथ ही इस बात का भी विवरण रखे कि अलग-अलग सामाजिक-धार्मिक श्रेणियां कितनी लाभान्वित हुईं। रोजगार, कर्ज की गतिशीलता, कार्यक्रम में भागीदारी आदि का विवरण भी विभिन्न राष्ट्रीय आंकड़ा बैंक के साथ बांटना चाहिए। इस उद्देश्य के लिए, राष्ट्रीय आंकड़ा बैंक के पास इतने साधन और अधिकार होने चाहिए कि वो अन्य उपरोक्त संस्थाओं से आंकड़ों का निर्धारण कर सके और साथ ही केंद्र और राज्य स्तर दोनों प्रकार के सरकार विभागों से जरूरी जानकारी प्राप्त कर सकें। बल्कि केंद्र और राज्य सरकार के संबंधित विभागों के लिए राष्ट्रीय आंकड़ा बैंक को जानकारी पहुंचाने की बाध्यता होनी चाहिए। जहां केंद्रीय सांख्यिकी आयोग जो अभी हाल ही में बना है विस्तृत ढांचा उपलब्ध करा सकता है, राष्ट्रीय आंकड़ा बैंक को एक स्वतंत्र निकाय के रूप में काम करना चाहिए।

एक बार यह आंकड़े उपलब्ध हो जाएं तो उनके निर्धारण और निर्देशन के यंत्रों को संस्थागत करने की जरूरत है जिससे समयानुकूल नीति के विकल्पों के बारे में सुझाव दिए जा सकें। कमेटी एक स्वतंत्र निर्धारण और निर्देशन प्राधिकरण को निर्मित करने की संस्तुति करती है जो विभिन्न कार्यक्रमों के विकास के लाभ किस हद तक विभिन्न सामाजिक-धार्मिक श्रेणियों तक पहुंच सके हैं, उसकी समीक्षा कर सके। विद्वान व्यवसायी



और जन समाज संस्थाएं, प्रदेश प्राधिकरणों के साथ-साथ इस प्राधिकरण के नियुक्त सदस्यों की तरह हिस्सा हो सकती हैं और दोनों प्रादेशिक और केंद्र स्तर पर कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में विभिन्न सामाजिक-धार्मिक श्रेणियों की भागीदारी के निर्देशन पर बारीकों से नजर रख सकें। जिस तरह से सरकारी और जन रिकार्ड अंकित किए जा रहे हैं, निर्धारण और निर्देशन प्राधिकरण के लिए नियमित रूप से भागीदारी की 'विभिन्नता' को निर्देशित करना संभव हो जाएगा। अंकीकरण सरकार के सभी स्तरों पर निर्देशन को सुगम बना देगा, विशेषकर पंचायत, नगर पालिका और जिला स्तर पर तथा राज्य और केंद्र स्तर पर तो बना ही देगा। जहां साथ ही साथ निर्देश दिया जाना चाहिए, हर पांच साल में एक विस्तृत निर्देशन अभ्यास का उपक्रम करना चाहिए। इस अभ्यास में परिणामों को, जरूरत के हिसाब से, फिर से नीतियां बनाने के लिए लाभकारी रूप से इस्तेमाल किया जा सकता है।

2.2 सामाजिक अवसर उपलब्ध कराने के कानूनी आधार को बढ़ावा देना

मुस्लिम समाज में भेदभाव की आम धारणा को दूर करने की जरूरत है। शायद ही कोई प्रयोगसिद्ध अध्ययन है जो भेदभाव को दर्शाते हैं। इस क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देना चाहिए जो इस समय खासतौर से मुश्किल है क्योंकि आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। जहां विकास की प्रक्रिया में समाज की बेहतर भागीदारी और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में समानता धीरे-धीरे भेदभाव की इस धारणा को खत्म कर देगी, वहीं कानूनी विधानों को भी मजबूत बनाने की जरूरत है जिसे कि ऐसे मामलों को होने से रोका जा सके।

भारतीय संविधान ने 'मौलिक अधिकार-भाग तीन' में न सिर्फ सभी नागरिकों के लिए चाहे उनका कोई भी धर्म हो, समानता की बात विस्तारपूर्वक की गई है बल्कि अल्पसंख्यकों के धर्म, भाषा और संस्कृति के मामलों में अधिकार की रक्षा के लिए भी विशेष विधान दिए गए हैं। अतः देश के द्वारा अल्पसंख्यकों के अधिकारों के किसी भी प्रकार के हनन पर कानून की अदालत में दावा ठोका जा सकता है। कुछ संस्थाएं भी हैं जैसे कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग जो अल्पसंख्यकों द्वारा की गई सरकार की हरकतों पर की गई शिकायतों पर गौर करती हैं। मगर, इन यंत्रों की भी एक सीमित भूमिका ही हो सकती है और यह रोजमर्रा की गैर सरकारी संस्थाओं के खिलाफ ढेर सारी शिकायतों पर ध्यान नहीं दे सकतीं। कई बार, अल्पसंख्यकों को लग सकता है कि उसके साथ रोजगार, गृह निर्माण, सरकारी या निजी सेक्टर के बैंकों द्वारा कर्ज प्राप्त करने में या अच्छी शिक्षा के अवसर जैसे मामलों में भेदभाव होता है। यह सर्वविदित है कि अगर अल्पसंख्यकों में ऐसी धारणाएं हैं, तो कानून को ऐसा प्रभावशाली यंत्र बनाना चाहिए जो उनकी शिकायतों को परख सक और उन्हें प्रीावी राहत दे सके। यह बहुत आवश्यक है कि अगर अल्पसंख्यकों में उन्हें दुखित करने की कुछ धारणाएं हैं, तो राज्य को हर संभव प्रयास करना चाहिए कि ऐसा यंत्र ढूंढा जा सके जो उनकी शिकायतों पर शीघ्रता से कार्य कर सके। इस यंत्र को इस तरह से काम करना चाहिए कि अल्पसंख्यकों को पूरी तसल्ली मिल जाए कि अगर किसी भी जनअधिकारी या निजी व्यक्ति द्वारा उनके साथ भेदभाव या पक्षपात किया गया या उन्हें समान अवसर से वंचित रखा गया, तो उनकी शिकायत पर तुरंत ध्यान दिया जाएगा और उन्हें राहत दी जाएगी। सभी निजी व्यक्तियों या संस्थाओं जो इस संबंध में शिकायत करना चाहते हैं कि उनके लिंग या सामाजिक-धार्मिक श्रेणी के आधार पर उनके नियोक्ता या किसी व्यक्ति द्वारा उनके साथ कम अच्छे ढंग से पेश आया गया की पहुंच ऐसे यंत्र तक होनी चाहिए।

यह समझ लेना गलत होगा कि देश में बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक वर्गों के हितों में अनिवार्य रूप से विरोधाभास है। यह सोच और मान्यता त्रुटिपूर्ण है। वंचित रहना, गरीबी और भेदभाव सभी सामाजिक-धार्मिक श्रेणियों में विद्यमान हो सकते हैं चाहे उनके अनुपात भिन्न-भिन्न हों, पर इस तथ्य को भी नहीं नकारा जा सकता कि एक अल्पसंख्यक समाज का हिस्सा होना अपने-आप में ही हमें भेद-भाव के प्रति

- हाल का एक अध्ययन बताता है कि जिन गुजरात के गांवों का अध्ययन किया गया, उनमें उपयुक्त लोगों की मौजूदगी के बावजूद स्वयं सहायता समूह कार्यक्रमों में एक भी मुस्लिम लाभान्वित नहीं हुआ था और एक भी गरीबी स्तर से निम्न होने का एक भी कार्ड उनके नाम पर प्रकाशित नहीं किया गया था। निकिता सूद की '2006' इस गांव में कोई भी गैर-गुजराती नहीं है। 'हम उसके चाल से निकली हुई बाधरी को पहचान सकते हैं' गुजराती-हिंदू की पहचान को रचना और विवादित करना देखें। यह प्रपत्र पूर्वदेशीय और अफ्रीकी अध्ययन विद्यालय, लंदन में आयोजित 'गुजराती दुनिया की परंपराओं के साथ मिलाप' पर कार्यशाला के लिए तैयार किया गया था।

कमेटी एक स्वतंत्र निर्धारण और निर्देशन प्राधिकरण को निर्मित करने की संस्तुति करती है जो विभिन्न कार्यक्रमों के विकास के लाभ किस हद तक विभिन्न सामाजिक-धार्मिक श्रेणियों तक पहुंच सकते हैं, उसकी समीक्षा कर सके।

जहां विकास की प्रक्रिया में समाज की बेहतर भागीदारी और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में समानता धीरे-धीरे भेदभाव की इस धारणा को खत्म कर देगी, वहीं कानूनी विधानों को भी मजबूत बनाने की जरूरत है जिसे कि ऐसे मामलों को होने से रोका जा सके।



यह बहुत आवश्यक है कि अगर अल्पसंख्यकों में उन्हें दुखित करने की कुछ धारणाएं हैं, तो राज्य को हर संभव प्रयास करना चाहिए कि ऐसा यंत्र ढूंढा जा सके जो उनकी शिकायतों पर शीघ्रता से कार्य कर सके।

समिति यह संस्तुति करती है कि सरकार को एक समान अवसर आयोग निर्मित करना चाहिए जो वंचित समूहों की शिकायतों पर गौर करे।

अधिक संवेदनशील बनाता है। यह संवेदनशीलता स्वाभाविक है और किसी भी देश के धार्मिक अल्पसंख्यकों में विद्यमान हो सकती है। इस सच्चाई को स्वीकारना अल्पसंख्यकों की कूटनीति में उनका साथ देना नहीं है और ना ही बहुसंख्यकों के पर कतरने की कोशिश है। यह स्वीकृति मात्र सच्चाई को मान लेना है। कानून में एक बहुत मशहूर कहावत है कि सिर्फ न्याय का होना ही जरूरी नहीं है, ऐसा लगना भी चाहिए कि न्याय हुआ है। इसी संदर्भ में समिति यह संस्तुति करती है कि सरकार को एक समान अवसर आयोग निर्मित करना चाहिए जो वंचित समूहों की शिकायतों पर गौर करे। संयुक्त राज्य का वंश संबंध कानून, 1976 ऐसे ही एक नीति के साधन का अच्छा उदाहरण है। यह विभिन्न प्रकार के भेदभाव को दुरूस्त करने का यंत्र देने के साथ ही अल्पसंख्यकों को और अधिक विश्वस्त करेगा कि उनके साथ कोई भी अन्यायपूर्ण हरकत कानून की चौकस निगाहों से नहीं बच पाएगी।

2.3 सरकार में भागीदारी को बढ़ावा

विकास की प्रक्रिया में पर्याप्त हिस्सेदारी के ना होने का एक कारण सरकार ढांचों में अपर्याप्त भागीदारी हो सकती है। भारतीय प्रजातंत्र विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विचारधारा वाले वर्गों और समूहों को यह अवसर देता है कि वो प्रजातांत्रिक रूप से चुने जाएं और 'सरकार' के विभिन्न स्तरों पर जड़ से लेकर प्रादेशिक और राष्ट्रीय स्तर के राजनीतिक ढांचों तक शामिल हो सकें। अतः देश में सभी वर्गों के लिए कई स्तरों पर राष्ट्रीय, प्रदेश/संघीय राज्य और जड़ों तक प्रजातांत्रिक भागीदारी संभव है। इस संदर्भ में स्थानीय स्व-सरकारें-ग्रामीण इलाकों में पंचायत और जिला परिषद और शहरी इलाकों में नगर निगम और महापालिकाएं-अहम यंत्र हैं। संसदीय प्रजातंत्र की इन संस्थाओं के अलावा, चुनावी प्रजातंत्र और जन प्रतिनिधित्व पर चलने वाली कई अर्ध-सरकारी संस्थाएं भी हैं। उदाहरण के लिए, एक क्षेत्र के विकास के लिए वित्तीय मदद उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बनाई गई एक सहकारी संस्था को इस बात की छूट होती है वो अपने निवासियों में से अपने प्रतिनिधि चुन सके। एक ऐसे समाज में जहां काफी सामाजिक-सांस्कृतिक जटिलताएं हैं जैसा कि हमारे भारत में है, सार्वभौमिक व्यस्क मतदानाधिकार पर आधारित प्रजातांत्रिक प्रक्रियाएं, कई बार जातीय, भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों के चुने जाने पर सरकारी ढांचों का हिस्सा बनाने में असफल रहती हैं क्योंकि उनकी आबादी का प्रतिशत कम होता है। पिछले साठ वर्षों से उपर के समय में अल्पसंख्यकों को शायद ही कभी पर्याप्त सार्वजनिक स्थान मिल पाया है। मुस्लिमों की भागीदारी तकरीबन सभी राजनीतिक हलकों में काफी कम है, जिसका आगे

चलकर भारतीय समाज और राजनीति पर बुरा असर पड़ सकता है। दरकिनार किए गए लोगों की या तो संख्या इतनी कम होती है कि सरकार चलाने के साधारण तरीके में उनकी उपस्थिति ही महसूस नहीं हो पाती या वो राजनीतिक रूप से शक्तिशाली नहीं हैं। प्रजातांत्रिक राजनीति में जो सार्वभौमिक मतदानाधिकार पर आधारित हैं, संख्याओं की शक्ति को ध्यान में रखते हुए, भारत के अल्पसंख्यकों के पास प्रभावी जरिया और राजनीतिक महत्व नहीं है। उनके पास जरूरी प्रभाव या अवसर नहीं है कि वो घटनाओं को बदल या इतना प्रभावित ही कर सकें कि विकास की प्रक्रिया में उनकी सार्थक और सक्रिय भागीदारी संभव हो पाए। इसलिए, ऐसे यंत्रों को जगह देने का मजबूत दावा उभरता है जो उन्हें विभिन्न राजनीतिक और सरकार स्तरों की प्रजातांत्रिक प्रक्रियाओं में शामिल होने लायक बना सके। सिर्फ भौतिक बदलाव ही अल्पसंख्यकों को सही मायनों में शक्तिशाली नहीं बना सकते, उन्हें जरूरी सामूहिक जरिया दिए जाने और पाने की जरूरत है। नई नामांकन प्रक्रियाओं का निर्माण और क्रियान्वयन

बढ़ी हुई भागीदारी के लिए जरूरी है कि सरकारी ढांचों में भी उसी के अनुरूप प्रतिनिधित्व हो। एक ध्यानपूर्वक विचारी गई 'नामांकन' प्रक्रिया पर काम किया जा सकता है जो जड़ों से ही अल्पसंख्यकों की भागीदारी को बढ़ा सके। ऐसे यंत्रों को जगह दी जानी चाहिए जिससे कि अधिक संख्या में अल्पसंख्यक वाकई नामांकित हों जिससे सार्वजनिक निकायों में उनकी भागीदारी बढ़ सके। कमेटी प्रस्तावित करती है कि आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा उठाई गई कदमों पर चलते हुए, उचित राज्य स्तर के कानून बनाए जा सकते हैं जो कि स्थानीय निकायों में अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करें 'नवें अध्याय के बॉक्स 9.2 को देखें।' हर प्रदेश को इस विधान के क्रियान्वयन के समय, भाषाई और धार्मिक, दोनों तरह के अल्पसंख्यकों



की पहचान करने की जरूरत पड़ सकती है। सरकार की तरफ से स्थानीय ढांचों में विभिन्नता को बढ़ाने का यह प्रयास जिसे दृष्टिगत रूप से अल्पसंख्यक समाजों की भागीदारी बढ़ेगी, विश्वास और भरोसे का माहौल बनाने में काफी दूर तक जाएगा और विलक्षण परिणाम देगा जिससे भारत को एक प्रबल प्रजातंत्र बनने में मदद मिलेगी।

निर्वाचन क्षेत्र की सीमाओं के स्थिरीकरण के लिए अधिक विवेकशील प्रक्रिया को स्थापित करना समिती दूसरे अध्याय में वर्णित सीमा स्थिरीकरण योजनाओं के अंतर्गत आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों के संबंध में अव्यवस्था को खत्म करने की संस्तुति करती है। एक अधिक विवेकशील सीमा स्थिरीकरण प्रक्रिया जो अधिक अल्पसंख्यक आबादी वाले निर्वाचन क्षेत्रों को अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित ना कर, अल्पसंख्यकों, विशेषकर मुस्लिमों के लिए, भारतीय संसद और विधानसभाओं के लिए चुनाव लड़ने और चुने जाने के अवसर को बढ़ा देगी। इन दोनों कदमों के अलावा समाज की राजनीतिक भागीदारी को बढ़ाने के लिए अन्य तरीकों को विकसित करना भी आवश्यक है।

2-4 सहकारी क्षेत्र विभिन्नता को बढ़ावा देने की जरूरत

रहन-सहन, शैक्षणिक और कार्यक्षेत्रों में विभिन्नता को बढ़ावा देने की सख्त जरूरत है। इस उद्देश्य के लिए कई प्रकार के कदम उठाने की जरूरत पड़ सकती है, जिनमें से कुछ इस अध्याय में आगे वर्णित हैं। बढ़ते हुए पृथकीकरण और कुछ सामाजिक-धार्मिक श्रेणियों की नियमित रोजगार और शैक्षणिक संस्थाओं में सीमित भागीदारी के कारण, सामाजिक-धार्मिक श्रेणियों के परस्पर मेल-जोल के क्षेत्र सिमट गए हैं और इस संदर्भ में जहां विभिन्नता को परिभाषित करने में सामाजिक-धार्मिक श्रेणियां केंद्र बिंदु हो सकती हैं, कुछ विशेष संदर्भों में लिंग को भी शामिल करना चाहिए। शर्त तो यह है कि विभिन्नता का ऐसा सूचीपत्र तैयार किया जाए जो पारदर्शक भी हो और क्रियान्वयन में भी आसान हो।

विभिन्नता से लाभ को जोड़ना

'विभिन्नता सूचीपत्र' से कुछ लाभों को जोड़ने के विचार को भी परखना चाहिए। हम मानते हैं कि यह एक जटिल प्रस्तावना है पर अगर विभिन्नता को मापने के लिए एक पारदर्शक और सर्वमाननीय तरीका विकसित हो पाए, तो इस सूचीपत्र से कई तरह के फायदों को जोड़ा जा सकता है कि जिससे सभी सामाजिक-धार्मिक श्रेणियों को शिक्षा, सरकार और निजी रोजगार व गृह निर्माण का समान अवसर मिलने को सुनिश्चित किया जा सके। विभिन्नता का नियम जो समानता को साथ लेकर चलता है, उसे न सिर्फ बहुसंख्यक और अल्पसंख्यकों के बीच लागू करना है वरन अल्पसंख्यकों में आपस में भी लागू करना है जिससे की वाकई लाभ से वंचित लोगों को फायदा पहुंच सके और पहुंचना चाहिए। एक सर्वमाननीय विविधता सूचीपत्र होने से, नीतियां निम्नलिखित दे सकती हैं:

- अधिक अनुदान के रूप में उन शैक्षणिक संस्थाओं को लाभ जिनमें अधिक विविधता है और जो उसे कायम रख पाता है। यह लाभ दोनों कॉलेज और यूनिवर्सिटीज पर लागू हो सकते हैं, चाहे वो सरकार हों या निजी क्षेत्र की हों।
- निजी क्षेत्र को कार्यशक्ति में विविधता को बढ़ावा देने के लिए लाभ, जहां ऐसे कदम कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी का हिस्सा होना चाहिए कुछ सकारात्मक कार्य इस प्रक्रिया को चालू करने में मददगार हो सकते हैं।
- भवन निर्माताओं को ऐसे हाउसिंग कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए लाभ जहां के निवासी जनता में अधिक 'विविधता' हो जिससे कि सामाजिक-धार्मिक श्रेणियों के 'संयुक्त निवास स्थान' को बढ़ावा मिल सके।

सार्वजनिक जन क्षेत्रों के निर्माण को सुगम बनाना

ज्यादातर गरीब बच्चों को पार्क, पुस्तकालय और यहां तक कि अपने ही घर में पढ़ने के लिए जगह नहीं मिल पाती। ऐसी जगहें सामाजिक-धार्मिक श्रेणियों में मेल-जोल को बढ़ावा दे सकती हैं और शैक्षणिक प्रयासों को प्रोत्साहित भी कर सकती हैं, जिसकी काफी जरूरत है, ऐसे क्षेत्रों का समाज या जनसभा द्वारा सुधार कक्षाएं, पढ़ने के कमरों और अन्य रचनात्मक कार्यों के लिए कर सकता है। सरकार को मिली-जुली

**एक ध्यानपूर्वक विचारी
गई 'नामांकन' प्रक्रिया पर
काम किया जा सकता है
जो अल्पसंख्यकों की
भागीदारी को बढ़ा सके।**

**समिती दूसरे अध्याय में
वर्णित सीमा स्थिरीकरण
योजनाओं के अंतर्गत
आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों के
संबंध में अव्यवस्था को
खत्म करने की संस्तुति
करती है।**



‘विभिन्नता सूचीपत्र’ से कुछ लाभों को जोड़ने के विचार को भी परखना चाहिए। इस सूचीपत्र से कई तरह के फायदों को जोड़ा जा सकता है कि जिससे सभी सामाजिक-धार्मिक श्रेणियों को शिक्षा, सरकार और निजी रोजगार व गृह निर्माण का समान अवसर मिलने को सुनिश्चित किया जा सके।

आबादी वाले स्थानीय इलाकों और आस-पास के इलाकों में ऐसे प्रयासों को बढ़ावा देना चाहिए जिससे कि विभिन्न सामाजिक-आर्थिक-धार्मिक श्रेणियों के बच्चे आपस में मिल-जुल सकें और साथ ही साथ पढ़ाई भी जारी रख सकें। यह क्षेत्र विभिन्न सामाजिक-धार्मिक के वयस्कों के द्वारा भी मेल-जेल और रचनात्मक कार्यों के लिए इस्तेमाल किया जा सकते हैं। ऐसे कदम मुख्य रूप से जनसभा के कार्यक्षेत्र में आते हैं पर ना इस्तेमाल होने वाले / खाली नगर निगम के क्षेत्रों जमीन को इस्तेमाल करने के विधान से ऐसी गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के यंत्र भी काफी उपयोगी साबित हो सकते हैं। जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण नियोग के लिए अलग से रखे गए वित्त के कुछ हिस्से का इस्तेमाल इस उद्देश्य के लिए किया जा सकता है।

संवेदना जगाने में संबंधित कदम

नवीन कार्यक्रमों के विकास और क्रियान्वयन में और सेवाओं के विधान में विविधता का आदर करने और इसे बनाए रखने के लिए, संबंधित अधिकारियों को विविधता की जरूरत और सामाजिक पृथकीकरण से संबंधित समस्याओं के प्रति संवेदनशील होना पड़ेगा। इन मुद्दों पर सरकार और अन्य अधिकारियों में संवेदना जगाना आवश्यक है। विभिन्न विभागीय सदस्यों, विशेष तौर से वो जो नियमित रूप से जनता के संपर्क में आते हैं, में संवेदना जगाने के लिए बड़े पैमाने पर कार्यक्रम चलाना वांछित है, जिनमें स्वास्थ्यकर्मी, शिक्षक, पुलिस और अन्य सुरक्षा कर्मियों पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए।

3. विशेष नीतिगत प्रयास

जहां भाग-भाग में वर्णित कदम विविधता, समानता और संयोजन को जोरदार बढ़ावा देगा, उनका साथ देने के लिए शिक्षा, रोजगार, कर्ज आदि के क्षेत्रों में विशेष नीतिगत प्रयासों की भी जरूरत पड़ेगी। शुल्कात से ही दो बातों पर जोर देने की जरूरत है। पहला, नीचे सुझाए गए नीतिगत कदम तथा उपर जिन प्रयासों का खाका खींचा गया है, उनका बेहतर असर तभी होगा जब उन्हें एक साथ अपनाया जाए ना कि टुकड़ों में। दूसरा, इस भाग में वर्णित हर कदम में स्त्रियों से जुड़े मुद्दों पर अधिक ध्यान दिए जाने की जरूरत है।

3.1 शिक्षा की जरूरत

शिक्षा तक पहुंच आर्थिक विकास के साथ उभरते अवसरों का लाभ पाने के लिए जरूरी है। यह रिपोर्ट मुस्लिम समाज के शिक्षा से वंचित रह जाने को स्पष्ट रूप से सामने लाती है। भर्ती के निम्न स्तरों से लेकर शिक्षा के उच्च स्तरों में भागीदारी का तेजी से कम होना, भारतीय मुस्लिमों की परिस्थिति अन्य अधिकतर सामाजिक-धार्मिक श्रेणियों की तुलना में वाकई बहुत निराशाजनक है, सच्चाई तो यह है कि तुलनात्मक रूप से ऐसा लगता है कि उनकी परिस्थिति से पहले से भी खराब हो गई है और लड़कियों स्त्रियों के लिए तो समस्या और भी ज्यादा गंभीर है। इसके कई कारण हैं-गरीबी से लेकर भेदभाव की भावना तक जिसे कारण विद्यालय के माहौल में पृथकीकरण हो जाता है। जहां संपूर्ण रूप से देखा जाए तो हालत अभी-भी खराब है, हाल के कुछ वर्षों में मुस्लिमों की भरती दर बढ़ी है और नीतियों द्वारा इस कारण आए बदलावों के वजह से आई हुई गति को बनाए रखने में मदद मिलनी चाहिए। हमारा विश्लेषण यह भी दिखाता है कि सबसे बड़ी समस्याएं विद्यालय की शिक्षा में ही हैं, अन्य सामाजिक-धार्मिक श्रेणियों, अनुसूचित जाति/ जनजाति के लोगों को छोड़कर की तुलना में मुस्लिम बच्चों द्वारा विद्यालय की शिक्षा पूरी करने की संभावना काफी कम है, जब दूसरे कारकों जैसे घर के खर्चों, रहने की जगह, लिंग आदि को नियंत्रित कर लिया जाए। एक बार विद्यालय की शिक्षा की 'बाधा' पार हो जाए, तो स्नातक स्तर की पढ़ाई में अधिकतर सामाजिक-धार्मिक श्रेणियों का उसे पूरा करने की संभावना में अंतर, कम हो जाता है और कई बार तो अधिक उल्लेखनीय भी नहीं रह जाता। इसलिए, विद्यालय की शिक्षा पर अधिक ध्यान देना वांछित है।

14 वर्ष की आयु तक मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देश की जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी को पूरा करना मुस्लिमों की शैक्षणिक स्थितियों को सुधारने के लिए जरूरी है, बल्कि सभी सामाजिक-आर्थिक रूप से

2. विचारशील सोच प्रोत्साहन सभा द्वारा गुजरात के कुछ हिस्सों में समाज की भागीदारी का एक ऐसा प्रयाग सफलतापूर्वक चलाया जा रहा है।



वंचित बच्चों के लिए फायदेमंद है। इसके अलावा, नीचे सूचीबद्ध किए गए कुछ क्षेत्रों पर अधिक ध्यान दिए जाना वांछित है।

विद्यालय की पाठ्य पुस्तकों के विषय में सामाजिक विविधता का पर्याप्त प्रतिबिंबन

बचपन के गढ़ने वाले वर्षों में पाठ्य पुस्तक सबसे अधिक प्रभाव डालने वाले कारकों में से एक है। परिवार के साथ-साथ विद्यालय ना सिर्फ बच्चों को लिखना पढ़ना और गणित सिखाते हैं बल्कि बच्चे के चरित्र को रूप देने वाले आदर्श और उसके रंग-रंग भी सिखाते हैं तथा उसमें आदर्शों की चेतना जगाते हैं। पाठ्य पुस्तक के प्रभाव को ध्यान रखते हुए, कमेटी महसूस करती है कि वो सामाजिक आदर्शों को सिखाने के लिए महत्वपूर्ण साधन की तरह कार्य कर सकती हैं। पाठ्य पुस्तक को ना सिर्फ सच्चाई को प्रतिबिंबित करना चाहिए बल्कि उचित आदर्शों के निर्माण में भी सहायता करनी चाहिए, चूंकि बच्चे अधिकतर अपनी पाठ्य पुस्तकों को कई बार पढ़ते हैं, उसके विषयवस्तु से वो काफी अच्छी तरह परिचित हो जाते हैं और जो पाठ में सुझाए गए आदर्शों को पुष्ट करता है। अगर पाठ विविधता को प्रतिबिंबित नहीं करता है या विशेष वर्गों के लिए अपमानजनक भाषा का उपयोग करता है, तो वो उन वर्गों के बच्चों को बाकी समाज से काटने का काम कर सकता है। पाठ्य पुस्तकों में साधारण-सी बातें भी धार्मिक असहनशीलता के बीज बो सकती हैं, जातीय पक्षपात को बढ़ावा दे सकती हैं और या लिंग के अंतरों के प्रति संवेदनशीलता को कम कर सकती है, जबकि पाठ का मकसद और उद्देश्य इससे बिल्कुल उल्टा है। समिती अनुशंसा करती है कि विद्यालय की पाठ्य पुस्तकों की विषयवस्तु की समीक्षा करने की प्रक्रिया को शुरू किया जिससे कि उनमें से ऐसे विषयावली को हमेशा के लिए समाप्त किया जा सके जो स्पष्ट और निश्चित तौर पर अनुचित सामाजिक आदर्श, खासकर धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा दे सकता है।

विद्यालयों की शिक्षा के लिए कदम

दस साल से छोटे बच्चों के समूह में मुस्लिम बच्चों सबसे अधिक प्रतिशत हिस्सा है जिसमें से 27 प्रतिशत इस वर्ग में आते हैं जबकि पूरे देश में 23 प्रतिशत बच्चे ही इस वर्ग में आते हैं। पर शुरूआती स्तर पर वर्तमान भरती और जारी रखने की दर 'हालांकि हाल के वर्षों में बढ़ा रही है' मुस्लिमों के लिए सबसे कम है। यह तथ्य इस वर्ग के लिए प्रारंभिक शिक्षा को विशेष तौर से जरूरी बनाते हैं और यह सुनिश्चित करने की जरूरत को और भी अधिक बल देते हैं कि 0-14 उम्र वर्ग के सभी बच्चों को मुफ्त और उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा मिल सके। इसके साथ ही निम्नलिखित कदम भी वांछित हैं।

- इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि शहरी आबादी में परिवारों का बड़ा हिस्सा एक कमरे के निवास स्थान में रहता है, यह बहुत आवश्यक है कि स्थानीय पढ़ाई केंद्र बनाए जाएं, जहां विद्यार्थी कुछ घंटे अपनी पढ़ाई पर ध्यान लगा सकें। यह एक क्षेत्र है जहां सरकार, गैर सरकारी संस्थाएं और कॉरपोरेट सेक्टर मदद कर सकते हैं।
- सघन मुस्लिम आबादी वाले सभी इलाकों में उंची गुणवत्ता वाले सरकारी स्कूल खोले जाएं।
- लड़कियों के लिए अलग विद्यालय खोले जाएं, खास तौर से 9 - 12 कक्षाओं के लिए, इससे स्कूली शिक्षा में मुस्लिम लड़कियों की भागीदारी को बढ़ावा मिलेगा। विद्यालयों में अधिक महिला शिक्षकों की नियुक्ति की जरूरत है।
- संवैधानिक रूप से अपनी मातृ-भाषा में प्रारंभिक शिक्षा की उपलब्धता का विधान है। इस बात की फौरन जरूरत है कि उर्दू भाषा बोलने वाली जनता का उचित नक्शा बनाने का उपक्रम किया जाए और जिन इलाकों में उर्दू बोलने वाली आबादी की सघनता है, जहां प्रारंभिक शिक्षा उर्दू में कराई जाए।

एक बार फिर जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण नियोग के वित्तों का उपयोग इन उद्देश्यों के लिए करने के बारे में सोचा जा सकता है।

जो दसवीं पास नहीं है उनके लिए यंत्र संबंधी पढ़ाई और प्रशिक्षण

3. समान नामक कोलकाता की एक गैर-सरकार संस्था ने पश्चिम बंगाल के राज्य बोर्ड की पाठ्य पुस्तकों के लिए इस तरह का एक बहुत ही व्यवस्थित प्रयास किया है।

संबंधित अधिकारियों को विविधता की जरूरत और सामाजिक पृथकीकरण से संबंधित समस्याओं के प्रति संवेदनशील होना पड़ेगा।

समिती अनुशंसा करती है कि विद्यालय की पाठ्य पुस्तकों की विषयवस्तु की समीक्षा करने की प्रक्रिया को शुरू किया जाए और संस्थागत किया जाए।



**विश्वविद्यालय अनुदान
आयोग को ऐसी व्यवस्था
को विकसित करने के
लिए प्रोत्साहित करना होगा
जहां कॉलेजों और
विश्वविद्यालयों को दिए
जाने वाले आवंटन का
हिस्सा विद्यार्थी की
जनसंख्या में विविधता से
जुड़ा हो।**

**सभी सामाजिक-धार्मिक
श्रेणियों में 'सबसे पिछड़े'
वर्ग का नियमित
विश्वविद्यालयों और
स्वतंत्र कॉलेजों में दाखिले
को बढ़ावा देने के लिए,
वैकल्पिक प्रवेश प्रक्रिया
को विकसित करने की
जरूरत है।**

जैसा कि शिक्षा पर अध्याय में बताया गया है कि अधिकतर मुस्लिम लड़के और लड़कियां दसवीं की परीक्षा में या तो फेल हो जाते हैं या इससे पहले ही पढ़ाई छोड़ देते हैं। इस समूह के बच्चों, जो माध्यमिक शिक्षा तो पूरी कर चुके हैं पर आगे नहीं पढ़ पाए, को विभिन्न प्रकार के प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण दिए जाने की जरूरत है। उत्पादन और सेवा के क्षेत्रों में विशिष्ट कलाओं की मांग निरंतर बदल रही है, और उनमें से बहुतों के लिए बहुत ज्यादा पढ़े-लिखे या प्रशिक्षित लोगों की जरूरत नहीं होती और इन जरूरतों को पूरा करने के ऐसे नौजवान, जो माध्यमिक शिक्षा प्राप्त कर चुके हों और जिन्हें पर्याप्त प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण मिल चुका हो, ही काफी हो सकते हैं। परंतु भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान और बहुप्रौद्योगिकियों द्वारा चलाए जाने वाले व्यवसायसंबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रम में लगभग सभी में दसवीं पास होने की जरूरत होती है। समिति अनुशंसा करती है कि:

- भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में प्रवेश के लिए दाखिले से पहले की योग्यता कक्षा 7 तक घटा देनी चाहिए। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के पाठ्यक्रमों की सीमा को बाजार की उभरती जरूरतों, जिनमें खुदरा क्षेत्र भी शामिल है, के हिसाब से बढ़ाया जाना चाहिए।
- भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों और बहुप्रौद्योगिकियों द्वारा उठाए गए विशिष्ट कला के विकास के कदमों को उन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जहां उन्नति की संभावना ज्यादा है और जिनमें मुस्लिम आबादी की सघनता है। इन प्रशिक्षण के प्रयास को उन इलाकों पर भी ध्यान केंद्रित करना चाहिए जहां अल्पसंख्यक समाज की सघनता है।
- ऐसे कार्यक्रमों के लिए योग्यता को मंदरसा में पढ़े बच्चों को भी शामिल करने के लिए विस्तृत कर देना चाहिए, क्योंकि इन बच्चों में काफी सारे वर्तमान नियमपूर्वक प्रौद्योगिकी शिक्षा की शाखाओं के अंतर्गत प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए पर्याप्त समझ होती है।


उच्च शिक्षा के लिए कदम

हमारा विश्लेषण दिखाता है कि जहां तक उच्च शिक्षा में मुस्लिम आबादी की बात है, इसमें भारी 'कमी' है। यह कमी अनुसूचित जाति, जनजाति को छोड़कर, सभी सामाजिक-धार्मिक श्रेणियों से अधिक है। यह पहले ही बताया जा चुका है कि इस कमी को सुधारने का सबसे बेहतर दीर्घकालिक कदम यही है कि मुस्लिमों में विद्यालय की शिक्षा को पूरी करने की दर को बढ़ाया जाए। मध्यम और लघुकाल में, दो मुंही रणनीति का क्रियान्वयन किया जा सकता है।

रणनीति सं. 1- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को ऐसी व्यवस्था को विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करना होगा जहां कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को दिए जाने वाले आवंटन का हिस्सा विद्यार्थी की जनसंख्या में विविधता से जुड़ा हो। यहां तक कि निजी कॉलेजों में भी, जिनमें वो संस्थान भी शामिल हैं, जो अल्पसंख्यकों द्वारा चलाए जाते हैं और जो विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध हैं या प्रादेशिक निकायों द्वारा मान्यताप्राप्त हैं, को भी अतिरिक्त राशि दी जा सकती है अगर उनमें विविध विद्यार्थी जनसंख्या है और वो यथोचित शुल्क लेते हैं। जैसे कि पहले बताया गया है, इन उद्देश्यों के लिए एक समुचित विविधता सूची विकसित करना जरूरी है। इस बात की सलाह दी जाती है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एक सक्रिय अभ्यास का उपक्रम करे जिसमें शैक्षणिक संस्थानों में उनके परिसर में विविधता को प्रतिबिंबित करने की जरूरत के प्रति संवेदना पैदा की जाए।

कुछ राज्यों जैसे आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु के मुस्लिमों ने कई 'अल्पसंख्यक द्वारा प्रबंधित' व्यावसायिक संस्थानों को स्थापित किया है, जिन्होंने मुस्लिमों और दूसरे अल्पसंख्यकों के लिए उच्च शिक्षा के रास्ते खोल दिए हैं। इन संस्थानों की सरकार वित्तीय सहायता को निम्न शिक्षा और दूसरे शुल्क से और कुछ हिस्से को विद्यार्थी की जनसंख्या में विविधता से जोड़ा जा सकता है, यह 'अल्पसंख्यक संस्थान' अधिकतर इन वर्गों के गरीब लोगों की पहुंच से बाहर हैं। कम शुल्क के साथ मेधा-साधन छात्रवृत्तियां आंशिक रूप से अतिरिक्त सरकारी अनुदान की सहायता से अल्पसंख्यकों में गरीब लोगों की भागीदारी को बढ़ाएगा।

रणनीति सं. 2 सभी सामाजिक-धार्मिक श्रेणियों में 'सबसे पिछड़े' वर्ग का नियमित विश्वविद्यालयों और



स्वतंत्र कॉलेजों में दाखिले को बढ़ावा देने के लिए, वैकल्पिक प्रवेश प्रक्रिया को विकसित करने की जरूरत है। निम्नलिखित उदाहरण एक स्तर/ क्रमिक व्यवस्था पेश करता, जिसे संभावित रूप से उपयोग में लाया जा सकता है।

इस व्यवस्था को सभी वर्गों के गरीब लोगों की सहायता करनी चाहिए। पहली रणनीति के परिपूरक के रूप में सरकारी वित्त का कुछ हिस्सा शैक्षणिक संस्थानों में दाखिले को इन शर्तों के इस्तेमाल से भी जोड़ा जा सकता है।

छात्रवासों का विधान

अल्पसंख्यकों में से विद्यार्थियों को छात्रवास की सुविधाएं यथोचित कीमत पर प्राथमिकता के आधार पर दिया जाना चाहिए। जहां सभी अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को यह चाहिए, छोटे-बड़े सभी शहरों में लड़कियों को ऐसी सुविधाएं विशेष तौर पर वांछित है। ऐसे छात्रवासों की उपलब्धता कई लड़कियों के 'माध्यमिक/ कॉलेज शिक्षा के बाद भी पढाई जारी रखने को सुनिश्चित करेगा क्योंकि अपने निवास स्थान से दूर शैक्षणिक

वक्तव्य 12.1

कुल अंक		100
● मेधा का आंकलन जिसमें अधिकतम हो		60
● पिछड़ेपन का आंकलन जिसमें अधिकतम हो		
● पिछड़ेपन को निम्नलिखित को जोड़कर परिभाषित किया गया है		40
'हर एक का लगभग एक तिहाई वजन है'		
1	परिवार की आय 'आय का स्तर समय-समय पर संशोधित करना'	13
2	पिछड़ा जिला 'वार्षिक आधार पर सूची की नवीनीकरण करना' एक माने हुए शहरी झुग्गी में निवास होना	13
3	पिछड़ा वर्ग 'परिवार के रोजगार और जाति को मिला कर किए गए आंकलन के आधार पर'	14

संस्थानों तक पहुंचने के लिए रोज आना-जाना नहीं करना पड़ेगा। कॉलेज की शिखा में लड़कों की पहुंचने के संदर्भ में भी छात्रवास उतने ही आवश्यक हैं। शहरों में भी अधिक किराया निम्न आय वाले परिवारों से आने वाले छात्र-छात्राओं को उच्च स्तर की शिक्षा पाने से रोकता है।' अधिक कीमत के अलावा और भी कारक हैं जैसे मुस्लिमों को किरायेदार की तरह अपनाने में अनिच्छा, जिसके कारण उन्हें किराये पर निवास स्थान मिलना मुश्किल हो जाता है। आदर्श रूप से, ऐसी सुविधाओं का विधान समाज की साझेदारी से होना चाहिए, जहां सरकार समाज के इन क्षेत्रों में उठाए गए कदम को अनुदान और दूसरी सहायता देकर बढ़ावा दे। शैक्षणिक केंद्र और तालुका मुख्यालय ऐसी सुविधाओं के लिए सर्वोत्तम स्थापन बिंदु रहेंगे।

दूसरी संभावना यह भी हो सकती है कि पिछड़ी सामाजिक धार्मिक श्रेणियों के लिए तालुका मुख्यालयों में रहने और भोजन के स्थान बनाए जहां गरीब अल्पसंख्यक और अन्य बच्चे रह सकें और स्थानीय विद्यालयों में पढ़ सकें। इससे पढ़ाई छोड़ने की दर कम हो सकती है और विद्यालयों में उच्च स्तर की कक्षाओं तक धारणा-शक्ति बढ़ेगी। इन बच्चों को झुग्गियों से निकालने के अलावा, ऐसी सुविधाएं इस बात को सुनिश्चित करेंगी कि अभी तक के मां-बाप की असाक्षरता, इन बच्चों के प्रदर्शन को नकारात्मक रूप से प्रभावित ना कर सके, क्योंकि इन छात्रवासों में पढ़ाई-लिखाई के लिए अच्छा माहौल होगा। बल्कि, इन रहने और भोजन के स्थानों में सुधार कक्षाओं के लिए शिक्षक रखे जा सकते हैं जो उनकी पढ़ाई पर नजर रखें और मदद करें।

इन दोनों ही कदमों के लिए केंद्र के द्वारा शैक्षणिक रूप से पिछड़े समूहों के शैक्षणिक स्तर को सुधारने के लिए अलग रखी गई विशेष राशि में से आवंटन किए जा सकते हैं। एक बार फिर से, समूह-विशेष की भागीदारी को प्रोत्साहित करना चाहिए। मुस्लिम वर्गों को प्रोत्साहित करना चाहिए कि अपनी संपत्ति को वो इस प्रयास के लिए इस्तेमाल करें। साथ ही, गैर सरकारी संस्थानों और बहुदेशीय संस्थाओं द्वारा दिए

अल्पसंख्यकों में से विद्यार्थियों को छात्रवास की सुविधाएं यथोचित कीमत पर प्राथमिकता के आधार पर दिया जाना चाहिए।

पाठ्यक्रम के विषयों में शिक्षक के लिए प्रशिक्षण को बाध्यकारी रूप से शामिल करना चाहिए, जो देश में विविधता/ बहुआयाम की आवश्यकता का प्रचार कर सके और मुस्लिमों तथा अन्य दरकिनार किए गए वर्गों की जरूरतों और इच्छाओं के प्रति शिक्षकों को संवेदनशील बना सके।



इस जिम्मेदारी का ध्यान रखते हुए कि बच्चे की प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृ भाषा में ही मिलेगी, सरकार को उर्दू माध्यम से विद्यालय चलाने की जरूरत है।

ऐसे उपाय खोजने की कोशिश करनी चाहिए जिससे कि मदरसों को उच्च स्तर के शैक्षणिक बोर्ड से जोड़ा जा सके, जिससे मदरसे में पढ़े छात्र चाहें तो वहां से निकल कर नियमित, मुख्य धारा की शिक्षा में आ सकें।

गए दान का भी इस्तेमाल किया जा सकता है।

शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम

पाठ्यक्रम के विषयों में शिक्षक के लिए प्रशिक्षण को बाध्यकारी रूप से शामिल करना चाहिए, जो देश में विविधता/ बहुआयाम की आवश्यकता का प्रचार कर सके और मुस्लिमों तथा अन्य दरकिनार किए गए वर्गों की जरूरतों और इच्छाओं के प्रति शिक्षकों को संवेदनशील बना सके। इसके क्रियान्वयन का निर्देशन राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद द्वारा किया जाना चाहिए। दूसरा मुद्दा है विद्यालयों में मुस्लिम अध्यापकों की कमी, खासतौर से महिलाओं की। वर्तमान शिक्षा के स्तर के देखते हुए, अधिक मुस्लिमों में शिक्षा के स्नातक स्तर के पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने के आधार सीमित हैं। मगर सहायक शिक्षकों के रूप में अधिक मुस्लिम भागीदारी कर सकते हैं। मध्यवर्ती कदम के रूप में इस व्यवस्था में मुस्लिमों की भागीदार बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए।

बहुत कम ही शिक्षक हैं जो उर्दू माध्यम से पढ़ा सकते हैं। इस जिम्मेदारी का ध्यान रखते हुए कि बच्चे की प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृ भाषा में ही मिलेगी, सरकार को उर्दू माध्यम से विद्यालय चलाने की जरूरत है। इससे उन शिक्षकों की जरूरत पड़ेगी जो उर्दू माध्यम से पढ़ा सकें। इसलिए उन राज्यों में जहां उर्दू भाषा बोलने वाली काफी आबादी है, सभी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों में उन शिक्षकों को अधिक मान मिलना वांछित है जो उर्दू माध्यम से पढ़ा सकें। साथ ही, उच्च स्तर की शिक्षा के लिए तीन भाषीय सूत्र के बिगड़े हुए स्वरूप को सुधारने की जरूरत है जिससे कि हिंदी क्षेत्रों के विद्यालयों में भी उर्दू को जगह दी जा सके। इसके साथ, तीन और कदम भी वांछित हैं।

- कई बार उर्दू विद्यालय में ऐसे शिक्षक होने जिन्हें उर्दू के बारे में कोई जानकारी नहीं होती, यह समस्या आंशिक रूप से इस तथ्य से भी बढ़ जाती है कि उर्दू अध्यापकों के पदों को अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए आरक्षित कर दिया जाता है और ऐसे उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हैं। इस अनियमितता को तुरंत सुधारने की जरूरत है।
- देश के उन हिस्सों में उच्च गुणवत्ता वाले उर्दू माध्यम के विद्यालय खोले जा सकते हैं, जहां कभी भी उनकी मांग है। परंतु, इस बात को भी सुनिश्चित करने की जरूरत है कि उर्दू माध्यम की उच्च गुणवत्ता वाली पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध हों और ऐसे विद्यालयों से निकले छात्र रोजगार करने लायक हों।
- उन प्रदेशों में जहां उर्दू-भाषीय आबादी ज्यादा है, सभी सरकारी और सरकार सहायता प्राप्त विद्यालयों में उर्दू को एक वैकल्पिक विषय का दर्जा दिया जाना चाहिए।

मदरसे और मुख्यधारा की शिक्षा

मदरसों ने मुस्लिम आबादी को धार्मिक शिक्षा देने में एक अहम भूमिका निभाई है। बहुत से मामलों में वे 'मुख्यधारा' की शिक्षा भी देते हैं और कई तो अपने पाठ्यक्रमों के नवीनीकरण की प्रक्रिया में हैं। जहां समूह-विशेष की शैक्षणिक स्थितियां सुधारने के लिए यह एक महत्वपूर्ण कदम है, इस तथ्य पर भी ध्यान देने की जरूरत है कि 4 प्रतिशत से भी कम मुस्लिम बच्चे जो विद्यालय जाने लायक आयुवर्ग के हैं, वाकई पूर्णकालिक और नियमित रूप से मदरसे में जाते हैं। इसलिए, नवीनीकृत मदरसों का पूरे समूह-विशेष की शैक्षणिक मांगों को पूरा कर पाना संभव नहीं लगता और सरकार को उन क्षेत्रों में जहां विद्यालय उपलब्ध नहीं हैं, वहां मुख्यधारा से जुड़े विद्यालयों का विधान बनाने की जरूरत पड़ेगी। दूसरे शब्दों में, मदरसों को नियमित विद्यालय के विकल्प के रूप में नहीं, बल्कि सहायक के रूप में देखना चाहिए।

- ऐसे उपाय खोजने की कोशिश करनी चाहिए जिससे कि मदरसों को उच्च स्तर के शैक्षणिक बोर्ड से जोड़ा जा सके, जिससे मदरसे में पढ़े छात्र चाहें तो वहां से निकल कर नियमित, मुख्य धारा की शिक्षा में आ सकें।
- मदरसे के सर्टीफिकेट डिग्रियों को बराबरी के दर्जा देने का विधान बनाया जाए जिससे उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों में दाखिला मिल सके। इतना लचीलापन होना चाहिए कि मदरसे के स्नातक, अगर चाहें तो इन संस्थानों से पढ़ने के बाद नियमित मुख्यधारा की शिक्षा से जुड़ सकें। दूसरे शब्दों में, उन्हें अक्सर



उपलब्ध कराने चाहिए, खासतौर से उन पाठ्यक्रमों में जहां दाखिले के लिए प्रवेश परीक्षा प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं।

- मदरसों की डिग्रियों की प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे कि सेनाओं, बैंकों, सुरक्षा सेवाओं और ऐसी ही अन्य परीक्षाओं के लिए योग्यता के रूप में मान्यता। विचार यह है कि एक ऐसी प्रक्रिया को बढ़ावा मिले जहां मदरसे के स्नातकों के पास भी विकल्प हों और रोजगार की धाराओं में भागीदारी करने का लाभ हो। पर यह सब इन प्रतियोगी परीक्षाओं के वर्तमान स्वरूप के अंदर ही रहना चाहिए।
- नब्बे के दशक में सरकार ने मदरसों के नवीनीकरण के लिए एक योजना बनाई थी। यह सही दिशा में एक कदम था पर इसकी उपयोगिता आंशिक रूप से इसलिए खत्म हो गई कि इसमें कुछ कमियां थीं जैसे कि विषयों का चुनाव, अध्यापकों की गुणवत्ता, नवीन विषयों को एक ऐसी समय सारिणी में जगह देना जिनमें पारंपरिक विषयों की भरमार थी। सरकार को यह नेक सलाह दी जाती है कि इस योजना की समीक्षा की जाए और उसे बेहतर बनाया जाए, तो उसके बाद ही उसके विस्तार के बारे में सोचा जाए।

मदरसों की डिग्रियों की प्रतियोगी परीक्षाओं योग्यता के रूप में मान्यता दिए जाने की जरूरत है।

3.2 कर्ज और सरकार कार्यक्रमों तक पहुंच बढ़ाना

बैंक के कर्ज और सरकार कार्यक्रमों पर अध्याय में इस तथ्य को उजागर किया गया है कि मुस्लिमों में कर्ज की गति काफी सीमित है। जहां इसके कुछ अंश का कारण शायद यह है कि समूह विशेष के निम्न आय के सतर के चलते कर्ज की मांग ही कम है, कर्ज तक पहुंच के निम्न स्तर को नहीं नकारा जा सकता। कर्ज तक पहुंच की कमी इस समुदाय के लिए ज्यादा गंभीर समस्या है, क्योंकि कामगारों का एक बड़ा हिस्सा स्वरोजगार, खासकर घरेलू उद्योगों में लिप्त है। इसलिए कर्ज की गैर-उपलब्धता का इस समुदाय की सामाजिक आर्थिक और शैक्षणिक स्तर पर दूरगामी प्रभाव पड़ता है। जहां कहीं भी मुस्लिमों और अन्य अल्पसंख्यकों में तुलनात्मक विश्लेषण किया गया है, यह दिखाई पड़ता है कि अन्य अल्पसंख्यकों की बैंक और अन्य दूसरे कार्यक्रमों के तहत कर्ज तक पहुंच मुस्लिमों से कहीं ज्यादा है और जहां कभी भी उन्हें लक्ष्य बनाकर काम किया गया है उन कार्यक्रमों से उन्हें मुख्यरूप से लाभ पहुंचा है। कुछ कार्यक्रमों में जहां मुस्लिमों को पर्याप्त कर्ज मिला है, कुल राशि ही बहुत कम है। गरीबी पर अध्याय दिखलाता है कि 'गरीबी रेखा से निम्न लोगों' में मुसलमानों की संख्या सर्वाधिक है। इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए निम्नांकित अनुशंसा की गई है।

समिति को कई ऐसी शिकायतें मिली, जिनमें बैंकों के कामकाज में सघन मुसलिम आबादी वाले क्षेत्रों को उपेक्षित किया जाता है। इस धारणा को कम से कम आंशिक रूप से दूर करने के लिए अमेरिकी सरकार द्वारा अपनाई गई एक सरल नीति पर निर्देश वांछित है। सारे बैंकों को किसी को भी यह जानकारी देना जरूरी कर दिया जाय जो जानना चाहता हो कि किन इलाकों में कर्ज बांटा गया। अगर व्यक्तिगत रूप से यह जानकारी बांटने में खर्च कुछ ज्यादा ही बढ़ जाते हैं, तो यह जानकारी भारतीय रिजर्व बैंक को दी जा सकती है, जो सूचना के अधिकार कानून के तहत यह जानकारी किसी को दे सकते हैं। ग्राहकों की सामाजिक-धार्मिक श्रेणी और पृष्ठ भूमि के बारे में भी बैंकों की जानकारी रखना और भारतीय रिजर्व बैंक को उपलब्ध कराना चाहिए। व्यक्तिगत लेखा-जोखा के बारे में जानकारी देना जरूरी नहीं है, पर विभिन्न सामाजिक-धार्मिक श्रेणियों के हिसाब से मोटे तौर पर जानकारी उपलब्ध कराना काफी है।

समिति प्राथमिकता के तौर पर मुस्लिमों को अग्रिम कर्ज देने और इस चलन को बढ़ाने की अनुशंसा करती है। अल्पसंख्यक आधारित कार्यक्रमों में लक्षित राशि तक पहुंचने में जो कमियां रह जाएं उस राशि को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम राष्ट्रीय कृषि व ग्रामीण विकास बैंक और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक और अन्य विशेष कार्यक्रमों के द्वारा उपयोग में लाया जाए। वास्तव में जरूरत उन नीतिगत कदमों की है जो अल्पसंख्यकों, विशेष तौर पर मुस्लिमों के नियमित वाणिज्यिक बैंकों के व्यापार में हिस्से और भागीदारी को बढ़ाए। चूंकि नियमित बैंकों के द्वारा कर्ज की गांठ का आकार विभिन्न समुदाय आधारित विशेष कार्यक्रमों से कहीं ज्यादा है, अल्पसंख्यकों की अधिक भागीदारी उनके लाभ को काफी बढ़ा देगी।

- भारतीय जनगणना 2001 के परिणामों का विश्लेषण यह संकेत देता है कि एक गांव/ इलाके में

समिति प्राथमिकता के तौर पर मुस्लिमों को अग्रिम कर्ज देने और इस चलन को बढ़ाने की अनुशंसा करती है।



वास्तव में जरूरत उन नीतिगत कदमों की है जो अल्पसंख्यकों, विशेष तौर पर मुस्लिमों के नियमित वाणिज्यिक बैंकों के व्यापार में हिस्से और भागीदारी को बढ़ाए।

इस बात की आवश्यकता है कि बोर्ड या पैनल के साक्षात्कार कार्यक्रम में समुदाय से जुड़े विशेषज्ञों की सहभागिता हो।

मुस्लिम आबादी से बैंकिंग सुविधाएं विलोमानुपात में हैं। इस मुद्दे पर प्राथमिकता के तौर पर ध्यान देना चाहिए और बैंको को सघन मुस्लिम आबादी में अधिक शाखाएं खोलने के लिए विशेष लाभ दिए जाने चाहिए 'अतिरिक्त राशि' के बारे में सूचित करने के बजाय भारतीय रिजर्व बैंक प्राथमिकता क्षेत्र के अग्रिम राशि के बारे में सावधि सूचना में 'अल्पसंख्यकों' को स्वीकृत या बंटवारे के आंकड़े होने चाहिए। यह इस बात की ओर इंगित करता हो कि उस अवधि में अतिरिक्त राशि के बारे में सूचित करने के बजाय भारतीय रिजर्व बैंक प्राथमिकता क्षेत्र के अग्रिम राशि की आधुनिकीकृत सूचनाओं में 'अन्य' के अंतर्गत दिए गए आंकड़ों को अलग से लिखा जाना चाहिए, जिससे कि बैंकों द्वारा राष्ट्रीय कृषि व ग्रामीण विकास बैंक और दूसरी वित्तीय संख्याओं में बांटी गई राशि प्रतिबिंबित हो सके।

- समिति यह भी अनुशंसा करती है कि सार्वजनिक कार्यक्रमों को और विस्तृत बनाया जाए जिसमें अधिक योजनाएं हों तथा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक एवं भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक आदि को भी कर्ज दिया जाना शामिल हो। राष्ट्रीय लघु उद्योग विकास बैंक को अपने व्यवसाय विकास कार्यक्रम के तहत अल्पसंख्यकों को प्रशिक्षण देने के लिए कुछ राशि अलग से रखनी चाहिए। ऐसे कार्यक्रमों से न सिर्फ कलाकारों पारंपरिक रोजगारों से संबंधित कौशल को प्रोत्साहित करने की कोशिश करनी चाहिए, बल्कि वैश्वीकरण के इस दौर में मुकाबले के लिए आधुनिक तकनीक से लैस भी जाना चाहिए। इन रोजगार समूहों में मुस्लिमों की बड़ी संख्या की मौजूदगी के कारण उन पर विशेष ध्यान दिए जाने की जरूरत है।

- जहां पर्याप्त आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, वहां यह धारणा आम है कि मुस्लिमों की स्व सहायता समूहों और दूसरे अल्प कर्ज कार्यक्रमों में भागीदारी बहुत सीमित है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की अल्प कर्ज में अल्पसंख्यकों की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए एक नीति बनाई जानी चाहिए। इस नीति के तहत यह बताया जाना चाहिए राष्ट्रीय कृषि स्वग्रामीण विकास बैंक द्वारा किस प्रकार के सहायता कार्यक्रम चलाए जाएं और गांवों में मुस्लिम आबादी की हिस्सेदारी के हिसाब से किस प्रकार की लाभ योजना और लक्ष्य रखे जाएं कि अल्प कर्ज में मुस्लिमों की भागीदारी को बढ़ावा मिल सके। किसी भी हालत में ऐसी योजनाओं में विभिन्न सामाजिक धार्मिक श्रेणियों की भागीदारी के आंकड़े एकत्रित किए जाने चाहिए और रिजर्व बैंक या राष्ट्रीय आंकड़ा बैंक को सौंपे जाने चाहिए। ऐसी योजनाओं का क्रियान्वयन विशेष परिस्थितियों के हिसाब से करने की जरूरत है।

- सरकारी नौकरियों और अन्य कार्यक्रमों के विस्तृत विश्लेषण में मुस्लिम भागीदारी बहुत कम पाई गई है। यहां भेदभाव के आरोप-प्रत्यारोप की बात नहीं, पर इस बात की आवश्यकता है कि बोर्ड या पैनल के साक्षात्कार कार्यक्रम में समुदाय से जुड़े विशेषज्ञों की सहभागिता हो। अनुसूचित जाति, जनजाति के मामले में यह व्यवस्था पहले से प्रचलन में है।

- वर्ज 2001 की जनगणना के आंकड़ों के हिसाब से प्रधानमंत्री 15 सूत्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत जो जिले आते हैं, उनकी समीक्षा करने की जरूरत है। समिति यह अनुशंसा करती है कि जिन 58 जिलों में मुस्लिम आबादी 25 फीसदी से ज्यादा है, उन्हें 15 सूत्रीय कार्यक्रम में शामिल किया जाए। इन जिलों के विकास के लिए एक विशेष सहायता पैकेज की घोषणा की जाए। यही सिद्धांत सघन मुस्लिम आबादी वाले तालुका / ब्लॉक स्तर पर भी लागू किया जा सकता है।

4 2004 में कुछ उदाहरणों में स्व सहायता समूहों में काम भागीदारी को दर्शाया गया दिखाया है।

5 उदाहरण के लिए गांवों में जहां 50 प्रतिशत से अधिक मुस्लिम आबादी है, स्व सहायता समूहों को न्यूनतम संख्या के लिए संख्यात्मक लक्ष्य दिए जाने चाहिए। आबादी में मुस्लिमों की अधिकता को देखते हुए, अल्प-कर्ज की चेष्टा में अपने-आप ही मुस्लिम शामिल हो जाएंगे। गांवों में, जहां आबादी में मुस्लिम 25 -50 प्रतिशत हैं, मुस्लिमों के सामाजिक-आर्थिक विवरण के आंकलन के आधार पर सहायता के लिए रणनीति बनाई जाए। हो सकता है बहु-आयामी लक्ष्य निर्धारित करने पड़ें, जो मुस्लिमों की भागीदारी को बढ़ाने के लिए खुद तय किए गए लक्ष्यों पर आधारित हों। जिन गांवों में मुस्लिम आबादी 25 प्रतिशत कम हो, स्व-सहायता प्रोत्साहन संस्थाओं को स्व-सहायता समूहों को बनाने, प्रशिक्षण देने, शिक्षित करने और प्रोत्साहन देने के लिए कर्ज संबंधों को स्थापित करने के लिए एवं मुस्लिम अधिकतर गैर कृषि क्षेत्र से संबंधित होते हैं, इसलिए कार्यविशेष योजनाओं की शुरुआत की जानी चाहिए। कला संबंधी गतिविधियों को ब्लॉक समूह स्तर के हिसाब से चिह्नित करनी चाहिए। प्रतियोगिता से मुकाबले के लिए उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए सहायक रणनीतियां बनाई जानी चाहिए। जिसमें प्रशिक्षण, आधुनिक कौशल और विपणन के बारे में सिखाया जाए।



- सभी कार्यों में अल्पसंख्यकों से जुड़ी जानकारी की सूचना देने में पारदर्शिता बरती जाए। हर तीन महीने में एक निश्चित प्रारूप में जानकारी प्रकाशित / उपलब्ध कराना आवश्यक होना चाहिए तथा इसे राज्य सरकार और विभागों की वेबसाइट पर भी उपलब्ध करना चाहिए। राज्य, जिला, ब्लॉक स्तर पर आवेदन के क्रियान्वयन या खारिज होने में लगने वाली देरी / कमी के बारे में सूचना देने का प्रावधान भी होना चाहिए। अधिक पारदर्शिता पर जोर देते हुए आवेदनकर्ताओं को उनके आवेदन की स्थिति जानने का पूरा अधिकार होना चाहिए। आवेदन की जानकारी और उसकी वर्तमान स्थिति आवेदनकर्ता को निवेदन उपलब्ध कराई जानी चाहिए। यह जानकारी आवेदक को वेबसाइट और टचस्क्रीन के जरिए भी उपलब्ध कराई जानी चाहिए। यह एक ऐसा दूरगामी कदम होगा, जिससे न सिर्फ मुस्लिमों को बल्कि सभी समुदायों को लाभ होगा।
- सरकारी कार्यक्रमों की समीक्षा यह संकेत देती है कि मुसलमानों को उनसे अधिक लाभ नहीं हुआ है। कहीं-कहीं तो मुस्लिमों की लाभान्वितों के रूप में पर्याप्त भागीदारी ही नहीं है, और जहां भागीदारी पर्याप्त है, वहां कार्यक्रम को आवंटित राशि इतनी कम है कि उसका सार्थक असर ही नहीं हुआ है। आंकड़ों के मौजूदा प्रारूप में विभिन्न सामाजिक-धार्मिक श्रेणियों को मिले लाभों का आकलन करना आसान नहीं है। सरकारी कार्यक्रमों में विभिन्न सामाजिक-धार्मिक श्रेणियों की भागीदारी के बारे में राज्य और केंद्रीय स्तर पर नियमित रूप से विस्तृत आंकड़े एकत्रित किए जाने चाहिए। जैसा कि पहले भी सुझाव दिया गया है। इन आंकड़ों को राष्ट्रीय आंकड़ा बैंक को उपलब्ध कराया जाना चाहिए, जो उन्हें संभालकर रखेगी और जिन्हें जरूरत है, उपलब्ध करा सकेगी।
- अंत में जहां अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों की भलाई के लिए बहुत सारी केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाएं एवं केंद्रीय योजना कार्यक्रम बनाई गई हैं, अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए ऐसी योजनाएं बहुत कम हैं। जो योजनाएं हैं, उनमें भी पर्याप्त राशि का अभाव है। वस्तुतः उन पिछड़े जिलों, समूहों को लक्ष्य बनाना, जहां विशेष कलाकारों के समूह हैं, पहुंच और लाभ में अंतर को काफी कम करेगा। केंद्र सरकार को अल्पसंख्यकों की भलाई के लिए बड़े पैमाने पर कुछ योजनाएं शुरू करनी चाहिए, जिनमें मुस्लिमों के लिए समानांतर प्रावधान हों।

3.3 रोजगार के अवसर और स्थितियों को सुधारना

आजकल देश तेजी से विकास कर रहा है। यह समय है अल्पविकसित लोगों को नये अवसरों का उपयोग करने में कुशलता के विकास और शिक्षा के माध्यम से मदद की जाए सरकारी नौकरियों और अन्य कार्यक्रमों के विस्तृत विश्लेषण में मुस्लिम भागीदारी बहुत कम पाई गई है। यहां भेदभाव के आरोप-प्रत्यारोप की बात नहीं, पर इस बात की आवश्यकता है कि बोर्ड या पैनल के साक्षात्कार कार्यक्रम में समुदाय से जुड़े विशेषज्ञों की सहभागिता हो। मुस्लिम समुदाय का बड़ा हिस्सा स्वरोजगार गतिविधियों में संलग्न है। इसके अलावा एक बड़ा वर्ग, खासकर महिलाएं, असल में घरेलू उद्योगों से जुड़ी हैं। जहां कुछ कामगार ऐसे क्षेत्रों से जुड़े हैं, जिनका विकास हुआ है, बहुत से ऐसे रोजगार से जुड़े हैं, जिनका विकास थमा है। इन क्षेत्रों में फंसे लोगों के लिए बदलाव का रास्ता विकसित किया जाना चाहिए। पहले बताए गए कुशलता नवीनीकरण, शिक्षा और कर्ज की आसान उपलब्धता इन दोनों रणनीतियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। दूसरी कभी नियमित रोजगार में है क्योंकि मुस्लिम कामगारों का बहुत छोटा हिस्सा नियमित काम में संलग्न है विशेषकर सार्वजनिक क्षेत्र या बड़े निजी क्षेत्रों में मासिक वैतनिक नौकरियों में। न सिर्फ स्व-रोजगार से संबंधित मुस्लिम कामगारों की बल्कि नियमित कामगारों के भी काम का माहौल भी अस्थिर है।

इन स्थितियों को देखते हुए निम्नांकित कदम वांछित हैं:-

- जिन रोजगारों से मुस्लिम अधिक जुड़े हैं और विकास की क्षमता है, उनसे जुड़े वित्तीय एवं सहायक कदम उठाए जाने चाहिए। ये कदम ऐसी सहायक योजनाओं के रूप में हो सकते हैं, जहां कामगारों को उनकी मौजूदा कुशलताओं के साथ आधुनिक प्रबंधन प्रक्रियाओं नवीन तकनीक और बाजार की उभरती जरूरतों का ज्ञान दिलाया जाए। पांचवें अध्याय में वर्णित माय आर्गेनिक का मामला ऐसी ही सहायक पद्धति का अच्छा उदाहरण है। ऐसे कदमों को सरकार मदद की जरूरत है, पर उनकी सफलता के लिए इनका बाजारोन्मुखी होना आवश्यक है, विशेष संदर्भों में इन सहायक नीतियों से लाभान्वित

आजकल देश तेजी से विकास कर रहा है। यह समय है अल्पविकसित लोगों को नये अवसरों का उपयोग करने में कुशलता के विकास और शिक्षा के माध्यम से मदद की जाए

जिन रोजगारों से मुस्लिम अधिक जुड़े हैं और विकास की क्षमता है, उनसे जुड़े वित्तीय एवं सहायक कदम उठाए जाने चाहिए।



**समुदाय द्वारा चलाए जाने
वो प्रयास/ट्रस्ट जैसे कि
वक्फ संस्थान और मस्जिद
समितियों को भी दर्ज
कराने में सहायता की
जानी चाहिए।**

**आवश्यक संरचनात्मक
सुविधाओं तक पहुंच में
कमी मुस्लिमों के लिए
सोच का अलग विषय है।**

कुशल लोग उन नौजवानों में से हो सकते हैं, जिन्हें पर्याप्त स्कूली शिक्षा नहीं मिल पाई। ऐसी परिस्थितियों में सहायक नीति को कुछ शैक्षणिक विषयवस्तु को एक जरूरी हिस्से की तरह शामिल करना पड़ सकता है।

- जहां उपरोक्त कदम उन क्षेत्रों/ समूहों में भी उठाए जा सकते हैं, जहां मुस्लिम आबादी की सघनता हो। कुछ और समूह/ इलाके के लिए विशेष कदम भी वांछित हैं। चूंकि ऐसे समूहों में कुशलता नवीनीकरण की जरूरतें बहुत अधिक हो सकती हैं, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, पॉलिटेकनिक और दूसरी संस्थाएं, जो गैर दसवी पास लोगों को कुशलता का प्रशिक्षण दे सके, उनकी स्थापना की भी जरूरत है। पास में ही ऐसे संस्थानों की उपलब्धता सिर्फ उन कामगारों के लिए ही सहायक नहीं होगी, जो विकासोन्मुख उद्योगों से जुड़े हैं, वरन उनकी भी मदद करेगी जो नए कौशल सीखकर आधुनिक क्षेत्रों से जुड़ना चाहते हैं।
- अनौपचारिक क्षेत्र के स्वरोजगार से जुड़े व्यक्तियों खासकर घरेलू उद्योग के कामगारों की बुरी स्थितियों को देखते हुए ऐसे लोगों के लिए जरूरी सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था की जरूरत है। अनौपचारिक क्षेत्र में सामयिक कामगारों को भी ऐसी योजनाओं में शामिल करना चाहिए। चूंकि सरकार पहले से ही ऐसी योजनाओं के बारे में सोच रही है, इसका जल्दी क्रियान्वयन मुस्लिम आबादी के एक बड़े हिस्से को लाभ पहुंचाएगा और साथ ही इस क्षेत्र की कार्यशक्ति के और भी बड़े हिस्से की मदद करेगा
- एक अधिक पारदर्शी नियुक्ति व्यवस्था कार्यप्रणाली में जनता का भरोसा बढ़ाने में मदद करेगी। यहां यह सुझाव नहीं दिया जा रहा है कि चुनाव-समितियों में अल्पसंख्यकों को शामिल किए जाने से मुस्लिमों को चुने जाने के अवसर बढ़ेंगे, पर इससे मुस्लिम आवेदकों का प्रक्रिया में भरोसा बढ़ेगा।
- यह बहुत जरूरी है कि मुस्लिमों के रोजगार के भाग को बढ़ाया जाय, खासकर उन संदर्भों में जहां जनता से अधिक संपर्क होता हो। उनकी सार्वजनिक उपस्थिति मुस्लिम समुदाय के बड़े हिस्से में विश्वास और खुद को शामिल समझने का अहसास बढ़ाएगी। इससे उन्हें इन सुविधाओं को ज्यादा संख्या और बड़े भाग से उपयोग करने में मदद मिलेगी। इसके लिए शिक्षकों स्वास्थ्यकर्मों, पुलिस, बैंक कर्मचारी और अन्य के रूप में मुस्लिमों के रोजगार की भागीदारी को बढ़ाने के प्रयास होने चाहिए। नियोक्ताओं को प्रोत्साहन देना चाहिए, कि वे अपने संस्थान को समान अवसर के संस्थान के रूप में परिभाषित करें जिससे सभी धर्म और समुदाय के आवेदक वहां नियुक्ति के लिए आवेदन करें। इस दिशा में समयबद्ध प्रयास वांछित है।
- जैसा हमारे आंकड़े बताते हैं, जब मुस्लिम प्रस्तावित परीक्षाओं व साक्षात्कार में शामिल होते हैं, उनकी सफलता की दर उल्लेखनीय है। ये दोनों सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र की नौकरियों पर लागू होते हैं। कुछ सामान्य कदम जैसे कि उन इलाकों/ जिलों में जहां मुस्लिमों की आबादी का अनुपात अधिक है। वहां दृष्टिगत नियुक्ति प्रक्रिया का उपक्रम किया जाय, उर्दू और स्थानीय समाचार पत्रों व अन्य मीडिया में नौकरियों के विज्ञापन या सामान्य संदेश जैसे कि महिलाएं, अल्पसंख्यक और पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों को आवेदन के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, से विश्वास और उम्मीद का माहौल बनेगा। इसी प्रकार भेदभाव की भावना मिटाने का तो नहीं, पर विश्वास को जगाने के लिए मुस्लिम की सघन आबादी वाले थाना क्षेत्रों में कम से कम एक मुसलमान अधिकारी, ऐसे क्षेत्रों में मुस्लिम स्वास्थ्यकर्मों, विद्यालयों में कुछ मुसलमान शिक्षक आदि का होना महत्वपूर्ण कदम हो सकता है।

3.4 संरचना प्रावधान की निपुणता को बढ़ाना

संरचना की अपर्याप्त उपलब्धता एक ऐसी समस्याओं में से है जो मुस्लिम देश के सभी गरीब, विशेष तौर से वंचित सामाजिक-धार्मिक श्रेणियों के साथ झेलते हैं। जहां गैर-सरकारी संस्थाओं में सेवा-प्रदाताओं की संख्या बढ़ रही है, संरचना का सामाजिक प्रावधान अभी भी वांछित है और बुरी हालत में है। विभिन्न सामाजिक-धार्मिक श्रेणियों के प्रति संवेदनशीलता, प्रारंभिक शिक्षा, स्वास्थ्य आदि सेवाओं को देने के लिए बहुत जरूरी है। सेवा-दाताओं को मुस्लिम समुदाय तक पहुंचने में कई कारण से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जो समुदाय से जुड़े मुद्दों को ना समझ पाने से लेकर संस्था में मुस्लिमों की उपस्थिति का ना होना और समुदाय में उनके प्रति अविश्वास की धारणा होना, हो सकता है यह भी आरोप लगाया जाता

6 अव्यवस्थित क्षेत्र की सामाजिक सुरक्षा, अव्यवस्थित क्षेत्र के उपक्रमों का राष्ट्रीय आयोग, भारत सरकार नई दिल्ली, मई 2006 देखें!



है कि बहुत सी परिस्थितियों में सेवा दाताओं में अनुवांशिक भेद-भाव की भावना होती है और उसे सुधारने के लिए, निम्नलिखित उपायों का सुझाव दिया जा रहा है:

- सेवा से संबंधित विभागीय सदस्यों को सामाजिक पृथकीकरण के मुद्दों पर संवेदनशील बनाने की बात हम पहले भी कर चुके हैं और इन समस्याओं को कम करने में काफी सहायक हो सकता है।
- विश्वसनीय गैर-सरकार संस्थाओं, जिनके पास जरूरी दक्षता है, मुस्लिम समुदाय में काफी कम और दूरी पर हैं। पर बहुतों को अपनी संस्थाएं दर्ज कराने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। समुदाय द्वारा चलाए जाने वाले प्रयास/ट्रस्ट जैसे कि वक्फ संस्थान और मस्जिद समितियों को भी दर्ज कराने में सहायता की जानी चाहिए। यह संस्थान, समुदाय के करीब होने से सरकार द्वारा घोषित नीतिगत कार्यक्रमों और मुस्लिम समुदाय में उससे लाभान्वित सदस्यों के बीच मध्यस्थ के रूप में अहम भूमिका अदा कर सकते हैं। साथ ही, मुस्लिम समुदाय के मध्य भी जन कल्याण सभाओं को शुरू किए जाने को प्रोत्साहन देने की जरूरत है। पर एक बार फिर इन संस्थाओं की पहुंच बहुत ही सीमित होगी और आवश्यक स्वास्थ्य और दूसरी संरचनात्मक सुविधाएं मुहैया कराने की सरकार की जिम्मेदारी सभी गरीब लोगों जिनमें मुस्लिम भी शामिल हैं, की मुख्य उम्मीद है।
- आवश्यक संरचनात्मक सुविधाओं तक पहुंच में कमी मुस्लिमों के लिए सोच का अलग विषय है। विद्यालय, स्वास्थ्य सेवा, सफाई की सुविधाएं पीने के पानी और रोजमर्रा के यातायात के साधनों तक पहुंच कुछ ऐसी मूलभूत आवश्यकताओं में से हैं, जिनके बारे में कोई उम्मीद कर सकता है कि एक देश अपने नागरिकों को मुहैया कराएगा। अन्य सामाजिक-धार्मिक श्रेणियों की तुलना में संरचनात्मक सुविधाओं तक पहुंच के अनुपात जो नवें अध्याय में वर्णित हैं, दर्शाते हैं कि पूरे भारत में, केरल राज्य को छोड़कर, मुस्लिमों की ऐसी सुविधाओं तक पहुंच बहुत कम है। जैसे कि उपर वर्णित कुछ मुद्दों के मामले में है, जहां तक संरचनात्मक सुविधाओं की बात है, सिर्फ मुस्लिमों को लेकर बहस करना वाजिब नहीं है। जहां पर भी यह सुविधाएं नहीं हैं, उससे उस क्षेत्र/ आस-पास के सभी लोग प्रभावित होते हैं, जो उन पर आश्रित हैं। उदाहरण के लिए, अगर सघन मुस्लिम आबादी वाले गांव में विद्यालय या स्वास्थ्य सेवा की सुविधा नहीं है, तो उस गांव की अन्य सामाजिक-धार्मिक श्रेणियों के लोगों को भी उतनी ही परेशानी होती है क्योंकि वो भी इस सुविधा से वंचित रह जाते हैं। इसलिए सरकार को यह नेक सलाह दी जाती है कि वो सभी गांवों/कस्बों/ रहने की जगहों में मूलभूत सुविधाओं, अच्छी गुणवत्ता वाले सरकार विद्यालय और स्वास्थ्य सुविधाओं, आने-जाने के लिए पक्की सड़कें और जीवन स्तर में सामान्य सुधार, साफ पीने का पानी और सफाई मुहैया कराए। यह पूरे भारत के लिए अच्छा होगा, ना कि सिर्फ मुस्लिमों के लिए। इन मूलभूत सुविधाओं को ना मुहैया कराना मानव अधिकारों का हनन भी है।

आज देश में सामाजिक-धार्मिक समुदायों में अलगाव से जुड़े मुद्दे बहुत अहम हैं। अगर यह रिपोर्ट इन मुद्दों को सुलझाने में किसी भी तरह की सकारात्मक मदद कर पाए, और उन पर अधिक जानकारी के साथ विचार किए जाने में सहयोग कर सके, तो समिति के प्रयास सार्थक हो जाएंगे।

3.5 समुदाय के प्रयासों को प्रोत्साहन देना

उपर बताए गए बहुत से सुझाव ज्यादा कारगर साबित होंगे अगर उसमें समुदाय भागीदारी करे। सच तो यह है कि सरकार, समुदाय और निजी क्षेत्र की साझेदारी, मुस्लिमों द्वारा झेली जा रही परेशानियों को दूर करने के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। इस संदर्भ में, वक्फ की संपत्ति का बेहतर इस्तेमाल साझेदारी का अवसर दे सकता है। देश भर में वक्फ की संपत्ति का बड़ा हिस्सा उपेक्षित है। कई बार अनैतिक लोग उसका गलत फायदा उठाते हैं। ऐसा होना इसलिए संभव हुआ क्योंकि वक्फ की संपत्ति के प्रशासन में ढील बरती गई। यह रिपोर्ट प्रबंधन में कमियों और खामियों की तरफ इशारा करती है और उन्हें ठीक करने के लिए जरूरी कानूनी और प्रशासन-संबंध चरणों का सुझाव देती है। इन पर प्राधिकरणों के तुरंत ध्यान दिए जाने की जरूरत है, जिससे इन संपत्तियों का बेहतर प्रबंधन कर कई भलाई के कार्यों के स्रोत बनाए जा सकें, जिनमें से कुछ सरकार और निजी क्षेत्र की साझेदारी द्वारा किए गए उपक्रम हो सकते हैं।

यह इस समिति के लिए बहुत ही संतुष्टि की बात है कि यह रिपोर्ट मुस्लिम समुदाय द्वारा झेली जा रही अधिकतर समस्याओं पर ध्यान देती है। यह समुदाय को प्रगति के पथ पर चलाने के लिए विस्तृत अनुशंसाएं करती है। यह उम्मीद की जाती है कि केंद्र और राज्य सरकारें इन अनुशंसाओं पर ध्यान देंगी और उन्हें उतनी ही पूर्णता और ईमानदारी के साथ लागू किया जाएगा। यह भी उम्मीद की जाती है कि जन समाज द्वारा



भारत में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति

रिपोर्ट को सकारात्मक प्रतिक्रिया मिलेगी, जिससे कि सरकार द्वारा शुरू किए गए नीतिगत प्रयासों और अनुशंसाओं पर अमल करने को समाज के सभी वर्गों, जिसमें मुस्लिम समुदाय भी शामिल है, का पूरा सहयोग और सक्रिय सहायता मिलेगी। आज देश में सामाजिक-धार्मिक समुदायों में अलगाव से जुड़े मुद्दे बहुत अहम हैं। अगर यह रिपोर्ट इन मुद्दों को सुलझाने में किसी भी तरह की सकारात्मक मदद कर पाए, और उन पर अधिक जानकारी के साथ विचार किए जाने में सहयोग कर सके, तो समिति के प्रयास सार्थक हो जाएंगे।



परिशिष्ट

परिशिष्ट तालिका 1.1: सामाजिक-धार्मिक श्रेणियों के हिसाब से जनसंख्या का विभाजन (संपूर्ण भारत)

राज्य	जन संख्या - 2001 (लाख में)	प्रतिशत 2001 (%)	हिंदू						मुस्लिम				अन्य जन-संख्या 2001 (%)	
			% एससी/एसटी		%अन्य पिछड़ा वर्ग		% सामान्य		प्रतिशत 2001 (%)	%अन्य पिछड़ा वर्ग*		%सामान्य		
			1999-00	2004-05	1999-00	2004-05	1999-00	2004-05		1999-00	2004-05	1999-00		2004-05
भारत	1028.6	80.5	31.3	31.2	38.3	43.0	30.5	25.9	13.4	31.7	40.7	68.3	59.3	6.1
पश्चिम बंगाल	80.2	72.5	43.3	42.0	8.3	8.4	48.4	49.6	25.2	2.6	2.4	97.4	97.6	2.3
केरल	31.8	56.2	18.1	21.1	49.4	56.0	32.5	22.9	24.7	89.8	99.1	10.2	0.9	19.1
उत्तर प्रदेश	174.7	80.8	28.8	28.5	41.6	51.5	29.6	19.9	18.2	44.4	62.0	55.6	38.0	0.9
बिहार	109.9	79.6	29.5	26.9	54.4	60.2	16.1	12.8	15.9	40.6	63.4	59.4	36.6	0.2
असम	26.7	64.9	34.5	40.7	24.6	26.6	41.0	33.8	30.9	4.9	3.0	95.1	97.0	4.2
जम्मू-कश्मीर	10.1	29.6	22.9	35.4	3.1	10.1	74.0	54.5	67.0	19.4	17.1	80.6	82.9	3.4
झारखंड	-	-	-	37.8	-	47.0	-	15.2	-	-	61.7	-	38.3	-
कर्नाटक	52.9	83.9	29.2	29.7	35.1	39.2	35.7	31.1	12.2	56.8	52.7	43.2	47.3	3.9
उत्तरांचल	-	-	-	27.8	-	14.9	-	57.3	-	-	53.2	-	46.8	-
दिल्ली	13.9	82.0	18.5	27.8	22.4	14.1	59.1	58.1	11.7	45.1	21.6	54.9	78.4	6.3
महाराष्ट्र	96.9	80.4	23.5	22.2	30.0	37.7	46.6	40.1	10.6	6.8	11.6	93.2	88.4	9.0
आंध्र प्रदेश	76.2	89.0	27.3	25.6	49.4	50.2	23.3	24.2	9.2	10.7	19.5	89.3	80.5	1.8
गुजरात	50.7	89.1	30.0	29.0	29.3	39.8	40.7	31.2	9.1	25.6	33.0	74.4	67.0	1.8
राजस्थान	56.5	88.8	37.4	37.9	34.0	43.1	28.6	18.9	8.5	24.2	55.8	75.8	44.2	2.8
मध्य प्रदेश	81.2	92.1	42.4	39.0	41.2	41.6	16.4	18.6	5.2	36.8	48.3	63.2	51.7	2.5
हरियाणा	21.1	88.2	24.7	25.5	25.1	29.3	50.3	45.2	5.8	82.4	86.2	17.6	13.8	6.0
तमिलनाडु	62.4	88.1	27.3	23.6	64.8	72.5	7.9	3.9	5.6	83.2	93.3	16.8	6.7	6.3
उड़ीसा	36.8	94.4	44.0	41.6	30.5	37.8	25.5	20.5	2.1	7.8	8.5	92.2	91.5	3.6
हिमाचल प्रदेश	6.1	95.4	23.6	32.4	11.5	14.8	65.0	52.8	2.0	33.4	30.9	66.6	69.1	2.6
पंजाब	24.4	36.9	43	39.6	17.4	14.3	39.6	46.1	1.6	40.6	54.4	59.4	45.6	61.5

नोट: राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संस्थान के 55वें चक्र (सारिणी 10) और 61 वें चक्र (सारिणी 10) के आंकड़े * अनुसूचित जाति एवं जनजाति की बहुत कम संख्या के साथ



भारत में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति

परिशिष्ट तालिका 1.2: सामाजिक-धार्मिक श्रेणियों के हिसाब से जनसंख्या का राज्यों में विभाजन (शहरी)

राज्य	जन संख्या - 2001 (%) (लाख में)	प्रतिशत 2001 (%)	हिंदु						मुस्लिम					अन्य - जन संख्या (%)
			% एससी/एसटी		% अन्य पिछड़ा वर्ग		% सामान्य		प्रतिशत 2001	% अन्य पिछड़ा वर्ग*		% सामान्य		
			2004-00	1999-05	2004-00	1999-05	2004-00	(%)		1999-00	2004-05	1999-00	2004-05	
भारत	286.1	75.6	20.6	20.5	33.0	36.9	46.5	42.6	17.3	32.6	40.2	67.4	59.8	7.1
पश्चिम बंगाल	22.4	83.4	24.2	23.6	5.7	6.9	70.0	69.5	15.1	1.7	0.1	98.3	99.9	1.5
केरल	8.3	58.4	10.2	13.3	53.6	59.0	36.2	27.7	24.2	87.8	98.8	12.2	1.2	17.4
उत्तर प्रदेश	34.5	66.3	21.9	18.7	31.4	42.4	46.8	38.9	32.1	46.2	57.0	53.8	43.0	1.7
बिहार	8.7	79.7	20.9	14.2	49.9	60.2	29.2	25.6	19.6	44.1	71.7	55.9	28.3	0.7
असम	3.4	82.0	19.8	26.0	11.5	21.0	68.7	52.9	15.3	8.3	1.7	91.7	98.3	2.8
जम्मू-कश्मीर	2.5	35.0	18.0	24.5	7.2	9.7	74.8	65.8	59.8	0.9	2.6	99.1	97.4	5.2
झारखंड	-	-	-	22.8	-	39.3	-	37.9	-	-	45.6	-	54.4	-
कर्नाटक	18.0	73.0	21.1	20.7	28.7	36.8	50.2	42.5	21.2	51.0	49.9	49.0	50.1	5.7
उत्तरांचल	-	-	-	21.7	-	15.3	-	63.0	-	-	41.1	-	58.9	-
दिल्ली	12.9	81.4	19.3	29.0	14.9	12.4	65.8	58.6	12.1	35.0	21.8	65.0	78.2	6.5
महाराष्ट्र	41.1	70.7	15.5	20.8	25.6	29.7	58.9	49.6	17.5	5.9	11.1	94.1	88.9	11.8
आंध्र प्रदेश	20.8	77.4	19.5	16.8	46.7	51.8	33.8	31.5	19.5	6.6	19.7	93.4	80.3	3.1
गुजरात	18.9	82.3	18.9	14.1	25.6	32.1	55.5	53.8	14.2	28.8	24.8	71.2	75.2	3.5
राजस्थान	13.2	77.7	29.2	30.3	27.9	34.5	42.9	35.1	17.5	14.3	43.3	85.7	56.7	4.8
मध्य प्रदेश	16.0	80.3	27.9	20.6	36.7	38.6	35.4	40.8	15.3	21.3	51.3	78.7	48.7	4.5
हरियाणा	6.1	91.2	22.3	18.2	19.9	23.6	57.9	58.1	2.9	32.2	56.8	67.8	43.2	5.9
तमिलनाडु	27.5	82.6	13.6	15.3	68.4	76.4	18.0	8.3	9.2	85.5	91.2	14.5	8.8	8.2
उड़ीसा	5.5	91.2	26.8	27.2	30.8	32.6	42.4	40.2	5.8	0.9	8.9	99.1	91.1	3.0
हिमाचल प्रदेश	0.6	90.7	19.3	24.1	9.7	10.7	71.0	65.2	2.9	16.6	8.0	83.4	92.0	6.4
पंजाब	8.3	59.7	32.4	30.3	13.0	11.2	54.7	58.5	2.0	29.1	56.0	70.9	44.0	38.3

नोट: राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संस्थान के 55वें वक (सारिणी 10) और 61 वें वक (सारिणी 10) के आंकड़े * अनुसूचित जाति एवं जनजाति की बहुत कम संख्या के साथ



परिशिष्ट तालिका 1.3: सामाजिक-धार्मिक श्रेणियों के हिसाब से जनसंख्या का राज्यों में विभाजन (ग्रामीण)

राज्य	जन संख्या - 2001 (लाख में)	प्रतिशत 2001 (%)	हिंदू						मुसलमान				अन्य जन-संख्या 2001 (%)	
			% एससी/एसटी		% अन्य पिछड़ा वर्ग		% सामान्य		प्रतिशत-2001 (%)	% अन्य पिछड़ा वर्ग*		% सामान्य		
			1999-00	2004-05	1999-00	2004-05	1999-00	2004-05		1999-00	2004-05	1999-00		2004-05
भारत	742.5	82.3	34.6	34.5	39.9	44.9	25.5	20.6	12.0	31.2	40.9	68.8	59.1	5.7
पश्चिम बंगाल	57.7	68.2	50.4	49.8	9.3	9.0	40.3	41.2	29.2	2.7	2.5	97.3	97.5	2.6
केरल	23.6	55.4	21.1	23.5	47.8	55.0	31.1	21.5	24.9	90.4	99.2	9.6	0.8	19.7
उत्तर प्रदेश	131.7	84.4	30.3	30.4	43.7	53.3	26.1	16.3	14.9	43.4	64.6	56.6	35.4	0.7
बिहार	74.3	83.6	30.7	28.2	55.0	60.3	14.3	11.6	16.2	39.9	62.5	60.1	37.5	0.2
असम	23.2	62.4	36.9	42.8	26.8	26.2	36.3	31.0	33.2	4.8	3.0	95.2	97.0	4.4
जम्मू-कश्मीर	7.6	27.8	23.9	38.6	2.3	10.2	73.8	51.2	69.3	24.6	22.3	75.4	77.7	2.8
झारखंड	-	-	-	41.5	-	48.8	-	9.7	-	-	63.2	-	36.8	-
कर्नाटक	34.9	89.4	31.6	33.0	37.0	40.1	31.3	26.9	7.6	64.2	56.3	35.8	43.7	3.0
उत्तरांचल	-	-	-	29.7	-	14.8	-	55.5	-	-	60.8	-	39.2	-
दिल्ली	0.9	89.7	16.1	16.0	42.8	31.1	41.0	52.8	6.9	87.9	0.0	12.1	100.0	3.4
महाराष्ट्र	55.8	87.5	27.5	23.1	32.1	42.3	40.3	34.7	5.5	8.7	12.6	91.3	87.4	7.0
आंध्र प्रदेश	55.4	93.4	30.1	28.3	50.3	49.7	19.6	22.0	5.3	16.9	19.2	83.1	80.8	1.3
गुजरात	31.7	93.1	34.7	35.8	30.9	43.3	34.5	20.9	6.0	21.0	40.2	79.0	59.8	0.9
राजस्थान	43.3	92.1	39.5	39.9	35.5	45.4	25.0	14.7	5.7	30.7	69.5	69.3	30.5	2.2
मध्य प्रदेश	44.4	95.1	45.9	44.4	42.2	42.3	11.8	13.2	3.2	60.3	43.0	39.7	57.0	1.8
हरियाणा	15.0	87.0	25.7	28.3	27.1	31.5	47.2	40.2	7.0	86.5	92.3	13.5	7.7	6.0
तमिलनाडु	34.9	92.4	34.1	28.4	63.0	70.2	2.9	1.3	2.7	78.0	97.2	22.0	2.8	4.9
उड़ीसा	31.3	94.9	47.3	43.8	30.4	38.6	22.3	17.6	1.4	12.4	8.1	87.6	91.9	3.7
हिमाचल प्रदेश	5.5	95.9	23.9	33.2	11.6	15.2	64.4	51.6	1.9	35.2	32.9	64.8	67.1	2.2
पंजाब	16.1	25.2	54.6	52.9	22.3	18.7	23.1	28.3	1.3	55.3	53.5	44.7	46.5	73.4

नोट: राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संस्थान के 55वें वक (सांख्यिकी 10) और 61वें वक (सांख्यिकी 10) के आंकड़े * अनुसूचित जाति एवं जनजाति की बहुत कम संख्या के साथ



परिशिष्ट तालिका 2.1: राज्यों द्वारा प्रतिनिधित्व का निष्कर्ष

राज्य	श्रेणी के आधार पर वर्गों की संख्या									
	प्रतिनिधित्व संख्या	शिक्षा	आरक्षण	रोजगार	सुरक्षा	आधारभूत सुविधाएं	अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान	कर्ज सुविधाएं	कल्याण योजनाएं	अन्य
संपूर्ण भारत	578	847	331	326	237	144	128	119	90	246
पश्चिम बंगाल	47	73	19	20	5	14	8	5	4	14
केरल	45	77	32	20	2	9	9	6	7	44
उत्तर प्रदेश	50	71	40	24	20	11	6	12	9	10
बिहार	51	79	38	27	20	10	8	8	10	45
असम	50	41	25	53	33	22	5	12	5	12
जम्मू कश्मीर	17	29	10	18	6	5	4	3	3	16
कर्नाटक	31	49	14	22	10	3	8	5	7	2
दिल्ली	13	9	2	1	2	5	2	3	2	8
महाराष्ट्र	66	100	33	24	24	9	21	10	8	15
आंध्र प्रदेश	52	66	35	26	15	6	17	10	12	6
गुजरात	64	107	39	55	52	20	2	22	7	16
राजस्थान	47	78	29	17	29	23	15	14	12	14
मध्य प्रदेश	45	68	15	19	19	7	23	9	4	44
कुल प्रतिनिधित्व के आधार पर जारी		147	57	56	41	25	22	21	16	43

स्रोत: समिति द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर

नोट:

1. शिक्षा से जुड़े मसले में शामिल हैं (a) शैक्षणिक संरचना तक पहुंच और स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता (b) शैक्षणिक पिछड़ेपन के कारण; (c) मदरसों की भूमिका; (d) अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों की समस्याएं; (e) उर्दू की पढ़ाई; (f) मुस्लिम छात्रों के प्रति भेद-भाव; (g) मुस्लिम लड़कियों की शिक्षा से जुड़ी समस्याएं; (h) शैक्षणिक संस्थानों में दाखिले और पढ़ाई जारी रखने को बढ़ावा देने के लिए अतिरिक्त लागू; (i) तकनीकी शिक्षा की आवश्यकता और अन्य.
2. रोजगार व आर्थिक पहलुओं से जुड़े मसले में शामिल हैं: (a) सरकारी व निजी रोजगार में मुस्लिम भागीदारी; (b) रोजगार व काम के बदतर माहौल; (c) आर्थिक उदारीकरण एवं वैश्वीकरण के बुरे नतीजे (जैसे, पारंपरिक पेशे से विस्थापन); (d) कामगारों की खराब स्थिति और प्रशिक्षण, आर्थिक, संरचनात्मक एवं अन्य मदद की जरूरत; (e) मुस्लिम व्यवसायियों की समस्याएं और उनकी मदद की जरूरत; और (f) सांप्रदायिक दंगों और प्राकृतिक आपदाओं आदि के प्रभाव
3. बैंकिंग व कर्ज सुविधाओं से जुड़ी समस्याओं में शामिल हैं: (a) कर्ज सुविधाओं तक सीमित पहुंच; और (b) मुस्लिम कर्जदारों के साथ पक्षपात.
4. सुरक्षा के लिए उठाए गए मसलों में शामिल हैं (a) सांप्रदायिक दंगों से जुड़ी समस्याएं और उससे संबंधित सामूहिकीकरण; (b) मुस्लिमों के प्रति अनुचित सरकारी रवैया; (c) भेद-भाव की भावना; और (d) उग्रवादियों का प्रभाव और सीमावर्ती इलाके की समस्याएं.
5. सघन मुस्लिम आबादी वाले इलाके में संरचनात्मक सुविधाओं पर मिले प्रतिवेदन मुख्य रूप से खराब मूलभूत सुविधाओं जैसे, बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य सेवा, बैंक और आंगनवाड़ी आदि की जानकारी देते हैं।
6. आरक्षण से जुड़े प्रतिवेदन रोजगार, शिक्षा, राजनीति, स्थानीय निकायों, संसद आदि में बेहतर प्रतिनिधित्व की जरूरत पर बल देते हैं और अन्य पिछड़े वर्ग के आरक्षण के लिए बेहतर कियान्वयन की मांग रखते हैं।
7. कल्याण योजनाएं और कार्यक्रम के कियान्वयन से जुड़े मसलों में लागू होने की कमियां और संभावित मुस्लिम लाभान्वितों के बारे में जानकारी का अभाव शामिल है।
8. अल्पसंख्यक संस्थानों के काम से जुड़े प्रतिवेदन अल्पसंख्यक आयोग, अल्पसंख्यक वित्तीय निगम, वक्फ बोर्ड आदि पर नजर डालते हैं।



परिशिष्ट तालिका 2.2: मुस्लिम आबादी के आनुपातिक भाग के हिसाब से अनुसूचित जाति के लिए
आरक्षित राज्य विधानसभा चुनाव क्षेत्र/तहसील

तहसील का नाम	कुल जनसंख्या	मुस्लिम जनसंख्या	अनुसूचित जाति जनसंख्या	अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का	अनुसूचित जाति %कुल जनसंख्या में	मुस्लिम का % कुल जनसंख्या में
उत्तर प्रदेश : आरक्षित विधानसभा क्षेत्र						
हापुड़	773899	220996	181026	11	23.4	28.6
नजीबाबाद	605199	297892	139227	418	23.0	49.2
नगीना	625366	264523	134807	2004	21.6	42.3
कोईल	1373814	368210	283384	203	20.6	26.8
खलीलाबाद	605777	194538	123577	192	20.4	32.1
मानकपुर	530697	95791	87701	9	16.5	18.1
जानसठ	767827	280764	125816	0	16.4	36.6
फरीदपुर	383771	88280	61607	0	16.1	23.0
उत्तर प्रदेश : अनारक्षित विधानसभा क्षेत्र						
मरीहून	189950	6167	93575	617	49.3	3.2
घोरवाल	225824	10198	100869	8	44.7	4.5
लालगंज	287983	17125	122031	189	42.4	5.9
हरदोई	975970	85110	391950	98	40.2	8.7
मिशरिख	764302	65750	289823	19	37.9	8.6
संदीला	828047	120541	309395	75	37.4	14.6
हैदरगढ़	507962	72085	182517	61	35.9	14.2
बख्शी का तालाब	276134	33062	98476	93	35.7	12.0
तहरौली	151202	4688	53302	57	35.3	3.1
बिहार : आरक्षित विधानसभा क्षेत्र						
रानीगंज	302261	86655	64383	13708	21.3	28.7
फुलवारी	191005	41698	35844	212	18.8	21.8
सकरा	242815	50630	44809	26	18.5	20.9
छतरपुर	215493	39568	36445	2264	16.9	18.4
बगहा	314874	53235	45190	947	14.4	16.9
कोरहा	210656	78482	29961	19209	14.2	37.3
दरभंगा	496486	131287	65236	280	13.1	26.4
मैरवा	93497	11713	10310	1617	11.0	12.5
धुरैया	186270	55960	18899	1474	10.1	30.0
बिहार : अनारक्षित विधानसभा क्षेत्र						
डुमरिया	100411	13420	39474	29	39.3	13.4
बांके बजार	100354	11903	39220	263	39.1	11.9
दोभी	117763	9620	43803	129	37.2	8.2
मानपुर	108516	9368	40169	3	37.0	8.6
अमास	81640	12190	29668	164	36.3	14.9
टान कुप्या	93175	3721	33606	4	36.1	4.0
मोहनपुर	161817	15796	58185	214	36.0	9.8
गुरुआ	142853	19924	49980	2	35.0	13.9
सिरदला	136369	10431	46468	61	34.1	7.6



भारत में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति

**परिशिष्ट तालिका 2.2: मुस्लिम आबादी के अनुपातिक भाग के हिसाब से अनुसूचित जाति के लिए
आरक्षित राज्य विधानसभा चुनाव क्षेत्र/तहसील**

तहसील का नाम	कुल जनसंख्या	मुस्लिम जनसंख्या	अनुसूचित जाति जनसंख्या	अनुसूचित जनजाति जनसंख्या	कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति का प्रतिशत	कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति का प्रतिशत
पश्चिम बंगाल : आरक्षित विधानसभा क्षेत्र						
बसंती	278592	114736	107602	17462	38.6	41.2
राजरहाट	145381	60108	52233	938	35.9	41.3
मन्नूर	193775	64827	61803	3834	31.9	33.5
कुल्पी	242752	88230	77380	141	31.9	36.3
केतुग्राम - I	145859	64975	39011	582	26.7	44.5
संकैल	290924	92942	73191	1761	25.2	31.9
केशपुर	288489	76866	72536	17012	25.1	26.6
खाग्राम	234780	120557	55320	1918	23.6	51.3
सागरदीधि	252293	156870	44992	16882	17.8	62.2
कालीगंज	290957	161705	49349	1447	17.0	55.6
पश्चिम बंगाल : अनारक्षित विधानसभा क्षेत्र						
सिताई	96347	26491	64869	8	67.3	27.5
हल्दीबाड़ी	93867	30036	58070	254	61.9	32.0
जलपाईगुड़ी	280927	40519	170394	16774	60.7	14.4
कालीगंज	190019	39334	114922	8656	60.5	20.7
खजूरी - II	117438	8306	66658	819	56.8	7.1
खरीबारी	88230	4128	44863	17099	50.8	4.7
तुफानगंज - II	167455	22083	84790	3176	50.6	13.2
बामनगोला	127252	11287	63459	25083	49.9	8.9
गायघाटा	300588	18841	144293	4401	48.0	6.3
बोंगांव	344044	69777	161918	10245	47.1	20.3

स्रोत: 1. भारत निर्वाचन आयोग, 2004 2. भारत की जनगणना, 2001



परिशिष्ट तालिका 3.1: भारत के प्रमुख धर्मों का जनसंख्या का चलन, 1961-2001

वर्ष	धर्म							
	सभी	हिंदू	मुस्लिम	इसाई	सिख	बौद्ध	जैन	अन्य
जनसंख्या (हजार में)								
1961	439235	366528	46941	10728	7846	3256	2027	1909
1971	547950	453292	61418	14223	10379	3912	2605	2221
1981	683330	562389	80286	16696	13093	4758	3222	2885
1991	846388	690060	106715	19654	16426	6476	3355	3701
2001	1028610	827579	138188	24080	19216	7955	4225	7367
समय जनसंख्या में हिस्सा (प्रतिशत में)								
1961-71	100	83.45	10.69	2.44	1.79	0.74	0.46	0.43
1971-81	100	82.73	11.21	2.60	1.89	0.70	0.48	0.41
1981-91	100	82.30	11.75	2.44	1.92	0.70	0.47	0.42
1991-2001	100	81.53	12.61	2.32	1.94	0.77	0.40	0.44
1961-2001	100	80.46	13.43	2.34	1.87	0.77	0.41	0.72
समय प्रतिशत वृद्धि								
1961-71	24.75	23.67	30.84	32.58	32.28	17.08	28.48	45.74
1971-81	24.71	24.07	30.72	17.38	26.15	24.80	23.71	29.19
1981-91	23.86	22.70	32.92	17.72	25.46	36.13	4.11	15.84
1991-2001	21.53	19.93	29.49	22.52	16.98	22.83	25.95	103.09
1961-2001	134.18	125.79	194.39	124.46	144.91	144.32	108.41	286.01
समय सालाना वृद्धि दर (गुणात्मक)%								
1961-71	2.21	2.12	2.69	2.82	2.80	1.58	2.51	3.77
1971-81	2.21	2.16	2.68	1.60	2.32	2.22	2.13	2.56
1981-91	2.14	2.05	2.85	1.63	2.27	3.08	0.40	1.47
1991-2001	1.95	1.82	2.58	2.03	1.57	2.06	2.31	7.08
1961-2001	2.13	2.04	2.70	2.02	2.24	2.23	1.84	3.38

स्रोत : भारत के गणपंजीयक के द्वारा दिए गए जनसंख्या आंकड़ों के अनुसार(2004) और असम के 1981 एवं जम्मू कश्मीर के 1991 के धर्म के अनुसार आपस में संबंधित मूल्य; कुलकर्णी और अलगराजन देखें (2005).



भारत में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति

परिशिष्ट तालिका 3.2: कुल और मुस्लिम जनसंख्या का रुझान -
भारत और बड़े राज्य, 1961-2001 (जनसंख्या हजार में)

भारत/राज्य	सभी धर्म					मुसलमान				
	1961	1971	1981	1991	2001	1961	1971	1981	1991	2001
भारत	439235	547950	683329	846388	1028610	46941	61418	80286	106715	138188
पश्चिम बंगाल	34926	44312	54581	68078	80176	6985	9064	11743	16076	20241
केरल	16904	21347	25454	29099	31841	3028	4163	5410	6788	7864
उत्तरप्रदेश										
उत्तरांचल सहित	73746	88341	110862	139112	174687	10788	13677	17658	24110	31752
बिहार										
झारखंड सहित	46456	56353	69915	86374	109944	5786	7594	9875	12788	17453
असम	11103	14625	18041	22414	26656	2742	3592	4774	6373	8241
जम्मू-कश्मीर	3561	4617	5987	7804	10144	2432	3040	3843	5119	6793
कर्नाटक	23587	29299	37136	44977	52851	2328	3113	4105	5234	6463
दिल्ली	2659	4066	6220	9421	13851	155	263	482	890	1624
महाराष्ट्र	39554	50412	62784	78937	96879	3034	4233	5806	7629	10270
आंध्र प्रदेश	35983	43503	53550	66508	76210	2715	3520	4534	5924	6987
गुजरात	20633	26697	34086	41310	50671	1745	2249	2908	3607	4593
राजस्थान	20156	25766	34262	44006	56507	1315	1778	2492	3525	4788
छत्तीसगढ़ के साथ										
मध्य प्रदेश	32372	41654	52179	66181	81182	1318	1816	2502	3283	4251
तमिलनाडु	33687	41199	48408	55859	62406	1560	2104	2520	3053	3471
उड़ीसा	17549	21945	26370	31660	36805	215	327	422	578	762
हरियाणा और चंडीगढ़										
के साथ पंजाब	18845	23845	30163	37388	46404	381	524	701	1021	1641
उत्तर प्रदेश	*	*	*	132062	166198	*	*	*	23404	30740
उत्तरांचल	*	*	*	7051	8489	*	*	*	705	1012
बिहार	*	42126	52303	64531	82999	*	6122	7892	10128	13722
झारखंड	*	14227	17612	21844	26946	*	1472	1983	2660	3731
मध्य प्रदेश	*	30017	38169	48566	60348	*	1653	2269	2983	3841
छत्तीसगढ़	*	11637	14010	17615	20834	*	163	233	300	410
पंजाब	11135	13551	16789	20282	24359	89	114	168	239	382
हरियाणा	7591	10037	12923	16464	21145	290	406	524	764	1223

नोट: इटैलिक में दिए गए आंकड़े आपस में जुड़े हैं; देखें कुलकर्णी और अलगराजन (2005).

*: नहीं दर्शाया गया क्योंकि राज्य के हिसाब से अलग आंकड़े उपलब्ध नहीं

स्रोत: भारत के महापंजीयक (2004); के १९७१ और १९८१ के जनगणना प्रकाशन से जिला स्तर के आंकड़ों की मदद से कुछ राज्यों में विशाजन के पहले की आबादी का पता चला है।



परिशिष्ट तालिका 3.3: मुस्लिम आबादी के हिस्से का चलन, भारत और बड़े राज्य, 1961-2001

भारत/राज्य	मुस्लिम आबादी का प्रतिशत					मुस्लिम जनसंख्या (लाख में)	कुल जनसंख्या (लाख में)
	वर्ष						
	1961	1971	1981	1991	2001	2001	2001
भारत	10.7	11.2	11.7 \$	12.6 \$	13.4	138.19	1028.61
पश्चिम बंगाल	20.0	20.5	21.5	23.6	25.2	20.24	80.18
केरल	17.9	19.5	21.3	23.3	24.7	7.86	31.84
उत्तरांचल के साथ उत्तरप्रदेश	14.6	15.5	15.9	17.3	18.2	31.75	174.69
झारखंड के साथ बिहार	12.5	13.5	14.1	14.8	15.9	17.45	109.94
असम	24.7	24.6	N.A.	28.4	30.9	8.24	26.66
जम्मू-कश्मीर	68.3	65.9	64.2	N.A.	67.0	6.79	10.14
कर्नाटक	9.9	10.6	11.1	11.6	12.2	6.46	52.85
दिल्ली	5.8	6.5	7.7	9.4	11.7	1.62	13.85
महाराष्ट्र	7.7	8.4	9.2	9.7	10.6	10.27	96.88
आंध्र प्रदेश	7.5	8.1	8.5	8.9	9.2	6.99	76.21
गुजरात	8.5	8.4	8.5	8.7	9.1	4.59	50.67
राजस्थान	6.5	6.9	7.3	8.0	8.5	4.79	56.51
छत्तीसगढ़ के साथ मध्यप्रदेश	4.1	4.4	4.8	5.0	5.2	4.25	81.18
तमिलनाडु	4.6	5.1	5.2	5.5	5.6	3.47	62.41
उड़ीसा	1.2	1.5	1.6	1.8	2.1	0.76	36.80
हरियाणा व चंडीगढ़ के साथ पंजाब	2.0	2.2	2.3	2.7	3.5	1.64	46.40
उत्तरप्रदेश	*	*	*	17.7	18.5	30.74	166.20
उत्तरांचल	*	*	*	10.0	11.9	1.01	8.49
बिहार	*	14.5	15.1	15.7	16.5	13.72	83.00
झारखंड	*	10.3	11.3	12.2	13.8	3.73	26.95
मध्य प्रदेश	*	5.5	5.9	6.1	6.4	3.84	60.35
छत्तीसगढ़	*	1.4	1.7	1.7	2.0	0.41	20.83
पंजाब	0.8	0.8	1.0	1.2	1.6	0.38	24.36
हरियाणा	3.8	4.0	4.1	4.6	5.8	1.22	21.14

\$ संपूर्ण भारत में मुस्लिम आबादी का हिस्सा जानने के लिए असम के 1981 एवं जम्मू कश्मीर के 1991 के संबंधित आंकड़ों का इस्तेमाल

*: नहीं दर्शाया गया क्योंकि राज्य के हिस्सा से अलग आंकड़े उपलब्ध नहीं

N.A. संबंधित राज्य में जनगणना का अभाव

स्रोत: तालिका 3.2 से ली गई



भारत में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति

परिशिष्ट तालिका 3.4: जनसंख्या वृद्धि, कुल जनसंख्या और मुस्लिम जनसंख्या, भारत और बड़े राज्य, 1961-2001 (प्रतिशत वृद्धि)

भारत/राज्य	सभी धर्म					मुस्लिम				
	1961-2001	1961-71	1971-81	1981-91	1991-2001	1961-2001	1961-71	1971-81	1981-91	1991-2001
भारत	134.2	24.8	24.7	23.9	21.5	194.4	30.8	30.7 \$	32.9 \$	29.5 \$
पश्चिम बंगाल	129.6	26.9	23.2	24.7	17.8	189.8	29.8	29.6	36.9	25.9
केरल	88.4	26.3	19.2	14.3	9.4	159.7	37.5	30.0	25.5	15.8
उत्तरप्रदेश										
उत्तरांचल सहित	136.9	19.8	25.5	25.5	25.6	194.3	26.8	29.1	36.5	31.7
बिहार										
झारखंड सहित	136.7	21.3	24.1	23.5	27.3	201.7	31.3	30.0	29.5	36.5
असम	140.1	31.7	N.A.	N.A.	18.9	200.5	31.0	N.A.	N.A.	29.3
जम्मू-कश्मीर	184.9	29.6	29.7	N.A.	N.A.	179.3	25.0	N.A.	N.A.	32.7
कर्नाटक	124.1	24.2	26.7	21.1	17.5	177.6	33.7	31.8	27.5	23.5
दिल्ली	421.0	52.9	53.0	51.4	47.0	944.4	69.2	83.2	84.6	82.5
महाराष्ट्र	144.9	27.5	24.5	25.7	22.7	238.5	39.5	37.2	31.4	34.6
आंध्र प्रदेश	111.8	20.9	23.1	24.2	14.6	157.3	29.7	28.8	30.7	17.9
गुजरात	145.6	29.4	27.7	21.2	22.7	163.2	28.9	29.3	24.0	27.3
राजस्थान	180.4	27.8	33.0	28.4	28.4	264.2	35.3	40.1	41.5	35.8
छत्तीसगढ़ के साथ										
मध्य प्रदेश	150.8	28.7	25.3	26.8	22.7	222.6	37.8	37.8	31.2	29.5
तमिलनाडु	85.3	22.3	17.5	15.4	11.7	122.4	34.8	19.8	21.1	13.7
उड़ीसा	109.7	25.0	20.2	20.1	16.3	253.9	51.6	29.3	36.8	31.9
हरियाणा और चंडीगढ़ के साथ										
पंजाब	146.2	26.5	26.5	24.0	24.1	330.6	37.5	33.8	45.7	60.7
उत्तर प्रदेश	*	*	*	*	25.8	*	*	*	*	31.3
उत्तरांचल	*	*	*	*	20.4	*	*	*	*	43.5
बिहार	*	*	24.2	23.4	28.6	*	*	28.9	28.3	35.5
झारखंड	*	*	23.8	24.0	23.4	*	*	34.7	34.2	40.3
मध्य प्रदेश	*	*	27.2	27.2	24.3	*	*	37.3	31.5	28.8
छत्तीसगढ़	*	*	20.4	25.7	18.3	*	*	42.6	28.8	36.7
पंजाब	118.8	21.7	23.9	20.8	20.1	329.0	28.5	46.9	42.4	59.6
हरियाणा	178.6	32.2	28.8	27.4	28.4	321.1	39.7	29.0	45.9	60.1

*: नहीं दर्शाया गया क्योंकि राज्य के हिसाब से अलग आंकड़े उपलब्ध नहीं NA: इनमें से एक दशक में जनगणना नहीं हुई
 \$ पूरे भारत में मुस्लिम आबादी की वृद्धि की संगणना के लिए, असम के 1981 एवं जम्मू कश्मीर के 1991 के संबंधित आंकड़ों का इस्तेमाल
 स्रोत तालिका 3.3 से गणना की गई।



परिशिष्ट तालिका 3.5: वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार मुस्लिम आबादी के हिसाब से पचास बड़े जिले

क्रम सं.	जिले	मुस्लिम जनसंख्या	कुल प्रतिशत	क्रम सं.	जिले	मुस्लिम जनसंख्या का प्रतिशत
1	मुर्शीदाबाद (प बंगाल)	3735380	2.7	1	अनंतनाग (जम्मू-कश्मीर)	98.5
2	मालप्पुरम (केरल)	2484576	4.5	2	बडगाम (जम्मू-कश्मीर)	98.1
3	दक्षिण 24 परगना (पबंगाल)	2295967	6.2	3	पुलवामा (जम्मू-कश्मीर)	97.6
4	उत्तरी 24 परगना (पबंगाल)	2164058	7.7	4	बारामूला (जम्मू-कश्मीर)	97.6
5	मुयदाबाद (उ.प्र.)	1735381	9.0	5	कुपवाड़ा (जम्मू-कश्मीर)	97.4
6	मालदा (प बंगाल)	1636171	10.2	6	लक्षद्वीप	95.5
7	हैदराबाद (आंध्र प्रदेश)	1576583	11.3	7	श्रीनगर (जम्मू-कश्मीर)	94.7
8	मुंबई (महाराष्ट्र)	1488987	12.4	8	पुंछ (जम्मू-कश्मीर)	91.9
9	वर्दमान (पश्चिम बंगाल)	1364133	13.4	9	कारगिल (जम्मू-कश्मीर)	80.4
10	मुजफ्फरनगर (उ.प्र.)	1349629	14.4	10	धुबरी (असम)	74.3
11	बिजनौर (उत्तर प्रदेश)	1306329	15.3	11	मलाप्पुरम (केरल)	68.5
12	बरेली (उत्तर प्रदेश)	1226386	16.2	12	किशनगंज (बिहार)	67.6
13	धुबरी (असम)	1216455	17.1	13	मुर्शीदाबाद (प बंगाल)	63.7
14	नौगांव (असम)	1180267	17.9	14	राजौरी (जम्मू-कश्मीर)	60.2
15	नादिया (प बंगाल)	1170282	18.8	15	बारपेटा (असम)	59.4
16	उत्तरी दिनाजपुर (प बंगाल)	1156503	19.6	16	डोडा (जम्मू-कश्मीर)	57.9
17	अनंतनाग (जम्मू-कश्मीर)	1154780	20.4	17	हैलाकांडी (असम)	57.6
18	बारामूला (जम्मू-कश्मीर)	1141162	21.3	18	ग्वालपाड़ा (असम)	53.7
19	श्रीनगर (जम्मू-कश्मीर)	1138175	22.1	19	करीमगंज (असम)	52.3
20	सहारनपुर (उ.प्र.)	1132919	22.9	20	नागांव (असम)	51.0
21	मेदिनीपुर (प बंगाल)	1088618	23.7	21	मालदा (पबंगाल)	49.7
22	कोझिकोड (केरल)	1078750	24.5	22	रामपुर (उत्तरप्रदेश)	49.1
23	वीरभूम (प बंगाल)	1057861	25.2	23	मारीगांव (असम)	47.6
24	हओरा (प बंगाल)	1044383	26.0	24	उत्तर दिनाजपुर (प बंगाल)	47.4
25	कटिहार (बिहार)	1017495	26.7	25	मुयदाबाद (उ.प्र.)	45.5
26	बारपेटा (असम)	977943	27.4	26	कटिहार (बिहार)	42.5
27	मेरठ (उत्तर प्रदेश)	975715	28.1	27	बिजनौर (उत्तर प्रदेश)	41.7
28	रामपुर (उत्तर प्रदेश)	945277	28.8	28	हैदराबाद (आंध्र प्रदेश)	41.2
29	पूणिया (बिहार)	935239	29.5	29	अररिया (बिहार)	41.1
30	कोलकाता (प बंगाल)	926769	30.2	30	ज्योतिबा फूलेनगर (उ.प्र.)	39.4
31	अररिया (बिहार)	887972	30.8	31	सहारनपुर (उ.प्र.)	39.1
32	थाणे (महाराष्ट्र)	880827	31.5	32	बोगाईगांव (असम)	38.5
33	किशनगंज (बिहार)	876105	32.1	33	मुजफ्फरनगर (उ.प्र.)	38.1
34	बंगलोर (कर्नाटक)	874600	32.7	34	कोझिकोड (केरल)	37.5
35	बहयडच (उ.प्र.)	829361	33.3	35	गुडगांव (हरियाणा)	37.2
36	गाजियाबाद (उ.प्र.)	782915	33.9	36	पूणिया (बिहार)	36.8
37	हुगली (प बंगाल)	763471	34.4	37	बलरामपुर (उ.प्र.)	36.7
38	पूर्वी चंपारण (बिहार)	755005	35.0	38	सावर (असम)	36.1
39	दरभंगा (बिहार)	748971	35.5	39	दरांग (असम)	35.5
40	लखनऊ (उत्तर प्रदेश)	748687	36.1	40	वीरभूम (पश्चिम बंगाल)	35.1
41	मुंबई (महाराष्ट्र)	734484	36.6	41	बहयडच (उ.प्र.)	34.8
42	पलक्कड़ (केरल)	703596	37.1	42	कसारगोड (केरल)	34.3
43	सीतापुर (उत्तर प्रदेश)	696126	37.6	43	बरेली (उत्तर प्रदेश)	33.9
44	कन्नूर (केरल)	665648	38.1	44	दक्षिण 24 परगना (पबंगाल)	33.2
45	अहमदाबाद (गुजरात)	662799	38.6	45	हरिद्वार (उत्तरांचल)	33.0
46	बदायूं (उत्तर प्रदेश)	654797	39.1	46	मेरठ (उत्तर प्रदेश)	32.6
47	कानपुर शहर (उत्तर प्रदेश)	653881	39.5	47	पाकुड़ (झारखंड)	32.4
48	पश्चिमी चंपारण (बिहार)	646597	40.0	48	साहेबगंज (झारखंड)	31.3
49	मधुबनी (बिहार)	641579	40.5	49	माहे (पांडिचेरी)	31.0
50	पुलवामा (जम्मू-कश्मीर)	637008	40.9	50	मध्य (दिल्ली)	29.9

स्रोत: भारत के महसूल विभाग के आंकड़ों की सीडी से संकलित (2005).



परिशिष्ट तालिका 3.6: 100 जिलों के सामाजिक-आर्थिक संकेतक (मुस्लिम आबादी के आकार से), जनगणना 2001

क्र. संख्या	जिला	कुल मुस्लिम जनसंख्या	संयुक्त प्रतिशत	सामाजिक प्रगति की सूची	शहरी जनसंख्या में मुस्लिमों का%	ग्रामीण मजदूरों में कृषि कर्मियों का % (मुस्लिम)	ग्रामीण मजदूरों में खेतिहर मजदूरों का % (मुस्लिम)	मुस्लिम साक्षरता % (कुल)	मुस्लिम साक्षरता % (महिला)	मुस्लिम लिंगानुपात (0-6)
1	मुर्शीदाबाद (पश्चिम बंगाल)	3735380	2.7	0.46	8.3	21.6	33.1	48.6	42.8	976
2	मलप्पुरम (केरल)	2484576	4.5	0.64	9.7	8.8	17.0	89.6	86.3	962
3	दक्षिण 24 परगना (प.बंगाल)	2295967	6.2	0.51	13.2	14.3	30.6	59.8	50.3	971
4	उत्तरी 24 परगना (प.बंगाल)	2164058	7.7	0.59	20.9	23.6	30.6	65.0	58.1	968
5	मुयदाबाद (उ.प्र.)	1735381	9.0	0.43	36.5	40.0	23.7	36.4	26.9	928
6	मालदा (पश्चिम बंगाल)	1636171	10.2	0.39	1.6	19.7	27.9	45.3	38.7	965
7	हैदराबाद (आंध्र प्रदेश)	1576583	11.3	0.60	100.0	*	*	77.1	73.2	944
8	मुंबई (उपनगर) (महाराष्ट्र)	1488987	12.4	0.64	100.0	*	*	80.5	75.2	948
9	वर्धमान (पश्चिम बंगाल)	1364133	13.4	0.54	25.3	29.2	33.0	68.8	61.4	961
10	मुजफ्फरनगर (उ.प्र.)	1349629	14.4	0.37	31.1	31.1	31.0	46.4	34.7	907
11	बिजनौर (उत्तर प्रदेश)	1306329	15.3	0.45	38.9	19.4	32.7	49.9	41.1	926
12	बरेली (उत्तर प्रदेश)	1226386	16.2	0.44	45.3	31.5	33.7	37.0	26.9	935
13	धुबरी (असम)	1216455	17.1	0.43	5.9	42.6	27.9	39.7	31.9	970
14	नौगांव (असम)	1180267	17.9	0.43	5.2	42.3	30.7	47.5	41.1	982
15	नादिया (पश्चिम बंगाल)	1170282	18.8	0.54	3.9	30.2	37.7	49.4	44.0	979
16	उत्तर दिनाजपुर (प.बंगाल)	1156503	19.6	0.42	2.1	36.9	43.1	36.0	25.5	972
17	सहारनपुर (उ.प्र.)	1132919	20.4	0.46	33.1	30.1	32.9	47.6	38.4	918
18	मेदिनीपुर (प.बंगाल)	1088618	21.2	0.52	11.4	17.8	26.3	65.0	54.4	965
19	कोझिकोड (केरल)	1078750	22.0	0.69	39.2	7.0	10.8	91.3	87.5	957
20	वीरभूम (प.बंगाल)	1057861	22.8	0.45	4.3	27.1	30.7	59.9	51.0	968
21	हरौया (पश्चिम बंगाल)	1044383	23.5	0.60	47.4	4.5	11.5	67.8	60.8	958
22	कटिहार (बिहार)	1017495	24.2	0.41	4.3	27.2	62.6	26.8	17.6	968
23	बारपेटा (असम)	977943	25.0	0.43	1.7	45.9	19.2	42.4	33.3	965
24	मेरठ (उत्तर प्रदेश)	975715	25.7	0.45	55.4	28.6	21.7	45.6	35.0	899
25	रामपुर (उत्तर प्रदेश)	945277	26.3	0.42	34.6	42.7	33.8	32.8	24.8	944
26	पूर्णिया (बिहार)	935239	27.0	0.37	5.3	23.3	68.0	25.9	15.6	975
27	कोलकाता (प.बंगाल)	926769	27.7	0.63	100.0	*	*	68.1	63.6	918
28	अररिया (बिहार)	887972	28.3	0.38	5.5	21.8	69.9	27.6	17.8	972
29	थाणे (महाराष्ट्र)	880827	29.0	0.62	93.3	9.5	6.8	80.2	76.0	944
30	किशनगंज (बिहार)	876105	29.6	0.35	6.5	30.8	60.4	27.0	15.7	946
31	बंगलोर (कर्नाटक)	874600	30.2	0.62	94.7	5.4	7.8	78.9	76.6	952
32	बहराईच (उत्तर प्रदेश)	829361	30.8	0.39	17.1	47.6	37.9	32.7	23.1	983
33	गाजियाबाद (उ.प्र.)	782915	31.4	0.51	48.6	24.2	16.9	49.1	36.1	899
34	हुगली (पश्चिम बंगाल)	763471	32.0	0.58	23.7	23.9	18.6	73.5	67.3	955
35	पूर्वी चंपारण (बिहार)	755005	32.5	0.35	8.7	20.8	59.8	38.1	26.8	958
36	दरभंगा (बिहार)	748971	33.0	0.36	9.7	18.3	57.7	46.0	36.1	916
37	लखनऊ (उत्तर प्रदेश)	748687	33.6	0.53	80.9	30.5	21.0	61.5	56.3	943
38	मुंबई (महाराष्ट्र)	734484	34.1	0.64	100.0	*	*	80.5	77.5	932
39	पलक्कड़ (केरल)	703596	34.6	0.65	11.3	9.7	23.0	87.9	84.1	966

परिशिष्ट तालिका 3.6: शीर्ष १०० जिलों के सामाजिक-आर्थिक संकेतक (मुस्लिम आबादी के आकार से), जनगणना 2001



क्रम संख्या	जिला	मुस्लिम जनसंख्या	कुल प्रतिशत	सामाजिक प्रगति की सूची	शहरी आबादी में मुस्लिमों का %	ग्रामीण मजदूरों में कृषि कर्मियों का % (मुस्लिम)	ग्रामीण मजदूरों में खेतिहर मजदूरों का % (मुस्लिम)	मुस्लिम साक्षरता % (कुल)	मुस्लिम साक्षरता % (महिला)	मुस्लिम लिंगानुपात (0-6)
40	सीतापुर (उत्तर प्रदेश)	696126	35.1	0.41	27.2	43.0	25.5	44.3	34.5	953
41	कन्नूर (केरल)	665648	35.6	0.66	57.1	5.8	11.6	90.8	86.8	964
42	अहमदाबाद (गुजरात)	662799	36.1	0.54	91.5	21.4	35.9	77.8	70.7	912
43	बदायूं (उत्तर प्रदेश)	654797	36.6	0.37	39.2	46.6	31.0	35.3	25.8	908
44	कानपुर नगर (उत्तर प्रदेश)	653881	37.0	0.52	88.6	24.6	37.4	64.8	60.1	900
45	पश्चिम चंपारण (बिहार)	646597	37.5	0.34	11.7	19.0	65.3	43.4	32.1	969
46	मधुबनी (बिहार)	641579	38.0	0.37	4.4	17.1	62.0	35.1	23.0	952
47	इलाहाबाद (उत्तर प्रदेश)	627735	38.4	0.45	43.4	20.3	15.4	63.3	52.1	943
48	कामरूप (असम)	625002	38.9	0.53	18.2	42.7	19.5	54.2	45.5	964
49	गुड़गांव (हरियाणा)	617918	39.3	0.49	4.1	47.3	13.0	36.3	15.2	902
50	बलरामपुर (उत्तर प्रदेश)	617675	39.8	0.40	10.3	54.0	36.3	34.9	25.0	976
51	बुलंदशहर (उत्तर प्रदेश)	613660	40.2	0.43	41.8	22.7	20.0	45.0	30.9	906
52	खेरी (उत्तर प्रदेश)	612638	40.7	0.44	18.6	45.0	30.5	42.3	32.3	962
53	कूचबिहार (पश्चिम बंगाल)	600911	41.1	0.47	3.4	38.7	38.5	56.1	47.1	969
54	सिद्धार्थनगर (उत्तर प्रदेश)	600336	41.5	0.40	4.4	55.4	33.3	47.4	35.9	964
55	आजमगढ़ (उत्तर प्रदेश)	593907	42.0	0.47	22.3	41.6	16.8	67.1	60.4	964
56	ज्योतिबा फूलेनगर (उत्तर प्रदेश)	590308	42.4	0.42	40.5	43.2	20.3	43.4	31.1	936
57	बाराबंकी (उत्तर प्रदेश)	589197	42.8	0.36	22.5	31.2	30.5	41.4	31.9	953
58	मुजफ्फरपुर (बिहार)	573951	43.2	0.36	11.7	17.9	51.8	47.0	37.3	945
59	कुरुनूल (आंध्रप्रदेश)	572404	43.6	0.51	40.4	14.9	49.8	54.8	42.8	971
60	औरंगाबाद (महाराष्ट्र)	569516	44.1	0.49	56.8	34.4	41.3	72.6	62.0	945
61	सीतामढ़ी (बिहार)	568992	44.5	0.30	5.0	14.6	62.5	32.9	23.4	942
62	गुलबर्ग (कर्नाटक)	551171	44.9	0.39	51.9	26.8	46.8	56.8	46.6	930
63	दरंग (असम)	534658	45.3	0.49	1.8	49.2	22.9	37.6	29.9	987
64	गोंडा (उत्तर प्रदेश)	532585	45.6	0.41	13.9	55.0	29.5	37.2	25.7	974
65	अलीगढ़ (उत्तर प्रदेश)	531956	46.0	0.43	61.7	23.1	32.1	45.3	35.0	922
66	करीमगंज (असम)	527214	46.4	0.47	1.3	30.3	19.3	57.0	45.5	969
67	नासिक (महाराष्ट्र)	525983	46.8	0.52	88.1	21.1	29.4	79.8	74.1	959
68	सुल्तानपुर (उत्तर प्रदेश)	524642	47.2	0.46	8.6	36.7	28.4	52.9	38.8	946
69	काचर (असम)	522051	47.5	0.46	7.5	33.7	16.9	66.6	56.4	968
70	जयपुर (राजस्थान)	515124	47.9	0.50	87.4	29.5	8.9	58.6	46.6	914
71	वाराणसी (उत्तर प्रदेश)	497516	48.3	0.45	77.6	6.6	5.8	54.4	44.9	924
72	सीवान (बिहार)	494176	48.6	0.42	8.5	32.7	34.7	55.1	43.0	948
73	त्रिशूर (केरल)	488697	49.0	0.76	20.0	5.0	8.9	90.1	86.8	963
74	गुंटूर (आंध्र प्रदेश)	487839	49.3	0.56	45.9	10.9	56.3	59.6	48.8	967
75	कुशीनगर (उत्तर प्रदेश)	487674	49.7	0.42	6.6	32.9	47.9	45.2	29.7	959
76	उत्तर पूर्वी (दिल्ली)	481607	50.0	0.69	96.3	2.1	2.0	63.0	54.2	920
77	हरिद्वार (उत्तरांचल)	478274	50.4	0.48	23.4	24.6	25.2	45.5	34.0	897
78	कोल्लम (केरल)	474071	50.7	0.79	21.2	6.7	15.9	88.1	83.8	956

परिशिष्ट तालिका 3.6: शीर्ष १०० जिलों के सामाजिक-आर्थिक संकेतक (मुस्लिम आबादी के आकार से), जनगणना 2001



भारत में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति

क्र. संख्या	जिला	कुल मुस्लिम जनसंख्या	संयुक्त प्रतिशत	सामाजिक प्रगति सूची	शहरी जनसंख्या में मुस्लिमों का %	ग्रामीण मजदूरों में कृषि कर्मियों का % (मुस्लिम)	ग्रामीण मजदूरों में खेतिहर मजदूरों का % (मुस्लिम)	मुस्लिम साक्षरता का % (कुल)	मुस्लिम साक्षरता का % (महिला)	मुस्लिम लिंगानुपात (0-6)
79	जलगांव (महाराष्ट्र)	455288	51.1	0.53	47.1	10.0	61.3	71.2	60.5	942
80	शाहजहांपुर (उत्तर प्रदेश)	455049	51.4	0.41	47.1	36.5	34.2	39.7	30.7	873
81	पुणे (महाराष्ट्र)	452397	51.7	0.57	82.5	18.8	29.4	82.0	75.8	932
82	एर्नाकुलम (केरल)	451764	52.0	0.78	60.1	6.8	10.7	89.9	85.6	942
83	सूरत (गुजरात)	447951	52.4	0.54	78.1	18.0	11.8	77.5	71.5	922
84	हरदोई (उत्तर प्रदेश)	445419	52.7	0.42	34.3	47.0	23.4	44.5	33.3	933
85	ग्वालियर (असम)	441516	53.0	0.44	7.5	38.4	22.6	43.1	36.2	975
86	बेलगाम (कर्नाटक)	440836	53.3	0.51	46.4	25.9	38.4	70.1	60.1	946
87	तिरुअंतपुरम (केरल)	431512	53.6	0.76	32.0	7.4	12.8	87.5	83.5	945
88	भागलपुर (बिहार)	423246	53.9	0.42	30.4	13.9	47.2	44.7	35.9	993
89	भोपाल (मध्य प्रदेश)	421365	54.3	0.54	92.0	34.1	47.5	70.4	66.1	969
90	दक्षिण कन्नड (कर्नाटक)	418904	54.6	0.64	38.9	2.0	2.6	82.3	73.3	941
91	कसारगोड (केरल)	413063	54.9	0.67	20.8	5.7	6.3	84.2	78.4	957
92	रंगरेड्डी (आंध्र प्रदेश)	408281	55.2	0.58	67.1	28.7	29.1	63.9	56.4	971
93	गया (बिहार)	403439	55.4	0.42	24.8	29.6	33.5	63.7	54.7	958
94	जौनपुर (उत्तर प्रदेश)	399186	55.7	0.44	26.8	34.5	14.2	61.2	49.5	926
95	पीलभीत (उत्तर प्रदेश)	390773	56.0	0.43	32.4	25.7	39.3	39.3	28.4	969
96	अनंतपुर (आंध्र प्रदेश)	389201	56.3	0.53	59.5	15.4	36.3	62.3	50.4	959
97	कुडप्पा (आंध्र प्रदेश)	386900	56.6	0.52	45.8	13.0	41.1	64.1	52.7	981
98	नांदेड़ (महाराष्ट्र)	385081	56.9	0.50	54.8	16.1	56.3	70.2	60.0	951
99	मिरीडीह (झारखंड)	383253	57.1	0.30	10.3	41.9	33.9	46.5	30.0	976
100	अलवर (राजस्थान)	383204	57.4	0.44	3.5	72.9	7.9	40.5	17.0	921
	औसत संपूर्ण भारत (सभी धर्म)	-	-	0.50	27.8	40.2	33.0	64.8	53.7	927

स्रोत: इंडिया टुडे की सामाजिक प्रगति सूची से लिया गया, 2004, और इसके अलावा सभी गणना वर्ष 2001 की जनगणना से संकलित
 नोट: जम्मू-कश्मीर और लद्दाखीय शामिल नहीं
 * ग्रामीण जनसंख्या शामिल नहीं



परिशिष्ट तालिका 3.7: कुल व मुस्लिम जनसंख्या में उम्र का बंटवाय,
भारत व बड़े राज्य, 2001 (जनसंख्या का प्रतिशत)

भारत/राज्य	सभी धर्म				मुस्लिम			
	0-14	15-59	60+	ANS	0-14	15-59	60+	ANS
भारत	35.3	56.9	7.4	0.3	41.1	52.9	5.8	0.2
पश्चिम बंगाल	33.2	59.5	7.1	0.1	42.1	52.7	5.0	0.1
केरल	26.1	63.4	10.5	0.1	33.4	59.5	7.0	0.1
उत्तरप्रदेश	40.9	51.7	7.0	0.4	44.9	49.0	5.7	0.4
बिहार	42.0	51.1	6.6	0.2	45.7	48.3	5.7	0.2
असम	37.4	56.6	5.9	0.1	44.7	50.0	5.2	0.1
जम्मू-कश्मीर	35.7	57.2	6.7	0.5	38.0	55.3	6.2	0.5
झारखंड	39.7	54.3	5.9	0.1	45.2	49.6	5.1	0.1
कर्नाटक	31.9	60.3	7.7	0.1	37.5	56.7	5.8	0.1
उत्तरांचल	36.4	55.7	7.7	0.2	45.3	49.8	4.9	0.1
दिल्ली	32.4	62.2	5.2	0.2	39.8	57.0	3.1	0.2
महाराष्ट्र	32.1	59.0	8.7	0.1	36.9	56.4	6.6	0.1
आंध्र प्रदेश	32.0	60.2	7.6	0.2	35.8	58.1	5.9	0.2
गुजरात	32.8	60.2	6.9	0.1	35.3	58.5	6.1	0.1
राजस्थान	39.9	52.9	6.7	0.5	44.0	50.2	5.4	0.4
मध्य प्रदेश	38.5	54.1	0.1	0.3	39.8	53.8	6.1	0.3
हरियाणा	35.8	56.3	7.5	0.4	49.3	44.8	5.3	0.6
तमिलनाडु	26.8	63.7	8.8	0.7	29.6	62.7	6.9	0.7
उड़ीसा	33.2	58.4	8.3	0.2	38.9	54.7	6.3	0.2
छत्तीसगढ़	36.9	55.7	7.2	0.1	35.3	58.5	6.1	0.1
पंजाब	31.3	59.3	9.0	0.4	36.2	57.1	6.4	0.4

A.N.S.: उम्र नहीं बताया गया

स्रोत: भारत के महानगरीय जनसंख्या के आंकड़ों की सीडी से संकलित, 2005.



भारत में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति

परिशिष्ट तालिका 3.8: कुल जनसंख्या व मुस्लिम जनसंख्या में लिंगानुपात, भारत और बड़े राज्य, 1961-2001 (हर हजार पुरुष पर महिलाएं)

भारत/राज्य	1961		1971		1981		1991		2001		2001 (आयुवर्ग 0-6)	
	सभी	मुस्लिम	सभी	मुस्लिम	सभी	मुस्लिम	सभी	मुस्लिम	सभी	मुस्लिम	सभी	मुस्लिम
भारत	941	935	930	922	934	937 \$	927	930 \$	933	936	927	950
पश्चिम बंगाल	878	888	891	903	911	925	917	923	934	933	960	968
केरल	1022	1032	1016	1009	1,032	1,036	1036	1048	1058	1082	960	959
उत्तरांचल के साथ												
उत्तरप्रदेश	909	922	879	878	885	903	879	897	901	916	915	935
झारखंड के साथ बिहार	994	1031	954	982	946	979	911	938	924	942	948	961
असम	876	885	897	918	N.A.	N.A.	923	938	935	938	965	971
जम्मू-कश्मीर	878	864	878	872	892	882	N.A.	N.A.	892	927	941	980
कर्नाटक	959	950	957	935	963	953	960	952	965	957	946	950
दिल्ली	785	719	801	765	808	774	827	798	821	782	868	925
महाराष्ट्र	936	883	930	885	937	908	934	903	922	889	913	940
आंध्र प्रदेश	981	969	977	964	975	961	972	958	978	961	961	959
गुजरात	940	955	934	946	942	957	934	947	920	937	883	913
राजस्थान	908	905	911	922	919	935	910	921	921	929	909	925
छत्तीसगढ़ के साथ												
मध्यप्रदेश	953	907	941	913	941	929	931	924	937	931	943	942
तमिलनाडु	992	1022	978	994	977	1,005	974	999	987	1020	942	957
उड़ीसा	1001	1008	988	968	981	949	971	938	972	948	953	965
हरियाणा, चंडीगढ़ के साथ पंजाब	864	807	864	867	873	862	873	857	867	846	809	893
उत्तर प्रदेश	*	*	*	*	*	*	876	899	898	918	916	935
उत्तरांचल	*	*	*	*	*	*	937	844	962	875	908	915
बिहार	*	*	957	992	948	987	907	942	919	943	942	958
झारखंड	*	*	945	941	940	946	922	922	941	939	965	971
मध्य प्रदेश	*	*	920	910	921	928	912	924	919	929	932	941
छत्तीसगढ़	*	*	998	947	996	937	985	923	989	943	975	954
पंजाब	*	*	865	853	879	853	882	824	876	793	798	879
	*	*	867	874	870	870	865	872	861	870	819	875

\$: असम के वर्ष 1981 और जम्मू कश्मीर की 1991 की जनगणना के हिसाब से.

*: विवरण के हिसाब से राज्यों के आंकड़े उपलब्ध नहीं. NA: उस वर्ष इन राज्यों में जनगणना नहीं हुई.

स्रोत : विभिन्न जनगणना के आंकड़ों से संकलित भारत के महा पंजीयक (1961, 1972, 1984, 1994, 2004).



परिशिष्ट तालिका 3.9: शहरीकरण का चलन, कुल एवं मुस्लिम जनसंख्या, भारत एवं बड़े राज्य, 1961-2001

भारत/राज्य	1961		1971		1981		1991		2001	
	सभी	मुस्लिम	सभी	मुस्लिम	सभी	मुस्लिम	सभी	मुस्लिम	सभी	मुस्लिम
भारत	18.0	27.1	19.9	28.8	23.7	34.0 \$	25.7	35.5 \$	27.8	35.7
पश्चिम बंगाल	24.5	14.1	24.7	13.7	26.5	15.1	27.5	15.7	28.0	16.8
केरल	15.1	17.4	16.2	18.4	18.7	19.4	26.4	26.6	26.0	25.4
उत्तरांचल के साथ उत्तर प्रदेश	12.9	25.6	14.0	26.7	17.9	32.1	19.8	35.6	21.0	36.1
झारखंड के साथ बिहार	8.4	11.9	10.0	13.0	12.5	15.2	13.1	15.6	13.3	15.2
असम	7.7	4.1	8.9	4.0	NA	NA	11.1	5.3	12.9	6.4
जम्मू-कश्मीर	16.7	15.2	18.6	17.1	21.1	20.4	NA	NA	24.8	22.1
कर्नाटक	22.3	43.6	24.3	48.0	28.9	53.6	30.9	55.5	34.0	59.0
दिल्ली	88.7	96.2	89.7	95.7	92.7	97.7	89.9	92.4	93.2	96.0
महाराष्ट्र	28.2	55.1	31.2	59.0	35.0	61.2	38.7	66.9	42.4	70.0
आंध्र प्रदेश	17.4	44.9	19.3	47.4	23.3	52.8	26.9	58.2	27.3	58.1
गुजरात	25.8	51.8	28.1	54.2	31.1	56.6	34.5	58.5	37.4	58.7
राजस्थान	16.3	39.4	17.6	42.2	21.0	46.9	22.9	49.2	23.4	48.4
छत्तीसगढ़ के साथ मध्य प्रदेश	14.3	53.7	16.3	55.6	20.3	59.8	23.2	63.9	24.8	63.5
तमिलनाडु	26.7	57.7	30.3	59.7	33.0	62.7	34.2	63.0	44.0	72.8
उड़ीसा	6.3	37.4	8.4	30.6	11.8	37.7	13.4	39.3	15.0	41.7
हरियाणा व चंडीगढ़ के साथ पंजाब	20.1	11.5	21.7	11.7	26.2	15.6	28.4	18.1	32.7	22.9
उत्तर प्रदेश	*	*	*	*	*	*	19.7	35.6	20.8	36.0
उत्तरांचल	*	*	*	*	*	*	23.2	38.4	25.7	38.2
बिहार	*	*	8.0	10.9	9.8	12.7	10.4	13.1	10.5	12.4
झारखंड	*	*	16.0	21.9	20.3	25.2	21.2	25.1	22.2	25.3
मध्य प्रदेश	*	*	18.6	56.0	22.3	60.1	25.3	63.9	26.5	63.5
छत्तीसगढ़	*	*	10.4	51.1	14.7	57.1	17.4	63.4	20.1	62.9
पंजाब	*	*	23.7	37.0	27.7	35.9	29.5	39.5	33.9	43.6
हरियाणा	*	*	17.7	3.9	21.9	7.7	24.6	9.9	28.9	14.5

\$: असम के वर्ष 1981 और जम्मू कश्मीर की 1991 की जनगणना के हिसाब से.

स्रोत : विभिन्न जनगणना के आंकड़ों से संकलित भारत के महा पंजीयक (1961, 1972, 1984, 1994, 2004).



भारत में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति

परिशिष्ट तालिका 3.10: भारत में शिशु मृत्युदर में धार्मिक भिन्नताएं

स्रोत	क्षेत्र	मापक	धर्म				
			सभी	हिंदु	मुस्लिम	ईसाई	सिख
1981 जनगणना	भारत	नवजात शिशु मृत्युदर	115	122	92	67	75
		शिशु मृत्युदर	152	155	135	97	108
	ग्रामीण	नवजात शिशु मृत्युदर	123	126	102	74	83
		शिशु मृत्युदर	167	171	152	107	119
	शहरी	नवजात शिशु मृत्युदर	67	66	66	53	48
		शिशु मृत्युदर	98	96	101	71	64
1991 जनगणना	भारत	नवजात शिशु मृत्युदर	74	74	68	58	55
		शिशु मृत्युदर	96	97	90	70	67
	ग्रामीण	नवजात शिशु मृत्युदर	79	80	78	66	58
		शिशु मृत्युदर	107	109	107	82	74
	शहरी	नवजात शिशु मृत्युदर	48	48	47	40	32
		शिशु मृत्युदर	57	59	60	47	37
2001 जनगणना	भारत	नवजात शिशु मृत्युदर	72	73	72	77	*
		शिशु मृत्युदर	98	99	95	77	82
	ग्रामीण	नवजात शिशु मृत्युदर	77	77	78	*	*
		शिशु मृत्युदर	107	108	106	85	84
	शहरी	नवजात शिशु मृत्युदर	58	58	57	*	*
		शिशु मृत्युदर	69	70	70	57	63
राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण- 1 1992-93	भारत	नवजात शिशु मृत्युदर	86	90	77	50	47
		शिशु मृत्युदर	119	124	106	68	65
	ग्रामीण	नवजात शिशु मृत्युदर	94	97	90	55	51
		शिशु मृत्युदर	131	134	125	77	72
	शहरी	नवजात शिशु मृत्युदर	59	64	51	38	36
		शिशु मृत्युदर	78	83	70	48	42
राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-2 1998-99	भारत	नवजात शिशु मृत्युदर	73	77	59	49	53
		शिशु मृत्युदर	101	107	83	68	65
	ग्रामीण	नवजात शिशु मृत्युदर	80	83	68	54	57
		शिशु मृत्युदर	112	116	94	76	68
	शहरी	नवजात शिशु मृत्युदर	49	53	40	38	41
		शिशु मृत्युदर	65	70	58	48	53

शिशु मृत्यु दर का मतलब है- पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु-दर

स्रोत: भारत के महापंजीयक (1988) और वर्ष 1981 की जनगणना

वर्ष 1991 की जनगणना : इरुदयाराजन और मोहनचंद्रन (2000)



परिशिष्ट तालिका 3.11: शिशु मृत्युदर में धार्मिक भिन्नताएं, भारत और चुनिंदा राज्य, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-2, 1998-

भारत/राज्य	99					
	मापक	सभी	हिंदु	मुस्लिम	ईसाई	सिख
भारत	नवजात शिशु मृत्युदर	73	77	59	49	53
	शिशु मृत्युदर	101	107	83	68	65
पश्चिम बंगाल	नवजात शिशु मृत्युदर	51	50	52	-	-
	शिशु मृत्युदर	71	68	77	-	-
केरल	नवजात शिशु मृत्युदर	21	22	19	(22)	-
	शिशु मृत्युदर	26	28	26	(22)	-
उत्तरांचल के साथ उत्तर प्रदेश	नवजात शिशु मृत्युदर	95	100	76	-	-
	शिशु मृत्युदर	132	138	108	-	-
झारखंड के साथ बिहार	नवजात शिशु मृत्युदर	76	77	71	-	-
	शिशु मृत्युदर	110	112	99	-	-
असम	नवजात शिशु मृत्युदर	62	57	68	-	-
	शिशु मृत्युदर	80	76	87	-	-
जम्मू-कश्मीर	नवजात शिशु मृत्युदर	63	63	78	-	-
	शिशु मृत्युदर	79	81	63	-	-
कर्नाटक	नवजात शिशु मृत्युदर	62	66	50	-	-
	शिशु मृत्युदर	83	88	66	-	-
महाराष्ट्र	नवजात शिशु मृत्युदर	53	58	28	-	(55) B
	शिशु मृत्युदर	70	76	42	-	(68)
आंध्र प्रदेश	नवजात शिशु मृत्युदर	71	76	(30)	-	-
	शिशु मृत्युदर	91	97	(40)	-	-
गुजरात	नवजात शिशु मृत्युदर	64	68	(34)	-	-
	शिशु मृत्युदर	91	96	(50)	-	-
राजस्थान	नवजात शिशु मृत्युदर	88	91	74	-	-
	शिशु मृत्युदर	125	126	122	-	-
छत्तीसगढ़ के साथ मध्य प्रदेश	नवजात शिशु मृत्युदर	93	94	78	-	-
	शिशु मृत्युदर	145	149	99	-	-
हरियाणा	नवजात शिशु मृत्युदर	59	61	(52)	-	(39)
	शिशु मृत्युदर	79	80	(90)	-	(61)
तमिलनाडु	नवजात शिशु मृत्युदर	51	50	(51)	-	-
	शिशु मृत्युदर	71	64	(56)	-	-
उड़ीसा	नवजात शिशु मृत्युदर	90	NA	-	-	-
	शिशु मृत्युदर	116	-	-	-	-
पंजाब	नवजात शिशु मृत्युदर	57	57	-	-	52
	शिशु मृत्युदर	70	71	-	-	64

B: बौद्ध. NA: उपलब्ध नहीं

शिशु मृत्यु दर का मतलब है- पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु-दर

कोष्ठक में दिए गए आंकड़े 250 से 499 बच्चों पर लागू

स्त्रोत :आईआईपीएस और ओआरएसमेको के विभिन्न राज्यों के रिपोर्ट (2000/2001/2002).



परिशिष्ट तालिका 3.12: प्रजनन क्षमता में धार्मिक भिन्नताएं, भारत और बड़े राज्य, NFHS-2, 1998-99

भारत/राज्य	मापक	सभी	हिंदु	मुस्लिम	इसाई	सिख
भारत	कुल प्रजनन दर	2.9	2.8	3.6	2.4	2.3
	सामूहिक प्रजनन	4.5	4.3	5.7	3.5	3.6
पश्चिम बंगाल	कुल प्रजनन दर	2.3	2.0	3.3	-	-
	सामूहिक प्रजनन	4.2	3.7	6.0	-	-
केरल	कुल प्रजनन दर	2.0	1.6	2.5	1.9	-
	सामूहिक प्रजनन	3.0	2.6	4.3	2.6	-
उत्तरांचल के साथ उत्तरप्रदेश	कुल प्रजनन दर	4.0	3.9	4.8	-	(2.3)
	सामूहिक प्रजनन	5.8	5.6	6.8	-	-
झारखंड के साथ बिहार	कुल प्रजनन दर	3.5	3.4	4.4	(1.9)	-
	सामूहिक प्रजनन	5.3	5.0	6.4	-	-
असम	कुल प्रजनन दर	2.3	2.0	3.1	1.7	-
	सामूहिक प्रजनन	4.4	4.0	5.3	-	-
जम्मू-कश्मीर	कुल प्रजनन दर	2.7	2.7	2.7	-	-
	सामूहिक प्रजनन	4.8	4.7	4.9	-	-
कर्नाटक	कुल प्रजनन दर	2.1	2.0	2.8	1.6	-
	सामूहिक प्रजनन	4.2	4.0	5.8	(3.0)	-
महाराष्ट्र	कुल प्रजनन दर	2.5	2.5	3.3	2.5	2.1 B
	सामूहिक प्रजनन	3.5	3.7	4.6	(2.9)	4.0
आंध्र प्रदेश	कुल प्रजनन दर	2.3	2.2	2.5	2.5	-
	सामूहिक प्रजनन	4.0	3.9	5.8	4.0	-
गुजरात	कुल प्रजनन दर	2.7	2.7	3.1	-	-
	सामूहिक प्रजनन	4.0	4.0	4.7	-	-
राजस्थान	कुल प्रजनन दर	3.8	3.7	4.9	-	1.8 J
	सामूहिक प्रजनन	5.4	5.3	6.5	-	-
छत्तीसगढ़ के साथ मध्य प्रदेश	कुल प्रजनन दर	3.3	3.4	3.4	-	(2.5)
	सामूहिक प्रजनन	5.1	5.1	5.8	-	-
हरियाणा	कुल प्रजनन दर	2.9	2.8	6.0	-	2.5
	सामूहिक प्रजनन	4.4	4.4	-	-	(4.1)
तमिलनाडु	कुल प्रजनन दर	2.2	2.2	2.6	2.1	-
	सामूहिक प्रजनन	3.5	3.5	4.2	3.3	-
उड़ीसा	कुल प्रजनन दर	2.5	2.5	3.0	2.4	-
	सामूहिक प्रजनन	4.2	4.1	-	-	-
पंजाब	कुल प्रजनन दर	2.2	2.3	(3.3)	-	2.1
	सामूहिक प्रजनन	3.8	4.0	-	-	3.6

B: बौद्ध; J: जैन कुल प्रजनन दर, सामूहिक प्रजनन का मतलब है 40-49 के बीच की उम्र की औरतों से पैदा बच्चे.

कुल प्रजनन दर सर्वेक्षण के पहले के तीन सालों में किया गया है। कोष्ठक में दिए गए आंकड़े 25 से 49 वर्ष की 125 से 249 महिला पर किए गए अध्ययन का हिस्सा हैं।

स्रोत: टेबल 3.10 देखें.



परिशिष्ट तालिका 3.13: धर्म के हिसाब से गर्भनिरोधक के इस्तेमाल की दर, भारत और बड़े राज्य, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-2, 1998-99 (गर्भनिरोधक इस्तेमाल करने वाले प्रजननशील दंपतियों का प्रतिशत)

भारत/राज्य	धर्म			
	हिंदु	मुस्लिम	अन्य*	कुल
भारत	49	37	52 (इसाई) 65 (सिख) 65 (बौद्ध)	48
आंध्र प्रदेश	61	47	53	60
असम	49	34	-	43
झारखंड के साथ बिहार	27	9	-	25
गुजरात	59	58	-	59
हरियाणा	63	-	71	64
जम्मू-कश्मीर	53	46	66	49
कर्नाटक	60	44	-	58
केरल	72	48	72	64
छत्तीसगढ़ के साथ मध्य प्रदेश	44	46	-	44
महाराष्ट्र	62	49	67	61
पंजाब	68	-	66	67
राजस्थान	42	25	-	40
तमिलनाडु	52	49	53	52
उत्तरांचल के साथ उत्तर प्रदेश	29	21	-	28
पश्चिम बंगाल	70	56	-	67

* अन्य धर्मों में आंध्र प्रदेश, केरल एवं तमिलनाडु में इसाई, हरियाणा, पंजाब एवं जम्मू-कश्मीर में सिख; और महाराष्ट्र में बौद्ध आते हैं।
 स्रोत : आईआईपीएस और ओआरएस मेको (2000): राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण, आईआईपीएस और ओआरएस मेको के विभिन्न राज्यों के रिपोर्ट (2000/2001/2002); (तालिका कुलकर्णी और अलगराजन 2005; तालिका7).



परिशिष्ट तालिका 3.14: विभिन्न विकल्पों में प्रस्तावित मुस्लिम और गैर मुस्लिम जनसंख्या, भारत, 2011-2101

प्रस्तावना वर्ष	गैर- मुस्लिम जनसंख्या (हजार में)		मुस्लिम जनसंख्या (हजार में)			
	गैर-मुस्लिम 1	गैर-मुस्लिम 2	मुस्लिम 1	मुस्लिम 2	मुस्लिम 3	मुस्लिम 4
2001	890422	890422	138188	138188	138188	138188
2011	1027228	1026592	170443	170969	170368	170905
2021	1153497	1150648	205433	207402	205043	207057
2031	1247434	1240594	232633	237201	232148	236764
2041	1327940	1306738	257867	265377	256091	264481
2051	1380551	1336702	278760	288064	274073	286057
2061	1413520	1333520	293861	306018	284276	300961
2071	1431167	1299430	304970	319203	287198	308664
2081	1437077	1241941	311422	327873	282584	308984
2091	1450798	1180791	317352	335770	274348	304819
2101	1462594	1108496	320714	340253	261293	294331

प्रस्तावना वर्ष	कुल जनसंख्या (हजार में)				मुस्लिमों का प्रतिशत			
	गै-मु1+मु1	गै-मु1+मु2	गै-मु2+मु3	गै-मु2+मु4	गै-मु1+ मु1	गै-मु1+ मु2	गै-मु2+ मु3	गै-मु2+ मु4
2001	1028610	1028610	1028610	1028610	13.43	13.43	13.43	13.43
2011	1197671	1198197	1196960	1197496	14.23	14.27	14.23	14.27
2021	1358930	1360900	1355692	1357705	15.12	15.24	15.12	15.25
2031	1480067	1484635	1472743	1477359	15.72	15.98	15.76	16.03
2041	1585808	1593317	1562829	1571218	16.26	16.66	16.39	16.83
2051	1659311	1668615	1610775	1622759	16.80	17.26	17.01	17.63
2061	1707381	1719538	1617796	1634481	17.21	17.80	17.57	18.41
2071	1736136	1750370	1586628	1608094	17.57	18.24	18.10	19.19
2081	1748499	1764950	1524525	1550925	17.81	18.58	18.54	19.92
2091	1768150	1786568	1455139	1485610	17.95	18.79	18.85	20.52
2101	1783308	1802847	1369788	1402827	17.98	18.87	19.08	20.98

गैर मुस्लिमों के लिए दो वैकल्पिक प्रस्ताव दिए गए हैं। गैर मुस्लिम १ और गैर मुस्लिम २ और मुस्लिमों के चार एमएस १, एमएस २, एमएस ३ और एमएस ४ गैर मुस्लिम 1: 2021-22 तक कुल प्रजनन दर 2.1 तक पहुंच जाना चाहिए और स्थिर रहना चाहिए। गैर मुस्लिम 2: 2021-22 तक कुल प्रजनन दर 2.1 तक पहुंच जाना चाहिए और 2071-72 तक इससे कम होकर 1.6 स्तर पर स्थिर रहना चाहिए। मुस्लिम 1: 2031-32 तक कुल प्रजनन दर 2.1 तक पहुंच जाना चाहिए और स्थिर रहना चाहिए। मुस्लिम 2: 2041-42 तक कुल प्रजनन दर 2.1 तक पहुंच जाना चाहिए और स्थिर रहना चाहिए। मुस्लिम 3: 2031-32 तक कुल प्रजनन दर 2.1 तक पहुंच जाना चाहिए और 2081-82 तक इससे कम होकर 1.6 स्तर पर स्थिर रहना चाहिए। मुस्लिम 4: 2041-42 तक कुल प्रजनन दर 2.1 तक पहुंच जाना चाहिए और 2091-92 तक इससे कम होकर 1.6 स्तर पर स्थिर रहना चाहिए। वर्ष 2001 की जनगणना का विभिन्न श्रेणियों के लिए आयु वितरण का आधार माना गया इन प्रस्तावों में विस्थापन को नहीं गिना गया है और माना गया कि मृत्यु की आयु धीरे-धीरे बढ़ जाएगी



परिशिष्ट तालिका 4.1 राज्यवार साक्षरता स्तर - 2001

राज्य	कुल				
	सभी	हिंदु	अ जाति/जनजाति	मुस्लिम	अन्य सभी
भारत (13.4)	64.8	65.1	52.2	59.1	70.8
पश्चिम बंगाल (25.2)	68.6	72.4	56.1	57.5	81.6
केरल (24.7)	90.9	90.2	80.8	89.4	93.1
उत्तर प्रदेश (18.5)	56.3	58.0	46.2	47.8	62.2
बिहार (16.5)	47.0	47.9	28.5	42.0	52.6
असम (30.9)	63.3	70.0	64.0	48.4	71.3
जम्मू-कश्मीर (67.0)	55.5	71.2	46.5	47.3	100.6
झारखंड (13.8)	53.6	54.6	39.7	55.6	63.7
कर्नाटक (12.2)	66.6	65.6	51.5	70.1	71.1
उत्तरांचल (11.9)	71.6	74.1	63.4	51.1	77.4
दिल्ली (11.7)	81.7	82.8	70.8	66.6	86.5
महाराष्ट्र (10.6)	76.9	76.2	64.3	78.1	80.0
आंध्र प्रदेश (9.2)	60.5	59.4	48.9	68.0	63.3
गुजरात (9.1)	69.1	68.3	55.3	73.5	72.8
राजस्थान (8.5)	60.4	60.2	49.1	56.6	66.1
मध्य प्रदेश (6.4)	63.7	62.8	48.7	70.3	71.7
हरियाणा (5.8)	67.9	69.4	55.4	40.0	72.9
तमिलनाडु (5.6)	73.5	72.0	62.1	82.9	75.8
उड़ीसा (2.1)	63.1	63.3	45.2	71.3	74.0
हिमाचल प्रदेश (2.0)	76.5	76.8	69.6	57.5	79.8
छत्तीसगढ़ (2.0)	64.7	63.9	55.3	82.5	71.3
पंजाब (1.6)	69.7	74.6	56.2	51.2	75.4

स्रोत: भारत की जनगणना (2001) के टेबल C9, C8-SCs और C8-STs से संकलित कोष्ठक में दिए गए आंकड़े मुस्लिम आबादी की प्रतिशत भागीदारी हैं।



भारत में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति

परिशिष्ट तालिका 4.1a लिंग के आधार पर राज्यवार साक्षरता स्तर (शहरी) - 2001

राज्य	सभी शहरी					शहरी पुरुष					शहरी महिलाएं				
	सभी	हिंदु	अनुसूचित जाति/जनजाति	मुस्लिम	अन्य सभी	सभी	हिंदु	अनुसूचित जाति/जनजाति	मुस्लिम	अन्य सभी	सभी	हिंदु	अनुसूचित जाति/जनजाति	मुस्लिम	अन्य सभी
भारत (13.4)	80	81	68	70	85	86	88	78	76	90	73	74	58	63	78
पश्चिम बंगाल (25.2)	81	84	68	66	87	86	89	77	72	91	76	78	59	59	82
केरल (24.7)	93	93	87	91	95	96	96	92	95	97	91	91	83	87	93
उत्तर प्रदेश (18.5)	70	76	58	55	81	77	83	69	61	87	62	68	45	47	73
बिहार (16.5)	72	74	50	64	77	80	82	61	71	85	63	64	37	57	68
असम (30.9)	85	87	80	72	89	90	92	87	78	93	80	83	73	66	84
जम्मू-कश्मीर(67)	72	85	68	63	88*	80	91	77	72	93*	62	77	58	52	81*
झारखंड (13.8)	79	79	63	78	84	87	88	74	84	91	70	70	50	71	76
कर्नाटक (12.2)	81	81	68	76	85	87	88	78	80	91	74	74	59	71	79
उत्तरांचल (11.9)	81	86	73	59	88	87	91	82	67	93	75	79	62	51	83
दिल्ली (11.7)	82	83	71	67	87	87	89	81	72	91	75	76	59	59	81
महाराष्ट्र (10.6)	85	86	77	80	88	91	92	87	85	93	79	80	68	75	82
आंध्र प्रदेश (9.2)	76	76	67	73	78	83	84	76	79	86	69	69	58	67	71
गुजरात (9.1)	82	82	73	76	84	88	89	83	84	90	75	75	63	68	77
राजस्थान (8.5)	76	78	61	64	83	86	88	77	76	92	65	66	44	50	74
मध्य प्रदेश (6.4)	79	80	65	74	85	87	88	77	81	92	70	70	52	66	77
हरियाणा (5.8)	79	80	60	53	83	86	86	71	63	89	71	72	48	40	76
तमिलनाडु (5.6)	83	82	71	84	84	89	88	80	90	90	76	75	62	78	78
उड़ीसा (2.1)	81	81	63	74	86	88	88	75	81	92	73	73	50	66	80
हिमाचल प्रदेश (2.0)	89	90	82	73	91	92	93	88	73	94	85	85	74	72	88
छत्तीसगढ़ (2.0)	81	79	70	86	83	89	89	82	92	91	71	69	58	80	74
पंजाब (1.6)	79	80	62	55	84	83	83	69	60	87	74	75	54	48	80

स्रोत:भारत की जनगणना की तालिका C9, C8-SCs और C8-STs से संग्रहित (2001)
कोष्ठक में दिए गए आंकड़े मुस्लिम जनसंख्या की प्रतिशत हिस्सेदारी हैं।



परिशिष्ट तालिका 4.1b लिंग के आधार पर राज्य वार साक्षरता स्तर (ग्रामीण) - 2001

राज्य	सभी ग्रामीण					ग्रामीण पुरुष					ग्रामीण महिलाएं				
	सभी	हिंदु	हिन्दुस्तानि जाति /जनजाति	मुस्लिम	अन्य सभी	सभी	हिंदु	हिन्दुस्तानि जाति /जनजाति	मुस्लिम	अन्य सभी	सभी	हिंदु	हिन्दुस्तानि जाति /जनजाति	मुस्लिम	अन्य सभी
भारत (13.4)	59	59	49	53	64	71	72	61	62	77	46	46	36	43	52
पश्चिम बंगाल (25.2)	63	67	54	56	78	73	77	67	63	86	53	56	41	48	68
केरल(24.7)	90	89	80	89	93	94	93	85	93	95	87	85	74	85	90
उत्तर प्रदेश(18.5)	53	54	44	44	58	67	69	59	55	72	37	38	28	32	41
बिहार (16.5)	44	45	27	39	49	57	59	39	49	64	30	30	14	28	34
असम(30.9)	60	66	62	47	67	68	75	72	54	76	51	57	52	38	58
जम्मू-कश्मीर(67)	50	65	57	43	69*	62	77	68	54	80*	37	52	45	30	55*
झारखंड (13.8)	46	46	37	47	54	61	62	50	61	71	30	29	23	33	36
कर्नाटक (12.2)	59	59	47	62	64	70	70	58	72	75	48	47	35	52	53
उत्तरांचल (11.9)	68	70	62	46	73	82	85	76	56	88	55	57	46	34	60
दिल्ली (11.7)	78	79	71	61	81	87	88	82	70	89	67	68	57	49	72
महाराष्ट्र (10.6)	70	70	59	73	74	82	82	72	83	85	58	58	47	62	62
आंध्र प्रदेश(9.2)	55	54	46	61	57	65	65	56	73	68	44	43	35	48	46
गुजरात (9.1)	61	61	51	69	65	74	74	63	81	78	48	47	39	57	51
राजस्थान (8.5)	55	55	47	50	60	72	72	64	67	77	37	37	28	31	43
मध्यप्रदेश(6.4)	58	57	46	64	66	72	71	59	77	80	43	42	32	49	50
हरियाणा(5.8)	63	65	54	38	68	75	77	66	55	80	49	51	41	19	54
तमिलनाडु (5.6)	66	65	58	79	68	77	76	69	88	80	55	54	48	72	57
उड़ीसा (2.1)	60	60	44	69	71	73	73	58	79	83	47	47	29	60	59
हिमाचल प्रदेश(2.0)	75	75	69	55	78	85	85	79	65	87	66	66	58	43	69
छत्तीसगढ़ (2.0)	60	60	54	76	67	74	74	67	87	80	47	47	40	64	53
पंजाब (1.6)	65	68	54	48	70	71	76	62	54	76	58	60	46	40	64

स्रोत:भारत की जनगणना (2001) के टेबल C9, C8-SCs और C8-STs से संकलित कोष्ठक में दिए गए आंकड़े मुस्लिम आबादी की प्रतिशत भागीदारी हैं।



भारत में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति

परिशिष्ट तालिका 4.2 Mean Years of Schooling of children aged 7-16 years - 2001

राज्य	समूह	राज्य			शहरी			ग्रामीण		
		सभी	पुरुष	महिला	सभी	पुरुष	महिला	सभी	पुरुष	महिला
भारत	कुल	3.95	4.18	3.69	4.82	4.85	4.79	3.65	4.00	3.34
	अ जाति/जनजाति	3.35	3.67	2.98	4.33	4.44	4.21	3.16	3.53	2.75
	मुस्लिम	3.26	3.40	3.11	4.02	4.01	4.03	2.86	3.08	2.62
	अन्य सभी	4.39	4.61	4.15	5.21	5.22	5.19	4.08	4.38	3.75
पश्चिम बंगाल	कुल	3.58	3.72	3.44	4.38	4.45	4.31	3.33	3.49	3.16
	अ जाति/जनजाति	3.12	3.41	2.80	3.73	3.91	3.54	3.02	3.34	2.68
	मुस्लिम	2.84	2.86	2.83	3.36	3.35	3.38	2.74	2.76	2.72
	अन्य सभी	4.51	4.62	4.39	4.89	4.96	4.83	4.28	4.41	4.13
केरल	कुल	5.75	5.65	5.85	5.81	5.72	5.90	5.73	5.63	5.83
	अ जाति/जनजाति	5.53	5.44	5.63	5.78	5.68	5.89	5.48	5.39	5.58
	मुस्लिम	5.62	5.50	5.74	5.67	5.55	5.79	5.61	5.49	5.73
	अन्य सभी	5.86	5.78	5.95	5.88	5.80	5.95	5.86	5.77	5.95
उत्तर प्रदेश	कुल	3.43	3.78	3.03	4.08	4.15	4.02	3.27	3.69	2.78
	अ जाति/जनजाति	3.09	3.52	2.58	3.64	3.79	3.46	3.01	3.49	2.45
	मुस्लिम	2.60	2.85	2.33	3.05	3.08	3.02	2.35	2.72	1.93
	अन्य सभी	3.85	4.20	3.45	4.93	4.97	4.89	3.62	4.03	3.14
बिहार	कुल	2.69	3.07	2.24	4.14	4.28	3.99	2.52	2.93	2.04
	अ जाति/जनजाति	1.72	2.14	1.19	3.00	3.27	2.69	1.62	2.06	1.08
	मुस्लिम	2.07	2.32	1.78	3.36	3.41	3.30	1.88	2.17	1.56
	अन्य सभी	3.11	3.51	2.63	4.58	4.72	4.43	2.93	3.36	2.41
असम	कुल	3.64	3.72	3.55	5.05	5.09	5.01	3.47	3.55	3.37
	अ जाति/जनजाति	3.95	4.08	3.81	4.79	4.87	4.72	3.87	4.01	3.73
	मुस्लिम	2.64	2.67	2.60	4.05	4.05	4.05	2.55	2.58	2.51
	अन्य सभी	4.23	4.35	4.10	5.37	5.41	5.32	4.01	4.14	3.87
जम्मू-कश्मीर	कुल	3.73	4.08	3.36	4.92	5.01	4.82	3.40	3.81	2.97
	अ जाति/जनजाति	3.04	3.36	2.69	4.51	4.51	4.52	2.90	3.25	2.52
	मुस्लिम	3.41	3.83	2.97	4.78	4.95	4.61	3.06	3.54	2.55
	अन्य सभी	7.76	7.53	8.00	5.43	5.34	5.52	11.15	11.00	11.30
झारखंड	कुल	3.24	3.64	2.79	4.87	4.97	4.75	2.79	3.27	2.25
	अ जाति/जनजाति	2.50	2.94	2.03	4.03	4.28	3.76	2.30	2.76	1.79
	मुस्लिम	2.87	3.16	2.56	4.42	4.39	4.45	2.35	2.75	1.91
	अन्य सभी	3.98	4.39	3.52	5.29	5.38	5.20	3.45	3.98	2.86
कर्नाटक	कुल	4.46	4.62	4.29	5.02	5.01	5.03	4.20	4.45	3.94
	अ जाति/जनजाति	3.87	4.20	3.51	4.70	4.83	4.58	3.64	4.03	3.22
	मुस्लिम	4.26	4.25	4.27	4.55	4.40	4.70	3.86	4.04	3.68
	अन्य सभी	4.76	4.89	4.61	5.34	5.34	5.33	4.51	4.70	4.31
उत्तरांचल	कुल	4.45	4.63	4.26	4.89	4.88	4.90	4.32	4.55	4.07
	अ जाति/जनजाति	4.06	4.35	3.74	4.57	4.58	4.56	3.96	4.31	3.60
	मुस्लिम	2.86	3.12	2.58	3.48	3.51	3.45	2.49	2.89	2.05
	अन्य सभी	4.94	5.07	4.80	5.44	5.40	5.48	4.78	4.96	4.60



राज्य	समूह	राज्य			शहरी			ग्रामीण		
		सभी	पुरुष	महिला	सभी	पुरुष	महिला	सभी	पुरुष	महिला
दिल्ली	कुल	4.76	4.74	4.79	4.77	4.75	4.80	4.64	4.67	4.61
	अ जाति/जनजाति	4.39	4.43	4.35	4.39	4.43	4.34	4.44	4.50	4.36
	मुस्लिम	3.78	3.73	3.83	3.79	3.74	3.86	3.35	3.47	3.21
	अन्य सभी	5.07	5.04	5.12	5.09	5.05	5.14	4.85	4.85	4.86
महाराष्ट्र	कुल	4.98	5.08	4.86	5.24	5.24	5.24	4.80	4.97	4.61
	अ जाति/जनजाति	4.38	4.57	4.17	5.01	5.08	4.95	4.16	4.40	3.90
	मुस्लिम	4.66	4.65	4.68	4.74	4.65	4.84	4.48	4.63	4.32
	अन्य सभी	5.22	5.32	5.11	5.45	5.46	5.44	5.08	5.23	4.91
आंध्र प्रदेश	कुल	4.38	4.64	4.10	5.11	5.14	5.09	4.11	4.46	3.73
	अ जाति/जनजाति	3.78	4.18	3.34	4.87	4.97	4.77	3.59	4.05	3.08
	मुस्लिम	4.42	4.48	4.36	4.62	4.55	4.70	4.14	4.38	3.88
	अन्य सभी	4.60	4.85	4.34	5.35	5.38	5.31	4.34	4.66	4.00
गुजरात	कुल	4.35	4.61	4.06	5.02	5.10	4.92	3.99	4.34	3.60
	अ जाति/जनजाति	3.77	4.05	3.46	4.71	4.84	4.57	3.56	3.88	3.21
	मुस्लिम	4.29	4.48	4.09	4.49	4.61	4.36	4.02	4.30	3.71
	अन्य सभी	4.57	4.82	4.27	5.18	5.25	5.11	4.18	4.55	3.76
राजस्थान	कुल	3.51	4.07	2.88	4.45	4.64	4.23	3.25	3.91	2.49
	अ जाति/जनजाति	2.87	3.53	2.10	3.69	4.04	3.30	2.73	3.45	1.90
	मुस्लिम	2.88	3.35	2.36	3.34	3.60	3.06	2.45	3.12	1.69
	अन्य सभी	3.94	4.46	3.35	5.05	5.16	4.92	3.62	4.26	2.91
मध्य प्रदेश	कुल	3.62	3.92	3.27	4.69	4.73	4.64	3.25	3.65	2.80
	अ जाति/जनजाति	2.79	3.16	2.37	4.02	4.17	3.85	2.58	2.99	2.12
	मुस्लिम	3.79	3.85	3.73	4.14	4.07	4.22	3.20	3.49	2.88
	अन्य सभी	4.14	4.44	3.81	5.06	5.10	5.02	3.78	4.18	3.33
हरियाणा	कुल	4.33	4.46	4.18	4.82	4.79	4.86	4.15	4.34	3.93
	अ जाति/जनजाति	3.61	3.79	3.39	3.81	3.85	3.77	3.55	3.77	3.29
	मुस्लिम	2.04	2.63	1.33	2.85	3.06	2.60	1.91	2.56	1.13
	अन्य सभी	4.76	4.83	4.67	5.11	5.05	5.19	4.61	4.74	4.45
तमिलनाडु	कुल	5.22	5.26	5.19	5.45	5.42	5.48	5.06	5.14	4.97
	अ जाति/जनजाति	4.95	5.03	4.86	5.21	5.19	5.23	4.85	4.97	4.72
	मुस्लिम	5.16	5.16	5.16	5.22	5.20	5.24	5.02	5.06	4.97
	अन्य सभी	5.31	5.33	5.29	5.53	5.49	5.57	5.15	5.21	5.07
उड़ीसा	कुल	4.00	4.30	3.70	5.06	5.16	4.95	3.83	4.16	3.49
	अ जाति/जनजाति	3.00	3.46	2.52	4.10	4.37	3.82	2.90	3.38	2.41
	मुस्लिम	4.13	4.21	4.05	4.30	4.31	4.30	4.01	4.15	3.88
	अन्य सभी	4.72	4.92	4.52	5.46	5.51	5.40	4.57	4.79	4.34
हिमाचल प्रदेश	कुल	5.02	5.06	4.97	5.47	5.40	5.56	4.97	5.02	4.92
	अ जाति/जनजाति	4.63	4.73	4.53	5.08	5.04	5.12	4.61	4.71	4.50
	मुस्लिम	3.63	3.84	3.40	4.66	4.45	4.93	3.51	3.76	3.23
	अन्य सभी	5.23	5.24	5.23	5.60	5.52	5.70	5.19	5.21	5.18



भारत में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति

राज्य	समूह	राज्य			शहरी			ग्रामीण		
		सभी	पुरुष	महिला	सभी	पुरुष	महिला	सभी	पुरुष	महिला
छत्तीसगढ़	कुल	3.82	4.08	3.55	4.78	4.85	4.72	3.59	3.90	3.27
	अ जाति/जनजाति	3.36	3.66	3.05	4.38	4.50	4.24	3.25	3.57	2.92
	मुस्लिम	4.64	4.66	4.63	4.95	4.87	5.03	4.16	4.31	4.00
	अन्य सभी	4.16	4.41	3.91	4.90	4.95	4.84	3.91	4.22	3.60
पंजाब	कुल	4.48	4.46	4.51	4.86	4.77	4.96	4.29	4.30	4.29
	अ जाति/जनजाति	3.77	3.81	3.73	4.02	3.99	4.06	3.69	3.75	3.62
	मुस्लिम	3.33	3.38	3.28	3.53	3.50	3.58	3.18	3.29	3.06
	अन्य सभी	4.86	4.79	4.93	5.17	5.05	5.31	4.67	4.64	4.71

स्रोत: भारत की जनगणना की तालिका C9, C8-SCs और C8-STs से संग्रहित (2001)

नोट: 7-16 वर्ष की उम्र के बच्चे मैट्रिक स्तर की परीक्षा में शामिल होने से संबंधित हैं।

परिशिष्ट तालिका 4.3 सामाजिक-धार्मिक श्रेणियों के हिसाब से 6-14 वर्ष के दाखिला प्राप्त बच्चों का अनुपात - 2004-2005

राज्य	कुल	अ जाति/जनजाति	हिंदु-अन्य पिछड़ा वर्ग	हिंदु-सामान्य	मुस्लिम	अन्य सभी
संपूर्ण भारत	85.3	79.7	86.0	94.9	81.8	89.9
पश्चिम बंगाल	85.7	83.6	91.4	91.9	82.8	70.8
केरल	98.4	95.7	99.3	99.6	99.0	96.9
उत्तर प्रदेश	82.2	80.2	85.9	93.5	69.4	82.2
बिहार	70.9	56.3	74.7	91.8	65.8	78.5
असम	90.9	93.1	92.9	94.5	87.0	86.0
जम्मू-कश्मीर	91.8	90.0	95.9	96.3	90.6	98.0
झारखंड	79.4	73.8	86.5	89.2	69.2	78.6
कर्नाटक	88.3	82.2	90.3	93.5	90.7	94.3
उत्तरांचल	90.4	90.3	86.1	97.4	61.4	97.8
दिल्ली	94.1	85.1	95.5	98.4	95.1	97.4
महाराष्ट्र	90.2	80.1	91.0	94.8	91.0	94.0
आंध्र प्रदेश	86.5	84.1	86.6	91.8	83.4	92.3
गुजरात	84.8	85.4	81.7	94.9	78.9	73.5
राजस्थान	81.1	75.1	83.0	92.1	77.1	83.8
मध्यप्रदेश	88.5	78.6	87.6	99.0	88.0	98.8
हरियाणा	88.8	79.4	92.1	95.5	59.7	90.6
तमिलनाडु	96.3	95.8	96.2	96.3	98.5	98.4
उड़ीसा	82.6	73.8	87.3	93.7	90.6	82.4
हिमाचल प्रदेश	97.3	97.3	97.9	98.7	73.7	87.1
छत्तीसगढ़	84.7	83.6	84.2	91.5	97.9	93.0
पंजाब	90.2	89.0	90.6	94.2	89.0	89.6

स्रोत: राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संस्थान के 61वें चक्र की सारिणी 10 से संकलित 2004-2005



परिशिष्ट तालिका 4.4: मदरसे में छात्रों की संख्या

राज्य	प्राथमिक		मध्य		माध्यमिक		उच्चतर माध्यमिक		कुल छात्र	
	बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका
भारत	404824	345983	111418	96745	34982	29272	8601	3559	559825	475559
पश्चिम बंगाल	21966	18835	25774	31615	13344	15733	2304	898	63388	67081
केरल	6147	5526	2706	2617	558	469	102	30	9513	8642
उत्तर प्रदेश	151521	131808	12808	8657	3973	2027	1925	557	170227	143049
बिहार	92479	73846	39211	29960	8945	6259	2403	1174	143038	111239
असम	27231	27586	11508	8784	3370	1760	808	367	42917	38497
जम्मू-कश्मीर	1261	829	348	107	120	26	0	0	1729	962
झारखंड	15847	14144	7890	5638	1724	1211	276	54	25737	21047
कर्नाटक	4640	4536	1776	1893	687	694	85	189	7188	7312
उत्तरांचल	2523	2258	76	45	0	0	0	0	2599	2303
दिल्ली	218	70	225	0	0	0	0	0	443	70
महाराष्ट्र	6064	3142	2625	2374	696	269	323	9	9708	5794
आंध्र प्रदेश	13576	4345	589	463	354	142	0	0	14519	4950
गुजरात	692	476	1097	681	433	254	173	195	2395	1606
राजस्थान	14546	18774	1697	1138	161	95	104	78	16508	20085
मध्य प्रदेश	32843	28616	1254	1231	67	64	21	2	34185	29913
हरियाणा	680	476	123	109	21	25	0	0	824	610
तमिलनाडु	696	637	117	97	309	102	35	6	1157	842
उड़ीसा	5947	4562	708	685	103	25	42	0	6800	5272
हिमाचल प्रदेश	75	27	23	7	0	0	0	0	98	34
छत्तीसगढ़	1399	1019	4	16	0	0	0	0	1403	1035
पंजाब	1028	1036	92	156	0	17	0	0	1120	1209
अन्य राज्य	3445	3435	767	472	117	100	0	0	4329	4007

स्रोत: एनसीईआरटी के सातवें अखिल भारतीय स्कूल सर्वे से संग्रहित (2002)

नोट: अप्रैल 2006 में उच्चस्तरीय समिति को प्रावधानिक स्तर पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार संख्या.



भारत में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति

परिशिष्ट तालिका 4.5: बिना स्कूल वाले मुस्लिम बहुल इलाके में स्कूल की स्थापना में होने वाले निवेश का विवरण

राज्य	1000 से कम जनसंख्या वाले छोटे गांव		1000-2000 के बीच जनसंख्या वाले मध्यम गांव		2000 से अधिक जनसंख्या वाले बड़े गांव		मुस्लिम बहुल इलाके में स्कूल की स्थापना में होनेवाला कुल खर्च
	बिना स्कूल के गांव की संख्या	कुल राशि	बिना स्कूल के गांव की संख्या	कुल राशि	बिना स्कूल के गांव की संख्या	कुल राशि	
40 फीसदी से अधिक मुस्लिम आबादी वाले गांव	4240	1738.4	1078	1045.7	97	159.1	2943
पश्चिम बंगाल	827	339.1	236	228.9	98	160.7	729
केरल	0	0.0	0	0.0	100	164.0	164
उत्तर प्रदेश	1365	559.7	420	407.4	94	154.2	1121
बिहार	729	298.9	253	245.4	94	154.2	698
असम	233	95.5	39	37.8	99	162.4	296
जम्मू-कश्मीर	171	70.1	10	9.7	99	162.4	242
झारखंड	604	247.6	82	79.5	94	154.2	481
कर्नाटक	31	12.7	6	5.8	98	160.7	179
उत्तरांचल	34	13.9	5	4.9	96	157.4	176
महाराष्ट्र	6	2.5	1	1.0	99	162.4	166
आंध्र प्रदेश	1	0.4	1	1.0	98	160.7	162
गुजरात	6	2.5	0	0.0	100	164.0	166
राजस्थान	91	37.3	4	3.9	100	164.0	205
मध्य प्रदेश	40	16.4	1	1.0	100	164.0	181
हरियाणा	41	16.8	6	5.8	99	162.4	185
तमिलनाडु	6	2.5	3	2.9	97	159.1	164
उड़ीसा	32	13.1	5	4.9	98	160.7	179
हिमाचल प्रदेश	12	4.9	0	0.0	100	164.0	169
छत्तीसगढ़	0	0.0	0	0.0	100	164.0	164
पंजाब	1	0.4	0	0.0	100	164.0	164

स्रोत : उच्च स्तरीय समिति को भारत के महापंजीयक (2001) द्वारा दिए गए आंकड़ों के अनुसार गांवों में स्कूल उपलब्ध कराने के लिए विशेष आकलन



परिशिष्ट तालिका 4.6: प्राथमिक स्कूल पास का प्रतिशत, 2001 (बुर्निदा राज्य)

राज्य	वर्ष	कुल			पुरुष (शहरी)			महिला (शहरी)			पुरुष (ग्रामीण)			महिला (ग्रामीण)		
		मुस्लिम	अ जाति जनजाति	अन्य सभी	मुस्लिम	अ जाति जनजाति	अन्य सभी	मुस्लिम	अ जाति जनजाति	अन्य सभी	मुस्लिम	अ जाति जनजाति	अन्य सभी	मुस्लिम	अ जाति जनजाति	अन्य सभी
संपूर्ण भारत	2001	60.9	61.4	79.3	71.3	80.2	89.6	70.9	74.8	88.1	58.9	66.1	80.8	47.8	47.0	67.6
	1999	58.4	55.9	75.5	70.1	78.1	87.9	68.1	68.6	84.5	57.4	62.8	78.3	43.3	39.0	60.7
	1996	54.7	49.0	71.4	70.8	77.1	87.7	62.7	60.7	80.6	55.9	58.6	76.3	36.1	30.1	52.2
	1991	47.3	40.2	64.7	68.2	71.9	85.5	54.0	49.6	74.6	49.5	50.5	70.3	28.3	21.7	43.2
	1986	41.0	32.2	59.0	64.2	66.3	83.6	46.6	40.2	70.4	43.3	41.7	64.1	21.9	14.6	35.3
	1971	33.6	23.1	50.4	58.8	57.6	80.3	35.0	27.4	61.5	36.1	29.6	54.3	13.5	7.7	23.9
	1948	18.2	8.8	27.8	43.4	33.4	66.7	13.9	7.5	34.1	21.8	13.1	31.6	4.0	1.6	7.4
	पश्चिम बंगाल	2001	50.3	54.4	80.4	59.3	69.8	86.2	60.5	61.6	83.7	48.8	58.8	79.9	46.7	43.5
1999		46.4	49.0	77.4	58.1	67.8	84.7	56.0	57.4	81.5	46.7	55.4	77.4	40.2	36.5	68.3
1996		41.6	42.9	75.1	58.1	67.4	85.1	50.5	53.5	80.4	44.1	50.9	75.7	32.7	29.0	62.4
1991		34.9	35.8	70.5	55.7	62.7	83.5	42.1	46.1	77.1	38.9	43.9	71.5	25.2	22.0	54.8
1986		29.8	29.7	67.0	51.4	57.6	81.9	35.1	39.9	74.2	33.9	36.3	66.7	19.4	16.2	48.7
1971		24.8	22.9	60.7	46.9	50.5	79.8	24.1	28.4	67.0	30.9	28.9	61.5	11.9	9.5	33.6
1948		14.6	12.8	42.2	38.0	39.8	76.4	10.3	10.5	42.3	22.1	20.4	46.1	3.0	2.4	9.3
केरल		2001	97.0	93.1	97.4	96.8	96.3	97.2	97.4	95.9	97.4	96.9	92.7	97.5	97.1	92.4
	1999	96.4	91.2	97.0	96.2	95.6	97.0	96.8	95.3	97.2	96.4	91.2	96.9	96.3	89.7	97.1
	1996	94.7	88.8	96.3	94.9	94.4	96.5	95.1	93.4	96.6	94.9	89.5	96.3	94.4	86.2	96.1
	1991	89.3	82.3	94.4	91.2	90.5	95.2	90.5	89.3	95.1	90.1	83.6	94.6	87.7	78.1	93.6
	1986	79.6	75.4	91.4	86.3	87.0	93.5	81.8	82.1	92.6	81.8	78.0	91.9	75.2	69.0	89.7
	1971	51.4	50.2	77.9	69.9	69.8	86.0	51.7	56.0	80.0	57.6	55.2	80.0	40.0	39.9	71.8
	1948	20.9	13.9	42.6	43.4	31.7	64.2	14.9	13.9	43.7	29.5	19.3	49.5	9.6	7.0	30.4
	उत्तर प्रदेश	2001	48.2	57.4	73.9	56.3	69.9	86.5	54.2	63.6	85.0	52.0	67.7	79.2	32.1	39.3
1999		46.9	51.7	70.5	56.8	68.9	86.0	53.1	58.9	82.9	50.6	63.7	77.0	27.6	29.4	52.6
1996		41.9	41.9	63.9	57.8	68.6	86.4	46.7	46.8	78.1	47.6	58.6	74.4	20.0	18.6	41.4
1991		35.5	35.2	57.5	55.5	65.0	84.6	37.4	35.7	71.9	42.9	52.4	69.9	15.2	12.9	33.5
1986		30.9	29.5	52.5	51.5	60.9	83.4	31.7	28.3	67.3	38.5	46.6	65.9	12.1	8.9	27.6
1971		26.4	22.8	46.2	47.1	56.4	82.0	24.1	19.4	60.6	32.5	35.1	57.5	8.1	4.3	18.4
1948		14.4	8.6	25.4	33.1	32.5	67.7	9.7	5.1	35.9	18.0	13.7	32.2	3.0	0.9	6.0
बिहार		2001	40.7	34.5	61.5	63.7	64.1	82.9	60.8	51.7	79.5	43.1	42.9	66.2	28.9	18.0
	1999	39.0	31.2	58.1	64.3	65.0	83.5	57.8	44.2	76.7	43.6	42.7	66.1	24.3	13.4	40.1
	1996	35.4	25.8	52.4	66.9	63.2	84.7	52.2	34.9	70.9	43.0	38.9	64.4	19.1	10.4	32.9
	1991	30.6	22.4	47.2	64.8	57.2	82.3	43.7	27.8	64.7	39.3	34.7	60.1	15.5	8.1	28.1
	1986	27.0	18.4	42.4	60.5	50.6	79.0	38.5	22.5	59.4	35.9	29.4	55.2	12.8	5.4	23.4
	1971	24.2	13.9	37.1	58.2	47.6	77.5	31.6	16.3	51.5	32.2	21.5	49.0	9.4	2.7	16.2
	1948	17.3	7.3	25.6	49.2	31.4	67.6	15.8	5.4	29.5	25.3	11.7	36.7	4.5	0.8	7.0
	झारखंड	2001	55.5	49.9	74.6	79.5	79.0	92.1	77.6	67.3	88.9	54.8	57.5	77.4	31.0	31.7
1999		53.0	46.3	70.8	80.2	78.8	92.1	75.5	62.2	86.4	55.5	56.2	76.3	24.8	26.4	41.7
1996		48.4	40.0	65.3	81.1	77.3	92.0	68.6	53.9	81.5	54.0	52.5	73.8	19.6	20.6	34.0
1991		42.4	33.4	58.3	78.9	71.2	89.5	58.6	42.7	74.4	49.4	46.1	67.2	15.9	15.0	27.5
1986		36.9	26.3	52.0	74.8	64.1	87.0	49.9	32.9	67.4	44.2	37.9	60.2	12.5	10.4	21.5
1971		32.3	20.7	46.2	69.7	56.6	83.7	37.6	24.1	57.0	38.3	28.8	51.2	8.5	6.4	14.2



	1948	20.3	11.1	28.8	58.3	42.3	75.1	17.6	15.3	34.9	25.4	17.2	33.6	3.0	2.6	4.8
कर्नाटक	2001	73.4	65.7	81.7	75.9	83.4	91.6	80.4	78.7	90.5	69.5	67.4	80.3	61.7	51.4	73.4
	1999	69.6	58.1	77.2	74.4	80.0	90.2	76.0	70.6	86.8	65.6	61.1	76.1	55.2	41.2	66.0
	1996	67.1	52.2	74.3	75.5	79.6	90.6	70.8	64.4	84.0	64.9	57.9	74.7	46.7	31.2	57.1
	1991	58.0	40.1	65.2	71.4	73.3	88.0	61.2	52.3	77.2	56.5	47.0	66.7	33.6	19.8	43.5
	1986	51.0	31.0	58.3	67.1	67.0	85.7	54.2	43.9	73.3	47.0	35.9	58.4	25.2	11.7	33.6
	1971	41.5	20.1	47.6	61.5	56.6	81.0	41.7	28.5	61.6	36.7	21.9	47.3	15.5	5.2	21.6
	1948	24.7	8.3	28.0	49.9	35.0	69.2	18.8	8.0	35.0	24.1	11.0	31.5	5.0	1.2	6.7
महाराष्ट्र	2001	80.4	75.8	89.5	80.1	88.5	92.7	84.4	86.0	92.4	80.1	76.4	89.7	71.4	64.1	84.1
	1999	76.2	70.3	85.9	76.9	86.3	90.6	79.6	79.4	88.7	77.3	74.0	87.5	63.9	53.7	77.0
	1996	73.0	63.0	82.0	76.5	85.2	89.8	73.4	72.4	84.7	75.1	68.8	85.1	57.0	42.2	67.4
	1991	65.9	52.7	75.2	73.7	81.0	88.4	63.6	61.3	78.8	69.3	59.0	78.7	45.7	30.8	55.3
	1986	59.0	40.7	67.2	69.8	74.0	86.2	56.1	49.2	73.5	59.9	46.2	69.2	34.9	18.6	41.6
	1971	50.1	28.0	56.1	65.0	63.9	82.5	44.0	33.4	64.2	49.3	30.9	56.4	23.0	8.9	25.5
	1948	24.1	8.3	26.1	46.3	34.0	67.3	16.2	6.4	34.5	25.2	11.3	26.0	4.9	1.2	4.6
आंध्र प्रदेश	2001	74.7	59.9	75.1	78.0	84.0	89.0	78.5	78.1	85.5	74.2	64.6	76.0	62.3	43.4	62.3
	1999	71.2	52.1	69.2	76.9	81.7	87.4	74.4	68.4	79.7	72.9	60.8	72.6	54.5	33.9	53.1
	1996	67.5	45.7	64.8	77.4	79.6	87.0	68.5	61.1	75.4	71.1	55.8	69.9	44.9	26.8	44.8
	1991	58.5	36.3	54.9	74.2	72.8	82.7	58.8	49.3	67.4	62.7	45.7	59.6	33.1	19.3	34.4
	1986	51.8	27.2	48.2	69.5	65.1	79.2	51.7	39.2	62.6	53.8	33.7	50.3	24.7	12.0	26.8
	1971	43.1	16.7	38.4	65.0	53.0	73.8	40.1	27.0	50.5	44.3	19.6	40.1	14.8	6.0	17.6
	1948	26.3	7.6	22.3	53.7	33.4	61.1	18.0	10.3	27.0	29.5	9.9	26.3	5.0	2.2	7.2
गुजरात	2001	74.9	67.1	78.6	79.4	84.1	89.1	75.8	79.2	86.6	76.4	70.1	79.3	65.0	55.3	64.2
	1999	72.2	62.7	75.5	77.9	82.4	87.2	71.8	74.5	83.1	74.5	67.4	76.7	59.8	48.0	59.2
	1996	67.9	55.7	71.7	76.7	79.9	86.5	65.3	66.3	78.9	73.0	63.5	74.4	51.7	38.7	50.6
	1991	61.2	45.2	65.4	73.0	74.8	84.4	57.4	55.5	73.4	67.6	53.4	67.4	42.3	27.6	40.0
	1986	55.9	36.2	59.6	69.5	69.9	82.2	51.1	45.3	68.5	63.3	43.8	61.0	35.4	18.8	33.1
	1971	46.9	24.5	50.6	64.5	61.3	78.4	39.1	30.5	60.1	54.4	29.5	50.0	22.5	8.6	21.3
	1948	24.1	8.4	25.8	47.6	34.9	62.1	13.7	7.0	31.0	31.9	11.8	24.8	5.4	1.7	5.7
मध्य प्रदेश	2001	70.9	51.7	77.9	75.3	80.1	92.2	77.9	73.9	89.8	66.3	56.8	80.1	49.3	32.8	59.9
	1999	68.4	46.4	73.6	75.0	79.0	91.6	74.1	64.9	85.6	65.1	54.2	78.1	42.4	25.3	50.7
	1996	64.2	39.0	67.9	75.6	77.0	91.3	66.9	53.5	80.5	63.2	49.5	75.3	33.8	18.1	41.0
	1991	57.1	31.5	61.3	72.9	71.2	89.2	57.1	41.1	73.6	57.9	42.8	69.4	26.6	11.6	33.0
	1986	50.3	24.1	55.1	68.0	64.6	86.9	48.6	31.4	68.5	51.7	33.4	62.9	20.1	6.9	25.4
	1971	44.0	16.6	47.6	65.0	56.5	83.9	36.4	20.7	59.7	45.5	21.5	52.6	12.5	3.1	15.7
	1948	21.8	4.2	21.2	45.2	24.8	62.7	11.9	3.3	26.7	21.4	6.0	22.6	2.7	0.4	3.1
तमिलनाडु	2001	81.9	77.0	82.6	83.5	82.6	86.3	81.4	79.8	85.7	83.0	79.4	82.9	78.0	70.5	76.6
	1999	78.3	70.7	77.8	80.6	78.1	82.3	77.0	72.7	80.6	80.3	75.0	78.9	74.1	62.2	70.4
	1996	75.5	63.3	72.9	79.2	75.9	79.8	73.4	64.3	75.1	78.4	70.6	75.8	69.0	50.2	61.6
	1991	70.5	50.1	64.8	76.5	68.7	76.5	67.4	50.9	67.9	74.2	59.7	69.0	61.3	33.5	47.9
	1986	67.7	41.8	60.6	75.3	64.0	75.4	63.6	44.0	64.9	70.8	50.0	62.8	54.9	23.4	39.6
	1971	58.0	29.3	49.8	71.1	54.4	70.6	49.7	29.4	53.5	63.4	35.8	52.2	39.3	12.6	25.7
	1948	37.2	13.8	31.3	59.2	34.6	57.8	21.5	9.7	30.5	49.6	18.7	34.5	14.3	3.0	9.1



परिशिष्ट तालिका 4.7: कम से कम माध्यमिक शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों की सूची, 2001 (बुर्जिदा राज्य)

राज्य	वर्ष	कुल			पुरुष (शहरी)			महिला (शहरी)			पुरुष (ग्रामीण)			महिला (ग्रामीण)		
		मुस्लिम	अ जाति/ जनजाति	अन्य सभी	मुस्लिम	अ जाति/ जनजाति	अन्य सभी	मुस्लिम	अ जाति/ जनजाति	अन्य सभी	मुस्लिम	अ जाति/ जनजाति	अन्य सभी	मुस्लिम	अ जाति/ जनजाति	अन्य सभी
संपूर्ण भारत	2001	40.5	41.3	62.7	49.6	59.8	76.7	51.1	56.3	76.7	37.3	43.7	62.0	29.4	29.3	49.0
	1999	39.9	38.8	60.4	50.5	60.4	76.2	49.9	52.4	73.7	37.8	43.2	61.3	26.9	24.5	43.8
	1996	37.3	34.2	57.1	52.1	61.0	77.0	44.7	45.7	69.4	37.5	41.1	60.1	21.3	18.4	36.3
	1991	30.5	27.1	50.0	49.4	55.7	74.3	34.8	34.8	61.4	32.1	34.6	54.0	14.8	12.4	27.6
	1986	25.3	21.0	44.2	45.2	50.3	71.9	27.7	26.5	56.0	27.3	27.5	47.5	10.2	7.6	20.5
	1971	19.3	13.2	35.0	39.8	40.9	67.2	18.5	15.9	45.2	20.6	16.4	35.7	4.9	3.2	11.2
	1948	8.6	3.8	15.7	25.5	19.2	50.3	5.2	3.3	18.8	9.4	5.1	15.2	0.9	0.5	2.2
पश्चिम बंगाल	2001	26.0	29.9	58.1	34.2	43.8	68.6	35.7	38.3	66.6	24.5	31.9	53.6	22.7	22.4	48.5
	1999	25.2	28.5	57.8	36.2	46.1	70.2	35.1	37.3	66.8	25.4	32.2	54.4	19.3	19.0	45.1
	1996	22.8	25.5	56.7	37.2	47.7	72.2	31.0	35.6	66.6	25.2	30.7	53.8	14.9	14.8	39.9
	1991	19.0	21.5	53.0	35.8	44.4	70.9	24.2	30.1	63.0	22.6	26.9	51.1	10.9	11.1	33.7
	1986	16.7	18.4	51.1	33.5	41.8	70.2	19.4	26.4	60.8	20.5	23.0	48.7	8.5	8.2	29.5
	1971	14.2	13.8	46.6	30.4	36.2	68.8	12.7	18.1	53.5	18.7	17.3	44.4	4.9	4.5	19.3
	1948	7.5	6.4	30.3	23.1	26.1	65.4	4.7	4.9	27.5	11.4	9.8	29.3	0.9	0.8	3.7
केरल	2001	84.8	78.0	91.2	82.1	81.3	89.7	88.9	87.5	93.7	81.4	73.2	88.8	87.8	80.1	93.3
	1999	83.5	75.6	90.6	82.0	79.9	89.2	86.4	86.2	93.6	81.2	72.0	88.2	85.0	76.3	92.5
	1996	77.3	72.4	88.9	78.4	78.1	87.8	79.9	82.9	92.0	76.3	70.5	86.7	77.0	71.1	90.2
	1991	62.8	62.2	83.2	69.6	70.7	83.3	64.9	73.4	87.0	64.5	61.5	81.4	58.7	59.0	83.4
	1986	49.6	54.4	76.5	62.0	65.8	79.3	51.4	64.8	80.5	53.2	55.0	75.6	42.4	49.2	74.7
	1971	24.8	29.0	54.7	42.7	46.1	66.2	23.8	36.7	59.9	29.2	31.2	55.5	15.7	21.5	47.5
	1948	6.5	5.3	20.9	19.3	15.2	41.6	3.4	5.5	22.2	9.1	7.3	24.9	1.8	2.1	11.1
उत्तर प्रदेश	2001	29.2	39.2	59.8	37.3	52.9	76.4	38.5	48.4	76.5	29.3	46.8	63.5	15.1	23.7	44.4
	1999	30.7	37.5	59.1	40.6	54.5	77.7	40.3	47.2	76.4	30.6	46.6	64.3	13.5	18.7	40.3
	1996	27.7	30.6	53.4	42.7	55.8	79.6	35.5	36.6	71.4	29.2	43.6	62.8	9.0	11.3	30.1
	1991	22.5	25.3	46.8	40.7	52.0	77.6	26.7	25.8	63.5	25.6	38.7	58.0	6.2	7.4	22.5
	1986	18.9	20.7	41.5	36.6	47.6	75.8	21.3	18.8	57.4	22.5	33.7	53.4	4.5	4.7	16.8
	1971	15.8	14.7	34.7	33.0	41.9	73.4	15.2	11.2	48.4	18.1	22.9	43.4	2.6	1.8	9.0
	1948	7.4	4.0	15.4	21.2	19.4	54.7	4.8	2.4	21.9	8.1	6.1	18.4	0.7	0.3	1.9
बिहार	2001	23.7	20.9	45.8	47.3	49.3	72.1	44.6	38.9	69.2	24.8	25.7	49.0	13.2	9.3	32.3
	1999	24.3	20.1	44.7	49.9	52.6	74.8	44.1	33.9	67.9	26.9	27.4	51.1	11.8	7.2	27.3
	1996	22.7	17.0	40.6	53.7	52.1	77.3	39.3	25.8	61.7	27.8	25.9	51.0	8.9	5.6	21.5
	1991	19.1	15.0	35.9	51.8	45.9	74.5	30.6	19.4	53.6	25.4	23.7	47.2	6.8	4.4	17.7
	1986	16.4	12.2	31.2	47.2	39.2	69.9	24.7	14.8	46.6	23.0	19.9	42.6	5.2	2.8	13.6
	1971	13.9	8.3	25.1	43.5	34.3	66.3	17.4	8.9	34.9	19.2	12.8	34.8	3.2	1.1	7.2
	1948	8.6	3.3	14.2	33.5	18.3	51.9	6.1	2.3	13.4	12.6	5.1	20.5	1.2	0.3	2.1
झारखंड	2001	36.1	33.5	59.9	60.5	63.3	82.7	60.4	54.2	79.6	30.8	36.6	58.2	15.4	19.6	34.5
	1999	35.9	32.7	57.8	63.8	66.2	84.7	59.8	51.2	78.3	33.3	38.0	59.1	12.3	16.9	27.6
	1996	33.1	28.7	53.4	66.4	65.6	85.4	52.8	44.2	72.8	33.6	36.4	58.0	9.3	13.3	21.4
	1991	27.7	23.3	46.0	63.3	58.3	81.9	40.5	33.4	63.1	30.3	31.6	51.1	6.9	9.4	16.1
	1986	22.9	17.5	39.6	58.1	50.6	78.4	30.7	24.7	54.2	26.3	24.6	44.0	4.8	6.1	11.4



भारत में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति

कर्नाटक	1971	18.2	12.2	32.8	50.5	41.8	72.6	18.7	16.5	39.9	20.0	16.2	33.2	2.6	3.2	6.0
	1948	9.8	5.2	16.7	38.3	28.3	59.5	6.0	9.5	17.6	10.4	7.3	15.9	0.7	0.9	1.4
	2001	47.6	47.5	65.5	51.8	66.4	79.2	57.7	63.5	80.7	42.1	47.8	61.9	29.8	33.2	54.3
	1999	44.9	42.1	61.6	51.9	64.5	78.8	52.7	55.9	76.2	39.9	43.7	58.8	25.5	26.1	47.1
	1996	43.7	38.6	59.6	54.2	65.6	80.4	47.5	50.6	72.8	40.3	43.1	58.5	20.4	19.2	38.7
	1991	35.7	28.8	50.3	50.2	59.2	77.1	36.7	38.7	63.9	33.9	34.4	50.8	13.1	11.3	26.4
	1986	29.6	21.5	43.0	45.4	52.6	73.7	29.9	30.9	58.6	26.0	25.0	41.4	8.5	5.9	17.8
	1971	21.4	11.6	31.4	38.5	41.1	67.0	18.9	17.2	44.2	15.9	11.2	27.4	3.8	1.9	8.5
महाराष्ट्र	1948	10.4	3.5	14.9	26.9	20.8	51.3	6.1	3.3	18.3	7.0	3.8	12.7	0.8	0.3	1.7
	2001	56.8	59.0	75.9	55.6	71.7	80.9	61.4	70.4	82.1	58.6	59.5	76.2	46.3	46.7	66.4
	1999	53.5	54.9	72.5	53.8	71.8	79.4	56.9	63.9	78.0	57.6	58.9	74.7	38.8	37.7	58.3
	1996	50.3	48.5	67.9	54.2	71.8	79.4	49.9	56.9	72.8	55.7	54.5	71.9	31.6	27.4	46.1
	1991	42.8	39.0	59.6	51.5	67.5	77.6	38.7	44.9	64.2	49.6	45.2	64.0	21.6	18.3	32.9
	1986	35.9	28.3	50.7	47.1	59.5	74.7	30.8	32.8	57.0	39.4	33.1	52.5	13.6	9.2	20.5
	1971	28.6	16.9	39.3	42.4	47.7	69.3	21.8	19.0	46.0	27.5	17.6	36.2	6.7	3.2	9.8
	1948	10.0	3.4	14.2	23.7	19.8	49.8	5.4	2.3	19.5	7.5	3.7	9.0	0.8	0.3	1.0
आंध्र प्रदेश	2001	52.6	41.9	57.3	58.5	68.3	76.9	59.5	63.5	73.0	48.0	44.7	56.8	34.7	26.3	40.5
	1999	49.7	34.6	50.9	58.4	65.9	75.1	55.8	52.4	65.4	46.5	40.9	53.0	28.1	18.0	31.7
	1996	46.6	29.9	47.4	59.6	64.0	75.1	49.2	44.8	60.3	45.5	37.3	51.2	21.1	13.3	25.1
	1991	37.8	22.6	38.1	56.0	56.3	69.8	37.8	33.3	50.6	38.3	29.2	41.3	13.1	8.9	17.4
	1986	31.9	16.3	32.3	50.6	49.5	66.1	30.7	25.5	45.1	30.4	20.3	32.8	8.4	5.0	11.9
	1971	24.5	7.9	21.9	45.4	36.2	57.9	21.2	15.0	30.6	20.2	7.9	20.3	3.6	1.9	5.3
	1948	12.9	2.9	9.6	34.6	19.6	42.8	7.1	5.2	10.8	9.2	3.0	9.2	0.8	0.7	1.1
	गुजरात	2001	45.3	48.2	60.9	54.7	66.1	76.5	44.6	56.6	73.5	48.1	51.1	59.7	28.3	37.2
1999		44.3	44.9	57.7	53.6	64.7	73.4	42.8	54.0	70.3	47.3	48.5	56.2	26.2	31.9	37.8
1996		41.7	40.3	54.9	53.5	63.5	72.8	37.5	47.9	65.4	47.2	46.3	54.2	22.7	26.1	32.3
1991		35.9	32.1	49.1	50.0	58.5	70.2	30.3	37.9	58.5	42.1	38.4	47.9	16.7	18.0	24.1
1986		30.9	24.5	43.1	45.6	52.8	67.5	24.6	29.2	52.0	37.4	30.1	41.6	12.2	11.4	18.0
1971		24.3	14.3	34.5	40.0	43.5	62.8	16.8	17.5	42.8	28.1	16.3	30.0	5.8	4.2	9.6
1948		9.1	3.1	13.1	23.1	18.0	43.1	3.7	2.3	14.0	9.3	3.8	9.0	0.7	0.4	1.1
मध्य प्रदेश		2001	42.9	28.7	55.8	46.0	54.9	76.8	52.9	50.8	76.7	32.8	30.5	53.1	23.8	14.1
	1999	44.3	27.7	54.8	49.4	57.4	79.1	53.9	46.7	74.6	34.4	31.8	54.5	21.5	11.3	30.3
	1996	43.1	24.0	51.0	53.1	58.4	80.7	48.8	37.9	69.5	35.4	30.2	53.7	17.1	8.2	23.2
	1991	37.1	19.1	44.6	51.3	52.4	78.1	38.7	26.5	60.9	32.1	25.8	47.6	12.6	5.1	17.1
	1986	31.2	14.3	38.9	46.5	47.2	75.4	30.5	18.9	54.5	27.6	19.5	41.2	8.6	2.9	11.5
	1971	26.3	8.5	31.7	43.8	38.6	71.1	21.3	10.8	44.1	21.4	9.7	29.6	4.5	1.1	5.8
	1948	11.2	1.5	11.8	27.1	12.5	46.8	5.1	1.4	15.0	7.4	1.7	9.1	0.8	0.1	0.8
	तमिलनाडु	2001	59.7	57.5	65.2	63.3	63.2	70.6	60.3	63.3	72.7	59.4	57.7	61.9	49.4	51.8
1999		55.5	50.8	59.6	60.5	58.4	66.2	54.8	55.3	66.5	56.1	52.9	57.6	44.2	43.0	50.6
1996		51.9	44.8	55.3	59.3	57.5	64.8	49.3	47.5	60.6	54.1	50.2	54.9	37.4	32.8	42.0
1991		44.3	32.4	46.2	55.5	49.7	60.6	39.4	33.6	50.9	47.7	39.8	47.5	26.9	18.2	28.0
1986		40.7	25.0	41.7	53.7	45.0	59.4	34.1	27.2	46.9	43.2	30.0	40.2	20.4	10.7	20.5
1971		32.1	15.4	31.6	48.2	35.6	53.5	22.9	16.8	36.1	33.9	17.1	28.2	11.3	5.0	11.5
1948		16.7	5.5	16.0	32.8	18.2	37.9	7.2	4.6	16.2	17.9	5.9	12.6	2.6	1.0	2.9




परिशिष्ट तालिका 4.8: कम से कम माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करने वालों का प्रतिशत, 2001 (तुमिंडा राज्य)

राज्य	वर्ष	कुल			पुरुष (शहरी)			महिला (शहरी)			पुरुष (ग्रामीण)			महिला (ग्रामीण)		
		मुस्लिम	अ जाति/ जनजाति	अन्य सभी	मुस्लिम	अ जाति/ जनजाति	अन्य सभी	मुस्लिम	अ जाति/ जनजाति	अन्य सभी	मुस्लिम	अ जाति/ जनजाति	अन्य सभी	मुस्लिम	अ जाति/ जनजाति	अन्य सभी
संपूर्ण भारत	2001	23.9	21.1	42.5	36.1	42.1	63.0	32.2	31.8	57.9	22.0	24.5	41.8	11.2	10.2	23.8
	1996	19.5	16.7	37.2	34.9	38.7	61.1	24.3	23.5	49.9	19.3	20.9	37.8	7.3	6.7	17.5
	1991	16.1	12.9	32.5	31.9	35.0	59.0	18.8	17.3	44.4	16.5	16.5	32.8	4.8	3.9	12.4
	1976	12.5	7.9	25.5	28.7	28.6	55.5	12.3	9.8	34.6	12.2	9.3	23.7	2.1	1.5	6.1
	1953	5.4	2.1	11.0	18.3	12.8	41.0	3.2	1.8	12.4	5.0	2.6	9.3	0.4	0.2	1.0
पश्चिम बंगाल	2001	11.9	13.1	38.0	22.5	29.5	55.1	18.2	20.8	49.2	13.7	16.0	33.5	5.9	6.0	20.5
	1996	9.4	10.2	34.1	21.2	26.0	52.5	13.5	16.8	45.0	11.8	12.8	30.1	3.8	4.0	15.8
	1991	8.2	8.7	32.9	19.5	24.3	51.8	10.5	14.6	42.9	10.6	10.8	28.8	2.7	2.8	13.1
	1976	7.0	6.2	30.6	18.1	21.0	52.1	6.6	9.3	36.9	9.5	7.5	25.4	1.3	1.3	7.7
	1953	3.5	2.7	19.7	13.6	14.9	50.6	2.3	1.9	15.5	4.7	3.7	14.8	0.2	0.2	1.1
केरल	2001	37.5	35.8	64.3	40.8	41.2	63.6	42.6	50.4	74.0	36.0	31.4	57.9	35.9	35.9	67.0
	1996	30.0	30.8	58.7	37.2	37.1	59.2	32.3	43.4	67.2	32.1	28.5	54.1	25.3	29.2	59.2
	1991	22.5	24.9	50.1	32.1	32.4	52.9	23.5	35.1	58.3	25.9	24.0	46.7	16.6	22.0	48.9
	1976	12.0	12.6	33.9	23.5	23.9	45.7	11.4	18.8	41.0	14.6	13.0	32.9	6.4	8.4	27.4
	1953	3.5	2.7	13.8	11.5	9.2	31.7	1.7	3.0	14.6	4.9	3.5	16.3	0.8	1.0	6.3
उत्तर प्रदेश	2001	17.4	16.4	37.0	28.0	35.8	65.6	26.9	25.0	61.3	15.3	22.3	40.4	4.9	5.3	17.4
	1996	13.9	13.5	32.0	27.3	33.7	64.7	19.4	16.4	52.4	13.4	20.1	37.3	3.2	3.3	12.0
	1991	11.5	11.3	28.2	24.4	30.9	63.1	14.9	11.3	45.7	11.9	18.1	34.4	2.2	2.0	8.4
	1976	9.9	8.2	23.7	22.7	28.1	61.4	10.3	6.2	36.8	10.0	12.4	27.6	1.3	0.7	3.9
	1953	4.4	2.0	9.5	14.3	11.9	43.5	2.8	1.1	13.5	4.0	2.8	9.9	0.3	0.1	0.7
बिहार	2001	16.1	11.1	31.4	43.4	41.3	68.9	32.5	19.5	54.2	18.8	16.7	38.7	5.6	3.2	15.1
	1996	14.0	10.6	28.6	42.6	37.3	67.2	24.3	14.9	46.4	18.2	16.6	37.5	4.3	2.8	12.8
	1991	11.9	8.7	24.7	38.4	31.3	62.3	19.0	11.0	39.2	16.5	14.3	33.8	3.1	1.8	9.5
	1976	9.6	5.6	18.9	34.4	26.2	57.8	12.0	6.1	27.1	13.2	8.6	26.0	1.6	0.6	4.3
	1953	5.6	2.0	9.9	25.9	13.0	43.9	3.5	1.4	8.6	8.0	3.0	14.0	0.6	0.1	1.0
झारखंड	2001	23.1	17.4	40.7	50.8	49.3	74.3	41.4	34.4	62.8	20.7	20.2	39.0	5.4	7.2	12.8
	1996	19.5	14.9	35.7	48.9	44.2	72.0	30.6	25.8	52.9	19.7	19.3	36.5	3.9	5.4	9.9
	1991	15.9	11.0	30.5	44.6	37.8	67.9	21.9	18.7	44.2	17.1	14.8	31.2	2.5	3.5	6.9
	1976	12.1	7.6	24.9	37.3	30.9	62.3	11.7	12.4	30.2	12.4	9.3	22.7	1.2	1.8	3.2
	1953	6.3	3.2	12.2	27.7	21.3	49.8	3.3	7.2	11.1	6.0	4.0	10.3	0.3	0.5	0.6
कर्नाटक	2001	33.6	28.0	48.4	42.5	52.1	70.0	38.0	39.8	64.5	28.7	30.1	43.9	14.3	12.4	28.6
	1996	27.9	21.8	41.9	40.5	48.1	68.6	28.8	30.2	56.2	25.6	25.9	40.3	9.1	7.3	19.5
	1991	23.3	16.7	36.1	37.0	43.6	66.2	23.0	23.9	51.4	20.0	19.3	33.1	5.7	3.9	12.9
	1976	16.7	9.0	26.2	31.7	34.6	60.8	14.2	12.9	37.9	11.8	8.3	21.0	2.4	1.2	5.8
	1953	7.9	2.5	11.7	21.8	16.3	45.5	4.2	2.1	13.6	4.6	2.4	8.7	0.4	0.2	0.9
महाराष्ट्र	2001	35.1	32.4	52.2	36.9	50.4	63.9	36.6	39.5	60.4	39.0	36.9	53.4	20.5	16.1	30.5
	1996	30.3	26.7	46.1	36.4	48.9	63.5	27.9	30.6	52.5	35.4	31.5	48.0	13.4	10.7	21.1
	1991	25.2	19.3	39.2	33.7	43.2	61.7	21.6	21.7	46.2	27.5	22.7	38.3	8.0	5.3	12.6
	1976	20.6	11.5	31.1	31.2	35.3	58.6	15.5	12.1	37.8	18.9	11.7	26.0	4.0	1.7	5.9
	1953	7.3	2.4	11.7	18.0	15.0	43.7	3.7	1.5	15.8	5.1	2.5	6.5	0.4	0.1	0.6








भारत में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति

आंध्र प्रदेश	2001	40.6	24.1	40.8	53.4	56.2	69.3	43.9	38.5	54.5	37.3	29.7	42.7	16.7	9.8	19.7
	1996	32.9	18.2	32.8	50.6	49.4	64.6	33.1	28.0	45.1	31.9	23.3	34.6	10.1	6.5	13.4
	1991	27.9	13.4	28.1	45.9	44.1	61.5	26.6	21.2	39.8	25.7	16.5	27.8	6.4	3.7	9.1
	1976	21.1	6.2	18.4	40.7	31.1	52.9	17.7	11.6	25.3	16.3	6.1	16.4	2.5	1.3	3.5
	1953	10.9	1.9	7.6	30.7	15.5	38.4	5.8	3.1	7.6	6.7	1.9	6.7	0.5	0.3	0.6
गुजरात	2001	26.1	26.0	41.1	33.1	40.0	56.0	25.3	32.3	54.5	28.2	29.5	36.3	13.4	17.1	23.1
	1996	23.5	21.9	37.8	32.8	39.8	56.0	20.7	26.3	48.6	27.0	26.5	34.0	10.1	12.0	17.2
	1991	19.9	16.6	32.7	29.8	35.9	54.1	16.4	19.6	42.1	23.3	20.8	29.0	7.0	7.3	12.1
	1976	16.3	9.8	26.7	27.7	31.6	51.8	11.4	11.9	34.8	18.1	10.9	21.0	3.2	2.7	6.3
	1953	6.5	2.3	10.7	17.1	13.5	37.0	2.3	1.7	11.0	6.5	2.8	6.7	0.4	0.3	0.7
मध्य प्रदेश	2001	26.2	12.7	33.9	33.4	38.6	64.8	32.1	24.1	55.5	17.2	14.7	30.5	8.1	3.2	10.6
	1996	23.1	10.4	30.0	33.3	34.5	63.2	25.5	16.2	47.5	16.8	13.2	27.5	6.0	2.2	7.8
	1991	19.7	8.2	27.1	30.4	31.8	61.3	20.2	11.6	42.3	15.0	10.5	24.8	4.3	1.4	5.5
	1976	16.7	5.1	22.3	29.4	26.4	58.3	13.4	6.3	32.8	11.4	5.3	17.3	2.2	0.6	2.6
	1953	6.8	0.8	7.7	17.4	7.5	36.0	2.7	0.7	9.2	3.4	0.7	4.5	0.3	0.1	0.3
तमिलनाडु	2001	33.6	28.4	39.8	42.6	39.9	51.0	30.6	31.6	46.8	34.2	32.0	37.1	17.2	18.2	25.7
	1996	27.3	20.2	32.7	38.6	33.5	46.8	22.5	21.1	37.8	28.9	25.3	31.8	11.1	10.0	16.5
	1991	24.8	15.4	29.3	37.1	29.9	45.8	18.4	16.7	33.7	25.6	18.7	26.4	7.9	5.5	11.3
	1976	19.5	8.8	21.4	33.0	22.9	40.9	11.6	9.3	24.3	19.7	9.3	17.2	3.9	2.3	5.6
	1953	9.7	2.7	9.9	20.8	10.2	27.4	3.3	2.0	8.7	8.9	2.7	6.5	0.9	0.4	1.1



साक्षरता






उन लोगों का प्रतिशत जिन्होंने वर्ष २००१ तक कम से कम स्नातक तक की शिक्षा पूरी की (संपूर्ण भारत-स्नातक)



—◆— मुसलमान —■— एससी/एसटी —▲— अन्य सभी








उन लोगों का प्रतिशत जिन्होंने वर्ष २००१ तक कम से कम स्नातक तक की शिक्षा पूरी की (पश्चिम बंगाल-स्नातक)



—♦— मुसलमान —■— एससी/एसटी —▲— अन्य सभी








उन लोगों का प्रतिशत जिन्होंने वर्ष २००१ तक कम से कम स्नातक तक की शिक्षा पूरी की (केरल-स्नातक)



◆ मुसलमान
 ■ एससी/एसटी
 ▲ अन्य सभी








उन लोगों का प्रतिशत जिन्होंने वर्ष २००१ तक कम से कम स्नातक तक की शिक्षा पूरी की (उत्तर प्रदेश-स्नातक)



—♦— मुसलमान —■— एससी/एसटी —▲— अन्य सभी








उन लोगों का प्रतिशत जिन्होंने वर्ष २००१ तक कम से कम स्नातक तक की शिक्षा पूरी की (बिहार-स्नातक)



—◆— मुसलमान —■— एससी/एसटी —▲— अन्य सभी








उन लोगों का प्रतिशत जिन्होंने वर्ष २००१ तक कम से कम स्नातक तक की शिक्षा पूरी की (कर्नाटक-स्नातक)



—♦— मुसलमान —■— एससी/एसटी —▲— अन्य सभी








उन लोगों का प्रतिशत जिन्होंने वर्ष २००१ तक कम से कम स्नातक तक की शिक्षा पूरी की (महाराष्ट्र-स्नातक)



—♦— मुसलमान —■— एससी/एसटी —▲— अन्य सभी








उन लोगों का प्रतिशत जिन्होंने वर्ष २००१ तक कम से कम स्नातक तक की शिक्षा पूरी की (आंध्र प्रदेश-स्नातक)



—♦— मुसलमान —■— एससी/एसटी —▲— अन्य सभी








उन लोगों का प्रतिशत जिन्होंने वर्ष २००१ तक कम से कम स्नातक तक की शिक्षा पूरी की (गुजरात-स्नातक)



—◆— मुसलमान —■— एससी/एसटी —▲— अन्य सभी








सामाजिक समूहों द्वारा साक्षरता दर, २००१ (संपूर्ण भारत-साक्षरता)



—●— मुसलमान —■— एससी/एसटी —▲— अन्य सभी








सामाजिक समूहों द्वारा साक्षरता दर, २००१ (पश्चिम बंगाल-साक्षरता)



◆ मुसलमान
 ■ एससी/एसटी
 ▲ अन्य सभी








सामाजिक समूहों द्वारा साक्षरता दर, २००१ (केरल-साक्षरता)



—♦— मुसलमान —■— एससी/एसटी —▲— अन्य सभी








सामाजिक समूहों द्वारा साक्षरता दर, २००१ (उत्तर प्रदेश -साक्षरता)



—♦— मुसलमान —■— एससी/एसटी —▲— अन्य सभी








सामाजिक समूहों द्वारा साक्षरता दर, २००१ (बिहार-साक्षरता)



—♦— मुसलमान —■— एससी/एसटी —▲— अन्य सभी








सामाजिक समूहों द्वारा साक्षरता दर, २००१ (कर्नाटक-साक्षरता)



—♦— मुसलमान —■— एससी/एसटी —▲— अन्य सभी








सामाजिक समूहों द्वारा साक्षरता दर, २००१ (महाराष्ट्र-साक्षरता)



—♦— मुसलमान —■— एससी/एसटी —▲— अन्य सभी








सामाजिक समूहों द्वारा साक्षरता दर, २००१ (आंध्र प्रदेश-साक्षरता)



—♦— मुसलमान —■— एससी/एसटी —▲— अन्य सभी



सामाजिक समूहों द्वारा साक्षरता दर, २००१ (गुजरात-साक्षरता)



—♦— मुसलमान —■— एससी/एसटी —▲— अन्य सभी



परिशिष्ट तालिका 5.1: सामाजिक-धार्मिक श्रेणी के हिसाब से आयुवर्ग विशेष कामगारों की आबादी, 2004-05

उम्र	सभी	हिंदू				मुस्लिम			
		सभी हिंदू	अ जाति/जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	हिंदू उच्च वर्ग	सभी मुस्लिम	मुस्लिम-अन्य पिछड़ा वर्ग	मुस्लिम सामान्य	अन्य अल्पसंख्यक
सभी									
15-19	36.8	37.6	46.2	39.5	23.8	35.2	34.3	35.8	29.4
20-29	63.0	64.3	69.9	65.4	56.1	54.4	51.9	56.0	62.9
30-39	75.0	76.5	81.5	77.5	69.3	63.4	63.3	63.5	76.6
40-49	76.4	77.8	82.8	79.7	70.0	64.8	65.2	64.6	78.1
50-59	70.2	71.4	76.7	73.5	63.3	61.1	60.4	61.6	70.3
60-64	52.5	52.8	58.1	56.5	42.8	48.4	47.6	48.9	54.1
15-64	64.4	65.8	71.4	67.3	57.4	54.9	53.9	55.6	64.5
शहरी									
15-19	24.1	22.9	28.7	29.6	12.8	31.4	32.0	30.9	16.6
20-29	51.7	51.8	55.5	54.8	47.5	52.4	52.2	52.6	48.8
30-39	64.5	65.1	67.4	67.2	62.3	60.7	59.9	61.2	65.5
40-49	65.0	65.7	70.1	68.2	61.8	60.6	58.6	61.8	66.0
50-59	58.0	58.6	64.6	61.1	54.6	55.3	55.5	55.1	56.9
60-64	30.9	29.7	34.3	36.9	23.4	38.0	41.9	35.4	29.9
15-64	52.7	53.1	56.3	56.4	49.0	51.1	50.6	51.4	51.6
ग्रामीण									
15-19	41.5	42.5	50.3	42.3	30.6	37.3	35.6	38.4	35.0
20-29	67.5	69.0	73.2	68.8	62.7	55.6	51.7	58.0	68.9
30-39	79.0	80.6	84.3	80.6	74.5	64.7	64.8	64.7	81.6
40-49	80.9	82.3	85.4	83.2	76.0	67.0	68.5	66.0	83.7
50-59	74.7	75.8	79.1	76.6	69.6	64.1	62.9	64.8	76.6
60-64	59.3	59.6	61.7	61.0	54.4	53.7	50.5	55.9	64.0
15-64	68.9	70.3	74.6	70.5	63.5	57.0	55.6	57.8	70.2
पुरुष									
15-19	45.3	44.8	53.7	46.9	30.1	51.8	50.7	52.4	35.6
20-29	86.9	87.0	90.1	89.0	80.4	88.2	87.1	88.9	82.2
30-39	98.2	98.3	98.3	98.5	97.8	97.9	96.8	98.5	97.7
40-49	98.0	98.2	98.3	98.2	98.0	96.9	95.4	97.8	97.1
50-59	93.2	93.5	94.4	94.2	91.7	92.6	90.4	93.9	90.5
60-64	73.7	73.6	79.8	76.6	64.0	75.5	72.1	77.3	71.7
15-64	84.7	84.9	87.3	85.8	80.8	84.6	83.0	85.5	81.8
महिला									
15-19	26.8	28.9	37.0	30.6	16.5	17.3	17.3	17.4	22.4
20-29	39.3	41.7	50.0	42.4	31.0	21.1	21.1	21.1	43.6
30-39	53.1	55.6	65.3	57.9	41.3	31.8	34.9	29.7	57.7
40-49	52.9	55.5	65.5	59.2	40.1	30.5	34.6	27.7	58.2
50-59	45.9	48.0	58.1	51.7	33.2	28.0	29.4	27.0	49.1
60-64	32.5	33.3	38.5	37.6	22.1	22.8	29.6	17.2	37.5
15-64	43.6	46.1	54.9	48.3	33.1	25.2	26.9	24.0	47.2

स्रोत: राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संस्थान 61वां वक



परिशिष्ट तालिका 5.2: हर सामाजिक-धार्मिक श्रेणी में नियमित वैतनिक/दैनिक, साकारी या बड़े निजी क्षेत्र में गैर कृषि कामगारों का प्रतिशत : 2004-05

सामाजिक-धार्मिक श्रेणी	सभी		पुरुष		महिला		शहरी		ग्रामीण		
	सरकारी	सार्वजनिक/निजी क्षेत्र	सरकारी	सार्वजनिक/निजी क्षेत्र	सरकारी	सार्वजनिक/निजी क्षेत्र	सरकारी	सार्वजनिक/निजी क्षेत्र	सरकारी	सार्वजनिक/निजी क्षेत्र	
सभी	34.2	13.1	34	13.8	35.1	10.2	31.5	14.6	39.2	10.5	
हिंदू	सभी हिंदू	35.3	13.9	35.3	14.6	35.2	10.7	32.8	15.3	39.5	11.4
	अ जाति/जनजाति	39.4	9.5	41.3	9.4	32.4	9.9	36.7	8.7	42.9	10.5
	अन्य पिछड़ा वर्ग	30.4	12.8	30.4	13.1	30.0	11.4	27.3	14.0	34.6	11.1
	उच्च वर्ग	37.4	17.1	36.4	18.6	41.7	10.6	35.2	18.8	43.2	12.5
मुस्लिम	23.7	6.5	23.0	6.5	29.4	6.8	19.4	7.4	33.3	4.8	
अन्य अल्पसंख्यक	35.8	12.8	35.1	14.8	37.6	8.0	32.0	16.5	41.8	7.1	

स्रोत: यह नमूना सर्वेक्षण के आंकड़ों के 61वें तक की सरिणी 10 के अनुसार

परिशिष्ट तालिका 5.3: सभी (मुख्य एवं कार्यकारी) श्रमिकों (उम्र 15-64) का हर सामाजिक-धार्मिक श्रेणी के लिए द्विअंकीय औद्योगिक समूह का वितरण: 2004-05

औद्योगिक समूह	सभी	हिंदू				मुस्लिम	अन्य अल्पसंख्यक	
		सभी हिंदू	अ जाति/जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	उच्च वर्ग			
		शहरी						
कृषि, शिकार व इससे जुड़ी गतिविधियां	8	8.6	10.3	11.7	4.7	5.3	6.6	
वन्य, लकड़ी काटना एवं संबंधित गतिविधियां	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	
मछली पकड़ना, मछली का पालन एवं इसके व्यवसाय से जुड़ी अन्य गतिविधियां	0.3	0.3	0.4	0.4	0.1	0.2	0.9	
पत्थर कोयला एवं लकड़ी के कोयले का खनन	0.5	0.6	0.8	0.6	0.6	0.1	0.3	
कच्चा तेल एवं प्राकृतिक गैस का दोहन; सर्वेक्षण को छोड़कर								
तेल एवं गैस दोहन से जुड़ी अन्य गतिविधियां	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	
यूरेनियम एवं थोरियम खनिजों का खनन								
धातु खनिज का खनन	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	
अन्य खनन व पत्थर निकालना	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.1	0.1	
खाद्य व पेय पदार्थों का उत्पादन	1.9	1.8	0.9	2.4	1.7	2.7	1.2	
तंबाकू उत्पादों का निर्माण	1.0	0.6	1.1	0.5	0.3	3.7	0.2	
कपड़े का उत्पादन	4.8	4.4	3.5	6.1	3.3	7.9	2.2	
पहननेयोग्य वस्त्रों का निर्माण;								
फर को रंगना और उससे निर्माण	3.8	3.4	3.3	4.2	2.7	6.8	2.4	
लकड़ी, उसके उत्पाद एवं ढक्कनों का निर्माण								
फर्नीचर को छोड़कर; पुआल एवं बुनने योग्य चीजों से बनी वस्तुओं का उत्पादन	1.1	0.9	1.5	1.2	0.4	1.8	1.1	
कागज और उससे जुड़े उत्पादों का निर्माण	0.4	0.4	0.5	0.3	0.5	0.2	0.2	
प्रकाशन, मुद्रण और रिकार्डेड मीडिया का पुनर्उत्पादन	0.7	0.8	0.4	1.0	0.9	0.3	0.7	
कोक, शुद्ध पेट्रोलियम उत्पाद एवं परमाणु ईंधन का उत्पाद	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.2	



औद्योगिक समूह	सभी	हिंदू				मुस्लिम	अन्य अल्पसंख्यक
		सभी हिंदू	अ जाति/जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	उच्च वर्ग		
रसायन और रसायनिक उत्पाद निर्माण	1.2	1.3	1.1	1.2	1.5	0.5	1.0
खर और प्लास्टिक उत्पाद निर्माण	0.5	0.5	0.6	0.3	0.7	0.4	0.4
अन्य गैर धातु-खनिज पदार्थ का उत्पादन	0.9	0.8	1.0	1.1	0.5	0.9	1.7
मूलभूत धातुओं का उत्पादन	0.6	0.7	0.7	0.5	0.8	0.3	0.3
मशीनरी एवं औजारों को छोड़कर धातु से निर्मित वस्तुओं का उत्पादन	1.5	1.4	0.9	1.8	1.4	2.0	1.5
मशीनरी एवं औजारों का उत्पादन (कहीं और वर्णित नहीं)*	0.9	0.9	0.4	0.8	1.2	0.5	1.3
कार्यालय, लेखा व गणना संबंधी मशीनरी का उत्पादन	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.3
बिजली की मशीन एवं उपकरणों का उत्पादन (कहीं और वर्णित नहीं)	0.5	0.5	0.1	0.2	0.9	0.9	0.2
रेडियो, टेलीविजन एवं संचार उपकरणों एवं संसाधनों का उत्पादन	0.2	0.2	0.3	0.1	0.2	0.1	0.1
विकित्सा, शुद्धता व दृष्टि संबंधी औजार हथ व दीवार घड़ियों का उत्पादन	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.4
मोटर गाड़ियों, ट्रैक्टर और सेमी ट्रैक्टरों का उत्पादन	0.4	0.5	0.3	0.6	0.5	0.1	0.5
परिवहन के अन्य उपकरणों का उत्पादन	0.3	0.4	0.3	0.3	0.5	0.0	0.3
फर्नीचर निर्माण, कहीं और वर्णित नहीं निर्माण	2.6	2.8	1.7	3.3	2.8	1.9	1.1
फिर उपयोग में आनेवाले निर्माण	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0
बिजली, गैस, भाप एवं गरम पानी की आपूर्ति से जुड़े उत्पाद	0.6	0.6	0.7	0.6	0.7	0.3	0.7
पानी का एकत्रीकरण, शुद्धिकरण एवं वितरण	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	0.0
भवन या अन्य संरचनात्मक निर्माण	8.2	8.2	13.4	9.2	4.7	7.6	8.6
मोटर गाड़ियों एवं मोटर साइकिलों को छोड़कर, खुदरा व्यापार, निजी व घरेलू सामान की मरम्मत	1.6	1.3	1.1	1.5	1.2	2.9	1.7
मोटर साइकिल को छोड़कर थोक व आढ़तिया व्यापार							
गाड़ियां एवं बाइक्स	3.3	3.0	2.3	2.3	4.1	3.8	4.7
मोटर गाड़ियों व बाइक्स को छोड़कर, खुदरा व्यापार निजी एवं घरेलू सामान की मरम्मत	17.0	15.6	11.3	14.9	18.0	21.3	17.5
होटल व रेस्तरां	3.1	3.3	2.2	3.7	3.5	2.2	2.8
जमीनी यातायात, पाइपलाइनों द्वारा यातायात	7.2	6.9	9.0	6.7	6.0	9.4	6.1
जल परिवहन	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1
हवाई परिवहन	0.1	0.1	0.0	0.0	0.2	0.0	0.1
सहायक परिवहन गतिविधियां							
ट्रेल एजेंसियों की गतिविधियां	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.2	0.4
डाक एवं दूरसंचार	1.1	1.2	1.0	1.1	1.5	0.5	1.1
बीमा एवं पेशन राशि को छोड़कर वित्तीय मध्यस्ता	1.5	1.6	0.6	1.2	2.5	0.5	3.0



औद्योगिक समूह	सभी	हिंदू				मुस्लिम	अन्य अल्पसंख्यक
		सभी हिंदू	अ जाति/जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	उच्च वर्ग		
आवश्यक सामाजिक सुरक्षा के अलावा बीमा एवं पेंशन राशि	0.4	0.5	0.2	0.3	0.8	0.1	0.2
वित्तीय मध्यस्थता के लिए सहायक गतिविधियां	0.2	0.2	0.0	0.1	0.3	0.0	0.1
जमीन-जायदाद से जुड़े व्यापार	0.3	0.3	0.4	0.2	0.4	0.3	0.4
बिना संचालक के मशीनरी व औजारों एवं निजी व घरेलू वस्तुओं को किराए पर देना	0.3	0.3	0.4	0.2	0.3	0.2	0.2
कंप्यूटर व जुड़ी गतिविधियां	0.8	0.8	0.1	0.6	1.4	0.3	1.1
अनुसंधान व विकास	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
अन्य व्यापारिक गतिविधियां	1.9	1.9	1.0	1.4	2.9	1.4	2.0
लोक प्रशासन एवं सुरक्षा; आवश्यक सामाजिक सुरक्षा	5.4	5.9	7.8	4.0	6.7	2.2	6.0
शिक्षा	5.4	5.6	3.0	4.0	8.5	3.0	7.5
स्वास्थ्य व सामाजिक कार्य	2.0	1.9	1.9	1.5	2.3	1.3	4.3
सीवर एवं अवशिष्ट निकासी, सफाई एवं संबंधित गतिविधियां	0.2	0.2	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
सदस्यता संस्थानों की गतिविधियां, (कहीं और वर्णित नहीं)	0.5	0.5	0.2	0.2	0.9	0.3	1.0
मनोरंजक, सांस्कृतिक व खेल गतिविधियां	0.6	0.6	0.6	0.5	0.7	0.4	1.0
अन्य सेवाएं	2.0	2.2	2.9	3.3	0.9	1.6	0.7
नियुक्त कर्मियों वाले निजी घर	2.9	3.2	5.2	2.7	2.6	1.6	3.2
अतिरिक्त क्षेत्रीय संस्थाएं एवं निकाय	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
कुल	100	100	100	100	100	100	100
ग्रामीण							
कृषि, शिकार व इससे जुड़ी गतिविधियां	71.0	73.0	74.5	73.1	70.0	55.2	71.5
वन्य, लकड़ी काटना एवं संबंधित गतिविधियां	0.4	0.4	0.6	0.3	0.1	0.5	0.3
मछली पकड़ना, मछली का पालन एवं इसके व्यवसाय से जुड़ी अन्य गतिविधियां	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.6	0.5
पत्थर कोयला एवं लकड़ी के कोयले का खनन	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1
कच्चा तेल एवं प्राकृतिक गैस का दोहन; सर्वेक्षण को छोड़कर							
तेल एवं गैस दोहन से जुड़ी अन्य गतिविधियां	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
यूरेनियम एवं थोरियम खनिजों का खनन	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
धातु खनिज का खनन	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
अन्य खनन व पत्थर निकालना	0.4	0.5	0.7	0.4	0.2	0.3	0.4
खाद्य व पेय पदार्थों का उत्पादन	1.0	1.0	0.6	1.0	1.6	1.4	0.9
तंबाकू उत्पादों का निर्माण	1.0	0.8	0.6	1.0	0.6	3.6	0.6
कपड़े का उत्पादन	1.3	1.1	0.8	1.5	0.8	3.5	0.7
पहनने योग्य वस्त्रों का निर्माण; फर को रंगना और उससे निर्माण	1.0	0.8	0.7	0.9	0.8	2.6	1.4
चमड़े का काम एवं उसे अलंकृत करना; सामान रखने की अटैची और बैग							
हैंड बैग, लगाम एवं जूते-चप्पल का निर्माण	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1



औद्योगिक समूह	सभी	हिंदू				मुस्लिम	अन्य अल्पसंख्यक
		सभी हिंदू	अ जाति/जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	उच्च वर्ग		
लकड़ी, उसके उत्पाद एवं ढक्कनों का निर्माण फर्नीचर को छोड़कर; पुआल एवं बुनने योग्य चीजों से बनी वस्तुओं का उत्पादन	1.1	1.2	1.7	1.1	0.7	0.5	0.6
कागज और उससे जुड़े उत्पादों का निर्माण	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1
प्रकाशन, मुद्रण और रिकार्डेड मीडिया का पुनर् उत्पादन	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
कोक, शुद्ध पेट्रोलियम उत्पाद एवं परमाणु ईंधन का उत्पाद	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
रसायन और रसायनिक उत्पाद निर्माण	0.2	0.2	0.1	0.4	0.3	0.2	0.1
खर और प्लास्टिक उत्पाद निर्माण	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1
अन्य गैर धातु-खनिज पदार्थ का उत्पादन	1	1.1	1.2	1.2	0.5	0.9	0.6
मूलभूत धातुओं का उत्पादन	0.1	0.1	0.1	0.1	0.3	0.1	0.1
मशीनरी एवं औजारों को छोड़कर धातु से निर्मित वस्तुओं का उत्पादन	0.3	0.3	0.2	0.4	0.2	0.7	0.3
मशीनरी एवं औजारों का उत्पादन (कहीं और वर्णित नहीं)*	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2
कार्यालय, लेखा व गणना संबंधी मशीनरी का उत्पादन	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
बिजली की मशीन एवं उपकरणों का उत्पादन (कहीं और वर्णित नहीं)	0.1	0.1	0.0	0	0.1	0.1	0.0
रेडियो, टेलीविजन एवं संचार उपकरणों एवं संसाधनों का उत्पादन	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
विक्रित्या, शुद्धता व दृष्टि संबंधी औजार हथ व दीवार घड़ियों का उत्पादन	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
मोटर गाड़ियों, ट्रैलर और सेमी ट्रैलरों का उत्पादन	0.1	0.1	0.1	0.0	0.2	0.0	0.0
परिवहन के अन्य उपकरणों का उत्पादन	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
फर्नीचर निर्माण, कहीं और वर्णित नहीं निर्माण	0.5	0.5	0.2	0.6	0.7	0.7	0.2
फिर उपयोग में आनेवाले निर्माण	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
बिजली, गैस, भाप एवं गरम पानी की आपूर्ति से जुड़े उत्पाद	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.4
पानी का एकत्रीकरण, शुद्धिकरण एवं वितरण	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1
भवन या अन्य संरचनात्मक निर्माण	5.1	4.9	7.1	4.2	2.5	6.4	5.3
मोटर गाड़ियों एवं मोटर साइकिलों की बिक्री देखभाल व मरम्मत, ईंधन की खुदरा बिक्री	0.3	0.2	0.1	0.2	0.3	0.7	0.4
मोटर गाड़ियों एवं मोटर साइकिलों को छोड़कर थोक व आढ़तिया व्यापार	0.5	0.4	0.3	0.4	0.6	1.5	0.5
मोटर गाड़ियों व बाइक्स को छोड़कर, खुदरा व्यापार निजी एवं घरेलू सामान की मरम्मत	4.7	4.3	2.7	4.6	6.8	9.1	4.1
होटल व रेस्तारं	0.7	0.7	0.4	0.8	1.0	0.8	0.5
जमीनी यातायात, पाइपलाइनों द्वारा यातायात	2.3	2.1	2.0	2	2.4	4.3	2.6
जल यातायात	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0



औद्योगिक समूह	सभी	हिंदू				मुस्लिम	अन्य अल्पसंख्यक
		सभी हिंदू	अ जाति/जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	उच्च वर्ग		
हवाई यातायात	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
सहायक परिवहन गतिविधियां;							
ट्रेवल एजेंसियों की गतिविधियां	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
डाक एवं दूरसंचार	0.2	0.2	0.1	0.2	0.4	0.1	0.4
बीमा एवं पेंशन राशि को छोड़कर							
वित्तीय मध्यस्थता	0.2	0.2	0.1	0.1	0.3	0.1	0.3
आवश्यक सामाजिक सुरक्षा के अलावा							
बीमा एवं पेंशन राशि	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0
वित्तीय मध्यस्थता के लिए सहायक गतिविधियां	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
जमीन-जायदाद से जुड़े व्यापार	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
बिना संचालक के मशीनरी व औजारों एवं							
निजी व घरेलू वस्तुओं को किराए पर देना	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
कंप्यूटर व जुड़ी गतिविधियां	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
अनुसंधान व विकास	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
अन्य व्यापारिक गतिविधियां	0.2	0.2	0.1	0.2	0.3	0.1	0.2
लोक प्रशासन एवं सुरक्षा;							
आवश्यक सामाजिक सुरक्षा	0.9	0.8	0.7	0.7	1.3	0.7	1.6
शिक्षा	1.7	1.7	1.1	1.4	3.5	1.4	2.3
स्वास्थ्य व सामाजिक कार्य	0.5	0.4	0.3	0.5	0.7	0.4	0.7
सीवर एवं अवशिष्ट निकासी,							
सफाई एवं संबंधित गतिविधियां	0.1	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0
सदस्यता संस्थानों की गतिविधियां, (कहीं और वर्णित नहीं)	0.2	0.2	0.1	0.1	0.5	0.3	0.5
मनोरंजक, सांस्कृतिक व खेल गतिविधियां	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1
अन्य सेवाएं	0.9	0.9	0.6	1.4	0.4	1.4	0.2
नियुक्त कर्मियों वाले निजी घर	0.4	0.3	0.5	0.2	0.3	0.8	0.5
अतिरिक्त क्षेत्रीय संस्थाएं एवं निकाय	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
कुल	100	100	100	100	100	100	100
	पुरुष						
कृषि, शिकार व इससे जुड़ी गतिविधियां	49	51	57.6	53.3	40	35.6	46.5
वन्य, लकड़ी काटना एवं संबंधित गतिविधियां	0.2	0.2	0.4	0.2	0.1	0.1	0.3
मछली पकड़ना, मछली का पालन एवं इसके व्यवसाय से							
जुड़ी अन्य गतिविधियां	0.4	0.4	0.4	0.4	0.2	0.6	0.9
पत्थर कोयला एवं लकड़ी के कोयले का खनन	0.3	0.3	0.3	0.2	0.4	0.1	0.2
कच्चा तेल एवं प्राकृतिक गैस का दोहन;							
सर्वेक्षण को छोड़कर							
तेल एवं गैस दोहन से जुड़ी अन्य गतिविधियां	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
यूरेनियम एवं थोरियम खनिजों का खनन	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
धातु खनिज का खनन	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
अन्य खनन व पत्थर निकालना	0.4	0.5	0.8	0.4	0.2	0.3	0.4



औद्योगिक समूह	सभी	हिंदु				मुस्लिम	अन्य अल्पसंख्यक
		सभी हिंदु	अ जाति/जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	उच्च वर्ग		
खाद्य व पेय पदार्थों का उत्पादन	1.4	1.3	0.7	1.4	1.8	1.9	1
तंबाकू उत्पादों का निर्माण	0.3	0.2	0.3	0.2	0.1	1.2	0.2
कपड़े का उत्पादन	1.9	1.7	1.1	2.3	1.5	3.5	0.7
पहनने योग्य वस्त्रों का निर्माण; फर को रंगना और उससे निर्माण	1.5	1.2	1.0	1.4	1.0	3.7	1.1
चमड़े का काम एवं उसे अलंकृत करना; सामान रखने की अटैची और बैग हैंड बैग, लगाम एवं जूते-चप्पल का निर्माण	0.3	0.3	0.6	0.1	0.4	0.6	0.2
लकड़ी, उसके उत्पाद एवं ढक्कनों का निर्माण फर्नीचर को छोड़कर; पुआल एवं बुनने योग्य चीजों से बनी वस्तुओं का उत्पादन	1.2	1.2	1.5	1.4	0.5	1.1	0.9
कागज और उससे जुड़े उत्पादों का निर्माण	0.2	0.2	0.1	0.2	0.3	0.1	0.1
प्रकाशन, मुद्रण और रिकार्डेड मीडिया का पुनःउत्पादन	0.3	0.3	0.1	0.3	0.5	0.1	0.3
कोक, शुद्ध पेट्रोलियम उत्पाद एवं परमाणु ईंधन का उत्पाद	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
रसायन और रसायनिक उत्पाद निर्माण	0.4	0.4	0.3	0.4	0.8	0.2	0.4
रबर और प्लास्टिक उत्पाद निर्माण	0.2	0.2	0.2	0.2	0.4	0.2	0.2
अन्य गैर धातु-खनिज पदार्थ का उत्पादन	1.1	1.1	1.4	1.3	0.6	0.8	1.0
मूलभूत धातुओं का उत्पादन	0.3	0.3	0.2	0.2	0.6	0.2	0.3
मशीनरी एवं औजारों को छोड़कर धातु से निर्मित वस्तुओं का उत्पादन	0.8	0.7	0.4	1.0	0.8	1.4	0.8
मशीनरी एवं औजारों का उत्पादन (कहीं और वर्णित नहीं)*	0.4	0.4	0.2	0.4	0.7	0.3	0.7
कार्यालय, लेखा व गणना संबंधी मशीनरी का उत्पादन	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
बिजली की मशीन एवं उपकरणों का उत्पादन (कहीं और वर्णित नहीं)	0.2	0.2	0.1	0.1	0.5	0.4	0.1
रेडियो, टेलीविजन एवं संचार उपकरणों एवं संसाधनों का उत्पादन	0.1	0.1	0.1	0	0.1	0.1	0.0
विकित्सा, शुद्धता व दृष्टि संबंधी औजार हाथ व दीवार घड़ियों का उत्पादन	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0
मोटर गाड़ियों, ट्रेलर और सेमी ट्रेलरों का उत्पादन	0.2	0.2	0.1	0.2	0.4	0.1	0.2
परिवहन के अन्य उपकरणों का उत्पादन	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.0	0.2
फर्नीचर निर्माण, कहीं और वर्णित नहीं निर्माण	1.2	1.3	0.6	1.5	1.7	1.0	0.6
फिर उपयोग में आनेवाले निर्माण	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0
बिजली, गैस, भाप एवं गरम पानी की आपूर्ति से जुड़े उत्पाद	0.3	0.3	0.3	0.3	0.5	0.2	0.6
पानी का एकत्रीकरण, शुद्धिकरण एवं वितरण	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1
शवन या अन्य संरचनात्मक निर्माण	7.7	7.6	11.1	7.1	4.2	8.5	8.8
मोटर गाड़ियों एवं मोटर साइकिलों की बिक्री देखभाल व मरम्मत, ईंधन की खुदरा बिक्री	0.8	0.7	0.4	0.7	0.8	1.8	1.1



औद्योगिक समूह	सभी	हिंदु				मुस्लिम	अन्य अल्पसंख्यक
		सभी हिंदु	अ जाति/जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	उच्च वर्ग		
मोटर गाड़ियों एवं मोटर साइकिलों को छोड़कर थोक व आढ़तिया व्यापार	1.6	1.3	0.8	1.1	2.5	2.9	2.3
मोटर गाड़ियों व बाइक्स को छोड़कर, खुदरा व्यापार							
निजी एवं घरेलू सामान की मरम्मत	9.7	8.8	5.2	8.4	14	15.4	9.9
होटल व रेस्तरां	1.5	1.5	0.8	1.6	2.2	1.4	1.4
जमीनी यातायात, पाइपलाइनों द्वारा यातायात	5.1	4.7	4.7	4.4	5.1	7.7	5.4
जल यातायात	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
हवाई यातायात	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
सहायक परिवहन गतिविधियां;							
ट्रेवल एजेंसियों की गतिविधियां	0.2	0.2	0.1	0.1	0.3	0.1	0.2
डक एवं दूरसंचार	0.5	0.6	0.3	0.5	1.0	0.3	0.6
बीमा एवं पेंशन राशि को छोड़कर							
वित्तीय मध्यस्था	0.6	0.6	0.3	0.4	1.3	0.2	1.2
आवश्यक सामाजिक सुरक्षा के अलावा							
बीमा एवं पेंशन राशि	0.2	0.2	0.1	0.1	0.4	0.1	0.1
वित्तीय मध्यस्थता के लिए सहायक गतिविधियां	0.1	0.1	0.0	0.1	0.2	0.0	0.1
जमीन-जायदाद से जुड़े व्यापार	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2
बिना संचालक के मशीनरी व औजारों एवं							
निजी व घरेलू वस्तुओं को किराए पर देना	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2
कंप्यूटर व जुड़ी गतिविधियां	0.2	0.2	0.0	0.1	0.7	0.1	0.3
अनुसंधान व विकास	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
अन्य व्यापारिक गतिविधियां	0.7	0.7	0.3	0.6	1.6	0.6	0.9
लोक प्रशासन एवं सुरक्षा;							
आवश्यक सामाजिक सुरक्षा	2.5	2.6	2.3	1.9	4.0	1.4	3.6
शिक्षा	2.2	2.3	1.5	1.8	3.9	1.6	2.3
स्वास्थ्य व सामाजिक कार्य	0.7	0.7	0.5	0.6	1.2	0.6	1.0
सीवर एवं अवशिष्ट निकासी,							
सफाई एवं संबंधित गतिविधियां	0.1	0.1	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0
सदस्यता संस्थानों की गतिविधियां, (कहीं और वर्णित नहीं)	0.3	0.3	0.1	0.1	0.8	0.4	0.8
मनोरंजक, सांस्कृतिक व खेल गतिविधियां	0.3	0.3	0.3	0.2	0.4	0.2	0.5
अन्य सेवाएं	1.3	1.3	1.0	2.0	0.6	1.5	0.3
नियुक्त कर्मियों वाले निजी घर	0.4	0.4	0.5	0.3	0.6	0.6	0.2
अतिरिक्त क्षेत्रीय संस्थाएं एवं निकाय	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
कुल	100	100	100	100	100	100	100
	महिला						
कृषि, शिकार व इससे जुड़ी गतिविधियां	73	75.2	79	76.5	65	50.7	71.1
वन्य, लकड़ी काटना एवं संबंधित गतिविधियां	0.5	0.4	0.8	0.3	0.1	1.1	0.2
मछली पकड़ना, मछली का पालन एवं इसके व्यवसाय से							
जुड़ी अन्य गतिविधियां	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2	0.0	0.1
पत्थर कोयला एवं लकड़ी के कोयले का खनन	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0



औद्योगिक समूह	सभी	हिंदु				मुस्लिम	अन्य अल्पसंख्यक
		सभी हिंदु	अ जाति/ जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	उच्च वर्ग		
कच्चा तेल एवं प्राकृतिक गैस का दोहन; सर्वेक्षण को छोड़कर							
तेल एवं गैस दोहन से जुड़ी अन्य गतिविधियां	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
यूरेनियम एवं थोरियम खनिजों का खनन	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
धातु खनिज का खनन	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
अन्य खनन व पत्थर निकालना	0.2	0.3	0.5	0.2	0.0	0.1	0.1
खाद्य व पेय पदार्थों का उत्पादन	1.0	0.9	0.6	1.0	1.3	1.5	1.0
तंबाकू उत्पादों का निर्माण	2.3	1.7	1.4	2.0	1.4	11.9	1.0
कपड़े का उत्पादन	2.5	1.9	1.2	2.4	2.1	9.9	1.8
पहनने योग्य वस्त्रों का निर्माण; फर को रंगना और उससे निर्माण	1.9	1.7	1.0	1.8	2.7	4.7	2.4
चमड़े का काम एवं उसे अलंकृत करना; सामान रखने की अटैची और बैग							
हैंड बैग, लगाम एवं जूते-चप्पल का निर्माण	0.1	0.1	0.2	0.0	0.2	0.1	0.2
लकड़ी, उसके उत्पाद एवं ढक्कनों का निर्माण फर्नीचर को छोड़कर; पुआल एवं बुनने योग्य चीजों से बनी वस्तुओं का उत्पादन	1.0	1.1	2.0	0.6	0.7	0.3	0.5
कागज और उससे जुड़े उत्पादों का निर्माण	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
प्रकाशन, मुद्रण और रिकार्डेड मीडिया का पुनर्उत्पादन	0.1	0.1	0.0	0.1	0.2	0.1	0.0
कोक, शुद्ध पेट्रोलियम उत्पाद एवं परमाणु ईंधन का उत्पाद	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
रसायन और रसायनिक उत्पाद निर्माण	0.5	0.5	0.3	0.8	0.5	0.5	0.3
खर और प्लास्टिक उत्पाद निर्माण	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.0
अन्य गैर धातु-खनिज पदार्थ का उत्पादन	0.8	0.8	0.8	0.9	0.2	0.9	0.7
मूलभूत धातुओं का उत्पादन	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
मशीनरी एवं औजारों को छोड़कर धातु से निर्मित वस्तुओं का उत्पादन	0.1	0.1	0	0.1	0.1	0.1	0.1
मशीनरी एवं औजारों का उत्पादन (कहीं और वर्णित नहीं)*	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0
कार्यालय, लेखा व गणना संबंधी मशीनरी का उत्पादन	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
बिजली की मशीन एवं उपकरणों का उत्पादन (कहीं और वर्णित नहीं)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
रेडियो, टेलीविजन एवं संचार उपकरणों एवं संसाधनों का उत्पादन	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
विकित्सा, शुद्धता व दृष्टि संबंधी औजार हाथ व दीवार घड़ियों का उत्पादन	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
मोटर गाड़ियों, ट्रैक्टर और सेमी ट्रैक्टरों का उत्पादन	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
परिवहन के अन्य उपकरणों का उत्पादन	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
फर्नीचर निर्माण, कहीं और वर्णित नहीं निर्माण	0.5	0.4	0.2	0.4	0.7	1.5	0.2
फिर उपयोग में आनेवाले निर्माण	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0



औद्योगिक समूह	सभी	हिंदु				मुस्लिम	अन्य अल्पसंख्यक
		सभी हिंदु	अ जाति/जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	उच्च वर्ग		
बिजली, गैस, भाप एवं गरम पानी की आपूर्ति से जुड़े उत्पाद	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1
पानी का एकत्रीकरण, शुद्धिकरण एवं वितरण	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
भवन या अन्य संरचनात्मक निर्माण	1.8	1.9	2.8	1.6	1.1	0.9	1.6
मोटर गाड़ियों एवं मोटर साइकिलों की बिक्री देखभाल व मरम्मत, ईंधन की खुदरा बिक्री	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0
मोटर गाड़ियों एवं मोटर साइकिलों को छोड़कर थोक व आढ़तिया व्यापार	0.2	0.2	0.2	0.1	0.4	0.1	0.2
मोटर गाड़ियों व बाइक्स को छोड़कर, खुदरा व्यापार	2.9	2.7	1.7	3.0	3.8	5.1	3.1
निजी एवं घरेलू सामान की मरम्मत	0.8	0.8	0.3	1.0	1.3	0.8	0.6
होटल व रेस्तरां	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1
जमीनी यातायात, पाइपलाइनों द्वारा यातायात	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
जल यातायात	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
हवाई यातायात	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
सहायक परिवहन गतिविधियां;							
ट्रेवल एजेंसियों की गतिविधियां	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
डाक एवं दूरसंचार	0.2	0.2	0.0	0.1	0.4	0.0	0.5
बीमा एवं पेंशन राशि को छोड़कर वित्तीय मध्यस्ता	0.2	0.2	0.0	0.2	0.6	0.1	0.6
आवश्यक सामाजिक सुरक्षा के अलावा बीमा एवं पेंशन राशि	0.1	0.1	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0
वित्तीय मध्यस्थता के लिए सहायक गतिविधियां	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
जमीन-जायदाद से जुड़े व्यापार	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
बिना संचालक के मशीनरी व औजारों एवं निजी व घरेलू वस्तुओं को किराए पर देना	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0
कंप्यूटर व जुड़ी गतिविधियां	0.1	0.1	0.0	0.1	0.3	0.2	0.2
अनुसंधान व विकास	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
अन्य व्यापारिक गतिविधियां	0.2	0.1	0.1	0.1	0.5	0.2	0.2
लोक प्रशासन एवं सुरक्षा;							
आवश्यक सामाजिक सुरक्षा	0.7	0.7	0.8	0.3	1.2	0.5	1.0
शिक्षा	3.2	3.1	1.2	2.1	8.6	3.1	5.7
स्वास्थ्य व सामाजिक कार्य	0.9	0.8	0.5	0.7	1.4	1.0	2.5
सीवर एवं अवशिष्ट निकासी, सफाई एवं संबंधित गतिविधियां	0.1	0.1	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0
सदस्यता संस्थानों की गतिविधियां, (कहीं और वर्णित नहीं)	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.3
मनोरंजक, सांस्कृतिक व खेल गतिविधियां	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0
अन्य सेवाएं	1.0	1.0	0.9	1.2	0.6	1.2	0.4
नियुक्त कर्मियों वाले निजी घर	2.1	2	2.3	1.5	2.5	2.7	2.8
अतिरिक्त क्षेत्रीय संस्थाएं एवं निकाय	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
कुल	100	100	100	100	100	100	100

शून्य में दिए गए आंकड़े का मतलब न्यूनतम उपस्थिति दर से है।



परिशिष्ट तालिका 5.4: सभी कर्मचारियों (मुख्य एवं सहायक) का हर सामाजिक-धार्मिक श्रेणी के हिसाब से द्वि अंकीय पेशेगत समूहों के हिसाब से प्रतिशत विवरण, 2004-05

पेशागत समूह	सभी	हिंदु			मुस्लिम	अन्य अल्पसंख्यक
		सभी हिंदु	अ जाति/ जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग		
शहरी श्रमिक						
भौतिक विज्ञानी	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0
भौतिक विज्ञानी तकनीशियन	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
वास्तुविद, इंजीनियर, तकनीक-विशेषज्ञ एवं सर्वे करने वाले	0.6	0.6	0.2	0.3	1.2	0.5
इंजीनियरिंग तकनीशियन	0.5	0.6	0.3	0.3	1.0	0.2
वायुयान एवं जहाज अधिकारी	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0
जीव विज्ञानी	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0
जीव विज्ञान तकनीशियन	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
चिकित्सक एवं सर्जन (एलोपैथिक, दंत एवं पशु सर्जन)	0.6	0.7	0.3	0.4	1.1	0.5
नर्सिंग एवं अन्य चिकित्सीय और स्वास्थ्य तकनीशियन	0.8	0.7	0.8	0.5	0.7	0.6
विज्ञानी, चिकित्सीय एवं तकनीकी व्यक्ति, अन्य	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0
गणितज्ञ, सांख्यिकी विशेषज्ञ एवं संबंधित कर्मी	0.2	0.3	0.1	0.2	0.5	0.1
अर्थशास्त्री एवं संबंधित कर्मी	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
लेखाकार, लेखा जांचकर्ता एवं संबंधित कर्मी	0.6	0.7	0.2	0.4	1.3	0.2
समाज विज्ञानी एवं संबंधित कर्मी	0.1	0.1	0.2	0.0	0.1	0.1
जूरी के सदस्य	0.3	0.4	0.1	0.3	0.5	0.2
शिक्षक	4.5	4.7	1.9	3.2	7.6	2.6
कवि, लेखक, पत्रकार एवं संबंधित कर्मी	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0
मूर्तिकार, चित्रकार, छायाकार एवं संबंधित रचनात्मक कर्मी	0.3	0.3	0.2	0.4	0.3	0.0
रचनाकार एवं किरायात्मक कलाकार	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
पेशागत कर्मचारी, कहीं और वर्णित नहीं	0.4	0.4	0.1	0.1	0.8	0.2
चुने गए एवं वैधानिक कर्मी	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
प्रशासनिक व कार्यकारी अधिकारी, सरकारी व स्थानीय निकाय	0.5	0.6	0.2	0.4	0.8	0.0
कार्यकारी स्वामी, निर्देशक व प्रबंधक, शोक व खुदरा व्यापार	1.9	1.8	0.7	1.2	2.8	1.9
निर्देशक व प्रबंधक, वित्तीय संस्थान	0.3	0.3	0.1	0.1	0.6	0.1
कार्यकारी स्वामी, निर्देशक व प्रबंधक, खनन, निर्माण प्रबंधन एवं अन्य सेवाएं	3.3	3.4	1.7	3.0	4.7	3.2
कार्यकारी स्वामी, निर्देशक व प्रबंधक, एवं संबंधित अधिशासी परिवहन, भंडारण एवं दूरसंचार	0.8	0.8	0.4	0.6	1.1	0.8
कार्यकारी स्वामी, निर्देशक व प्रबंधक, अन्य सेवाएं	2.0	1.9	0.8	1.6	2.9	1.8
प्रशासनिक, अधिशासी एवं प्रबंधन कर्मी कहीं और वर्णित नहीं	0.4	0.5	0.1	0.2	0.9	0.2
बाबू व अन्य निरीक्षक	1.3	1.4	0.7	0.9	2.2	0.5



पेशागत समूह	सभी	हिंदु				मुस्लिम	अन्य अल्पसंख्यक
		सभी हिंदु	अ जाति/ जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	उच्च वर्ग		
ग्रामीण अधिकारी	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1
स्टेनोग्राफर, टाइपिस्ट व कार्ड एवं टेप में पंज करना	0.2	0.3	0.2	0.2	0.3	0.0	0.4
लेखापाल, खजांची व संबंधित कर्मी, कहीं और वर्णित नहीं	0.9	1.0	0.3	0.8	1.6	0.2	1.0
संगणक मशीन संचालक	0.4	0.5	0.0	0.3	0.8	0.2	0.9
बाबू एवं अन्य निरीक्षक	4.0	4.3	3.4	3.9	5.2	1.9	4.6
परिवहन व संचार निरीक्षक	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2
परिवहन संचालक व गाई	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.2	0.1
डाक वितरण व संबंधित कर्मी	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.0	0.3
दूरभाष व तार संचालक	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.4
व्यापारी एवं दुकानदार, थोक एवं खुदरा व्यापार	8.9	8.3	4.1	7.3	11.5	10.8	11.8
उत्पादक एवं एजेंट	0.8	0.9	0.6	0.6	1.2	0.8	0.9
तकनीकी विक्रेता एवं व्यावसायिक यात्री	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1
विक्रेता, दुकान सहायक एवं संबंधित कर्मी	6.6	6.3	5.9	6.8	6.0	9.7	3.7
बीमा, जमीन-जायदाद, अमानत व व्यापार सेवाएं देनेवाले व्यक्ति एवं नीलामीकर्ता	1.0	1.0	0.1	0.8	1.7	0.5	1.5
महाजन एवं गिरवी रखने वाले	0.1	0.1	0.0	0.0	0.2	0.0	0.3
बिक्री कर्मचारी, कहीं और वर्णित नहीं	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1
होटल एवं रेस्तरां का रखरखाव करने वाले	0.8	0.9	0.4	1.3	0.9	0.5	0.5
गृहपाल, निरीक्षक एवं सेवक (धरेलू एवं संस्थागत)	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0
रसोइया, वेटर, बार टेंडर एवं संबंधित कर्मी (धरेलू एवं संस्थागत)	1.4	1.5	1.4	1.4	1.6	1.0	1.6
सेविकाएं व संबंधित गृह रख-रखाव कर्मी	2.5	2.6	4.7	2.4	1.8	1.5	3.3
भवन निरीक्षक, स्वीपर, सफाईकर्मी एवं संबंधित कर्मी	1.5	1.7	6.5	0.6	0.4	0.2	1.1
धोबी, ड्राईक्लीनर व कपड़े पर आयरन करने वाले	0.9	1.0	1.5	1.6	0.2	0.3	0.1
नाई, बाल-सज्जा विशेषज्ञ, सौंदर्य विशेषज्ञ संबंधित कर्मी	0.8	0.8	0.6	1.4	0.3	0.7	0.5
रक्षात्मक सेवा कर्मी	1.8	2	2.1	1.5	2.4	0.8	1.8
सेवा कर्मचारी, कहीं और वर्णित नहीं	0.2	0.2	0.4	0.1	0.3	0.2	0.1
खेती-बाड़ी, डेयरी व अन्य प्रबंधक एवं निरीक्षक	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
खेतिहर	3.6	3.9	2.8	5.7	2.7	2.4	2.9
किसान व अन्य भूमि खेतिहर	1.6	1.6	1.4	2.4	1.0	1.4	1.9
खेतिहर मजदूर	2.3	2.6	5.0	3.2	0.8	1.1	1.5
बगान के मजदूर एवं संबंधित कर्मी	0.2	0.2	0.8	0.1	0.0	0.1	0.2
अन्य कृषि कर्मी	0.2	0.2	0.3	0.3	0.1	0.2	0.2
वन कर्मी	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1
शिकारी व संबंधित कर्मी	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
मछुआरे व संबंधित कर्मी	0.3	0.3	0.3	0.4	0.1	0.2	0.9



पेशागत समूह	सभी	हिंदु				मुस्लिम	अन्य अल्पसंख्यक
		सभी हिंदु	अ जाति/ जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	उच्च वर्ग		
खननकर्ता एवं पत्थर निकालने वाले, कुंआ खोदने वाले एवं संबंधित कर्मी	0.3	0.4	0.6	0.3	0.3	0.1	0.2
धातु का काम करने वाले	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.5	0.2
लकड़ी के काम से जुड़े कामगार	0.1	0.1	0.3	0.1	0.1	0.1	0.1
रसायन संबंधी काम करने वाले	0.2	0.3	0.6	0.2	0.1	0.1	0.0
सूत कातनेवाले, कपड़ा बुननेवाले, बुनाई करनेवाले रंगसाज व संबंधित कर्मी	2.9	2.7	2.2	4.1	1.5	4.8	0.7
चमड़ा कमाने वाले, खाल बेचनेवाले एवं संबंधित कर्मी	0.1	0.1	0.4	0.0	0.0	0.1	0.1
खाद्य व पेय पदार्थों का उत्पादन	0.8	0.7	0.7	0.9	0.6	1.4	0.4
तंबाकू उत्पादों का निर्माण	0.9	0.5	1.1	0.5	0.3	3.6	0.1
दर्जी, वस्त्र निर्माता, सिलाई बुनाई करने वाले, पदा बनाने वाले एवं संबंधित कर्मी	4.6	4.0	3.9	4.6	3.4	8.8	3.2
जूते और चमड़े का सामान बनाने वाले	0.6	0.6	1.8	0.2	0.4	0.8	0.4
बढ़ई, आलमारी एवं लकड़ी का अन्य काम करनेवाले	1.3	1.2	1.2	1.8	0.5	2.2	1.4
पत्थर काटने और गढ़नेवाले	0.2	0.2	0.1	0.3	0.2	0.1	0.0
लोहार, औजार बनानेवाले और मशीनी यंत्र संचालक	0.8	0.9	0.7	1.2	0.8	0.6	0.6
मशीनरी फिटर, मशीन बनानेवाले और मापक यंत्र बनानेवाले (बिजली को छोड़कर)	2.3	2.0	1.9	2.4	1.7	3.7	2.3
मशीनरी फिटर और संबंधित बिजली एवं संबंधित कर्मी	1.8	1.9	2.1	1.6	1.9	1.6	2.1
प्रसारण संस्थान, घुमि यंत्र संचालक सिनेमा संचालक	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0
प्लंबर, वेल्डर, धातु की शीट और ढांचा बनानेवाले	0.9	0.9	1.0	1.1	0.6	1.4	0.9
जेवर एवं कीमती धातु कामगार तथा धातु पर कशीदा करनेवाले (छपाई को छोड़कर)	1.1	1.2	0.4	1.5	1.4	0.6	0.3
गिलास बनानेवाले, कुम्हार और संबंधित कर्मी	0.3	0.2	0.2	0.4	0.1	0.7	0.0
रबर एवं प्लास्टिक उत्पाद	0.3	0.3	0.4	0.2	0.3	0.2	0.1
कागज एवं गत्ते के उत्पाद बनानेवाले	0.2	0.2	0.2	0.1	0.3	0.2	0.1
छपाई एवं संबंधित कर्मी	0.5	0.6	0.4	0.7	0.5	0.2	0.3
चित्रकार	0.7	0.6	1.0	0.6	0.4	0.9	1.5
प्रोडक्शन एवं अन्य कर्मी, कहीं और वर्णित नहीं	1.4	1.4	1.3	1.6	1.2	0.9	1.9
राजमिस्त्री एवं अन्य निर्माणकर्मी	4.7	4.9	8.4	5.9	2.0	4.2	4.3
स्थायी इंजन एवं संबंधित उपकरण संचालक, तेल एवं ग्रीस वाले	0.2	0.2	0.1	0.3	0.1	0.2	0.2
सामान ढोनेवाले एवं संबंधित यंत्र संचालक, सामान चढ़ाने एवं उतारनेवाले	1.5	1.5	2.1	1.9	0.7	1.4	1.1
परिवहन उपकरण संचालक	5.6	5.3	7.2	5.4	4.1	7.7	4.4
मजदूर, कहीं अन्य वर्णित नहीं	3.0	3.0	5.9	2.7	1.7	3.3	2.6
रोजगार तलाश रहे नए कर्मी	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0



भारत में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति

पेशागत समूह	सभी हिंदु	हिंदु				मुस्लिम	अन्य अल्पसंख्यक
		सभी	अ जाति/जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	उच्च वर्ग		
अनजाने पेशे से जुड़े कर्मी							
या जिनके बारे में समुचित वर्णन नहीं	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
बिना सूचना प्राप्त पेशे के कर्मी	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
कुल	100	100	100	100	100	100	100
ग्रामीण कर्मी							
भौतिक विज्ञानी	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
भौतिक विज्ञानी तकनीशियन	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
वास्तुविद, इंजीनियर, तकनीक-विशेषज्ञ एवं सर्वे करने वाले	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1
इंजीनियरिंग तकनीशियन	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1
वायुयान एवं जहाज अधिकारी	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
जीव विज्ञानी	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
जीव विज्ञानी तकनीशियन	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
विकित्सक एवं सर्जन (एलोपैथिक, दंत एवं पशु सर्जन)	0.2	0.1	0.1	0.1	0.3	0.2	0.2
नर्सिंग एवं अन्य विकित्सीय और स्वास्थ्य तकनीशियन	0.2	0.2	0.1	0.2	0.3	0.1	0.3
विज्ञानी, विकित्सीय एवं तकनीकी व्यक्ति, अन्य	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
गणितज्ञ, सांख्यिकी विशेषज्ञ एवं संबंधित कर्मी	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
अर्थशास्त्री एवं संबंधित कर्मी	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
लेखाकार, लेखा जांचकर्ता एवं संबंधित कर्मी	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
समाज विज्ञानी एवं संबंधित कर्मी	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
जूरी के सदस्य	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
शिक्षक	1.5	1.5	0.9	1.2	3	1.4	2.1
कवि, लेखक, पत्रकार एवं संबंधित कर्मी	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
मूर्तिकार, चित्रकार, छायाकार एवं संबंधित रचनात्मक कर्मी	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1
रचनाकार एवं क्रियात्मक कलाकार	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
पेशागत कर्मचारी, कहीं और वर्णित नहीं	0.2	0.2	0.0	0.1	0.6	0.2	0.5
चुने गए एवं वैधानिक कर्मी	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
प्रशासनिक व कार्यकारी अधिकारी, सरकारी व स्थानीय निकाय	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
कार्यकारी स्वामी, निर्देशक व प्रबंधक, शोक व खुदरा व्यापार	0.3	0.2	0.1	0.2	0.5	0.9	0.7
निर्देशक व प्रबंधक, वित्तीय संस्थान	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
कार्यकारी स्वामी, निर्देशक व प्रबंधक, खनन, निर्माण प्रबंधन एवं अन्य सेवाएं	0.7	0.7	0.5	0.6	1.3	0.9	0.7
कार्यकारी स्वामी, निर्देशक व प्रबंधक, एवं संबंधित अधिशासी परिवहन, भंडारण एवं दूरसंचार	0.2	0.2	0.1	0.2	0.4	0.3	0.4
कार्यकारी स्वामी, निर्देशक व प्रबंधक, अन्य सेवाएं	0.3	0.3	0.2	0.3	0.5	0.3	0.3
प्रशासनिक, अधिशासी एवं प्रबंधन कर्मी							
कहीं और वर्णित नहीं	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
बाबू व अन्य निरीक्षक	0.1	0.1	0.0	0.1	0.3	0.1	0.2
ग्रामीण अधिकारी	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1



पेशागत समूह	सभी	हिंदु				मुस्लिम	अन्य अल्पसंख्यक
		सभी हिंदु	अ जाति/जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	उच्च वर्ग		
स्टेनोग्राफर, टाइपिस्ट व कार्ड एवं टेप में पंक् करना	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
लेखापाल, खजांची व संबंधित कर्मी, कहीं और वर्णित नहीं	0.1	0.1	0.0	0.1	0.2	0.1	0.1
संगणक मशीन संचालक	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
बाबू एवं अन्य निरीक्षक	0.6	0.6	0.5	0.5	1.2	0.3	1.0
परिवहन व संचार निरीक्षक	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
परिवहन संचालक व गाई	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1
डाक वितरण व संबंधित कर्मी	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0
दूरभाष व तार संचालक	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1
व्यापारी एवं दुकानदार, थोक एवं खुदय व्यापार	3.1	2.9	1.6	3.0	5.0	6.1	2.4
उत्पादक एवं एजेंट	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.3	0.1
तकनीकी विक्रेता एवं व्यावसायिक यात्री	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
विक्रेता, दुकान सहायक एवं संबंधित कर्मी	1.3	1.2	0.9	1.3	1.5	2.9	1.1
बीमा, जमीन-जायदाद, अमानत व व्यापार सेवाएं देनेवाले							
व्यवित एवं नीलामीकर्ता	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1
महाजन एवं गिरवी रखने वाले	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
बिक्री कर्मचारी, कहीं और वर्णित नहीं	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
होटल एवं रेस्तरां का रखरखाव करने वाले	0.3	0.3	0.1	0.4	0.4	0.3	0.2
गृहपाल, निरीक्षक एवं सेवक							
:धरेलू एवं संस्थागत	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
रसोइया, वेटर, बार टेंडर एवं संबंधित कर्मी							
:धरेलू एवं संस्थागत	0.3	0.3	0.2	0.3	0.4	0.3	0.3
सेविकाएं व संबंधित गृह रख-रखाव कर्मी	0.3	0.3	0.4	0.2	0.2	0.4	0.5
भवन निरीक्षक, स्वीपर, सफाईकर्मी एवं संबंधित कर्मी							
	0.2	0.2	0.5	0.0	0.1	0.1	0.1
धोबी, ड्राईक्लीनर व कपड़े पर आयरन करने वाले	0.3	0.3	0.3	0.5	0.0	0.4	0.1
नाई, बाल-सज्जा विशेषज्ञ, सौंदर्य विशेषज्ञ							
संबंधित कर्मी	0.4	0.4	0.2	0.7	0.1	0.7	0.1
रक्षात्मक सेवा कर्मी	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.6
सेवा कर्मचारी, कहीं और वर्णित नहीं	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0
खेती-बाड़ी, डेयरी व अन्य प्रबंधक एवं निरीक्षक							
	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1
खेतिहर	38.4	39.9	30.8	43.1	49.2	28.3	32.3
किसान व अन्य भूमि खेतिहर	6.3	5.8	3.8	6.5	7.8	5.1	16.3
खेतिहर मजदूर	25.1	26	38.4	22.2	12.2	20.4	19.7
बगान के मजदूर एवं संबंधित कर्मी	1.0	0.9	1.2	0.9	0.5	0.4	2.7
अन्य कृषि कर्मी	0.3	0.3	0.3	0.4	0.2	0.5	0.5
वन कर्मी	0.3	0.3	0.4	0.2	0.1	0.5	0.3
शिकारी व संबंधित कर्मी	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
मछुआरे व संबंधित कर्मी	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.5	0.5



पेशागत समूह	All	Hindus				Muslims	Other Minorities
		All Hindus	SCs/ STs	OBCs	UC		
खननकर्ता एवं पत्थर निकालने वाले, कुंआ खोदने वाले एवं संबंधित कर्मी	0.3	0.3	0.4	0.3	0.1	0.3	0.4
धातु का काम करने वाले	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0
लकड़ी के काम से जुड़े कामगार	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
रसायन संबंधी काम करने वाले	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0
सूत कातनेवाले, कपड़ा बुननेवाले, बुनाई करनेवाले रंगसाज व संबंधित कर्मी	0.9	0.8	0.5	1.3	0.4	1.9	0.5
चमड़ा कमाने वाले, खाल बेचनेवाले एवं संबंधित कर्मी	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
खाद्य व पेय पदार्थों का उत्पादन	0.6	0.6	0.3	0.6	0.9	1.0	0.4
तंबाकू उत्पादों का निर्माण	1.0	0.7	0.6	0.9	0.6	3.5	0.6
दर्जी, वस्त्र निर्माता, सिलाई बुनाई करने वाले, पर्दा बनाने वाले एवं संबंधित कर्मी	1.2	0.9	0.8	1.0	1.0	4.1	1.4
जूते और चमड़े का सामान बनाने वाले	0.1	0.1	0.2	0.0	0.0	0.1	0.1
बढ़ई, आलमारी एवं लकड़ी का अन्य काम करनेवाले	0.6	0.6	0.4	1.0	0.4	0.7	0.5
पत्थर काटने और गढ़नेवाले	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1
लोहार, औजार बनानेवाले और मशीनी यंत्र संचालक	0.2	0.2	0.1	0.3	0.2	0.2	0.2
मशीनरी फिटर, मशीन बनानेवाले और मापक यंत्र बनानेवाले ; बिजली को छोड़कर	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	1.1	0.5
मशीनरी फिटर और संबंधित बिजली एवं संबंधित कर्मी	0.4	0.4	0.3	0.4	0.6	0.4	0.6
प्रसारण संस्थान, घ्वनि यंत्र संचालक सिनेमा संचालक	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
प्लंबर, वेल्डर, धातु की शीट और ढांचा बनानेवाले	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.4	0.2
जेवर एवं कीमती धातु कामगार तथा धातु पर कशीदा करनेवाले ; छपाई को छोड़कर	0.2	0.2	0.1	0.2	0.3	0.1	0.0
गिलास बनानेवाले, कुम्हार और संबंधित कर्मी	0.3	0.4	0.3	0.5	0.1	0.3	0.2
खर एवं प्लास्टिक उत्पाद	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1
कागज एवं गत्ते के उत्पाद बनानेवाले	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
छपाई एवं संबंधित कर्मी	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0
चित्रकार	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.4	0.3
प्रोडक्शन एवं अन्य कर्मी, कहीं और वर्णित नहीं	0.8	0.9	1.5	0.6	0.4	0.4	0.6
राजमिस्त्री एवं अन्य निर्माणकर्मी	3.2	3.1	4.3	2.8	1.5	4.2	3.1
स्थायी इंजन एवं संबंधित उपकरण संचालक, तेल एवं ग्रीस वाले	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1
सामान ढोनेवाले एवं संबंधित यंत्र संचालक, सामान बढ़ाने एवं उतारनेवाले	0.5	0.5	0.6	0.5	0.4	0.7	0.6
परिवहन उपकरण संचालक	1.7	1.5	1.4	1.5	1.8	3.6	2.0
मजदूर, कहीं अन्य वर्णित नहीं	2.5	2.4	3.9	1.7	1.4	2.8	2.3
रोजगार तलाश रहे नए कर्मी	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0



पेशागत समूह	सभी	हिंदु				मुस्लिम	अन्य अल्पसंख्यक
		सभी हिंदु	अ जाति/ जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	उच्च वर्ग		
अनजाने पेशे से जुड़े कर्मी या जिनके बारे में समुचित वर्णन नहीं	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0
बिना सूचना प्राप्त पेशे के कर्मी	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
कुल	100	100	100	100	100	100	100
पुरुष श्रमिक							
भौतिक विज्ञानी	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
भौतिक विज्ञानी तकनीशियन	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
वास्तुविद, इंजीनियर, तकनीक-विशेषज्ञ एवं सर्वे करने वाले	0.2	0.2	0.1	0.1	0.6	0.2	0.3
इंजीनियरिंग तकनीशियन	0.2	0.2	0.1	0.1	0.5	0.1	0.3
वायुयान एवं जहाज अधिकारी	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
जीव विज्ञानी	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
जीव विज्ञान तकनीशियन	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
विकित्सक एवं सर्जन :एलोपैथिक, दंत एवं पशु सर्जन	0.3	0.3	0.1	0.3	0.7	0.3	0.3
नर्सिंग एवं अन्य विकित्सीय और स्वास्थ्य तकनीशियन	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.4
विज्ञानी, विकित्सीय एवं तकनीकी व्यक्ति, अन्य	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
गणितज्ञ, सांख्यिकी विशेषज्ञ एवं संबंधित कर्मी	0.1	0.1	0.0	0.1	0.2	0.0	0.1
अर्थशास्त्री एवं संबंधित कर्मी	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
लेखाकार, लेखा जांचकर्ता एवं संबंधित कर्मी	0.2	0.2	0.0	0.1	0.6	0.1	0.4
समाज विज्ञानी एवं संबंधित कर्मी	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0
जूरी के सदस्य	0.2	0.2	0.1	0.1	0.3	0.1	0.2
शिक्षक	1.8	1.9	1.2	1.5	3.3	1.4	1.8
कवि, लेखक, पत्रकार एवं संबंधित कर्मी	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
मूर्तिकार, चित्रकार, छायाकार एवं संबंधित रचनात्मक कर्मी	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2
रचनाकार एवं किरायात्मक कलाकार	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1
पेशागत कर्मचारी, कहीं और वर्णित नहीं	0.3	0.3	0.1	0.1	0.9	0.3	0.8
चुने गए एवं वैधानिक कर्मी	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
प्रशासनिक व कार्यकारी अधिकारी, सरकारी व स्थानीय निकाय	0.2	0.2	0.1	0.1	0.4	0.0	0.2
कार्यकारी स्वामी, निर्देशक व प्रबंधक, शोक व खुदरा व्यापार	0.9	0.7	0.3	0.5	1.7	1.4	1.8
निर्देशक व प्रबंधक, वित्तीय संस्थान	0.1	0.1	0.0	0.0	0.3	0.1	0.3
कार्यकारी स्वामी, निर्देशक व प्रबंधक, खनन, निर्माण प्रबंधन एवं अन्य सेवाएं	1.5	1.5	0.6	1.3	2.9	1.7	1.5
कार्यकारी स्वामी, निर्देशक व प्रबंधक, एवं संबंधित अधिशासी, परिवहन, भंडारण एवं दूरसंचार	0.5	0.4	0.2	0.4	0.9	0.6	0.8
कार्यकारी स्वामी, निर्देशक व प्रबंधक, अन्य सेवाएं	0.8	0.8	0.3	0.7	1.5	0.9	1.2
प्रशासनिक, अधिशासी एवं प्रबंधन कर्मी, कहीं और वर्णित नहीं	0.2	0.2	0.0	0.1	0.4	0.1	0.3
बाबू व अन्य निरीक्षक	0.5	0.5	0.2	0.4	1.2	0.3	0.8



पेशागत समूह	सभी	हिंदु				मुस्लिम	अन्य अल्पसंख्यक
		सभी हिंदु	अ जाति/ जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	उच्च वर्ग		
ग्रामीण अधिकारी	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1
स्टेनोग्राफर, टाइपिस्ट व कार्ड एवं टेप में पंच करना	0.1	0.1	0.0	0.0	0.2	0.0	0.1
लेखापाल, खजांची व संबंधित कर्मी, कहीं और वर्णित नहीं	0.3	0.4	0.1	0.3	0.8	0.2	0.3
संगणक मशीन संचालक	0.1	0.1	0.0	0.1	0.3	0.1	0.3
बाबू एवं अन्य निरीक्षक	1.8	1.9	1.3	1.6	3	1.0	2.1
परिवहन व संचार निरीक्षक	0.1	0.1	0.0	0.1	0.2	0.1	0.1
परिवहन संचालक व गाईड	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2
डाक वितरण व संबंधित कर्मी	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1
दूरभाष व तार संचालक	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.2
व्यापारी एवं दुकानदार, थोक एवं खुदरा व्यापार	5.7	5.2	2.4	4.8	9.1	9.0	6.4
उत्पादक एवं एजेंट	0.3	0.3	0.1	0.2	0.7	0.5	0.4
तकनीकी विद्वेता एवं व्यावसायिक यात्री	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1
विक्रेता, दुकान सहायक एवं संबंधित कर्मी	3.3	3.0	2.2	3.0	4.0	6.1	2.2
बीमा, जमीन-जायदाद, अमानत व व्यापार सेवाएं देनेवाले व्यक्त एवं नीलामीकर्ता	0.4	0.4	0.1	0.3	1.0	0.4	0.7
महाजन एवं गिरवी रखने वाले	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1
बिक्री कर्मचारी, कहीं और वर्णित नहीं	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0
होटल एवं रेस्तरां का रखरखाव करने वाले	0.5	0.5	0.2	0.6	0.6	0.4	0.3
गृहपाल, निरीक्षक एवं सेवक							
धरेलू एवं संस्थागत	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
रसोइया, वेटर, बार टेंडर एवं संबंधित कर्मी							
धरेलू एवं संस्थागत	0.6	0.6	0.4	0.6	0.8	0.6	0.7
सेविकाएं व संबंधित गृह रख-रखाव कर्मी	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2
भवन निरीक्षक, स्वीपर, सफाईकर्मी एवं संबंधित कर्मी	0.4	0.5	1.3	0.1	0.2	0.1	0.3
थोबी, ड्राईक्लीनर व कपड़े पर आयरन करने वाले	0.4	0.4	0.5	0.6	0.1	0.3	0.1
नाई, बाल-सज्जा विशेषज्ञ, सौंदर्य विशेषज्ञ							
संबंधित कर्मी	0.7	0.7	0.3	1.2	0.1	0.9	0.1
रक्षात्मक सेवा कर्मी	1.0	1.0	0.8	0.8	1.6	0.6	1.4
सेवा कर्मचारी, कहीं और वर्णित नहीं	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1
खेती-बाड़ी, डेयरी व अन्य प्रबंधक एवं निरीक्षक	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1
खेतिहर	28.7	30.2	24.5	34.2	30.5	18.8	26.2
किसान व अन्य भूमि खेतिहर	1.8	1.7	1.1	2.2	1.5	1.5	3.6
खेतिहर मजदूर	17.2	17.9	30.4	15.6	6.8	14.2	14.4
बगान के मजदूर एवं संबंधित कर्मी	0.7	0.7	1.1	0.8	0.3	0.3	1.9
अन्य कृषि कर्मी	0.4	0.4	0.4	0.5	0.2	0.4	0.4
वन कर्मी	0.2	0.2	0.3	0.2	0.1	0.1	0.3
शिकारी व संबंधित कर्मी	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
मछुआरे व संबंधित कर्मी	0.4	0.4	0.4	0.4	0.2	0.5	0.9



पेशागत समूह	सभी	हिंदु				मुस्लिम	अन्य अल्पसंख्यक
		सभी हिंदु	अ जाति/ जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	उच्च वर्ग		
खननकर्ता एवं पत्थर निकालने वाले, कुंआ खोदने वाले एवं संबंधित कर्मी	0.4	0.4	0.5	0.4	0.2	0.3	0.5
धातु का काम करने वाले	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.3	0.1
लकड़ी के काम से जुड़े कामगार	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
रसायन संबंधी काम करने वाले	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1
सूत कातनेवाले, कपड़ा बुननेवाले, बुनाई करनेवाले रंगसाज व संबंधित कर्मी	1.3	1.2	0.8	1.7	0.8	2.1	0.4
चमड़ा कमाने वाले, खाल बेचनेवाले एवं संबंधित कर्मी	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
खाद्य व पेय पदार्थों का उत्पादन	0.7	0.6	0.4	0.7	0.8	1.2	0.4
तंबाकू उत्पादों का निर्माण	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1	1.1	0.1
दर्जी, वस्त्र निर्माता, सिलाई बुनाई करने वाले, पदा बनाने वाले एवं संबंधित कर्मी	1.6	1.3	1.1	1.4	1.1	4.6	1.1
जूते और चमड़े का सामान बनाने वाले	0.3	0.3	0.6	0.0	0.2	0.4	0.2
बढ़ई, आलमारी एवं लकड़ी का अन्य काम करनेवाले	1.2	1.1	0.7	1.8	0.6	1.5	1.1
पत्थर काटने और गढ़नेवाले	0.2	0.2	0.3	0.3	0.1	0.1	0.1
लोहार, औजार बनानेवाले और मशीनी यंत्र संचालक	0.5	0.5	0.3	0.7	0.5	0.5	0.4
मशीनरी फिटर, मशीन बनानेवाले और मापक यंत्र बनानेवाले ; बिजली को छोड़कर	1.3	1.1	0.8	1.2	1.1	2.5	1.5
मशीनरी फिटर और संबंधित बिजली एवं संबंधित कर्मी	1.1	1.0	0.8	0.9	1.4	1.0	1.5
प्रसारण संस्थान, घूमि यंत्र संचालक सिनेमा संचालक	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
प्लंबर, वेल्डर, धातु की शीट और ढांचा बनानेवाले	0.5	0.5	0.4	0.6	0.4	0.9	0.6
जेवर एवं कीमती धातु कामगार तथा धातु पर कशीदा करनेवाले ; छपाई को छोड़कर	0.5	0.6	0.2	0.6	0.9	0.4	0.1
गिलास बनानेवाले, कुम्हार और संबंधित कर्मी	0.3	0.3	0.3	0.5	0.1	0.4	0.2
रबर एवं प्लास्टिक उत्पाद	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
कागज एवं गत्ते के उत्पाद बनानेवाले	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0
छपाई एवं संबंधित कर्मी	0.2	0.2	0.1	0.3	0.3	0.1	0.1
चित्रकार	0.4	0.4	0.5	0.4	0.3	0.7	0.9
प्रोडक्शन एवं अन्य कर्मी, कहीं और वर्णित नहीं	0.8	0.8	1.2	0.6	0.8	0.5	0.9
राजमिस्त्री एवं अन्य निर्माणकर्मी	4.7	4.6	6.7	4.6	2.1	5.3	4.6
स्थायी इंजन एवं संबंधित उपकरण संचालक, तेल एवं ग्रीस वाले	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2
सामान ढोनेवाले एवं संबंधित यंत्र संचालक, सामान चढ़ाने एवं उतारनेवाले	1.0	1.0	1.2	1.0	0.6	1.1	1.0
परिवहन उपकरण संचालक	3.9	3.5	3.6	3.4	3.6	6.3	4.1
मजदूर, कहीं अन्य वर्णित नहीं	3.3	3.2	5.6	2.4	1.7	3.5	3.2
रोजगार तलाश रहे नए कर्मी	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0



भारत में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति

पेशागत समूह	सभी	हिंदु				मुस्लिम	अन्य अल्पसंख्यक
		सभी हिंदु	अ जाति/ जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	उच्च वर्ग		
अनजाने पेशे से जुड़े कर्मी या जिनके बारे में समुचित वर्णन नहीं	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0
बिना सूचना प्राप्त पेशे के कर्मी	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
कुल	100	100	100	100	100	100	100
महिला श्रमिक							
भौतिक विज्ञानी तकनीशियन	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
वास्तुविद, इंजीनियर, तकनीक-विशेषज्ञ एवं सर्वे करने वाले	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0
इंजीनियरिंग तकनीशियन	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0
वायुयान एवं जहाज अधिकारी							
जीव विज्ञानी	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
जीव विज्ञान तकनीशियन	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
चिकित्सक एवं सर्जन, एलोपैथिक, दंत एवं पशु सर्जन	0.1	0.1	0.0	0.1	0.4	0.2	0.1
नर्सिंग एवं अन्य चिकित्सीय और स्वास्थ्य तकनीशियन	0.4	0.3	0.3	0.3	0.7	0.5	1.5
विज्ञानी, चिकित्सीय एवं तकनीकी व्यक्ति, अन्य	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
गणितज्ञ, सांख्यिकी विशेषज्ञ एवं संबंधित कर्मी	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
अर्थशास्त्री एवं संबंधित कर्मी	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
लेखाकार, लेखा जांचकर्ता एवं संबंधित कर्मी	0.0	0.1	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0
समाज विज्ञानी एवं संबंधित कर्मी	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1
जूरी के सदस्य	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
शिक्षक	2.9	2.7	0.9	1.8	8	2.8	5.2
कवि, लेखक, पत्रकार एवं संबंधित कर्मी	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
मूर्तिकार, चित्रकार, छायाकार एवं संबंधित रचनात्मक कर्मी	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
रचनाकार एवं क्रियात्मक कलाकार	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
पेशागत कर्मचारी, कहीं और वर्णित नहीं	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.2
चुने गए एवं वैधानिक कर्मी	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
प्रशासनिक व कार्यकारी अधिकारी, सरकारी व स्थानीय निकाय	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1
कार्यकारी स्वामी, निर्देशक व प्रबंधक, शोक व खुदरा व्यापार	0.3	0.2	0.1	0.3	0.4	0.6	0.5
निर्देशक व प्रबंधक, वित्तीय संस्थान	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
कार्यकारी स्वामी, निर्देशक व प्रबंधक, खनन, निर्माण प्रबंधन एवं अन्य सेवाएं	0.9	0.9	0.7	0.7	1.6	1.6	0.5
कार्यकारी स्वामी, निर्देशक व प्रबंधक, एवं संबंधित अधिशासी, परिवहन, भंडारण एवं दूरसंचार	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0
कार्यकारी स्वामी, निर्देशक व प्रबंधक, अन्य सेवाएं	0.3	0.3	0.1	0.2	0.8	0.5	0.3
प्रशासनिक, अधिशासी एवं प्रबंधन कर्मी कहीं और वर्णित नहीं	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.1
बाबू व अन्य निरीक्षक	0.1	0.1	0.1	0.1	0.4	0.1	0.3
ग्रामीण अधिकारी	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
स्टेनोग्राफर, टाइपिस्ट व कार्ड एवं टेप में पंच करना	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1



पेशागत समूह	सभी	हिंदु				मुस्लिम	अन्य अल्पसंख्यक
		सभी हिंदु	अ जाति/ जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	उच्च वर्ग		
लेखापाल, खजांची व संबंधित कर्मी, कहीं और वर्णित नहीं	0.1	0.1	0.0	0.1	0.3	0.0	0.3
संगणक मशीन संचालक	0.1	0.1	0.0	0.1	0.3	0.0	0.2
बाबू एवं अन्य निरीक्षक	0.6	0.6	0.2	0.4	1.6	0.4	1.5
परिवहन व संचार निरीक्षक	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1
परिवहन संचालक व गाई	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
डाक वितरण व संबंधित कर्मी	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
दूरभाष व तार संचालक	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.1
व्यापारी एवं दुकानदार, शोक एवं खुदरा व्यापार	1.9	1.8	1.2	1.9	2.7	2.8	1.9
उत्पादक एवं एजेंट	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1
तकनीकी विक्रेता एवं व्यावसायिक यात्री	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
विक्रेता, दुकान सहायक एवं संबंधित कर्मी	1.0	0.9	0.6	1.1	0.9	1.7	0.8
बीमा, जमीन-जायदाद, अमानत व व्यापार सेवाएं देनेवाले व्यवित एवं नीलामीकर्ता	0.1	0.1	0.0	0.1	0.2	0.0	0.1
महाजन एवं गिरवी रखने वाले	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
बिक्री कर्मचारी, कहीं और वर्णित नहीं	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
होटल एवं रेस्तरां का रखरखाव करने वाले	0.4	0.4	0.1	0.5	0.6	0.5	0.2
गृहपाल, निरीक्षक एवं सेवक							
घरेलू एवं संस्थागत	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
रसोइया, वेटर, बार टेंडर एवं संबंधित कर्मी							
घरेलू एवं संस्थागत	0.4	0.4	0.3	0.4	0.7	0.4	0.5
सेविकाएं व संबंधित गृह रख-रखाव कर्मी	2.2	2.1	2.5	1.7	2.2	3.1	2.9
शवण निरीक्षक, स्वीपर, सफाईकर्मी एवं संबंधित कर्मी	0.6	0.6	1.3	0.2	0.2	0.2	0.5
थोबी, ड्राईक्लीनर व कपड़े पर आयरन करने वाले	0.6	0.6	0.5	0.9	0.1	0.5	0.1
नाई, बाल-सज्जा विशेषज्ञ, सौंदर्य विशेषज्ञ							
संबंधित कर्मी	0.2	0.2	0.1	0.2	0.3	0.2	0.3
रक्षात्मक सेवा कर्मी	0.1	0.1	0	0.1	0.1	0.0	0.0
सेवा कर्मचारी, कहीं और वर्णित नहीं	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0
खेती-बाड़ी, डेयरी व अन्य प्रबंधक एवं निरीक्षक							
	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
खेतिहर	34.4	36.1	30.9	39.4	38	23.5	22.9
किसान व अन्य भूमि खेतिहर	12.2	11	7.3	12.2	15.2	12.2	28.7
खेतिहर मजदूर	25.4	27	39.3	24	11.4	13.9	16.5
बगान के मजदूर एवं संबंधित कर्मी	0.9	0.9	1.3	0.7	0.4	0.3	2.5
अन्य कृषि कर्मी	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.5	0.4
वन कर्मी	0.4	0.3	0.6	0.2	0.1	1.1	0.2
शिकारी व संबंधित कर्मी	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
मछुआरे व संबंधित कर्मी	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2	0.0	0.1
खननकर्ता एवं पत्थर निकालने वाले, कुआ खोदने वाले एवं संबंधित कर्मी	0.2	0.2	0.3	0.1	0.1	0.1	0.1
धातु का काम करने वाले	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
लकड़ी के काम से जुड़े कामगार	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0



भारत में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति

पेशागत समूह	सभी	हिंदु				मुस्लिम	अन्य अल्पसंख्यक
		सभी हिंदु	अ जाति/ जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	उच्च वर्ग		
रसायन संबंधी काम करने वाले	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
सूत कातनेवाले, कपड़ा बुननेवाले, बुनाई करनेवाले							
रंगसाज व संबंधित कर्मी	1.5	1.3	0.7	1.9	0.9	5.3	0.9
चमड़ा कमाने वाले, खाल बेचनेवाले एवं संबंधित कर्मी	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
खाद्य व पेय पदार्थों का उत्पादन	0.6	0.5	0.3	0.6	0.9	1.0	0.5
तंबाकू उत्पादों का निर्माण	2.3	1.7	1.4	2.0	1.3	11.8	1.1
दर्जी, वस्त्र निर्माता, सिलाई बुनाई करने वाले, पर्दा बनाने वाले एवं संबंधित कर्मी	2.6	2.1	1.3	2.0	3.6	8.9	3.0
जूते और चमड़े का सामान बनाने वाले	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.2
बढ़ई, आलमारी एवं लकड़ी का अन्य काम करनेवाले	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
पत्थर काटने और गढ़नेवाले	0.1	0.1	0.2	0.1	0.0	0.2	0.0
लोहार, औजार बनानेवाले							
और मशीनी यंत्र संचालक	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
मशीनरी फिटर, मशीन बनानेवाले							
और मापक यंत्र बनानेवाले, बिजली को छोड़कर	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0
मशीनरी फिटर और संबंधित बिजली एवं संबंधित कर्मी	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
प्रसारण संस्थान, ध्वनि यंत्र संचालक							
सिनेमा संचालक	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
प्लंबर, वेल्डर, धातु की शीट और ढांचा बनानेवाले	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
जेवर एवं कीमती धातु कामगार							
तथा धातु पर कशीदा करनेवाले, छपाई को छोड़कर	0.1	0.1	0.0	0.2	0.2	0.2	0.0
गिलास बनानेवाले, कुम्हार और संबंधित कर्मी	0.3	0.3	0.1	0.5	0.1	0.5	0.0
खबर एवं प्लास्टिक उत्पाद	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0
कागज एवं गत्ते के उत्पाद बनानेवाले	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.1
छपाई एवं संबंधित कर्मी	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0
चित्रकार	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
प्रोडक्शन एवं अन्य कर्मी, कहीं और वर्णित नहीं	1.2	1.3	1.8	1.2	0.5	0.8	0.9
राजमिस्त्री एवं अन्य निर्माणकर्मी	1.2	1.3	1.7	1.2	0.6	0.5	1.3
स्थायी इंजन एवं संबंधित उपकरण							
संचालक, तेल एवं ग्रीस वाले	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
सामान ढोनेवाले एवं संबंधित यंत्र							
संचालक, सामान चढ़ाने एवं उतारनेवाले	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2
परिवहन उपकरण संचालक	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1
मजदूर, कहीं अन्य वर्णित नहीं	1.2	1.3	1.9	0.9	0.8	1.2	0.8
रोजगार तलाश रहे नए कर्मी	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
अनजाने पेशे से जुड़े कर्मी							
या जिनके बारे में समुचित वर्णन नहीं	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
बिना सूचना प्राप्त पेशे के कर्मी	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
कुल	100	100	100	100	100	100	100

शून्य में दिए गए आंकड़ों का मतलब न्यूनतम उपस्थिति दर से है।



परिशिष्ट तालिका 5.5: हर राज्य में सामाजिक-धार्मिक श्रेणियों के द्वारा निर्माणक्षेत्र में कार्यरत सभी लोगों का प्रतिशत, 2004-05

राज्य	सभी	सभी हिंदु	हिंदु			मुस्लिम			अन्य अल्पसंख्यक
			अ जाति/जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	उच्च वर्ग	सभी मुस्लिम	अन्य पिछड़ा वर्ग	सामान्य	
संपूर्ण भारत	64.4	65.8	71.4	67.3	57.4	54.9	53.9	55.6	64.5
आंध्र प्रदेश	72.5	73.7	79.3	75.5	64.9	59.4	55.3	60.3	69.8
असम	59.8	61.4	63.3	66.0	55.9	56.2	54.3	56.3	61.7
बिहार	54.2	55.3	63.7	54.9	41.2	47.1	48.2	45.3	44.8
दिल्ली	47.9	48.1	50.8	54.9	45.5	52.0	50.5	52.4	40.4
गुजरात	70.0	71.2	80.1	74.5	59.8	61.1	62.3	60.6	56.4
हरियाणा	62.4	62.3	64.6	63.8	60.1	68.0	72.0	52.9	61.0
हिमाचल प्रदेश	76.1	76.1	75.6	78.5	75.8	84.0	87.4	82.7	66.7
जम्मू-कश्मीर	57.0	65.7	66.9	57.7	66.6	53.2	58.0	52.2	45.0
कर्नाटक	69.9	71.7	77.8	71.8	66.3	59.4	60.4	58.3	55.1
केरल	55.0	59.1	64.1	58.1	57.0	40.4	40.4	44.0	60.1
मध्य प्रदेश	69.8	71.0	79.9	71.0	54.0	57.7	58.8	56.8	55.4
महाराष्ट्र	68.1	69.6	72.2	71.5	66.6	56.0	59.0	55.6	66.2
उड़ीसा	64.8	64.7	75.6	60.9	50.9	51.9	48.5	52.3	73.1
पंजाब	61.9	55.4	59.0	61.4	50.7	71.3	70.0	72.8	65.5
राजस्थान	71.1	71.9	76.2	74.5	58.5	56.5	59.1	53.1	78.2
तमिलनाडु	68.6	70.3	73.4	70.4	51.3	45.2	45.1	46.4	59.6
उत्तरप्रदेश	60.6	61.6	67.9	63.1	50.1	56.5	57.8	54.5	47.6
पश्चिम बंगाल	55.9	55.7	59.6	55.2	52.7	55.8	55.6	55.8	64.8



भारत में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति

परिशिष्ट तालिका 5.6: हर राज्य में सामाजिक-धार्मिक श्रेणियों के द्वारा निर्माणक्षेत्र में कार्यरत लोगों का प्रतिशत, 2004-05

राज्य	सभी	सभी हिंदु	हिंदु			मुस्लिम			अन्य अल्पसंख्यक
			अ जाति/ जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	उच्च वर्ग	सभी मुस्लिम	अन्य पिछड़ा वर्ग	सामान्य	
संपूर्ण भारत	11.8	11.0	8.7	11.9	12.4	20.5	21.7	19.7	9.0
आंध्र प्रदेश	10.8	10.1	4.8	13.8	7.9	19.6	15.8	20.5	13.3
असम	3.6	3.8	3.8	2.7	4.6	2.9	0.7	2.9	7.9
बिहार	6.2	5.3	4.4	6.2	3.1	13.2	14.4	11.2	10.6
दिल्ली	25.1	21.9	25.9	28.5	18.3	57.9	68.1	55.5	18.7
गुजरात	16.0	16.3	10.6	14.8	24.9	13.3	9.8	15.0	11.3
हरियाणा	13.2	13.8	10.4	16.2	14.0	5.6	4.4	11.9	6.3
हिमाचल प्रदेश	5.8	5.8	7.0	4.1	5.5	6.7	5.3	7.3	6.7
जम्मू-कश्मीर	12.3	6.4	7.9	13.3	4.4	16.2	12.8	16.9	9.3
कर्नाटक	10.1	8.9	8.2	9.4	9.0	20.3	18.4	22.5	11.3
केरल	14.9	18.0	12.0	22.1	14.3	9.2	9.2	12.5	10.1
मध्य प्रदेश	7.8	6.6	5.7	7.5	6.5	28.3	37.4	20.1	7.6
महाराष्ट्र	12.2	11.1	10.5	10.1	12.4	24.8	25.4	24.7	11.6
उड़ीसा	11.3	11.4	11.6	12.0	9.1	18.0	6.0	19.3	7.3
पंजाब	12.9	23.3	23.0	29.6	21.4	19.0	10.7	28.8	7.6
राजस्थान	8.9	7.8	7.6	7.4	9.6	25.3	25.9	24.5	11.9
तमिलनाडु	19.7	19.2	12.0	21.6	19.0	29.8	30.5	20.7	22.1
उत्तर प्रदेश	12.5	9.5	9.0	9.4	10.4	28.1	29.2	26.2	6.0
पश्चिम बंगाल	16.8	15.8	11.5	17.4	19.4	20.6	26.0	20.5	6.0

परिशिष्ट तालिका 5.7: हर राज्य में सामाजिक-धार्मिक श्रेणियों के द्वारा व्यापाररत लोगों का प्रतिशत, 2004-05 (सभी कर्मी)

राज्य	सभी	सभी हिंदु	हिंदु			मुस्लिम			अन्य अल्पसंख्यक
			अ जाति/ जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	उच्च वर्ग	सभी मुस्लिम	अन्य पिछड़ा वर्ग	सामान्य	
संपूर्ण भारत	9.1	8.1	4.7	7.7	13.4	16.8	18.2	15.9	9.7
पश्चिम बंगाल	11.7	12.3	7.4	16.4	15.8	10.5	19.7	10.3	6.8
केरल	12.2	8.4	2.2	9.8	11.4	27.1	27.3	13.0	11.4
उत्तर प्रदेश	9.4	7.7	4.6	7.0	15.1	16.7	16.3	17.3	44.2
बिहार	8.8	8.2	3.4	10.4	10.1	13.0	13.6	11.9	6.2
असम	10.1	9.8	8.4	5.0	15.7	11.7	30.5	11.1	3.8
जम्मू-कश्मीर	7.9	7.3	4.0	9.6	9.0	8.3	2.3	9.6	7.5
झारखंड	6.6	7.2	2.8	8.5	16.4	8.6	9.7	6.7	1.1
कर्नाटक	8.4	6.7	4.3	6.6	9.3	22.2	21.4	23.2	17.1
दिल्ली	24.2	25.1	20.2	20.8	28.6	19.3	0.3	23.7	19.4
महाराष्ट्र	9.5	8.1	6.4	6.8	10.4	23.3	14.6	24.5	10.6
आंध्र प्रदेश	8.5	7.7	4.0	7.5	12.6	20.0	11.6	21.9	6.7
गुजरात	8.9	7.3	2.7	6.4	13.8	22.7	24.2	21.9	27.5
राजस्थान	6.7	6.1	4.1	5.0	13.7	12.6	12.7	12.4	13.3
मध्य प्रदेश	7.2	5.9	3.2	5.9	13.5	20.1	19.2	21.0	36.0
हरियाणा	11.1	11.1	10.3	9.6	12.5	13.5	11.1	26.0	10.9
तमिलनाडु	9.5	8.4	5.2	9.2	14.5	37.2	36.2	50.4	14.2
उड़ीसा	7.5	7.4	3.5	9.0	15.0	33.6	52.2	31.7	2.4
हिमाचल प्रदेश	4.7	4.6	1.9	9.4	4.9	8.9	1.9	11.6	2.4
पंजाब	11.5	21.3	12.8	15.0	31.1	7.4	8.5	6.2	6.7



परिशिष्ट तालिका 5.8: हर राज्य में सामाजिक-धार्मिक श्रेणियों के द्वारा स्वरोजगाररत लोगों का प्रतिशत (सभी कर्मी)

राज्य	सभी	सभी हिंदु	हिंदु			मुस्लिम			अन्य अल्पसंख्यक
			अ जाति/ जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	उच्च वर्ग	सभी मुस्लिम	अन्य पिछड़ा वर्ग	सामान्य	
संपूर्ण भारत	44.6	42.6	33.4	46.1	44.0	57.4	62.8	53.9	41.2
पश्चिम बंगाल	45.5	44.6	43.3	48.1	44.7	52.6	57.1	52.6	38.4
केरल	38.8	34.7	27.5	36.1	35.9	50.6	50.7	38.3	40.7
उत्तर प्रदेश	58.8	52.7	47.4	60.6	45.7	71.1	73.9	67.6	73.1
बिहार	59.2	60.2	40.6	63.4	67.5	54.4	51.2	62.5	40.1
असम	42.1	41.9	39.9	42.7	42.7	43.1	52.7	42.9	39.6
जम्मू-कश्मीर	56.2	52.2	58.4	39.0	51.7	60.1	69.3	59.9	28.0
कर्नाटक	41.3	38.5	32.8	38.1	41.8	53.7	59.5	47.8	36.5
दिल्ली	33.7	33.5	24.7	33.5	38.0	39.8	45.0	38.6	25.4
महाराष्ट्र	37.4	36.5	29.3	37.0	39.3	47.9	47.8	47.9	28.4
आंध्र प्रदेश	44.1	43.1	24.2	46.7	46.7	54.5	72.1	50.8	22.5
गुजरात	41.3	38.8	14.7	39.5	46.4	53.7	52.4	54.1	66.4
राजस्थान	55.3	54.0	54.0	60.8	46.6	63.3	73.7	55.4	55.6
मध्य प्रदेश	49.1	47.0	32.8	53.9	47.4	54.6	53.9	55.4	62.0
हरियाणा	49.2	48.8	33.8	48.9	53.7	35.0	41.3	29.6	63.5
तमिलनाडु	39.2	38.1	24.4	41.2	35.1	55.9	56.2	53.3	39.4
उड़ीसा	43.9	43.8	31.1	47.8	50.1	54.7	55.5	54.6	38.0
हिमाचल प्रदेश	33.2	33.4	17.8	55.8	34.5	52.4	0.0	55.2	14.9
पंजाब	46.8	45.9	34.6	45.4	52.5	69.4	54.1	86.9	47.6



भारत में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति

परिशिष्ट तालिका 6.1: अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की सूची

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक	निजी क्षेत्र के बैंक
1 भारतीय स्टेट बैंक	1 बैंक ऑफ पंजाब*1
2 स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर*	2 बैंक ऑफ राजस्थान**
3 स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	3 भारत ओवरसीज बैंक
4 स्टेट बैंक ऑफ इंदौर	4 सेंट्रियन बैंक*1
5 स्टेट बैंक ऑफ मैसूर*	5 सिटी यूनियन बैंक
6 स्टेट बैंक ऑफ पटियाला**	6 डवलपमेंट क्रेडिट बैंक
7 स्टेट बैंक ऑफ रायपुर	7 आईसीआईसीआई बैंक**
8 स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर	8 आईडीबीआई बैंक*@
9 इलाहाबाद बैंक	9 इंडसइंड बैंक**
10 आंध्रा बैंक	10 जम्मू एंड कश्मीर बैंक*
11 बैंक ऑफ बड़ौदा	11 कोटक महिंद्रा बैंक*
12 बैंक ऑफ इंडिया**	12 लार्ड कृष्णा बैंक
13 बैंक ऑफ महाराष्ट्र	13 एसबीआई कामर्शियल एंड इंटरनेशनल बैंक
14 केनरा बैंक	14 तमिलनाडु मर्केटाईल बैंक
15 सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	15 कैथोलिक सीरियन बैंक
16 कारपोरेशन बैंक	16 धनलक्ष्मी बैंक
17 देना बैंक**	17 फेडरल बैंक
18 इंडियन बैंक	18 गणेश बैंक ऑफ कुड्डलूर2
19 इंडियन ओवरसीज बैंक	19 एचडीएफसी बैंक**
20 ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	20 कर्नाटका बैंक*
21 पंजाब नेशनल बैंक	21 करूर वैश्य बैंक
22 पंजाब एंड सिंध बैंक**	22 नैनीताल बैंक
23 सिंडिकेट बैंक**	23 रत्नाकर बैंक
24 यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	24 सांग्ली बैंक
25 युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया*	25 साउथ इंडियन बैंक
26 यूको बैंक	26 आईएनजी वैश्य बैंक
27 विजया बैंक	27 युनाइटेड वेस्टर्न बैंक
	28 यूटीआई बैंक
	29 यस बैंक*

नोट :प्राथमिक क्षेत्र की अग्रिम राशि के विश्लेषण में इन सभी बैंकों को लिया गया है।

*इन बैंकों ने उच्चस्तरीय समिति द्वारा माने अतिरिक्त आंकड़े उपलब्ध नहीं कराए.

**अलग या अपर्याप्त आंकड़े दिए या प्रारूप के हिसाब से आंकड़े नहीं दिए गए @ दिसंबर २००४ से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के समूह में आईडीबीआई के आंकड़ों को भी शामिल किया गया.



परिशिष्ट तालिका 6.2: भारत के सभी प्राथमिक क्षेत्र को दी गई अग्रिम राशि की तुलना में समुदायविशेष के लोगों को दी गई प्राथमिक क्षेत्र की अग्रिम राशियां: 2001-2005
(खातों की संख्या - हजार में, राशि - करोड़ रुपये में)

समूह/वर्ष*	मुस्लिम		अन्य अल्पसंख्यक		अन्य		कुल प्राथमिक क्षेत्र अग्रिम राशि	
	खाते की संख्या	बकाया राशि	खाते की संख्या	बकाया राशि	खाते की संख्या	बकाया राशि	खाते की संख्या	बकाया राशि
बैंक समूह: सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक								
2001	4065	6633	2648	9058	27659	120064	34372	135755
2002	4573	8179	2789	10288	28460	144702	35823	163170
2003	4601	9282	2973	12620	30189	173407	37764	195310
2004	4770	12192	3209	22462	31016	273453	38994	308107
2005	4786	15685	3630	19671	32009	293400	40426	328755
औसत	4559	10394	3050	14820	29867	201005	37476	226219
बैंक समूह: सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक								
2001	3947	6150	2545	8300	26958	112394	33450	126844
2002	4470	7139	2693	9362	27729	134687	34892	151188
2003	4492	8089	2866	11626	29535	163627	36892	183342
2004	4627	9661	3069	13878	29987	194653	37683	218192
2005	4597	13214	3454	17364	30269	256372	38320	286950
औसत	4426	8850	2925	12106	28896	172347	36247	193303
बैंक समूह: निजी क्षेत्र के बैंक								
2001	118	483	103	758	701	7669	922	8911
2002	103	1041	96	926	731	10015	931	11981
2003	110	1194	107	995	655	9780	871	11968
2004	143	2531	139	8584	1029	78799	1311	89915
2005	190	2470	176	2307	1740	37027	2106	41804
औसत	133	1544	124	2714	971	28658	1228	32916

नोट: आंकड़े को निकटतम राशि में दर्शाने की वजह से कुल में अंतर संभव* हर वित्तीय वर्ष की समाप्ति के हिसाब से



भारत में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति

परिशिष्ट तालिका 6.3: प्रदेश स्तर पर हर सामाजिक-धार्मिक श्रेणियों में अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों के हर खाते पर बकाया राशि (31 मार्च 2001 - 2005 के अंत का सालाना औसत, रुपये में)

राज्य	मुस्लिम	अन्य अल्पसंख्यक	अन्य	सभी
पश्चिम बंगाल	14488	36280	59268	45944
केरल	28603	32330	48558	39650
उत्तर प्रदेश	29653	55678	60491	55204
बिहार	10400	14211	20712	19209
असम	28176	39381	68742	61065
जम्मू-कश्मीर	72507	48087	90411	65737
कर्नाटक	33657	50366	83666	77078
दिल्ली	82654	242505	859353	768857
महाराष्ट्र	61114	60696	197094	179405
आंध्र प्रदेश	16156	16820	38900	36514
गुजरात	25092	59321	97550	87837
राजस्थान	32355	96327	78920	76042
मध्य प्रदेश	7747	26811	52116	43543
हरियाणा	27749	58292	115015	107042
तमिलनाडु	21373	15738	33319	30745
उड़ीसा	14081	26158	43112	40893
हिमाचल प्रदेश	16416	47467	59244	58029
पंजाब	39572	93605	229701	140070
अन्य राज्य	24478	75335	73864	71182
भारत	22542	47546	66304	59420



परिशिष्ट तालिका 6.4: भारत के अल्पसंख्यक बहुल जिलों को दी गई प्राथमिक क्षेत्र की अग्रिम राशि की तुलना में समुदायविशेष के लोगों को दी गई प्राथमिक क्षेत्र की अग्रिम राशियां: 2001-2005
(खातों की संख्या - हजार में, राशि - करोड़ रुपये में)

समूह/वर्ष*	मुस्लिम		अन्य अल्पसंख्यक		अन्य		कुल प्राथमिक क्षेत्र अग्रिम राशि	
	खाते की संख्या	बकाया राशि	खाते की संख्या	बकाया राशि	खाते की संख्या	बकाया राशि	खाते की संख्या	बकाया राशि
बैंक समूह: सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक								
2001	1163	1798	298	857	3487	19185	4948	21839
2002	1082	2033	248	1035	3477	22950	4807	26018
2003	1116	2420	272	1193	3983	25072	5371	28684
2004	1144	2690	271	1290	4603	32860	6018	36840
2005	1192	3535	288	1666	4303	39216	5783	44417
औसत	1139	2495	275	1208	3971	27856	5385	31560
बैंक समूह: सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक								
2001	1141	1640	284	735	3436	18404	4861	20779
2002	1062	1863	235	908	3417	21969	4714	24740
2003	1102	2275	259	1063	3948	23792	5309	27130
2004	1125	2446	258	1137	4546	29964	5929	33548
2005	1170	3208	273	1400	4166	33039	5609	37648
औसत	1120	2287	262	1049	3903	25434	5285	28769
बैंक समूह: निजी क्षेत्र के बैंक								
2001	22	158	14	122	51	781	86	1061
2002	20	170	14	127	60	980	93	1278
2003	14	145	12	129	35	1280	61	1554
2004	18	243	13	153	57	2895	88	3292
2005	21	326	15	266	137	6177	173	6769
औसत	19	208	14	159	68	2423	101	2790

नोट: आंकड़े को निकटतम राशि में दर्शाने की वजह से कुल में अंतर संभव* हर वित्तीय वर्ष की समाप्ति के हिसाब से



परिशिष्ट तालिका 6.5: भारत के अल्पसंख्यक बहुल जिलों को दी गई प्राथमिक क्षेत्र की अग्रिम राशि की तुलना में समुदायविशेष के लोगों को दी गई प्राथमिक क्षेत्र की अग्रिम राशियां: 2005

जिले	कुल प्राथमिक क्षेत्र अग्रिम		मुस्लिमों की प्रतिशत भागीदारी		अन्य अल्पसंख्यकों की प्रतिशत भागीदारी		अन्य की प्रतिशत भागीदारी	
	खाते की संख्या	बकाया राशि	खाते की संख्या	बकाया राशि	खाते की संख्या	बकाया राशि	खाते की संख्या	बकाया राशि
मलप्पुरम (केरल) (68.5; 2.2)	120	588	43.2	42.3	15.6	12.6	41.2	45.1
किशनगंज (बिहार) (67.6; 0.4)	16	56	26.9	33.2	1.3	0.4	71.8	66.4
मुर्शीदाबाद (पबं) (63.7; 0.3)	151	211	59.6	52.3	2.9	3.4	37.6	44.3
मालदा (पबं) (49.7; 0.9)	70	195	38.7	28.4	1.0	0.6	60.4	71.0
रामपुर (सूची) (49.1; 3.7)	39	208	29.9	25.5	14.6	22.4	55.5	52.1
पश्चिम दीनाजपुर (WB) (47.4; 0.8)	34	67	37.5	24.5	0.1	0.1	62.4	75.4
मुयदाबाद (सूची) (45.5; 0.5)	62	669	27.1	12.6	4.8	3.4	68.2	83.9
कटिहार (बिहार) (42.5; 0.4)	104	196	26.3	24.7	0.9	1.0	72.9	74.3
बिजनौर (सूची) (41.7; 1.8)	98	402	25.8	13.2	5.1	4.4	69.1	82.5
हैदराबाद (एपी) (41.2; 2.8)	246	4704	13.3	3.2	6.7	1.4	80.0	95.4
अररिया (बिहार) (41.1; 0.1)	16	64	21.8	28.8	0.6	0.2	77.6	71.0
सहारनपुर (सूची) (39.1; 1.0)	157	652	29.9	13.3	1.9	1.5	68.2	85.2
मुजफ्फरनगर (सूची) (38.1; 0.7)	122	575	27.8	22.2	1.4	1.8	70.8	76.0
कोझिकोड (केरल) (37.5; 4.4)	199	1031	40.0	27.3	18.4	12.4	41.7	60.4
गुड़गांव (हरियाणा) (37.2; 0.7)	27	403	25.1	6.5	6.1	3.8	68.8	89.7
पूर्णिया (बिहार) (36.8; 0.8)	111	212	28.2	15.7	0.8	0.6	71.1	83.7
बीरभूम (पबं) (35.1; 0.3)	70	179	31.9	21.7	0.2	0.2	67.9	78.0
बहराइच (सूची) (34.8; 0.6)	56	264	25.0	11.9	2.7	2.6	72.4	85.5
द चौबीस परगना (पबं) (33.2; 0.8)	135	354	39.9	22.2	0.3	0.3	59.8	77.5
मेरठ (सूची) (32.6; 1.6)	116	787	21.5	9.0	3.0	2.5	75.5	88.5
कन्नोनोर (केरल) (27.6; 10.9)	151	717	35.1	26.2	27.5	25.5	37.4	48.3
पालघाट (केरल) (26.9; 4.2)	272	1032	19.7	21.4	9.6	11.6	70.7	66.9
वेनांड (केरल) (26.9; 22.5)	125	351	25.4	23.5	29.5	25.6	45.1	50.9
नादिया (पबं) (25.4; 0.8)	147	488	28.2	50.1	2.0	1.2	69.9	48.7
हावड़ा (पबं) (24.4; 0.3)	101	367	30.2	10.2	0.3	0.3	69.5	89.4
कूच बिहार (पबं) (24.2; 0.1)	59	116	35.5	17.6	1.3	1.2	63.2	81.3
उ चौबीस परगना (पबं) (24.2; 0.4)	222	779	35.0	14.9	0.4	0.5	64.6	84.6
द दीनाजपुर (पबं) (24.0; 1.9)	21	25	41.2	33.9	0.3	0.4	58.5	65.7
गाजियाबाद (सूची) (23.8; 1.0)	94	1004	17.3	6.5	1.8	1.6	80.9	91.9
पीलीभीत (सूची) (23.8; 4.9)	51	248	16.2	11.4	19.6	27.4	64.1	61.2
जैसलमेर (राज) (23.6; 0.5)	19	121	33.5	14.6	0.6	0.7	65.9	84.7
भोपाल (एमपी) (22.9; 2.9)	1453	4643	5.6	1.4	1.2	1.3	93.2	97.2
दरभंगा (बिहार) (22.7; Neg.)	44	145	23.2	27.2	0.8	0.7	75.9	72.1
बाराबंकी (सूची) (22.0; 0.3)	41	212	19.9	13.4	3.3	5.1	76.8	81.5
मुंबई (महा) (22.0; 9.7)	125	18254	7.0	1.8	9.1	2.9	83.9	95.3
कच्छ (गुजरात) (20.8; 0.4)	41	329	8.9	4.9	1.2	1.0	89.9	94.2
बिदार (कर्नाटक) (19.7; 11.9)	110	249	7.8	7.8	6.7	4.0	85.5	88.1
औरंगाबाद (महा) (19.7; 9.3)	125	748	5.6	6.3	7.0	4.7	87.5	89.0



जिले	कुल प्राथमिक क्षेत्र अग्रिम		मुस्लिमों की प्रतिशत भागीदारी		अन्य अल्पसंख्यकों की प्रतिशत भागीदारी		अन्य की प्रतिशत भागीदारी	
	खाते की संख्या	बकाया राशि	खाते की संख्या	बकाया राशि	खाते की संख्या	बकाया राशि	खाते की संख्या	बकाया राशि
गोंडा (यूपी) (19.3; 0.2)	36	138	37.0	26.9	5.3	6.4	57.8	66.8
गुलबर्ग (कर्नाटक) (17.6; 5.8)	95	614	19.5	13.0	2.7	2.0	77.7	85.0
बीजापुर (कर्नाटक) (16.3; 0.3)	238	615	11.9	10.0	0.6	0.3	87.5	89.7
कुरुनूल (एपी) (16.2; 1.2)	185	802	12.5	12.6	4.7	8.6	82.8	78.9
बस्ती (यूपी) (14.7; 0.7)	31	235	22.4	8.3	1.3	1.4	76.3	90.3
देवरिया (यूपी) (11.4; 0.2)	49	368	17.3	7.6	1.3	1.3	81.5	91.1
कुल जिले (32.8; 2.0)	5783	44417	20.6	8.0	5.0	3.8	74.4	88.3

नोट: 1. जिलों को मुस्लिम आबादी के निरते अनुपात में रखा गया है।

2. आंकड़ों को निकटतम बनाए जाने से भिन्नता आ सकती है।

3. जिले के बाद कोष्ठक में दिए आंकड़े 2001 में जिलों की आबादी में मुस्लिम और अन्य अल्पसंख्यकों का अनुपात बताते हैं।

परिशिष्ट तालिका 6.6: राज्य और आर्थिक वर्गीकरण के हिसाब से अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों के प्राथमिक क्षेत्र की अग्रिम राशि में मुस्लिमों की प्रतिशत भागीदारी (31 मार्च 2002-2005 के तीन साल का सालाना औसत)

राज्य	कृषि		लघु उद्योग		अन्य प्राथमिक क्षेत्र	
	खाते की संख्या	बकाया राशि	खाते की संख्या	बकाया राशि	खाते की संख्या	बकाया राशि
पश्चिम बंगाल	19.0	8.3	19.0	9.2	21.6	12.5
केरल	19.8	12.7	20.4	13.2	18.1	13.4
उत्तर प्रदेश	14.0	10.8	14.9	9.2	16.2	8.6
बिहार	14.4	9.3	13.6	9.9	18.3	12.2
असम	21.7	17.6	21.4	15.3	21.5	20.5
जम्मू-कश्मीर	41.7	19.7	52.4	24.7	53.9	50.5
झारखंड	9.4	8.6	10.2	6.8	11.1	8.4
कर्नाटक	10.0	5.0	7.5	8.6	7.7	4.7
उत्तरांचल	6.2	6.3	6.8	4.7	8.3	4.7
दिल्ली	4.6	4.3	4.3	3.0	3.7	2.1
महाराष्ट्र	5.9	3.5	7.0	4.3	6.3	4.5
आंध्र प्रदेश	4.8	4.3	6.8	5.3	6.4	5.3
गुजरात	4.8	4.0	5.8	3.2	12.4	5.5
राजस्थान	6.7	5.1	5.2	2.0	9.6	5.2
मध्य प्रदेश	4.2	2.5	21.1	2.5	7.3	3.5
हरियाणा	2.3	2.0	2.9	1.5	2.0	2.5
तमिलनाडु	4.5	3.5	5.3	3.4	3.8	2.9
उड़ीसा	2.6	2.7	3.1	2.4	2.7	2.2
हिमाचल प्रदेश	2.0	1.5	1.4	1.3	2.0	1.6
छत्तीसगढ़	3.7	3.0	4.4	3.6	5.6	4.3
पंजाब	0.8	0.5	1.0	0.6	1.0	0.7
अन्य राज्य	4.8	3.4	5.7	2.9	5.1	3.4
संपूर्ण भारत	8.3	5.2	11.3	5.2	10.1	5.9



परिशिष्ट तालिका 6.7: प्रदेश में अनुसूचित बैंकों में मुस्लिमों की व्यक्तिगत जमा राशि

(31 मार्च 2002-2005 के तीन सालों का सालाना औसत)

राज्य	कुल		मुस्लिमों की प्रतिशत भागीदारी	
	खातों की संख्या ('000s)	राशि (करोड़ में)	खातों की संख्या	राशि
पश्चिम बंगाल	15439	46830	12.1	5.5
केरल	10681	38552	17.6	15.3
उत्तर प्रदेश	22670	41394	7.4	8.5
बिहार	15713	24113	8.7	13.3
असम	3105	8906	5.5	5.1
जम्मू-कश्मीर	869	2957	31.8	30.2
झारखंड	5783	10549	5.5	8.0
कर्नाटक	5540	22825	6.2	7.6
उत्तरांचल	2975	6812	4.3	7.7
दिल्ली	7841	35607	2.6	3.9
महाराष्ट्र	14938	62868	8.1	8.6
आंध्र प्रदेश	11618	28213	5.4	6.2
गुजरात	14295	40084	7.6	8.9
राजस्थान	3659	10162	7.5	7.4
मध्य प्रदेश	8062	21968	8.3	6.1
हरियाणा	5123	11954	1.8	1.6
तमिलनाडु	12449	41306	4.9	6.5
उड़ीसा	4797	18358	4.4	4.8
हिमाचल प्रदेश	1118	4618	2.5	2.2
छत्तीसगढ़	3387	7954	9.2	9.6
पंजाब	4853	19873	1.8	1.4
अन्य	5047	22638	3.5	2.2
सभी राज्य	179964	528541	7.6	7.4



परिशिष्ट तालिका 6.8: राज्य के हिसाब से अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों में प्रति खाते में व्यक्तिगत जमा राशि
(31 मार्च 2002-2005 के तीन सालों का सालाना औसत)

राज्य	कुल	मुस्लिम
पश्चिम बंगाल	30333	13824
केरल	36093	31438
उत्तर प्रदेश	18259	20861
बिहार	15346	23473
असम	28678	26319
जम्मू-कश्मीर	34041	32313
झारखंड	18242	26736
कर्नाटक	41201	50372
उत्तरांचल	22897	40521
दिल्ली	45411	66678
महाराष्ट्र	42085	44804
आंध्र प्रदेश	24283	28089
गुजरात	28041	32932
राजस्थान	27773	27093
मध्य प्रदेश	27249	20058
हरियाणा	23333	20915
तमिलनाडु	33179	44010
उड़ीसा	38269	42081
हिमाचल प्रदेश	41290	36399
छत्तीसगढ़	23487	24563
पंजाब	40949	31732
अन्य	44852	28110
सभी राज्य	29369	28829



भारत में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति

परिशिष्ट तालिका 6.9: सिडबी द्वारा लागू किए गए कार्यक्रम से मुस्लिमों को मिले लाभ: 2000-01 से 2005-06

राज्य	खाते की संख्या (वास्तविक)		मंजूर राशि (करोड़ में)		बांटी गई रकम (करोड़ में)	
	कुल	मुस्लिम	कुल	मुस्लिम	कुल	मुस्लिम
पश्चिम बंगाल	5783	24	1064.40	2.19	840.32	1.23
केरल	11349	349	1088.29	62.11	944.34	44.82
उत्तर प्रदेश	15352	455	988.07	6.53	675.15	4.74
बिहार	4375	36	77.76	0.36	76.02	0.35
असम	2928	169	57.16	1.12	55.32	1.09
जम्मू-कश्मीर	8621	747	485.91	34.21	472.65	28.43
कर्नाटक	17632	426	2554.81	29.13	2114.48	18.30
दिल्ली	17888	114	3850.57	20.94	3166.12	4.55
महाराष्ट्र	20892	161	6587.78	5.01	5724.28	4.74
आंध्र प्रदेश	11801	40	2097.77	1.45	1762.19	1.35
गुजरात	6822	9	3133.77	0.44	2702.00	0.44
राजस्थान	8032	7	1343.43	0.43	1201.02	0.32
मध्य प्रदेश	12573	12	946.71	2.03	883.67	1.62
हरियाणा	3682		841.33		676.50	
तमिलनाडु	14385	37	3474.14	3.29	2884.52	2.46
उड़ीसा	8150	39	455.90	0.49	315.40	0.49
हिमाचल प्रदेश	2400	13	387.94	0.17	165.60	0.17
पंजाब	6170	1	1027.36	0.14	856.10	0.02
अन्य राज्य	12343	226	1342.19	9.50	1076.90	9.00
भारत	191178	2865	31805.29	179.54	26592.58	124.12




परिशिष्ट तालिका 6.10: नाबार्ड द्वारा उत्पादन ऋण और निवेश ऋण फिर वित्त देना और उसमें मुस्लिमों का हिस्सा (2004-05 और 2005-06 का सालाना औसत)

राज्य	नाबार्ड रीफाइनेंस (करोड़ में)		उसमें मुस्लिमों का हिस्सा (करोड़ में)		मुस्लिमों की प्रतिशत भागीदारी	
	उत्पादन कर्ज	निवेश कर्ज	उत्पादन कर्ज	निवेश कर्ज	उत्पादन कर्ज	निवेश कर्ज
पश्चिम बंगाल	256.29	536.13	16.62	34.66	6.5	6.5
केरल	427.03	431.43	49.82	50.61	11.7	11.7
उत्तर प्रदेश	469.87	1511.28	32.58	104.52	6.9	6.9
बिहार	44.58	146.83	1.34	4.36	3.0	3.0
असम	0.00	103.83	0.00	11.03		10.6
जम्मू-कश्मीर	0.00	24.60	0.00	8.80		35.8
झारखंड	1.47	50.10	0.05	1.55	3.1	3.1
कर्नाटक	869.01	454.22	37.67	19.69	4.3	4.3
उत्तरांचल	6.85	23.85	0.25	0.88	3.6	3.7
दिल्ली	0.00	8.26	0.00	0.17		2.1
महाराष्ट्र	322.68	537.92	5.40	8.97	1.7	1.7
आंध्र प्रदेश	1777.85	823.32	23.75	10.99	1.3	1.3
गुजरात	647.70	291.68	10.84	4.91	1.7	1.7
राजस्थान	774.83	411.81	48.61	25.84	6.3	6.3
मध्य प्रदेश	582.83	526.02	13.47	12.18	2.3	2.3
हरियाणा	1206.16	596.02	27.67	13.63	2.3	2.3
तमिलनाडु	474.03	409.35	13.27	11.47	2.8	2.8
उड़ीसा	534.69	301.34	6.70	3.86	1.3	1.3
हिमाचल प्रदेश	0.05	162.20	0.00	0.35	0.0	0.2
छत्तीसगढ़	48.37	140.00	0.77	2.24	1.6	1.6
पंजाब	723.40	995.33	2.07	2.76	0.3	0.3
कुल	9167.65	8485.48	290.83	333.41	3.2	3.9


नोट-आंकड़ों को निकटतम बनाए जाने से गिनता आ सकती है।



परिशिष्ट चित्र 7.1: वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार गांवों में विकित्सा सुविधा




परिशिष्ट चित्र 7.2: वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार गांवों में डाक और टेलीफोन सुविधा






परिशिष्ट चित्र 7.3: गांव में बस स्टॉप की सुविधा, जनगणना 2001



परिशिष्ट चित्र 7.4: जनगणना 2001के अनुसार पक्की सड़क से सीधे जुड़े गांव





भारत में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति

परिशिष्ट तालिका: 7.1 मूलभूत सुविधाओं से अभावग्रस्त गांव

सुविधाएं	छोटे (1000 से कम आबादी)			मध्यम (1000-2000 आबादी)			बड़े (2000 से अधिक आबादी)		
	मुस्लिम जनसंख्या का प्रतिशत								
	< 9%	10-39%	40% +	< 9%	10-39%	40% +	< 9%	10-39%	40% +
पश्चिम बंगाल									
शिक्षा	3344	375	827	251	86	236	51	39	70
चिकित्सा	8398	784	1456	1935	555	965	645	411	849
डाक	10530	1039	1946	2647	766	1504	808	598	1272
बस स्टॉप	10328	1044	1905	3142	933	1605	1651	1021	1846
उचित जोड़नेवाली सड़क	8198	822	1504	2316	612	1109	972	575	1124
उत्तर प्रदेश									
शिक्षा	14168	2400	1365	1631	674	420	320	198	158
चिकित्सा	29026	4844	2342	12541	3988	1906	4872	2365	1240
डाक	26877	4543	2061	10758	3485	1516	3466	1702	850
बस स्टॉप	32265	5556	2552	16713	5487	2500	8686	4253	2144
उचित जोड़नेवाली सड़क	17039	2853	1375	6501	2149	1006	1803	931	488
बिहार									
शिक्षा	4481	662	729	570	240	253	224	124	100
चिकित्सा	10179	1475	1329	5637	1695	1091	4033	2140	1208
डाक	10102	1464	1313	5212	1592	1036	2688	1446	910
बस स्टॉप	10373	1494	1371	6056	1833	1148	5157	2649	1386
उचित जोड़नेवाली सड़क	8078	1131	1098	4126	1253	869	2812	1375	866
असम									
शिक्षा	1389	95	233	148	16	39	39	2	8
चिकित्सा	8038	638	1646	2005	449	1323	488	153	698
डाक	7829	594	1605	1822	400	1332	454	142	767
बस स्टॉप	6456	423	1278	1458	301	1139	378	96	652
उचित जोड़नेवाली सड़क	5228	362	1093	1104	241	981	289	84	596



परिशिष्ट तालिका : 7.2 अपनी सीमा में ही शैक्षणिक संस्थानों वाले वाले गांवों का प्रतिशत ,जनगणना 2001

राज्य	छोटे (1000 से कम आबादी)										मध्यम (1000-2000आबादी)										बड़े (2000 से अधिक आबादी)																											
	सुविचारयुक्त गांवों का प्रतिशत					सुविचारयुक्त गांवों का प्रतिशत					सुविचारयुक्त गांवों का प्रतिशत					सुविचारयुक्त गांवों का प्रतिशत					सुविचारयुक्त गांवों का प्रतिशत					सुविचारयुक्त गांवों का प्रतिशत																						
	सभी	< 9%	10-39%	40% +	सभी	< 9%	10-39%	40% +	सभी	< 9%	10-39%	40% +	सभी	< 9%	10-39%	40% +	सभी	< 9%	10-39%	40% +	सभी	< 9%	10-39%	40% +	सभी	< 9%	10-39%	40% +																				
भारत	80.4	81.6	71.7	69.4	53438	44342	4676	4240	95.4	96.4	92.4	90.3	5931	3667	1186	1078	98.3	98.7	97.8	96.8	1711	906	423	382	72.4	73.9	72.2	64.5	4546	3344	375	827	83.3	94.8	94.0	89.4	573	251	86	236	98.2	98.5	98.2	97.8	160	51	39	70
पश्चिम बंगाल	0.0	0.0	-	-	4	4	0	0	80.0	80.0	50.0	100.0	2	1	1	0	99.0	99.1	96.6	99.6	13	5	7	1	88.1	85.0	88.6	90.1	375	167	37	171	99.0	98.7	99.4	99.0	16	5	1	10	98.9	100.0	100.0	98.7	11	0	0	11
उत्तर प्रदेश	57.8	58.2	59.1	49.6	17933	14168	2400	1365	90.0	91.1	88.9	84.8	2725	1631	674	420	96.5	97.0	96.4	94.5	676	320	198	158	86.0	85.5	87.9	87.7	1717	1389	95	233	96.3	94.9	97.5	97.9	203	148	16	39	98.2	96.0	99.4	99.4	49	39	2	8
बिहार	58.5	59.6	59.0	49.6	5872	4481	662	729	88.5	91.6	88.3	79.8	1063	570	240	253	96.1	96.5	96.4	94.0	448	224	124	100	60.5	61.6	58.6	49.1	6592	5458	530	604	91.9	93.6	90.4	85.6	336	185	69	82	95.5	95.6	96.4	93.6	83	44	19	20
उत्तरांचल	86.0	86.0	86.0	83.5	1815	1660	124	31	95.0	95.0	94.9	94.5	322	268	48	6	98.6	98.3	99.2	98.4	69	56	11	2	82.4	82.9	68.1	58.5	1199	1128	37	34	91.6	91.6	89.9	93.6	63	50	8	5	95.9	95.9	95.9	95.7	18	9	4	5
दिल्ली	76.9	100.0	0.0	0.0	3	0	1	2	82.8	88.5	50.0	0.0	5	3	1	1	95.5	95.8	90.9	100.0	5	4	1	0	98.1	98.1	96.5	97.3	374	345	23	6	99.9	99.9	99.6	99.4	15	10	4	1	98.9	99.9	100.0	98.7	8	6	0	2
महाराष्ट्र	97.4	97.3	98.2	98.3	208	200	7	1	99.7	99.7	99.7	97.4	20	17	2	1	99.9	100.0	99.9	98.0	5	3	1	1	98.6	98.7	98.8	97.7	90	80	4	6	99.9	99.8	100.0	100.0	8	8	0	0	100.0	100.0	100.0	100.0	1	1	0	0
गुजरात	92.7	93.0	88.0	89.7	1481	1284	96	91	99.3	99.3	99.0	99.0	65	56	5	4	98.6	99.6	99.1	100.0	24	19	5	0	91.8	91.8	90.7	89.7	2524	2389	95	40	99.6	99.6	99.1	99.4	44	38	5	1	99.9	99.9	99.8	100.0	4	3	1	0
मध्य प्रदेश	87.1	88.8	79.2	78.6	230	168	21	41	98.1	98.3	97.6	96.7	39	31	2	6	98.5	99.5	100.0	99.3	14	13	0	1	77.3	77.5	69.0	75.0	939	907	26	6	95.8	95.9	93.4	85.7	188	176	9	3	98.8	98.8	98.4	97.3	78	70	6	2
तमिलनाडु	83.1	83.2	78.4	68.9	4308	4228	48	32	97.8	98.0	93.7	92.5	150	133	12	5	98.7	98.8	98.3	97.6	33	30	2	1	74.6	74.5	75.8	81.5	1966	1884	70	12	93.5	93.5	91.9	100.0	43	40	3	0	98.4	98.9	80.0	100.0	3	2	1	0
झारखण्ड	96.3	96.3	96.2	100.0	439	434	5	0	99.9	99.9	100.0	100.0	3	3	0	0	99.8	99.8	97.1	100.0	3	2	1	0	98.0	98.0	98.0	98.0	439	434	5	0	99.9	99.9	100.0	100.0	3	3	0	0	99.8	99.8	97.1	100.0	3	2	1	0
पंजाब	98.0	98.0	98.5	90.0	110	107	2	1	99.9	99.9	100.0	100.0	4	4	0	0	100.0	100.0	100.0	100.0	0	0	0	0	98.0	98.0	98.5	90.0	110	107	2	1	99.9	99.9	100.0	100.0	4	4	0	0	100.0	100.0	100.0	100.0	0	0	0	0



परिशिष्ट तालिका: 7.3 अपनी सीमा में विक्रिया सुविधा वाले गांवों का प्रतिशत, जनगणना 2001

राज्य	छोटे (1000 से कम आबादी)												मध्यम (1000-2000 आबादी)												बड़े (2000 से अधिक आबादी)											
	सुविधयुक्त गांवों का प्रतिशत				सुविधरहित गांवों का प्रतिशत				सुविधयुक्त गांवों का प्रतिशत				सुविधरहित गांवों का प्रतिशत				सुविधयुक्त गांवों का प्रतिशत				सुविधरहित गांवों का प्रतिशत				सुविधयुक्त गांवों का प्रतिशत				सुविधरहित गांवों का प्रतिशत							
	सभी	< 9%	10-39%	40% +	सभी	< 9%	10-39%	40% +	सभी	< 9%	10-39%	40% +	सभी	< 9%	10-39%	40% +	सभी	< 9%	10-39%	40% +	सभी	< 9%	10-39%	40% +	सभी	< 9%	10-39%	40% +								
भारत	20.2	20.2	21.0	19.1	217884	193640	13051	11183	43.5	44.9	39.7	36.0	73378	56813	9435	7130	70.7	73.5	67.2	60.2	29052	18181	6191	4680	29052	18181	6191	4680								
पश्चिम बंगाल	35.5	34.4	42.0	37.5	10638	8388	784	1466	59.3	60.0	61.1	56.6	3455	1935	555	965	78.1	81.2	80.7	73.1	1905	645	411	849	1905	645	411	849								
केरल	50.0	50.0	-	-	2	2	0	0	60.0	60.0	100.0	33.3	4	2	0	2	97.2	98.6	96.0	96.5	38	8	20	10	96.5	96.0	96.5	38	20	10						
उत्तर प्रदेश	14.8	14.4	17.4	13.5	36212	29026	4844	2342	32.3	31.8	34.4	31.0	18435	12541	3988	1906	55.7	54.8	57.1	56.6	8477	4872	2365	1240	8477	4872	2365	1240								
बिहार	8.3	8.3	8.7	8.2	12983	10179	1475	1329	16.7	17.1	17.6	12.9	8423	5637	1695	1091	35.9	37.0	37.9	27.9	7381	4033	2140	1208	7381	4033	2140	1208								
उत्तराखण्ड	15.7	16.0	18.7	13.2	10322	8088	638	1646	30.6	31.4	31.0	29.0	3777	2005	449	1323	50.4	50.2	55.3	49.3	1339	488	153	688	1339	488	153	688								
जम्मू-कश्मीर	32.0	35.5	36.1	29.0	2150	719	207	1224	56.5	60.9	58.0	54.6	672	150	66	456	84.2	86.1	87.3	83.6	163	20	9	134	163	20	9	134								
झारखंड	9.3	9.6	8.8	5.8	15132	12947	1167	1118	21.7	23.8	20.8	12.5	3266	2201	567	488	38.8	41.7	40.0	27.8	1128	587	315	226	1128	587	315	226								
कर्नाटक	17.3	16.9	22.4	19.1	10697	9866	689	152	44.6	43.8	50.2	35.5	3533	2986	466	71	80.8	77.3	88.9	82.2	931	749	159	23	931	749	159	23								
उत्तरांचल	19.8	19.7	28.4	20.7	5453	5305	83	65	51.4	50.5	67.1	42.3	365	294	26	45	73.7	73.0	76.3	73.0	114	60	23	31	114	60	23	31								
दिल्ली	30.8	30.0	100.0	0.0	9	7	0	2	37.9	38.5	50.0	0.0	18	16	1	1	67.3	67.7	72.7	33.3	36	31	3	2	36	31	3	2								
महाराष्ट्र	25.2	24.9	31.6	30.9	14539	13822	455	152	49.8	49.5	51.7	57.5	5805	5286	442	77	81.5	80.4	87.0	78.0	1322	1132	157	33	1322	1132	157	33								
उत्तर प्रदेश	37.2	37.8	29.7	22.0	4939	4614	279	46	59.6	59.7	58.8	55.3	2614	2359	238	17	89.9	88.6	91.7	86.0	933	816	110	7	933	816	110	7								
गुजरात	53.0	53.0	53.8	52.9	3083	2810	152	121	66.7	66.1	73.2	68.1	1872	1718	103	51	88.9	88.3	94.4	89.8	519	465	31	23	519	465	31	23								
राजस्थान	13.9	14.2	13.4	9.4	17394	15901	691	802	46.5	47.1	48.3	34.1	4692	4178	249	265	82.5	82.8	84.4	69.8	947	796	90	61	947	796	90	61								
मध्य प्रदेश	19.7	19.7	20.4	15.7	24578	23433	817	328	47.6	47.6	50.7	33.7	5468	5097	263	108	79.1	78.8	84.2	80.0	821	728	69	24	821	728	69	24								
हरियाणा	23.4	25.4	21.8	8.9	1369	1115	79	175	43.1	45.3	47.0	19.8	1189	999	44	146	82.9	83.8	86.7	66.4	447	391	8	48	447	391	8	48								
तमिलनाडु	73.5	73.5	78.6	58.3	1097	1069	18	10	81.0	80.8	84.7	100.0	852	831	21	0	89.6	89.6	90.1	89.0	655	610	37	8	655	610	37	8								
ओडिशा	9.2	9.2	12.6	6.8	23130	22840	194	96	33.6	33.9	30.4	16.4	4522	4333	133	56	64.7	65.8	51.7	40.5	913	830	58	25	913	830	58	25								
झिजात प्रदेश	30.0	30.0	35.3	13.8	5415	5172	187	56	70.2	70.6	62.2	75.0	197	182	14	1	87.4	87.5	80.0	100.0	23	22	1	0	23	22	1	0								
कर्नाटक	17.6	17.5	23.3	9.1	9660	9748	102	10	45.0	45.0	47.2	14.3	2301	2257	38	6	74.2	74.1	79.4	50.0	348	340	7	1	348	340	7	1								
पंजाब	32.4	32.7	23.5	0.0	3724	3613	101	10	60.6	61.7	23.0	9.1	1340	1273	57	10	85.6	85.8	68.8	100.0	329	319	10	0	329	319	10	0								



परिशिष्ट तालिका : 7.4 उम्र नांवों का प्रतिशत जहां डाक एवं तार सुविधा उपलब्ध, जनगणना 2001

राज्य	छोटे (1000 से कम आबादी)										मध्यम (1000-2000 आबादी)										बड़े (2000 से अधिक आबादी)											
	सुविधयुक्त नांवों का प्रतिशत					सुविधयुक्त नांवों का प्रतिशत					सुविधयुक्त नांवों का प्रतिशत					सुविधयुक्त नांवों का प्रतिशत					सुविधयुक्त नांवों का प्रतिशत					सुविधयुक्त नांवों का प्रतिशत						
	सभी	< 9%	10-39%	40% +	सभी	< 9%	10-39%	40% +	सभी	< 9%	10-39%	40% +	सभी	< 9%	10-39%	40% +	सभी	< 9%	10-39%	40% +	सभी	< 9%	10-39%	40% +	सभी	< 9%	10-39%	40% +				
भारत	30.1	30.7	29.4	20.4	190771	168088	11670	11013	54.7	57.5	49.1	36.2	56908	43838	7959	7111	79.8	83.7	76.7	62.2	20040	11194	4398	4448	79.8	83.7	76.7	62.2	20040	11194	4398	4448
पश्चिम बंगाल	18.0	17.7	23.1	16.5	13515	10530	1089	1946	42.1	45.3	46.4	32.3	4917	2647	766	1504	69.2	76.4	71.9	59.7	2678	808	598	1272	69.2	76.4	71.9	59.7	2678	808	598	1272
केरल	100.0	100.0	-	-	0	0	0	0	100.0	100.0	100.0	100.0	0	0	0	0	99.9	100.0	100.0	99.6	1	0	0	1	99.9	100.0	100.0	99.6	1	0	0	1
उत्तर प्रदेश	21.2	20.8	22.6	23.8	33481	26877	4543	2061	42.1	41.5	42.6	45.1	15739	10738	3485	1516	68.6	67.8	69.1	70.2	6018	3466	1702	850	68.6	67.8	69.1	70.2	6018	3466	1702	850
बिहार	9.0	8.9	9.4	9.3	12879	10102	1464	1313	22.4	23.3	22.6	17.3	7840	5212	1592	1086	56.2	58.0	58.0	45.7	5044	2688	1446	910	56.2	58.0	58.0	45.7	5044	2688	1446	910
उत्तरांचल	18.1	18.2	24.3	15.3	10028	7829	594	1605	34.7	37.7	38.6	28.5	3554	1822	400	1332	49.5	53.6	58.5	44.3	1363	454	142	767	49.5	53.6	58.5	44.3	1363	454	142	767
जम्मू-कश्मीर	26.6	40.8	36.4	15.6	2321	660	206	1455	43.9	65.6	68.8	31.7	867	132	49	686	68.4	86.8	78.9	64.2	326	19	15	292	68.4	86.8	78.9	64.2	326	19	15	292
झारखंड	6.9	6.8	8.3	6.6	15524	13242	1173	1109	23.0	24.1	24.6	15.5	3213	2192	540	481	53.9	53.8	61.3	41.5	851	465	203	183	53.9	53.8	61.3	41.5	851	465	203	183
कर्नाटक	54.7	53.9	64.1	59.6	5963	5468	319	76	78.1	77.3	83.1	71.8	1398	1209	158	31	94.5	94.2	95.5	92.2	267	192	65	10	94.5	94.2	95.5	92.2	267	192	65	10
उत्तराखण्ड	39.1	38.7	62.9	40.2	4139	4047	43	49	75.0	74.2	81.0	74.4	188	153	15	20	81.1	81.1	82.5	80.0	82	42	17	23	81.1	81.1	82.5	80.0	82	42	17	23
दिल्ली	84.6	100.0	100.0	0.0	2	0	0	2	96.6	100.0	50.0	100.0	1	0	1	0	97.3	96.9	100.0	100.0	3	3	0	0	97.3	96.9	100.0	100.0	3	3	0	0
महाराष्ट्र	34.9	34.5	42.4	48.2	12657	12160	383	114	63.0	62.9	64.1	63.0	4282	3886	329	67	91.0	90.4	94.5	85.3	644	556	66	22	91.0	90.4	94.5	85.3	644	556	66	22
आंध्र प्रदेश	40.5	39.8	51.9	55.9	4681	4464	191	26	75.6	75.1	80.6	71.1	1580	1457	112	11	96.8	96.6	97.9	100.0	291	263	28	0	96.8	96.6	97.9	100.0	291	263	28	0
गुजरात	52.6	51.3	72.0	56.8	3112	2909	92	111	81.2	80.0	93.5	88.1	1057	1013	25	19	95.7	95.0	99.5	99.6	219	215	3	1	95.7	95.0	99.5	99.6	219	215	3	1
उत्तराखण्ड	38.1	38.4	40.4	30.1	12509	11414	476	619	67.8	68.2	68.3	59.7	2826	2511	153	162	92.4	92.4	93.9	89.6	411	355	35	21	92.4	92.4	93.9	89.6	411	355	35	21
मध्य प्रदेश	28.3	27.8	36.6	41.6	21957	21079	651	227	55.5	54.8	66.6	62.6	4639	4400	178	61	85.7	84.8	93.1	81.7	562	521	30	11	85.7	84.8	93.1	81.7	562	521	30	11
हरियाणा	57.3	60.9	62.4	26.6	763	584	38	141	70.0	73.0	79.5	35.2	627	492	17	118	89.4	91.1	85.0	62.9	277	215	9	53	89.4	91.1	85.0	62.9	277	215	9	53
तमिलनाडु	81.3	81.2	85.7	83.3	776	760	12	4	91.5	91.5	92.0	90.5	379	366	11	2	97.8	97.9	97.8	94.5	137	125	8	4	97.8	97.9	97.8	94.5	137	125	8	4
उड़ीसा	28.7	28.5	40.1	39.8	18171	17976	133	62	62.4	62.3	69.1	52.2	2565	2474	59	32	88.9	88.9	88.3	90.5	287	269	14	4	88.9	88.9	88.3	90.5	287	269	14	4
हिमाचल प्रदेश	78.1	78.6	70.9	52.3	1688	1583	84	31	94.1	94.0	97.3	75.0	39	37	1	1	99.5	99.4	100.0	100.0	1	1	0	0	99.5	99.4	100.0	100.0	1	1	0	0
झारखण्ड	12.1	12.0	15.8	9.1	10518	10396	112	10	40.9	41.0	38.9	14.3	2474	2424	44	6	77.0	77.0	79.4	50.0	310	302	7	1	77.0	77.0	79.4	50.0	310	302	7	1
पंजाब	84.6	84.8	78.0	80.0	847	816	29	2	97.2	97.2	97.3	100.0	96	94	2	0	99.1	99.2	96.9	100.0	20	19	1	0	99.1	99.2	96.9	100.0	20	19	1	0



भारत में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति

परिशिष्ट तालिका: 7.5 अपनी सीमा में बस स्टॉप युक्त गांवों का प्रतिशत, जनगणना 2001

राज्य	छोटे (1000 से कम आबादी)						मध्यम (1000-2000 आबादी)						बड़े (2000 से अधिक आबादी)											
	सुविधयुक्त गांवों का प्रतिशत			सुविधरहित गांवों का प्रतिशत			सुविधयुक्त गांवों का प्रतिशत			सुविधरहित गांवों का प्रतिशत			सुविधयुक्त गांवों का प्रतिशत			सुविधरहित गांवों का प्रतिशत								
	सभी	< 9%	10-39%	40% +	सभी	< 9%	10-39%	40% +	सभी	< 9%	10-39%	40% +	सभी	< 9%	10-39%	40% +	सभी	< 9%	10-39%	40% +				
भारत	28.5	28.1	24.9	23.8	195005	172048	12410	10547	45.0	48.4	33.9	29.2	71433	53189	10336	7898	61.6	67.1	53.1	42.9	38095	22519	8859	6717
पश्चिम बंगाल	19.5	18.3	22.7	18.3	13277	10328	1044	1905	33.1	35.1	34.7	27.8	5860	3142	933	1605	48.1	51.8	52.0	41.5	4518	1651	1021	1846
केरल	100.0	100.0	-	-	0	0	0	0	100.0	100.0	100.0	100.0	0	0	0	0	100.0	100.0	100.0	100.0	0	0	0	0
उत्तर प्रदेश	5.0	4.9	5.3	5.7	40773	32265	5556	2552	9.3	9.1	9.7	9.5	24700	16713	5487	2500	21.2	19.3	22.9	24.9	15083	8686	4253	2144
बिहार	6.5	6.5	7.5	5.3	13238	10373	1494	1371	10.6	10.9	10.9	8.3	9037	6056	1833	1148	20.2	19.5	23.1	17.3	9192	5157	2649	1386
उत्तराखण्ड	33.4	32.5	46.1	32.6	8157	6456	423	1278	46.7	50.1	53.8	38.9	2898	1458	301	1139	58.3	61.4	71.9	52.7	1126	378	96	652
जम्मू-कश्मीर	54.8	64.2	54.3	48.8	1429	399	148	882	68.7	78.9	68.8	64.8	484	81	49	354	80.1	88.2	76.1	79.0	205	17	17	171
झारखंड	6.7	6.8	6.3	6.1	15552	13239	1198	1115	13.6	14.6	13.0	9.5	3805	2467	623	515	27.2	28.9	29.7	17.3	1343	715	369	259
कर्नाटक	65.7	65.0	72.2	72.9	4441	4143	247	51	87.5	87.1	90.5	80.9	800	690	89	21	95.4	95.0	96.1	96.9	225	165	56	4
उत्तरांचल	22.7	22.6	31.0	22.0	5258	5114	80	64	36.2	36.4	38.0	33.3	479	378	49	52	42.4	40.1	47.4	42.6	250	133	51	66
दिल्ली	100.0	100.0	100.0	100.0	0	0	0	0	100.0	100.0	100.0	100.0	0	0	0	0	100.0	100.0	100.0	100.0	0	0	0	0
महाराष्ट्र	61.8	61.3	70.7	75.9	7428	7180	195	53	84.8	84.7	87.1	82.9	1753	1604	118	31	96.2	95.8	98.5	94.0	268	241	18	9
गुजरात	55.9	54.9	72.3	72.9	3471	3345	110	16	84.6	84.4	87.2	86.8	996	917	74	5	96.0	95.7	97.6	94.0	368	333	32	3
पुच्छम	80.9	79.9	90.3	93.0	1250	1200	32	18	94.3	93.9	97.7	98.1	321	309	9	3	96.7	96.6	99.3	99.6	64	59	4	1
राजस्थान	32.0	31.7	40.1	29.2	13749	12644	478	627	53.6	54.3	56.0	38.1	4069	3608	212	249	80.8	80.8	84.9	68.8	1042	892	87	63
मध्य प्रदेश	14.0	13.9	17.7	16.2	26319	25148	845	326	31.5	31.2	38.3	25.2	7150	6689	329	122	61.1	58.8	78.7	63.3	1530	1415	93	22
हरियाणा	59.9	62.0	56.4	44.8	717	567	44	106	74.5	77.1	59.0	55.5	533	418	34	81	89.7	90.7	83.3	74.8	270	224	10	36
तमिलनाडु	73.3	73.0	86.9	70.8	1107	1089	11	7	88.2	88.2	90.5	90.5	527	512	13	2	95.1	95.1	94.1	95.9	311	286	22	3
उड़ीसा	21.9	22.0	24.3	11.7	19891	19632	168	91	39.1	39.0	41.4	32.8	4153	3996	112	45	57.3	57.1	60.8	54.8	1106	1040	47	19
हिमाचल प्रदेश	60.1	60.4	59.5	36.5	3084	2927	117	40	84.1	83.7	91.9	75.0	105	101	3	1	89.1	89.2	100.0	50.0	20	19	0	1
कर्नाटक	10.6	10.5	17.3	27.3	10700	10582	110	8	24.8	24.5	37.5	57.1	3147	3089	45	3	45.3	44.8	67.6	0.0	738	725	11	2
पंजाब	72.2	72.3	68.2	80.0	1529	1485	42	2	83.7	83.6	86.5	100.0	555	545	10	0	93.0	92.9	93.8	100.0	161	159	2	0



परिशिष्ट तालिका : 7.6 पक्की सड़क से जोड़ने वाले गांवों का प्रतिशत, जनगणना 2001

राज्य	छोटे (1000 से कम आबादी)										मध्यम (1000-2000 आबादी)										बड़े (2000 से अधिक आबादी)									
	सुविधयुक्त गांवों का प्रतिशत					सुविकसित गांवों का प्रतिशत					सुविधयुक्त गांवों का प्रतिशत					सुविकसित गांवों का प्रतिशत					सुविधयुक्त गांवों का प्रतिशत					सुविकसित गांवों का प्रतिशत				
	सभी	< 9%	10-39%	40% +	सभी	< 9%	10-39%	40% +	सभी	< 9%	10-39%	40% +	सभी	< 9%	10-39%	40% +	सभी	< 9%	10-39%	40% +	सभी	< 9%	10-39%	40% +	सभी	< 9%	10-39%	40% +		
भारत	45.2	45.1	48.6	42.8	133063	8496	7910	65.5	66.9	63.3	55.4	48843	34124	5749	4970	82.1	84.5	80.7	70.2	17773	10627	3644	3502							
पश्चिम बंगाल	36.2	36.0	39.2	35.5	10524	8198	1504	35.5	52.2	57.1	50.1	4037	2316	612	1109	69.3	71.6	73.0	64.4	2671	972	575	1124							
केरल	100.0	100.0	-	-	0	0	0	100.0	100.0	100.0	100.0	0	0	0	0	99.9	99.8	100.0	100.0	1	1	0	0							
उत्तर प्रदेश	49.9	49.8	51.4	49.2	21267	17089	2853	64.5	64.6	64.6	63.6	9656	6501	2149	1006	83.2	83.3	83.1	82.9	3222	1803	891	488							
बिहार	27.2	27.2	30.0	24.1	10307	8078	1131	38.2	39.3	39.1	30.6	6248	4126	1253	869	56.1	56.1	60.1	48.3	5053	2812	1375	866							
उत्तरांचल	45.4	45.4	53.9	42.4	6683	5228	362	57.2	62.2	63.0	47.4	2326	1104	241	981	64.1	70.5	75.4	56.7	969	289	84	596							
जम्मू-कश्मीर	62.8	70.9	57.1	58.6	1177	324	139	74.9	78.6	67.5	74.6	388	82	51	255	79.9	84.7	67.6	80.1	207	22	23	162							
आंध्र प्रदेश	18.6	18.3	21.2	19.8	13568	11608	1008	34.0	34.5	36.6	28.5	2753	1892	454	407	54.0	54.8	57.0	46.3	849	455	226	168							
कर्नाटक	66.2	66.4	63.7	66.0	4389	3983	322	64	78.6	73.7	70.9	1385	1087	246	32	88.3	88.3	88.1	89.9	570	387	170	13							
उत्तराखण्ड	28.7	27.6	68.1	64.6	4847	4781	37	70.3	65.3	89.9	88.5	223	206	8	9	91.7	88.2	95.9	93.0	36	24	4	8							
ह्रिदयी	92.3	100.0	100.0	50.0	1	0	0	100.0	100.0	100.0	100.0	0	0	0	0	100.0	100.0	100.0	100.0	0	0	0	0							
महाराष्ट्र	76.5	76.2	82.6	81.8	4567	4411	116	91.1	90.9	93.0	93.9	1025	950	64	11	98.1	98.0	98.6	99.3	135	117	17	1							
ओडिशा प्रदेश	61.6	60.8	75.1	67.8	3021	2903	99	79.2	78.4	86.1	97.4	1345	1264	80	1	88.8	88.2	93.0	96.0	941	846	93	2							
गुजरात	72.3	72.0	79.6	69.6	1815	1670	67	88.0	89.0	89.4	90.6	615	559	41	15	96.7	96.6	98.4	94.7	169	148	9	12							
राजस्थान	39.6	39.1	48.9	40.0	12211	11272	408	531	66.8	66.7	70.5	64.4	2911	2626	142	94.3	94.1	96.4	91.1	311	272	21	18							
मध्य प्रदेश	25.8	25.6	29.9	30.3	22706	21715	720	44.0	43.7	49.7	45.4	5638	5481	268	89	74.1	72.4	86.3	81.7	1019	948	60	11							
हरियाणा	97.3	97.5	95.0	97.4	48	38	5	98.3	99.5	97.6	98.9	14	10	2	2	99.7	98.8	98.3	99.3	7	5	1	1							
तमिलनाडु	88.5	88.5	91.7	91.7	475	466	7	95.0	95.1	93.4	100.0	223	214	9	0	97.5	97.6	96.8	95.9	155	140	12	3							
उड़ीशा	40.8	40.7	53.2	50.5	15082	14927	104	56.4	56.1	63.9	64.2	2974	2881	69	24	69.1	68.7	72.5	81.0	801	760	33	8							
झिजावर प्रदेश	44.9	45.0	48.1	24.6	4263	4064	150	49	75.3	81.1	75.0	163	155	7	1	83.1	82.4	100.0	100.0	31	31	0	0							
ह्मत्सिख	27.2	27.1	36.1	36.4	8708	8616	85	7	45.7	43.1	57.1	2274	2230	41	3	70.3	69.9	88.2	50.0	401	396	4	1							
पंजाब	95.7	95.7	96.2	90.0	236	230	5	97.2	97.3	94.6	100.0	94	90	4	0	97.8	97.7	100.0	100.0	51	51	0	0							



भारत में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति

परिशिष्ट तालिका: 7.7 पक्की सड़क से जोड़ने वाले गांवों का प्रतिशत, जनगणना 2001

राज्य	छोटे (1000 से कम आबादी)						मध्यम (2000 से कम आबादी)						बड़े (2000 से अधिक आबादी)								
	सुविचारयुक्त गांवों का प्रतिशत						सुविचारयुक्त गांवों का प्रतिशत						सुविचारयुक्त गांवों का प्रतिशत								
	मुस्लिम आबादी का प्रतिशत		मुस्लिम आबादी का प्रतिशत		मुस्लिम आबादी का प्रतिशत		मुस्लिम आबादी का प्रतिशत		मुस्लिम आबादी का प्रतिशत		मुस्लिम आबादी का प्रतिशत		मुस्लिम आबादी का प्रतिशत		मुस्लिम आबादी का प्रतिशत		मुस्लिम आबादी का प्रतिशत				
< 9%	10-39%	40% + सभी	< 9%	10-39%	40% + सभी	< 9%	10-39%	40% + सभी	< 9%	10-39%	40% + सभी	< 9%	10-39%	40% + सभी	< 9%	10-39%	40% + सभी				
भारत	45.2	48.6	42.8	133063	8496	7910	65.5	66.9	63.3	44843	34124	5749	4970	82.1	84.5	80.7	17773	10627	3644	3502	
पश्चिम बंगाल	36.2	39.2	35.5	10524	8198	1594	52.5	52.2	57.1	4037	2316	612	1109	68.3	71.6	73.0	2671	972	575	1124	
केरल	100.0	-	-	0	0	0	100.0	100.0	100.0	100.0	0	0	0	99.9	99.8	100.0	1	1	0	0	
उत्तर प्रदेश	49.9	51.4	49.2	21267	17089	2853	64.5	64.6	64.6	9656	6501	2149	1006	83.2	83.3	83.1	3222	1803	931	488	
बिहार	27.2	27.2	30.0	10307	8078	1131	38.2	39.3	39.1	6248	4126	1253	889	56.1	56.1	60.1	5053	2812	1375	866	
उत्तरांचल	45.4	45.4	42.4	6883	5228	362	57.2	62.2	63.0	474	2326	241	981	64.1	70.5	75.4	969	289	84	596	
जम्मू कश्मीर	62.8	70.9	57.1	586	1177	324	74.9	78.6	67.5	746	388	82	51	255	79.9	84.7	67.6	207	22	23	162
आन्ध्रप्रदेश	18.6	18.3	21.2	13568	11608	1008	34.0	34.5	36.6	285	2753	1892	454	54.0	54.8	57.0	463	849	455	226	168
कर्नाटक	66.2	66.4	63.7	66.0	4369	3983	78.6	79.6	73.7	709	1365	1087	32	88.3	88.3	88.1	899	570	387	170	13
उत्तराखण्ड	28.7	27.6	68.1	64.6	4847	4781	37	29	65.3	89.9	88.5	223	206	91.7	88.2	95.9	36	24	4	8	
दिल्ली	92.3	100.0	50.0	1	0	0	100.0	100.0	100.0	100.0	0	0	0	100.0	100.0	100.0	0	0	0	0	
महाराष्ट्र	76.5	76.2	82.6	81.8	4567	4411	91.1	90.9	93.0	939	1025	950	64	98.1	98.0	96.6	135	117	17	1	
ओडिशा	61.6	60.8	75.1	67.8	3021	2903	79.2	78.4	86.1	97.4	1345	1264	80	88.8	88.2	93.0	96.0	941	846	93	2
गुजरात	72.3	72.0	79.6	69.6	1815	1670	88.0	89.0	89.4	90.6	615	559	41	15	96.7	96.6	98.4	169	148	9	12
राजस्थान	39.6	39.1	48.9	40.0	12211	11272	66.8	66.7	70.5	644	2911	2626	142	143	94.3	94.1	96.4	311	272	21	18
मध्य प्रदेश	25.8	25.6	29.9	30.3	22706	21715	44.0	43.7	49.7	454	5838	5481	268	89	74.1	72.4	86.3	1019	948	60	11
हरियाणा	97.3	97.5	95.0	97.4	48	38	99.3	99.5	97.6	98.9	14	10	2	98.7	99.8	98.3	7	5	1	1	
तमिलनाडु	88.5	88.5	91.7	475	466	7	95.0	95.1	93.4	100.0	223	214	9	97.5	97.6	96.8	155	140	12	3	
उड़ीसा	40.8	40.7	53.2	50.5	15082	14927	56.4	56.1	63.9	642	2974	2881	69	68.1	68.7	72.5	81.0	801	760	33	8
झारखण्ड प्रदेश	44.9	45.0	48.1	24.6	4263	4064	75.3	75.0	81.1	75.0	163	155	7	83.1	82.4	100.0	31	31	0	0	
झारखण्ड	27.2	27.1	36.1	36.4	8708	8616	45.7	45.7	43.1	57.1	2274	2230	41	3	70.3	69.9	88.2	401	396	4	1
पंजाब	95.7	95.7	96.2	90.0	236	230	97.2	97.3	94.6	100.0	94	90	4	97.8	97.7	100.0	51	51	0	0	



परिशिष्ट तालिका 8.1: गरीबी रेखा

राज्य	गरीबी रेखा 1, 2004-05		गरीबी रेखा 2, 2004-05	
	ग्रामीण	शहरी	ग्रामीण	शहरी
संपूर्ण भारत	363	552	361	567
आंध्र प्रदेश	295	592	296	596
असम	393	404	394	428
बिहार	360	462	352	473
गुजरात	360	565	361	590
हरियाणा	417	534	409	568
हिमाचल प्रदेश	406	483	370	511
जम्मू-कश्मीर	396	541	414	605
कर्नाटक	333	634	334	608
केरल	422	583	427	589
मध्य प्रदेश	328	586	328	627
महाराष्ट्र	367	636	374	670
उड़ीसा	328	542	327	577
पंजाब	410	412	404	498
राजस्थान	384	562	372	529
तमिलनाडु	353	542	363	593
उत्तर प्रदेश	376	510	368	494
पश्चिम बंगाल	385	466	380	524
नई दिल्ली	401	635	411	680

नोट- 1999-00 की आधिकारिक गरीबी रेखा के नवीनीकरण से गरीबी रेखा 1 मिली और 1993-94 से गरीबी रेखा 2 मिली



भारत में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति

परिशिष्ट तालिका 8.2: राज्य स्तर पर शहरी इलाके में सामाजिक-धार्मिक श्रेणियों के हिसाब से प्रति व्यक्ति मासिक व्यय 2004-05 (वर्तमान मूल्य)

राज्य	सभी	हिंदू				मुस्लिम	अन्य सभी
		सभी हिंदू	अ जाति/	अन्य	सामान्य		
			जनजाति	पिछड़ा वर्ग			
संपूर्ण भारत	1105	1139	793	955	1469	804	1485
पश्चिम बंगाल	1159	1214	784	1008	1385	748	2585
केरल	1354	1363	836	1221	1883	1081	1670
उत्तर प्रदेश	880	976	668	796	1311	662	1405
बिहार	726	768	681	662	1027	559	708
असम	1131	1113	888	994	1265	1199	1198
जम्मू-कश्मीर	1115	1323	949	943	1489	991	1572
झारखंड	1017	1038	681	877	1433	727	995
कर्नाटक	1138	1201	729	1007	1580	837	1501
उत्तरांचल	1028	1033	768	785	1175	753	2657
दिल्ली	1419	1423	879	985	1788	1051	1924
महाराष्ट्र	1228	1278	934	1061	1548	921	1399
आंध्र प्रदेश	1091	1134	851	970	1605	803	1195
गुजरात	1206	1227	1045	905	1470	875	1754
राजस्थान	945	979	744	871	1262	685	1254
मध्य प्रदेश	893	902	599	782	1232	669	1801
हरियाणा	1183	1155	744	896	1420	1105	2151
तमिलनाडु	1166	1166	739	1123	2311	1020	1355
उड़ीसा	790	795	558	697	1009	785	701
हिमाचल प्रदेश	1422	1487	1151	1116	1658	869	1393
छत्तीसगढ़	963	956	754	813	1396	590	1545
पंजाब	1306	1241	919	961	1483	811	1469
सभी अन्य राज्य	1309	1294	908	994	1676	1112	1395



परिशिष्ट तालिका 8.3: राज्य स्तर पर ग्रामीण इलाके में सामाजिक-धार्मिक श्रेणियों के हिसाब से प्रति व्यक्ति मासिक व्यय 2004-05 (वर्तमान मूल्य)

राज्य	सभी	हिंदू				मुस्लिम	अन्य सभी
		सभी हिंदू	अ जाति/	अन्य	सामान्य		
			जनजाति	पिछड़ा वर्ग			
संपूर्ण भारत	579	568	468	567	739	553	823
पश्चिम बंगाल	576	610	534	652	705	501	492
केरल	1031	970	722	986	1165	968	1286
उत्तर प्रदेश	539	544	465	544	696	509	620
बिहार	445	448	371	456	571	426	543
असम	577	615	578	606	675	511	524
जम्मू-कश्मीर	805	840	796	863	873	776	1095
झारखंड	439	448	407	462	571	423	405
कर्नाटक	543	526	440	538	599	532	1539
उत्तरांचल	649	652	579	632	697	600	718
दिल्ली	1056	1023	796	781	1146	1696	1960
महाराष्ट्र	597	603	459	614	693	576	520
आंध्र प्रदेश	604	604	490	593	786	610	572
गुजरात	645	644	527	594	932	668	600
राजस्थान	598	593	506	635	690	611	853
मध्य प्रदेश	461	458	373	492	640	475	1011
हरियाणा	905	913	604	794	1225	605	965
तमिलनाडु	602	597	492	632	940	724	640
उड़ीसा	422	424	340	455	562	447	312
हिमाचल प्रदेश	836	834	672	776	949	798	997
छत्तीसगढ़	445	445	408	471	555	473	451
पंजाब	905	852	732	802	1103	777	921
सभी अन्य राज्य	707	650	535	684	774	621	782



भारत में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति

परिशिष्ट तालिका 8.4: राज्य स्तर पर प्रति व्यक्ति मासिक व्यय में असमानता

राज्य	ग्रामीण	शहरी	सभी
संपूर्ण भारत	0.28	0.36	0.34
पश्चिम बंगाल	0.25	0.36	0.33
केरल	0.34	0.38	0.36
उत्तर प्रदेश	0.25	0.34	0.29
बिहार	0.19	0.30	0.22
असम	0.19	0.29	0.23
जम्मू-कश्मीर	0.21	0.24	0.24
झारखंड	0.20	0.31	0.29
कर्नाटक	0.23	0.36	0.34
उत्तरांचल	0.23	0.30	0.27
महाराष्ट्र	0.28	0.36	0.38
आंध्र प्रदेश	0.26	0.35	0.32
गुजरात	0.26	0.30	0.32
राजस्थान	0.22	0.31	0.26
मध्य प्रदेश	0.25	0.36	0.32
हरियाणा	0.30	0.32	0.32
तमिलनाडु	0.27	0.36	0.36
उड़ीसा	0.29	0.35	0.32
हिमाचल प्रदेश	0.28	0.26	0.30
छत्तीसगढ़	0.26	0.35	0.32
पंजाब	0.28	0.32	0.31
सभी अन्य राज्य	0.25	0.34	0.32



परिशिष्ट तालिका 8.5: 1983 से 2004-05 में शहरी इलाके में समय के साथ गरीबी का स्तर

राज्य शहरी	कुल			हिंदू						मुस्लिम			अन्य सभी					
	2004- 05	1993- 94	1987- 88	सभी हिंदू			अ जाति/जनजाति			अन्य हिंदू			2004- 05	1993- 94	1987- 88	2004- 05	1993- 94	1987- 88
संपूर्ण भारत	29	33	38	27	31	36	46	51	55	22	26	32	44	47	53	16	23	27
पश्चिम बंगाल	24	23	33	21	20	29	41	37	48	14	15	25	44	41	57	21	27	16
केरल	23	24	45	24	25	44	41	32	61	21	24	42	31	27	56	12	21	39
उत्तर प्रदेश	32	35	40	27	31	33	46	57	49	22	25	30	43	46	58	5	7	31
बिहार	42	34	53	38	31	52	70	52	62	33	26	49	57	46	57	4	29	36
असम	7	8	17	5	6	17	7	14	22	5	5	16	13	22	21	4	0	13
जम्मू-कश्मीर	10	5	13	9	5	14	16	7	35	7	5	10	11	23	13	5	0	8
झारखंड	22	-	-	20	-	-	51	-	-	12	-	-	44	-	-	28	-	-
कर्नाटक	33	40	49	30	36	46	54	61	65	24	30	42	49	58	64	16	23	35
उत्तरांचल	17	-	-	16	-	-	31	-	-	12	-	-	27	-	-	0	-	-
दिल्ली	21	16	16	21	15	16	46	47	44	10	5	8	29	30	21	2	6	5
महाराष्ट्र	33	35	35	28	32	33	43	57	61	24	28	28	55	50	48	30	32	34
आंध्र प्रदेश	34	38	45	32	37	42	48	47	55	27	35	40	49	49	57	22	26	40
गुजरात	18	28	40	16	25	37	21	42	57	15	22	32	34	47	54	2	23	27
राजस्थान	27	31	36	26	28	35	48	47	50	18	23	29	39	56	47	7	14	21
मध्य प्रदेश	48	48	43	45	47	42	69	65	67	37	40	35	70	60	52	7	31	39
हरियाणा	21	16	18	21	16	19	40	25	38	16	14	14	46	40	0	1	23	10
तमिलनाडु	28	40	42	29	40	43	50	57	65	25	36	40	24	46	44	21	34	30
उड़ीसा	50	41	43	49	40	42	74	57	62	42	35	37	51	68	69	51	24	37
हिमाचल प्रदेश	4	9	7	4	10	7	6	21	15	3	7	3	1	0	0	0	0	9
छत्तीसगढ़	46	-	-	47	-	-	50	-	-	45	-	-	62	-	-	11	-	-
पंजाब	10	11	13	11	11	14	19	24	25	8	7	11	21	23	33	6	11	10
सभी अन्य राज्य	10	13	19	11	14	21	21	15	38	9	14	19	19	15	24	4	9	11



परिशिष्ट तालिका 8.6: 1983 से 2004-05 में ग्रामीण इलाके में समय के साथ गरीबी का स्तर

राज्य शहरी	कुल			हिंदू									मुस्लिम			अन्य सभी		
				सभी हिंदू			अ जाति/जनजाति			अन्य हिंदू								
	2004-05	1993-94	1987-88	2004-05	1993-94	1987-88	2004-05	1993-94	1987-88	2004-05	1993-94	1987-88	2004-05	1993-94	1987-88	2004-05	1993-94	1987-88
संपूर्ण भारत	28	37	39	28	36	40	41	50	54	21	29	33	33	45	43	18	27	25
पश्चिम बंगाल	28	41	46	24	38	45	31	49	55	16	26	35	36	48	47	36	58	46
केरल	13	25	25	13	24	24	24	37	36	10	22	21	17	32	37	7	21	14
उत्तर प्रदेश	34	42	45	33	43	45	45	59	60	28	36	39	37	43	47	49	6	29
बिहार	42	58	58	41	56	57	64	71	71	32	49	52	52	67	62	33	66	60
असम	23	45	35	16	40	32	18	42	36	14	39	30	38	55	41	23	63	52
जम्मू-कश्मीर	3	18	26	3	16	26	4	20	38	2	14	20	3	47	27	11	5	9
झारखंड	43	-	-	41	-	-	52	-	-	33	-	-	44	-	-	51	-	-
कर्नाटक	24	30	31	25	30	31	36	43	48	20	24	26	27	34	31	1	24	30
उत्तरांचल	15	-	-	15	-	-	20	-	-	12	-	-	20	-	-	21	-	-
दिल्ली	7	2	1	7	2	2	0	12	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0
महाराष्ट्र	32	38	45	31	36	44	54	51	58	24	31	39	28	43	42	47	51	57
आंध्र प्रदेश	11	16	21	11	16	21	21	27	33	7	11	17	10	12	27	10	24	22
गुजरात	20	22	28	21	22	29	32	31	41	15	17	23	13	16	20	19	37	23
राजस्थान	18	26	31	18	26	32	29	42	44	11	17	24	14	32	27	13	15	4
मध्य प्रदेश	37	41	46	37	41	46	52	53	62	24	30	33	35	28	41	2	24	42
हरियाणा	13	28	15	12	26	15	26	45	30	7	18	9	26	53	31	9	33	7
तमिलनाडु	24	33	42	24	33	42	32	44	58	21	28	36	10	25	37	22	41	47
उड़ीसा	47	50	55	47	50	54	65	62	73	33	40	43	26	41	34	75	68	79
हिमाचल प्रदेश	8	30	16	8	31	16	15	42	20	5	26	15	4	36	4	9	12	6
छत्तीसगढ़	43	-	-	43	-	-	51	--	-	36	-	-	42	-	-	34	-	-
पंजाब	9	12	13	7	12	20	8	17	29	6	7	10	4	21	31	9	11	10
सभी अन्य राज्य	15	21	21	23	20	20	36	32	32	15	15	16	28	28	22	5	21	23



परिशिष्ट तालिका 9.1: सामाजिक-धार्मिक श्रेणी के हिसाब से भारतीय रेलवे में रोजगार का हिस्सा
(कर्मियों की संख्या: 14,18,747)

श्रेणी	सभी	हिंदू			मुस्लिम	अन्य अल्पसंख्यक
		सभी हिंदू	अ जाति/जनजाति	अन्य हिंदू		
उच्च पद	1.3	92.8	18.2	74.6	3.0 (22.4)	4.3
निम्न पद	98.7	88.6	22.5	66.1	5.0 (37.3)	6.4
समूह 'A'	0.7	93.8	17.8	76.0	2.5 (18.7)	3.7
समूह 'B'	0.6	91.5	19.0	72.6	3.4 (25.4)	5.0
समूह 'C'	59.7	88.5	22.0	66.5	4.9 (36.6)	6.5
समूह 'D'	37.4	88.7	23.4	65.3	5.0 (37.3)	6.3

नोट- उच्च पद: समूह a और समूह b का कुल

निम्न पद: समूह c, समूह d और अन्य का कुल

कोष्ठक में दिए गए आंकड़े मुस्लिमों का आबादी के अनुपात में भागीदारी दर्शाते हैं।

परिशिष्ट तालिका 9.2: राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियों में रोजगार का हिस्सा*
(कर्मियों की कुल संख्या: 5,19,008)

श्रेणी	सभी	हिंदू			मुस्लिम	अन्य अल्पसंख्यक
		सभी हिंदू	अ जाति/जनजाति	अन्य हिंदू		
उच्च पद	3.9	87.5	11.7	75.8	3.6 (26.9)	8.9
निम्न पद	96.1	88.7	24.4	64.4	4.6 (34.3)	6.7
समूह 'A'	1.3	86.0	11.9	74.1	3.1 (23.1)	10.9
समूह 'B'	2.6	88.2	11.6	76.6	3.9 (29.1)	7.9
समूह 'C'	91.5	88.7	23.8	64.9	4.6 (34.3)	6.7
समूह 'D'	4.2	89.3	36.8	52.5	4.3 (32.1)	6.4
अन्य	0.4	85.3	24.2	61.1	3.3 (24.6)	11.3

* आंकड़े सीमा सुरक्षा बल, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल एवं सशस्त्र सीमा सुरक्षा बल से प्राप्त कोष्ठक में दिए गए आंकड़े मुस्लिमों का आबादी के अनुपात में भागीदारी दर्शाते हैं।

परिशिष्ट तालिका 9.3: डाक एवं तार विभाग में कर्मचारियों का हिस्सा
(कर्मियों की कुल संख्या: 275841)

श्रेणी	सभी	हिंदू			मुस्लिम	अन्य अल्पसंख्यक
		सभी हिंदू	अ जाति/जनजाति	अन्य हिंदू		
उच्च पद	1.4	94.8	20.8	3.6	70.5	4.3
निम्न पद	98.6	94.2	27.4	10.0	56.9	5.0
समूह 'A'	0.1	93.7	23.0	3.0	67.7	3.8
समूह 'B'	0.3	95.0	20.5	3.6	70.8	4.4
समूह 'C'	59.8	94.6	27.6	7.6	59.4	4.8
समूह 'D'	38.8	93.6	27.0	13.6	53.1	5.3



भारत में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति

परिशिष्ट तालिका 9.4: राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए रोजगार के आंकड़े

राज्य	मुस्लिम जनसंख्या (%)	कर्मचारियों की कुल संख्या	सरकारी नौकरी में मुस्लिम कर्मचारी (%)	शिक्षा विभाग	स्वास्थ्य, महिला और शिशु कल्याण विभाग	गृह विभाग	परिवहन विभाग	अन्य विभाग
पश्चिम बंगाल	25.2	134972	2.1	-	1.0	7.1	-	2.4
केरल	24.7	268733	10.4	12.3	10.5	10.7	9.2	10.2
उत्तर प्रदेश	18.5	134053	5.1	--	5.6	9.8	4.2	5.0
बिहार	16.5	78114	7.6	12.3	2.6	6.9	10.9	7.6
असम	30.9	81261	11.2	--	10.8	11.3	11.8	11.7
झारखंड	13.8	15374	6.7	--	3.4	7.4	--	7.0
कर्नाटक	12.2	528401	8.5	11.9	5.0	4.2	7.5	7.0
दिल्ली	11.7	135877	3.2	7.2	1.7	2.2	1.1	0.9
महाराष्ट्र	10.6	915645	4.4	4.7	2.8	4.2	--	3.8
आंध्र प्रदेश*	9.2	876291	8.8	7.9	6.4	14.6	10.0	8.9
गुजरात	9.1	754533	5.4	4.5	1.5	5.6	16.3	5.3
तमिलनाडु	5.6	529597	3.2	5.5	3.5	2.5	2.4	2.2
राज्यों का कुल	15.4	4452851	6.3	6.5	4.4	7.3	6.5	6.0

* समूह ABCD के कर्मचारियों के लिए आंकड़े नहीं दिए गए हैं शिर्ष कुल कर्मचारियों और कुल मुस्लिम कर्मचारियों के आंकड़े उपलब्ध

परिशिष्ट तालिका 9.5: राज्य में मुस्लिम कर्मियों की संख्या - शिक्षा विभाग
(कर्मियों की संख्या : 15,46,861)

राज्य	मुस्लिम आबादी (%)	समूह A	समूह B	समूह C	समूह D	अन्य
केरल	24.7	16.2	8.6	11.2	13.1	-
बिहार	16.5	2.4	17.1	10.2	13.9	-
कर्नाटक	12.2	6.7	4.7	12.6	5.1	-
दिल्ली	11.7	5.9	-	7.6	-	4.7
महाराष्ट्र	10.6	2.7	3.4	4.7	7.6	-
गुजरात	9.1	1.7	-	4.5	-	-
तमिलनाडु	5.6	3.7	5.9	5.4	5.0	-
राज्यों का कुल	12.3	5.6	5.7	6.2	6.0	4.7



परिशिष्ट तालिका 9.6: राज्य में मुस्लिम कर्मचारियों की कुल संख्या - गृह विभाग (कर्मियों की कुल संख्या : 6,37,146)

राज्य	मुस्लिम आबादी (%)	समूह A	समूह B	समूह C	समूह D	अन्य
पश्चिम बंगाल	25.2	16.6	9.8	6.0	0.1	4.5
केरल	24.7	7.3	10.9	10.6	11.5	10.6
उत्तर प्रदेश	18.5	15.4	6.1	9.9	11.1	-
बिहार	16.5	8.1	5.9	7.5	0.0	0.0
असम	30.9	2.0	9.5	11.5	6.1	-
झारखंड	13.8	4.2	6.9	7.7	5.9	-
कर्नाटक	12.2	2.1	4.5	4.2	4.2	-
दिल्ली	11.7	4.0	1.5	2.3	2.2	0.9
महाराष्ट्र	10.6	1.9	4.2	4.2	5.0	1.8
गुजरात	9.1	7.9	3.7	2.1	0.0	5.8
तमिलनाडु	5.6	0.0	-	-	2.6	-
राज्यों का कुल	14.8	8.0	8.7	5.7	4.0	5.7

परिशिष्ट तालिका 9.7: राज्य में मुस्लिम कर्मचारियों की कुल संख्या - स्वास्थ्य विभाग (कर्मियों की कुल संख्या : 4,01,956)

राज्य	मुस्लिम आबादी (%)	समूह A	समूह B	समूह C	समूह D	अन्य
पश्चिम बंगाल	25.2	1.6	1.2	1.2	0.0	2.7
केरल	24.7	0.0	11.2	10.6	9.1	-
उत्तर प्रदेश	18.5	0.0	4.4	7.0	3.2	5.2
बिहार	16.5	-	-	2.6	-	-
असम	30.9	8.0	-	11.2	-	10.4
झारखंड	13.8	11.4	3.1	4.0	1.5	-
कर्नाटक	12.2	3.3	12.4	5.2	4.5	-
दिल्ली	11.7	1.0	-	1.7	-	2.1
महाराष्ट्र	10.6	2.9	1.6	3.3	-	-
गुजरात	9.1	2.2	0.0	0.8	1.8	4.1
तमिलनाडु	5.6	4.4	4.6	3.3	3.3	-
राज्यों का कुल	16.0	3.7	5.1	3.4	3.0	5.0

परिशिष्ट तालिका 9.8: राज्य में मुस्लिम कर्मचारियों की संख्या - परिवहन विभाग (कर्मचारियों की कुल संख्या : 2,10,989)

राज्य	मुस्लिम आबादी (%)	समूह A	समूह B	समूह C	समूह D	अन्य
केरल	24.7	10.0	0.0	9.3	9.2	-
उत्तर प्रदेश	18.5	-	1.9	2.6	6.5	-
बिहार	16.5	0.0	8.7	6.4	24.3	-
असम	30.9	10.0	14.1	14.4	11.0	11.5
कर्नाटक	12.2	14.0	18.8	7.3	5.7	-
दिल्ली	11.7	4.6	0.0	1.2	1.0	-
गुजरात	9.1	9.4	-	-	17.1	11.5
तमिलनाडु	5.6	2.4	1.0	2.6	3.3	-
राज्यों का कुल	15.7	5.0	1.4	2.8	12.7	11.5



भारत में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति

परिशिष्ट तालिका 9.9: वुनिंदा राज्यों के अन्य सभी विभागों में मुस्लिमों का रोजगार में हिस्सा (कर्मियों की संख्या : 15,95,349)

राज्य	मुस्लिम आबादी (%)	समूह A	समूह B	समूह C	समूह D	अन्य
पश्चिम बंगाल	25.2	4.1	4.4	5.7	6.6	1.4
केरल	24.7	9.3	8.8	11.3	8.8	9.5
उत्तर प्रदेश	18.5	4.6	8.2	4.1	5.5	7.4
बिहार	16.5	8.0	7.3	7.2	8.2	7.4
असम	30.9	11.5	12.6	12.9	9.2	10.8
झारखंड	13.8	3.7	3.6	10.0	4.7	-
कर्नाटक	12.2	5.4	4.9	7.6	6.7	-
दिल्ली	11.7	0.9	-6.9	4.1	1.1	0.8
महाराष्ट्र	10.6	2.2	2.1	3.4	4.3	6.0
तमिलनाडु	5.6	4.1	2.8	2.3	1.7	-
राज्यों का कुल	16.6	5.4	5.6	5.6	5.1	2.8

परिशिष्ट तालिका 9.10: न्यायपालिका रोजगार में मुस्लिमों का हिस्सा (कर्मियों की संख्या : 98593)

राज्य	मुस्लिम कर्मियों का भाग	एडवोकेट जनरल	जिला एवं सेशन जज	अतिरिक्त जिला एवं सेशन जज	मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी	अस्थायी जज	गृहिण	लोक अभियोजक	समूह A	समूह B	समूह C	समूह D
पश्चिम बंगाल	5.0	0.0	4.8	7.7	7.8	0.0	3.2	5.4	2.3	3.4	4.3	7.1
केरल	12.3	-	-	-	-	-	-	-	9.4	13.0	12.7	12.1
उत्तर प्रदेश	10.9	-	3.1	8.4	7.5	0.0	10.7	4.7	8.6	16.0	10.4	11.9
असम	9.4	0.0	0.0	12.2	9.5	50.0	15.3	16.8	0.0	0.0	9.0	9.7
जम्मू-कश्मीर	48.3	51.1	-	42.9	-	0.0	39.7	59.3	59.1	48.8	49.3	-
कर्नाटक	4.0	-	0.0	6.0	3.4	20.0	2.2	-	2.9	5.3	3.9	4.9
झारखंड	8.4	0.0	2.9	4.0	0.0	0.0	5.3	0.0	7.4	7.4	8.1	10.4
उत्तरांचल	3.9	-	0.0	0.0	0.0	0.0	12.2	-	0.0	3.2	3.8	3.8
दिल्ली	1.3	-	0.0	0.0	-	-	0.7	-	3.3	0.9	1.0	1.8
महाराष्ट्र	8.1	-	2.3	7.6	8.2	0.0	8.1	6.4	7.5	10.1	7.4	10.7
आंध्र प्रदेश	12.4	5.0	1.8	4.3	5.0	-	-	3.1	11.9	12.0	10.9	16.8
राजस्थान	5.1	-	3.0	4.7	2.3	0.0	4.2	-	5.9	5.0	8.9	5.4
मध्य प्रदेश	6.0	-	7.2	3.8	6.9	8.3	8.8	-	0.0	3.9	6.8	4.2
उड़ीसा	1.5	-	1.4	-	0.0	0.0	1.8	-	0.0	0.6	1.6	1.5
छत्तीसगढ़	6.9	-	4.2	0.0	4.3	0.0	4.7	100	9.0	0.0	4.5	2.8
राज्यों का कुल	8.0	20.0	2.7	5.7	5.2	4.3	7.2	7.8	7.7	7.7	7.8	9.0
राज्यों का कुल (जम्मू कश्मीर छोड़कर)	7.8	3.5	2.7	5.5	5.2	4.4	5.8	6.3	6.8	7.1	7.7	9.0



परिशिष्ट तालिका 9.11: सार्वजनिक उपकरणों की नौकरियों में मुस्लिमों का भाग (कर्मियों की संख्या: 7,63,439)

राज्य	उच्च पद	निम्न पद	समूह A	समूह B	समूह C	समूह D	अन्य
पश्चिम बंगाल	1.2	6.3	0.0	1.2	6.3	5.1	-
केरल	9.5	11.1	9.5	9.6	9.3	11.7	-
उत्तर प्रदेश	6.2	5.3	7.9	5.5	6.4	4.9	7.1
बिहार	8.6	6.4	1.5	11.0	6.6	4.2	11.1
कर्नाटक	8.6	9.9	7.1	9.2	7.8	14.7	8.4
दिल्ली	2.1	5.6	0.0	2.2	2.9	6.6	0.0
महाराष्ट्र	1.9	1.1	1.6	3.8	-	1.1	7.9
गुजरात	8.5	16.0	9.9	5.5	16.7	15.4	4.3
तमिलनाडु	3.2	2.6	2.6	3.3	2.6	2.5	-
राज्यों का कुल	7.4	9.9	7.2	7.5	9.3	10.9	8.3

परिशिष्ट तालिका 9.12: बुनिंदा लाभदायक योजनाओं में मुस्लिमों तक लाभ की पहुंच का सालाना औसत, 2002-03 से 2005-06

विभाग / योजना का नाम	केरल (24.7)		उत्तर प्रदेश (18.5)		कर्नाटक (12.2)		उत्तरांचल (11.9)		महाराष्ट्र (10.6)		गुजरात (9.1)		तमिलनाडु (5.6)	
	उप. तक पहुंच(%)	मुस्लिमों तक पहुंच(%)	उप. तक पहुंच(%)	मुस्लिमों तक पहुंच(%)	उप. तक पहुंच(%)	मुस्लिमों तक पहुंच(%)	उप. तक पहुंच(%)	मुस्लिमों तक पहुंच(%)	उप. तक पहुंच(%)	मुस्लिमों तक पहुंच(%)	उप. तक पहुंच(%)	मुस्लिमों तक पहुंच(%)	उप. तक पहुंच(%)	मुस्लिमों तक पहुंच(%)
कृषि विभाग														
1. फसल बीमा योजना (राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना)														
a) लाभान्वित किसानों की संख्या	15874	13.0							1395402	3.1			128094	7.3
b) सक्रिय प्रीमियम (लाख में)	23.37	11.7	245.94	6.6					2667.09	3.5			308.11	1.6
c) आवा निपटारा (लाख में)	72.18	10.6	290.62	4.2					10947.44	5.2	144	3.5	2062.05	1.6
2. कार्य योजना के तहत क्षेत्र मशीनीकरण कार्यक्रम														
a) हाइटेक और नई डिजाइन के कृषि औजारों की आपूर्ति					4954	4.3	506	5.5	1115	1.5			24	2.7
b) बिजलीवाहित हल की आपूर्ति(संख्या)	102	9.2			1154	3.6	13	38.5	272	2.9	142	1.4	691	1.2
c) छोटे ट्रैक्टरों की आपूर्ति(संख्या)	21	9.5			445	5.6	280	8.2			407	4.1	106	0.9
d) व्यय (लाख में)					810	4.0			293	0.7			256	1.0
सहकारी विभाग														
1. सहकारी ऋण														
a) अल्पकालिक ऋण वितरण (करोड़ में)	5418.16	24.5	1355.94	8.3	1486.62	4.6	142.87	6.5					803.77	2.9
b) मध्यकालिक ऋण वितरण (करोड़ में)	2062.87	25.0	34.20	6.8	71.96	8.1	22.76	6.8					60.22	8.9
c) दीर्घकालिक ऋण वितरण (करोड़ में)	226.38	25.0	605.22	9.5	126.93	1.5							89.37	2.2
ग्रामीण विकास विभाग														
1. संपूर्ण ग्रामीण योजना योजना														
a) लाख में	96.92	12.1			116.09	4.5	86.56	1.5						
b) अन्न अनुदान(लाख टन में)	83926	12.3			168461	5.9	55855	1.1						
c) व्यय (लाख में)	10491	12.2			7406	3.0								
2. स्वर्णज्यंती ग्राम योजना														
a) सहायता प्राप्त समूह(स्वसहाय समूह)			942	4.9	2568	14.9	2638.5	3.3						



भारत में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति

विभाग / योजना का नाम	केरल (24.7)		उत्तर प्रदेश (18.5)		कर्नाटक (12.2)		उत्तरांचल (11.9)		महाराष्ट्र (10.6)		गुजरात (9.1)		तमिलनाडु (5.6)	
	उप. तक	मुस्लिमों तक	उप. तक	मुस्लिमों तक	उप. तक	मुस्लिमों तक	उप. तक	मुस्लिमों तक	उप. तक	मुस्लिमों तक	उप. तक	मुस्लिमों तक	उप. तक	मुस्लिमों तक
	पहुंच.(%)	पहुंच.(%)	पहुंच.(%)	पहुंच.(%)	पहुंच.(%)	पहुंच.(%)	पहुंच.(%)	पहुंच.(%)	पहुंच.(%)	पहुंच.(%)	पहुंच.(%)	पहुंच.(%)	पहुंच.(%)	पहुंच.(%)
b) स्वयंसेवकीय सहायताप्राप्त	6975	10.6	10617	3.0	10631.5	8.4	8191	5.0						
c) व्यय (लाख में)	2187	10.5			1449	3.7								
3. समग्र सफाई अभियान (निर्मल ग्रामीण योजना)														
a)घरेलू शौचालय (संख्या)	119222	5.8	343138	14.1										
b) व्यय (लाख में)	1300	5.8	6107	11.1										
उर्जा														
शान्तिज्योति एवं कुटीरज्योति कार्यक्रम														
(विद्युतीकृत घरों की संख्या)	234388	13.9			1514877	5.3			10004	2.6				
हस्तकरघा एवं कपड़े														
1.बुनकरों के लिए घर एवं काम की जगह														
a) काम की जगह का निर्माण (संख्या)					933	0.9			147	78.9			6024	0.2
c) व्यय (लाख में)					166	4.8			14	80.8			276	0.4
2.स्वास्थ्य योजना														
a) लाभान्वित बुनकर					3081	5.6			668	10.5			17375	0.1
c) व्यय (लाख में)					24	4.7			1	16.4			111	0.2
3.हस्तकरघा बुनकरों के लिए														
बचत से जुड़ी बीमा योजना														
a) लाभान्वित बुनकर					16901	3.3							70	1.4
c) व्यय (लाख में)					12	5.1							35	1.4
कुटीर उद्योग														
a) इकाई (संख्या)			30375	18.8	9397	10.5	2622	4.4						
b) निवेश (लाख में)			27384.75	15.8	30701.33	10.4	3767.60	3.1						
c) कार्यरत व्यक्ति (संख्या)			119270	14.0	42760	10.5	5963	4.4						
स्वास्थ्य विभाग														
1.राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम														
a)जांच किए गए लोगों की संख्या					26883	9.9							11337	5.1
b)संभावना वाले लोगों की संख्या					6655	6.8	88	4.0					2879	5.0
c)एड्स रोगियों की संख्या					1726	5.7	13	7.7					2879	5.0
2.पुनरीक्षित राष्ट्रीय टीवी नियंत्रण कार्यक्रम (नए रेगी पाए गए)	9432	28.2			54739	10.4	5316	14.8			28895	7.0	267539	5.0
3.राष्ट्रीय अंधता नियंत्रण कार्यक्रम														
(ऑपरेशन की संख्या)	79056	21.1			265413	2.3					458860	5.9	446328	0.3
4. बंध्याकरण-पुरुष नसबंदी (संख्या)	1580	14.5	5683	4.0	857	4.4	1782	1.7	40510	2.7	1696	1.7	700	2.8
5.बंध्याकरण-महिला नसबंदी (संख्या)	149186	24.7	479899	6.2	382438	11.3	30134	2.2	646382	7.4	269312	9.1	421085	5.4
6.आईयूडी (संख्या)	76696	7.3	2080034	12.7	301143	13.6	110584	7.1	456738	8.8	439067	9.3	421623	7.8
7.आईएमए से पंजीकृत डॉक्टरों की संख्या	57344	7.4	53549	6.5	24200	9.3	1325	0.1	3962	4.5	1388	2.2	1821	3.9
8.नर्सिंग कौंसिल से पंजीकृत नर्सों की संख्या	89343	1.4	18200	2.9	6493	2.0			3654	1.4	228	3.5	5020	0.7



विभाग / योजना का नाम	केरल (24.7)		उत्तर प्रदेश (18.5)		कर्नाटक (12.2)		उत्तरांचल (11.9)		महाराष्ट्र (10.6)		गुजरात (9.1)		तमिलनाडु (5.6)	
	उप. तक पहुंच(%)	मुस्लिमों तक पहुंच(%)	उप. तक पहुंच(%)	मुस्लिमों तक पहुंच(%)	उप. तक पहुंच(%)	मुस्लिमों तक पहुंच(%)	उप. तक पहुंच(%)	मुस्लिमों तक पहुंच(%)	उप. तक पहुंच(%)	मुस्लिमों तक पहुंच(%)	उप. तक पहुंच(%)	मुस्लिमों तक पहुंच(%)	उप. तक पहुंच(%)	मुस्लिमों तक पहुंच(%)
शहरी विकास विभाग														
स्वर्णजयंती शहरी रोजगार योजना														
1. शहरी स्वरोजगार कार्यक्रम														
a) शहरी इलाके में महिलाओं एवं बच्चों का विकास, क्षेत्र (समूहों की संख्या)			182	49.4	11255	30.0			911	5.7	1461	22.8		
b) बचत एवं कर्ज सोसाइटी (समूहों की संख्या)			1682	48.0	6682	25.0			3628	15.2	1631	21.4		
c) सूक्ष्म प्रयास (लाभान्वितों की संख्या)			5321	24.8	40231	20.0			916	39.0	3623	14.8		
d) शहरी इलाके में बेरोजगार एवं अकुशल नौजवानों को प्रशिक्षण (संख्या)			15969	20.8	63313	21.0			7943	15.6	9583	5.5		
e) व्यय (लाख में)			368	23.1	5629	22.0					299	35.3		
2. शहरी वैतनिक रोजगार कार्यक्रम														
a) मेंडेंस			251262	26.9	27834382	15.0			59166	21.1	57712	2.6		
e) व्यय (लाख में)			576	22.0	4732	15.0					257	16.8		
महिला एवं शिशु विकास														
1. स्वयं सहायता समूह 1 (संख्या)	39160	17.2			1512685	7.0			168855	1.0				
2. बालिका समृद्धि योजना (लाभान्वितों की संख्या)	66084	17.0	45	14.2	18096	6.8								
गृहनिर्माण														
a) कमजोर लोगों को गृह स्थल (ग्रामीण एवं शहरी) संख्या											22584	4.5		
b) आश्रय सहायता प्राप्त गृह (संख्या)	6191	10.4			112063	5.9								
c) इंदिरा आवास योजना														
i) नए घरों का निर्माण (संख्या)	24920	7.1			39160	3.1								
ii) घरों का नवीनीकरण (संख्या)	12335	7.2												
राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम														
राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (लाभान्वितों की संख्या)			1281282	13.4					483598	10.2	45881	12.1		
राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना (लाभान्वितों की संख्या)			22264	11.3					13775	8.8	4913	13.9		

नोट : 1. कर्नाटक में सदस्यों की संख्या, 2. उन राज्यों का विश्लेषण है जिन्होंने योजनाओं के पर्याप्त आंकड़े उपलब्ध कराए
3. राज्य के बाद कोष्ठक में दर्शाए आंकड़े मुस्लिम आबादी का प्रतिशत हैं।



परिशिष्ट तालिका 9.13: राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम द्वारा वितरित राशि में मुस्लिमों का हिस्सा और सामयिक ऋण योजना के तहत लाभान्वितों की सूची अप्रैल 2002 - मार्च 2006

राज्य	अल्पसंख्यक आबादी में मुस्लिमों की प्रतिशत भागीदारी	वितरित राशि (लाख में)			सहायताप्राप्त लाभान्वित (वास्तविक)		
		कुल	मुस्लिम	मुस्लिमों का भाग (%)	कुल	मुस्लिम	मुस्लिमों का भाग (%)
केरल	56.5	9037	4037	44.7	22985	10977	47.8
बिहार	95.6	1497	1429	95.5	3821	3655	95.7
उत्तर प्रदेश	78.3	5504	5254	95.5	17480	14222	81.4
असम	88.4	350	339	96.8	963	932	96.8
जम्मू-कश्मीर	95.2	851	769	90.4	1464	1317	90.0
झारखंड	40.9	200	186	92.9	336	290	86.3
कर्नाटक	80.8	2688	1990	74.0	6501	4566	70.2
उत्तरांचल	79.5	350	313	89.5	591	513	86.8
दिल्ली	69.5	275	213	77.5	593	435	73.4
महाराष्ट्र	58.3	1700	1020	60.0	2859	1556	54.4
आंध्र प्रदेश	84.8	2265	2146	94.8	20409	19360	94.9
गुजरात	92.4	1400	1359	97.1	3325	3163	95.1
राजस्थान	84.1	243	222	91.2	741	706	95.3
मध्य प्रदेश	73	180	172	95.9	403	385	95.5
हरियाणा	50.3	932	542	58.1	2065	1264	61.2
तमिलनाडु	47.7	650	502	77.2	1373	999	72.8
उड़ीसा	37.2	244	231	94.8	639	600	93.9
हिमाचल प्रदेश	43.3	383	246	64.2	412	281	68.2
छत्तीसगढ़	69.2	50	0	0.0	0	0	
पंजाब	2.5	592	2	0.3	1080	4	0.4
सभी अन्य	11.1	2432	69	2.8	3577	129	3.6
कुल	70.5	40009	29173	72.9	114709	88025	76.7



परिशिष्ट तालिका 9.14: प्रादेशिक योजनाओं में पिछड़े वर्ग व अल्पसंख्यक विभाग/निगम द्वारा अल्पसंख्यक या मुस्लिमों की भलाई के लिए चलाए जाने वाले कार्यक्रमों में हुआ व्यय और लाभान्वित व्यक्ति का सालाना औसत, 2002-03 से 2004-05

राज्य/विभाग	व्यय (लाख में)		लाभान्वित व्यक्ति	
	कुल	मुस्लिमों का जुड़ाव (%)	कुल	लाभान्वित मुस्लिम (%)
पश्चिम बंगाल (25.2)				
अल्पसंख्यक विकास व कल्याण विभाग,	182	100.0	3401	100.00
पश्चिम बंगाल अल्पसंख्यक विकास व वित्त निगम	6198	96.8	14217	97.81
केरल (24.7)				
पिछड़े वर्ग का कल्याण	10782	14.6	38100	10.88
अल्पसंख्यकों के कल्याण	3309	45.9	7716	44.14
उत्तर प्रदेश (18.5)				
अल्पसंख्यक महानिदेशालय	49101	98.0		
उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक वित्तीय एवं विकास निगम	4776	92.0	19144	92.00
असम (30.9)				
असम अल्पसंख्यक विकास बोर्ड	125	95.1	1747	94.67
असम अल्पसंख्यक विकास व वित्त निगम	76	96.6	620	94.45
असम वर क्षेत्र विकास महानिदेशालय	610	77.6	49692	84.48
कर्नाटक (12.2)				
अल्पसंख्यक विभाग	1983	51.0	16050	52.46
कर्नाटक अल्पसंख्यक विकास व वित्त निगम	3653	81.8	27599	84.21
महाराष्ट्र (10.6)				
मौलाना आजाद अल्पसंख्यक आर्थिक विकास मंडल	1591	98.6	2654	98.64
महाराष्ट्र राज्य इतर मगसवर्गीय वित्त अनी विकास महामंडल लिमिटेड	4418	10.7	7708	9.56
गुजरात (9.1)				
गुजरात अल्पसंख्यक विकास व वित्त निगम	1702	99.4	5659	99.49
गुजरात पिछड़ा वर्ग विकास प्राधिकरण	3367	5.9	8941	10.11
उड़ीसा (2.1)				
अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग विकास विभाग	211	99.7	569	99.65

राज्य के बाद कोष्ठक में दर्शाए आंकड़े मुस्लिम आबादी का प्रतिशत हैं।



परिशिष्ट 9.15

सं.39016(S)89-Estt.(B)

भारत सरकार

निजी, सार्वजनिक शिकायत व पेंशन मंत्रालय
(कर्मचारी व प्रशिक्षण विभाग)

नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली.110001

दिनांक 16 अगस्त, 1990

कार्यालय ज्ञापन

विषय: चुनाव बोर्डों/ समितियों में अनुसूचित जाति/ जनजाति और अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व ।

जैसा कि भारत सरकार के विभाग/ मंत्रालय जानते ही हैं, इस विभागीय कार्यालय ज्ञापन में यह निर्देश दिये गए हैं:

सं16/1/74-Estt.(SCT) दिनांक 23 मई, 1975 में यह जरूरी बताया गया है कि उनके अंतर्गत आने वाले पदों/ शिक्तियों पर नियुक्ति के लिए बनाई गई चुनाव बोर्डों/ समितियों में अनुसूचित जाति/ जनजाति का एक अधिकारी नामांकित किया जाए। इस विभागीय कार्यालय ज्ञापन सं39016/6(s)/87-Estt(B) दिनांक 10 जून, 1987, में मंत्रालय/ विभागों को यह निर्देशित किया गया कि अल्पसंख्यक समुदाय के एक सदस्य को भी समूह 'सी' एवं समूह 'डी' के पद पर नियुक्ति के लिए बोर्डों/ समितियों में उसकी स्वीकृत संख्या के अंदर ही एक अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्य को भी नामांकित किया जाना जरूरी है। यी देखा गया कि उपर दिए गए निर्देशों के बावजूद विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा बनाए गए कई चयन बोर्डों/ समितियों में अनुसूचित जाति/जनजाति और अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधि नहीं थे।

2 इस मामले का पुनर्निरीक्षण किया गया और उपर दिए गए निर्देशों में कुछ बदलाव किए गए हैं। VC समूह सी/डी में दस या अधिक शिक्तियों की नियुक्ति के लिए यह आवश्यक होगा कि चयन समितियों/बोर्डों में अनुसूचित जाति/जनजाति और अल्पसंख्यक समुदाय का एक-एक सदस्य अवश्य हो। पर अगर दस से कम शिक्तियों के लिए भी चयन करना हो तो ऐसी समिति या बोर्ड के लिए एक अनुसूचित जाति/जनजाति का अधिकारी और एक अल्पसंख्यक अधिकारी को ढूंढने के प्रयास में कोताही नहीं बरती जानी चाहिए।

3. सार्वजनिक उपक्रमों के विभाग और वित्त मंत्रालय द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों व बैंकों को चलाने वाले वित्तीय संस्थानों के लिए भी इसी प्रकार के निर्देश जारी किए जाएंगे।

4. इसके पश्चात हिंदी संस्करण भी आएगा।

अधिकारिक हस्ताक्षरकर्ता

(जे एस माथुर)

भारत सरकार के संयुक्त सचिव

प्रतिलिपि

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय एवं विभागों को
2. संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली
3. कर्मचारी चयन आयोग, नई दिल्ली
4. केंद्रीय सतर्कता आयोग
5. सार्वजनिक उपक्रमों के विभाग
6. वित्त मंत्रालय (बैंकिंग एवं बीमा विभाग, नई दिल्ली)
7. निजी, सार्वजनिक शिकायतों एवं पेंशन से संबंधित विभाग
8. निजी, सार्वजनिक शिकायत शिकायत मंत्रालय के सभी अधिकारियों एवं विभागों को

यह निवेदन किया जाता है कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम और वित्तीय संस्थानों, जिनमें सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और बीमा निगम भी शामिल हैं, को भी ऐसे ही निर्देश जारी किए जा सकते हैं।



परिशिष्ट तालिका 10.1: भारत में राज्यवार अनुसूचित जाति के मुसलानों की आबादी, जनगणना 1991

राज्य/संघीय राज्य	अनुसूचित जनजाति		अनुसूचित जनजाति मुस्लिम		
	आबादी (वास्तविक संख्या)	प्रतिशत हिस्सा	आबादी (वास्तविक संख्या)	कुल अनुसूचित जाति की आबादी का प्रतिशत	कुल मुस्लिम आबादी का प्रतिशत
भारत	67758285	8.57	170428	0.25	0.16
अंडमान निकोबार	26770	9.54	760	2.84	3.55
आंध्र प्रदेश	4199481	6.31	1526	0.04	0.02
अरुणाचल प्रदेश	550351	63.66	154	0.03	1.29
असम	2874441	12.83	920	0.03	0.01
बिहार	6616914	7.66	11881	0.18	0.11
दादरा एवं नागर हवेली	109000	78.99	55	0.05	1.64
दमन व दीव	12000	11.54	123	1.05	1.35
गोआ	376	0.03	4	1.06	0.006
गुजरात	6161775	14.92	8894	0.14	0.24
हिमाचल प्रदेश	218349	4.22	15291	7.00	17.15
कर्नाटक	1915691	4.26	488	0.03	0.009
केरल	320967	1.1	230	0.07	0.003
लक्षद्वीप	48163	93.15	48040	99.74	98.51
मध्य प्रदेश	15399034	23.27	5380	0.03	0.18
महाराष्ट्र	7318281	9.27	60478	0.83	0.79
मणिपुर	632173	34.41	370	0.05	0.27
मेघालय	1517927	85.53	1627	0.11	2.64
मिजोरम	653565	94.75	336	0.05	7.40
नागालैंड	1060822	87.70	642	0.06	3.11
उड़ीसा	7032214	22.21	1609	0.02	0.27
राजस्थान	5474881	12.44	3157	0.06	0.08
सिक्किम	90901	22.36	28	0.03	0.72
तमिलनाडु	574194	1.03	672	0.12	0.02
त्रिपुरा	853345	30.95	473	0.06	0.24
उत्तर प्रदेश	287910	0.21	1821	0.63	0.007
पश्चिम बंगाल	3808760	5.6	5469	0.14	0.03

स्रोत- भारत की जनगणना 1991

नोट1. जम्मू कश्मीर छोड़कर जहाँ 1991 में जनगणना नहीं की गई।

2. पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, पाँडिचेरी और दिल्ली में अनुसूचित जाति नहीं है।

परिशिष्ट तालिका 10.2: 15-64 वर्ष के बीच की आबादी में मुख्य रूप से और दैनिक कामगार आबादी का अनुपात - 2004-05

सेक्टर	सभी	हिंदू-अन्य पिछड़ा वर्ग	मुस्लिम-अन्य पिछड़ा वर्ग	मुस्लिम सामान्य
कुल	64.4	67.3	53.9	55.6
शहरी	52.7	56.4	50.6	51.4
ग्रामीण	68.9	70.5	55.6	57.8
पुरुष	84.6	85.8	83	85.5
महिला	43.6	48.3	26.9	24

नोट: राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संस्थान (2004-5) के 61 वें वक की सारिणी 10 से अनुमानित



भारत में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति

परिशिष्ट तालिका 10.3: सार्वजनिक क्षेत्र के रोजगार में प्रतिनिधित्व

श्रेणी	हिंदू-अन्य पिछड़ा वर्ग	मुस्लिम-सामान्य	मुस्लिम-अन्य पिछड़ा वर्ग
केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियां			
उच्च पद	4.6	0.4	3.2
निम्न पद	11.7	1.0	3.6
स्तर A	5.4	0.3	2.8
स्तर B	4.1	0.5	3.4
स्तर C	11.8	1.0	3.6
स्तर D	10.0	1.1	3.2
अन्य	1.8	0.3	3.0
कुल	11.4	1.0	3.6
रेलवे			
उच्च पद	2.8	2.8	0.2
निम्न पद	9.4	4.5	0.4
स्तर A	3.5	2.3	0.2
स्तर B	2.0	3.3	0.1
स्तर C	8.7	4.6	0.3
स्तर D	10.5	4.5	0.5
कुल	9.3	4.5	0.4
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम: केंद्रीय			
प्रबंधन -I	5.3	1.9	0.3
प्रबंधन -II	10.4	2.6	0.2
कर्मचारी	9.2	3.1	0.8
कुल	8.3	2.7	0.6
राज्य लोक सेवा आयोग: साक्षात्कार			
उच्च पद	21.0	5.4	1.9
निम्न पद	20.5	2.6	0.7
स्तर A	17.5	10.4	3.0
स्तर B	23.2	2.1	1.6
स्तर C	20.0	1.8	0.7
स्तर D	31.7	17.1	0.8
कुल	20.9	4.8	1.6
राज्य लोक सेवा आयोग: अनुशंसित/चयनित			
उच्च पद	21.0	1.9	1.2
निम्न पद	29.1	0.6	0.8
स्तर A	18.8	6.1	1.3
स्तर B	20.0	0.6	1.4
स्तर C	19.6	1.4	0.9
स्तर D	32.2	0.3	0.8
कुल	27.0	0.9	0.9

नोट: संबंधित एजेंसियों द्वारा दिए गए आंकड़ों के अनुसार



नोट

सामाजिक-धार्मिक श्रेणियों की आबादी का आय के स्तर के हिसाब से वर्गीकरण : एक अध्ययन

सामाजिक-धार्मिक श्रेणियों में विभिन्नताओं का पता लगाने के लिए हर श्रेणी की कुल आबादी को तीन वर्गों में बांटने का प्रयास किया गया है, निम्न आय, मध्यम आय एवं उच्च आय

- गरीबी रेखा से नीचे जो व्यक्ति आते हैं, उन्हें स्पष्ट रूप से निम्न आय वाला माना जा सकता है। गरीबी रेखा में शहरी इलाके में 567 रुपये और ग्रामीण इलाके में 361 रुपये को मानक रखा गया है।
- उच्च आय वर्ग की पहचान के लिए न्यूनतम व्यय एक लाख रुपये²³ माना गया है। प्रति व्यक्ति आय को समझने के लिए इस व्यय को औसत परिवार के आकार²⁴ से भाग दिया गया है। शहरी इलाके में प्रति व्यक्ति मासिक व्यय न्यूनतम 1491 रुपये और ग्रामीण इलाके में 1368 रुपये माना गया है।
- बकाया आबादी, जो न तो निम्न आय में आती है और न उच्च आय में, को मध्यम आय का माना गया है। इस हिसाब से ग्रामीण इलाके में 361 रुपये से 1368 रुपये तक और शहरी इलाके में 567 रुपये से 1491 रुपये तक की आय वालों को मध्यम आय वर्ग का माना गया है।

उपर बताए गए न्यूनतम व्यय के हिसाब से अलग अलग सामाजिक-धार्मिक श्रेणियों की ग्रामीण, शहरी और कुल²⁵ आबादी को तीन वर्गों में बांटा गया है। परिशिष्ट तालिका 10.4 में इन्हें आकलनों को बताया गया है।

23 यह न्यूनतम आय भारत में आकर लम्बे काल के उद्देश्य से तब की गई है परंतु इन आकलनों में जो आंकड़े इस्तेमाल किए गए हैं, वे वार्षिक व्यय के हैं।

24 शहरी इलाके में औसत परिवार का आकार 5.59 है और ग्रामीण इलाके में 6.09 है।

25 कुल आबादी के लिए शहरी और ग्रामीण इलाके के आंकड़ों को जोड़ा गया है।

परिशिष्ट तालिका 10.4: आय समूह (खर्च) के आधार पर सामाजिक-धार्मिक श्रेणियों का विवरण

सामाजिक-धार्मिक श्रेणी	शहरी			ग्रामीण			कुल			
	निम्न आय	मध्यम आय	उच्च आय	निम्न आय	मध्यम आय	उच्च आय	निम्न आय	मध्यम आय	उच्च आय	
हिंदू-सामान्य	8.3	58.4	33.3	9.3	84.1	6.6	8.9	73.9	17.2	
हिंदू-अ जाति/जनजाति	44.8		32.2	23.1	25.6	71.3	3.1	28.6	65.1	6.3
हिंदू-अन्य पिछड़ा वर्ग	21.1		74.6	4.3	27.2	72.1	0.7	25.9	72.6	1.5
मुस्लिम	38.6		53.1	8.3	26.9	70.8	2.2	30.8	65.0	4.2
मुस्लिम-सामान्य	35.7		54.2	10.1	26.1	72.3	1.6	29.3	66.2	4.4
मुस्लिम-अन्य पिछड़ा वर्ग	42.6		52.1	5.3	28.0	68.8	3.2	32.7	63.5	3.8
अन्य सभी	11.8		53.7	34.5	13.8	74.7	11.5	13.2	68.6	18.2
कुल	22.9		57.7	19.4	22.9	73.9	3.2	22.9	69.8	7.3

नोट: राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संस्थान (2004-5) के 61 वें वक की सारिणी 10 से अनुमानित



भारत में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति

परिशिष्ट तालिका 11.1 भारतीय पुरातत्व विभाग के अवैध कब्जे में दिल्ली वक्फ बोर्ड की संपत्तियां
(संदर्भ: पत्रांक. 2/CEO/HLC/DWB/2005/242 दिनांक 7.2.2006 सीईओ, दिल्ली वक्फ बोर्ड)

क्रम सं	नाम व पते	वक्फ गजट सूचना	
		दिनांक	पेज संख्या
1	मुबारक खान के गुंबद के नाम से मशहूर मकबरा मोहम्मद शाह, लोदी रोड, नई दिल्ली.	31.12.1970	1298/58
2	मकबरा (नाम स्पष्ट नहीं), वजीरपुर, नई दिल्ली.	16.4.1970	387/96
3	दरगाह खसरा नंबर 71 , लाड़ोसराय (19 बिस्वा)	21.10.1982	29/10
4	दरगाह एवं मस्जिद, खसरा नंबर 72 , लाड़ोसराय (2 बीघा 18 बिस्वा).	21.10.1982	29/11
5	नामरहित मकबरा, गांव वजीरपुर, नई दिल्ली.	18.4.1970	378/97
6	नामरहित मकबरा, गांव वजीरपुर, नई दिल्ली.	16.4.1970	378/97
7	दरगाह एवं मस्जिद, खसरा नंबर 73 , लाड़ोसराय (1 बीघा 18 बिस्वा). नई दिल्ली	21.10.1982	29/13
8	मकबरा नजफ खान, कुतुब रोड, नई दिल्ली.	31.12.1970	1258/59
9	मकबरा, (नाम स्पष्ट नहीं) गांव वजीरपुर, नई दिल्ली.	16.4.1970	338/98
10	दरगाह खसरा नंबर 74 , लाड़ोसराय (6 बिस्वा), दिल्ली	21.10.1982	27/12
11	मस्जिद कुदसिया बान, अलीपुर रोड, दिल्ली.	16.4.1970	322/5
12	मकबरा महावत खान, गांव अलीगंज, नई दिल्ली	16.4.1970	
13	मस्जिद (ईदगाह), गांव वजीरपुर, नई दिल्ली.	16.4.1970	378/100
14	दरगाह एवं मस्जिद वजीराबाद वाली, खसरा नंबर. 93, दिल्ली	16.4.1970	324/6
15	दरगाह पीर गरीब, खसरा नंबर 321, हिंदूराव अस्पताल के पास, हिंदूराव रोड दिल्ली, (2 बीघा, 2 बिस्वा)	16.4.1970	324/9
16	मकबरा मोहम्मद खान (तीन बुर्ज), गांव मोहम्मद पुर, नई दिल्ली.	16.4.1970	374/80
17	मकबरा (नाम स्पष्ट नहीं), मस्जिद के पास, गांव मोहम्मदपुर	16.4.1970	374/81
18	जामा मस्जिद, कोटला फिरोजशाह के अंदर, मथुरा रोड, नई दिल्ली.	16.4.1970	374/81
19	गुंबद के नाम से मशहूर मकबरा, गांव मोहम्मद पुर, नई दिल्ली..	16.4.1970	374/82
20	मकबरा गयासुद्दीन तुगलक, गांव तुगलकाबाद, नई दिल्ली.	16.4.1970	374/82
21	मस्जिद (नाम स्पष्ट नहीं), गांव मोहम्मद पुर, नई दिल्ली.		
22	मस्जिद कदम शाही, गांव तुगलकाबाद, नई दिल्ली.		
23	मकबरा गोल गुंबद (P1 14/32), लोदी रोड, नई दिल्ली. (कब्रगाह एवं परिसर)	16.4.1970	308/20
24	मुस्लिम कब्रिस्तान एवं मकबरा, खसरा नंबर 634-एम, गांव मोहम्मद पुर, मुनिरका नई दिल्ली.	5.6.1986	
25	बुर्जी खान का गुंबद, हौज खास नई दिल्ली.	16.4.1970	354/20
26	मकबरा (नाम स्पष्ट नहीं), आरके पुरम, नई दिल्ली.		
27	मकबरा (छोटी गुमटी), आरके पुरम, नई दिल्ली.		
28	मकबरा (नाम स्पष्ट नहीं), गांव हौज खास, नई दिल्ली.		
29	मस्जिद हेली रोड, कोठी नंबर 4 के पीछे, कर्नाट प्लेस, नई दिल्ली.	16.4.1970	366/31
30	गुंडा गुंबद के नाम से मशहूर मकबरा, आरके पुरम, नई दिल्ली.		
31	मकबरा (नाम स्पष्ट नहीं), गांव हौज खास, नई दिल्ली.	16.4.1970	354/22



परिशिष्ट 11.1 भारतीय पुरातत्व विभाग के अवैध कब्जों में दिल्ली वक्फ बोर्ड की संपत्तियों की सूची
(संदर्भ: पत्रांक, 2/CEO/HLC/DWB/2005/242 दिनांक 7.2.2006 सीईओ, दिल्ली वक्फ बोर्ड)

क्रम सं.	नाम एवं पते	वक्फ गजट सूचनावली	
		दिनांक	पेज संख्या
32	सफदरजंग मकबरे के भीतर स्थित मस्जिद एवं मदरसा, तुगलक रोड, नई दिल्ली.		
33	मस्जिद आर के पुरम, मुंडा गुंबद से पश्चिम, आरके पुरम नई दिल्ली.		
34	मकबरा (नाम स्पष्ट नहीं), गांव हौज खास नई दिल्ली.	16.4.1970	354/24
35	मकबरा लाल बंगला, गोल्फ क्लब, वेल्सले रोड, नई दिल्ली.	16.4.1970	186/33
36	मुनीर खान के गुंबद के नाम से मशहूर मकबरा, गांव मुनिरका, नई दिल्ली.	16.4.1970	396/8
37.	गुंबद (नाम स्पष्ट नहीं) फिरोजशाह के मकबरे के सामने गांव हौज खास, नई दिल्ली.	16.4.1970	354/26
38.	मकबरा सैयद आबिद,परिसर के भीतर, दिल्ली गोल्फ क्लब,नई दिल्ली	16.4.1970	336/34
39.	मकबरा (नाम स्पष्ट नहीं), हौज खास नई दिल्ली..	16.4.1970	354/23
40.	मस्जिद गोल्फ क्लब, दिल्ली गोल्फ क्लब के अंदर, नई दिल्ली.	16.4.1970	356/23
41.	मकबरा फिरोजशाह तुगलक, गांव हौज खास, नई दिल्ली	16.4.1970	252/75
42.	मकबरा सांग खास, नेशनल स्टेडियम के अंदर, भौरो रोड, नई दिल्ली.	16.4.1970	336/36
43	मस्जिद हौज खास, नई दिल्ली.	16.4.1970	336/363
44	मकबरा सांग-ए-सुख,नेशनल स्टेडियम के अंदर, भौरो रोड,नई दिल्ली.	16.4.1970	336/37
45	ईदगाह हौज खास, नई दिल्ली.	16.4.1970	352/17
46	लोदी के मकबरे के अंदर स्थित मस्जिद, लोधी रोड, नई दिल्ली	16.4.1970	336/39
47	कोठी नंबर 28. के पास स्थित मकबरा, लोधी रोड नई दिल्ली.	16.4.1970	336/40
48	कोठी नंबर 38. के पास स्थित मकबरा, गोल्फ लिंक, गोल्फ रोड, नई दिल्ली	16.4.1970	336/41
49	मस्जिद कोहना, पुराना किला के अंदर, नई दिल्ली नगरपालिका क्षेत्र, मथुरा रोड, नई दिल्ली.	16.4.1970	338/45
50	मस्जिद खैरुल मजिद,शेरशाह नेट के पास, नई दिल्ली नगरपालिका क्षेत्र, मथुरा रोड, नई दिल्ली	16.4.1970	338/46
51	मकबरा बेगम जान, गोल्फ क्लब के अंदर, नई दिल्ली.	16.4.1970	338/48
52	इदगाह, गांव खरेया दिल्ली	16.4.1970	352/9
53	मस्जिद मखदूम, गांव खरेया, ग्रीन पार्क नई दिल्ली.	16.4.1970	352/10
54	मकबरा (नाम स्पष्ट नहीं) गांव खरेया, महरोली रोड नई दिल्ली	16.4.1970	350/1
55	मकबरा (नाम स्पष्ट नहीं) खसरा नंबर 303, वायरलेस विभाग की सीमा के अंदर	31.12.1970	1344/357
56	छोटी गुमटी के नाम से मशहूर मकबरा,गांव खरेया, महरोली रोड, नई दिल्ली	16.4.1970	350/2
57	दादी का गुंबद के नाम से मशहूर मकबरा, महरोली रोड, नई दिल्ली	16.4.1970	350/3
58	पोती का गुंबद के नाम से मशहूर मकबरा,गांव खरेया, महरोली रोड, नई दिल्ली	16.4.1970	350/4
59	बिरान का गुंबद नाम से मशहूर मकबरा,गांव खरेया, महरोली रोड, नई दिल्ली	16.4.1970	350/5
60	सकरी गुमटी नाम से मशहूर मकबरा, गांव खरेया, महरोली रोड, नई दिल्ली	16.4.1970	350/6
61	मकबरा (नाम स्पष्ट नहीं), खसरा नंबर. 606, रेलवे कॉलोनी के पास	16.4.1970	1344/362
62	मस्जिद दरवेश, गांव खरेया, ग्रीन पार्क, नई दिल्ली.	16.4.1970	350/7



भारत में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति

परिशिष्ट तालिका 11.1 भारतीय पुरातत्व विभाग के अवैध कब्जे में दिल्ली वक्फ बोर्ड की संपत्तियां
(संदर्भ: पत्रांक, 2/CEO/HLC/DWB/2005/242 दिनांक 7.2.2006 सीईओ, दिल्ली वक्फ बोर्ड)

क्रम सं.	नाम एवं पते	वक्फ गजट सूचना	
		दिनांक	पेज संख्या.
63	नीली मस्जिद, ग्रीन पार्क, नई दिल्ली.	16.4.1970	350/8
64	मकबरा युसूफ कतल, गांव खिड़की, मालवीयनगर, नई दिल्ली	16.4.1970	356/40
65	कब्रगाह, खसरा नंबर 152 खिड़की गांव, नई दिल्ली (1 बीघा 6 बिस्वा)	10.4.1980	22/25
66	कब्रगाह, खसरा नंबर 556 अलीगंज गांव, लोधी रोड के साथ नई दिल्ली	4.5.1978	16/37
67	कब्रगाह, खसरा नंबर 1012/603, 1013/603, कांतिनगर, झारखंडी रोड, शाहदरा, (16 बीघा 19 बिस्वा)	4.5.1978	
68	मस्जिद, इंदरपाथ, खसरा नंबर. 540/1, हुगांयु मकबरे के पीछे, नई दिल्ली	4.5.1978	
69	मकबरा शमशुद्दीन, मोहम्मद अफक खान, बस्ती निजामुद्दीन, नई दिल्ली	31.12.1970	384/1
70	मकबरा मिर्जा अजीज कोकलताश (चौंसठ खंबा) निजामुद्दीन, नई दिल्ली	31.12.1970	384/2
71	मस्जिद अरब की सराय, बस्ती निजामुद्दीन, नई दिल्ली.	16.4.1970	384/4
72	मकबरा इसा खान, बस्ती निजामुद्दीन, नई दिल्ली	16.4.1970	384/6
73	मस्जिद इसा खान, निजामुद्दीन, नई दिल्ली	16.4.1970	384/6
74	अरब की सराय के भीतर, अपरवली मस्जिद, निजामुद्दीन, नई दिल्ली.	16.4.1970	384/7
75	मकबरा (नाम स्पष्ट नहीं), मस्जिद से पश्चिम, गांव दाउद सराय नई दिल्ली	16.4.1970	394/46
76	मकबरा (नाम स्पष्ट नहीं) मस्जिद के पास, दाउद सराय नई दिल्ली	16.4.1970	394/47
77	मकबरा मौलाना जमाली-कमाली, दाउद सराय, गांव दाउद सराय नई दिल्ली	16.4.1970	394/44
78	मस्जिद जमाली-कमाली, दाउद सराय, गांव दाउद सराय नई दिल्ली	16.4.1970	394/41
79	मकबरा सुल्तान बलबन, दाउद सराय, गांव दाउद सराय नई दिल्ली	16.4.1970	394/42
80	मकबरा खान शहीद, दाउद सराय, गांव दाउद सराय नई दिल्ली	16.4.1970	394/43
81	मस्जिद दाउद सराय, गांव दाउद सराय नई दिल्ली	16.4.1970	394/45
82	नाईवाला के नाम से मशहूर मकबरा (नाम स्पष्ट नहीं), बस्ती निजामुद्दीन नई दिल्ली.	16.4.1970	388/16
83	नीला गुंबद के नाम से मशहूर फहीम खान का मकबरा, निजामुद्दीन नई दिल्ली	16.4.1970	388/17
84	अफसरवाला के नाम से मशहूर मकबरा, बस्ती निजामुद्दीन नई दिल्ली	16.4.1970	388/17
85	बाराखंबा मकबरा, बस्ती निजामुद्दीन नई दिल्ली	16.4.1970	386/10
86	बाराखंबा के नाम से मशहूर मकबरा, बस्ती निजामुद्दीन नई दिल्ली	16.4.1970	386/10
87	खान ए खाना अब्दुल रहीम खान का मकबरा, बस्ती निजामुद्दीन नई दिल्ली	16.4.1970	386/11
88	हुगांयु के मकबरे के मुख्य गेट के पास स्थित बू हालिमा का मकबरा, निजामुद्दीन नई दिल्ली.	16.4.1970	386/12
89	बड़े बताशे वाला महल नाम से मशहूर मुजफ्फर हुसैन का मकबरा, बस्ती निजामुद्दीन नई दिल्ली	16.4.1970	386/13
90	छोटे बताशे वाला महल नाम से मशहूर मकबरा, (नाम स्पष्ट नहीं) बस्ती निजामुद्दीन नई दिल्ली.	16.4.1970	386/14
91	हुगांयु का मकबरा, निजामुद्दीन नई दिल्ली	16.4.1970	386/15
92	मकबरा मिर्जा जहांगीर, बस्ती निजामुद्दीन नई दिल्ली.	31.12.1970	1295/39



परिशिष्ट 11.1 भारतीय पुरातत्व विभाग के अवैध कब्जे में दिल्ली वक्फ बोर्ड की संपत्तियों की सूची
(संदर्भ: पत्रांक, 2/CEO/HLC/DWB/2005/242 दिनांक 7.2.2006 सीईओ, दिल्ली वक्फ बोर्ड)

क्रम सं.	नाम एवं पते	वक्फ गजट सूचनावली	
		दिनांक	पेज संख्या.
93	खानकाह एवं विल्ला हजरत निजामुद्दीन औलिया (आर एव), निजामुद्दीन नई दिल्ली	31.12.1970	1295/78
94	मस्जिद बेगमपुर, गांव बेगमपुर, मालवीय नगर, नई दिल्ली.	31.12.1970	1295/78
95	दरगाह हसन खां के नाम से मशहूर कब्रगाह, खसरा नंबर 201/1, गांव नेबसराय आबादी के बाहर नई दिल्ली.	31.12.1970	1295/78
96	कब्रगाह, खसरा नंबर 29/19 (2 बीघा 10 बिस्वा).	31.12.1970	1295/78
97	मकबरा (नाम स्पष्ट नहीं), गांव शाहपुर जाट, नई दिल्ली.	31.12.1970	1295/78
98	मस्जिद मोहमदीवाली, गांव शाहपुर जाट, नईदिल्ली.	31.12.1970	1295/78
99	कब्रगाह, खसरा नंबर 14, मस्जिद मोहमदीवाली के पीछे, गांव शाहपुर जाट, नईदिल्ली.	31.12.1970	1295/78
100	मकबरा सुंदरवाला बुर्ज, बस्ती निजामुद्दीन, नईदिल्ली	31.12.1970	1294/35
101	मकबरा सुंदरवाला महल, बस्ती निजामुद्दीन, नईदिल्ली	31.12.1970	1294/36
102	मकबरा जहां आरा, बस्ती निजामुद्दीन, नईदिल्ली	31.12.1970	1294/37
103	मकबरा मोहम्मद शाह, बस्ती निजामुद्दीन, नईदिल्ली	31.12.1970	1294/39
104	खानकाह कालू सराय, गांव कालूसराय नई दिल्ली.		
105	दरगाह ख्वाजा हजरत तहूर खान खाकी, (खसरा नंबर. 238 का हिस्सा) अलीगंज, लोधी कॉलोनी नई दिल्ली.		
106	कुतुब मीनार के पूर्वी गेट के पास स्थित मस्जिद, महरौली, नई दिल्ली.		
107	भूल-भुलैया के नाम से मशहूर मकबरा अथम खान, महरौली, नई दिल्ली.		
108	कब्रगाह, खसरा नंबर 29/19 1845 कुतुब मीनार के अंदर, महरौली, नई दिल्ली.		
109	कब्रिस्तान के साथ मकबरा, कोठी नंबर 3, साधना इन्वलेव, पंचशील पार्क के पीछे स्थित दो मकबरे, नई दिल्ली.		
110	दरगाह हजरत ख्वाजा बख्तियार काकी के अंदर गोती मस्जिद महरौली में जफर महल के पास, नई दिल्ली.	16.4.1970	380/18
111	कुतुब मीनार के पास मकबरा इमाम जमीन, महरौली, अलाई गेट से दक्षिण पूर्व मकबरा कब्रसहित, नई दिल्ली.	16.4.1970	380/19
112	मकबरा मुबारक शाह सुल्तान, गांव कोटला मुबारकपुर (खुली जमीन के साथ), नई दिल्ली	16.4.1970	374/74
113	छोटे खां का गुंबद के नाम से मशहूर मकबरा, गांव कोटला मुबारकपुर, काले का गुंबद मकबरा से पूरब (खुली जमीन के साथ), नई दिल्ली.	16.4.1970	374/75
114	बड़े खां का गुंबद के नाम से मशहूर मकबरा, गांव कोटला मुबारकपुर काले का गुंबद मकबरा से पश्चिम (कब्र सहित), नई दिल्ली.	16.4.1970	374/76
115	काले का गुंबद नाम से मशहूर मकबरा, गांव कोटला मुबारकपुर, गांव से उत्तर पश्चिम, दिल्ली (कब्र सहित), नई दिल्ली.	16.4.1970	374/77
116	मस्जिद कोटला मुबारकपुर, गांव कोटला मुबारकपुर, सघन आबादी के बीच मुबारक शाह सुल्तान के मकबरे के पास (पत्थर निर्मित मस्जिद), नई दिल्ली.		
117	मकबरा एवं दरगाह, गांव कोटला मुबारकपुर, किदवई नगर नई दिल्ली के दक्षिण पश्चिम में स्थित मकबरा शूरे खान, नई दिल्ली.		



भारत में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति

परिशिष्ट 11.1 भारतीय पुरातत्व विभाग के अवैध कब्जों में दिल्ली वकफ बोर्ड की संपत्तियां
(संदर्भ: पत्रांक. 2/CEO/HLC/DWB/2005/242 दिनांक 7.2.2006 सीईओ, दिल्ली वकफ बोर्ड)

क्रम सं.	नाम एवं पते	वकफ गजट सूचना	
		दिनांक	पेज संख्या
118	मकबरा भूरे खान गांव कोटला मुबारकपुर, भूरे खान के मकबरे के दक्षिण-पूर्व स्थित गांव कोटला मुबारकपुर नई दिल्ली.	16.4.1970	374/77
119	मकबरा सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी, महरोली, नईदिल्ली, मस्जिद कुवातुल इस्लाम के दक्षिण पश्चिम में स्थित (गुंबद वाला मकबरा)	16.4.1970	397/65
120	मस्जिद और बड़ा गुंबदी, नई दिल्ली नगरपालिका क्षेत्र, लोधी मकबरे के अंदर स्थित, नई दिल्ली (परिसर के अंदर तीन रास्तों वाले गुंबद वाला मकबरा).	16.4.1970	1298/60
121	मकबरा सुल्तान शमसुद्दीन इल्तमाश, महरोली, नईदिल्ली, to मस्जिद कुवातुल इस्लाम के दक्षिण पूर्व तथा कुतुब मीनार के पास स्थित (भूमिगत कमरे में कब्र के उपर बिना गुंबद वाला मकबरा).	31.12.1970	397/66
122	मकबरा सिकंदर लोदी, लोदी रोड, वाकिफ : राजा इब्राहिम लोदी नई दिल्ली नगरपालिका क्षेत्र में लोदी रोड पर लोधी मकबरे के अंदर स्थित, नई दिल्ली (वारदीवारी के अंदर कब्रसहित गुंबद वाला मकबरा).	16.4.1970	1298/61
123	मस्जिद कुवैत उल इस्लाम वाकिफ, कुतुबद्दीन ऐबक, महरोली, नई दिल्ली कुतुबमीनार के पास	31.12.1970	397/67
124	शीश गुंबद नामक मकबरा, नई दिल्ली नगरपालिका क्षेत्र, मकबरे के अंदर बड़े गुंबद एवं मस्जिद के उत्तर में लोदी, लोदी रोड, नई दिल्ली (आठ कब्र के उपर गुंबद वाला मकबरा).	16.4.1970	1298/62
125	मुस्लिम कब्रगाह, खसरा नंबर 1841 कुतुब मीनार के अंदर, नई दिल्ली.	16.4.1970	400/85
126	मुस्लिम कब्रगाह, खसरा नंबर. 1834 कुतुब मीनार के अंदर, नई दिल्ली (कब्रगाह).		400/87
127	मुस्लिम कब्रगाह, खसरा नंबर 1835 कुतुब मीनार के अंदर, नई दिल्ली.	16.4.1970	
128	मुस्लिम कब्रगाह, सयाय कबीरुद्दीन उर्फ शेख सयाय, खसरा नंबर 489/35 & 487/439/53, नई दिल्ली.		
129	मकबरा रेशन आया बेगम वाकिफ राजा औरंगजेब वार्ड संख्या 12, रेशन आया बाग के अंदर सखी मंडी, दिल्ली (मकबरा).	16.4.1970	322/26
130	मस्जिद बायदरी, मकबरा लाल गुंबद के उत्तर पश्चिम, पंचशील (वारदीवारी के साथ मस्जिद) नई दिल्ली		
131	लाल गुंबद के नाम से मशहूर मकबरा शेख कबीरुद्दीन औलिया शेखसयाय गांव से पश्चिम, नई दिल्ली (पक्की वारदीवारी वाला मकबरा).		
132	मकबरा (नाम स्पष्ट नहीं), मस्जिद बायदरी के पूरब, गांव शेखसयाय नई दिल्ली (मकबरे के उपर गुंबद वाला ढांचा).		
133	चोरों का कुआं नामक मुस्लिम कब्रगाह महरोली, नई दिल्ली. खसरा नंबर 349. कुआं बद्रुल इस्लाम के पास, गांव छतरपुर, नई दिल्ली.	16.4.1970	418/94
134	मुस्लिम कब्रगाह, नई दिल्ली, खसरा नंबर. 559, बुद्ध तांती नामक प्लॉट के पास, गांव छतरपुर (छिती हुई कब्र वाली कब्रगाह), नई दिल्ली.	16.4.1970	418/95
135	मस्जिद मुंडी नामक ईदगाह, महरोली क्षेत्र, लाडो सयाय, महरोली-गुडगांव रोड (ईदगाह, पुरखा), नई दिल्ली.		
136	मकबरा (नाम स्पष्ट नहीं), खसरा नंबर. 155, राजों की बैन के उत्तर, लाधा सयाय, महरोली, नई दिल्ली (तीन संगमरमर वाली कब्र के उपर गुंबद वाला मकबरा और वारदीवारी के अंदर कई अन्य कब्र).	16.4.1970	396/53
137	मकबरा (नाम स्पष्ट नहीं), राजों की बैन के पश्चिम, लाधा सयाय, महरोली, नई दिल्ली (मकबरा, छतरी वाली कब्र),	16.4.1970	396/54



परिशिष्ट 11.1 भारतीय पुरातत्व विभाग के अवैध कब्जे में दिल्ली वक्फ बोर्ड की संपत्तियों की सूची
(संदर्भ: पत्रांक. 2/CEO/HLC/DWB/2005/242 दिनांक 7.2.2006 सीईओ, दिल्ली वक्फ बोर्ड)

क्रम सं.	नाम एवं पते	वक्फ गजट सूचनावली	
		दिनांक	पेज संख्या.
138	मकबरा (नाम स्पष्ट नहीं), राजों की बैन के पश्चिम, लाधा सराय, महारौली, नई दिल्ली (कब्र के उपर गुंबद वाला मकबरा).	16.4.1970	396/55
139	मस्जिद लाधा सराय, गांव लाधा सराय में बाग नजीर से दक्षिण महारौली, नई दिल्ली.	16.4.1970	395/49
140	मकबरा (नाम स्पष्ट नहीं) (8 बिस्वा).		
141	मस्जिद राजा की बाई, खसरा नंबर. 153 गांव लाधा सराय, महारौली, नई दिल्ली (मस्जिद, खुली जमीन).	16.4.1970	395/51
142	दीवार की तरह मस्जिद, राजा की बाई से दक्षिण गांव लाधा सराय, महारौली, नई दिल्ली (परिसर में कुछ कब्र सहित).	16.4.1970	395/52
143	मस्जिद (दीवार की तरह), बीरन का गुंबद मस्जिद से पश्चिम, गांव खरेवा, महारौली रोड नई दिल्ली (कम संख्या 59 में वर्णित) परिसर में एक कब्र सहित.		
144	दरगाह एवं मस्जिद, खसरा नंबर. 70, लाधा सराय नई दिल्ली.	21.10.1982	29/9
145	मकबरा बबलोल लोदी वाकिफ राजा सिकंदर लोदी, नई दिल्ली नगरपालिका क्षेत्र, चिराग दिल्ली, दरगाह हजरत रोशन के बाहर, चिराग दिल्ली (मकबरा).	31.12.1970	1348/230
146	मस्जिद मोठ, गांव मस्जिद मोठ, नई दिल्ली सिकंदर शाह लोदी के वजीर मिलन भोलिया द्वारा निर्मित, गांव मस्जिद मोठ, नई दिल्ली.	16.4.1970	374/78
147	मकबरा, खसरा नंबर. 259 (1 बीघा 4 बिस्वा), 374 (5 बिस्वा) 385 (6 बिस्वा) 481 (बीघा 5 बिस्वा) कब्रिस्तान (3 बीघा) अंदर एक मस्जिद के साथ.		
148	मुस्लिम कब्रिस्तान, खसरा नंबर 51, सिविल स्टेशन		
149	कुतुब मीनार के सामने स्थित मस्जिद, महारौली, नई दिल्ली.		436/106
150	लालकिले के अंदर गोती मस्जिद नई दिल्ली.		
151	पुराने किले के अंदर मस्जिद, कोहना नई दिल्ली		
152	रोशन आरा बाग के अंदर मकबरा रोशन आरा बाग, सब्जी मंडी, दिल्ली	16.4.1970	322/26
153	दरगाह सैयद नूर मोहम्मद दलानी, 19/1 लोदी एस्टेट, नई दिल्ली.		
154	मकबरा (नाम स्पष्ट नहीं), 15/2, गांव अलीगंज, जदीक रेलवे कॉलोनी मकबरा, नई दिल्ली.		
155	मकबरा (601), गुंबद, लोदी रोड, मकबरा, कब्रगाह एवं परिसर, नई दिल्ली.		
156	मकबरा गोल गुंबद, लोदी रोड, नई दिल्ली.		
157	मकबरा शमशुद्दीन मोहम्मद अलजबा खान, बस्ती निजामुद्दीन, नई दिल्ली.	16.4.1970	384/1
158	मस्जिद अरब की सराय, बस्ती निजामुद्दीन, नई दिल्ली.	16.4.1970	384/4
159	मकबरा इसा खान, बस्ती निजामुद्दीन, नई दिल्ली.	16.4.1970	384/6
160	अपरवाली मस्जिद बस्ती निजामुद्दीन, नई दिल्ली.	16.4.1970	384/7
161	मस्जिद अफसर वाला, बस्ती निजामुद्दीन, नई दिल्ली	16.4.1970	386/8
162	सब्ज बुर्ज मकबरा, निजामुद्दीन, नई दिल्ली	16.4.1970	386/9
163	बाराखंबा मकबरा, निजामुद्दीन, नई दिल्ली	16.4.1970	384/10
164	बू हालिमा का मकबरा निजामुद्दीन, नई दिल्ली	16.4.1970	386/12



भारत में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति

परिशिष्ट तालिका 11.1 भारतीय पुरातत्व विभाग के अवैध कब्जे में दिल्ली वक्फ बोर्ड की संपत्तियों की सूची (संदर्भ: पत्रांक, 2/CEO/HLC/DWB/2005/242 दिनांक 7.2.2006 सीईओ, दिल्ली वक्फ बोर्ड)

क्रम सं.	नाम एवं पते	वक्फ गजट सूचनावली	
		दिनांक	पेज संख्या.
165	बड़े बताशे वाला महल के मान से चर्चित मुजफ्फर हुसैन का मकबरा, निजामुद्दीन, नई दिल्ली.	16.4.1970	386/13
166	छोटे बताशे वाला महल के मान से मशहूर मकबरा, निजामुद्दीन, नई दिल्ली.	16.4.1970	386/14
167	नाईवाला मकबरा, निजामुद्दीन, नई दिल्ली	16.4.1970	388/17
168	निजामुद्दीन के नाम से मशहूर फहीम खान का मकबरा, नई दिल्ली		
169	मस्जिद बारादरी, शेखसराय गांव, नई दिल्ली		
170	वक्फ तकला, मस्जिद मोठ, खसरा नंबर 38, नई दिल्ली		
171	मस्जिद बारादरी, शेखसराय गांव, नई दिल्ली		
172	मकबरा, गांव याकूतपुर खसरा नंबर 50, क्षेत्रफल 9 बिस्वा		

परिशिष्ट तालिका 11.2 दिल्ली विकास प्राधिकरण के अवैध कब्जों में दिल्ली वक्फ बोर्ड की संपत्तियों की सूची (संदर्भ: पत्रांक, 2/CEO/HLC/DWB/2005/242 दिनांक 7.2.2006 सीईओ, दिल्ली वक्फ बोर्ड)

क्रम संख्या	नाम एवं पते	वक्फ गजट सूचनावली	
		दिनांक	पेज संख्या.
173	कब्रगाह, खसरा नंबर 359, अलीगंज गांव, नई दिल्ली	31.12.1970	1340/387
174	कब्रगाह, खसरा नंबर 262, अलीगंज गांव, नई दिल्ली	31.12.1970	1342/348
175	कब्रगाह, खसरा नंबर 293 अलीगंज गांव, नई दिल्ली	31.12.1970	1342/349
176	मस्जिद, खसरा नंबर 260 अलीगंज गांव, नई दिल्ली	31.12.1970	1342/353
177	कब्रगाह, खसरा नंबर 248 अलीगंज गांव, नई दिल्ली	31.12.1970	1344/354
178	मस्जिद, खसरा नंबर 303 अलीगंज गांव, नई दिल्ली	31.12.1970	1344/357
179	मकबरा, खसरा नंबर 303 अलीगंज गांव, नई दिल्ली	31.12.1970	1344/357
180	कब्रगाह, खसरा नंबर 320 अलीगंज गांव, नई दिल्ली	31.12.1970	1344/358
181	कब्रगाह, खसरा नंबर 391 अलीगंज गांव, नई दिल्ली	31.12.1970	1344/359
182	कब्रगाह, खसरा नंबर 394 अलीगंज गांव, नई दिल्ली	31.12.1970	1344/360
183	कब्रगाह, खसरा नंबर 95/3, 416 वर्ग यार्ड कदम शरीफ, दिल्ली		
184	कब्रगाह, खसरा नंबर 186, 131 वर्ग यार्ड जंगपुरा, दिल्ली		
185	कब्रगाह, खसरा नंबर 538, 1 बीघा, 3 बिस्वा, अलीगंज गांव, नई दिल्ली	31.12.1970	1338/335
186	कब्रगाह, खसरा नंबर 545, 13 बीघा, 13 बिस्वा, अलीगंज गांव, नई दिल्ली.	31.12.1970	1338/34
187	कब्रगाह, खसरा नंबर 920/916 जंगपुरा, दिल्ली	31.12.1970	1294/34
188	दरगाह कदम शरीफ, मोहल्ला कदम शरीफ, वार्ड नंबर- 15, 6662 से 6668, 6717 से 6831 से 6835, 6889 से 6900	31.12.1970	34/1280
189	मस्जिद और कब्रगाह मोतियाखान, एमपीएल संख्या, 10393. नई दिल्ली	31.12.1970	42/1324
190	कब्रगाह, खसरा नंबर 358, 16 बिस्वा अलीगंज गांव, नई दिल्ली	31.12.1970	1338/335
191	कब्रगाह, खसरा नंबर 386, 1 बीघा 4 बिस्वा, एमपीएल संख्या 6365 कस्बपुरा, दिल्ली	10.4.1975	14/42



परिशिष्ट 11.2 दिल्ली विकास प्राधिकरण के अवैध कब्जों में दिल्ली वकफ बोर्ड की संपत्तियों की सूची (संदर्भ: पत्रांक. 2/CEO/HLC/DWB/2005/242 दिनांक 7.2.2006 सीईओ, दिल्ली वकफ बोर्ड)

क्रम सं.	नाम एवं पते	वकफ गजट सूचनावली	
		दिनांक	पेज संख्या.
192	कब्रगाह, खसरा नंबर 661 अलीगंज, नई दिल्ली		
193	कब्रगाह, खसरा नंबर 23, कस्बला के पास अलीगंज, नई दिल्ली	16.4.1970	346/32
194	कब्रिस्तान, खसरा नंबर 165 कदमशरीफ, पहाड़गंज, नई दिल्ली.		
195	कब्रगाह, खसरा नंबर 36 मॉडल बस्ती, नई दिल्ली	16.4.1970	342/20
196	कब्रगाह, खसरा नंबर 31 बगीची अलाउद्दीन, नई दिल्ली	16.4.1970	16/334
197	कब्रगाह एमपीएल नंबर 7271 कदमशरीफ, रामनगर, नई दिल्ली.	8.9.1977	10/2
198	कब्रगाह, खसरा नंबर 103 (क्षेत्रफल 586 वर्ग यार्ड) कदमशरीफ, पहाड़गंज, नई दिल्ली.	8.9.1977	13/21
199	कब्रगाह, खसरा नंबर 34 नबी करीम, दिल्ली		
200	कब्रगाह खसरा नंबर 144 134 कदमशरीफ, पहाड़गंज, नई दिल्ली..		
201	मस्जिद जमरुदपुर खसरा नंबर. 90, (1 बीघा 9 बिस्वा), जमरुदपुर, ग्रेटर कौलाश, नई दिल्ली.	31.12.1970	1284/105
202	कब्रगाह, खसरा नंबर 481, गांव लाडो सराय, दिल्ली		
203	कब्रगाह खसरा नंबर 147, 148 (7 बिस्वा), महरोली, नई दिल्ली		
204	कब्रगाह, खसरा नंबर 338, (11 बिस्वा) गांव लाडो सराय, दिल्ली.		
205	कब्रगाह, खसरा नंबर 281/1 तुगलकाबाद नई दिल्ली.	10.4.1980	20/11
206	दरगाह खसरा, बकिबिल्लाह, कुतुब रोड, नई दिल्ली.	16.4.1970	411/89
207	मस्जिद इमली वाला, खारे खां, दिल्ली.		
208	शेख पीर बरूषा खसरा नंबर. 1662/1098 (8 बीघा) महरोली, नई दिल्ली		
209	मदरसा एवं मस्जिद खसरा नंबर 2020 (11 बीघा) महरोली, नई दिल्ली		
210	मकबरा 1664 (14 बिस्वा), महरोली, नई दिल्ली		
211	मस्जिद 957/13 {351/13} महरोली, नई दिल्ली	16.4.1970	382/26
212	मस्जिद 2347/1633 (10 बिस्वा) महरोली, नई दिल्ली		
213	कब्रगाह, खसरा नंबर 1834 (8 बीघा 19 बिस्वा) महरोली, नई दिल्ली	16.4.1970	400/86
214	कब्रगाह, खसरा नंबर 1835 (12 बिस्वा) महरोली, नई दिल्ली	16.4.1970	400/87
215	कब्रगाह, शमसी तलाब खसरा नंबर 1859 (36 बीघा), महरोली, नई दिल्ली.	16.4.1970	400/88
216	कब्रगाह, अब्दी ईदगाह खसरा नंबर 1731, (3 बीघा 19 बिस्वा) महरोली, नई दिल्ली.	16.4.1970	401/90
217	कब्रगाह, खसरा नंबर 1045, (6 बीघा 3 बिस्वा) महरोली, नई दिल्ली	16.4.1970	420/113
218	कब्रगाह, खसरा नंबर 2629/1096, (1 बीघा) महरोली, नई दिल्ली	21.5.1981	10/1
218	कब्रगाह, खसरा नंबर 2360/1308, (2 बिस्वा) महरोली, नई दिल्ली.	21.10.1982	52/34
219	कब्रगाह, खसरा नंबर 1145 (8 बीघा) महरोली, नई दिल्ली	19.1.1989	8/52
220	कब्रगाह, खसरा नंबर 3025/2754, 1662/2 1666. (1 बीघा) महरोली, नई दिल्ली	04.10.1984	10/11
221	कब्रगाह ईदगाह के पास, खसरा नंबर 3027, 2075, 2024, 1666, (5 बीघा 1 बिस्वा). महरोली, नई दिल्ली	04.10.1984	10/12
222	ईदगाह के पास कब्रगाह खसरा नंबर. 3028, 2758, 1666, (27 बीघा 8 बिस्वा) महरोली, नई दिल्ली.	04.10.1984	10/13



भारत में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति

परिशिष्ट तालिका 11.2 दिल्ली विकास प्राधिकरण के अवैध कब्जे में दिल्ली वक्फ बोर्ड की संपत्तियों की सूची (संदर्भ: पत्रांक. 2/CEO/HLC/DWB/2005/242 दिनांक 7.2.2006 सीईओ, दिल्ली वक्फ बोर्ड)

क्रम संख्या	नाम एवं पते	वक्फ गजट सूचनावली	
		दिनांक	पेज संख्या.
223	खसरा नंबर. 542, निजामुद्दीन, अलीगंज, नई दिल्ली.		
224	खसरा नंबर. 432/159/160, लाढा सराय, महरौली नई दिल्ली.	04.10.1984	13/22
225	खसरा नंबर. 1665, महरौली नई दिल्ली	19.1.1989	4/14
226	खसरा नंबर. 546/ 371/240/258. गांव शेख सराय,स्वामी नगर नई दिल्ली.	16.4.1970	372/70
227	खसरा नंबर. 583. गांव छतरपुर, नई दिल्ली	16.4.1970	418/96
228	खसरा नंबर. 53, शेख सराय, मालवीय नगर नई दिल्ली.		
229	खसरा नंबर. 55 शेख सराय, मालवीय नगर नई दिल्ली.		
230	खसरा नंबर. 168, बेगमपुर, मालवीय नगर नई दिल्ली. (1 बीघा 14 बिस्वा)	23.11.1989	1/1
231	कब्रगाह खसरा नंबर. 142, इंद्रप्रस्थ स्टेट, माता सुंदरी रोड, नई दिल्ली.	25.9.1975	78/37
232	मस्जिद और कब्रगाह, तेल मिल खुद 7229-7265, कुतुब रोड नई दिल्ली (4687 चार्जस)	31.12.1970	41/1882
233	कब्रगाह, गांव कदम शरीफ, खसरा नंबर. 1119/578 (539 वर्ग चार्ज), नई दिल्ली.	16.4.1970	411/39
234	कब्रगाह, खसरा नंबर 484, इंद्रप्रस्थ एस्टेट, डीपीएस के पास नई दिल्ली.	16.4.1970	370/44
235	कब्रगाह, खसरा नंबर. 529, इंद्रप्रस्थ एस्टेट, निजामुद्दीन, नई दिल्ली.	30.10.1976	34/20
236	दरगाह फिरदौस अली शाह (दरगाह हजरत मुसाफिर शाह), कब्रिस्तान खुसरो पार्क, निजामुद्दीन, नई दिल्ली.		
237	दरगाह खुदानुमा, नई दिल्ली रोड, दिल्ली (0.83 एकड़).	16.4.1970	44/388
238	कब्रगाह खसरा नंबर. 217, लाढा सराय, महरौली नई दिल्ली.		
239	कब्रगाह, मौजा लाढा सराय, खसरा नंबर. 171, (8 बीघा 9 बिस्वा), नई दिल्ली.	16.4.1970	402/98
240	कब्रगाह और दरगाह कबीरुद्दीन लाल गुंबद, खसरा नंबर. 53, शेख सराय, नई दिल्ली.		
241	मस्जिद जमरुदपुर, कैलाश कॉलोनी, नई दिल्ली.	31.12.1970	1284/106
242	कब्रगाह खसरा नंबर.458-59, लाडो सराय, नई दिल्ली.		
243	कब्रगाह खसरा नंबर. 334, लाडो सराय, नई दिल्ली.		
244	कदम शरीफ, खसरा नंबर. 94. मकान नंबर. 3666, चार्ज नंबर.14, नबी करीम दिल्ली.	16.4.1970	10/330
245	किला कदम शरीफ, खसरा नंबर.20, दिल्ली.		
246	दरगाह, मस्जिद, कब्रगाह, खसरा नंबर. 57, लाढा सराय, (27 बीघा 4 बिस्वा), नई दिल्ली.		
247	मस्जिद सुंदी, खसरा नंबर. 130/86. मकान नंबर. 8827, चार्ज नंबर.14, नई दिल्ली.	16.4.1970	7/328
248	मस्जिद, कब्रगाह खसरा नंबर. 274, मौजा लाढा सराय, (14 बिस्वा), नई दिल्ली.		
249	मस्जिद, कब्रगाह खसरा नंबर. 294, मौजा लाढा सराय, (2 बीघा 17 बिस्वा), नई दिल्ली.		
250	कदम शरीफ, खसरा नंबर. 23, 24/83, नई दिल्ली.		
251	कदम शरीफ, खसरा नंबर. 32-33/2, चार्ज नंबर 15, नई दिल्ली.	31.12.1970	1350/377
252	कब्रगाह, लाढा सराय, खसरा नंबर. 159-160-161, (16 बिस्वा), नई दिल्ली.		
253	खसरा नंबर 574, गांव अलीगंज, (12 बीघा), नई दिल्ली.		



परिशिष्ट 11.2 दिल्ली विकास प्राधिकरण के अवैध कब्जे में दिल्ली वक्फ बोर्ड की संपत्तियों की सूची (संदर्भ: पत्रांक. 2/CEO/HLC/DWB/2005/242 दिनांक 7.2.2006 सीईओ, दिल्ली वक्फ बोर्ड)

क्रम सं.	नाम एवं पते	वक्फ गजट सूचनावली	
		दिनांक	पेज संख्या.
254	खसरा नंबर. 546, गांव अलीगंज, नई दिल्ली	31.12.1970	1338/332
255	खसरा नंबर. 538, गांव अलीगंज, नई दिल्ली.	31.12.1970	1338/333
256	खसरा नंबर. 545, गांव अलीगंज, नई दिल्ली.	31.12.1970	1338/334
257	दीवार वाली मस्जिद, खसरा नंबर. 319, गांव अलीगंज, नई दिल्ली.	31.12.1970	1344/356
258	खसरा नंबर 358, गांव अलीगंज, नई दिल्ली.	31.12.1970	1338/335
259	खसरा नंबर 348, गांव अलीगंज, नई दिल्ली.		
260	खसरा नंबर 154, जंगपुरा, नई दिल्ली.	31.12.1970	1340/343
261	कब्रगाह, खसरा नंबर 546/371/249, गांव शेख सयय (38 बीघा), नई दिल्ली.		
262	कब्रगाह, खसरा नंबर 186, मोरदाबाद पहाड़ी, नई दिल्ली.	16.4.1970	412/41
263	कब्रगाह, खसरा नंबर 164. मोरदाबाद पहाड़ी, नई दिल्ली.	16.4.1970	412/42
264	कब्रगाह, खसरा नंबर 161 मोरदाबाद पहाड़ी, नई दिल्ली.	16.4.1970	412/44
265	कब्रगाह, खसरा नंबर 151, नई दिल्ली.	16.4.1970	412/45
266	कब्रगाह, खसरा नंबर 142 मोरदाबाद पहाड़ी, नई दिल्ली.	16.4.1970	412/46
267	कब्रगाह, खसरा नंबर 140, मोरदाबाद पहाड़ी, नई दिल्ली.	16.4.1970	412/47
268	कब्रगाह, खसरा नंबर 120, मोरदाबाद पहाड़ी, नई दिल्ली.	16.4.1970	412/48
269	मस्जिद, खसरा नंबर 113, मोरदाबाद पहाड़ी, नई दिल्ली.	16.4.1970	412/49
270	मस्जिद, खसरा नंबर 107, मोरदाबाद पहाड़ी, नई दिल्ली	16.4.1970	412/50
271	मस्जिद, खसरा नंबर 106, मोरदाबाद पहाड़ी, नई दिल्ली.	16.4.1970	412/51
272	मस्जिद खसरा नंबर 105, मोरदाबाद पहाड़ी, नई दिल्ली.	16.4.1970	412/552
273	कब्रगाह, खसरा नंबर 97, मोरदाबाद पहाड़ी, नई दिल्ली.	16.4.1970	412/53
274	मस्जिद खसरा नंबर 75, मोरदाबाद पहाड़ी, नई दिल्ली.	16.4.1970	412/55
275	मस्जिद खसरा नंबर 26, मोरदाबाद पहाड़ी, नई दिल्ली.	16.4.1970	412/56
276	कब्रगाह, खसरा नंबर 33, मोरदाबाद पहाड़ी, नई दिल्ली.	16.4.1970	412/57
277	दरगाह सैयद साहेब, खसरा नंबर 89, अलीगंज, नई दिल्ली.	5.6.1986	1
278	दरगाह एवं मस्जिद रूवाजा खुमहारी, पहाड़गंज, नई दिल्ली. विकास सदन के अंदर , नई दिल्ली.	16.4.1970	41/441
279	मस्जिद जमरुदपुर, खसरा नंबर 90. कैलाश कॉलोनी, नई दिल्ली.	31.12.1970	1284/105
280	कब्रगाह के अंदर मस्जिद, खसरा नंबर 1776, 1785, सेवा नगर, अलीगंज, नई दिल्ली.	31.12.1970	1286/119
281	कब्रगाह गांव लाडो सयय खसरा नंबर. 458,459 (1बीघा 1 बिस्वा), नई दिल्ली.		
282	कब्रगाह गांव लाडो सयय, खसरा नंबर. 334 कुतुब की तरफ, बदरपुर रोड (19 बिस्वा)		
283	मस्जिद दरगाह शेख अबु बकर तुसी (आरए), मथुरा रोड, नई दिल्ली.	16.4.1970	307/4
284	कब्रगाह, गांव अलीगंज, खसरा नंबर 546, कटय अहीरन (3 बीघा 14 बिस्वा), नई दिल्ली		



भारत में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति

परिशिष्ट 11.3 दिल्ली नगर निगम के अवैध कब्जे में दिल्ली वक्फ बोर्ड की संपत्तियों की सूची.
(संदर्भ: पत्रांक. 2/CEO/HLC/DWB/2005/242 दिनांक 7.2.2006 सीईओ, दिल्ली वक्फ बोर्ड)

कम सं.	नाम एवं पते	वक्फ गजट सूचनावली	
		दिनांक	पेज संख्या
285	कब्रगाह (तकला), मस्जिद मोठ, खसरा नंबर 38, मस्जिद मोठ के पीछे, नई दिल्ली.	25.9.1975	381/38
286	कब्रगाह पश्चिमी विस्तार क्षेत्र, करोलबाग, नई दिल्ली.	10.4.1970	324/5
287	मस्जिद मदरसा वाली, महारौली, नई दिल्ली		
288	वक्फगाह खसरा नंबर. 564 गांव अलीगंज, कलान मस्जिद, बस्ती निजामुद्दीन, नई दिल्ली	31.12.1970	
289	कब्रगाह मीरदरद, जीबी पंत अस्पताल के पीछे, नई दिल्ली		
300	मस्जिद एवं मकबरा, खलील बाड़ी, शास्त्री नगर, दिल्ली		
301	कब्रगाह खसरा नंबर. 914 (1 बीघा 11 बिसवा) गांव बहापुर, चित्तरंजन पार्क, नई दिल्ली		
302	Dczxkg [kljk uacj. 80, Village Chattarpur, ubZ fnYyh.		
303	Shahi Idgah [kljk uacj. 11, (31601 sq. yds) Qasabpura, Delhi	16.4.1970	

परिशिष्ट 11.4 रेल विभाग के अवैध कब्जे में दिल्ली वक्फ बोर्ड की संपत्तियों की सूची
(संदर्भ: पत्रांक. 2/CEO/HLC/DWB/2005/242 दिनांक 7.2.2006 सीईओ, दिल्ली वक्फ बोर्ड)

कम सं.	नाम एवं पते	वक्फ गजट सूचनावली	
		दिनांक	पेज संख्या
304	कब्रगाह, खसरा नंबर 998/471, 997/469 रेलवे स्टेशन के पास, शाहदरा, दिल्ली	31.12.1970	1306/280
305	मस्जिद नईम वाली, रेलवे अकाउंट ऑफिस, पुयना रोहतक रोड, दिल्ली	10.4.1970	392/2

परिशिष्ट 11.5 दिल्ली छावनी परिषद के अवैध कब्जे में दिल्ली वक्फ बोर्ड की संपत्तियों की सूची
(संदर्भ: पत्रांक. 2/CEO/HLC/DWB/2005/242 दिनांक 7.2.2006 सीईओ, दिल्ली वक्फ बोर्ड)

कम सं.	नाम एवं पते	वक्फ गजट सूचनावली	
		दिनांक	पेज संख्या.
306	मस्जिद (नाम स्पष्ट नहीं) मिलिटरी अस्पताल के पास, दिल्ली कैंट	10.4.1970	442/2
307	मस्जिद (नाम स्पष्ट नहीं) राजपुताना यडफल सेंटर, दिल्ली कैंट.	10.4.1970	442/4
308	मस्जिद (नाम स्पष्ट नहीं) मिलिटरी अस्पताल परिसर के अंदर, दिल्ली कैंट.	10.4.1970	442/5
309	मस्जिद (नाम स्पष्ट नहीं) मिलिटरी अस्पताल परिसर के अंदर, दिल्ली कैंट.	10.4.1970	
310	मस्जिद (नाम स्पष्ट नहीं) 19 हैवी मिलिटरी के अंदर, दिल्ली कैंट.	10.4.1970	442/6
311	मस्जिद (नाम स्पष्ट नहीं) 19 हैवी मिलिटरी परिसर के अंदर, दिल्ली कैंट.	10.4.1970	442/6



परिशिष्ट 11.6 दिल्ली जल बोर्ड के अवैध कब्जे में दिल्ली वक्फ बोर्ड की संपत्तियों की सूची
(संदर्भ: पत्रांक. 2/CEO/HLC/DWB/2005/242 दिनांक 7.2.2006 सीईओ, दिल्ली वक्फ बोर्ड)

क्रम सं.	नाम एवं पते	वक्फ गजट सूचनावली	
		दिनांक	पेज संख्या
312	कब्रगाह अहले कुरैशी, थाने के सामने, महरौली, नई दिल्ली	10.4.1970	442/2
313	कब्रगाह, खसरा नंबर. 333, मौजा लाडो सराय, महरौली, नई दिल्ली (11 बिस्वा)	10.4.1970	442/4
314	कब्रगाह, खसरा नंबर. 335, मौजा लाडो सराय, महरौली, नई दिल्ली (1 बीघा)	10.4.1970	442/5
315	शाही ईदगाह, खसरा नंबर. 11, (31601 वर्ग यार्ड) कसाबपुरा, दिल्ली	10.4.1970	
316	लेडी हार्डिंग अस्पताल के अंदर छोटी मस्जिद, नई दिल्ली	10.4.1970	442/6

परिशिष्ट 11.7 दिल्ली पुलिस के अवैध कब्जे में दिल्ली वक्फ बोर्ड की संपत्तियों की सूची (संदर्भ: पत्रांक.2/CEO/HLC/DWB/2005/242 दिनांक 7.2.2006 सीईओ, दिल्ली वक्फ बोर्ड)

क्रम सं.	नाम एवं पते	वक्फ गजट सूचनावली	
		दिनांक	पेज संख्या.
317	खसरा नंबर. 48, याकूतपुर गांव, मस्जिद मोठ, नई दिल्ली (9 Bigha Biswa)	16.4.1970	876/90
318	दरगाह सैदुल्ल गुलशान, कुतुब रोड, संख्या 7227	20.10.85	

परिशिष्ट तालिका 11.8: भेद्यालय में वक्फ के अतिक्रमण की सूची
(संदर्भ: पत्रांक. MSWB/PMO//2005-06/1029 दिनांक 08.08.2005 अध्यक्ष, भेद्यालय वक्फ बोर्ड)

क्रम सं.	नाम एवं पते
319	हाजी इलाही बरूखा वक्फ इस्टेट, जीएस रोड, पुलिस बाजार, शिलांग
320	हाजी इलाही बरूखा वक्फ इस्टेट, दक्षिण-पूर्व गावखार, बड़ा बजार, शिलांग- 2
321	हाजी इलाही बरूखा वक्फ इस्टेट, 35, कैंट बाजार, शिलांग
322	गुलाम रहमान बरूखा वक्फ इस्टेट, कीटिंग रोड, शिलांग
323	गुलाम रहमान बरूखा वक्फ इस्टेट, थाना रोड, पुलिस बाजार, शिलांग
324	गुलाम रहमान बरूखा वक्फ इस्टेट, टैक्सी स्टैंड, जीएस रोड, शिलांग
325	गुलाम रहमान बरूखा वक्फ इस्टेट, जीएस रोड के साथ स्थित जगह, शिलांग
326	हाजी काशीमुद्दीन मुल्ला वक्फ इस्टेट, रॉकवुड कॉटेज
327	हाजी काशीमुद्दीन मुल्ला वक्फ इस्टेट, पुलिस बाजार मस्जिद
328	एस के उम्मेद अली वक्फ इस्टेट, अमृता बजार, पत्रिका रोड (near stream)
329	शाह कमाल औलिया वक्फ इस्टेट, महेंद्रगंज



भारत में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति

परिशिष्ट तालिका 11.9: राजस्थान सरकार के अवैध कब्जों में वक्फ बोर्ड की संपत्तियों की सूची (संदर्भ: पत्रांक. Wakf/Survey/6039/06 दिनांक 25.5.2006 सीईओ, राजस्थान मुस्लिम वक्फ बोर्ड)

क्रम सं.	नाम एवं पते	कुल संपत्ति
330	शिक्षा विभाग	17
331	सिंचाई विभाग	01
332	कय एवं विकय सहकारी समिति	01
333	पुलिस विभाग	03
334	ग्रामीण विकास	03
335	पीडब्लूडी	04
336	पुरातत्व विभाग	03
337	स्वास्थ्य विभाग	04
338	राजस्थान सड़क एवं परिवहन निगम	02
339	शहरी विभाग	04
340	बिजली विभाग	02
341	पंचायत विभाग	02
342	जयपुर डेरी	01
343	कानून विभाग	02
344	पशु पालन	02
345	राजस्व विभाग	04
346	लोक स्वास्थ्य नियंत्रक	05



परिशिष्ट तालिका 11.10: सरकारी या अर्धसरकारी निकाय द्वारा वक्फ के अतिक्रमण की सूची (संदर्भ: पत्रांक. 3074/A.S - 2006 सहायक सचिव, उत्तर प्रदेश सुन्नी केंद्रीय वक्फ बोर्ड दिनांक 24.1.2006)

क्रम सं.	वक्फ संख्या.	कब्जा की गई वक्फ संपत्ति का विवरण	अतिक्रमण से संबंधित संस्थाएं
347	390	कब्रिस्तान लाल कटोय, खसरा नंबर 15, 316, 23, 25, 38, 292, 308, 314 खाता नंबर. 45 & 6 एक बीघा 14 बिस्वा	आवास विकास परिषद, सूपी, लखनउ
348	443/488	मस्जिद मजार शाह तुराब अली शाह, वक्फ मुख्तार बेगम खसरा नंबर 242	आवास विकास परिषद, सूपी, लखनउ
349	405	मस्जिद, शाहदरा, सनोसा भरेसा नजदीक आलमनगर खसरा नंबर 842 से 856, माप 4 एकड़ 55 डिसमल	आवास विकास परिषद, सूपी, लखनउ
350	393	मस्जिद मकबरा नंदन महल रोड, लखनउ खसरा नंबर 300, 301, 304, 305	भारतीय पुरातत्व विभाग, पुराने स्मारक
351	337 8 बीघा 7 बिस्वा	कब्रिस्तान वितवापुर, लखनउ, खसरा नंबर. 810 से 818	लखनउ विकास प्राधिकरण 823
352	463	तकिया कब्रिस्तान, गोलागंज, लखनउ खसरा नंबर 129, 139 14 बीघा 3 बिस्वा, 2 विस्वांसी	बलरामपुर अस्पताल, लखनउ
353	44 A	वक्फ सफीउन्निसा एवं महमूद हुसैन गोहाल नगरियां, खसरा नंबर 5, 6, 7, 9 बीघा 14 बिस्वा	लखनउ निगम (जल निगम)
354	522	कब्रिस्तान मोहिवुलपुर, खसरा नंबर 69, 666, 646 & 820 3 बीघा 4 बिस्वा	लखनउ विकास प्राधिकरण
355	416	मस्जिद सीतापुर रोड, रेलवे कासिंग के पास, डालीगंज लखनउ, खसरा नंबर 38 माप 4 बिस्वा	रेल विभाग लखनउ विकास प्राधिकरण
356	562	मदरसा, मस्जिद एवं कब्रिस्तान, खसरा नंबर. 36-36-13 आलमनगर, धंता मेहर पुल के पास, 4 बीघा 2 बिस्वा	आवास विकास परिषद, सूपी, लखनउ



भारत में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति

परिशिष्ट तालिका 11.11: उत्तर प्रदेश में अवैध कब्जों में वक्फ बोर्ड की संपत्तियों की सूची (संदर्भ: पत्रांक. 3074/A.S - 2006 सहायक सचिव, उत्तर प्रदेश सुन्नी केंद्रीय वक्फ बोर्ड दिनांक 24.1.2006)

क्रम सं.	नाम एवं पते
357	वक्फ कदम रसूलाहाबाद
358	कब्रिस्तान बादशाह वाली, मेरठ कैंट, इटावा
359	कब्रिस्तान ताल कटोय, खसरा नंबर. 15, 316, 2, 25, 38, 292, 308, 314 और 345(9 बीघा 14 बिस्वा)
360	मदीना मस्जिद और कब्रिस्तान, खसरा नंबर. 36 - 1 और 36 - बी, आलम नगर, धानिया महरी कुंज, लखनउ
361	मस्जिद मजार बाबा तौरब अली शाह और मुख्तार बेगम, खसरा नंबर. 242. राजाजीपुरम, लखनउ
362	मस्जिद शाहदय सरोसा-भरोसा, आलम नगर, लखनउ
363	वक्फ शफी और मोहम्मद हुसैन, खसरा नंबर . 5, 6 और 7
364	कब्रिस्तान मोहल्लापुर, खसरा नंबर. 69, 666, 646 और 820
365	कब्रिस्तान नोएडा सेक्टर - 18, सेक्टर 30 और 16 के सामने
366	पुरबिया टोला के पास स्थित कब्रिस्तान, खसरा नंबर 595 / 12, 596, 594
367	मस्जिद और कब्रिस्तान मरपान गंज, इटावा, खसरा नंबर. 994, 997, 998, 996 और 995
368	मस्जिद लातुवा रोड और दुकाने, कानपुर
369	कब्रिस्तान सयय बकरपुर कोटला, अजितगल, वक्फ नंबर. 105
370	कब्रिस्तान 12 बाग, बसई रोड के पास, शाहपुर, खसरा नंबर. 80, 89, 91, 411, 415, 416, और 418
371	कब्रिस्तान बादशाह कुली परेड, कैंट, वक्फ संख्या, 35
372	कब्रिस्तान दरगाह, गौयसा, खसरा नंबर. 85, 36 और 17
373	वक्फ हाजी रतन सेन, मुयदाबाद
374	वक्फ इलाही खान्नुम, सुल्तानपुर
375	कब्रिस्तान सयय मकरपुर कोटला, अजितगल सुन्नी वक्फ नंबर. 1052 इटावा
376	वक्फ वाली खान्नुम मकबरा, फैजाबाद
377	वक्फ शाही मस्जिद और इमामबाड़ा, सिकंदर बाग, लखनउ
378	मस्जिद मकबरा, नंदन महल रोड, लखनउ, खसरा नंबर. 300, 290, 301, 304, 305, 307
379	सुन्नी पंजीकृत वक्फ नंबर. 101 मजार ऐथान शाह
380	कब्रिस्तान सयय बाबरपुर कोटला, अजितगल सुन्नी, खसरा नंबर. 105
381	कब्रिस्तान मौला सयय, नाहरपुर कोटला तहसील, खसरा नंबर. 46. 193, 197, 199, 200, 353, 356 और 357
382	दरगाह ख्वाजा बहाउद्दीन, अमरोहा
383	वक्फ हाजी मफीक शाह, गालिबपुरा, नाई की मंडी, आगरा, वक्फ नंबर. 232
384	राजा इमाम हुसैन शल्बीर-यजा हजरत कासिम
385	वक्फ बीबी इलाही खान्नुम, बाजार अलीगंज, मनियारी परगना, मारनपुर, तहसील सदर, सुल्तानपुर
386	ताकिया कब्रिस्तान गोलानंज, खसरा नंबर. 129, 130
387	रामबाग के पास स्थित मस्जिद, कानपुर
388	कब्रिस्तान, खसरा नंबर. 29, 30, 31
389	मस्जिद खसरा नंबर. 38, सीतापुर रोड, रेलवे कॉसिंग के पास, हल्लीगंज
390	जमीन और मकान, चीनी मिल, देवरिया
391	बदायू स्थित घर
392	कब्रिस्तान, कारबुज शाहिद, खसरा नंबर. 225, खरबूजा शहीद के पास, वाराणसी



परिशिष्ट तालिका 11.12: में वक्फ के अतिक्रमण की सूची उड़ीसा (संदर्भ: पत्रांक, 861/OBW दिनांक 1.8.2005 सीईओ, उड़ीसा वक्फ बोर्ड)

क्रम सं.	नाम एवं पते
393	पीर जहानिया जहारीगस्त, सुदेकेश्वर, (अष्टारंग) थाना ककटपुर जिला पुरी
394	दरगाह साहिब रीगागढ़, थाना रातकनिका, केंद्रपाड़ा
395	दरगाह साहिब ककटपुर, जिला पुरी
396	दरगाह नबी साहिब, खलियांग केंद्रपाड़ा
397	जामिया मस्जिद, भ्रांजानगर, गंजाम
398	कदम रसूल, दरगाह बाजार, कटक शहर
399	कब्रिस्तान, खनडपाल, बलियापाल, जिला बालासोर
400	फकीर तकिया पीर सुदलपुर बालासोर शहर, जिला बालासोर
401	हजरत शाह फैजुल्लाह पीर, रैमुना, जिला बालासोर
402	पीतीपुर में कब्रिस्तान, जगतसिंहपुर
403	राजपुर में कब्रिस्तान, नुआपाड़ा जिला नुआपाड़ा
405	गौजा धमहला में स्थित कदम रसूल वक्फ संपत्ति, थाना बलियांग, जिला खुर्दा
406	सैयद जताल एवं सैयद कमाल, बानपुर, कटक सदर, कटक
407	पीर हजरत लस्कारी मस्तान, साहिब बीजे, बरुशी बाजार, कटक
408	पीर साहिब, बीजे कनस, थाना बलंगा (हाल कनस) पुरी
409	काले पहलवान पीर, बीजे रानीहाट, थाना मंगलाबान, कटक
410	कदम रसूल, बीजे दरगाह बाजार शहर, कटक

परिशिष्ट 11.13: कर्नाटक में वक्फ के अतिक्रमण की सूची (संदर्भ: पत्रांक, KTW/32/ADM/05-06 सीईओ, कर्नाटक राज्य वक्फ बोर्ड दिनांक 05 अगस्त 2005)

क्रम सं.	वक्फ संस्थानों के नाम एवं पते
बंगलोर-ग्रामीण	
411	आशु माकन, (कब्रिस्तान) देवनहल्ली शहर, देवनहल्ली
412	हाजी जुम्मा शाह खादर शाह माकन, डोंडुपाल्या, होसकोटे
413	हाजी दिलवर शाह दरगाह एवं कब्रिस्तान, गंगाधरपुर, डोडाबल्लापुर
बंगलोर-शहरी	
414	महमूदशरीफ एजुकेशन ट्रस्ट यशवंतपुर
415	मुस्लिम कब्रिस्तान, मैसूर रोड, बंगलोर
416	मुस्लिम कब्रिस्तान, यशवंतपुर, बंगलोर
417	जामिया मस्जिद, वस्थुर गांव
418	हाजी शाहबाज शाह दरवेश दर्ग सर्किल, मैसूर रोड, बंगलोर
419	कुमांदन माकन बिंड सर्किल, मैसूर रोड, बंगलोर
420	लश्कर कब्रिस्तान, ऑडेगुदी, बंगलोर
421	जामिया मस्जिद, येथांका, बंगलोर



भारत में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति

परिशिष्ट तालिका 11.13: कर्नाटक में अवैध कब्जों में वक्फ बोर्ड की संपत्तियों की सूची (संदर्भ: पत्रांक. KTW/32/ADM/05-06 सीईओ, कर्नाटक राज्य वक्फ बोर्ड दिनांक 05 अगस्त 2005)

क्रम सं.	नाम एवं पते
422	कब्रिस्तान, खाजिसोन्नाहल्ली गांव
	बेल्लारी जिला
423	गंदर अली शाह दरगाह, बांदी हट्टी रोड, सीबी बेल्लारी
424	मसूद शाह पंजे (असुरखाना) मोका गांव, बेल्लारी, तालुका
425	गंजे शहीद दरगाह, होस्पट
426	पिंजरवाडी असुरखाना, बेल्लारी
	बेलगाम जिला
427	हजरत खतल शाह वाली दरगाह, बेलगाम
428	हत्ती हसद खान दरगाह, कैंप, बेलगाम
429	सुन्नत मुस्लिम जमात, दिग्गेवाडी गांव, रायबाग.
430	ईदगाह शाहपुर, हिंदीवाडी, बेलगाम.
431	शाही मस्जिद, संभोपन तालुका-बाईहोंगल
	बीजापुर जिला
432	दरगाह जैनब हफीज, महबूब जलालुद्दीन दरगाह मस्जिद और जन्नतूल बुखी कब्रिस्तान, इंडी रोड
433	मस्जिद, वैबर ऑफ एसी बीजापुर
434	मस्जिद, एस एस हाई स्कूल, बीजापुर
435	सुनहरी मस्जिद, बीजापुर
436	आलमगीर शाही ईदगाह
437	अली रजा मस्जिद
438	इब्राहिम रोजा
439	इब्राहिम जामिया मस्जिद, लंगर बाजार
440	उपायुक्त कार्यालय के सामने स्थित मस्जिद, बंगलोर
441	कब्रिस्तान, शिवांगी, तुमलक और जिला बीजापुर
442	दरगाह पीर जियाउद्दीन गजनवी
	बिदार जिला
443	खानकाह कुथबे आलम, बिदार.
444	मस्जिद शाह जैनुद्दीन कादरी, बिदार
445	दरगाह हाजी रजा मस्तान और फतेह दरवाजा के बाहर स्थित कब्रिस्तान, बिदार
446	दरगाह दादा पीर, आलियाबाद गांव, बिदार
447	दरगाह हाजी, शाह जुईनुद्दीन कुंजेनशीन, चिदरी बिदार
448	दरगाह हाजी मुलतानी बादशाह, बिदार
449	दरगाह हाजी बानी हसन गुलार हवेली, बिदार
450	दरगाह हाजी हाफिज शाह मोहम्मद, गुलजार हवेली, बिदार.
451	कमान सोफिया शाह गूंज, बिदार



परिशिष्ट 11.13: कर्नाटक में वक्फ के अतिक्रमण की सूची (संदर्भ: पत्रांक. KTW/32/ADM/05-06 सीईओ, कर्नाटक राज्य वक्फ बोर्ड दिनांक 05 अगस्त 2005)

क्रम सं.	नाम एवं पते
बगलकोट जिला	
452	कब्रिस्तान, कम संख्या, 19, लोकपुर, मुधोल
453	मुस्लिम आम जमात कब्रिस्तान, गुलेगुडा, बदामी
454	शाह आलम मस्जिद जामखंडी
455	मुस्लिम कब्रिस्तान अंजुमन इस्लाम कमिटी, अमीनगढ तालुक, हुंगुंड
456	मुस्लिम आम जमात ईदगाह, गुलेगुडा, तालुका बदामी
457	ईदगाह, सिलिरुर् गांव, तालुक एवं जिला बगलकोट
458	कम संख्या.73 एवं सीटीएस संख्या.22 अंजुमन उस्कान मुस्लिम जमात से संबद्ध, रबकावी तालुका, जामखंडी
459	ईदगाह, नगराल गांव, मुधोल
वमराजनगर जिला	
460	कब्रिस्तान, रामसमुद्र, वमराजनगर तालुका
461	दरगाह हजरत मर्दन ए गालिब, शिवसमुद्रम, कोलीगल तालुका
विक्रमंगलूर जिला	
462	मस्जिद ए बाजार ट्रस्ट, तारिकेरे शहर
चित्रदुर्ग जिला	
463	कब्रिस्तान अगासनाकल्लु, चित्रदुर्ग
464	बसेश्वर टॉकीज के पीछे मुस्लिम सराय, चित्रदुर्ग
465	अंजुमन ए इलाही, कोली बुरजाना, हट्टी, चित्रदुर्ग
466	बाड़ा इमाम मकान, फिल्टर हाउस रोड, आई ब्लॉक चित्रदुर्ग
467	कब्रिस्तान, गेटिकुर्क हिरियुर तालुक
468	हरिगोदी कब्रिस्तान, वीपी एक्सटेंशन, चित्रदुर्ग
469	हजरत अताउल्ला शाह मकान, बीडी रोड, चित्रदुर्ग
470	हजरत अहमद शाह वाली दरगाह, बड़ा मकान, चित्रदुर्ग
दक्षिण कन्नड जिला	
471	परित्यक्त मुस्लिम कब्रगाह, पंडेश्वरी, मंगलोर
धारवाड जिला	
472	अहले सुन्नत जमाल तथल, तालुका, हुबली
गुलबर्ग जिला	
473	अल हदीस मस्जिद गाजीपुर, गुलबर्ग
474	हजरत शाह हिसामुद्दीन साहब, तेग बरहाना, गुलबर्ग
गडग जिला	
475	जिंदे शाह वाली दरगाह, बेटगिरी, गडग तालुक
कोडागु जिला	



भारत में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति

परिशिष्ट तालिका 11.13: कर्नाटक में अवैध कब्जे में वक्फ बोर्ड की संपत्तियों की सूची (संदर्भ: पत्रांक. KTW/32/ADM/05-06 सीईओ, कर्नाटक राज्य वक्फ बोर्ड दिनांक 05 अगस्त 2005)

क्रम सं.	नाम एवं पते
476	मुस्लिम कब्रिस्तान, मादिकेरी शहर
477	खदरिया मोहल्ला मस्जिद, बेलगुंडा (मुस्लिम कब्रिस्तान) मगूला गांव, विजयपेट
478	जामिया मस्जिद, खुशालनगर, सोमवारपेट तालुका
479	जामिया मस्जिद, शनिवारसंथे
480	मस्जिद ए आजम, विजयपेट शहर
हासन जिला	
481	खादर वाली दरगाह, अर्किकेरे शहर
482	जामिया मस्जिद (किला) बेलूर शहर
483	पुराना कब्रिस्तान एवं मकान, हासन शहर.
484	मस्तान वाली दरगाह, वन्नरायापटना.
485	वाली मुत्त एवं कब्रिस्तान, वन्नरायापटना.
486	जामिया मस्जिद वन्नरायापटना.
487	चौक मस्जिद ए आजम, वन्नरायापटना.
कोलार जिला	
488	हजरत टीपू सुलतान मस्जिद, नंदी हिल्स
कोप्पल जिला	
489	मुस्लिम कब्रिस्तान अहले इस्लाम, शहर थाने के पास कोप्पल.
490	दरगाह हजरत राजा बाग सवार (सुन्नी) जवाहर रोड, कोप्पल
491	मस्जिद ए फिरदौस से जुड़ी दुकाने, मुख्य बाजार, कोप्पल.
492	मुस्लिम कब्रिस्तान (सुन्नी) शाहपुर गांव, कोप्पल.
मैसूर जिला	
493	हजरत सफ्दरजंग मकान, मैसूर
494	तहफूज ए कब्रिस्तान, उटी रोड, मैसूर
495	सैयद आउददीन शाह खादरी मकान, मैसूर
496	जामिया मस्जिद कट्टेमलवाडी, हांसुर
497	ईदगाह, अनकनहल्ली कोप्पल, पेरियापटना
मांद्या जिला	
498	कब्रिस्तान मंगला गांव, मांद्या तालुका खसरा नंबर. 11
499	कब्रिस्तान, बोमूर अन्नहास, एसआर पटना, कम संख्या. 241
500	टीपू सुलतान वक्फ स्टेट, एसआर पटना, कम संख्या . 950
501	यकीन शाह बुद्दन शाह मकान, (दाल-शेटी मकान) पांडवपुरा
रायचूर जिला	
502	मुस्लिम कब्रिस्तान, मस्की पारडी नंबर, क्षेत्र 0-11 गुंटा
503	ईदगाह, रायचूर, संख्या 51



परिशिष्ट 11.13: कर्नाटक में वक्फ के अतिक्रमण की सूची (संदर्भ: पत्रांक. KTW/32/ADM/05-06 सीईओ, कर्नाटक राज्य वक्फ बोर्ड, दिनांक 05अगस्त 2005)

क्रम सं.	वक्फ संस्थान के नाम और पते	
504	दरगाह और कब्रिस्तान, बालागनूर गांव, तालुका सिंधनूर एसवाई नंबर .5/2	
505	दरगाह हजरत मकमूल पोश	
506	घुडवाले अशुरखाना, रायचूर	
507	सोमवारपेठ थाने के सामने नालसाब अशुरखाना, रायचूर	
508	कब्रिस्तान कलमला, गुंटास	
शिमोगा जिला		
509	कब्रिस्तान, सीएम रोड शिमोगा	
510	आबिद शाह का मकान शिमोगा	
511	हजरत अमानुल्लाह खादरी दरगाह होसहल्ली	
512	सादत शाह खादरी का मकान मोडी डोडीकोप्पा	
513	बाबा बुद्धन का मकान होलेहोन्नौर भद्रावती	
514	हजरत सैयद शाह आलिम दीवान दरगाह शिमोगा	
515	कब्रिस्तान, जानपुर, भद्रावती तालुका	
दुमकूर जिला		
516	शाहबाज दरवेश का मकान और दादे शाह का मकबरा दुमकूर जिला	
517	सैयद अब्दुल खदेर का मकबरा और कब्रिस्तान, सीरा	
518	मौथा शाह और फिदा शाह मकान, पावगडा दुमकूर जिला	
519	मुस्लिम कब्रिस्तान, एस एम गोव्वाहिल्ली, मधुगिरि	उडुपी जिला
520	जामिया मस्जिद कुंडपुर उडुपी जिला	
उत्तरी कन्नड जिला		
521	युलतानी मसजिद हनाफी (सुन्नी) सिरसी	


परिशिष्ट तालिका 11.14: मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड (संदर्भ: पत्रांक. Moni/PMHLC/2005/5812 सीईओ दिनांक 03.08.2006)

क्रम सं.	वक्फ संस्थान का नाम और पता
527 - 579	53 वक्फ संपत्ति सरकारी या अर्ध सरकारी संस्थान के कब्जे में आनी है।



समिति, सलाहकार और सचिवालय

पद	नाम	संबद्ध
समिति के सदस्य		
अध्यक्ष	राजिंदर सत्वर	मुख्य न्यायाधीश (सेवानिवृत्त), दिल्ली उच्च न्यायालय
सदस्य	सैयद हमिद	कुलपति, जामिया हमदद नई दिल्ली
सदस्य	टी के ओम्मून	प्रोफेसर (सेवानिवृत्त) जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय
सदस्य	एम ए बसिथ	वरिष्ठ निदेशक, योजना विभाग कर्नाटक सरकार
सदस्य	अरुतर मजीद	डीन, सामाजिक विज्ञान विभाग, जामिया हमदद नई दिल्ली
सदस्य	राकेश बसंत	प्रोफेसर, भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद
सदस्य सचिव	अबु सलेह शरीफ	मुख्य अर्थशास्त्री और प्रमुख, मानव विकास योजना राष्ट्रीय प्रायोगिक आर्थिक अनुसंधान परिषद
अकादमिक सहायता		
सलाहकार (पूर्णकालिक) अजरा रज्जाक	के ए सिद्दीकी रीडर, शिक्षा विभाग	अर्थशास्त्री, राष्ट्रीय प्रायोगिक आर्थिक अनुसंधान परिषद दिल्ली विश्वविद्यालय
	जाकिर हुसैन	वरिष्ठ व्याख्याता, अर्थशास्त्र, रवींद्र भारती विश्वविद्यालय, कोलकाता
	तनवीर फजल	व्याख्याता, समाजशास्त्र, सरकारी डिग्री कॉलेज, बागपत, उत्तरप्रदेश
	राशिद ए अंसारी	अनुसंधानकर्ता
	रमेश वेल्लन	अनुसंधानरत छात्र, क्षेत्रीय विकास का अध्ययन केंद्र जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय
वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी	इयास पाशा	सहायक निदेशक, अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी निदेशालय कर्नाटक सरकार
सलाहकार (सहायक)	पी एम कुलकर्णी	प्रोफेसर, क्षेत्रीय विकास का अध्ययन केंद्र, सामाजिक विज्ञान स्कूल, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय
	अनिल देवलालिकर	प्रोफेसर, कैलीफोर्निया विश्वविद्यालय, रिवरसाईड
	जीमोल उन्नी	प्रोफेसर, गुजरात विकास संस्थान, गांधीनगर



भारत में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति

	अंबरीश दुबे	वरिष्ठ सलाहकार, राष्ट्रीय प्रायोगिक आर्थिक अनुसंधान परिषद
	राजमोहन सेठी	प्रोफेसर (सेवानिवृत्त)
	ए जी मोहम्मद रहमतुल्ला	व्याख्याता (सेवानिवृत्त), प्रमुख अर्थशास्त्र विभाग, सरकारी कला कॉलेज, तिरुतानि 631209.
	इकबाल अंसारी	पूर्व प्रोफेसर, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय
	नजमा अख्तर	प्रोफेसर, राष्ट्रीय शैक्षणिक योजना एवं प्रशासनिक विश्वविद्यालय नई दिल्ली
सलाहकार (अंशकालिक)	राकेश कुमार श्रीवास्तव	वरिष्ठ कर्मी (सूचना तकनीक), राष्ट्रीय प्रायोगिक आर्थिक अनुसंधान परिषद
	पी के घोष	सलाहकार, आईएफपीआरआई
	कावेरी गांगुली	अनुसंधान विश्लेषक, आईएफपीआरआई
	महताब आजम	अनुसंधानरत छात्र
	शीबा वर्गीज	वरिष्ठ जांचकर्ता, अनुसूचित क्षेत्र एवं अनुसूचित जनजाति आयोग, भारत सरकार
	ओवैस अहमद शमसी	जामिया हमदद
अनुसंधान सहायता	आरुखा कैहरी माओ	अनुसंधानरत, शिक्षा विभाग दिल्ली विश्वविद्यालय
	अदिति नंदी	अनुसंधानकर्ता
कंप्यूटर/तकनीकी सहायता		
वेब मास्टर	मोहम्मद ओवैस	
तकनीकी सहायता	रुपिंदर कौर	
प्रशासनिक मदद		
विशेष ड्यूटी अधिकारी	शैयद जफर महमूद	
प्रशासनिक अधिकारी	आत्म प्रकाश	
आय-व्यय अधिकारी	मोहम्मद शाहिद	शिक्षा विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय (जुलाई-नवंबर 2006 प्रतिनियुक्ति पर)
अध्यक्ष के विशेष निजी सचिव	एस एस शर्मा	
सदस्य सचिव के निजी सचिव	जेबा अय्याज (जून-जुलाई 2006)	
	रुहीना खुशीद	
विशेष ड्यूटी अधिकारी के निजी सचिव	मोहम्मद काशिफ	
अन्य सहायक कर्मी	जावेद अख्तर	
	मारिया सब्जपोश	
	हिना अर्शाद	
	ग्लैडीस एस	
	रागिनी सक्सेना	
	गुजन नागपाल	
	सन्नी ताईवड़े	
	अविनाश	
	मोहम्मद युसूफ	
	जय प्रकाश सारसर	
	अजय कुमार	